उत्तर प्रदेश ‘‘नगर निगम’’ अधिनियम, 1959

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1959)

THE UTTAR PRADESH [MUNICIPAL CORPORATION] ADHINIYAM, 1959

(U.P. Act No. II of 1959)

उत्तर प्रदेश [1][नगर निगम] अधिनियम, 1959[2]

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1959

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1961

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1961

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1963

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1964

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1966

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 08, 1970

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1970

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1972

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1973

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 1974

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1975

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1977

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1977

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1978

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1979

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 1982

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1982

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1983

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1983

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 1983

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 05, 1984

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1985

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1987

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1990

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 09, 1991

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1995

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 1996

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 08, 1998

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम की दीर्घ शीर्षक की उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 16 अप्रैल, 1957 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1999
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 2000
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 2001
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2004
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 08, 2005
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 2005
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 2006
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 38, 2006
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 49, 2007
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2008
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 28, 2009
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 2009
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 2011
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 2012
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2017
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 2018
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 05, 2023

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 15 सितम्बर, 1958 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिंनांक 17 दिसम्बर, 1958 ई० की बैठक में पारित किया।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 22 जनवरी, 1959 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 24 जनवरी, 1959 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश के कतिपय नगरों के लिए [1][नगर निगम] की स्थापना की व्यवस्था करने का

अधिनियम

यह इष्टकर है कि कतिपय नगरों में [1][नगर निगम] की स्थापना के लिए व्यवस्था की जाय जिससे उन नगरों में श्रेष्ठ नगर शासन सुनिश्चित हो सके, अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

अध्याय — 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–[2][(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 कहा जायगा;

(2) इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) यह अध्याय तुरन्त प्रविर्तत हो जायगा और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध, जहां तक उनका सम्बन्ध किसी नगर (City) से है, ऐसे दिनांक से प्रवर्तित होंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करें [1][और विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते है] ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी नगर के लिये [2][निगम] का संगठन करने के सीमित प्रयोजन के लिये अध्याय 2 के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :——

(क) नगर में कक्षों (wards) का परिसीमन ;

(ख) निर्वाचक सूचियों (electoral rolls) का तैयार किया जाना और उनका प्रकाशन;

(ग) किसी [2][निगम] का [3] [महापौर], [4] [***] या [3][पार्षद] चुने जाने तथा [3][महापौर], विशिष्ट सदस्य या [3][पार्षद] निर्वाचित किये जाने के लिये उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त अर्हताएं तथा अनर्हताएं ; और

(घ) सामान्यतया, निर्वाचन का संचालन तथा [निगम] के यथावत् संगठन (constitution) के लिये आवश्यक अन्य समस्त विषय ;

धारा 3 के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से उक्त नगर में और उसके सम्बन्ध में प्रवर्तित होंगे और किन्हीं अन्य विधायनों (enactment) में किसी बात के रहते हुये भी [निगम] के यथावत् संगठन के लिये उक्त अध्याय तथा तदन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन करने के निमित्त ऐसे समस्त कार्य तथा कार्यवाहियां की जा सकती है, जो आवश्यक हों ।

2–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में, **परिभाषायें**

(1) "विज्ञापन" (advertisement) से तात्पर्य है दीप्ति युक्त (illuminated) अथवा दीप्तिहीन कोई ऐसे शब्द, वर्ण, नमूना (model), चिन्ह, विज्ञापन फलक (Placard Board), नोटिस, युक्ति (device), अथवा प्रतिरूप (representation) जो विज्ञापन, घोषणा (announcement) या निर्देश (direction) के प्रकार (nature) का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिये पूर्णतः या अंशतः प्रयुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती (boarding) तथा इसी प्रकार के अन्य ढांचे (structure) हैं जो या तो विज्ञापन के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त होते हों या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिये अनुकूलित कर लिये गयें हों ;

(2) "नियत दिन" (appointed day) से, किसी नगर के सम्बन्ध में तात्पर्य है वह दिन जिस पर उक्त नगर के लिये [निगम] का यथावत् संगठन गजट में विज्ञापित कर दिया जाय ;

(3) "विधान सभा की सूचियां" (Assembly Rolls) से तात्पर्य है ऐसी निर्वाचक सूचियां जो रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1950 के उपबन्धों के अधीन और अनुसार विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये तैयार की गई हों ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 14, 1959 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की 4(ख) द्वारा निकाला गया ।

(4) "नानवाई की दूकान या नानवाई गृह" (bakery or bake-house) से तात्पर्य है कोई ऐसा स्थान जिसमें बिक्री या लाभ के लिये किसी भी रीति से रोटियां (bread), बिस्कुट या लेमनजूस आदि मिठाइयां (confectionery) सेंकी, पकाई या तैयार की जाती हों ;

(5) "बजट अनुदान" से तात्पर्य है ऐसी कुल धनराशि जो नियमों द्वारा विहित किसी मूख्य शीर्षक (advertisement) में बजट के तखमीनों के व्यय के अन्तर्गत दिखाई गई हो तथा [1][निगम] द्वारा अंगीकृत हो और उसके अन्तर्गत कोई ऐसी धनराशि भी है जिसके द्वारा ऐसा बजट अनुदान इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के अनुसार अन्य शीर्षकों से, या को स्थानान्तरित (transfer) करके बढ़ाया या घटाया जाय ;

(6) "भवन" के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष (out-house), अस्तबल, छादक (shed), झोपड़ी तथा अन्य घिरा हुआ स्थान (enclosure) या ढांचा (structure) है, चाहे वह पत्थर (masony), ईंट, लकड़ी, मिट्‌टी (mud), धातु से, या अन्य किसी भी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिये या अन्यथा प्रयुक्त होता हो, और इसके अन्तर्गत बरामदे, स्थिर चबूतरे (fixed platforms), मकानों की कुर्सियों (plinths), दरवाजे की सीढ़ियां (door-steps), दीवालें तथा हातों की दीवालें (coumpound-walls) और भेड़ (fencing) तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी हैं किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा ही अन्य वहनीय अस्थायी ढांचा (partable temporary structure) नहीं है ;

(7) "भवन पंक्ति" (building line) से तात्पर्य है वह पंक्ति जो "सड़क रेखाकरण" (street alignment) के पृष्ठ भाग में हों, तथा जिस तक सड़क से लगी हुई भवन की मुख्य दीवार वैधरूप से बढ़ायी जा सकती हो और जिसके आगे भवन का कोई भाग बढ़ाया न जा सकता हो, सिवाय उस दशा में जो भवन सम्बन्धी नियमों में विहित की गई हो।

(8) "उपविधि" से तात्पर्य है इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि ;

(9) "मलकूप" (cesspool) के अन्तर्गत कोई ऐसी भराव वाली टंकी (settlement tank) या अन्य टंकी है जो भवनों से निकलने वाली गलीज (foul matter) को ग्रहण करने या उसके निस्तारण (disposal) के लिये हो ;

[2][(10) "नगर" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेंद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन यथा अधिसूचित वृहत्तर नगरीय क्षेत्र से है ;]

[3][(10–क) "वाणिज्यिक भवन" का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जो कारखाना न हो और जिसका उपयोग या अध्यासन कोई व्यापार या वाणिज्य या उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई कार्य करने के लिये किया जाय ;]

(11) किसी नगर के सम्बन्ध में "डिवीजन के कमिश्नर" से तात्पर्य है उस डिवीजन का कमिश्नर जिसमें उक्त नगर स्थित हो और उसके अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त कमिश्नर भी है जिसे डिवीजन के कमिश्नर ने इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य प्रतिनिधानित कर दिये हों ;

[4][(11–क) "निगम" या "नगर निगम" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेंद 243–थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के लिये संगठित नगर निगम से है ;]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 03, 1987 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

(12) "घनाकार स्थान" (cubical contents) से, जब उसका प्रयोग किसी भवन की माप के प्रसंग में किया गया हो, तात्पर्य है वह स्थान (space) जो उसकी दीवालों और छत के बाहृय (external) धरातलों तथा उसके सबसे नीचे के खंड (storey) के फर्श के ऊपरी (upper) धरातल के या, यदि भवन के वल एक ही खंड (storey) का हो तो उसके फर्श के ऊपरी धरातल में समाविष्ट हों ;

(13) "दुग्धशाला" (dairy) के अन्तर्गत ऐसा कोई फार्म (farm), पशुशाला (cattle-shed), दूध गोदाम, दूध की दूकान या अन्य ऐसा स्थान है जहां से विक्रय के लिए दूध दिया जाता हो जहाँ बेचने के प्रयोजनों के लिए इधर रखा जाता हो या (supplied) या जहां बेचने के लिये दूध से मक्खन, घी, पनीर (cheese), दही या सुखाया हुआ अथवा जमाया हुआ (dried or condensed) दूध तैयार किया जाता हो और ऐसे ग्वाले (dairyman) के सम्बन्ध मे, जिसके अध्यासन में दूध बेचनें के लिये कोई स्थान नहीं है, दूग्धशाला के अन्तर्गत ऐसा स्थान है जहां वह दूध बेचने के लिये प्रयुक्त अपना पात्र (vessel) रखता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी कोई दुकान या अन्य स्थान नहीं है जहां केवल वहां पर ही उपयोग के लिये दूध बेचा जाता हो ;

(14) "ग्वाला" (dairyman) के अन्तर्गत गाय, भैंस, बकरी, गधी (ass) या अन्य पशु का, जिसका दूध मनुष्यों के उपयोग (consumption) के निमित्त बिक्री के लिये प्रस्तुत किया जाता हो या प्रस्तुत किया जाना अभिप्रेत हो, रक्षक (keeper) और दूध लाकर जुटाने वाला (purveyor) तथा दुग्धशाला का अध्यासी (occupier) भी है ;

(15) "दुग्धशाला के पदार्थ" (dairy produce) के अन्तर्गत दूध, मक्खन, घी, दही, मट्ठा (butter milk), पनीर (cheese) तथा दुग्धजन्य सभी पदार्थ है ;

(16) "भयानक रोग" (dangerous disease) से तात्पर्य है, हैजा, ताऊन (plague), चेचक (small-pox) या अन्य कोई ऐसा संक्रामक (epidemic) तथा संसर्गजन्य (infectious) रोग, जिससे मनुष्यों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और जिस [1][निगम] समय–समय पर सार्वजनिक नोटिस द्वारा भयानक रोग घोषित करे ;

(17) [2][* * * *]

[3](17) (क) 'निदेशक का तात्पर्य धारा 5–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है ;

(18) "जिला जज" के अन्तर्गत ऐसा अतिरिक्त जिला जज भी है जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला जज का कोई कृत्य हस्तान्तरित किया गया हो ;

(19) "नाली" (drain) के अन्तर्गत नाला (sewer), सड़क के नीचे की नालियां (tunnel), पाइप, खाई (ditch), जलमार्ग (gutter) अथवा प्रणाली (channel), जल कुन्ड (cistern), फ्लश–टंकी (flush-tank), मल टंकी (septic-tank), या कोई अन्य युक्ति (device), जो मल इत्यादि या दुर्गन्धित पदार्थ (sewage of offensive matter), दूषित–जल (polluted water), कूड़ा–करकट (sullage), बेकार जल, नाली के जल अथवा उप–भूमिगत जल (sub-soil water) को ले जाने अथवा उसके बहाने के लिये प्रयुक्त होते हों, तथा उनसे संसक्त (connected) कोई पुलिया, संवीजन दण्ड (ventilation shaft), या पाइप अथवा अन्य उपकरण या संधायन (fittings) हैं, नाली के अन्तर्गत किसी स्थान से मल इत्यादि अथवा दुर्गन्धयुक्त पदार्थों के उठाने, एकत्र करने, निकालने अथवा हटाने के लिए प्रयुक्त कोई निष्कासक (ejector), दबी हुई हवा से युक्त प्रणाल (compressed airmains), मल इत्यादि के मुहरबन्द प्रणाल (sealed sewage mains) तथा कोई विशेष यन्त्र अथवा उपकरण भी है ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 5(क) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

(20) "भोजनालय" (eating house) से तात्पर्य है कोई ऐसा भू–गृहादि (premises), जहां जनता अथवा जनता का कोई वर्ग (section) जा सकता हो और जहां वहीं अथवा अन्यत्र किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उक्त भू–गृहादि का स्वामी हो अथवा उसमें कोई स्वत्व (interest) रखता हो, या उसका प्रबन्ध करता हो, लाभ अथवा फायदे के लिये किसी प्रकार का भोजन तैयार या सम्भरित (supplied) किया जाता है ;

(21) "निर्वाचक" से, किसी कक्ष (ward) के सम्बन्ध में, तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसका नाम तत्समय उस कक्ष की निर्वाचक सूची में दर्ज हो ;

[1][(22) "आवश्यक सेवा" से तात्पर्य है धारा 112–ख में निर्दिष्ट सेवा ;]

(23) "फैक्ट्री" (factory) से तात्पर्य है [2][***] फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1948 में पारिभाषित कोई फैक्ट्री (factory) ;

(24) "गलीज" (filth) के अन्तर्गत मल इत्यादि, विष्टा तथा अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ है ;

[3][(24–क) "वित्त आयोग" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–झ [4][के अधीन संगठित] वित्त आयोग से है ;]

(25) "वित्तीय वर्ष" (financial year) से तात्पर्य है, पहली अप्रैल से आरम्भ होने वाला वर्ष ;

(26) "भोजन" (food) के अन्तर्गत भेषजों (drugs) अथवा जल से भिन्न ऐसी प्रत्येक वस्तु है जो मनुष्य द्वारा खाने अथवा पीने के काम में लायी जाती हो तथा ऐसी कोई वस्तु भी है जो सामान्यतया मनुष्यों का भोजन तैयार करने अथवा बनाने में डाली जाती हो अथवा प्रयुक्त होती हो, तथा उसके अन्तर्गत मिठाइयां, स्वादिष्ट बनाने तथा रंगने की वस्तुयें, मसाले एवं चटनी (condiments) भी है ;

(27) "ढांचे पर बने भवन" (frame buidling) से तात्पर्य है ऐसा भवन, जिसकी बाहर की दीवालें लकड़ी अथवा लोहे के ढांचे की बनी हों, तथा जिसका स्थायित्व उस ढांचे पर निर्भर करता हो ;

(28) "गृहनाली" (house-drain) से तात्पर्य है वह नाली जो एक या एकाधिक भवनों या भू–गृहादि की नाली हो और उसके जल–निस्तारण के लिए युक्त होती हो, और जो केवल [5][निगम] की नाली से मिलाने के प्रयोजन के लिये बनाई गई हो ;

(29) "गृह–पथ" अथवा "सेवा पथ" (house-gully or service passage) से तात्पर्य है ऐसा पथ अथवा भूमि की ऐसी पट्टी (strip of land) जो नाली के रूप में उपयोग में लाये जाने, अथवा किसी संडास, मूत्रालय, मलकूप अथवा गलीज या दूषित पदार्थ एकत्र करने के किसी पात्र तक पहुंचने के लिये [5][निगम] के कर्मचारियों के अथवा उपर्युक्त संडास इत्यादि की सफाई करने अथवा वहां से उक्त पदार्थ हटाने के कार्य में नियोजित किसी व्यक्ति के वहां तक पहुंचने के लिये मार्ग देने के लिए निर्मित की गई हो, अलग कर दी गई हो, अथवा उपयोग में लायी जाती हो ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 14, 1959 की धारा 3(1) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 5(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 2(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(30) "कुटी" (hut) से तात्पर्य है कोई ऐसा भवन जो मूलतः लकड़ी, मिट्टी, पत्तियों, घास,, कपड़ें अथवा फूस आदि से निर्मित किया गया हो तथा उसके अन्तर्गत किसी भी आकार का कोई ऐसा अस्थायी ढांचा अथवा किसी भी सामान से निर्मित कोई ऐसा छोटा भवन भी है, जिसे [1][निगम] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "कुटी" घोषित कर दे ;

(31) "निवासी" (inhabitant) से किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तात्पर्य है कोई ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र में सामान्यतया निवास अथवा कारबार करता हो, अथवा वहां अचल सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी हो ;

(32) "न्यायाधीश" (judge) से तात्पर्य है प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट, 1887 के अधीन नगर में क्षेत्राधिकार रखने वाले लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) का न्यायाधीश ;

(33) "भूमि" के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा हो, अथवा निर्माण हो चुका हो, अथवा जो पानी से ढंकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, जमीन से संलग्न, अथवा जमीन से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुयी वस्तुयें, और वे अधिकार है जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन (legislative enactment) द्वारा सृजित हुये हों ;

(34) "अनुज्ञप्त नल मिस्त्री" (licensed plumber) "अनुज्ञप्त भूमापक" (licensed surveyor), "अनुज्ञप्त वास्तुशास्त्री" (licensed architect), "अनुज्ञप्त अभियन्ता", "अनुज्ञप्त ढांचा निर्माता" (structural designer) तथा "अनुज्ञप्त निर्माण लिपिक" (clerk of works) से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन [1][निगम] ने क्रमशः नल मिस्त्री, भूमापक, वास्तुशास्त्री, अभियन्ता, ढांचे का निर्माता (structural designer) अथवा निर्माण लिपिक के रून में अनुज्ञप्त किया हो ;

(35) "निवास–गृह" (lodging house) से तात्पर्य है कोई भवन अथवा भवन का कोई भाग, जहां कि धन के प्रतिफल (monetary consideration) में भोजन अथवा अन्य सेवा के सहित अथवा उनसे रहित निवास की व्यवस्था की जाती हो, और इसके अन्तर्गत भवनों का ऐसा समुदाय (collection) अथवा कोई भवन, अथवा भवन का भाग भी है जो धन देंकर अथवा अन्यथा तीर्थयात्रियों अथवा यात्रियों को ठहराने के लिये प्रयुक्त होता हो ;

(36) "बाजार" (market) के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान है, जहां पशु–धन अथवा पशुओं के लिये खाद्य पदार्थ, अथवा मांस, मछली, फल, साग–सब्जी, मनुष्यों के भोजन के लिये अभिप्रेत पशु, अथवा मनुष्यों के भोजन के अन्य पदार्थ, चाहे वे कुछ भी हों, के विक्रय के लिये अथवा विक्रयार्थ प्रदर्शित करने के निमित्त लोग ऐसे स्थान के स्वामी की अनुमति से अथवा बिना उसकी अनुमति के एकत्रित होते हों, चाहे वहां क्रेताओं तथा विक्रेताओं के एकत्र होने के सम्बन्ध में कोई सामान्य विनियमन न हो, और चाहे उस स्थान के स्वामी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा "बाजार" के कारबार पर अथवा बाजार में आने–जाने वाले व्यक्तियों पर कोई नियंत्रण रखा जाता हो अथवा न रखा जाता हो ;

(37) "पक्का भवन" (masonry building) से तात्पर्य है ढांचे पर बने भवन अथवा कुटी से भिन्न कोई भवन और इस के अन्तर्गत ऐसा ढांचा (structure) भी है जिसका पर्याप्त भाग ईट, पत्थर अथवा फौलाद अथवा लोहा या अन्य किसी धातु से बना हुआ हो ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(38) "निगम का सदस्य" का तात्पर्य किसी [2][पार्षद], पदेन सदस्य, नाम–निर्दिष्ट सदस्य या धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित किसी समिति यदि कोई हो, के अध्यक्ष, यदि वह निगम के सदस्य नही है, से है और जब तक कोई प्रतिकूल बात व्यक्त न की गयी हो, इसके अन्तर्गत [2][महापौर] भी है ;]

[3][(39) "[2][नगर आयुक्त]" का तात्पर्य धारा 58 के अधीन नियुक्त [2][नगर आयुक्त] से है और इसके अन्तर्गत उक्त धारा के अधीन नियुक्त [2][अपर नगर आयुक्त] और धारा 107 के अधीन नियुक्त कोई [2][उप नगर आयुक्त] और [2][सहायक नगर आयुक्त] भी है, जब वे धारा 112 के अधीन शक्तियों को प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो ;]

(40) "[4][निगम] की नाली" से तात्पर्य है [4][निगम] में निहित कोई नाली ;

(41) "[4][निगम] का बाजार" से तात्पर्य है कोई बाजार जो [4][निगम] में निहित हो अथवा जिसका प्रबन्ध [4][निगम] द्वारा किया जाता हो ;

(42) "[4][निगम] की वधशाला" से तात्पर्य है कोई वधशाला जो [4][निगम] में निहित हो अथवा जिसका प्रबन्ध [4][निगम] द्वारा किया जाता हो ;

(43) "[4][निगम] के कार्यालय" से तात्पर्य है [4][नगर निगम] का कार्यालय ;

(44) "[4][निगम] कर" से तात्पर्य है कोई लाभकर जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लगाया गया हो ;

(45) "[4][निगम] जलकल" से तात्पर्य है वह जलकल जो [4][निगम] का हो अथवा उसमें निहित हो ;

[5][(45–क) "महानगर क्षेत्र" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–त के खण्ड (ग) यथापरिभाषित क्षेत्र से है ;

(45–ख) "नगरपालिका" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित स्वायत्त शासन की किसी संस्था से है ;

(45–ग) "नगरपालिका क्षेत्र" का तात्पर्य किसी निगम के प्रादेशिक क्षेत्र से है ;]

(46) "अपदूषण" (nuisance) के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य, कार्यलोप (omission), स्थान या वस्तु है जिससे कि चक्षु, प्राण अथवा श्रवण की इंद्रियों को क्षति, संकट, उद्वजन अथवा कष्ट पहुंचे या पहुंचने की संभावना हो, अथवा जो जीवन के लिये संकट उत्पन्न करने वाली हो या हो सकती हो, अथवा जो स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिये हानिकारक हो ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 2 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 2 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 5(ङ) द्वारा बढ़ाया गया ।

(47) "अध्यासी" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं ——

(क) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि अथवा भवन का, जिसके सम्बन्ध में किराया दिया जाता हो अथवा देय हो, तत्समय उसके स्वामी को कोई किराया अथवा उसका कोई भाग दे रहा हो अथवा उसके लिये देनदार हो ;

(ख) स्वामी जो अपनी भूमि या भवन में रह रहा हो अथवा अन्य प्रकार से उसे प्रयोग में ला रहा हो ;

(ग) किराया—मुक्त किरायेदार या काश्तकार (tenant) ;

(घ) किसी भूमि अथवा भवन का अध्यासी अनुज्ञप्ति गृहीता (licensee) ; तथा

(ङ) कोई भी व्यक्ति जो किसी स्वामी को किसी भूमि अथवा भवन के अध्यासन अथवा प्रयोग के लिये क्षतिपूर्ति (damages) का देनदान (liable) हों ;

(48) "दुर्गन्धयुक्त पदार्थ" के अन्तर्गत पशुओं की लाशें, गोबर, धूल तथा मल इत्यादि से भिन्न दुर्गन्धित सड़े अथवा सड़ाने वाले (putrid or putrifying) पदार्थ है ;

(49) "[1][निगम] का पदाधिकारी" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो तत्समय इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सृजित अथवा जारी रखे गये किसी पद पर आसीन हो, किन्तु उसके अन्तर्गत [1][निगम] अथवा उसकी किसी समिति के सदस्य न होंगे ;

(50) "सरकारी गजट" से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रचारित गजट ;

(51) "आज्ञा" से तात्पर्य है वह आज्ञा जो सरकारी गजट में अथवा विहित रीति से प्रकाशित की गई हो ;

[2][(51—क) "पिछड़े वर्गो" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों औन अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़ें वर्गों से है ;]

(52) "स्वामी" से तात्पर्य है :——

(क) किसी भू—गृहादि के सम्बन्ध में प्रयुक्त होने पर वह व्यक्ति जो उक्त भू—गृहादि का किराया लेता हो अथवा उक्त भू—गृहादि किराये पर उठाये जाने की दशा में उसका किराया लेने का अधिकारी हो तथा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :——

(1) कोई अभिकर्ता अथवा न्यासी जो स्वामी के लिए किराया प्राप्त करता हो ;

(2) कोई अभिकर्ता अथवा न्यासी जो धर्मोत्तर अथवा दानोत्तर प्रयोजनों के लिये समर्पित (devoted) किसी भू—गृहादि का किराया लेता हो अथवा जिसे उक्त भू—गृहादि सौंपा गया हो या जिसका सम्बन्ध उक्त भू—गृहादि से हों ;

(3) कोई आदाता (receiver), व्यवस्थापक (sequestrator) अथवा प्रबन्धक, जिसे सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय ने उक्त भू—गृहादि को अवधायन (charge) में लेने अथवा उसके स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो ; तथा

(4) भोग—बन्धकी (mortgagee-in-possession) ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 5(च) द्वारा बढ़ाया गया ।

(ख) किसी पशु वाहन अथवा नाव के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने पर इस (स्वामी) के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो तत्समय उक्त पशु, वाहन अथवा नाव का अवधायक (in-charge) हो ;

[1][(52–क) "पंचायत" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–त के खण्ड (च) में निर्दिष्ट पंचायत से है ;]

(53) "भवन का भाग" के अन्तर्गत कोई दीवाल, भूमिगत कमरा या मार्ग (underground room or passage), बरामदा, स्थिर चबूतरा, कुर्सी, जीना या दरवाजे की सीढ़ी है जो किसी वर्तमान भवन से सम्बद्ध हो या उसके अहाते के भीतर बनी हो या जो ऐसी भूमि पर बनी हुयी हो जो प्रस्तावित (projected) भवन का स्थल (site) या अहाता होने वाली हो ;

[2][(53–क) "जनसंख्या" का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये है ;]

(54) [3]["भू–गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि अथवा भवन से है ;]

(55) "विहित" से तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा अथवा तदंतर्गत बने नियम या आज्ञा द्वारा या किसी अन्य विधायन द्वारा या उसके अधीन विहित ;

(56) "विहित प्राधिकारी" से तात्पर्य है कोई पदाधिकारी या निगमित संस्था, जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियुक्त की गयी हो, और यदि कोई ऐसा पदाधिकारी या निगमित संस्था नियुक्त न की जाय, तो उस डिवीजन का कमिश्नर, जिसमें वह नगर स्थित हों ;

(57) "पेट्रोलियम" से तात्पर्य है, [4][पेट्रोलियम ऐक्ट, 1934] में पारिभाषित पेट्रोलियम;

(58) "निजी सड़क" से तात्पर्य है कोई सड़क जो सार्वजनिक सड़क न हो ;

(59) "संडास" (privy) से तात्पर्य है वह स्थान जो शौच निवृत्ति या लघुशंका निवृत्ति या दोनो के लिये अलग कर दिया गया हो और इसमें वह ढांचा, जिससे यह स्थान बनाया गया हो, उसके भीतर मलमूत्रादि के लिये रक्खा गया बर्तन तथा उससे संसक्त संधायन (fittings) और उपकरण, यदि कोई हों, सम्मिलित होंगे । इसके अन्तर्गत शुष्क प्रकार का नाबदान, जल–संडास (aqua privy), शौचालय तथा मूत्रालय भी है ;

(60) "सार्वजनिक स्थान" के अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या उद्यान या कोई मैदान (ground) है जिसमें जनसाधारण जा सकता हों या उन्हें वहां जाने की अनुमति हों ;

(61) "सरकारी प्रतिभूतियां" (public securities) से तात्पर्य है––

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियां ;

(ख) प्रतिभूतियां, सम्भार (stocks), ऋणपत्र (debentures) या अंशक (shares) जिन पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने ब्याज संरक्षित किया हो ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 5(छ) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 5(ज) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14, 1959 की धारा 3(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) धन के ऋण–पत्र (debentures) या अन्य प्रतिभूतियां, जिन्हें किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से भारतीय गणतन्त्र के किसी भाग में तत्समय प्रचलित किसी विधायन द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर के जारी किया गया हो ;

(घ) प्रतिभूतियां, जो किसी ऐसी आज्ञा द्वारा स्पष्टतः प्राधिकृत की गयी हों जो सरकार एतदर्थ दे ;

(62) "सार्वजनिक सड़क" से तात्पर्य है कोई सड़क––

(क) जो अब तक [1][निगम] की निधियों या अन्य सार्वजनिक निधियों से समतल की गई हो, जिसमें खड़ंजा लगाया गया हो, जो पक्की की गयी हो, जिसमें नालियां बनायी गयी हों, नाले लगायें गये हों या जिसकी मरम्मत की गयी हो (levelled, paved, metalled, channelled, sewered or repaied) ; अथवा

(ख) जो धारा 290 के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक सड़क घोषित की जाय या जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन सार्वजनिक सड़क हो जाय ;

(63) (क) कोई व्यक्ति किसी निवास–गृह में "रहने वाला" (reside) समझा जाता है जिसे या जिसके कुछ भाग को वह सोने के कमरे के रूप में कभी–कभी प्रयोग करता है––चाहे व्यवधानों के साथ (interruptedly) या निरन्तर ; और

(ख) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इस कारण से यह न समझा जायगा कि उसने किसी निवास गृह "में रहना छोड़ दिया है" कि वह उसमें अनुपस्थित है या उसके पास दूसरे स्थान पर दूसरा निवास–गृह है जिसमें वह रहता है, यदि वह किसी भी समय उसमें लौट आने के लिये स्वाधीन हो और उसमें लौट आने के अभिप्राय का परित्याग न किया गया हो ;

(64) "कूड़ा–करकट" (rubbish) के अन्तर्गत धूल, राख, टूटी हुई ईटें, बजरी (mortar), टूटे हुये शीशे, उद्यान अथवा अस्तबल का कूड़ा–करकट और किसी प्रकार का कूड़ा–करकट, जो दुर्गन्धयुक्त पदार्थ या मल इत्यादि न हो, है ;

(65) "नियम" से तात्पर्य है इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों के अधीन बनाये गये नियम ;

(66) "अनुसूची" से तात्पर्य है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ;

(67) [2][* * * *]

(68) "अनुसूचित बैंक" पद का वही अर्थ होगा जो अर्थ "Scheduled Bank" का रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1934 में किया गया है ;

(69) "[1][निगम] का सेवक तथा [1][निगम] का कर्मचारी" से तात्पर्य है कोई व्यक्ति जो [1][निगम] से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में हों ;

(70) "मल इत्यादि" (sewage) से तात्पर्य है विष्टा (night soil) और नाबदानों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, मलकूपों, अथवा नालियों में पड़ी हुई अन्य वस्तुयें (contents) और गन्दगी, गलीज आदि के स्थानों (sinks) स्नानघरों, अस्तबलों, पशु–शालाओं तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों से निकला हुआ दूषित जल और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यर्थ द्रव–पदार्थ और सब प्रकार के कारखानों (manufactories) से निकलने वाले तरल पदार्थ भी है ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 5(झ) द्वारा निकाला गया ।

(71) "आकाश चिन्ह" (sky-sign) से तात्पर्य है कोई शब्द, वर्ण, नमूना (model) चिन्ह, युक्त या अन्य प्रतिरूप (representation) जो विज्ञापन, घोषणा (announcement) या निर्देशन (direction) के रूप में हो और जो किसी भवन या ढांचे पर या उसके ऊपर पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे (post), बल्ली (pole), ध्वजदंड (standard), चौखट या अन्य किसी अवलंब (support) के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो (supported or attached) और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं ––

(क) उक्त अवलम्ब का प्रत्येक भाग ; और

(ख) कोई गुब्बारा, हवाई छतरी (parachute) अथवा ऐसी ही अन्य कोई युक्ति (device) जो पूर्णतः या अंशतः किसी विज्ञापन या घोषणा के प्रयोजनों के लिये काम में लायी गई हो और जो किसी भवन, ढांचे या किसी प्रकार के निर्माण (erection) पर या उसके ऊपर हो या जो किसी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर या उसके ऊपर हों ;

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं समझे जायेंगे ––

(1) ध्वजस्तम्भ (flagstaff), बल्ली, वायु–दिग्दर्शन पंख (weathercock) या वायु–दिशा सूचक यंत्र (vane), जब तक कि वे पूर्णतः या अंशतः किसी विज्ञापन या घोषणा के लिये अनुकूलित या प्रयुक्त न किये गये हों ;

(2) चिन्ह जो किसी ऐसे पटल (board), चौखट या अन्य प्रारूप (contrivance) पर हो जो किसी भवन की दीवाल या भित्ति (parapet) के सब से ऊपरी भाग (top) पर, किसी कारनिस या दीवाल से सटकर बने हुये भागों (blocking course) पर, या किसी छत के किनारे (ridge) पर सुरक्षित रूप से लगाया गया हो यदि उक्त प्रारूप एक ही अटूट सतह पर बना हो और खुला–कार्य (open work) न हो और उक्त दीवाल, भित्ति या किनारे के किसी भाग के ऊपर तीन फीट से अधिक ऊंचाई तक न हो ; या

(3) कोई प्रतिरूप (representation) जो केवल इंडियन रेलवेज ऐक्ट, 1890 में पारिभाषित (defined) रेल प्रशासन (Railway Administration) के कारबार से संबंध रखता हो और जो पूर्णतः उक्त रेल–प्रशासन के किसी रेलवे स्टेशन के चत्वर (yard), प्लेटफार्म अथवा स्टेशन के सन्निकट स्थान (approach) पर या उसके ऊपर या ऐसे भू–गृहादि पर या उसके ऊपर रक्खा गया हो या और जो इस ढंग से रक्खा गया हो कि वह किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर न गिर सके ;

(72) "विशेष निधि" (special fund) से तात्पर्य है धारा 139 के अधीन संगठित कोई निधि ;

(73) "राज्य–सरकार" से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार ;

[1][(73–क) "राज्य निर्वाचन आयोग" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से है ;]

(74) "सड़क" (street) के अन्तर्गत कोई राजमार्ग, पुलियों–पुलों, की ऊंची सड़क (causeway), पुल, मार्गसेतु (viaduct), मेहराब, पथ (road), गली, पगडंडी (footway), उपमार्ग, आंगन (court), सकरी–गली (alley), घुड़सवारी का मार्ग या रास्ता––चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हो या न हो, जिसके ऊपर जन–साधारण को आने जाने या प्रवेश का अधिकार हो या जिसके ऊपर जन–साधारण लगातार बीस वर्षों से आते–जाते अथवा प्रवेश करते रहे हों, है ; और यदि किसी सड़क में पगडंडी और वाहनमार्ग दोनों ही हों तो सड़क के अन्तर्गत दोनो ही होंगे ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 5(ञ) द्वारा बढ़ाया गया ।

(75) "सड़क रेखाकरण" (street alignment) से तात्पर्य है वह रेखा (line) जो किसी सड़क में सम्मिलित और उसका भाग बनी हुई भूमि को पार्श्ववर्ती (adjoining) भूमि से अलग करती हो ;

(76) "मिठाई की दूकान" से तात्पर्य है कोई भू–गृहादि या किसी भू–गृहादि का वह भाग जो किसी आइसक्रीम, अथवा अन्य किसी प्रकार की मिठाइयों को, चाहे वह किसी के लिये भी अभिप्रेत हों और चाहे उनका जो भी नाम हो और चाहे वे भू–गृहादि में या उसके बाहर उपभोग के लिये हों, बनाने, व्यवहृत करने या बिक्री के लिये संग्रह करने (manufacture, treatment or storage for sale) अथवा थोक या फुटकर विक्रय के निमित्त प्रयुक्त होता ;

(77) "प्रेक्षागृह कर" (theatre tax) से तात्पर्य है मनोविनोदो अथवा मनोरंजनों (amusements or entertainments) पर लगाया गया कर ;

(78) "व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ" (trade effluent) से तात्पर्य है कोई तरल पदार्थ, चाहे उसमें अन्य पदार्थों के कण घुले मिलें हों या न हों, और जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापारिक भू–गृहादि (trade premises) में किये जाने वाले व्यापार या उद्योग में उत्पादित होती हो ; और किसी व्यापारिक भू–गृहादि के सम्बन्ध में इसका तात्पर्य है उपर्युक्त प्रकार का कोई तरल पदार्थ जो उक्त भू–गृहादि मे किये जाने वाले व्यापार या उद्योग में उक्त प्रकार से उत्पादित होता हो किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू मल इत्यादि नहीं है ;

(79) "व्यापारिक भू–गृहादि" (trade premises) से तात्पर्य है कोई भू–गृहादि जो किसी व्यापार या उद्योग के संचालन के लिये प्रयुक्त किये जाते हों या प्रयुक्त किये जाने के लिये अभिप्रेत हों ;

(80) "व्यापारिक कूड़ा–करकट" (trade refuse) से तात्पर्य है, और इसके अन्तर्गत सम्मिलित है किसी व्यापार, निर्माण (manufacture) या कार–बार का कूड़ा–करकट ;

[1][(80–क) "प्रयोक्ता प्रभारो" का तात्पर्य नगर निगमों द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में दी गयी विनिर्दिष्ट सेवा या सृजित अवसंरचना या प्रदान की गयी सुविधाओं और सुख–सुविधाओं के लिये उद्गृहीत प्रभारों या शुल्क से है ।]

(81) "वाहन" (vehicle) के अन्तर्गत है यान (carriage), गाड़ी (cart), परिवहन (van), ठेलागाड़ी (dray), मोटर ठेला (truck), हाथ से चलायी जाने वाली गाड़ी, बाइसिकिल, ट्राइसिकिल, मोटरकार तथा पहियेदार ऐसा प्रत्येक वाहन, जो सड़क पर प्रयुक्त किया जाता हो या प्रयुक्त किया जा सकता हो ;

[2][(82) "कक्ष" का तात्पर्य निगम के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है ;]

[3][(82–क) "कक्ष समितियों" का तात्पर्य [4][संविधान के अनुच्छेद 243–छ में निर्दिष्ट] संगठित कक्ष समितियों से है ;]

(83) "नाबदान" (water closet) से तात्पर्य है ऐसा नाबदान जिसमें जल निस्सारण प्रणाली से संसक्त कोई पृथक स्थिर–पात्र (fixed receptacle) लगा हुआ हो और जिसमें यंत्र द्वारा या स्वयं चालित (automatic) रूप में स्वच्छ जल से धोये जाने की पृथक व्यवस्था हो ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 2009 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 2 (च) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 5 (ट) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 2 (छ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(84) "जल सम्बन्ध" (water connection) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं ––

(क) कोई टंकी (tank), जलकुण्ड (cistern), पानी निकालने का बम्बा (hydrant), बम्बा (stand-pipe), मीटर अथवा नल (tap) जो किसी निजी संपत्ति पर स्थिर हो और [1][निगम] के किसी जल–प्रणाल (water-main) अथवा पाइप से मिलता हो; और

(ख) पानी का पाइप जो उक्त टंकी (tank), जलकुण्ड, पानी निकालने के बम्बे, बम्बे, मीटर, अथवा नल को उपर्युक्त जल प्रणाल अथवा पाइप से मिलाता हो ;

(85) "जलमार्ग" (water course) के अन्तर्गत कोई नदी, सोता (stream), अथवा गूल (channel) है, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम ;

(86) "घरेलू प्रयोजनों के लिये जल" के अन्तर्गत ऐसा पानी नहीं है जो ढोरों अथवा घोड़ों के लिये हो अथवा वाहनों (vehicles) को धोने के लिये हो, जब उक्त ढोर, घोड़े अथवा वाहन बिक्री या किराये के लिये रखे जाते हों अथवा समवाहक (common carrier) के पास हों और इसके अन्तर्गत किसी व्यापार, निर्माण (manufacture) अथवा कारोबार अथवा भवन के प्रयोजनों के लिये अथवा बागों अथवा सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिये अथवा निर्झर (fountains) अथवा अन्य किसी सजावट या यांत्रिक प्रयोजनों के लिये जल सम्मिलित नहीं है ;

(87) "जलकल" (water works) के अन्तर्गत कोई झील, सोता (stream), झरना (spring), कुवें का पम्प (well-pump), जलाशय (reservoir), जलकुण्ड (cistern), टंकी (tank), प्रणाली (duct) चाहे वह ढंकी हुई हो अथवा खुली हुई, बांध (sluice), मुख्य पाइप (main pipe), पुलियां (culvert), इंजिन (engine), जल–वाहन (water-truck), पानी निकालने के बम्बे (hydrant), बम्बा (stand pipe), जल ले जाने की अन्य कोई व्यवस्था (conduit) और यंत्र आदि (machinery) तथा भूमि, भवन अथवा वस्तु है जो जल संभरण के लिये हों अथवा एतदर्थ प्रयुक्त होतीं हों अथवा जल संभरण के स्रोतों को (sources) सुरक्षा के लिये प्रयुक्त होती हों ;

(88) "कारखाना" (workshop) से तात्पर्य है कोई भवन, स्थान अथवा भू–गृहादि अथवा उसका कोई भाग, जो फैक्ट्री न हो और जहां अथवा जिसके ऊपर, वहां काम करने वाले व्यक्तियों को तथा नियोजक (employer) को प्रवेश करने तथा उन पर नियंत्रण करने का अधिकार हो और जहां अथवा जिनके अहाते अथवा घेरे (compound or precincts) के भीतर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किसी प्रक्रिया (process) में सहायता देने के लिये, अथवा उसके प्रासंगिक रूप में, शारीरिक श्रम करने वाले लोग नियोजित हों अथवा प्रयुक्त होते हों ––

(क) कोई वस्तु अथवा उसका कोई भाग बनाना ; अथवा

(ख) कोई वस्तु परिवर्तित करना, उसकी मरम्मत करना, उसकी सजावट करना अथवा उसे अंतिम रूप देना ; अथवा

(ग) किसी वस्तु को बिक्री के लिये अंगीकार करना ।

[2][(89) "संक्रमणशील क्षेत्रं" और "लघुतर नगरीय क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे जो संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में क्रमशः उनके लिये किये गये है ।;]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 5(ठ) द्वारा बढ़ाया गया ।

वृहत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा

[1][**3**–(1) संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र, जिसकी सीमायें उसमें विनिर्दिष्ट हों, एक नाम के नगर से जाना जायेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करें ।

(2) जहां संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा, राज्यपाल किसी क्षेत्र को नगर में सम्मिलित करें, वहां ऐसे क्षेत्र पर इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाई गई या जारी की गयी और ऐसे क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के ठीक पूर्व नगर में प्रवृत्त समस्त अधिसूचनायें नियम, विनियम, उपविधियां, आदेश और निर्देश लागू हो जायेंगे और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्त कर, फीस और प्रभार उपर्युक्त क्षेत्र में लगायें और वसूल किये जायेंगे और किये जाते रहेंगे ।]

अध्याय – 2

[2][निगम] का संगठन तथा शासन

नगर निगम का निगमित निकाय होना

[3][**4**–संविधान के भाग 9–क के अनुसार उसके अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन संगठित किसी नगर निगम को –––––––––––––(नगर का नाम) नगर निगम के नाम सें जाना जायेगा और वह एक निगमित निकाय होगा ।]

[2][निगम] के प्राधिकारी

5–प्रत्येक नगर के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित [2][निगम] प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे :––

(क) [2][निगम] ;

[4][(कक) कक्ष समितियां ;]

(ख) [2][निगम] की कार्यकारिणी समिति ;

[5](खख) [6][महापौर]

(ग) [2][निगम] की विकास समिति ;

[7][(घ) इस अधिनियम के अधीन निगम के लिए नियुक्त एक नगर आयुक्त और एक या अधिक अपर नगर आयुक्त, नियुक्त करते है ;]

(ङ) ऐसी स्थिति में जब [2][निगम] विद्युत्–सम्भरण अथवा सार्वजनिक परिवहन उपक्रम (electricity supply or public transport undertaking) अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोगी सेवायें स्थापित अथवा अर्जित करे तो [2][निगम] की ऐसी अन्य समिति अथवा समितियां जिन्हें [2][निगम] राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उनके लिये स्थापित करे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 8(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41, 1976 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

स्थानीय निकाय निदेशक

[1][**5–क**– (1) राज्य सरकार किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी।

(2) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिव्यक्ततः समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निदेशक [2][निगम] के कार्यकलापों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ऐसे अधिकारों का (जो धारा 538 और 539 के अधीन अधिकार न हो) जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों, तथा निर्बन्धनों के अधीन (जिनके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुर्नविलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में, विनिर्दिष्ट किये जाए, उसे प्रतिनिहित करें, प्रयोग करें।

निगम की संरचना

[3][**6**–(1) निगम एक [4][महापौर] और निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, ––

(क) [4][पार्षद] जिनकी संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे, परन्तु जो साठ से अन्यून ओर एक सौ दस से अनधिक होगी और जो संख्या खण्ड (ख) के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त होगी ;

(ख) नाम निर्दिष्ट सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों में से, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, नाम निर्दिष्ट किया जायगा और जिनकी संख्या पांच से अन्यून और दस से अनधिक होगी ;

(ग) पदेन सदस्य जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभा के वे सदस्य है जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है जिनमें नगर पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है ;

(घ) पदेन सदस्य जिसमें राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के वे सदस्य है जो उस नगर में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(ङ) धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित समितियों के यदि कोई हों अध्यक्ष, यदि वे निगम के सदस्य नही है :

[5][प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे और उन्हें नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा ।]

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट श्रेणी के सदस्यों किसी रिक्ति से निगम के संगठन या पुनस्संगठन में कोई बाधाा नहीं पड़ेगी ।

(2) [2][पार्षद] कक्षों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 41, 1976 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8, 2005 की धारा 2 प्रतिबन्ध द्वारा प्रतिस्थापित ।

कक्ष समितियों का संगठन और संरचना आदि

[1][**6–क**–(1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले निगम के प्रादेशिक क्षेत्र के संविधान के अनुच्छेद 243–ध के खण्ड (1) के अधीन संगठित प्रत्येक कक्ष समिति में एक कक्ष होगा ।

(2) कक्ष समिति का प्रादेशिक क्षेत्र संबंधित कक्ष के प्रादेशिक क्षेत्रों से मिलकर बनेगा ।

(3) प्रत्येक कक्ष समिति में निम्नलिखित होंगे :––

(क) कक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद ;

(ख) दस से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो निगम द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, नागरिक कल्याण सोसायटियों के पदाधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों मे से, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव हो नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि कुल सदस्यों की एक तिहाई से अन्यून संख्या महिलाओं के लिये आरक्षित की जायेगी और यदि ऐसी संख्या को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल मे एक बढ़ा दिया जायेगा ।

(4) निगम में उक्त कक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद उक्त समिति का अध्यक्ष होगा ।

(5) नगर निगम का समूह "ग" का नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी कक्ष समिति का सचिव होगा ।

(6) अध्यक्ष के पद का कार्यकाल कक्ष समिति की अवधि के साथ समाप्त होगा ।

(7) पार्षद न रह जाने पर अध्यक्ष तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा ।

(8) अध्यक्ष के पद के उसकी पदावधि के समाप्त होने के पूर्व त्याग–पत्र या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में कक्ष समिति, रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष केवल उक्त अवशेष अवधि के लिये पद धारण करेगा, जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर निर्वाचित किया गया है पद धारण करता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती ;

(9) कक्ष समिति का कार्यकाल निगम की अवधि के साथ समाप्त होगा ;

(10) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो नियमों द्वारा विहित किये जायें।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 2009 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया ।

स्थानों का आरक्षण

[1][7–(1) प्रत्येक निगम में [2][अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ें वर्गो] के लिये स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथाशक्य, वही होगा जो नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या [3][या नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़ें वर्गो की] जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों को ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

[4][किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी निगम में पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;

किन्तु अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियमों द्वारा विहित रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है ।]

(2) [5][* * * *]

(3) [6][उपधारा (1)] के अधीन आरक्षित स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ें वर्गो की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे ।

(4) उपधारा (3) के अधीन आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए किसी निगम में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों को ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

[7][(5) नगर निगम के महापौर एवं [8][* * *] के पदों का आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ें वर्गो तथा महिलाओं के लिए नीचे दी गयी रीति से होगा :––

(1) महापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन ––

(क) महापौर के पदों का आरक्षण और आवंटन एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से किया जायेगा :––

(ख) आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या––

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 6(क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 6(क) (दो) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 6(क) (तीन) प्रतिबन्ध द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 6(ख) द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 6(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 25, 2006 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(एक) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ें वर्गो के लिए इस रीति से अवधारित की जायेगी कि वह राज्य में पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम उसी समानुपात में हो जो कि राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पिछड़ें वर्गो की जनसंख्या या राज्य के ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में है और यदि ऐसे पदों की संख्या अवधारित करने वाला कोई शेष बचता है तो यदि वह भाजक का आधा या आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायगा और यदि वह भाजक के आधे से अधिक हो, तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी :

परन्तु इस खण्ड के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या राज्य में पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अनधिक होगी ।

(दो) उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये और पिछड़े वर्गो के लिये अवधारित पदों की संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि पदों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ें वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी ।

[1]**[**(तीन) महिलाओं हेतु मद (दो) के अधीन आरक्षित पदों की संख्या को सम्मिलित करते हुये राज्य में कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी और ऐसी संख्या में पदों का अवधारण करने में अवशेष आता है, तो भागफल में एक की वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार हुई संख्या महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी ;]

[2]**[*** * * * *]

[3]**[**'(घ) उपखण्ड (ख) के अध्यधीन राज्य के नगर निगमों के लिए उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित महापौरों के पदों की संख्या का आवंटन राज्य के विभिन्न नगर निगमों के लिए इस प्रकार किया जायेगा कि–

(एक) राज्य के नगर निगम प्रथमतः राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियें की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखे जायेंगे और अनुसूचित जातियों की महिलाओं हेतु उक्त उप खण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित अनुसूचित जातियें हेतु उक्त उपखण्ड के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा, जिनकी राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 05, 2023 की धारा 03 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 05, 2023 की धारा 03 (ख) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 05, 2023 की धारा 03 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिये आंवटित किये जायेंगे ;

(दो) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, अनुसूचित जनजातियों हेतु उक्त उपखण्ड मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आंवटन ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा, जिनकी राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आवंटित किये जायेंगे ;

(तीन) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक) और मद (दो) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और पिछड़े वर्गों की महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित पदों की संख्या सहित, पिछड़े वर्गों हेतु उक्त उपखण्ड के मद (एक) में अवधारित पदों की संख्या का आवंटन ऐसे नगर निगमों के लिए किया जायेगा, जिनकी राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हो :

परन्तु यह कि ऐसे नगर निगम प्रथमतः पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आवंटित किये जायेंगे;

(चार) तत्पश्चात इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के अधीन आवंटित किये गये पदों वाले नगर निगमों को अपवर्जित करते हुए अन्य नगर निगमों को राज्य में नगर निगमों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में रखा जायेगा और महिलाओं हेतु उपखण्ड (ख) के मद (दो) में अवधारित पदों की संख्या को अपवर्जित करते हुए उपखण्ड (ख) के मद (तीन) के अधीन अवधारित पदों की संख्या का आवंटन राज्य में ऐसे नगर निगमों के लिये किया जायेगा।

स्पष्टीकरण एक– इस उपखण्ड के मद (एक), (दो) और (तीन) के प्रयोजनार्थ नगर निगम, उस रीति से अवरोही क्रम में रखे जायेंगे कि राज्य में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाले नगर निगम प्रथम स्थान पर रखे जायेंगे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अपेक्षाकृत कम प्रतिशत वाले नगर निगम, प्रथम नगर निगम के पश्चात् अगले स्थान पर रखे जायेंगे तथा इसी प्रकार से आगे रखे जायेंगे और इस उपखण्ड के मद (चार) के प्रयोजनार्थ नगर निगम, राज्य में नगर निगमों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उसी रीति से रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण—दो एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखण्ड में आने वाले शब्द ''राज्य के नगरीय क्षेत्र'' का तात्पर्य समस्त नगर निगमों के नगरीय क्षेत्रों से है और उनमें वे सम्मिलित हैं।]

(ङ) यदि किसी नगर निगम में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर ——

(एक) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों के लिये या अनुसूचित जनजातियों के लिये केवल एक ही पद आरक्षित किया जा सके, तो ऐसा पद महिलाओं को आवंटित किया जायेगा ;

(दो) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई भी पद आरक्षित न किया जा सके तो उपखण्ड (घ) में निर्दिष्ट पदों के आवंटन का क्रम इस प्रकार रखा जायेगा मानों उसमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रति कोई निर्देश नहीं है ।

[1][(च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं के लिए किसी निर्वाचन में आवंटित किये गये नगर निगमों के महापौर के पद क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं के लिए आवंटित नहीं किये जायेंगे और राज्य में नगर निगमों के महापौरों के पद अनुवर्ती निर्वाचनों में उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे।

Li"Vhdj.k&,d–एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) और इस अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द ''पूर्व निर्वाचन'' और ''अनुवर्ती निर्वाचन'' उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रख्यापित किये जाने से पूर्व कराये गये निर्वाचनों में सम्मिलित नहीं होंगे और उनमें कभी भी सम्मिलित न किये गये समझे जायेंगे।

Li"Vhdj.k&nks–किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुये भी एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को प्रख्यापित किये जाने के पूर्व कराये गये निर्वाचन, इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात ''पूर्व निर्वाचन'' के रूप में नहीं समझे जायेंगे और तद्नुसार इस धारा के अधीन कराये जाने वाले अगले निर्वाचन अनुवर्ती निर्वाचन के रूप में नहीं समझे जायेंगे।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 05, 2023 की धारा 1 (च) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ।

(2) [1][* * * *]

(3) आवंटन के आदेश––

(क) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ें वर्गो और महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या को अवधारित करने के पश्चात् गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा पदों को नगर निगमों को आवंटित करेगी ।

(ख) उपखण्ड (क) के अधीन आदेश का प्रारूप कम से कम सात दिन की अवधि के लिए आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया जायेगा ।

(ग) राज्य सरकार आपत्तियों पर, यदि कोई हो विचार करेगी, परन्तु ऐसी आपत्तियों पर तब तक व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे और तदुपरान्त यह अंतिम हो जायेगा ।

(घ) उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम एक दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट और सम्बन्धित नगर निगम के कार्यालयों के सूचना पटों पर चस्पा किया जायेगो ।]

(6) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये इस धारा के अधीन स्थानों और पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण––यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो और स्त्रियों को अनारक्षित स्थानों और पदों के लिये निर्वाचन लड़ने से निवारित नहीं करेगी ।]

निगम का कार्यकाल

[2]**[8**–(1) कोई निगम जब तक कि उसे धारा 538 के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाये अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक से 5 वर्ष तक, न कि उससे अधिक बना रहेगा ।

(2) किसी निगम के संगठन के लिये निर्वाचन ––

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 9 द्वारा निकाला गया ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट, उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ;

(ख) धारा 538 के अधीन उसके विघटन के आदेश के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कराया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां विघटित निगम की शेष अवधि, जब तक कि निगम बनी रह सकती थी, छः मास से कम हो, वहां ऐसी अवधि के लिये निगम का संगठन करने के लिये कोई निर्वाचन कराना आवश्यक न होगा ।

(3) किसी निगम के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन पर संगठित किया गया निगम उस अवधि के केवल शेष भाग के लिये, जिस अवधि तक विघटित निगम, उपधारा (1) के अधीन बना रहता, यदि उसे इस प्रकार विघटित न किया जाता, बना रहेगा ।

[1][(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अथवा जनहित में किसी नगर निगम के उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, गठन हेतु निर्वाचन कराया जाना व्यावहारिक न हो, वहां ऐसे नगर निगम के विधिवत गठित होने तक निगम, उसके महापौर, [2][* * *], वार्ड समिति, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की समस्त शक्तियाँ, कृत्य और कर्त्तव्य, विनिर्दिष्ट दिनांक से, जिला मजिस्ट्रेट, जिसे प्रशासक कहा जाएगा मे निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन किया जायेगा और ऐसे प्रशासक को विधि सम्मत रूप से निगम, महापौर, [2][* * *], वार्ड समिति, कार्यपालक समिति, विकास समिति या अन्य समिति, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा ।]

8–क– [3][* * * * *]

[6][निगम] के गठन के लिए और नगर के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए अस्थायी उपबन्ध

[4]**[8–कक**–(1) [5][जहां किसी क्षेत्र के संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया गया है] और राज्य सरकार की राय है कि [5][संविधान के अधीन] ऐसे क्षेत्र के लिए [6][निगम] का सम्यक् संगठन होने तक ऐसा करना समीचीन है, वहां राज्य सरकार, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि––

(क) ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए संगठित [7][नगर पालिका परिषद्] बोर्ड या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे दिनांक से, जैसा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसे आगे इस धारा में "विनिर्दिष्ट दिनांक" कहा गया है, यथास्थिति, विघटित हो जायगा या ऐसे क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, 2005 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 12 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1983 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 13(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) [1][निगम], उसके [2][महापौर] [3][* * *], [4][कक्ष समिति] कार्यकारिणी समिति, विकास समिति और धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की और मुख्य नगराधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट दिनांक से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, अनुपालन और निर्वहन किया जायेगा और प्रशासक को विधि की दृष्टि से [1][निगम], [2][महापौर], [3][* * *], [1][कक्ष समिति] कार्य–कारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समिति या मुख्य नगराधिकारी, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायगा ;

(ग) प्रशासक को, ऐसे वेतन और भत्ते जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा इस निमित्त नियत किये जायें, [1][निगम] की निधि से दिये जायेंगे ।

(2) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में––

(एक) उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित ऐसी समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा ; या

(दो) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को, ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या उप खण्ड (एक) के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(3) इस धारा के उपबन्ध धारा 579 और 580 में दिये गये उपबन्धों के अतिरिक्त होंगें, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे ।]

[1][निगम] के संगठन की विज्ञप्ति

9–किसी नगर की [1][निगम] के लिये [2][पार्षदों], [5][* * *] तथा [2][महापौर] के निर्वाचन पूरे हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी कि उक्त नगर की [1][निगम] यथावत् संगठित हो गयी है ।

[2][महापौर] तथा [3][* * *]

10– [6][* * * * *]

महापौर के पद के लिए निर्वाचन की अर्हताएं

11–(1) कोई भी व्यक्ति [2][महापौर] के पद पर निर्वाचन के लिये अर्हता न होगा––

(क) यदि वह नगर में निर्वाचक नहीं है,

(ख) यदि उसकी आयु तीस वर्ष की नहीं हो गयी है,

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 13 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 4 द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 10 द्वारा निकाला गया ।

(ग) यदि वह धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन [1][पार्षद] [2][* * *] के रूप में निर्वाचित होने के निमित्त अनर्ह अथवा

(घ) यदि वह [3][* * *] या [1][पार्षद] के किसी स्थान के लिये निर्वाचन में हार चुका हो और उस निर्वाचन का फल घोषित होने के दिनांक के पश्चात् छः महीने व्यतीत न हो गये हों ।

(2) [4][* * * * *]

(3) [5][* * * * *]

महापौर का निर्वाचन

[6]**[11–क**–(1) [1][महापौर] का निर्वाचन नगर में निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा ।

(2) धारा 16 में यथा उपबन्धित के सिवाय अपने पद से हटने वाला [1][महापौर] पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

(3) किसी [1][पार्षद] के निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) [1][महापौर] के निर्वाचन के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति [1][महापौर] और [1][पार्षद] दोनों रूप में या किसी उप चुनाव में [1][पार्षद] के रूप में होने पर [1][महापौर] निर्वाचित होता है, तो वह [1][महापौर] के रूप में अपने निर्वाचन के दिनांक से [1][पार्षद] नही रह जायेगा ।]

12– [7][* * * * *]

[1][पार्षदों] का निर्वाचन कब पूर्ण समझा जायगा

13– [8][* * *] [9][[1][महापौर] और [10][* * *]] के निर्वाचन के प्रयोजनों के निमित्त [1][पार्षदों] का निर्वाचन, किसी स्थान के अपूरित रहने पर भी, पूर्ण समझा जायगा यदि धारा 6 के अधीन निश्चित [1][पार्षदों] की कुल संख्या की कम से कम चतुर्यपंचमांश संख्या पूरी हो गई हो ।

[1][महापौर] अथवा [10][***] के पदों की आकस्मिक रिक्ति

14–यदि [1][महापौर] तथा [10][* * *] की मृत्यु अथवा उनके पद–त्याग अथवा अन्य किसी कारण से उनके पद रिक्त हो जाये तो यथास्थिति [1][महापौर] अथवा [1][महापौर] का निर्वाचन तत्पश्चात् यथाशीघ्र [11][धारा 11–क में, या, यथास्थिति धारा 12 में] उपबंधित रीति से होगा :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 5(क) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 5(ख) द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 14(क) द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 11 द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 15 द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 12 द्वारा निकाला गया ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1982 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
10. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
11. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी शेष पदावधि दो महीने अथवा उससे कम की है तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जब तक कि [1][निगम] अन्यथा संकल्प न करे ।

कतिपय मामलों में अस्थायी व्यवस्था

[2][**14–क**–जब महापौर का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थिति, रूग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार जब तक महापौर अपना पद ग्रहण न कर लें, उसी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिय आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकती है जैसी वह उचित समझे ।]

[महापौर] तथा [5][* * *] को पदावधि

15– [3][(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय,––

(क) [4][महापौर] की पदावधि निगम के कार्यकाल के साथ–साथ समाप्त होगी ;]

(ख) [5][* * * * *]

(2) किसी आकस्मिक पद की पूर्ति के निमित्त निर्वाचित [4][महापौर] अथवा [6][* * *] की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि तक के लिये ही होगी ।

(3) [4][महापौर] अथवा [6][* * *], जब तक कि वह अपना पद–त्याग नहीं कर देता अथवा उसका अर्ह होना समाप्त नहीं हो जाता, अथवा वह अनर्ह नहीं हो जाता, उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी [4][महापौर] अथवा [6][* * *] जैसी स्थिति हो, के पद को ग्रहण नहीं करता ।

15–क– [7][* * * * *]

[5][* * *] महापौर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

16–(1) [6][* * *] के विरूद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव केवल इस धारा में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही प्रस्तुत किया जायेगा ।

[8][(2) [4][महापौर] के पद ग्रहण करने से दो वर्ष के भीतर इस धारा के अधीन अविश्वास के किसी प्रस्ताव की नोटिस प्राप्त नहीं की जायेगी ।]

(3) [6][* * *] में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के मन्तव्य का लिखित तथा [1][निगम] के सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा जो [1][निगम] के कुल सदस्यों की संख्या के [9][दो–तिहाई से] न हों, हस्ताक्षरित नोटिस, प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रति सहित हस्ताक्षर कर्त्ता सदस्यों में से किन्हीं दो सदस्यों द्वारा उस डिवीजन के कमिश्नर को दिया जायगा जिसमें कि सम्बद्ध नगर स्थित हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 14 द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 20 द्वारा निकाला गया ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 21(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1982 की धारा 6(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) डिवीजन का कमिश्नर इस प्रस्ताव पर विचार प्रकट करने के निमित्त एक अधिवेशन संयोजित करेगा जो उस दिनांक तथा समय पर होगा जिसे कि वह नियत करे और जो उस दिनांक से, जिस पर उपधारा (3) के अधीन उसे नोटिस दिया गया था, 30 दिन से पहले तथा 35 दिन के बाद न होगा । वह अधिवेशन के दिनांक से कम से कम सात स्पष्ट दिवस पूर्व [1][निगम] के प्रत्येक सदस्य के निवास–स्थान पर ऐसे अधिवेशन तथा तदर्थ नियत दिनांक एवं समय का नोटिस भेजेगा तथा साथ ही साथ उस नोटिस को ऐसी रीति से प्रकाशित करवायेगा जिसे वह उचित समझे । तत्पश्चात् प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसे नोटिस प्राप्त हो गया है ।

(5) [2][जिला न्यायाधीश] इस धारा के अधीन संयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा तथा कोई और व्यक्ति अधिवेशन की अध्यक्षता न कर सकेगा । यदि अधिवेशन के लिये नियत समय से आधे घंटे के भीतर, [2][जिला न्यायाधीश] अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित न हो तो अधिवेशन उस दिनांक और समय तक के लिये स्थगित हो जायेगा जिसे उपधारा (6) के अधीन [2][जिला न्यायाधीश] नियत करेगा ।

(6) यदि [2][जिला न्यायाधीश] अधिवेशन की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो वह तत्सम्बन्धी अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे किसी अन्य दिनांक और समय के लिये स्थगित कर सकता है जिसे वह निश्चित करे किन्तु यह दिनांक उपधारा (4) के अधीन अधिवेशन के लिये नियत दिनांक से पन्द्रह दिन से अधिक न होगा । वह अविलम्ब ही डिवीजन के कमिश्नर को अधिवेशन के स्थगन की सूचना देगा । यह आवश्यक नहीं है कि स्थगित अधिवेशन के सम्बन्ध में दिनांक और समय की सूचना सदस्यों को व्यक्तिशः दी जाये, किन्तु डिवीजन का कमिश्नर उपधारा (4) में व्यवस्थित रीति के अनुसार स्थगित अधिवेशन के दिनांक और समय की नोटिस का प्रकाशन करेगा ।

(7) [3][* * * * *]

(8) [4][उपधारा (5) और (6)] में की गयी व्यवस्था को छोड़कर इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर विचार करने के प्रयोजन] से संयोजित कोई भी अधिवेशन किसी अन्य कारणवश स्थगित नहीं किया जायेगा ।

(9) इस धारा के अधीन संयोजित अधिवेशन के प्रारम्भ होते ही [5][जिला न्यायाधीश] उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा जिस पर विचार करने के लिये अधिवेशन संयोजित किया गया हो तथा उस प्रस्ताव को वाद–विवाद के निमित्त प्रस्तुत घोषित करेगा।

(10) इस धारा के अधीन किसी भी प्रस्ताव पर वाद–विवाद स्थगित न किया जायेगा ।

(11) ऐसा वाद–विवाद, जब तक कि वह पहले ही न समाप्त हो जाये, अधिवेशन आरम्भ होने के निमित्त नियत समय से तीन घंटों की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 21(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 21 (घ) द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 21 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 21 (च) द्वारा प्रतिस्थापित।

जायेगा। यथास्थिति वाद–विवाद की समाप्ति अथवा उक्त तीन घंटों की समाप्ति पर यह प्रस्ताव [1][निगम] के समक्ष मतदान के निमित्त प्रस्तुत किया जायेगा ।

(12) [2][जिला न्यायाधीश] न तो प्रस्ताव के गुण दोषों पर भाषण दे सकेगा और न उसे उस पर मत देने का अधिकार होगा ।

(13) अधिवेशन समाप्त होने के पश्चात् [2][जिला न्यायाधीश] अधिवेशन के कार्य विवरण की एक प्रति प्रस्ताव व उस पर मतदान के फल की एक प्रति के सहित तुरन्त [3][* * *] तथा डिवीजन के कमिश्नर के पास अग्रसारित करेगा ।

(14) उपधारा (13) में उल्लिखित प्रतियों के प्राप्त होने के पश्चात् तीन दिन के बाद यथाशीघ्र, डिवीजन का कमिश्नर [4][अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने की दशा में], उन प्रतियों को राज्य सरकार के पास भेज देगा ।

[5] [(14–क) राज्य सरकार उपधारा (14) में निर्दिष्ट आयुक्त की आख्या पर गुण–दोष के आधार पर विचार करने के पश्चात एक माह के अन्दर निर्णय लेगी ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये जाने की दशा में ऐसी अस्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसी महापौर में अविश्वास के किसी पश्चातवर्ती प्रस्ताव की नोटिस स्वीकार नहीं की जायेगी ।]

(15) प्रस्ताव तभी सफल समझा जायेगा जब कि वह [1][निगम] के कुल सदस्यों की संख्या के [7][तीन–चौथाई] [6][बहुमत] द्वारा पारित किया गया हो ।

[8][(16) यदि प्रस्ताव उपर्युक्त प्रकार से सफल न हो अथवा गणपूर्ति जो कि तत्समय निगम के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून होगा, के अभाववश अधिवेशन ही न हो सकें, तो अधिवेशन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने तक उसी [2][महापौर] में अविश्वास के किसी पश्चात्वर्ती प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार नहीं किया जायगा ।]

(17) इस धारा के अनुसार [3][x x x] के सम्बन्ध में अविश्वास का प्रस्ताव पारित और सन्दिष्ट होने पर उप [3][x x x] :––

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 21(च) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 4(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8, 1998 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 4(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 21(छ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(क) ऐसा संदेश पाने के तीन दिन के भीतर अपना पद त्याग देगा, तथा ;]

(ख) ऐसे संदेश के पाने से तीन दिन की समाप्ति पर [2][* * *] के रूप में काम करना रोक देगा ।

(18) उपधारा (17) के खंड (क) के अनुसार [2][* * *] के उस उपधारा में मिली हुई अवधि के भीतर कार्य करने में असफल रहने पर, राज्य सरकार आज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक से उसे हटा देगी तथा इस प्रकार हटाया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं कोई बात होने पर भी अनुगामी सामान्य निर्वाचनों से पूर्व होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये पुनर्निर्वाचित होने के लिये पात्र न होगा ।

(19) [3][* * * * *]

(20) [3][* * * * *]

(21) [3][* * * * *]

(22) [3][* * * * *]

(23) इस धारा के उपबन्धों के अधीन [4][निगम] के किसी सदस्य, डिवीजन के कमिश्नर, [5][महापौर] अथवा राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय ये कोई प्रश्न नहीं किया जा सकेगा ।

[महापौर] सदस्य होगा

17–[6][(1) [5][महापौर] निगम का पदेन सदस्य होगा ।]

(2) [7][निगम] अथवा उसका किसी समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करते समय [8][महापौर] मतों का समानता (equality of votes) की दशा में एक निर्णायक मत (casting vote) देने का अधिकारी होगा परन्तु सदस्य के रूप में उसे मत देने का अधिकार न होगा ।

[महापौर] के भत्ते

[7]**[18**–[5][महापौर] तथा [2][* * *] को ऐसे भत्ते या सुविधायें, जो [7][निगम] राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे, दी जा सकती है ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 21(ज) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 21(झ) द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][महापौर] तथा [2][* * *] का त्याग–पत्र

19–(1) यदि [1][महापौर] अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो राज्य सरकार को सम्बोधित होगा ऐसा कर सकता है, और यह त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिन यह सूचना कि उसका त्याग–पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, मुख्य नगराधिकारी को प्राप्त हो ।

(2) [2][* * *] किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो [1][महापौर] को संबोधित होगा, अपना पद त्याग कर सकता है और यह त्याग–पत्र [1][महापौर] को मिलते ही प्रभावी हो जायेगा ।

[3][निगम] के सदस्य

20– [4][* * * * *]

21– [5][* * * * *]

22– [6][* * * * *]

[1][पार्षदों] पर प्रयोज्य कतिपय उपबन्ध नाम निर्दिष्ट सदस्य पर लागू होंगे

[7]**[23**–धारा 24, 25, 26, 28, 29, 30–क, 81, 82, 83, 85, 87, 538, 565, 570, और 572 के उपबन्ध जैसे [1][पार्षदों] पर लागू होते हैं, वैसे नामनिर्दिष्ट सदस्य पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।]

[1][पार्षद] के निर्वाचन के लिये अर्हतायें

[8]**[24**–कोई व्यक्ति [1][पार्षद] के रूप में चुने जाने के लिये और [2][पार्षद] होने के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह––

(क) नगर का निर्वाचक न हो ;

(ख) 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो, तथा

(ग) स्थान के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ें वर्गों या स्त्रियों के लिये आरक्षित होनें की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित श्रेणी का नहीं है।]

[9][***] [1][पार्षदों] की अनर्हतायें

25–(1) कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, [10][***] [1][पार्षद] अथवा चुने जाने तथा होने के लिए अनर्ह होगा यदि––

[11][(क) उसे इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व अथवा पश्चात् भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो, तथा उसे दो वर्ष से अन्यून अवधि

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 24(क) द्वारा निकाला गया।
10. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 10(क) द्वारा निकाला गया ।
11. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 14, 1959 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

के लिये कारावास का दंड दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, व्यतीत न हो गई हो ।]

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(ग) वह [1][निगम] में लाभ के किसी पद पर हो ;

[2][(घ) वह राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम या निकाय की सेवा में हों अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल अथवा अपर या सहायक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउन्सेल अथवा अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुंसिफ अथवा अवैतनिक असिस्टेंट कलेक्टर हो ;]

(ङ) वह चाहे स्वयं, चाहे उसके लिए न्यासी के रूप में अथवा उसके लाभ के लिए या उसके लेखे में किसी व्यक्ति द्वारा, [1][निगम] को माल सम्भरित करने के लिए या किसी निर्माणकार्य के निष्पादन के लिए किन्हीं सेवाओं को, जिनका भार [1][निगम] ने अपने ऊपर लिया हो, सम्पन्न करने के लिए किये गये किसी संविदे में कोई हिस्सा (share) या हित (interest) रखता हो ;

(च) वह [1][निगम] को देय ऐसे कर के जिन पर धारा 504 लागू होती है अथवा ऐसे मूल्य के जो [1][निगम] द्वारा दिये गये पानी के लिये देय हो, एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार हो ;

(छ) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करके भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के लिए पदच्युत हो चुका हो, जब तक कि उसके पदच्युत होने के दिनांक से [3][छः वर्ष] की अवधि न व्यतीत हो गयी हो ;

(ज) वह किसी सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा से वकालत करने के लिए विवर्जित कर दिया गया है ;

(झ) वह इस अधिनियम की धारा 80 तथा 83 के अधीन [1][निगम] का सदस्य होने के लिए अनर्ह है ;

(ञ) वह [4][* * *] किसी ऐसे संसर्गजन्य रोगों में से किसी से ग्रस्त है, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे और [5][मुख्य चिकित्सा अधिकारी] से अन्यून पद के किसी चिकित्साधिकारी (Medical Officer) ने उस रोग को असाध्य (incurable) घोषित कर दिया है ;

[6][(ट) राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अनर्ह हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगी कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो :]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 5(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 1983 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 24(ख) (एक) द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 24(ख) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 24(ख) (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (च) की दशा में बकाया अदा कर देने पर तुरन्त अनर्हता समाप्त हो जायगी :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी कर अथवा पानी के मूल्य का बकाया जो उस क्षेत्र, जिसको अब [2][नगर अधिसूचित कर दिया गया है], में क्षेत्राधिकार रखने वालों नगरपालिका अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय हो उसको [1][नगरपालिका परिषद्] का बकाया समझा जायगा ।

(2) [3][* * * * *]

(3) [4][* * * * *]

(4) कोई व्यक्ति [5][* * *] अथवा [6][पार्षद] चुन लिये जाने पर [5][* * *] या [6][पार्षद] बने रहने के लिये अनर्ह होगा यदि वह––

(1) स्वयं अथवा किसी ऐसे फर्म के नाम से, जिसमें वह साझीदार है, अथवा जिसके साथ वह वृत्तिक हैसियत से लगा हुआ है, किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के सिलसिले में जिसमें [7][निगम] अथवा मुख्य नगराधिकारी का कोई हित या सम्बन्ध है वह (interested or concerned) वृत्तिक हैसियत (professional capacity) से रोक रखा जाता है अथवा नियोजित किया जाता है, अथवा

(2) बीमारी अथवा [7][निगम] द्वारा स्वीकृत अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति को छोड़कर [7][निगम] के अधिवेशनों में लगातार छः महीने तक अनुपस्थित रहता है ।

[8][(3) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि निगम के लिए उस बैठक का कार्य संचालन असम्भव हो जाय अथवा ऐसा करने के लिये किसी को उकसाया है ; या

(4) निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया है ; या

(5) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निगम की किसी सम्पत्ति को कोई हानि या क्षति पहुंचायी है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी हानि या क्षति के लिये दुष्प्रेरित करता है ; या

(6) किसी अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, सिद्धदोष ठहराया जाय ।]

(7) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिये अनर्ह हुआ न समझा जायेगा कि वह–

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 24(तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 10(ख) द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 10(ग) द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 10(घ) द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 5(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(1) कोई पेंशन पाता है,

(2) [1][महापौर] या [2][* * *] या [1][पार्षद] अथवा [3][* * *] के रूप में काम करते हुये कोई भत्ता या सुविधा पाता है ।

(6) उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिये अनर्ह हुआ न समझा जायेगा कि उसका निम्नलिखित में कोई हिस्सा या हित है ;

(1) कोई संयुक्त सम्भार समवाय (Joint Stock Company) अथवा [4][उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965] के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझी गयी कोई समिति, जिससे [5][निगम] की और से मुख्य नगराधिकारी संविदा करेगा अथवा जिसे वह नियोजित करेगा,

(2) [4][निगम] के लिये मुख्य नगराधिकारी को बेची जाने वाली किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक (occasional) विक्रय में, जिसमें वह किसी कलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर रु0 2,000 रू0 से अनधिक मूल्य का नियमित रूप से व्यापार करता है ।

[6][(7) कोई व्यक्ति जो [1][पार्षद] के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात् इस धारा के अधीन अनर्ह हो जाय, सभासद नहीं रह जायेगा और उसका स्थान ऐसी अनर्हता होने के दिनांक से रिक्त हो जायेगा ।]

महापौर [2][xxx] या पार्षद होने या बने रहने के लिए विधायकों पर रोक

[7] **[25–क**–इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी––

(क) कोई व्यक्ति महापौर, [2][* * *] या पार्षद निर्वाचित किये जाने और होने के लिए अनर्ह हो जाएगा, यदि वह संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो ;

(ख) यदि कोई व्यक्ति महापौर, [2][* * *] या पार्षद निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर, निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट हो जाय, तो वह अपने निर्वाचन या अपने नाम–निर्देशन की घोषणा के भारत या उत्तर प्रदेश के गजट में प्रथम बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक को और ऐसी अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर ऐसे लिखित नोटिस द्वारा, जिस पर उसके हस्ताक्षर हों, और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे उस सम्बन्ध में सरकार अधिकृत करे, दिया गया हो यह सूचित करेगा कि वह किस पद पर कार्य करना चाहता है और उसका इस प्रकार सूचित किया गया वरण अंतिम होगा और उक्त सूचना न देने पर और उक्त अवधि बीत जाने पर वह महापौर, उप महापौर या पार्षद के पद पर न रह जायेगा और तदुपरान्त महापौर, [2][* * *] या पार्षद के जैसी भी स्थिति हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 10 (ङ) द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 24(तीन) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 10(च) द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8, 2005 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

[1][पार्षद] तथा [2][* * *] की पदावधि

26–(1) आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के निमित्त निर्वाचित [1][पार्षद] या [2][* * *] से भिन्न [1][पार्षद] अथवा [2][* * *] की पदावधि [3][निगम] के कार्यकाल के समकक्ष होगी।

(2) आकस्मिक रिक्ति का पूर्ति के लिये निर्वाचित किसी भी [1][पार्षद] अथवा विशिष्ट सदस्य का कार्यकाल उसके पूर्वाधिकारी को पदावधि का अवशिष्ट भाग होगा ।

[पार्षदों] का निर्वाचन

27–(1) [1][पार्षदों] का निर्वाचन इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बने नियमों के अनुसार प्रौढ़ मताधिकार प्रणाली के अनुसार होगा ।

(2) अपने पद से हटने वाला [1][पार्षद] पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।

[पार्षद] के पद की आकस्मिक रिक्ति

28–यदि किसी [1][पार्षद] की पदावधि समाप्त होने के पूर्व उसके स्थान की रिक्ति, उसकी मृत्यु अथवा त्याग–पत्र, अथवा अन्य किसी कारण से हो जाय, तो ऐसी रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र दूसरा [1][पार्षद] यथाशक्य उसी रीति से, किन्तु इस अधिनियम में एतदर्थ बनाये गये अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये निर्वाचित किया जायगा, जो सामान्य निर्वाचन में [1][पार्षदों] के निर्वाचन के लिये इस अधिनियम द्वारा तथा उसके अधीन उपबंधित हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पद से हटने वाले (outgoing) [1][पार्षद] की पदावधि साधारणतः रिक्त होने के चार महीने के भीतर समाप्त हो रही हो, तो ऐसी रिक्ति बिना पूर्ति के छोड़ दी जायगी जब तक कि [2][निगम] अन्यथा संकल्प न करे ।

[पार्षदों] का त्याग–पत्र

29–कोई [1][पार्षद] किसी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो [1][महापौर] को संबोधित होगा अपना पद त्याग सकता है और उसका त्याग–पत्र [1][महापौर] को प्राप्त होते ही प्रभावी हो जायगा ।

एक से अधिक कक्ष के निमित्त एक ही व्यक्ति का निर्वाचन

30–(1) यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक कक्षों से [1][पार्षद] निर्वाचित हो जाये तो वह ऐसे अन्तिम निर्वाचन के दिनांक के तीन दिन के भीतर मुख्य–नगराधिकारी को उस कक्ष की सूचना देगा जिसकी सेवा में वह रहना चाहता है ।

(2) ऐसी सूचना न देने पर मुख्य नगराधिकारी लाटरी डालकर वह कक्ष निर्धारित करेगा और उसकी अधिसूचित करेगा जिसकी सेवा में ऐसा व्यक्ति रहेगा ।

(3) ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने हुये अथवा अधिसूचित कक्ष के लिये हो निर्वाचित समझा जायगा तथा अन्य किसी कक्ष अथवा कक्षों से प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां नवीन निर्वाचन द्वारा इस प्रकार भरी जायेगी मानो कि वे आकस्मिक रिक्तियां हों ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 11 द्वारा निकाला गया ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सदस्यों को वाहन भत्ता या सुविधायें

[1][**30–क**–[2][पार्षदों] तथा [3][* * *] को, [4][निगम] के और उसकी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए ऐसा वाहन भत्ता या वाहन भत्ते के बदले में ऐसी सुविधाय दी जा सकती हैं जिनकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय ।]

कक्षों का परिसीमन (Delimitation of Wards)

कक्षों की व्यवस्था

31–(1) [2][पार्षदों] के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ धारा 32 में दी हुई रीति से [5][प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र] को [6][प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जायेगा जो कक्ष कहे जायेंगे] और प्रत्येक कक्षों (wards) के लिये पृथक निर्वाचक नामावली होगी ।

[7][(2) प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व निगम में एक [2][पार्षद] द्वारा किया जायगा ।]

(3) [8][* * * * *]

कक्षों का परिसीमन

32–[9][(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा––

(क) किसी [10][नगरपालिका क्षेत्र] की ऐसी रीति से, कि प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या जहां तक सम्भव हो सके, सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में एक समान हो, कक्षों में विभाजित करेगी ;

(ख) कक्षों की संख्या जिसमें किसी [10][नगरपालिका क्षेत्र] को विभाजित किया जायेगा, अवधारित करेगी ।

(ग) प्रत्येक कक्ष का विस्तार, अवधारित करेगी ;

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या अवधारित करेगी ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा का पांडुलेख आपत्तियों के लिये, जो [11][सात दिन] से कम न हो, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा ।

(3) राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन की गयी किन्हीं आपत्तियों पर विचार करेगी, और यदि आवश्यक हुआ तो तद्नुसार आज्ञा का पांडुलेख संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत किया जायेगा और तत्पश्चात् वह अन्तिम हो जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 12 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 25(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 25(ग) द्वारा निकाला गया ।
9. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 11(क–i) द्वारा प्रतिस्थापित ।
10. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 11(क–ii) द्वारा प्रतिस्थापित।
11. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 11(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

33–(1) राज्य सरकार अपनी किसी परवर्ती आज्ञा (subsequent order) द्वारा धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन की गयी किसी भी अन्तिम आज्ञा को परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकती है । **परिसीमन आज्ञा में परिवर्तन अथवा संशोधन और उसका प्रभाव**

[1][(1–क) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के परिवर्तन या संशोधन के लिये, धारा 32 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।]

(2) इस धारा के अधीन किसी भी अन्तिम आज्ञा के परिवर्तन अथवा संशोधन के पश्चात् राज्य सरकार विद्यमान [2][पार्षदों] को परिवर्तित, अथवा संशोधित कक्षों में इस प्रकार विभाजित (apportion) कर देगी कि जहां तक युक्तितः साध्य हो, वे अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों को यथा सम्भव अधिक से अधिक संख्या का प्रतिनिधित्व करते रहें ।

(3) विद्यमान [2][पार्षद] उसी कक्ष में पदासीन होगा जो उसे नियत किया गया है और उस पद पर ऐसी अवधि तक के लिये आसीन रहेगा, जिस अवधि तक के लिये वह उस पर ऐसी दशा में पदासीन रहता यदि कक्ष अपरिवर्तित तथा असंशोधित ही रहे होते ।

निर्वाचक तथा निर्वाचक नामावली

34– [3][* * * * *]

[4]**[35**–प्रत्येक कक्ष के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जायेगी ।] **प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली**

36–धारा 37 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यक्ति जो उस कक्ष में समाविष्ट क्षेत्र से संबद्ध विधान सभा की निर्वाचक सूचियों में पंजीकृत होने के लिये अर्ह है अथवा जिसका नाम उसमें दर्ज है, उस कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन (Registration) का पात्र होगा । **निर्वाचकों की अर्हताएं**

37–(1) यदि कोई व्यक्ति विधान सभा की सूचियों में पंजीयन के लिये अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिये अनर्ह है तो वह निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिये अनर्ह होगा । **निर्वाचकों की अनर्हताएं**

(2) किसी व्यक्ति, जो पंजीयन के पश्चात् उपर्युक्त रूप से अनर्ह हो जाता है, का नाम उस कक्ष की उस निर्वाचक नामावली से जिसमें उसका नाम लिखा है, तुरन्त ही काट दिया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उप–धारा (1) के अधीन किसी अनर्हता के कारण किसी व्यक्ति का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली से काट दिया जाता है तो उक्त नामावली के प्रचलित रहने (in force) की अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्धों, अथवा उक्त अनर्हता निवारण की प्राधिकृत करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन उपर्युक्त अनर्हता समाप्त कर दिये जाने पर उसे तुरन्त पुनः दर्ज कर दिया जायगा ।

38–(1) कोई भी व्यक्ति एक ही नगर में एक से अधिक कक्षों के लिये निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र न होगा । **पंजीयन एक कक्ष तथा एक स्थान में होगा**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 27 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत होने का पात्र न होगा ।

निर्वाचक नामावली की तैयारी और प्रकाशन

[1] **[39**–(1) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और निबन्धन के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नाम–निर्दिष्ट करे ।

(3) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर, इस अधिनियम के, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के, अनुसार किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्धन या सुधार के अधीन रहते हुए, वह इस अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी कक्ष की निर्वाचक नामावली होगी ।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त विधान सभा की सूची को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अनुसार अपना सकता है जहां तक उसका सम्बन्ध उस कक्ष के क्षेत्र से हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली में, ऐसे कक्ष के लिए नाम–निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्देशन के पूरा होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या सुधार को सम्मिलित नही किया जायगा ।

(5) जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसकी दिये गये किसी आवेदन–पत्र पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचति समझे, यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धित किया जाना चाहिए, वहां वह इस अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति, सुधार, निष्कासन या परिवर्धन करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नाम–निर्देशन होने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नही किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नही किया जायगा।

(6) निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने, निष्कासित करने, या सुधार करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत की जायेगी ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण

[1][**40**–राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे, सभी कक्षों की या किसी कक्ष की निर्वाचन नामावली का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष की निर्वाचक नामावली, जैसा कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निदेशित पुनरीक्षण पूरा न हो जाये ।]

निर्वाचकों तथा निर्वाचक नामावलियों से संबद्ध अन्य विषय

41– [2][जहां तक निम्नलिखित विषयों में से किसी के संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गयये नियमों द्वारा उपबन्ध न किया जाय, राज्य निर्वाचन आयोग] निर्वाचक नामावली से सम्बद्ध निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में आज्ञा द्वारा उपबन्ध बना सकती है, अर्थात्––

(क) दिनांक, जब इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां और बाद में तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां प्रवृत्त होंगी तथा उनके प्रवर्तन की अवधि ;

(ख) सम्बद्ध निर्वाचक (elector) के प्रार्थना–पत्र पर निर्वाचक नामावली की किसी वर्तमान प्रविष्टि को ठीक करना ;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिक अथवा मुद्रण सम्बन्धी गलतियों का ठीक करना ;

(घ) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में, निर्वाचक नामावलियों में बहुत से नाम छूट जाने की दशा में उनमें सुधार करना ;

(ङ) निर्वाचक नामावलियों में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज करना––

(1) जिसका नाम कक्ष से सम्बद्ध क्षेत्र की विधान सभा की सुचियों में है, परन्तु कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, अथवा जिसका नाम गलती से किसी अन्य कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज कर लिया गया है, अथवा

(2) जिसका नाम विधान सभा की सूचियों में दर्ज नहीं है परन्तु जो अन्यथा कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिये अर्ह है ;

(च) ऐसे व्यक्तियों के नामों का अपवर्जन जो पंजीयन के लिये अनर्ह है ;

(छ) ऐसे व्यक्तियों का अभिलेख रखना जो मत देने के लिये अनर्ह है ;

(ज) नामों के समावेश तथा अपवर्जन के निमित्त प्रार्थना–पत्र पर देंय शुल्क ;

(झ) [3][* * * * *]

(ञ) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा तथा परिरक्षण (custody and preservation) ; तथा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 32(ख) द्वारा निकाला गया ।

(ट) सामान्यता निर्वाचक नामावलियां तैयार करने तथा उसे प्रकाशित करने से सम्बद्ध सभी विषय ।

मतदान

मत देने का अधिकार

42–(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम तत्सयम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी नहीं होगा तथा इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंधित दशा को छोड़कर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज है उस कक्ष में मत देने का अधिकारी होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष के किसी निर्वाचन में मत नहीं दे सकेगा यदि वह धारा 37 में उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी के अधीन है ।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी सामान्य निर्वाचन में [1][निगम] के एक से अधिक कक्षों मे मतदान नहीं करेगा, और यदि वह उक्त किसी एक से अधिक कक्षों में मतदान करता है, तो सभी कक्षों में उसके मत शून्य हो जायेंगे ।

(4) इस बात के होते हुये भी कि किसी निर्वाचक का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार दर्ज हो गया है, वह व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा और यदि वह मतदान करता है, तो उस कक्ष में उसके सभी मत शून्य हो जायेंगे ।

(5) यदि कोई व्यक्ति कारावास की, निर्वासन की अथवा अन्य किसी प्रकार की दंडाज्ञा के अधीन किसी कारावास मे बन्द है अथवा पुलिस की वैध अभिरक्षा (lawful custody) में है तो वह मतदान नहीं करेगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत निवारक निरोध (preventive detention) के अधीन हो ।

43– [2][* * * * *]

मतदान की रीति

44–किसी कक्ष के प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान लिया जाय, मत गुढ़शलाका (secret ballot) द्वारा दिये जायेंगे, तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (proxy) द्वारा नहीं लिया जायगा ।

निर्वाचनों का संचालन

निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण आदि

[3]**[45**–(1) निगम के [4][महापौर], [5][* * *] और [4][पार्षदों] के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा ।]

[6][(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए धारा 39 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) निगम के [4][महापौर], [5][* * *] और [4][पार्षदों] के निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 33 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 15 द्वारा बढ़ाया गया ।

निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी आदेश

46–किसी मामले के सम्बन्ध में जहां तक इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध नहीं बनाये गये है, [1][राज्य निर्वाचन आयोग] आदेश द्वारा [2][महापौर] तथा [3][* * *] के पदों तथा [4][* * *] और [2][पार्षदों] के स्थानों के निर्वाचनों से सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था कर सकती है, अर्थात्––

(क) [5][* * * * *]

(ख) निर्वाचन–अधिकारियों, सहायक निर्वाचन–अधिकारियों, निर्वाचन–अध्यक्षों तथा मतदान–अधिकारियों और क्लर्कों की नियुक्ति, उनके अधिकार और कर्त्तव्य,

(ग) नाम निर्देशन, परीक्षण, नाम वापस लेने तथा मतदान के लिये दिनांकों को निश्चित करना,

(घ) वैध नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की रीति तथा तदर्थ अपेक्षायें, नाम निर्देशनों का परीक्षण तथा उम्मेदवारी से नाम वापस लेना,

(ङ) निर्वाचन–अभिकर्ताओं, मतदान अभिकर्ताओं तथा गणना अभिकर्ताओ की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य,

(च) सामान्य निर्वाचनों के विषय में प्रक्रिया, जिसमें मतदान के पूर्व ही किसी उम्मेदवार की मृत्यु हो जाना भी है, सविरोध एवं निर्विरोध निर्वाचनों की प्रक्रिया, [6][x x x]

(छ) मतदाताओं की पहचान (Identification) ,

(ज) मतदान का समय ,

(झ) मतदान का स्थगित किया जाना तथा फिर से मतदान करना,

(ञ) निर्वाचनों में मतदान की रीति,

(ट) मतों का परीक्षण तथा उनकी गणना और पुनर्गणना तथा मतों की संख्या की समानता की दशा में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और परिणामों की घोषणा,

(ठ) [2][पार्षद], [7][* * *], [2][महापौर] अथवा [3][* * *] के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के नामों की विज्ञप्ति ;

(ड) जमा की हुई धनराशियों की वापसी तथा जब्ती ;

(ढ) निर्वाचन–अध्यक्ष, मतदान–अभिकर्ता तथा अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान की रीति, जो किसी कक्ष में निर्वाचक होने के कारण मतदान के अधिकारी है किन्तु जो किसी ऐसे पोलिंग स्टेशन पर कार्य के लिये नियुक्त किया गया है, जहां वह मतदान का अधिकारी नहीं है ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 35(क) द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 14(क) द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 35(ख) द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 35(ग) द्वारा निकाला गया।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 14(ख) द्वारा निकाला गया ।

(ण) प्रक्रिया जो ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान के सम्बन्ध में अनुसरित की जायगी, जो अपने को ऐसा निर्वाचक बतलाता है जिसके नाम से कोई अन्य व्यक्ति मत दे चुका है ;

(त) मतदान बक्सों, मत–पत्रों तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कागज पत्रों की अभिरक्षा, अवधि जब तक के लिये उन्हें सुरक्षित रखना है तथा ऐसे कागज–पत्रों का निरीक्षण करना तथा उन्हें प्रस्तुत करना ;

(थ) [1][* * * * *]

(द) निर्वाचन–पत्रों की प्रतियों को जारी करना तथा उन प्रतियों के लिये मूल्य निर्धारित करना ;

(ध) [2][महापौर], [3][* * *] तथा [4][* * *] के निर्वाचनों के लिये [2][पार्षदों] तथा [4][* * *] की सूची रखना ; और

(न) सामान्यतया निर्वाचनों के संचालन सम्बन्धी अन्य सभी विषय ।

निर्वाचनों का न हो पाना

47–(1) यदि [2][पार्षद] अथवा [5][* * *] के किसी निर्वाचन में कोई स्थान बिना पूर्ति के रह जाता है, तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये फिर से निर्वाचन होगा ।

(2) निर्वाचन के संचालन तथा [2][पार्षद] अथवा [6][* * *] के कार्य काल के निर्धारण के लिये उपधारा (1) के अधीन हुए निर्वाचन के विषय में यह समझा जायगा कि वह आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये हुआ है ।

निर्वाचन अपराध

48–[10](1) रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1951 के भाग 7 के अध्याय 3 की धारा 125, 126, 127, 127–क, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 134–क, 135 [7][135–क] और 136 के उपबन्ध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानों ––

(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में उसमें आया हुआ निदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये निर्वाचन का निर्देश हो ;

(ख) शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "कक्ष" रख दिया गया हो,

(खख) धारा 127–क की उपधारा–2 के खण्ड 'ख' के उपखण्ड (1) में शब्द ''मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी'' के स्थान पर शब्द ''निर्वाचन संचालक स्थानीय निकाय'' रख दिये गये हो।

(ग) धारा 134 तथा 136 में शब्द ''इस अधिनियम के द्वारा या अधीन'' के स्थान पर शब्द [8][उत्तर प्रदेश (नगर निगम अधिनियम) 1959] के द्वारा या अधीन रख दिये गये हों।''

(2) यदि [9][मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय)] को यह विश्वास करने का कारण हो कि निगम के किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त अध्याय की

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 35(ख) द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 23, 2001 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 35(घ) द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 15(क) द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 15(ख) द्वारा निकाला गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 16(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 16(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
10. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 35, 1978 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 129 या 134 अथवा धारा 136 की उपधारा (2) के खंड (ए) के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, तो वह ऐसी जांच करा सकता है और ऐसे अभियोजन (prosecutions) चला सकता है जो उसे परिस्थितियों को देखते हुये आवश्यक प्रतीत हों।

(3) धारा 129 अथवा 134 के अधीन अथवा धारा 136 की उपधारा (2) के खंड (ए) के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई कोई न्यायालय तब तक न करेगा जब तक कि [1][मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय)] की आज्ञा द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन कोई शिकायत न की जाय ।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

[2][**49**–किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी–

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र है या नहीं, या

(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर आपत्ति करना; या

(ग) निर्वाचन अधिकारी द्वारा या किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही या किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना।

निर्वाचन और रिक्ति के लिये अधिसूचना

[3][**50**–(1) किसी निगम के गठन या पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए एक सामान्य निर्वाचन कराया जायगा ।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक को जिसकी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश की जाय, नगर में सभी कक्षों को, इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अनुसार [4][पार्षदों] और [3][महापौर] का निर्वाचन करने के लिए, आहूत करेगी ।

(3) यदि मृत्यु या त्याग–पत्र या किसी अन्य कारण से [3][महापौर], [5][* * *] या किसी [3][पार्षद] के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो, यथास्थिति ऐसा पद या स्थान राज्य सरकार द्वारा सरकारी, गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, रिक्त घोषित कर दिया जायेगा ।

(4) जब कोई पद या स्थान रिक्त घोषित कर दिया गया हो तो राज्य निर्वाचन आयोग सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सम्बन्धित कक्ष या, यथास्थिति, [3][पार्षदों] को इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने के लिए आहूत करेगा ।]

कार्यकारिणी समिति

कार्यकारिणी समिति का संगठन तथा अवधि

51–(1) कार्यकारिणी समिति ;

(क) [4][* * *] जो पदेन कार्यकारिणी समिति का सभापति (Chairman) होगा, तथा

(ख) ऐसे 12 व्यक्तियों, जो [6][निगम] द्वारा [3][पार्षदों] और [7][* * *] में से चुने जायेंगे; से मिलकर, बनेगी।

(2) कार्यकारिणी समिति अपने प्रथम अधिवेशन में तथा तत्पश्चात् उतनी बार जितना कि उप–सभापति के स्थान की रिक्ति की पूर्ति करने के निमित्त आवश्यक हो अपने सदस्यों में से किसी एक को उप–सभापति निर्वाचित करेगी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 16(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 35, 1978 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 17 द्वारा निकाला गया ।

(3) उप–सभापति, ज्यों ही वह कार्यकारिणी समिति का सदस्य न रहे, उप–सभापति न रहेगा ।

(4) उपधारा (1) के खंड (ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति [1][निगम] द्वारा सामान्य निर्वाचन के पश्चात् होने वाले उसके प्रथम अधिवेशन में निर्वाचित किये जायेंगे ।

(5) कार्यकारिणी समिति के आधे सदस्य प्रत्येक अनुगामी वर्ष में उस महीने की पहली तारीख के मध्यान्ह में, जिसमें कि उपधारा (4) में उल्लिखित [1][निगम] का पहला अधिवेशन निष्पन्न हुआ था, सेवा निवृत्त हो जाया करेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो तब कार्यकारिणी समिति के समस्त पदासीन सदस्य उपधारा (4) के अधीन नयी समिति के निर्वाचित होने पर सेवा निवृत्त हो जायेंगे ।

(6) वे सदस्य जो उपधारा (5) के अधीन, अपने, उपधारा (4) के अन्तर्गत निर्वाचन के एक वर्ष पश्चात् सेवा निवृत्त होंगे, उपधारा (5) में निर्दिष्ट सेवा निवृत्ति के पूर्व ऐसे समय और रीति से जिसे कार्यकारिणी समिति का सभापति अवधारित करे लाटरी डाल कर निर्धारित किये जायेंगे तथा अनुगामी वर्षो में वही सदस्य इस धारा के अधीन सेवा निवृत्त होंगे, जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस सदस्य की दशा में जो पुनर्नियुक्त हुआ हो, उसके इस उपधारा के प्रयोजनो के निमित्त कार्यकाल का आकलन उसकी पुनर्नियुक्ति के दिनांक से किया जायेगा।

(7) [1][निगम] उपधारा (5) में निर्दिष्ट सेवा निवृत्ति के दिनांक से ठीक पूर्व पड़ने वाले महीने में निष्पन्न अपने अधिवेशन में कार्यकारिणी समिति के नये सदस्य उन व्यक्तियों के पदों को पूर्ति करने के निमित्त नियुक्त करेगी जिन्हे उक्त दिनांक पर सेवा निवृत्त होना हो ।

(8) समिति के किसी सदस्य के स्थान की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उस के शेष कार्यकाल तक के लिये एक सदस्य निर्वाचित करके की जायेगी ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि शेष अवधि दो मास से कम की है, तो उस रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी जब तक कि [1][निगम] अन्यथा संकल्प न करे ।

(9) सेवा निवृत्त होने वाला सदस्य पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन

52–कार्यकारिणी समिति के सदस्यों तथा उसके उप–सभापति (Vice-Chairman) का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धती (System of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका (secret ballot) द्वारा होगा ।

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का पदत्याग

53–कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य, जो अपना पद त्याग करना चाहे, [2][महापौर] को सम्बोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ऐसा कर सकता है और वह [2][महापौर] को प्राप्त होने के साथ ही प्रभावी हो जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

विकास समिति

विकास समिति का संगठन तथा उसका कार्यकाल

54–(1) विकास समिति ;

(क) [1][* * *], जो कि इसका पदेन सभापति (Chairman) होगा ;

(ख) विशिष्ट सदस्यों तथा [2][पार्षदों] में से [3][निगम] ; द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले दस व्यक्तियों ; तथा

(ग) ऐसे दो व्यक्तियों, जो खंड (क) और (ख) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से, जिन्हें उक्त सदस्यों की राय में [3][निगम] के प्रशासन अथवा सुधार, विकास या नियोजन सम्बन्धी विषयों का अनुभव हो, संयोजित (Co-opted) किये जायेंगे, से मिलकर बनेगी।

(2) विकास समिति अपने प्रथम अधिवेशन में तथा तत्पश्चात् उप–सभापति के पद में रिक्ति होने के कारण जब कभी भी आवश्यक हो, अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक को अपना उप–सभापति निर्वाचित करेगी ।

(3) उप–सभापति सदस्य न रहने पर यथाशीघ्र पद छोड़ देगा ।

(4) संयोजित (co-opted) सदस्य को विकास समिति अथवा उसकी किसी उप–समिति में, जिसका वह सदस्य हो, भाषण करने तथा उनकी कार्यवाहियों में अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का अधिकारी न होगा ।

(5) संयोजित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होगा ।

(6) उपधारा (1) के खंड (ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति [3][निगम] द्वारा सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् होने वाले उसके पहले अधिवेशन में निर्वाचित किये जायेंगे ।

(7) विकास समिति के आधे सदस्य प्रत्येक अनुगामी वर्ष मे उस महीने के पहले दिन के मध्याह्न में जिसमें कि उपधारा (6) में उल्लिखित [3][निगम] का पहला अधिवेशन निष्पन्न हुआ था, सेवा निवृत्त हो जाया करेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो तब विकास समिति के समस्त पदासीन सदस्य उपधारा (6) के अधीन नयी समिति के निर्वाचित होने पर सेवा निवृत्त होंगे ।

(8) वे सदस्य जो उपधारा (7) के अधीन, अपने उपधारा (6) के अधीन निर्वाचन के एक वर्ष पश्चात् सेवा निवृत्त होंगे, उपधारा (7) में निर्दिष्ट सेवा निवृत्त के दिनांक के पूर्व ऐसे समय और रीति से जिसे विकास समिति का सभापति अवधारित करे लाटरी डालकर चुने जायेंगे तथा अनुगामी वर्षो में वे ही सदस्य इस धारा के अधीन सेवा निवृत्त होंगे जिनका कार्यकाल अधिकतम रहा हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस सदस्य की दशा में जो पुनर्नियुक्त हुआ हो, उसके इस उपधारा के प्रयोजनों के निमित्त कार्यकाल का आकलन उसकी पुनर्नियुक्ति के दिनांक से किया जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(9) [1][निगम] उपधारा (7) में निर्दिष्ट सेवा निवृत्त के दिनांक से ठीक पूर्व पड़ने वाले महीने में निष्पन्न अपने अधिवेशन में विकास समिति के नये सदस्य उन व्यक्तियों के पदों की पूर्ति करने के निमित्त नियुक्त करेगी जिन्हें उक्त दिनांक पर सेवा निवृत्त होना हो।

(10) समिति के किसी सदस्य के स्थान की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति पद से हटने वाले सदस्य के शेष कार्य–काल तक के लिये की जायेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त शेष अवधि दो मास से कम की है तो उस रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी जब तक कि [1][निगम] अन्यथा संकल्प न करें ।

(11) सेवा निवृत्त होने वाला कोई सदस्य चाहे वह निर्वाचित रहा हो अथवा संयोजित, पुननिर्वाचन अथवा पुनर्संयोजन का पात्र होगा ।

विकास समिति के सदस्यों का निर्वाचन

55–विकास समिति के सदस्यों तथा उसके उप–सभापति (Vice-Chairman) का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धती (system of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ शलाका (secret ballot) द्वारा होगा ।

विकास समिति के सदस्यों का पद–त्याग

56–विकास समिति का कोई भी सदस्य जो अपना पद त्याग करना चाहे अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्याग–पत्र [2] [महापौर] को प्रस्तुत कर सकता है और ऐसा त्याग–पत्र [2][महापौर] को मिल जाने पर प्रभावी हो जायेगा ।

धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित समितियां

धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन समितियों का संगठन

57–(1) धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित किसी समिति में उतने ही सदस्य होंगे जितने कि [1][निगम] निर्धारित करें किन्तु उनकी संख्या 12 से अधिक न होगी ।

(2) राज्य सरकार के एतदर्थ किन्हीं ऐसे निदेशो के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में उल्लिखित किसी समिति के सदस्य अपने में से एक सभापति तथा एक उप–सभापति चुनेंगे तथा सभापति अथवा उप–सभापति के पद की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नये निर्वाचन द्वारा करेंगे ।

(3) कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की पदावधि तथा निर्वाचन की रीति से संबद्ध उपबंध धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित किसी समिति पर यथाशक्य लागू होंगे ।

महानगर योजना समिति

[3]**[57–क**–(1) सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति संगठित की जायेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट महानगर योजना समिति एक अध्यक्ष जो नियमों द्वारा नियत रीति से चुना जायेगा, और इक्कीस से अन्यून और तीस से अनधिक इतनी संख्या में सदस्यों से, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, मिलकर बनेगी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 39 द्वारा बढ़ाया गया ।

(3) उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कुल सदस्यों की संख्या में से––

(क) दो तिहाई सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा और उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के बीच अनुपात के अनुसार अपने मे से निर्वाचित किये जायेंगे ; और

(ख) एक तिहाई सदस्य राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित मे से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे :––

(एक) एक अधिकारी, जो केंन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय में उपसचिव से अनिम्न स्तर का हो ;

(दो) एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के नगर विकास विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो ;

(तीन) एक अधिकारी, जो राज्य सरकार के वन विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो ;

(चार) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश ;

(पांच) निदेशक, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश ;

(छः) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल निगम का प्रबन्ध निदेशक ;

(सात) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित महानगर क्षेत्र में स्थित जल संस्थान का महाप्रबन्धक ;

(आठ) लोक निर्माण विभाग का एक अधीक्षण अभियन्ता ;

(नौ) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का एक अधीक्षण अभियन्ता ;

(दस) महानगर क्षेत्र में विकास प्राधिकरण का उप सभापति ।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट महानगर योजना समिति का निर्वाचित सदस्य जिस पद पर होने के आधार पर ऐसा सदस्य बना था, उस पद पर न रहने पर समिति का सदस्य न रह जायेगा ।

(5) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (एक) में निर्दिष्ट कोई सदस्य शहरी विकास विभाग में भारत सरकार के सचिव की सिफारिश पर नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(6) सदस्यों की कोई रिक्ति महानगर योजना समिति के संगठन या पुनस्संगठन में बाधक नही होगी ।

(7) महानगर योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में, ––

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :––

(एक) महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गयी योजनायें ;

(दो) नगर पालिकाओं और पंचायतों के बीच सामान्य हित के मामले, जिन्हें अन्तर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक साधनों में हिस्सा, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है ;

(तीन) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित समस्त उद्देश्य और प्राथमिकताएं ;

(चार) उन विनिधानों की सीमा और प्रकृति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने सम्भाव्य है तथा अन्य उपलब्ध साधन चाहे वह वित्तीय हों या अन्य ;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(7) महानगर विकास समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा ।

स्पष्टीकरण——इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नगर पालिका" का तात्पर्य नगर निगम, नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत से है ।]

[1][नगर आयुक्त]

[1][नगर आयुक्त] और [1][अपर नगर आयुक्त] की नियुक्ति

[2][**58**–राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम के लिए एक [1][नगर आयुक्त] और एक या अधिक [1][अपर नगर आयुक्त] जैसा वह उचित समझे, नियुक्त करेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जो पहले से [3][राज्य सरकार की सेवा में नहीं है, तब तक नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जायगा] जब तक कि राज्य लोक सेवा आयोग उसकी नियुक्ति का अनुमोदन न कर दे ।]

[4][किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को [1][अपर नगर आयुक्त] के रूप में तब तक नियुक्त नही किया जायगा जब तक कि वह निगम का ज्येष्ठतम वेतनमान में [1][उप नगर आयुक्त] न हो।]

[7][[1][नगर आयुक्त] और

59–(1) नगर आयुक्त [5][और अपर [1][नगर आयुक्त]] [6][निगम] निधि मे से उतने मासिक वेतन और ऐसे भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार समय–समय पर निर्धारित करे।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 17(क) प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 17(ख) प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 41(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 41(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) नियोजन (employment) की अन्य शर्तें जिनमें छुट्टियां, पेंशन तथा भविष्य निधि (Provident Fund) में अंशदान भी सम्मिलित है वे होंगी जिन्हें राज्य सरकार विहित करे ।

[1][अपर नगर आयुक्त] के वेतन और भत्ते आदि

निर्वाचनों से सम्बद्ध विवाद

जब तक आपत्ति आदि न की जाय निर्वाचन मान्य होगा

60–इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन के संबंध में इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अनुकूल आपत्ति न की जायेगी ।

[1][महापौर] अथवा [2][* * *] के निर्वाचन पर आपत्ति करना

61–(1) किसी व्यक्ति के [1][महापौर] अथवा [2][* * *] के रूप में निर्वाचन पर उक्त निर्वाचन का कोई भी असफल उम्मीदवार अथवा कोई भी व्यक्ति जिसका निर्वाचन–पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो अथवा [3][निगम] का कोई भी सदस्य नगर में क्षेत्राधिकार युक्त जिला जज के समक्ष धारा 71 में उल्लिखित एक या एकाधिक आधारों पर याचिका प्रस्तुत करके आपत्ति कर सकता है ।

(2) याचिका निर्वाचन फल घोषित होने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी।

[4][* * *] [1][पार्षद] के निर्वाचन पर आपत्ति करना

62– [5][(1) [1][पार्षद] के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन पर, निर्वाचन में असफल किसी व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका निर्वाचन में नाम–निर्देशन–पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो या सम्बद्ध कक्ष के निर्वाचक द्वारा आपत्ति की जा सकती है।]

(2) याचिका धारा 71 में उल्लिखित एक या एकाधिक आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती है ।

(3) किसी व्यक्ति के [6][* * *] [1][पार्षद] के रूप में निर्वाचन पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि किसी व्यक्ति का नाम जो मत देने के लिए अर्ह था, निर्वाचन –सूची अथवा सूचियों में लुप्त कर दिया गया है अथवा किसी व्यक्ति का नाम जो मत देने के लिए अर्ह नहीं था निर्वाचन–सूची अथवा सूचियों में सम्मिलित कर दिया गया है।

[7][(4) याचिका, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर नगर में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला जज को प्रस्तुत की जायगी ।]

आवेदन का आकार–पत्र तथा उसका विषय

63–(1) निर्वाचन आवेदन में वह या वे आधार निर्दिष्ट रहेंगे जिन पर प्रतिवादी (respondent) के निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो और उसमें उन वास्तविक तथ्यों का भी संक्षिप्त उल्लेख होगा जिन पर आवेदक (petitioner) आश्रय करता है । उसमें उस भ्रष्टाचार के, जिसके विषय में आवेदक का कथन है कि उसका व्यवहार हुआ है, पूरे विवरण उल्लिखित किये जायेंगे और उन पक्षों (parties) के नाम, जिनके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार का व्यवहार किया है, तथा इस प्रकार किये गये भ्रष्टाचरण का दिनांक और स्थान आदि के सम्बन्ध में यथासम्भव पूरा ब्यौरा दिया जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 42 शीर्षक द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 19(क) प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 19(ख) द्वारा निकाला गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 19(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) आवेदन पर और यदि उसके साथ कोई अनुसूची अथवा संलग्नक (annexure) हो तो ऐसी अनुसूची अथवा संलग्नक पर भी आवेदन के हस्ताक्षर होंगे तथा वह ऐसी रीति से प्रमाणीकृत होगा, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 में पक्ष–निवेदनों (pleading) के प्रमाणीकरण के लिये निर्दिष्ट की गयी है ।

(3) आवेदक (petitioner) ––

(क) यदि वह धारा 64 के अधीन किसी घोषणा का दावा करता है, तो अपने से भिन्न अन्य सभी प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों को, तथा अन्य किसी दशा में सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को ; और

(ख) अन्य ऐसे उम्मीदवार को, जिसके विरुद्ध आवेदन में भ्रष्टाचरण आरोप किया गया है , अपने आवेदन में प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित करेगा ।

अनुतोष (relief) जिसका आवेदक दावा कर सकता है

64–आवेदक, यह दावा करने के अतिरिक्त कि समस्त अथवा किसी सफल उम्मीदवारों का निर्वाचन शून्य है, इस घोषणा के लिए भी दावा कर सकता है कि वह स्वयं अथवा अन्य कोई उम्मीदवार यथोचित रूप से निर्वाचित हुआ है ।

प्रत्यारोपण

65–(1) यदि किसी निर्वाचन आवेदन में किसी ऐसी घोषणा का दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार विधिवत निर्वाचित हुआ है तो निर्वाचित उममीदवार अथवा अन्य कोई पक्ष यह सिद्ध करने के लिये साक्ष्य दे सकता है कि यदि उक्त उदम्मीदवार निर्वाचित हो गया होता और उसके निर्वाचन के सम्बन्ध में आपत्ति करने वाला कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया होता तो उस उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित उम्मीदवार (returned candidate) अथवा उपर्युक्त कोई अन्य पक्ष (party) उक्त साक्ष्य देने का तब तक अधिकारी न होगा जब तक कि उसने–यदि वह निर्वाचन, जिसके सम्बन्ध में आपत्ति की गयी हो, 1[* * *] अथवा 2[पार्षद] का हो तो उस पर निर्वाचन–आवेदन के नोटिस तामील होने के 21 दिन के भीतर तथा अन्य सभी दशाओं में 3 दिन के भीतर निर्वाचन आवेदन की सुनवाई करने वाले जिला जज को अपने उक्त आशय का नोटिस न दे दिया हो और धारा 79 में विहित प्रतिभूति (security), यदि कोई हो, न दे दी हो ।

(2) उपधारा (1) मे निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस के साथ निर्वाचन याचिका की दशा में धारा 63 द्वारा अपेक्षित विनिर्देशन विवरण तथा ब्योरे दिये जायेंगे तथा वे उसी रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे ।

आवेदन कब खारिज किया जायेगा

66–यदि कोई निर्वाचन याचिका इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत न की गयी हो अथवा प्रतिभूति जमा करने के सम्बन्ध में धारा 79 के अधीन बनाये गये उपबन्धों का पालन न किया गया हो अथवा उस पर निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक मुद्रांक शुल्क न दिया गया हो तो जिला जज तत्काल उसे अस्वीकार (reject) कर देगा ।

आवेदन की सुनवाई प्रक्रिया

67–(1) जिला जज किसी ऐसे निर्वाचन आवेदन की, जो धारा 66 के अधीन खारिज न किया गया हो, सुनवाई करेगा ।

(2) आवेदन की सुनवाई करने वाला जिला जज ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो धारा 79 के अधीन विहित की जाय ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 20 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

आवेदन का स्थानान्तरण

68–(1) निर्वाचन आवेदन से सम्बद्ध किसी पक्ष के प्रार्थना–पत्र पर तथा अन्य पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् और ऐसे पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् जो सुनवाई चाहते है, अथवा बिना किसी प्रकार की नोटिस दिये हुये स्वतः किसी भी समय, हाई कोर्ट ––

(क) किसी जिला जज के पास विचाराधीन किसी निर्वाचन आवेदन को सुनवाई के लिये किसी अन्य जिला जज को स्थानान्तरित कर सकता है ; अथवा

(ख) सुनवाई के लिये ऐसे आवेदन को उस जिला जज को पुनः स्थानान्तरित कर सकता है जिसके यहां से वह आवेदन हटा लिया गया था ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई निर्वाचन आवेदन स्थानान्तरित अथवा पुनःस्थानान्तरित किया गया हो तो वह जिला जज जो तत्पश्चात् उक्त आवेदन की सुनवाई करेगा, स्थानान्तरण की आज्ञा में किसी अनुकूल निर्देश के अधीन रहते हुये, ऐसे अवस्थान से सुनवाई आरम्भ कर सकता है जिस अवस्थान (point) से वह स्थानान्तरित अथवा पुनः स्थानान्तरित किया गया था :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह उचित समझे तो ऐसे साक्षियों को जिनकी पहली गवाही हो चुकी थी पुनः बुला सकता है और उनका पुनःपरीक्षण कर सकता है ।

आवेदन पर निर्णय

69–यदि सुनवाई के समय आवेदन अन्य प्रकार से अस्वीकृत न हुआ हो तो जिला जज निर्वाचन आवेदन की सुनवाई हो जाने के पश्चात्––

(क) निर्वाचन आवेदन को खारिज करने की ; अथवा

(ख) समस्त अथवा किसी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन की शून्य घोषित करने की ; अथवा

(ग) समस्त अथवा किसी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करने, तथा आवेदक अथवा अन्य किसी उम्मीदवार को यथाविधि निर्वाचित घोषित करने की आज्ञा देगा ।

आवेदन के निस्तारण करते हुये अन्य आज्ञाओं का दिया जाना

70–धारा 69 के अधीन कोई आज्ञा देते समय जिला जज ऐसी आज्ञा भी देगा जिसमें––

(क) यदि आवेदन में यह दोषारोपण है कि निर्वाचन में कोई भ्रष्टाचरण किया गया है, तो

(1) ऐसी आपत्ति जो कि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा उनकी सहमति (consent) से किया गया कोई भ्रष्टाचरण सिद्ध हो गया है या नहीं सिद्ध हुआ है और उस भ्रष्टाचरण के प्रकार को ; और

(2) ऐसे समस्त व्यक्तियों के नामों को, यदि कोई हों, जिनके बारे में सुनवाई के समय यह सिद्ध हो गया हो कि वे किसी भ्रष्टाचरण के दोषी है और ऐसे आचारण के प्रकार को (nature) अभिलिखित किया हो ; तथा

(ख) देय वाद–व्ययों को निर्दिष्ट किया हो और उन व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट किया हो जिनके द्वारा अथवा जिन्हें वे व्यय अदा किये जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) के उप–खंड (2) के अधीन दी गयी आज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि––

(क) उसे जिला जज के समक्ष उपस्थित होने तथा यह कारण दिखाने का नोटिस न दिया गया हो कि एतदर्थ उसका नाम क्यों न लिखा जाय ; और

(ख) यदि नोटिस के अनुसार वह उपस्थित होता है तो जब तक उसे किसी ऐसे गवाह से, जिसका जिला जज ने पहले ही परीक्षण कर लिया हो तथा जिसने उस व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य दिया हो, जिरह करने का और अपनी सफाई में साक्ष्य देने और सुने जाने का अवसर न दिया गया हो ।

निर्वाचन को शून्य घोषित करने का आधार

71–यदि जिला जज का मत हो कि :––

(क) अपने निर्वाचन के दिनांक पर कोई निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन उक्त स्थान की पूर्ति के निमित्त चुने जाने के लिए अर्ह नहीं था अथवा अनर्ह था ; अथवा

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता अथवा निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारा 78 में निर्दिष्ट कोई भ्रष्टाचार किया गया है ; अथवा

(ग) कोई निर्वाचन–पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया है ;

(घ) निर्वाचन फल पर जहां तक उसका सम्बन्ध निर्वाचित उम्मीदवार से है––

(1) कोई निर्वाचन–पत्र अनुचित रूप से स्वीकार किये जाने से ; अथवा

(2) निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किये गये किसी भ्रष्टाचार से जिसे निर्वाचित उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति ने किया ; अथवा

(3) किसी मत के अनुचित रूप से ग्रहण करने, न लेने अथवा अस्वीकार कर देने या किसी ऐसे मत के ग्रहण करने से जो शून्य हो ; अथवा

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन बने किन्हीं नियमों अथवा दी गयी किन्हीं आज्ञाओं का अपालन करने के कारण ; सारवान प्रभाव पड़ा है,

तो जिला जज निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगा ।

आधार जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकता है

72–यदि किसी व्यक्ति ने, जिसने आवेदन प्रस्तुत किया है, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के अलावा इस घोषणा का भी दावा किया है कि वह स्वयं अथवा अन्य कोई उम्मीदवार विधिवत् निर्वाचित हुआ है और जिला जज का यह मत है कि––

(क) वस्तुतः आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों का बहुमत (majority) प्राप्त किया है ; अथवा

(ख) यदि निर्वाचित उम्मीदवार को भ्रष्टाचार के कारण प्राप्त हुए मत न मिले होते तो आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों का बहुमत प्राप्त किया होता,

तो जिला जज निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करके यथास्थिति आवेदक अथवा उक्त अन्य उम्मीदवार को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा ।

मतों की समानता की दशा में प्रक्रिया

73–यदि किसी निर्वाचन आवेदन की सुनवाई करते समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में किन्ही उम्मीदवारों ने बराबर बराबर मत प्राप्त किये है और उनमें से किसी एक के पक्ष में एक मत के बढ़ जाने से वह व्यक्ति निर्वाचित घोषित किये जाने का अधिकारी हो जायेगा तो ––

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन–अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहां तक वह उक्त उम्मीदवारों के मध्य उपर्युक्त प्रश्न को निर्धारित करता है, आवेदन के प्रयोजनों के लिये भी प्रभावी होगा ; और

(ख) जहां तक उक्त निर्णय उपर्युक्त प्रश्न को निर्धारित न करता हो जिला जज उन उम्मीदवारों के बीच लाटरी द्वारा निर्णय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानों जिस उम्मीदवार के पक्ष में लाटरी निकले उसने एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया है ।

जिला जज की आज्ञा के विरूद्ध अपील

74–(1)जिला जज द्वारा धारा 69 अथवा 70 के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा के विरुद्ध आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर हाईकोर्ट को अपील हो सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हाईकोर्ट उपर्युक्त तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणवश इस अवधि के भीतर अपील नहीं प्रस्तुत कर सका ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करे अपील के स्मृति–पत्र के साथ सरकारी खजाने की ऐसी रसीद नत्थी करेगा जो यह प्रकट करती हो कि उसके द्वारा किसी सरकारी खजाने अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया में हाईकोर्ट के नाम अपील के वाद–व्यय की प्रतिभूति के रूप में पांच सौ रूपये की धनराशि जमा की गई है ।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये हाई कोर्ट को इस अध्याय के अधीन अपील के सम्बन्ध में वही अधिकार, क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार होंगे तथा वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, मानों कि वह अपील उसके स्थानिक दीवानी अपील सम्बन्धी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित किसी दीवानी न्यायालय द्वारा पारित मूल डिक्री से प्रोद्भूत अपील हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील दो से अन्यून जजों की बेंच द्वारा सुनी जायेगी ।

(4) प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्रता से निर्णीत की जायेगी और यह प्रयास किया जायेगा कि हाई कोर्ट में अपील का स्मृति–पत्र प्रस्तुत किये जाने के तीन महीने के भीतर अपील अन्तिम रूप से समाप्त हो जाय ।

(5) हाई कोर्ट का निबन्धक अपील पर दी गई हाई कोर्ट की आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ भेजेगा ।

(6) जब धारा 69 के खंड (ख) के अधीन आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील की जाय तो हाई कोर्ट पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने पर उस आज्ञा की कार्यान्वित स्थगित कर सकता है, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो तथा ऐसी दशा में यह समझा जायेगा कि धारा 77 के अधीन आज्ञा कभी प्रभावी नहीं हुई तथा जब तक अपील खारिज न कर दी जाय, आज्ञा प्रभावशील न हो सकेगी ।

75–धारा 74 के अधीन अपील होने पर हाई कोर्ट का निर्णय तथा केवल ऐसे निर्णय के अधीन रहते हुये ही धारा 69 अथवा 70 के अधीन दी हुई जिला जज की आज्ञा अन्तिम एवं निश्चायक होगी। **आज्ञाओं तथा निर्णयों की अंतिमता**

76–धारा 69 तथा 70 के अधीन दी गयी अपनी आज्ञाओं की घोषणा करने के बाद जिला जज उनकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा । **आज्ञा का संवहन**

77–धारा 69 अथवा 70 के अधीन जिला जज द्वारा दी गयी कोई आज्ञा उस दिन के, जिस पर उसकी घोषणा की गयी हो, बाद वाले दिनांक से प्रभावी होगी । **आज्ञा का प्रभावी होना**

78–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित भ्रष्टाचरण समझें जायेंगे:–– **भ्रष्टाचरण**

(1) घूस देना, अर्थात् उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई परितोषण (gratification) का दान, समुपस्थान अथवा उसके लिये वचन देना (gift, offer or promise) जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ––

(क) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने के लिये अथवा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिये ; अथवा निर्वाचन लड़ने से हट जाने के लिये ; अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मत देने अथवा न देने के लिये ;

प्रेरित करना हो ; अथवा जो ––

(1) किसी व्यक्ति को जो इस प्रकार उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न खड़े होने के लिये, अथवा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिये अथवा चुनाव लड़ने से हट जाने के लिये ; अथवा

(2) किसी निर्वाचक को मत देने के लिये अथवा न देने के लिये पुरस्कार के रूप में हो ;

स्पष्टीकरण––इस खंड के प्रयोजनों के लिये शब्द "परितोषण" (gratification) ऐसी परितुष्टियों तक ही सीमित नहीं है जो धन के रूप में हों अथवा जिन्हें धन के रूप में व्यक्त किया जा सके अपितु इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के मनोरंजन (entertainment) तथा पुरस्कारार्थ सभी प्रकार के नियोजन (employment) भी सम्मिलित है,

(2) अनुचित प्रभाव डालना अर्थात् किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निर्वाचन में निर्वाचन सम्बन्धी किसी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना अथवा हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करना :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि :––

(क) इस खंड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उनमें उल्लिखित कोई व्यक्ति, जो––

(1) किसी उम्मीदवार को अथवा किसी निर्वाचक को अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वह उम्मीदवार अथवा निर्वाचक अभिरूचि रखता हो, किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की धमकी देता है जिसमें सामाजिक बहिष्कार (social ostracism) और किसी जाति अथवा सम्प्रदाय से अलग कर देना (ex-communication or expulsion) भी सम्मिलित है ; अथवा

(2) किसी उम्मीदवार को अथवा निर्वाचक को ऐसा विश्वास करने के लिये प्रेरित करता है अथवा प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह अथवा अन्य कोई व्यक्ति जिसमें

वह अभिरूचि रखता है दैवी प्रकोप अथवा आध्यात्मिक अपराध (divine displeasure of spiritual censure) का भागी होगा या बना दिया जायेगा ;

तो यह समझा जायेगा कि वह व्यक्ति इस खंड के अर्थ में उक्त उम्मीदवार अथवा निर्वाचक के निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप कर रहा है ।

(ख) किसी सार्वजनिक नीति की घोषणा अथवा किसी सार्वजनिक कार्यवाही का वचन अथवा किसी ऐसे विधिक अधिकार का प्रयोग जिसका उद्देश्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारों में हस्तक्षेप करना न हो, इस खंड के अर्थ में हस्तक्षेप नहीं समझे जायेंगे ।

(3) जाति, मूलवंश, समाज अथवा धर्म अथवा प्रथा के आधार पर उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मत देने अथवा मत न देने के लिये क्रमबद्ध अपील अथवा उम्मीदवार के निर्वाचन की सफलता को समुन्नत करने के लक्ष्य से धार्मिक चिन्हों के प्रति अपील अथवा राष्ट्रीय चिन्हों, जैसे कि राष्ट्र ध्वज अथवा राष्ट्र प्रतीक का प्रयोग अथवा उनके प्रति अपील ।

(4) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी अथवा उम्मीदवारी की वापसी अथवा चुनाव लड़ने से हटने के सम्बन्ध में ऐसे तथ्य के प्रकथन का प्रकाशन जो असत्य हों, और जिन्हें या तो वह असत्य समझता हो, अथवा जिसकी सत्यता में उसे विश्वास न हो और जो उस उम्मीदवार के चुनाव के सुयोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये युक्तितः आयोजित हो ।

(5) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता का किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, वह चाहे जीवित हो या मृत, अथवा किसी बनावटी नाम में अथवा अपने ही नाम से जबकि वह व्यक्ति उसी या दूसरे कक्ष में पहले ही मतदान कर चुकने के फलस्वरूप मत देने का अधिकारी न हो, शलाका–पत्र के लिये प्रार्थना करवाना अथवा प्रार्थना करने में प्रोत्साहन देना अथवा प्रार्थना कराने का प्रयत्न करना ।

(6) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं उम्मीदवार के अथवा उसके परिजनों अथवा अभिकर्ता से भिन्न किसी निर्वाचक को धारा 46 के अधीन प्रचारित आज्ञा द्वारा व्यवस्थित मतदान स्थल तक अथवा वापस ले जाने के लिये धनराशि दे कर अथवा अन्य या किसी वाहन अथवा यान (vehicle or vessel) का किराये पर लेना या अन्यथा प्राप्त करना :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी एक निर्वाचक द्वारा अथवा कई निर्वाचकों द्वारा संयुक्त लागत पर उसे या उन्हें किसी मतदान स्थल तक अथवा मतदान के लिये निश्चित स्थान तक और वापस लाने, ले जाने के प्रयोजन से किसी वाहन या यान का किराये पर लिया जाना इस खंड के प्रयोजन के निमित्त भ्रष्टाचरण न होगा, यदि इस प्रकार किराये पर लिया गया वाहन या गान ऐसा वाहन या यान हो जो यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित न होता हो :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी निर्वाचक द्वारा अपनी लागत पर किसी मतदान स्थल तक अथवा मतदान के लिये निश्चित स्थान तक जाने और वापस आने के लिये किसी सार्वजनिक परिवहन के वाहन तथा यान के अथवा किसी ट्रैम या रेल के डिब्बे का प्रयोग इस खंड के प्रयोजन के निमित्त भ्रष्टाचरण न समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण––इस खंड में पद "वाहन" से तात्पर्य है कोई ऐसा वाहन जो सड़क परिवहन में प्रयुक्त किया जाये अथवा प्रयोग किये जाने के योग्य हो, चाहे वह यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित होता हो अथवा अन्य किसी प्रकार से अथवा चाहे वह अन्य वाहनों को खींचने के लिये अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रयुक्त होता हो ।

(7) किसी उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकार की सेवा में संलग्न तथा निम्नलिखित वर्गों से संबद्ध किसी भी व्यक्ति से उस उम्मीदवार के निर्वाचन की सफलता की सम्भावना को समुन्नत करने के लिये (मत देने से भिन्न) अन्य कोई सहायता प्राप्त करने या प्राप्त करवाने अथवा प्राप्त करने या प्राप्त करवाने के लिये प्रेरित अथवा प्रयास करना :––

(क) गज़टेड अधिकारी ;

(ख) वेतन भोगी जज और मैजिस्ट्रेट ;

(ग) भारत संघ की सशस्त्र सेनाओं के सदस्य ;

(घ) पुलिस दल के सदस्य ;

(ङ) आबकारी विभाग के अधिकारी ;

(च) माल विभाग के अधिकारीगण जिनके अन्तर्गत गांव के एकाउन्टेन्ट जैसे पटवारी, लेखपाल, तलती, कारनाम तथा उन के समक्ष अधिकारीगण, किन्तु इसके अन्तर्गत अन्य ग्राम्य अधिकारीगण नहीं है ; तथा

(छ) राज्य की सेवा में संलग्न अन्य ऐसे व्यक्तियों के वर्ग जो नियत किये जायें ।

निर्वाचनों से सम्बद्ध विवादों के निर्णय सम्बन्धी नियम

79–राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध मे नियम बना सकती है––

(क) निर्वाचन आवेदनों की सुनवाई करने वाले जिला जजों के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक ;

(ख) निर्वाचन आवेदनों की समाप्ति और वापसी ;

(ग) अनुपस्थिति अथवा असंचालन (non-prosecution) अथवा न्यायालय की आज्ञाओं के तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और तदन्तर्गत दी गयी आज्ञाओं के अपालन (non-compliance) अपालन के फलस्वरूप निर्वाचन आवेदनों को खारिज (dismissal) करना ;

(घ) आवेदनों की सुनवाई की प्रक्रिया ;

(ङ) निर्वाचन आवेदन की सुनवाई करने वाले जिला जज के अधिकार ;

(च) सुनवाई का स्थान (place of trial) ;

(छ) प्रतिभूति एवं अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करना ;

(ज) जमा की गयी प्रतिभूति की वापसी अथवा जब्ती (forfeiture) ;

(झ) धारा 70 के अधीन प्रदत्त (awarded) व्यय की प्राप्ति ;

(ञ) पक्षों (parties) की स्थानापन्न करना (substitution) ;

(ट) निर्वाचन आवदेनो के निर्णयाभिलेखों का रखा जाना तथा छांटा जाना ;

(ठ) अन्य विषय जिनकी राज्य सरकार की राय में व्यवस्था करना आवश्यक हो ।

निर्वाचन अपराधों तथा भ्रष्टाचरणों के कारण अनर्हतायें

80–(1) इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 171–ई या 171–एफ के अधीन कारावास से दंड्य अपराध तथा रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1951, जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों पर धारा 48 द्वारा प्रवृत्त किया गया हो, की धारा 135 अथवा धारा 136 के अधीन दंड्य अपराध [1][निगम] की सदस्यता के लिये अनर्हता उत्पन्न करेंगे।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) धारा 78 में निर्दिष्ट भ्रष्टाचार [1][निगम] की सदस्यता के लिये अनर्हता उत्पन्न करेंगे ।

(3) अनर्हता की अवधि उप धारा (1) के अधीन अनर्हत के सम्बन्ध में दोष सिद्धि के दिनांक के आरम्भ से तथा उप–धारा (2) के अधीन अनर्हता के सम्बन्ध में जिला जज द्वारा धारा 70 के अधीन दी गयी उपपत्ति (finding) के धारा 77 के अधीन प्रभावी होने के दिनांक से 5 वर्ष की होगी ।

कुछ अन्य विषय

शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञा न करने से पूर्व अथवा अर्ह न होने या अनर्ह होने की दशा में स्थान ग्रहण करने या मत देने पर दंड

81–यदि कोई व्यक्ति [1][निगम] के [2][महापौर], [3][***] अथवा सदस्य के रूप में [2][निगम] के किसी अधिवेशन या उसकी किसी समिति की बैठक में धारा 85 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन किये बिना, अथवा यह जानते हुये कि वह यथास्थिति [2][महापौर] [4][* * *] या [2][पार्षद] होने के लिये अर्ह नहीं है अथवा अनर्ह है, स्थान ग्रहण करता है अथवा मत देता है तो वह प्रत्येक उस दिन के लिये जिस पर वह उक्त प्रकार से स्थान ग्रहण करता है अथवा मत देता है दंड स्वरूप 50 रू० जुर्माना देने का भागी होगा, जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल किया जायगा ।

अनर्हता से सम्बद्ध प्रश्नों का राज्य सरकार द्वारा निर्णय

82–यदि यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि [1][निगम] का कोई सदस्य धारा 25 में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त है अथवा नहीं, तो वह प्रश्न निर्णयांश राज्य सरकार को विहित रीति से निर्दिष्ट कर दिया जायगा और इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

सदस्यों का हटाया जाना

83–(1) राज्य सरकार [1][निगम] अथवा उसकी किसी समिति के किसी सदस्य को निम्नलिखित किसी भी आधार पर हटा सकती है ––

(क) कि उसने धारा 25 के खंड (ङ) में निर्दिष्ट विषय भिन्न किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसमें प्रत्यक्षतः अन्य अप्रत्यक्षतः उसका कोई निजी स्वार्थ हो अथवा जिसमें अपने वादग्राहक (client), निदष्टा अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप (Processionally) अभिरूचि रखता हो, यथास्थिति [5][* * *], [2][पार्षद] या किसी समिति के सदस्य के रूप मत देकर अथवा उनकी चर्चाओं में भाग लेकर कार्य किया हो ;

(ख) कि वह उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यपालन में शारीरिक अथवा मानसिक रूप में असमर्थ हो गया है ;

(ग) कि उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्य के पालन मे घोर बुराई का दोषी रहा है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हटाये जाने की आज्ञा राज्य सरकार द्वारा न दी जायगी जब तक कि आज्ञा संबद्ध विशिष्ट सदस्य, [2][पार्षद] अथवा समिति के सदस्य इस बात का कारण बताने का उचित अवसर न दे दिया गया हो कि उसे ऐसी आज्ञा क्यों न दी जाय ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 21 द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 22 द्वारा निकाला गया ।

(2) किसी व्यक्ति को सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करते ही हटाया जायगा तथा यह हटाया जाना विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक प्रभावी होगा ।

(3) राज्य सरकार किसी सदस्य को जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये गये किसी भयंकर संसर्गजन्य रोगों में किसी से ग्रस्त [1][निगम] अथवा उसकी किसी समिति, संयुक्त समिति अथवा उप–समिति के अधिवेशन में उपस्थित न होने का निदेश दे सकती है तथा कोई सदस्य जिस प्रकार निदेश दिया गया हो, [1][निगम] या उसकी समिति, संयुक्त समिति अथवा उप–समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने का तब तक अधिकारी न हो जब तक कि राज्य सरकार के संतोषानुसार उसके इस बात का प्रमाण दे देने पर वह उस रोग से मुक्त हो गया है, राज्य सरकार निदेश वापस नहीं ले लेती ।

(4) कोई भी वह व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन [1][निगम] की सदस्यता से हटाया जा चुका हो, हटाये जाने के दिनांक से 4 वर्ष तक के लिए [1][निगम] के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने अथवा सदस्य होने से रहेगा, तथा कोई भी वह व्यक्ति जो [1][निगम] की किसी समिति से हटाया हो, हटाये जाने के दिनांक से 4 वर्ष तक के लिए उस समिति के सदस्य के में निर्वाचित होने अथवा उसका सदस्य होने के लिए अनर्ह रहेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय इस अन्य को हटाने की आज्ञा दे सकती है ।

84– [2][* * * *]

पार्षदों इत्यादि द्वारा निष्ठा की शपथ लिया जाना

85–[4][(1) इंडियन ओथ्स ऐक्ट, 1873 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति जो [3][पार्षद] अथवा [4][* * *] निर्वाचित हो अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में संयोजित हो तथा प्रत्येक व्यक्ति जो [4][महापौर] निर्वाचित हो गया हो अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप में शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा, अर्थात् :––

"मैं,––––––––––––––––––––क, ख, जो [1][निगम] का [3][पार्षद]/विशिष्ट सदस्य/ [3][महापौर] /निर्वाचित, विकास समिति का सदस्य संयोजित हुआ हूं,

ईश्वर की शपथ लेता हूं
–––––––––––––––––––– कि
सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं

मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मै भारत की प्रभुता तथा अखण्डता को बनाये रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा ।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 43 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 23(क)(एक) द्वारा निकाला गया ।

[1][(1–क) निगम की धारा 9 के अधीन संगठन या धारा 538 के अधीन पुनर्संगठन हो जाने के सात दिन के भीतर नगर आयुक्त नगर निगम का एक अधिवेशन बुलायेगा । मण्डल का आयुक्त या उसकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट महापौर को शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा और तत्पश्चात् महापौर ऐसे पार्षदों को, जो निर्वाचित घोषित किये गये हों, शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा । ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता मण्डल के आयुक्त या उसकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी । इस प्रकार बुलाये गये अधिवेशन को नगर निगम का प्रथम अधिवेशन माना जायेगा ।]

(2) कोई व्यक्ति जो [2][पार्षद] या [2][महापौर] या [3][* * *] निर्वाचित हो चुका हो, अथवा जो विकास समिति का कोई संयोजित सदस्य हो, अपनी पदावधि के प्रारम्भ से तीन महीने के भीतर या उक्त दिनांक के पश्चात् आयोजित [4][निगम] के प्रथम तीन अधिवेशनों में से किसी एक में, दोनों मे से जो भी परवर्ती हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट तथा एतदर्थ अपेक्षित शपथ अथवा प्रतिज्ञान न करे तो वह अपने पद पर आसीन न रहेगा और उसका पद रिक्त समझा जायगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति जिससे उपधारा (1) के अधीन शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने की अपेक्षा की गई है, [4][निगम] के किसी अधिवेशन में, अथवा विकास समिति का सदस्य संयोजित होने की दशा में उस समिति के किसी अधिवेशन में, उस समय तक न तो स्थान ग्रहण करेगा, और न यथास्थिति [2][पार्षद], [5][* * *] अथवा [2][महापौर] अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में कोई कार्य ही करेगा जब तक उसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट शपथ न ली हो अथवा प्रतिज्ञान न किया हो ।

निर्वाचन व्यय

86–(1) किसीनगर की निर्वाचन सूचियों को तैयार करने तथा उनके पुनरीक्षण तथा उस नगर के लिये इस अधिनियम के अधीन संचालित निर्वाचनों के सम्बन्ध में किये गये समस्त व्यय, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा आदेश न दे, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उसके द्वारा निर्दिष्ट आयति (extent) पर्यन्त [4][निगम] पर भारित होंगे तथा उन्हें [4][निगम] से वसूल किया जा सकेगा ।

(2) निर्वाचन–अधिकारी अथवा निर्वाचन का संचालन करने का उत्तरदायी कोई पदाधिकारी [4][निगम] को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसी धनराशि दे जो उस निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हो, और तत्पश्चात् [4][निगम] निर्वाचन–अधिकारी अथवा अन्य संबद्ध पदाधिकारी को उक्त धनराशि उपलब्ध करायेगा ।

नियम बनाने का अधिकार

87–(1) राज्य सरकार विहित किये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में, किन्तु जो अधिनियम में अथवा आज्ञा द्वारा विहित नहीं किये गये हैं, नियम बना सकती है।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 38, 2006 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 23(ग) द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 द्वारा की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 23(घ) द्वारा निकाला गया ।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) [1][महापौर], [2][* * *], [3][* * *] या [1][पार्षद] के निर्वाचन तथा [1][महापौर], [2][* * *], [3][* * *] अथवा [1][पार्षद] के स्थान की रिक्ति की विज्ञप्ति की रीति ;

(ख) कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित समितियों के सदस्यों के निर्वाचन की तथा विकास समिति के सदस्यों के संयोजन की रीति ;

(ग) कार्यकारिणी समिति तथा विकास समिति के उप–सभापति (Vice-Chairman) के निर्वाचन की तथा धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन संगठित समितियों के सभापति तथा उप–सभापति के निर्वाचन की रीति ;

(घ) [1][नगर आयुक्त] के अधिकतम वेतन और भत्ते ;

(ङ) किसी सदस्य की अनर्हता के सम्बन्ध में धारा 82 के अधीन किसी प्रश्न के प्रतिप्रेषण (reference) की रीति ;

(च) यह जानने की प्रक्रिया कि धारा 25 तथा 83 के प्रयोजनों के निमित्त कोई सदस्य किसी भयानक रोग से पीड़ित है या नहीं ;

(छ) धारा 85 के अधीन शपथ ग्रहण करने से सम्बद्ध विषय ।

अध्याय 3

[4][निगम], कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा अन्य समितियों की कार्यवाहियां

[1][निगम] के अधिवेशन

88–(1) [4][निगम] के कार्यों के सम्पादनार्थ प्रतिवर्ष कम से कम उसके 6 अधिवेशन होंगे तथा उसको अन्तिम बैठक और आगामी अधिवेशन की पहली बैठक के लिए निश्चित दिनांक के बीच दो महीने से अधिक का अन्तर नहीं होने पायेगा ।

(2) [1][महापौर] और उसकी अनुपस्थिति में [2][* * *], जब वह उचित समझे, [4][निगम] का अधिवेशन बुला सकता है तथा [4][निगम] के कुल सदस्यों का संख्या के छठे भाग से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर [4][निगम] का अधिवेशन अवश्य बुलायेंगा । यह प्रार्थना–पत्र यथास्थिति [1][महापौर] अथवा [2][* * *] को उस पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी सदस्य द्वारा दिया अथवा रजिस्ट्री से भेजा जा सकता है । [5][ऐसे प्रार्थना–पत्र पर अधिवेशन, प्रार्थना–पत्र के दिये जाने अथवा तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर बुलाया जायगा ।]

[6][(2–क) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रार्थना–पत्र देने या

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 24 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 10(एक) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 10(दो) द्वारा बढ़ाया गया ।

तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर अधिवेशन बुलाया जा चुका हो तो, यथास्थिति, [1][महापौर] या [2][***], उक्त प्रार्थना–पत्र पर अलग से अधिवेशन बुलाने के बजाय, धारा 91 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पहले से ही बुलाये गये अधिवेशन में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की सूची में, ऐसे प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित विषयों को सम्मिलित कर सकता है, और तदुपरान्त ऐसा अधिवेशन ऐसे प्रार्थना–पत्र पर बुलाया गया अधिवेशन भी समझा जायगा ।

(2–ख) नगर प्रमुख या उप–नगर प्रमुख, यथास्थिति उन कारणों से जो अधिनियम किये जायेंगे सदस्यों के प्रार्थना–पत्र पर बुलाये गये अधिवेशन से भिन्न अधिवेशन को, ऐसी सूचना देकर, जिसकी उपविधियों द्वारा तदर्थ व्यवस्था की जाय, स्थगित कर सकता है ।]

(3) [3][निगम] का प्रत्येक अधिवेशन जनता के लिये खुला रहेगा जब तक कि पीठासीन अधिकारी यह न समझे कि जनता अधिवेशन के समस्त अथवा किसी भाग का अवधि में अपवर्जित कर दी जाय ।

कार्यकारिणी समिति आदि के अधिवेशन

89–(1) कार्य का सम्पादन करने के लिए कार्यकारिणी समिति, [4][विकास समिति, कक्ष समिति] अथवा धारा 5 के अधीन निर्मित अन्य किसी समिति का अधिवेशन प्रतिमास कम से कम एक बार अवश्य होगा ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित किसी समिति का सभापति (Chairman) अथवा उसको अनुपस्थिति में उप–सभापति (Vice-Chairman) जब वह उचित समझे, समिति का अधिवेशन बुला सकता है और समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक–चौथाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित रूप में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर समिति का अधिवेशन अवश्य बुलायेगा ।

गणपूर्ति (quorum)

90–(1) यदि किसी विशेष संकल्प द्वारा कोई कार्य सम्पादित करना अपेक्षित है तो ऐसे कार्य के सम्पादनार्थ गणपूर्ति यथास्थिति [3][निगम] अथवा समिति के सदस्यों की संख्या को कम से कम आधी होगी ।

(2) उपधारा (3) में उपबन्धित व्यवस्था को छोड़ कर अन्य दशा में [3][निगम], कार्यकारिणी समिति, [5][विकास समिति, कक्ष समिति] अथवा धारा 5 के अधीन निर्मित अन्य किसी समिति के किसी अधिवेशन में तब तक कोई कार्य–सम्पादित न किया जायेगा जब तक कि सम्पूर्ण अधिवेशन में कुल सदस्यों को कम से कम 1/5 संख्या उपस्थित न रहे ।

(3) यदि कोई अधिवेशन नहीं होता अथवा गणपूर्ति के अभाव से अपना कार्य–संपादन जारी नहीं रख पाता है तो अधिवेशन का अधिष्ठाता (Presiding Officer) यह आदेश देगा कि ऐसे समय अथवा स्थान पर, जिसे वह उचित समझे, अधिवेशन बुलाया जाय और तत्पश्चात् [1][नगर आयुक्त] सभी सदस्यों को ऐसे अधिवेशन

1. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।

के समय और स्थान का सूचना देगा और वह कार्य जो मूल अधिवेशन में किये जाने के लिए सूचीकृत था अब इस अधिवेशन में लाया जायेगा और सामान्य रीति से सम्पादित किया जायगा, किन्तु इसके लिये किसी गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी ।

अधिवेशन और कार्यों की सूचना

91–(1) स्थगित किये गये अधिवेशन के अतिरिक्त अन्य सभी अधिवेशनों में सम्पादित होने वाले कार्यों की एक सूची यथास्थिति [1] [निगम] कार्यकारिणी समिति, [2][विकास समिति, कक्ष समिति] अथवा धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन निर्मित किसी समिति के प्रत्येक सदस्य के अपने दिए हुए पते पर भेज दी जायगी यह सूची ऐसे अधिवेशन के लिए निश्चित समय से [1][निगम] के अधिवेशन की दशा में कम से कम 96 घंटे पूर्व तथा उपर्युक्त अन्य समितियों के अधिवेशन की दशा में कम से कम 72 घंटे पूर्व दी जायगी और उपधारा (2) में उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर, इस अधिवेशन में उस कार्य के अलावा, जिसकी सूचना दी गयी है, अन्य कोई भी कार्य न तो लाया जायगा और न सम्पादित किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पूर्वोक्त कार्यो की सूची डाक द्वारा भेजा जाय तो वह डाक द्वारा भेजने के प्रमाण–पत्र के अधीन भेजी जायगी (under certificate of posting)।

(2) यथास्थिति [1][निगम] अथवा उपधारा (1) में उल्लिखित किसी समिति का कोई सदस्य किसी ऐसे संकल्प, मय उसकी एक प्रतिलिपि की नोटिस मुख्य–नगराधिकारी को भेजेगा अथवा देगा, जिसे वह किसी ऐसे अधिवेशन में प्रस्तावित करना चाहता है जिसकी नोटिस उपधारा (1) के अधीन दी गयी है । यह नोटिस अधिवेशन के लिए निश्चित दिनांक से [1][निगम] के अधिवेशन की दशा में कम से कम 48 घंटे पूर्व और किसी समिति के अधिवेशन की दशा में कम से कम 24 घंटे पूर्व दी जायगी, और तत्पश्चात् [3][नगर आयुक्त] संकल्प को ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझें, जितना शीघ्र हो सके, प्रत्येक सदस्य के पास घुमवा देगा । इस प्रकार भेजे गये किसी संकल्प पर, जब तक अधिवेशन अन्यथा निश्चित न करे अधिवेशन में विचार किया जायगा और उसका निस्तारण किया जायगा ।

[1][निगम] के अधिवेशनों में बहुमत द्वारा निर्णय

92–(1) [1][निगम] अथवा उसकी किसी समिति द्वारा निर्णय के लिए अपेक्षित समस्त विषय, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित व्यवस्था को छोड़ कर, अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

[4][* * *]

[4][* * *]

(2) समस्त अधिवेशन में मत हाथ उठा कर दिये जायंगे कि [1][निगम] द्वारा बनायी जाने वाली उपविधियों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि कोई प्रश्न अथवा प्रश्न–वर्ग, जो निर्दिष्ट किया जाय, गूढ़ शलाका (secret ballot) द्वारा निर्णीत किया जायेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1982 की धारा 9 प्रतिबन्ध द्वारा निकाला गया ।

(3) अधिवेशन में, जब तक उपस्थित सदस्यों की कम से कम एक–चौथाई संख्या द्वारा मतदान की मांग नहीं की जाती, ऐसे अधिवेशन अधिष्ठाता द्वारा की गयी इस आशय की कोई घोषणा कि संकल्प मान लिया गया अथवा गिर गया है और कार्यवाही विवरण में इसी आशय की प्रविष्टि, बिना प्रमाण के कि इस संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में प्राप्त कितने मत अभिलिखित है अथवा मतों का कौन–सा अनुपात अभिलिखित हुआ है, इस अधिनियम प्रयोजनों के लिए एतदर्थ निश्चायक साक्ष्य होगी ।

(4) यदि किसी अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की कम से कम एक चौथाई संख्या मतदान की मांग करे तो अधिष्ठाता के आदेशों के अनुसार उपस्थित सदस्यों के, जो मत देना चाहे, मत लिये जायंगे और ऐसे मतदान का परिणाम उस अधिवेशन में [1][निगम] का संकल्प समझा जायगा ।

[1][निगम] तथा कार्यकारिणी समिति आदि के अधिवेशन का स्थगन

93–[1][निगम] अथवा धारा 89 में उल्लिखित किसी समिति के किसी अधिवेशन का, जिसमें गणपर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या उपस्थित हो, अधिष्ठाता उपस्थित सदस्योंके बहुमत की सहमति से समय–समय पर अधिवेशन को स्थगित कर सकता है ।

अधिवेशनों के अधिष्ठाता (Presiding Officer)

94–(1) [2][महापौर] और उसकी अनुपस्थिति में [3][***], [1][निगम] के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) किसी समिति के सभापति की अनुपस्थिति में उस समिति का उप–सभापति समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) [1][निगम] की दशा में [2][महापौर] तथा [3][***] और धारा 83 में उल्लिखित किसी समिति की दशा में सभापति और उप–सभापति की अनुपस्थिति में, किसी अधिवेशन में, उपस्थित सदस्यगण अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से ही किसी सदस्य का निर्वाचन करेंगे ।

(4) धारा 17 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, [1][निगम] अथवा किसी समिति के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति यथास्थिति [1][निगम] अथवा समितियों के समक्ष किसी प्रस्ताव पर अपना मत दे सकता है ओर मतों की समानता की दशा में एक निर्णायक मत भी दे सकता है ।

विशेष समितियां तथा संयुक्त समितियां

95–(1) [1][निगम] अपने अधिकारों, कर्तव्यों अथवा कृत्यों से संसक्त किसी मामले की जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन (report) देने के लिये विशेष संकल्प द्वारा समय–समय पर एक विशेष समिति का संगठन कर सकती है, जो ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से, यदि कोई हो, मिल कर बनेगी जिन्हें वह एतदर्थ योग्य समझे । विशेष समिति के प्रत्येक सदस्य को समिति में बोलने तथा उसमें अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु किसी भी व्यक्ति को, जो [1][निगम] का सदस्य नहीं है, समिति के किसी अधिवेशन में मत देने का अधिकार न होगा ।

(2) [1][निगम] धारा 5 में उल्लिखित समितियों से किसी दो अथवा दो से अधिक समितियों की ऐसे मामलों के लिये, जिनमें इन समितियों का संयुक्त हित हो, संकल्प द्वारा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।

समय–समय पर एक संयुक्त समिति की स्थापना कर सकती है ।

(3) प्रत्येक विशेष समिति अथवा संयुक्त समिति ऐसे समसत आदेशों का पालन करेगी जो [1][निगम] द्वारा समय–समय पर उसे दिये जायें ।

(4) [1][निगम] किसी भी समय किसी विशेष समिति अिवा संयुक्त समिति को विघटित (dissolve) अथवा उसके विधान को परिवर्तित कर सकती है अथवा किसी विशेष समिति को प्रतिनिधानित कोई अधिकार, कर्त्तव्य अथवा कृत्य उससे वापस ले सकती है ।

(5) प्रत्येक विशेष समिति तथा संयुक्त समिति अपने मे से किसी एक सदस्य को सभापति नियुक्त करेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [1][निगम] का कोई भी सदस्य एक से अधिक विशेष समितियों अथवा संयुक्त समितियों का सभापति न हो सकेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी समिति का सभापति नियुक्त न किया जायेगा जो [1][निगम] का सदस्य न हो ।

(6) किसी विशेष समिति अथवा संयुक्त समिति के अधिवेशन में सभापति की अनुपस्थिति में उस समिति के सदस्य अधिवेशन को अध्यक्षता करने के लिए अपने मे ंसे एक सदस्य चुनेंगे किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो [1][निगम] का सदस्य नहीं होगा इस पद के लिए नहीं चुना जायगा ।

(7) किसी विशेष समिति का प्रतिवेदन (Report) यथाशक्य शीघ्र [1][निगम] के समक्ष रखा जायेगा और तत्पश्चात् [1][निगम] उसके संबंध में ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह उचित समझे अथवा उसे ऐसी अन्य जांच–पड़ताल करने तथा ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निमित्त, जिसके लिए वह आदेश दे, विशेष समिति को वापस भेज सकती है ।

अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य–सम्पादन

96–(1) [1][निगम] समय–समय पर निम्नलिखित के लिये छावनी के प्राधिकारी अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी (Cantonment authority) अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय (combination) के साथ मिल कर कार्य कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, ऐसा कार्य अवश्य करेगी––

(क) किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जिसमें उपर्युक्त सभी प्राधिकारियों का संयुक्त हित हो, उनके अपने–अपने निकायों में से एक संयुक्त समिति की स्थापना तथा ऐसी समिति के सभापति की नियुक्ति ;

(ख) उक्त समिति को ऐसे निबन्धनों (terms) के, जो किसी संयुक्त कार्य के निर्माण और उसके भावी संधारण (maintenance) के सम्बन्ध में ऐसे प्रत्येक निकाय के लिये बन्धनकारी (binding) हों, बनाने का अधिकार और अन्य ऐसा अधिकार प्रतिनिधानित करना जो इन निकायों द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता हो ; और

(ग) किसी ऐसे प्रयोजन के लिये, जिसके हेतु समिति की नियुक्ति की गयी है, ऐसी किसी समिति की कार्यवाहियों का विनियमन करने के निमित्त उपविधियां बनाना और उनमें संशोधन करना ।

(2) यदि किसी मामले के सम्बन्ध में [1][निगम] ने उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करने की प्रार्थना की हो और उस अन्य स्थानीय प्राधिकारी ने सहमत होने से इन्कार कर दिया हो तो राज्य सरकार पूर्वोक्त मामले में छावनी प्राधिकारी से भिन्न उस अन्य प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करने के लिये ऐसी

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

आज्ञा जारी कर सकती है, जिसे वह उचित समझे, तथा उक्त अन्य प्राधिकारी उस आज्ञा का पालन करेगा ।

(3) यदि [1][निगम] तथा उक्त किसी अन्य प्राधिकारी के मध्य, जो इस धारा के अधीन [1][निगम] से मिल गयी हो, कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय तो उसे राज्य सरकार को भेज दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम और बन्धनकारी होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध प्राधिकारी कोई छावनी प्राधिकारी हो तो उस पर उक्त निर्णय तब तक बन्धनकारी न होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार उसकी पुष्टि न करे ।

(4) [1][निगम] छावनी प्राधिकारी अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के साथ इन प्राधिकारियों की ओर से स्वयं चुंगी (octroi) अथवा सीमाकर (terminal tax) अथवा पथकर (tolls) लगाने के लिए समय–समय पर करार कर सकती है और ऐसी दशा में लगाये गये करों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो नगर का क्षेत्र इतना बढ़ा दिया गया हो कि उसके अन्तर्गत वे क्षेत्र आते हों जो ऐसे प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के नियंत्रण के अधीन हों ।

(5) [1][निगम] जिन निबन्धनों (terms) पर उपधारा (1) अथवा उपधारा (4) के अधीन किसी छावनी प्राधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा इन प्राधिकारियों के समवाय के साथ सम्मिलित होने का विचार कर वे लिखित रूप में रखे जायेंगे तथा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन होंगे ।

(6) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन उपधारा (5) में उल्लिखित निबन्धन समस्त सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों की सहमति से परिवर्तित अथवा विखंडित (rescind) किये जा सकते हैं, और इस प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा विखंडन ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जो परस्पर निश्चित कर लिया जाये तथा पूर्वोक्त स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाये ।

उप–समितियां

97–कार्यकारिणी समिति, [2][विकास समिति, कक्ष समिति] धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन नियुक्त कोई समिति, अथवा कोई संयुक्त समिति किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जिसके संबंध में उसे कार्यवाही करने का अधिकार हो और जो उसके मतानुसार अधिक उपयोगी ढंग पर किसी उप–समिति द्वारा पूरा किया जा सकता हो, एक अथवा एकाधिक उपसमितियों की नियुक्ति कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई उप–समिति ऐसे अधिकारों का उपयोग तथा ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगी जो उस नियुक्त करने वाली समिति समय–समय पर उसे प्रतिनिधानित करे, अथवा दे ।

प्रश्न करने का अधिकार

98–नियमों द्वारा विहित शर्तो के अधीन रहते हुए कोई [3] [पार्षद] अथवा [4][* * *] इस अधिनियम की कार्यान्विति अथवा नगर के [1][निगम] शासन से सम्बद्ध किसी विषय पर प्रश्न कर सकता है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 25 द्वारा निकाला गया ।

अन्य समितियों के अधिवेशनों में किसी समिति के सभापति की उपस्थिति

99–[1][महापौर] की अनुमति से [2][निगम] की किसी समिति का कोई सभापति [2][निगम] की किसी अन्य समिति के अधिवेशन में उपस्थित रह सकता है तथा उसमें भाषण कर सकता है परन्तु इस धारा के कारण वह उस समिति में मतदान कर अधिकारी न होगा।

[1][महापौर] तथा [1][***] के पदों की रिक्ति

100–जब कभी [1][महापौर] तथा [3][***] दोनो के पद रिक्त हों तो [1][नगर आयुक्त] ऐसे आदेशों (directions) के अधीन रहते हुये, जो विहित अधिकारी एतदर्थ दे, [1][महापौर] अथवा [3][***] के निर्वाचित होने तक [1][महापौर] के नैत्यिक (routine) कर्तव्यों का पालन करेगा ।

अधिवेशनों में [1][नगर आयुक्त] तथा अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति

101–(1) [1][नगर आयुक्त] को [2][निगम] के अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत संगठित किसी समिति, उपसमिति, संयुक्त समिति अथवा विशेष समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा वहां होने वाली चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा तथा वह पीठासीन अधिकारी की अनुमति से किसी भी समय कोई वक्तव्य अथवा वस्तुस्थिति संबंधी कोई स्पष्टीकरण दे सकता है, परन्तु उसे उस अधिवेशन में मत देने अथवा कोई प्रस्ताव (proposition) प्रस्तुत करने का अधिकार न होगा ।

(2) [2][निगम] अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई समिति, विशेष समिति, संयुक्त समिति अथवा उप समिति [2][निगम] के किसी भी पदाधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह उसके किसी ऐसे अधिवेशन मे ंउपस्थित हों, जहां किसी ऐसे विषय पर चर्चा हो रहा हो जिस पर उस पदाधिकारी ने अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुये कोई कार्यवाही की हो और यदि किसी पदाधिकारी को ऐसे किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के आदेश मिलते है तो यथास्थिति [2][निगम] समिति, विशेष समिति, संयुक्त समिति अथवा उपसमिति की अपेक्षानुसार उससे कोई वक्तव्य देने अथवा वस्तुस्थिति का स्पष्टीकरण करने अथवा किसी विषय से, जिस पर उसने कार्यवाही की है, समबद्ध किसी ऐसी सूचना को प्रकट करने के लिये जो उसके पास हो, अनुरोध किया जा सकता है ।

(3) किसी भी ऐसे पदाधिकारी को, जिसे राज्य सरकार ने विशेष रूप से एतदर्थ प्राधिकृत किया हो, [2][निगम] के अधिवेशन मे ंउपस्थित रहने तथा उसमें किसी ऐसे विषय पर भाषण देने का अधिकार होगा, जिसका प्रभाव उसे विभाग पर पड़ता हो अथवा जिसके संबंध में उसे विशेष ज्ञान हो ।

(4) [2][निगम] राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह किसी सरकारी विभाग के अध्यक्ष अथवा उस विभाग के किसी अन्य अधिकारी को [2][निगम] के अधिवेशन में उपस्थित होने का निदेश दे ।

[1][निगम], कार्य–कारिणी समिति इत्यादि की कार्यवाहियां

102–[2][निगम], कार्यकारिणी समिति, [4][विकास समिति, कक्ष समिति] तथा अन्य सभी समितियों व उप–समितियों का अधिवेशन तथा उसके समक्ष आये हुये कार्यो का सम्पादन और निस्तारण [2][निगम] द्वारा बनायी गयी उपविधियों द्वारा विहित रीति से किया जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।

इस अध्याय के अधीन निर्मित उपविधियां

103–(1) इस अधिनियम के उपबंधों से संगत तथा उनके अधीन रहते हुये [1][निगम] अपने और कार्यकारिणी समिति, [2][विकास समिति, कक्ष समिति] तथा ऐसी समितियों, जिनका निर्माण धारा 5 के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत हुआ हो, विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उपसमितियों के अधिवेशनों का आयोजन तथा उन अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यो का विनियमन करने के लिये उपविधियां बना सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है ––

(1) [1][निगम], समितियों और उप–समितियों के अधिवेशनों का समय तथा स्थान;

(2) रीति, जिससे ऐसे अधिवेशनों को सूचना दी जायेगी ;

(3) उक्त अधिवेशनों का प्रबन्ध तथा स्थगन और उनमें व्यवस्थित रूप से कार्य–सम्पादन का विनियमन, जिसके अन्तर्गत शांति भंग करने के दोषी (guilty of disorderly conduct) सदस्य को निकालना (withdrawal) अथवा उन्हें निलम्बित करना (suspension) भी है ;

(4) [1][निगम], समिति अथवा उपसमिति के अधिवेशनों की प्रक्रिया (procedure);

(5) विवरण पुस्तिका (minute book) तथा [1][निगम], समितियों तथा उप–समितियों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना ;

(6) कार्यवाहियों के विवरणों तथा प्रतिवेदनों की जांच और शुल्क अदा करने पर अथवा अन्य प्रकार से उनकी प्रतियां सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों को देना ;

(7) समितियों ओर उप–समितियों का संगठन ;

(8) किसी उप–समिति को नियुक्त करने वाली समिति के समक्ष उप–समिति के निर्णयों की अपील ;

(9) प्रश्न पूछने के अधिकारों से सम्बद्ध शर्ते तथा ऐसे प्रश्नों के उत्तर ।

(3) इस धारा के अधीन निर्मित उपविधियां धाराओं 542, 543, 544, 546, 547 तथा 549 के अधीन होंगे ।

रिक्ति आदि के कारण कार्यवाहियां अमान्य न समझी जायेंगी

104–(1) [1][निगम] अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति अथवा उपसमिति का कोई कार्य अथवा उसकी कार्यवाही इस कारण कि उसमें कोई रिक्ति थी, न तो अमान्य ही होगी और न उस पर आपत्ति ही की जायेगी ।

(2) किसी व्यक्ति के, जो [1][पार्षद] [3][* * *] अथवा [4][महापौर] अथवा [5][***] अथवा [1][निगम] के पीठासीन प्राधिकारी (presiding authority) अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति अथवा उपसमिति के सभापति अथवा उप

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।

सभापति अथवा सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है, निर्वाचन अथवा उसकी नियुक्ति संबंधी किसी अनर्हता अथवा त्रुटि के कारण यथास्थिति [1][निगम] अथवा किसी समिति अथवा उप समिति के, जिसमें उक्त व्यक्ति ने भाग लिया है किसी कार्य अथवा कार्यवाही को दोषपूर्ण नहीं समझा जायेगा (deemed to vitiate), किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिन व्यक्तियों ने उक्त कार्य अथवा कार्यवाही में भाग लिया हो उनका बहुमत ऐसा करने का अधिकारी रहा हो ।

(3) जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाय [1][निगम] अथवा किसी समिति अथवा उपसमिति का प्रत्येक अधिवेशन, ऐसी कार्यवाहियों के बारे में जिसका विवरण इस अधिनियम अथवा उपविधियों के अधीन तैयार तथा हस्ताक्षरित (signed) हो चुका हो, यथाविधि आयोजित और किया गया समझा जायेगा तथा अधिवेशन के समस्त सदस्यों के विषय में यह समझा जायेगा कि वे यथाविधि अर्ह रहें है, और यदि वे कार्यवाहियां किसी समिति अथवा उपसमिति की हों तो उस समिति अथवा उपसमिति के विषय में यह समझा जायेगा कि उसका यथाविधि संगठन हुआ था और उसे विवरण पुस्तिका (minute book) में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार था ।

केवल अनियमितता के आधार पर कार्य और कार्यवाहियों पर आपत्ति करने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध

105–इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर, प्रक्रिया में किसी ऐसे दोष अथवा अनियमितता के ही आधार पर, जिससे मूल तत्वों पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जा सकेगी ।

अध्याय 4

पदाधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग

पदों का सृजन

106–(1) ऐसी शर्तो के अधीन, जो विहित की जायें, [1][निगम] अपने कार्यो के संचालनार्थ समय–समय पर निम्नलिखित एक या एक से अधिक पदों का जैसा वह आवश्यक समझे, सृजन कर सकती है ––

(1) [2][उप नगर आयुक्त] ;

(2) [2][सहायक नगर आयुक्त] ;

[3][(3) मुख्य अभियंता ;]

(4) नगर स्वास्थ्य अधिकारी ;

(5) मुख्य नगर लेखा परीक्षक ; और

(6) पदाधिकारियों, कर्मचारी वर्ग तथा अन्य सेवकों के अन्य ऐसे पद जो उसके कृत्यों के कुशल संपादन के निमित्त आवश्यक हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार इस आशय का आदेश देती है कि [1][निगम] किसी पद का सृजन करे तो उसके लिये उस पद का सृजन करना अनिवार्य होगाः

और प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्ध के अधीन सृजित किसी पद की समाप्ति राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना न की जायेगी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वही होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें ।

पदों पर नियुक्ति

107–[1][(1) [2][उप नगर आयुक्त], [2][सहायक नगर आयुक्त], [3][मुख्य अभियन्ता, नगर स्वास्थय अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक और ऐसे अन्य पदों पर, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से की जायगी] अन्य प्रकार से नही :]

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति, जहां तक हो सके सार्वजनिक स्वास्थय विभाग के उन अधिकारियों मे से जिनकी कि राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर भेजना स्वीकार करे, की जायेंगी तथा ऐसी दशा में राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनावश्यक होगा ।

[4][(2) [5][ऐसे पदों पर जिनका वेतनमान उपधारा (3) में निर्दिष्ट पदों के वेतनमान से कम हो] राज्य लोक–सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् विहित रीति से की जायेंगी, अन्य प्रकार से नहीं ।]

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में, जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हों, मुख्य नगर लेखा परीक्षक को ; तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में [2][नगर आयुक्त] को ; होगा ।

(3) उपधारा (1), (2) तथा (5) में उल्लिखित नियुक्तियों को छोड़कर अन्य सब नियुक्तियां उपधारा (4) के अधीन संगठित चुनाव करने वालो समिति की सिफारिशों के अनुसार की जायेंगी, और ऐसी नियुक्तियों का अधिकार––

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हों मुख्य नगर लेखा परीक्षक को ; तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में [2][नगर आयुक्त] को ; होगा ।

(4) उपधारा (3) में उल्लिखित समिति में [2][नगर आयुक्त] या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति, तथा उस विभाग का अध्यक्ष जिसके लिये नियुक्ति करनी हो, होंगे । [2][नगर आयुक्त] तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा एतदर्थ नामोनिर्दिष्ट किया गया सदस्य, चुनाव करने वाले समिति का सभापति होगा :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 11(एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 46(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 11(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 46(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो उल्लिखित समिति बनाई जायेगी उसमें मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा [1][निगम] के दो और पदाधिकारी होंगे जिनको कार्यकारिणी समिति नामोदिष्ट करेगी और इस समिति का सभापति मुख्य नगर लेखा परीक्षक होगा ।

(5) [1][निगम] के इंजीनियरिंग, [2][लोक स्वास्थ्य और निगम के अन्य विभागों कें ऐसे पदों पर, जिनका वेतनमान उपधारा (3) में निर्दिष्ट पदों के वेतनमान से कम हो], नियुक्तियां, [1][निगम] द्वारा एतदर्थ बनायी गयी किन्ही उपविधियों के अधीन रहते हुये, धारा 112 में उल्लिखित सम्बद्ध विभागाध्यक्षों द्वारा की जायेंगी ।

(6) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के बीच मतभेद होने की दशा में [3][नगर आयुक्त] सम्बद्ध मामले को राज्य सरकार को भेज देगा जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

कतिपय पदों पर स्थानापन्न और अस्थायी नियुक्तियां

108–धारा 107 में किसी बात के होते हुये भी उक्त धारा की उपधारा (1), (2) और (3) में उल्लिखित पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियां उन उपधाराओं में निर्दिष्ट नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों द्वारा बिना राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श के अथवा बिना चुनाव करने वाली समिति की सिफारिश प्राप्त किये, की जा सकती है, किन्तु यथास्थिति बिना राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श के अथवा बिना चुनाव करने वाली समिति की सिफारिश के अनुसरण में ऐसी कोई नियुक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं चलेगी और न कोई ऐसी नियुक्ति की जायगी जिसके एक वर्ष से अधिक तक चलते रहने की आशा हो ।

[1][निगम] द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति

[4]**[108–क**–धारा 107 और 108 में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में यथापरिभाषित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और किसी नगर निगम द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय में किसी अध्यापक की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी ; और

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अनुसार मान्यता प्राप्त और किसी नगर निगम द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के अध्यापक या प्रधान की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायगी।

सेवा की शर्ते इत्यादि

109–[1][निगम] के पदाधिकारियों, कर्मचारीवर्ग तथा अन्य सेवकों की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्ते वही होंगी, जिन्हें राज्य सरकार विहित करे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 46(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 1978 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

[2][निगम] के पदाधिकारियों के दंड की व्यवस्था

[1]**[110**–(1) महापालिका के किसी पदाधिकारी या सेवक को, जिस प्राधिकारी द्वारा वह नियुक्त किया गया था उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्यूत न किया जायगा न हटाया जायगा न अन्य प्रकार से दण्डित किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उस पदाधिकारी या सेवक की स्थिति में, जिसे धारा 107 के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्त किया अपेक्षित है, सम्बद्ध प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह किसी ऐसे पदाधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने की आज्ञा देने के पूर्व विहित रीति से आयोग से परामर्श करे।**]**

(2) [2][निगम] के पदाधिकारियों तथा सेवकों को दंडित होने के बाद अपील करने का वह अधिकार प्राप्त रहेगा जो विहित किया जाय ।

राज्य सरकार के नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार

111–यदि धारा 107 में उल्लिखित कोई प्राधिकारी धारा 109 में उल्लिखित अथवा उसके अधीन सृजित किसी पद पर किसी उचित अवधि के भीतर नियुक्ति नहीं करता तो राज्य सरकार उस प्राधिकारी को उचित अवसर देने तथा राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद यदि आवश्यक हो, उस पद पर नियुक्ति कर सकेगी और तत्पश्चात् वह नियुक्ति समस्त प्रयोजनों के लिये संबद्ध प्राधिकारी द्वारा की गयी नियुक्ति समझी जायेगी ।

कतिपय पदाधिकारियों के अधिकार कर्त्तव्य

112–(1) [3][नगर आयुक्त] के नियंत्रण के अधीन रहते हुये [4][[2][अपर नगर आयुक्त], [2][उप नगर आयुक्त]] तथा [2][सहायक नगर आयुक्त], [2][नगर आयुक्त] के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे, जिन्हें [2][नगर आयुक्त] एतदर्थ निर्दिष्ट करे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उसे प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुसरण में [5][[2][अपर नगर आयुक्त]] [2][उप नगर आयुक्त] अथवा [2][सहायक नगर आयुक्त] को उनके द्वारा सम्पादित समस्त कार्य तथा प्रयुक्त समस्त क्षेत्राधिकार सभी प्रयोजनों के लिये [2][नगर आयुक्त] द्वारा संपादित और प्रयुक्त समझे जायेंगे ।

(3) [6][मुख्य अभियन्ता], नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक, तथा अन्य ऐसे पदाधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, [1][निगम] के विभागों के अध्यक्ष कहलायेंगे और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो उन पर इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन, अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधायन के अधीन आरोपित किये गये हों ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 47(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 47 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 47(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

सेवाओं का केन्द्रीयकरण

[1]**[112–क**–[2][(1) धारा 106 से 110 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे पदाधिकारियों और सेवकों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है, जो राज्य की [3][निगमो] के लिये या [3][निगमो], [4][नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों] और जल संस्थानों के लिये सामान्य हों, और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्ते विहित कर सकती है ।]

[5]**[स्पष्टीकरण**– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के कुमायूं और गढ़वाल मण्डलों में समाविष्ट जिलों में नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों या नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, नगर निगमों और जल संस्थानों के लिए सामान्य सेवाएं सृजित की जा सकेगी ।]

[6][(2) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले पदाधिकारियों और सेवाओं तथा धारा 577 के खण्ड (ङङ) के उपखण्ड (1) के अधीन उन पदों के कर्त्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों को भी, यदि वे उपयुक्त पाये जायें, विहित रीति से, अस्थायी या अन्तिम रूप से, सेवा में लिया जा सकता है और अन्य व्यक्तियों की सेवायें विहित रीति से समाप्त हो जायेंगी ।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में, उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की भी व्यवस्था की जा सकती है ।]

[7][प्रतिबन्ध यह है कि सेवा में ऐसे आमेलन से सेवा के किसी सदस्य के विरूद्ध ऐसे आमेलन के दिनांक के पूर्व किये गये किसी कार्य के संबंध में कोई अनुशासन की कार्यवाही करने या जारी रखने में कोई रूकावट न होगी ।]

[8][(4) पूर्ववर्ती उपधारा (1), (2) और (3) में या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विहित दिनांक के पूर्व की गयी अस्थायी और तदर्थ नियुक्तियों को, राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किये बिना विनियमित करने के लिये भी नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है ।]

आवश्यक सेवाएं

[9]**[112–ख**–निम्नलिखित सेवाएं आवश्यक सेवाएं होंगी :––

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 05, 1984 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 48(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 48(ख) परन्तुक द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 1966 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 1983 की धारा 5(क) प्रतिबन्ध द्वारा बढ़ाया गया ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 1983 की धारा 5(ख) प्रतिबन्ध द्वारा बढ़ाया गया ।
9. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।

(क) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ;

(ख) जल–कल एवं यांत्रिक अभियन्त्रण सेवाएं ;

(ग) मेहतर ;

(घ) रोशनी विभाग का कर्मचारी वर्ग ;

(ङ) परिवहन सेवाएं ; और

(च) ऐसी अन्य सेवाएं जो नियमों में निर्दिष्ट की जायें ।]

आवश्यक सेवाओं के सदस्य बिना अनुमति के त्याग–पत्र आदि न देंगे

[1][**112–ग**–आवश्यक सेवा का कोई सदस्य ––

(क) (1) [2][नगर आयुक्त] या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना ; या

(2) बीमारी अथवा ऐसी दुर्घटना के बिना जिससे कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय या ऐसे अन्य कारण के बिना जिसे [2][नगर आयुक्त] अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत पदाधिकारी पर्याप्त समझे ; या

(3) [2][नगर आयुक्त] को तीन महीने का लिखित नोटिस दिये बिना––

न तो अपने पद से त्याग–पत्र देगा, न अपने पद के कर्तव्यों से विलग होगा और न अपने काम पर अनुपस्थित रहेगा ; और

(ख) न अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा और न उन्हें पालन करने से इन्कार करेगा और न जानबूझ कर उनका पालन ऐसी रीति से करेगा जो [2][नगर आयुक्त] या ऐसे अन्य उपर्युक्त पदाधिकारी की राय में अदक्षतापूर्ण हो ।]

आपात की घोषणा करने का राज्य सरकार का अधिकार

[3][**112–घ**–(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि आवश्यक सेवाओं में से किसी के कार्यकलाप के रूक जाने या बन्द हो जाने से नगर के जन–समुदाय की सुरक्षा या स्वास्थ्य अथवा ऐसी सेवाओं को, जो जन–समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक हों, बनाये रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि नगर में आपात विद्यमान है और ऐसी अवधि निर्दिष्ट करेगी जब तक ऐसी घोषणा लागू रहेगी ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन आपात की घोषणा लागू हो, तब ऐसी आवश्यक सेवाओं का, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायें, कोई सदस्य, तत्समय प्रचलित किसी विधि या अनुबन्ध में किसी विपरीत बात के होते हुए भी,

(क) बीमारी या ऐसी दुर्घटना के बिना जिससे कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय, न तो अपने कर्तव्यों से विलग होगा और न अपने काम पर अनुपस्थित रहेगा ; और

(ख) न अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा और न उन्हें पालन करने से इन्कार करेगा और न जान–बूझकर उनका पालन ऐसी रीति से करेगा जो ऐसे पदाधिकारी की राय में जिसे राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे, अदक्षतापूर्ण हो ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।

[1][**112–ङ**–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यपकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगर आयुक्त किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नगर निगम के किसी ऐसे नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी को, जो उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा निषिद्ध किसी हड़ताल पर जाता है या रहता है या अन्य प्रकार से उसमें भाग लेता है, निदेश दे सकता है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय तक और रीति से अपने काम पर उपस्थित हों,

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तद्धीन बनाए नये नियमों में किसी बात के होते हुए भी,––

(क) निगम के साथ किसी नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी का सेवायोजन या उसकी संविदा, यदि कर्मचारी उक्त आदेश की प्रतिक्रिया में अपने काम पर उपस्थित होने में विफल रहता है उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय से शून्य हो जायेगी ।

(ख) जहां खण्ड (क) के अधीन किसी नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी का सेवायोजन या उसकी संविदा शून्य हो जाय, वहां ऐसे कर्मचारी की सेवायें समाप्त हो जायेंगी और ऐसा कर्मचारी सेवाओं की ऐसी समाप्ति के पूर्व किसी नोटिस का हकदार न होगा और ऐसी कार्यवाही के पूर्व किसी अनुशासनिक जाँच की आवश्यकता नहीं होगी ।

(3) विशेषतया, और इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय के पश्चात् नगर निगम किसी ऐसे कर्मचारी के वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(4) नगर आयुक्त, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तद्धीन बनाए गये नियमों और विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्धारित योग्यताधारी किसी व्यक्ति को अस्थायी आधार पर नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा ।]

नियम बनाने का अधिकार

113–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों की प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) [2][निगम] के कार्य–संचालनार्थ सृजित पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें तथा भर्ती की रीति ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 38, 2006 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) धारा 109 की उपधारा (1) के खंड (6) के अधीन सृजित पदाधिकारियों, कर्मचारिवर्ग तथा अन्य सेवकों के पदों के नाम (designaiton) तथा वेतन–क्रम (grade);

(ग) अस्थायी अथवा स्थानापन्न (officiating) रूप से व्यक्तियों की नियुक्ति ;

(घ) पूर्वोक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन, उपलब्धियां और अन्य भत्ते ;

(ङ) [1][निगम] के पदाधिकारियों, कर्मचारीवर्ग और अन्य सेवकों की छुट्टी, दंड व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत पदच्युति अथवा नौकरी से हटाया जाना भी होगा, अपील, अनुशासन संबंधी कार्यवाहियां तथा सेवा की शर्तें ;

(च) पदाधिकारियों को [1][निगम] के विभागाध्यक्षों के रूप में निर्दिष्ट करना [2][और]

[3][(छ) धारा 112–क के अधीन म्युनिसिपल सेवायें सृजित करना तथा उनमें भर्ती करना, वर्तमान पदाधिकारियों तथा सेवकों को उनमें लेना, और ऐसे पदाधिकारियों तथा सेवकों का स्थानान्तरण, छुट्टी, दण्ड, जिसके अन्तर्गत पदच्युति और हटाया जाना भी है, अपील तथा अन्य आनुशासनिक विषय और सेवा की अन्य शर्तें।]

अध्याय 5

[1][निगम] और उसके प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा अधिकार

[1][निगम] के अनिवार्य (obligatory) कर्तव्य

114–[1][निगम] का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि वह निम्नांकित विषयों में से प्रत्येक के लिए किसी भी ऐसे साधन या उपाय (means or measures) द्वारा, जिसका प्रयोग करने या जिसे ग्रहण करने के लिए वह विधिक रूप से (lawfully) सक्षम है, समुचित और पर्याप्त व्यवस्था करे––

(1) उन स्थानों पर, जहां प्राकृतिक सीमा सूचक चिन्ह न हों, इस प्रकार के और उस स्थल (position) पर, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, पर्याप्त संख्या में ऐसे सीमा–सूचक चिन्ह खड़े करना जिनके द्वारा नगर की सीमाओं या उन सीमाओं में किसी परिवर्तन का निर्धारण होता हो ;

(2) [1][निगम] में निहित सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम रखना या उनकी संख्या निश्चित करना या भू–गृहादि पर संख्या लिखवाना ;

(3) मल इत्यादि (sewage), दुर्गन्ध युक्त पदार्थ (offensive matter) और कूड़े–करकट को एकत्रित कराना और हटवाना तथा उसके उपयोग (treatment) और निस्तारण (disposal) की व्यवस्था करना, जिसमें फार्म या फैक्ट्री स्थापित करना और उसका संधारण (maintaining) भी सम्मिलित है ;

(4) नगर की समस्त सार्वजनिक सड़कों और स्थानों की पानी से धुलाई (watering), बुहारी द्वारा उनकी सफाई (scavenging), तथा उन्हें स्वच्छ रखना (cleansing) और वहां से सारा कूड़ा–करकट (sweeping) हटवाना ;

(5) नालियों और जल–निस्सारण निर्माण–कार्यों, सार्वजनिक शौचालयों, नाबदानों (water closets), मूत्रालयों तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं का निर्माण, उनका संधारण और उनकी सफाई (cleansing) ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 13(2) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 13(3) द्वारा बढ़ाया गया ।

(6) [1][निगम] द्वारा अनुमोदित सामान्य व्यवस्था के अनुसार भू–गृहादि के मल इत्यादि (sewage) को प्राप्त करने और उसे [1][निगम] के नियंत्रण के अधीन नालियों में पहुंचाने के उद्देश्य से भू–गृहादि पर या उनके प्रयोग के लिये पात्रों (receptacles) संधायनों, पाइपों तथा अन्य उपकरणों (appliances) का सम्भरण (supply) और उनका निर्माण तथा संधारण ;

(7) समस्त [1][निगम] जलकलों का प्रबन्ध तथा संधारण और ऐसे नये कार्यों का निर्माण या अर्जन (acquisition) जो [2][घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए] पर्याप्त जल–सम्भरण (supply of water) के लिए आवश्यक हों ;

(8) मनुष्यों के उपभोग के लिए प्रयुक्त होने वाले जल को दूषित (polluted) न होने देना और दूषित जल के ऐसे उपभोग को रोकना ;

(9) [1][निगम] में निहित सार्वजनिक सड़कों, [1][निगम] बाजार तथा सार्वजनिक भवनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में रोशनी का प्रबन्ध करना ;

[3][(9–क) पार्किंग स्थलों, बस स्टापों और जन सुविधाओं का निर्माण और उनका संधारण ;]

(10) सार्वजनिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों की, जिनके संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त अथवा इस प्रकार संदिग्ध व्यक्तियों को अलग रख कर उनकी चिकित्सा कर के चिकित्सालय भी सम्मिलित हैं, स्थापना, उनका संधारण या उनकी सहायता करना तथा जनता को चिकित्सा संबंधी सुविधायें देने के लिए अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना ;

(11) संक्रामक, संसर्गजन्य तथा भयानक रोगों की रोकथाम करना और उनके प्रसार को नियंत्रित करना ;

(12) जलान्तक रोगों (anti-rabic diseases) की चिकित्सा की व्यवस्था करना;

(13) बीमारों को ले जाने वाली गाड़ियों (ambulance service) का संधारण ;

(14) सार्वजनिक रूप से टीके लगाने (public vaccination) पद्धति की स्थापना तथा उसका संधारण ;

(15) प्रमुख आंकड़ों (statistics), जिनमें जन्म–मरण आंकड़ें भी है, का पंजीयन (registrations) ;

[4][(16) मातृत्व केन्द्रों और शिशु कल्याण एवं संतति निग्रह सदनों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण और छोटे परिवार के मानक का उन्नयन;]

(17) रोंगों का या खाद्य–पदार्थों मे मिलावट का पता लगाने सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बद्ध खोज कार्यों (research) के निमित्त पानी, खाद्य पदार्थ या भेषजों (drugs) की परीक्षा या विश्लेषण के लिए रासायनिक या जीव विज्ञान संबंधी प्रयोगशालाओं (bacteriologi laboratories) की व्यवस्था, उनका संधारण अथवा प्रबन्ध ;

(18) अस्वास्थ्यकर स्थानों (localities) का पुनरूद्धार (reclamation), हानिकर (noxious) उद्‌भिज (vegetation) का हटाया जाना और सामान्तया समस्त अपदूषणों (nuisance) का समाप्त किया जाना (abatement) ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 49(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 49(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 49(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(19) आपत्तिजनक (offensive) तथा खतरनाक किस्म के व्यापारों, आजीविकाओं (callings) तथा कार्यों (practice) जिसके अन्तर्गत वेश्यावृत्ति भी है, का विनियमन तथा उनको समाप्त किया जाना ;

(20) मृतकों के शव–निस्तारण के स्थानों का संधारण, उन्हें नियत करना तथा उनका विनियमन और उक्त प्रयोजनों के लिये तथा ऐसे शवों का निस्तारण करने के लिये, जिनका कोई न हो, नये स्थानों की व्यवस्था करना या किसी दूसरी संस्था द्वारा उक्त उद्देश्यों के लिए की गई व्यवस्था में यथाशक्ति सहायता देना ;

[1] [(21) सार्वजनिक बाजारों का निर्माण तथा अनुरक्षण और समस्त बाजारों वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन;]

(22) खतरनाक भवनों तथा स्थानों को निरापद (secure) बनाना या हटाना ;

(23) पानी निकालने के बम्बों (hydrants) का संधारण तथा आग लगने पर ऐसी सहायता पहुंचाना जिसके लिये राज्य सरकार सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा समय–समय पर आदेश दे । इस सहायता में आग लगने पर उसे बुझाने के लिये दमकलों (fire brigade) का संधारण या प्रबन्ध और जन–धन की रक्षा भी सम्मिलित है ;

(24) सड़कों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में या पर, उपस्थित अवरोधों (obstructions) तथा बाहर निकले हुए अनियमित भागों (projections) को हटाना ;

(25) प्रारम्भिक (primary) शिक्षा जिसके अन्तर्गत शिशु शिक्षा (nursery education) भी है, के लिये स्कूलों की स्थापना, उनका संधारण तथा उनकी सहायता करना और उनके लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना ;

(26) शरीर संवर्द्धन (physical culture) संबंधी संस्थाओं की स्थापना और उनका संधारण करना या उन्हें सहायता देना ;

(27) पशु–चिकित्सालयों का संधारण या उनके संधारण के लिये अंशदान देना (contributing) ;

(28) कांजीहौजों (cattle pounds) के निर्माण या अर्जन (acquisition) और संधारण ;

(29) सार्वजनिक सड़कों, पुलों, उप–मार्गों (sub-ways), पुलियों–पुलों की ऊंची सड़कों (cause-ways) तथा अन्य ऐसे ही साधनों का निर्माण, संधारण और उनमें परिवर्तन या सुधार करना ;

(30) सड़कों के किनारों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करना तथा उनका संधारण ;

(31) गमनागमन (traffic) का विनियमन तथा गमनागमन चिन्हों (traffic signs) की व्यवस्था करना,

(32) [2][निगम] के सफाई कर्मचारियों (municipal conservancy staff) तथा सब प्रकार के श्रमिक वर्गों के लोगों की, उनके रहने के लिये क्वार्टरों का निर्माण तथा संधारण करके अथवा ऋण देकर निवास व्यवस्था में सहायता करना ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 25, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(33) नगर नियोजन तथा सुधार, जिसमें गन्दी बस्तियों की सफाई, गृह निर्माण योजनाओं को तैयार करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना और नयी सड़कों (streets) का विन्यास (laying out) भी सम्मिलित है ;

[1][(33–क) नगरीय वानिकी और पारिस्थितिकी पहलुओं की वृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण ;]

(34) [2][निगम] में निहित अथवा उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति का संधारण तथा उसके मूल्य में विकास करना ;

[3][(34–क) समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों का संरक्षण ;

(34–ख) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि ;

(34–ग) कांजी हाउस का निर्माण और संधारण और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ;]

(35) [2][निगम] कार्यालय, समस्त सार्वजनिक स्मारकों, खुले स्थानों (open space) तथा अन्य [2][निगम] में निहित सम्पत्ति का संधारण ;

(36) एक बुलेटिन प्रकाशित करना जिसमें [2][निगम] तथा उसकी समितियों की कार्यवाहियों (proceedings) या उन कार्यवाहियों के सार तथा [2][निगम] के कार्यकलापों (activities) की अन्य सूचनायें दी गयी हों ;

(37) सरकारी पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसे विवरण–पत्रों (return statements) तथा ऐसी रिपोर्टों को तैयार और प्रस्तुत करना जिन्हें प्रस्तुत करने के लिये राज्य सरकार [2][निगम] को आदेश दे ; और

(38) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी आभार (obligation) की पूर्ति करना ।

[4][(39) गन्दी बस्ती का सुधार और उन्नयन ;

(40) नगरीय निर्धनता कम करना ;

(41) नगरीय सुख–सुविधाओं तथा सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदान की व्यवस्था करना ।]

[1][निगम] के स्वविवेकानुसार (discretion-nary) कर्त्तव्य

115–[2][निगम] निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये समय–समय पर स्वविवेकानुसार पूर्णतः या अंशतः व्यवस्था कर सकती है ––

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 49(ङ) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 49(च) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 49(छ) द्वारा बढ़ाया गया ।

(1) नगर के भीतर या बाहर, ऐसे व्यक्तियों की देख–भाल के लिये, जो अशक्त (infirm), रूग्ण या असाध्य रूप से रोग–ग्रस्त हों या अंधे, बहरे, गूंगे (mute) या अन्य रूप से असमर्थ (disabled) व्यक्तियों या सुविधा–हीन (handicapped) बच्चों की देख–भाल तथा प्रशिक्षण के लिये, संस्थाओं का, जिनमें पागलखाने, कुष्ठाश्रम, अनाथालय तथा महिला सेवा–आश्रम (rescue house) सम्मिलित हैं, संगठन, संधारण अथवा प्रबन्ध करना ;

(2) गर्भवती या दूध पिलाने वाली (nursing) माताओं या शिशुओं या स्कूली बच्चों के लिय दूध की व्यवस्था करना ;

(3) तैरने के जल–कुण्ड (pools), कपड़ा धोने के सार्वजनिक घर (wash houses), स्नानगृह तथा अन्य संस्थायें जो नदी के किनारों पर स्नान–घाटों के विकास तथा निर्माण के लिये हों ;

(4) नगर निवासियों के लाभार्थ दूध या दूध से बने पदार्थों का सम्भरण (supply), वितरण और वैज्ञानिक निर्माण–क्रिया (processing) के निमित्त नगर में या उसके बाहर दुग्धशालायें (dairies) या फर्म स्थापित करना ;

(5) सार्वजनिक सड़कों या स्थानों मं मनुष्यों के लिये पीने के पानी के फौव्वारे (drinking fountain) अथवा प्याऊ अथवा पानी के बम्बों (standposts) का तथा पशुओं के लिये चरहियों (water troughs) का निर्माण तथा संधारण ;

(6) संगीत तथा अन्य ललित–कलाओं (fine arts) को प्रोत्साहन देना तथा सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक समागम स्थलों (public resorts) पर संगीत की व्यवस्था करना ;

(7) नगर के भीतर तथा बाहर स्थित शिक्षा सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देना ;

(8) [1][* * *] , मूर्ति स्थापना तथा नगर को सुन्दर बनाने की व्यवस्था करना ;

(9) प्रदर्शनी, व्यायाम प्रदर्शन (athletics) या खेल–कूद के समारोहों का आयोजन;

(10) नगर में ठहरने की जगहों (lodging house), शिविर–स्थलों (camping grounds) और विश्राम–गृहों का विनियमन;

(11) प्रेक्षा–गृहों (theatres), विश्राम–गृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण, उनकी स्थापना तथा उनका संधारण ;

(12) वस्तुओं की दुष्प्राप्यता (scarcity) के समय जीवन धारण के लिये आवश्यक वस्तुयें बेचने के निमित्त दुकानों और स्टालों का संगठन तथा संधारण ;

(13) [2] [निगम] के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये निवास–गृहों (dwellings) का निर्माण, उनकी खरीद तथा उनका संधारण ;

(14) [2][निगम] के कर्मचारियों को निर्माण–कार्य के लिये ऐसे निबन्धनों (terms) पर और ऐसी शर्तों के अधीन, जो [2][निगम] द्वारा विहित की जायं, ऋण देना;

(15) [2][निगम] के कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के कल्याणार्थ कोई अन्य कार्य (measures) करना ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 50 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(16) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बिजली या गैस का संभरण (supply) करने के लिए किसी संस्थापन (undertaking) को खरीदना या ऐसे किसी संस्थापन को, जो जनता के सामान्य हितों के लिये हो, चलाना या उसे आर्थिक सहायता देना ;

(17) नगर के भीतर या बाहर व्यक्तियों तथा माल को लाने ले जाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ट्राम्बे, बिना पटरी की ट्रामें या मोटर गाड़ियों द्वारा यातायात की सुविधाओं का निर्माण, उनकी खरीद, उनका संगठन, संधारण या प्रबन्ध ;

(18) धारा 114 के खंड (25) में उल्लिखित शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों को बढ़ावा देना और नगर के भीतर और बाहर स्थित शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देना ;

(19) पुस्ताकालयों, संग्रहालयों और कलात्मक वस्तुओं के संग्रहालयों (art galleries), वनस्पति–विज्ञान विषयक (botanical) या जीव विज्ञान विषयक (zoological) संग्रहालयों (collections) की स्थापना और संधारण या उनको सहायता देना तथा उनके लिए भवनों का खरीदना या बनवाना ;

(20) स्नानागारों (baths), स्नान–घाटों, कपड़ा धोने के घरों (washing places), तालाबों, कुओं, बांधों (dams) तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य कार्यों का निर्माण, उनको स्थापना, उनका संधारण या उनके संधारण के लिये अंशदान देना ;

(21) अशक्तों के लिए सेवाश्रमों (infirmaries) या पशुओं के लिए चिकित्सालयों का निर्माण तथा संधारण ;

(22) ऐसे पशु–पक्षियों को, जिनके कारण अपदूषण (nuisance) पैदा होता हो, या हानिकर कीड़ें–मकोड़े (vermins) को नष्ट कराना तथा छुट्टे (stray) या लावारिस कुत्तों को पकड़ कर बन्द करना (confinement) या उन्हें नष्ट करना ;

(23) नगर के भीतर पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ (relief) अथवा लोक कल्याणार्थ स्थापित किसी सार्वजनिक निधि में अंशदान देना ;

(24) अभिनन्दन–पत्र (civic address) प्रदान करना तथा स्वागत करना ;

(25) पशुचर भूमियों का अर्जन तथा संधारण और प्रजनन के लिए पशुओं के बाड़ों (breeding stud) की स्थापना तथा उनका संधारण ;

(26) निवास गृहों (dwellings) की व्यवस्था करने में या गृह निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित करने में अभिरूचि रखने वाले किसी व्यक्ति, समिति (society) या संस्था को ऋण या अन्य प्रकार की सुविधाएं देना ;

(27) गरीबों की सहायता (poor relief) की व्यवस्था करना ;

(28) गौशालाओं और किराये की गाड़ियों (hackney carriages or carts) में प्रयुक्त होने वाले घोड़ों, टट्टुओं (ponies) और पशुओं के लिये आरोग्यकर पशुशालाओं (stables) का निर्माण, क्रय तथा संधारण ;

(29) भवनों या भूमियों का सर्वेक्षण (survey) ;

(30) किसी ऐसी आपदा के, जिसका प्रभाव नगर की जनता पर पड़ता हो, निवारणार्थ सहायता कार्यों की व्यवस्था करना ;

(31) धारा 114 में या इस धारा के अन्य खंडों में निर्दिष्ट उपायों से भिन्न अन्य उपाय करना जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधाओं में विकास होने की संभावना हो ;

(32) बजट में धनराशि की व्यवस्था होने पर नगर में किसी सार्वजनिक समारोह (ceremony) या मनोरंजन (entertainment) के निमित्त अंशदान देना ;

(33) पर्यटक–कार्यालय (tourist bureau) की स्थापना तथा संधारण ;

(34) [1][निगम] के कार्य के लिए तथा फालतू समय में मूल्य (charges) लेकर निजी कामों के लिए प्रेस और कारखाना (workshop) स्थापित करना तथा उसका संधारण ;

(35) विष्टा (nightsoil) और कूड़ा–करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने का प्रबन्ध करना ;

(36) व्यापार तथा उद्योग की उन्नति के उपायों की व्यवस्था करना तथा [1][निगम] बैंक की स्थापना करना ;

(37) अपने कर्मचारियों के लिये श्रम–हितकारी केन्द्रों की स्थापना करना और ऐसे कर्मचारियों के किसी संगठन (association), यूनियन या क्लब की सामान्य प्रगति के लिये अनुदान अथवा ऋण देकर उसके कार्यकलापों (activities) में आर्थिक सहायता देना ;

(38) [1][निगम] यूनियनों को संगठित करना और उन्हें अंशदान देना ;

(39) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ें वर्गों की समाजिक निर्योग्यताओं (disabilities) को दूर करने की व्यवस्था करना ;

(40) भिक्षावृत्ति के नियंत्रण तथा निवारण के लिये कार्यवाही करना ;

(41) राज्य सरकार को पूर्व–स्वीकृति से पुलिस के ऐसे कर्त्तव्यों का, जो विहित किये जायें, भार–ग्रहण करने और ऐसी रीति से जो विहित की जायं, उनका निर्वहन करने के लिए [1][निगम] के पुलिस दल (force) की स्थापना तथा संधारण ;

(42) राज्य सरकार की पूर्व–स्वीकृति से किसी ऐसे व्यावसायिक कार्य का भार ग्रहण करना जिसका उद्‌देश्य सुख–सुविधा (amenity) या रोजगार की व्यवस्था करना या उसमें वृद्धि करना अथवा बेकारी को दूर करना हो ;

(43) कोई ऐसा कार्य जिस पर किये गये व्यय के संबंध में राज्य सरकार, या राज्य सरकार की स्वीकृति से [1][निगम] यह घोषित करे कि यह [1][निगम] निधि पर उपयुक्त रूप से भारित (appropriate charge) है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी एक [1][निगम] या समस्त [1][निगमों] के संबंध में यह घोषणा कर सकती है कि इस धारा में उल्लिखित कृत्यों में से कोई कृत्य को सम्पन्न करना सम्बद्ध [1][निगम] या [1][निगमों] का कर्त्तव्य होगा और तदुपरान्त इस अधिनियम के उपबन्ध उस सम्बन्ध में इस प्रकार लागू होंगे मानों वह धारा 114 द्वारा आरोपित कोई कर्त्तव्य हो ।

[1][निगम] प्राधिकारियों में कृत्यों का विभाजन

116–(1) विभिन्न [1][निगम] प्राधिकारियों के कृत्य क्रमशः वे ही होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विशिष्ट रूप से विहित किये जायें ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यदि ऐसा कोई संशय (doubt) या विवाद (dispute) उत्पन्न हो कि अमुक कृत्य किस [1][निगम] प्राधिकारी विशेष का कृत्य है, तो [2][नगर आयुक्त] संशय या विवाद को राज्य सरकार को प्रतिप्रेषित कर सकता है या यदि [2][महापौर] ऐसा आदेश दे तो वह उसे राज्य सरकार को प्रतिप्रेषित करेगा । इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और उसके बारे में किसी न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी ।

[1][निगम] प्राधिकारियों के कृत्य

117–(1) उस दशा को छोड़कर जब कि इस अधिनियम में स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था की गयी हो, नगर का [1][निगम] प्रशासन (municipal administration) [1][निगम] में निहित होगा ।

[3][(1–क) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर प्रत्येक कक्ष समिति में, उस क्षेत्र के संबंध में जिसके लिए उसको संगठित किया गया है, निगम की ओर से ऐसी शक्तियां और कृत्य निहित होंगे, जिन्हें नियमों द्वारा विहित किया जाय ।]

(2) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर, नगर के [1][निगम] प्रशासन (municipal administration) का अधीक्षण (superintendence) [1][निगम] के लिये और उसकी ओर से कार्यकारिणी समिति में निहित होगा ।

(3) विकास समिति (Development Committee) अध्याय 14 में उल्लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी और उसे उक्त अध्याय में उल्लिखित अधिकार प्राप्त होंगे ।

(4) धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त समिति के कृत्य और अधिकार वही होंगे जो उसे राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से [1][निगम] द्वारा सौंपे जायं ।

(5) जब कभी इसमें आगे स्पष्टतः ऐसा निर्देश किया गया हो, यथास्थिति [1][निगम] या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुए तथा इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित अन्य समस्त प्रतिबन्धों, परिसीमाओं तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ कार्यपालिका के अधिकार (executive powers) [2][नगर आयुक्त] में निहित होंगे, जो उन समस्त कर्त्तव्यों का पालन तथा उन समस्त अधिकारों का प्रयोग भी करेगा जो विशिष्ट रूप से उस पर आरोपित किये गये हो या उसे दिये गये हों ।

(6) उपधारा (5) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना [1][नगर आयुक्त] ––

(क) इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा उनके तुरन्त अधीनस्थ [1][निगम] पदाधिकारियों (officers) और सेवकों (servants) को छोड़कर समस्त [1][निगम] पदाधिकारियों तथा सेवकों के कर्त्तव्य विहित करेगा और उनके कार्यों तथा कार्यवाहियों (proceedings) का निरीक्षण (supervision) और नियंत्रण करेगा और उक्त पदाधिकारियों तथा सेवकों की सेवा तथा विशेषाधिकारों (privileges) और भत्तों से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का निस्तारण करेगा ;

(ख) किसी आपातकाल (emergency) में जनता की सेवा या सुरक्षा के लिये

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 51 द्वारा बढ़ाया गया ।

या [1][निगम] की सम्पत्ति की रक्षा के लिए ऐसी तात्कालिक कार्यवाही (immediate action) करेगा जो आपात को देखते हुए अपेक्षित हो, भले ही ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य [1][निगम] प्राधिकारी या राज्य सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन या प्राधिकार के बिना न की जा सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [2][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति और [1][निगम] को तत्काल उस कार्यवाही की सूचना देगा जो उसने की है और साथ ही उसे ऐसी कार्यवाही करने के कारण भी बतायेगा, [2][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति को यह भी सूचित करेगा कि ऐसी कार्यवाही के फलस्वरूप उस पर कितना धन, यदि कोई हो, जिसकी बजट अनुदान में व्यवस्था नहीं है, खर्च हुआ है अथवा खर्च होने की संभावना है:

और प्रतिबन्ध यह भी है कि [2][नगर आयुक्त] इस खंड के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग न करेगा यदि उस कार्य विशेष को करने में बजट अनुदान के अतिरिक्त किसी ऐसी धनराशि के व्यय होने की संभावना हो, जो––

(क) 10,000 रू० से या जब उस कार्य के लिए [2][महापौर] की सहमति प्राप्त हो तो 20,000 रू० से अधिक हो, या

(ख) संबद्ध वित्तीय वर्ष में इस खंड के अधीन बजट अनुदान से अधिक पहले से ही व्यय हो चुकी किसी धनराशि के सहित 50,000 रू० से या जब उस कार्यवाही के लिए [2][महापौर] की सहमति प्राप्त हो, 1,00,000 रू० से अधिक हो ।

मुख्य नगर लेखा परीक्षक के अधिकार तथा कर्त्तव्य

118–मुख्य नगर लेखा परीक्षक :––

(क) ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जिनके लिये इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निर्देश हो तथा [1][निगम] निधि के लेखों के परीक्षण के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो [1][निगम] अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा उससे अपेक्षित हों,

(ख) कार्यकारिणी समिति द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अधीन रहते हुए अपने तुरन्त अधीनस्थ लेखा परीक्षक तथा सहायक लेखा परीक्षक, लिपिक तथा कर्मचारियों के कर्तव्यों को नियत करेगा, तथा

(ग) कार्यकारिणी समिति की आज्ञाओं के अधीन रहते हुए उक्त लेखा परीक्षकों, सहायक लेखा परीक्षकों, लिपिकों तथा कर्मचारियों का निरीक्षण तथा नियंत्रण करेगा, तथा नियमों के अधीन रहते हुए उक्त लेखा परीक्षकों, सहायक लेखा परीक्षकों, लिपिकों तथा कर्मचारियों की सेवाओं, प्रतिफलों (remuneration) और विशेषाधिकारों से सम्बद्ध समस्त प्रश्न का निस्तारण करेगा ।

कृत्यों का प्रतिनिधान (delegation)

119–(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा इसके अधीन बने नियमों के अधीन रहते हुए तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो [1][निगम] द्वारा निर्दिष्ट किये जायें –

(क) [1][निगम] कार्यकारिणी समिति को या [2][नगर आयुक्त] को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकती है जो अनुसूची 1 के भाग (क) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) कार्यकारिणी समिति [1][नगर आयुक्त] को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगी जो अनुसूची 1 के भाग (ख) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों ;

(ग) विकास समिति (development Committee) [1][नगर आयुक्त] को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों में से किन्हीं ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगी, जो अनुसूची 1 के भाग (ग) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों ;

(घ) [1][नगर आयुक्त] किसी [2][निगम] कर्मचारी को अपने कृत्यों में से किसी ऐसे कृत्यों को प्रतिनिधानित कर सकेगा जो अनुसूची 1 के भाग (घ) में निर्दिष्ट कृत्यों से भिन्न हों :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार समय–समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा अनुसूची 1 के भाग क, भाग ख, भाग ग अथवा भाग घ में उल्लिखित किसी कृत्य को प्रत्यनिधान्य कृत्य के रूप में, अथवा ऐसे किसी कृत्य को जिसका उसमें उल्लेख नहीं है अप्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में घोषित कर सकती है ; तथा इस प्रकार की घोषणा के उपरान्त वह उपर्युक्त कृत्य जैसी भी स्थिति हो प्रतिनिधानित किया जा सकेगा अथवा प्रतिनिधान्य कृत्य के रूप में न रह जायगा मानों अनुसूची 1 में उसका कोई उल्लेख नहीं है अथवा उक्त सूची में उसका उल्लेख है ।

(2) यदि [1][नगर आयुक्त] द्वारा कृत्यों को प्रतिनिधानित किया जाय, तो उस आज्ञा की, जिसके द्वारा प्रतिनिधान किया जाये, एक प्रति कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ रखी जायगी ।

(3) [1][नगर आयुक्त] द्वारा इस अधिनियम की इस धारा के अधीन उसके किसी कृत्य का प्रतिनिधान (delegation) होते हुए भी [1][नगर आयुक्त] उक्त कृत्य के यथाविधि सम्पादन के लिये उत्तरदायी बना रहेगा ।

[1][नगर आयुक्त] द्वारा अन्य विधियों के अधीन [1][निगम] के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन

120–(1) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा [2][निगम] को दिये गये, उस पर आरोपित किये गये या उसमें निहित कोई भी अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य ऐसी विधि के उपबन्धों तथा ऐसे प्रतिबन्धों, सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो [2][निगम] द्वारा आरोपित की जायं, [1][नगर आयुक्त] द्वारा प्रयुक्त, सम्पादित या निर्वहित किये जायंगे ।

(2) [1][नगर आयुक्त] इस सम्बन्ध में किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए, लिखित आज्ञा द्वारा, जिसकी एक प्रति सूचनार्थ कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी जायगी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक से भिन्न किसी भी [2][निगम] पदाधिकारी को [1][नगर आयुक्त] के नियंत्रणाधीन किसी अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य को, अपने पुनरीक्षण तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, प्रयोग, सम्पादन तथा निर्वहन करने का अधिकार दे सकता है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][निगम] कार्यकारिणी समिति के कार्य

121–[1][निगम] किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन बनी किसी समिति या उप–समिति की कार्यवाहियों के अवतरण मंगा सकती है और वह किसी ऐसे विषय से सम्बद्ध या संसक्त विवरणी (return), विवरणी–पत्र, लेखा या रिपोर्ट भी मंगा सकेगी जिसमें कार्यवाही करने के लिये ऐसी समिति या उप–समिति को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिकार प्राप्त हों, और यथास्थिति मुख्य नगराधिकारी या उप–समिति द्वारा ऐसी किसी भी अधियाचना (requisition) की पूर्ति अनुचित विलम्ब किये बिना की जायगी ।

[1][नगर आयुक्त] से लेख्य विवरणी तथा प्रतिवेदन आदि प्रस्तुत कराने के सम्बन्ध में [1][निगम] के अधिकार

122–(1) [1][निगम] अथवा कार्यकारिणी समिति किसी भी समय मुख्य नगराधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह ––

(क) किसी ऐसे अभिलेख, पत्र–व्यवहार, योजना (plan) या अन्य लेख्य को प्रस्तुत करे जो [2][नगर आयुक्त] के रूप में उसके कब्जे या नियंत्रण में हो या जो उसके कार्यालय अथवा उसके अधीनस्थ किसी [1][निगम] पदाधिकारी या किसी सेवक के कार्यालय की पत्रावलियों (files) में अभिलिखित हो ;

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन या नगर के स्थानीय प्रशासन विषयक किसी मामले से सम्बद्ध या संसक्त कोई विवरणी (return), योजना, तखमीना, विवरण–पत्र लेखा या आंकड़ें प्रस्तुत करे ;

(ग) इस अधिनियम के प्रशासन या नगर के स्थानीय प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त किसी विषय में स्वयं एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी से एक प्रतिवेदन प्राप्त करके उसे अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करे ।

(2) [2][नगर आयुक्त] ऐसी प्रत्येक अधियाचना (requisition) की पूर्ति करेगा जब तक कि उसके मतानुसार उसकी तत्काल पूर्ति करना, [1][निगम] या जनता के हितों के प्रतिकूल न हों, जिस दशा में वह उक्त आशय की लिखित रूप से घोषणा करेगा और यदि [1][निगम] या कार्यकारिणी समिति द्वारा आदेश दिया जाय तो वह प्रश्न [2][महापौर] को भेज देगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

आवश्यक व्यय के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग [1][निगम] की स्वीकृति के अधीन होगा

123–इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी [1][निगम] प्राधिकारी को दिये गये किसी अधिकार के प्रयोग या उस पर आरोपित किसी ऐसे कर्त्तव्य का सम्पादन, जिसमें कोई व्यय होना हो, उस दशा को छोड़ कर जब कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था हो निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन होगा ––

(क) ऐसे व्यय के लिये, जहां तक उसे उक्त अधिकार के प्रयोग या कर्त्तव्य का पालन से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष में करना है बजाय अनुदान के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी हों, और

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) यदि ऐसे अधिकार का प्रयोग या कर्त्तव्य के पालन में उस वित्तीय वर्ष की किसी अवधि के लिये या उसकी समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय कोई व्यय होना हो, या होने की सम्भावना हो तो ऐसे व्यय के लिए दायित्व ग्रहण करने के पूर्व [1][निगम] की स्वीकृति ले ली गयी हो ।

नियम बनाने का अधिकार

124–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है :––

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) धारा 114 के खंड (1) के अधीन सीमासूचक चिन्हों विवरण तथा स्थल के अनुमोदन की रीति ;

(ख) उन स्थितियों (cases) में जिनके निमित्त उक्त अधिनियम में कोई विशिष्ट व्यवस्था न की गयी हो, धारा 114 और 115 में निर्दिष्ट कर्त्तव्यों के निर्वहन या दायित्वों की पूर्व से सम्बद्ध रीति तथा प्रक्रिया ;

(ग) नगर के स्थानीय प्रशासन की कार्यकारिणी समिति अधीक्षण के अधिकारों से सम्बद्ध प्रक्रिया ;

(घ) वह रीति, जिसके अनुसार [2][नगर आयुक्त] द्वारा कार्यपालिका अधिकारों (executive powers) का प्रयोग किया जायेगा ;

(ङ) धारा 117 की उपधारा (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट नगरपालिका के पदाधिकारियों तथा सेवकों के कर्त्तव्य निरीक्षण (supervision) और नियंत्रण से सम्बद्ध विषय ;

(च) [2][नगर आयुक्त] के अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा सेवकों के कृत्यों के विषय में संशयों (doubts) तथा विवादों का निर्णय ;

(छ) धारा 119 तथा 120 की उपधारा (2) के अधीन [2][नगर आयुक्त] के अधिकारों को किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधानित किये जाने से सम्बद्ध विषय ;

(ज) धारा 120 की उपधारा (2) के अधीन [2][नगर आयुक्त] द्वारा अपने अधिकारों के प्रतिनिधानित करने से सम्बद्ध प्रक्रिया ;

(झ) रीति, जिसके अनुसार धारा 121 और 122 के अधीन कार्यवाहियों (proceedings) या अन्य लेख्यों या पत्रादि (papers) से अवतरण प्रस्तुत किये जाने की अधियाचना की जाय ;

(ञ) ऐसी अधियाचना की पूर्ति विषयक प्रक्रिया ;

(ट) रीति, जिसके अनुसार धारा 122 की उपधारा (1) के अधीन लेख्यों तथा अन्य पत्रादि (papers) को प्रस्तुत करने का प्रश्न अन्तिम रूप से निर्णय के लिये [2][महापौर] को भेजा जायगा ;

(ठ) रीति, जिसके अनुसार धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन [2][नगर आयुक्त] की घोषणा [1][निगम] को प्रेषित की जायगी ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ड) [1] [निगम] या [2] [नगर आयुक्त] का सामान्यतः किसी ऐसे विषय में पथ–प्रदर्शन जो इस अध्याय के अधीन उनके कर्त्तव्यों के पालन, कृत्यों के सम्पादन या अधिकारों के प्रयोग से संसक्त हो ; और

(ढ) ऐसे विषय जो इस अध्याय के अधीन विहित किये जाने वाले हों, या किये जायं ।

अध्याय 6

सम्पत्ति और संविदे

[1][निगम] के सम्पत्ति अर्जित करने और रखने के अधिकार

125–(1) [1][निगम] को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति को या उसमें किसी स्वत्व को अर्जित करने, अपने अधिकार में रखने और उसके निस्तारण (disposal) करने का अधिकार होगा चाहे वह सम्पत्ति नगर की सीमाओं के भीतर स्थित हो या बाहर ।

(2) ऐसी समस्त सम्पत्ति और सम्पत्ति में स्वत्व, जिन्हें [1][निगम] अर्जित किया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और इसके उपबन्धों के अधीन [1][निगम] में निहित होंगे ।

(3) [1][निगम] ऐसी किसी अचल सम्पत्ति को, जो सरकार द्वारा उसको हस्तांतरित की जाये, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिनके अन्तर्गत किसी निर्दिष्ट संभावना की स्थिति के उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा उसका पुनर्ग्रह (resumption) भी है, अपने अधिकार में रखेगा और उसका उपयोग उन प्रयोजनों के लिये किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार हस्तान्तरण करते समय आरोपित या निर्दिष्ट करे ।

कतिपय दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार

126–(1) नियत दिनांक से––

(क) समस्त सम्पत्ति और सम्पत्ति में स्वत्व और नगदी रोकड़ (cash balances) सहित आस्तियां (assets) चाहे वह कहते भी हों, जो उक्त दिनांक से ठीक पहले किसी [3][नगरपालिका परिषद्] इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकार में जो नगर के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिये अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के लिए स्थापित हो, अथवा ऐसे क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनो ही जगह क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित थीं, जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे नगर की [1][निगम] में निहित हो जायेंगी और उसके अधिकार में रहेगी (held) ; और

(ख) पूर्वोक्त [3][नगरपालिका परिषद्], इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी के समस्त अधिकार, दायित्व तथा आभार (obligaitons) चाहे वे किसी संविदा से या अन्य प्रकार से उत्पन्न हुये हों, और जो उक्त दिनांक से तत्काल पूर्व वर्तमान हों ऐसे [1][निगम] के अधिकार, दायित्व तथा आभार हो जायेंगे ।

(2) यदि ऐसा कोई संशय (doubt) या विवाद उत्पन्न हो कि अमुक सम्पत्ति, स्वत्व या आस्ति (asset) उपधारा (1) के अधीन [1][निगम] में निहित हो गयी है या नहीं, अमुक अधिकार, दायित्व या आभार [1][निगम] के अधिकार, दायित्व या आभार हो

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित ।

गये है या नहीं, तो ऐसा संशय या विवाद [1][नगर आयुक्त] द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया जायगा जिसका निर्णय, यदि वह किसी न्यायालय के किसी निर्णय से, अवकांत (supersede) न हो जाय, अंतिम होगा ।

सम्पत्ति के अर्जन को नियमित करने वाले कतिपय उपबन्ध

127–(1) सम्पत्ति के समस्त अर्जन (acquisitions) [2][निगम] की ओर से [1][नगर आयुक्त] द्वारा किये जायेंगे ।

(2) जहां कहीं यह व्यवस्था हो कि [1][नगर आयुक्त] किसी नगर के भीतर या बाहर किसी चल या अचल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति में किसी स्वत्व को अर्जित कर सकेगा अथवा जहां कहीं इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये यह व्यवस्था आवश्यक या इष्टकर हो तो [1][नगर आयुक्त] ऐसी सम्पत्ति को अनुबन्ध (agreement) द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित कर सकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ––

(क) [1][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति के किसी ऐसे संकल्प से बाध्य होगा जिसके द्वारा किसी विशेष मामले के लिये या मामलों के किसी वर्ग के लिये निबन्धन (terms), दरें या अधिकतम मूल्य निश्चित किये जायें,

(ख) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी :––

(1) किसी सम्पत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जित करने में,

(2) किसी अचल सम्पत्ति के विनिमय (exchange) में,

(3) 12 महीनें से अधिक की अवधि के लिये किसी सम्पत्ति को पट्टे पर लेने में, या

(4) किसी आभारयुक्त (burdened by an obligation) सम्पत्ति का कोई दान अथवा रिक्तदाय (bequest) स्वीकार करने में, और

(ग) निम्नलिखित के सम्बन्ध में [2][निगम] की स्वीकृति की आवश्यकता होगी:––

(1) किसी अचल सम्पत्ति को स्वीकार करना या उसे अर्जित करना यदि उस सम्पत्ति का, जिसे स्वीकार करने या अर्जित करने या विनिमय में देने का विचार हो, मूल्य 5,000 रूपये से अधिक हो,

(2) किसी सम्पत्ति को तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पट्टे पर लेना, या

(3) किसी आभारयुक्त सम्पत्ति का कोई दान या रिक्तदाय स्वीकार करना, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 5,000 रू0 से अधिक हो ।

सम्पत्ति बेचने का अधिकार

128–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और उसके तथा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये [2][निगम] को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी किसी भी सम्पत्ति को या उसमें किसी स्वत्व को, जो इस अधिनियम के अधीन [2][निगम] द्वारा अर्जित किया गया हो या उसमें निहित हो, बेचे, किराये पर दे, पट्ठे पर उठाये, उसका विनिमय करे, उसे बन्धक रक्खे, दान में दे या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करे :

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकार द्वारा [1][निगम] को हस्तांतरित की गई कोई भी सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तान्तरण निबन्धनों (terms) के विपरीत किसी रीति से न तो बेची जायगी, न किराये पर दी जायगी, न विनिमय की जायेगी, न बंधक रखी जायेगी, अथवा न किसी प्रकार से ही किसी को हस्तान्तरित की जायेगी (conveyed) ।

[2][(2) किसी नगरीय क्षेत्र में समाज के दुर्बल वर्गो के हितों का सुरक्षित रखने के लिए, राज्य सरकार, किसी नगर निगम में अर्जित या निहित भूमि के सम्बन्ध में ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे ।]

सम्पत्ति के निस्तारण संबंधी उपबन्ध

129–उस सम्पत्ति के निस्तारण के लिये जो कि [1][निगम] की निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात्––

(1) [1][निगम] की सम्पत्ति का प्रत्येक निस्तारण [1][निगम] की ओर से [1][नगर आयुक्त] द्वारा किया जायगा ।

(2) मुख्य नगराधिकारी स्वविवेकानुसार [1][निगम] की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेच कर, किराये पर देकर या अन्य से व्यय न कर सकता है जिसका मूल्य प्रत्येक व्ययन में 5 रूपये से अथवा उस मूल्य से अधिक न हो जिसे [1][निगम] राज्य सरकार के अनुमोदन से समय–समय पर निर्धारित करे, या [1][निगम] की अचल सम्पत्ति का पट्टा, जिसे मछली मारने या फल इकट्ठा करने या लेने या इसी प्रकार का कोई और अधिकार सम्मिलित हो, किसी ऐसी अवधि के लिये दे सकता है जो किसी एक समय में 12 महीने से अधिक न हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह मासिक लगान (month tenancy) का संविदा न हो या उसका वार्षिक लागत 3,000 रू0 से अधिक न होता हो, [3][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति को अचल सम्पत्ति के प्रत्येक पट्टे की सूचना उसके दिये जाने के 15 दिन के अन्दर देगा ।

(3) [3][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति [1][निगम] की किसी ऐसी चल–सम्पत्ति को बेच सकता है किराये पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण कर सकता है जिसका मूल्य 5,000 रूपये से अधिक न और इसी प्रकार की स्वीकृति से [1][निगम] की किसी और सम्पत्ति को जिसके अंतर्गत कोई ऐसा अधिकार भी है जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है, किसी ऐसी अवधि के लिये जो एक साल से अधिक हो पट्टे पर दे सकता है । [1][निगम] की किसी भी ऐसी अचल सम्पत्ति को बेच सकता है या स्थायी रूप से उसे पट्टे पर दे सकता है जिसका मूल्य नजराना (premium) 50,000 रूपये से अधिक न हो जिसका वार्षिक किराया 3,000 रूपये से अधिक न हो ।

(4) [3][नगर आयुक्त] [1][निगम] कि किसी चल या अचल सम्पत्ति को [1][निगम] को स्वीकृति से पट्टे पर दे सकता है या अन्य से उसका हस्तान्तरण कर सकता है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 28, 2009 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(5) उपधारा (5–क) और (5–ख) के यथा व्यवस्थित के सिवाय, [2][निगम] की कोई अचल सम्पत्ति उस दशा के सिवाय जब निम्नलिखित को भूमि बेची जाय, पट्टे पर दी जाय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की जाय, उसके बाजार मूल्य से कम धनराशि पर, न तो बेची जायेंगी, न पट्टे पर दी जायेगी और न अन्य प्रकार से उसको हस्तान्तरण किया जायगा –

(क) कोई परिनियत निकाय ;

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि (जो कृषि, प्रौद्योगिकी या पशु–पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य–पालन तथ कुक्कुट–पालन भी है, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये धृत या अध्यासित न हो) या भवन से, इस अधिनियम के अधीन उसके अनिवार्य रूप से अर्जन किये जाने के कारण, निष्पादित हो और जिसके पास नगर में कोई अन्य भूमि या भवन न हो, या

(ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी को शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्व प्रयोजन के लिये (जिसके अन्तर्गत कोई धर्म कार्य या उसका प्रचार नहीं है और जिसमें धर्म, जाति या जन्म–स्थान के आधार पर लाभार्थियों के संबंध में विभेद नहीं है) :

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भूमि को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की दशा में इस प्रकार दी गई किसी रियायत का मूल्य –

(1) पट्टे की दशा में, वार्षिक किराया मूल्य के आधे से,

(2) किसी अन्य हस्तान्तरण की दशा में, बाजार मूल्य के आधे या दस हजार रुपये से, इसमें जो भी कम हो, अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण–यदि प्रस्तावित रियायती मूल्य के संबंध में अथवा इस संबंध में कोई प्रश्न उठे कि किसी प्रस्तावित हस्तान्तरण का उपर्युक्त के अनुसार कोई शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्व प्रयोजन है या नहीं, तो राज्य सरकार के निर्णय अंतिम होगा।

(5–क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किसी ऋण से [2][निगम] द्वारा बनाया गया कोई गृह या अर्जित भूखण्ड ऐसे ऋण के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार [2][निगम] द्वारा बेचा जा सकता है या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(5–ख) राज्य सरकार की तदर्थ किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, [2][निगम] का कोई गृह या गृह–स्थान, संघ के सशस्त्र सेनाओं के किसी ऐसे सदस्य के पक्ष में, जिसके संबंध में विहित प्राधिकारी ने इंडियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) ऐक्ट, 1925 के अधीन इस बात का प्रमाण–पत्र दिया हो कि वह शत्रु की कार्यवाही से अंगहीन हुआ है, अथवा यदि उक्त विहित प्राधिकारी ने यह प्रमाण–पत्र दिया हो कि शत्रु की कार्यवाही से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसके ऐसे दायादों के पक्ष में जो उसकी मृत्यु के समय उस पर आश्रित थे, निःशुल्क अथवा ऐसी रियायती शर्तो पर जैसा कि [2][निगम] उचित समझे, बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है, या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन कार्य–कारिणी समिति की अथवा [1][निगम] की स्वीकृति सामान्य रूप से (generally) मामलों के किसी वर्ग के लिये या किसी विशेष मामले के लिये विशिष्ट रूप से (specially) दी जा सकती है ।

(7) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध तथा नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजनों के लिये किये गये [1][निगम] की सम्पत्ति के प्रत्येक निस्तारण पर लागू होंगे ।

[2][निगम] के भू–गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966 के अध्याय 7 का लागू किया जाना

[2] [**129–क**–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 के उपबन्ध किसी ऐसे भू–गृहादि के सम्बन्ध में जो [1][निगम] के हों या उसमें निहित हों अथवा [2][निगम] द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित "परिषद् के भू–गृहादि" के सम्बन्ध में लागू होते हों और उसमें परिषद् तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियत विषयों के लिये किये गये अभिदेश क्रमशः [2][निगम] तथा इस अधिनियम के अधीन विहित विषय के लिए किये गये अभिदेश समझे जायेंगे ।]

अचल संपत्ति के अनुबन्ध द्वारा अर्जित न होने की दशा में प्रक्रिया

130–(1) जब कभी [3][नगर आयुक्त] किसी अचल सम्पत्ति को या किसी सुखाधिकार (easement) को, जिसका [1][निगम] में निहित किसी अचल सम्पत्ति से संबंध हो, धारा 127 के अधीन किसी अनुबन्ध (agreement) द्वारा अर्जित करने में असमर्थ हो या जब कभी कोई अचल सम्पत्ति या कोई सुखाधिकार जिसका महापालिका में निहित किसी अचल सम्पत्ति से संबंध हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हो तो राज्य सरकार स्वविवेकानुसार, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से दिये गये मुख्य नगराधिकारी के प्रार्थना–पत्र पर और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये, यह आज्ञा दे सकती है कि उस [1][निगम] की ओर से अर्जित करने के लिये कार्यवाही की जाये मानो वह सम्पत्ति या सुखाधिकार (property or easement) लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 या उस मामले में लागू होने वाली किसी अन्य विधि के आशयान्तर्गत कोई ऐसी भूमि है जिसकी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

(2) जब कभी किसी नयी सड़क की व्यवस्था करने के लिये या किसी वर्तमान सड़क को चौड़ी करने अथवा उसमें सुधार करने के लिये भूमि अर्जित करने के निमित्त उपधारा (1) के अधीन कोई प्रार्थना–पत्र दिया जाय तो [3][नगर आयुक्त] के लिये यह वैध होगा कि वह ऐसी नयी सड़क या वर्तमान सड़क की भूमि से मिली हुई ऐसी अतिरिक्त भूमि को, जो सड़क के दोनो किनारों पर बनायी जाने वाली इमारतों के लिये अपेक्षित हो, प्रार्थना–पत्र दे और ऐसी अतिरिक्त भूमि के संबंध में यह समझा जायगा कि वह भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 22, 1972 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) यह धारा अध्याय 14 के अधीन किसी अर्जन (acquisition) पर लागू नहीं होगी ।

संविदे (contracts) करने का [1][निगम] का अधिकार

131–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये [1][निगम] को ऐसे संविदे करने का अधिकार प्राप्त होगा जो इस अधिनियम के अधीन या इसके किन्हीं प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर हों ।

संविदों के निष्पादित किये जाने से संबद्ध कुछ उपबन्ध

132–(1) धारा 131 में निर्दिष्ट ऐसे सब संविदे, जिनमें अचल सम्पत्ति या उसमें किसी स्वत्व के अर्जन और निस्तारण से संबद्ध संविदे सम्मिलित हैं, जो इस अधिनियम के अधीन [1][निगम] के कार्यो के सम्बन्ध में किये गये हों, [1][निगम] के लिए और उसकी ओर से किये गये व्यक्त किये जायेंगे और उक्त अधिकार का प्रयोग करके किये गये ऐसे सब संविदे तथा संपत्ति संबंधी अधिकार–पत्र (assurances of property) [2][नगर आयुक्त] द्वारा या [1][निगम] के ऐसे अन्य पदाधिकारी द्वारा, जिसे [2][नगर आयुक्त] सामान्यतः या किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग के लिए लिखत रूप में अधिकृत करें, [1][निगम] के लिए और उसकी ओर से निष्पादित किये जायेंगे (executed) ।

(2) किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसा कोई संविदा जिसे [2][नगर आयुक्त] इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार अन्य [1][निगम]–प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना न कर सकता हो, उसके द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि ऐसी स्वीकृति न दे दी गयी हो ।

(3) कोई ऐसा संविदा, जिसमें [3][पन्द्रह लाख रूपये] से अधिक और [3][बीस लाख रूपये] से अनधिक व्यय होना हो, [2][नगर आयुक्त] द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत न हो जाया ।

[4][(3–क) कोई ऐसी संविदा, जिसमें [5][दस लाख रूपये] से अधिक और [5][पन्द्रह लाख रूपये] से अनधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, नगर आयुक्त द्वारा तब तक नहीं की जायगी जब तक कि उसे महापौर द्वारा स्वीकृत न कर दिया जाय ।]

(4) कोई ऐसा संविदा जिसमें [6][बीस लाख रूपये] से अधिक का व्यय होना हो, [2][नगर आयुक्त] द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि वह [1][निगम] द्वारा स्वीकृत न हो जाय ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 6(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 2(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) ऐसे प्रत्येक संविदे की सूचना, जो [1][नगर आयुक्त] द्वारा किया जाय और जिसमें [2][पांच लाख रूपये] से अधिक तथा [2][दस लाख रूपये] से अनधिक का व्यय होना हो संविदे के किये जाने के 15 दिन के भीतर, कार्यकारिणी समिति को दी जायगी ।

(6) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध किसी संविदे के प्रत्येक परिवर्तन तथा निर्वहन (discharge) पर तथा किसी मूल संविदे पर लागू होंगे ।

[3][(7) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, [4][उपधारा (3) या उपधारा (3–क)] या उपधारा (4) या उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं को लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और निगमों की दक्षता को दृष्टि में रखते हुए उपान्तरित कर सकती है ।]

निष्पादन की रीति

133–(1) प्रत्येक ऐसा संविदा जो [1][नगर आयुक्त] द्वारा [5][निगम] की और से किया जाये, ऐसी रीति से और ऐसे रूप (form) में किया जायेगा कि वह उस पर अपनी ओर से किये गये किसी संविदे की भांति ही बन्धनकारी हो और वह उसी भांति ही परिवर्तन या निर्वहन (discharge) किया जा सकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि––

(क) [5][निगम] की सामान्य मुहर ऐसे प्रत्येक संविदे पर लगायी जायेगी जिस पर यदि संविदा साधारण व्यक्तियों के बीच किया जाय, तो उस पर मुहर लगाना आवश्यक होगा ; और

(ख) किसी कार्य के निष्पादन के लिए या किसी सामान या माल के सम्भरण के लिए किया गया प्रत्येक संविदा जिसमें दो हजार पांच सौ रूपये से अधिक का व्यय होना हो, लिखित रूप में होगा और उस पर [5][निगम] को मुहर लगायी जायगी और उसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेंख होगा ––

(1) यथास्थिति किया जाने वाला काम या संभरित (supply) किया जाने वाला सामान या माल ;

(2) ऐसे काम, माल या सामान के लिए दिया जाने वाला मूल्य, और

(3) अवधि, जिसके भीतर उक्त संविदा या उसका कोई निर्दिष्ट भाग कार्यान्वित किया जायेगा ।

(2) [5][निगम] की सामान्य मुहर (common seal) [1][नगर आयुक्त] की अभिरक्षा (custody) में रहेगी, और किसी [5][पार्षद] [6][* * *] की उपस्थिति के बिना, किसी संविदे या दूसरे विलेख (instrument) पर नहीं लगाई जायेगी । [5][पार्षद] या विशिष्ट सदस्य संविदे या विलेख पर अपने हस्ताक्षर करेगा जो इस बात का प्रतीक होगा कि संविदे पर मुहर उसके सामने लगायी गयी है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 2(घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 6(घ) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 2(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 27(क) द्वारा निकाला गया ।

(3) उक्त संविदे और विलेख पर उपर्युक्त [1][पार्षद] [2][* * *] के हस्ताक्षर उस संविदे या लेख के निष्पादन के समय किये गये किसी गवाह के हस्ताक्षर से भिन्न (distinct) होंगे ।

(4) इस धारा में की गई व्यवस्था के अननकूल निष्पादित किया गया कोई संविदा [1][निगम] पर बन्धनकारी (binding) न होगा ।

निर्माण–कार्यों का निष्पादन

134–[1][निगम] मामलों के किसी वर्ग के लिए सामान्य रूप से अथवा किसी विशिष्ट मामले में विशेष रूप से यह निर्णय कर सकती है कि [3][नगर आयुक्त] संविदा द्वारा कार्य (works) का निष्पादन करेगा अथवा अन्य किसी प्रकार से ।

[5][बीस लाख रूपये] से अनधिक के तखमीने

[4]**[135**–(1) [3][नगर आयुक्त] किसी तखमीने की जो कि [5][दस लाख रूपये] से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है ;

[6][* * * *]

[7][(1–क) महापौर किसी तखमीने की जो [8][पन्द्रह लाख रूपये] से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है ;]

(2) कार्यकारिणी समिति किसी तखमीने को जिसकी राशि [9][बीस लाख रूपये] से अधिक न हो, स्वीकृत कर सकती है ।]

[10][(3) राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं की लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और निगम की दक्षता को दृष्टि में रखते हुए, गजट में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित कर सकती है ।]

[11][बीस लाख रूपये] से अधिक के तखमीने

136–(1) यदि किसी कार्य के अथवा कार्यों के समूह के निष्पादन के लिए कोई ऐसी योजना (project) बनायी जाये जिसकी पूरी तखमीनी लागत [11][बीस लाख रूपये] से अधिक हो, तो,–

(क) [3][नगर आयुक्त] तत्संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन (report) जिसके अन्तर्गत ऐसे तखमीने और नक्शे भी होंगे, जो अपेक्षित हों, तैयार करायेगा और उसे कार्यकारिणी समिति को भेजेगा । कार्यकारिणी समिति अपने सुझावों सहित, यदि कोई हों, इस प्रतिवेदन को [1][निगम] के समक्ष रखेगी ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 27(ख) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 54 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 7(ख)(दो) द्वारा निकाला गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 7(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 3(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 3(घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
10. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 3(ङ) द्वारा बढ़ाया गया ।
11. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) [1][निगम] उक्त प्रतिवेदन तथा सुझावों पर विचार करेगी और या तो उस योजना को अस्वीकार कर देगी या उसे पूर्णरूप से, अथवा उसमें परिष्कार (modifications) करने के बाद स्वीकार कर लेगी ।

(2) (क) यदि [1][निगम] उक्त योजना को अनुमोदित कर लेती है और उसकी सम्पूर्ण तखमीनी (estimated) लागत [2][तीस लाख रूपये] से अधिक बैठती है तो, उपर्युक्त परिष्कारों के अधीन रहते हुए, उसका एक प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजा जायेगा ;

(ख) राज्य सरकार या तो उस योजना को अस्वीकार कर देगी अथवा उसे पूर्ण रूप से, अथवा उसमें परिष्कार करने के बाद, स्वीकार कर लेगी ;

(ग) परिष्कारों सहित अथवा रहित राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायगा ;

(घ) उपर्युक्त प्रकार से स्वीकृत योजना में राज्य सरकार के स्वीकृति के बिना कोई महत्वपूर्ण (material) परिवर्तन न किया जायगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 135 में शब्द "तखमीनी" (estimate) से तात्पर्य है समस्त योजना के लिए कुल तखमीनी जिससे समस्त संव्यवहार (transaction), जो मिलकर योजना बनाते है, सम्मिलित है ।

[3][(3) राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं की लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और निगम की दक्षता को दृष्टि में रखते हुए, गजट में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित कर सकती है ।]

कतिपय परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

[4][**136–क**–इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित या विश्व बैंक या किसी अन्य विदेशी संगठन से सहायता प्राप्त करने वाली किसी नगर विकास परियोजना के सम्बन्ध में प्रत्येक संविदा या तखमीना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार तैयार या स्वीकृत किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसी नगर विकास परियोजनाओं के लिए निधियों की स्वीकृति के लिए निगम की बैठक आयोजित करके विनिश्चय किया जायेगा :

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 4(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 2008 की धारा 4(घ) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 56 द्वारा बढ़ाया गया ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि निगम की बैठक प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न आयोजित की जाय या विनिश्चय न किया जाय, तो समझा जायगा कि निगम ने निधि स्वीकृत कर दी है और यदि स्वीकृति करने से इन्कार कर दिया जाय या उपान्तरों सहित स्वीकृति दी जाय तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और निगम पर बाध्यकारी होगा और यह समझा जायगा कि निगम ने तद्नुसार निधि स्वीकृति कर दी है। [1][नगर आयुक्त] तदुपरान्त परियोजना का निष्पादन कर सकता है, निधि व्यय कर सकता है और नियत समय के भीतर परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित करेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि निगम परियोजनाओं का नियमित अनुश्रवण करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा ।]

भूमि के तत्कालीन स्वामी के विरूद्ध समझौते (covenants), प्रवृत्त (enforce) करने के [1][निगम] के अधिकार

137–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई ऐसा समझौता जो उस सम्पत्ति के स्वामी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे [2][निगम] की वह सम्पत्ति बिक्री अथवा विनिमय (exchange) द्वारा हस्तांतरित की गई हो, [2][निगम] के साथ संपन्न किया गया हो––इस बात के होते हुए भी कि किसी ऐसी अचल सम्पत्ति पर, जिसके लाभार्थ वह समझौता हुआ था न तो [2][निगम] का कब्जा ही है और न उसमें उसका कोई हित ही उसी प्रकार और उसी सीमा तक [2][निगम] द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रवर्तनीय (enforceable) होगा, जिसे समझौते के अन्तर्गत स्वामित्व अधिकार मिलते हों मानों [2][निगम] का उस पर कब्जा है अथवा उसका उसमें हित है ।

निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुबन्ध

[3]**[137–क**–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी नगर निगम धारा 114 और धारा 115 में विनिर्दिष्ट अपने कृत्यों के निर्वहन में,––

(क) नगरीय अवसंरचना या सेवाओं की आपूर्ति के लिये नगर निगम की किसी परियोजना को वित्तीय सहायता देने, निर्माता, अनुरक्षण और संचालन के लिए उसके मूल्य पर विचार किये बिना किसी व्यक्ति कम्पनी, फर्म, सोसाइटी, न्यास या कोई निगमित विकास या कोई संस्था या सरकारी अभिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण की भागीदारी द्वारा सेवाओं के आपूर्ति के लिए जिम्मेदारी ली गयी किसी परियोजना को प्रोन्नत कर सकेगा ;

(ख) किसी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, सोसाइटी, न्यास या किसी निगमित निकाय या किसी संस्था या सरकारी अभिकरण या किसी निजी क्षेत्र के भागीदारी अनुबंध के अनुसार या किसी अभिकरण या संयुक्त रूप से ऐसे अभिकरण द्वारा नगरीय अवसंरचना या सेवाओं के सम्बन्ध में जिम्मेदारी ली गयी किसी परियोजना पर विचार करना और अनुमोदित करना, और

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 2009 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अनुबन्ध में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा :––

(क) निर्माण–स्वामित्व–संचालन–अन्तरण अनुबन्ध ;

(ख) निर्माण–स्वामित्व–संचालन–अनुरक्षण अनुबन्ध ;

(ग) निर्माण और अन्तरण अनुबन्ध ;

(घ) निर्माण–पट्टा–अन्तरण अनुबन्ध ;

(ङ) निर्माण अनतरण–संचालन अनुबन्ध ;

(च) पट्टा और प्रबन्धन अनुबन्ध ;

(छ) प्रबन्धन अनुबन्ध ;

(ज) पुनर्वास–संचालन–अन्तरण अनुबन्ध ;

(झ) पुनर्वास–स्वामित्व–संचालन–अनुरक्षण अनुबन्ध ;

(ञ) सेवा संविदा अनुबन्ध; और

(ट) आपूर्ति–संचालन–अन्तरण अनुबन्ध ।

(3) नगरीय अवसंरचना और जल आपूर्ति, जल निष्कासन और मल वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पार्क, क्रीड़ा स्थल, स्वास्थ्य और आरोग्यता, मनोरंजन और सामुदायिक केन्द्रों और अन्य नागरिक सुख–सुविधाएं और सुविधाओं और वाणिज्यिक अवसंरचना की सेवाओं से संबंधित व्यवस्था करने के लिए अपने दायित्वों के निर्वहन में नगर निगम, जहां कहीं लोकहित में सचीचीन समझा जायें,––

(क) अपने किसी दायित्व का निर्वाहन स्वयं ; या

(ख) किसी निजी क्षेत्र, भागीदारी अनुबन्ध को करके ।]

नियम बनाने का अधिकार

138–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकती है ।

(2) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है,–

(क) धारा 126 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन [1][निगम] में निहित होने वाली सम्पत्ति तथा आस्तियां निश्चित करने के लिये प्रक्रिया ;

(ख) धारा 126 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन [1][निगम] के अधिकार, दायित्व और आभार निश्चित करने के लिए प्रक्रिया ;

(ग) [1][निगम] के लिए या उसकी ओर से सम्पत्ति खरीदने या उसे अर्जित करने अथवा [1][निगम] में निहित उसके द्वारा अर्जित सम्पत्ति की बिक्री, उसका पट्टा करने, उसे किराये पर देने उसका विनिमय या निस्तारण करने के लिए सामान्य प्रक्रिया;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) वे निबन्धन (terms) तथा दरें, जिनके अनुसार [1][निगम] के लिए कोई अचल सम्पत्ति खरीदी अथवा किसी अनुबन्ध (agreement) द्वारा अर्जित की जाय ;

(ङ) [1][निगम] के लिए तथा उसकी ओर से किसी सम्पत्ती को अनिवार्य रूप से अर्जित करने के संबंध में हुए खर्चो, उसके लिए दिया गया प्रतिकर (compensation) तथा तत्संबंधी अन्य परिव्यय (charges) का भुगतान ;

(च) संविदे करने के संबंध में प्रक्रिया ;

(छ) रीति जिससे संविदे निष्पादित किये जायं ;

(ज) संविदों के यथावत् संपादन (performance) के लिए मांगी जाने वाली प्रतिभूति ;

(झ) निर्माण–कार्यों के लिए विस्तृत नक्शों और तखमीनों का तैयार और स्वीकृत किया जाना तथा टेंडरों का आमंत्रित किया जाना, उनकी जांच और उनका स्वीकार किया जाना ;

(ञ) निमार्ण–कार्यों का निष्पादन तथा उनकी स्वीकृति की शर्ते ;

(ट) वे विषय जो निर्दिष्ट किये जाने वाले हों या किये जायें ।

[2][अध्याय 6–क

वित्त आयोग

138–क–(1) वित्त आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और राज्यपाल को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा–– **वित्त आयोग**

(क) उन सिद्धान्तों की बाबत जो निम्नलिखित को शासित करेंगे :–

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहेणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसो के शुद्ध आगमों का राज्य और निगमों के बीच वितरण और ऐसे आगमों का निगमों के अंश का आवंटन ;

(दो) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो नगरपालिकाओं समनुदिष्ट या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे ;

(तीन) राज्य की संचित निधि में से निगमों के लिए सहायता अनुदान ;

(ख) निगमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय ;

(ग) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा निगमों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाय ।

(2) राज्यपाल उपधारा (1) के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गयी कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समय रखवायेंगे ।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 57 द्वारा बढ़ाया गया ।

अध्याय 7

[1][निगम] निधि तथा अन्य निधियां

[1][निगम] निधि तथा अन्य निधियों का संगठन

139–(1) प्रत्येक [1][निगम] के लिए एक निधि, जिसे आगे [1][निगम] निधि कहा जायगा, की स्थापना की जायगी ओर इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन, इस निधि में वे सभी धनराशियां जमा की जायेगी जो इस अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि अथवा संविदा के अधीन [1][निगम] द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त हों । इन धनराशियों में निम्नलिखित भी सम्मिलित है,–

(क) [1][निगम] की सम्पत्ति से प्राप्त होने वाला धन ;

(ख) [1][निगम] की सम्पत्ति के किराये ;

(ग) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन लगाये गये समस्त करों अथवा शुल्कों (fees) और जुर्मानों (न्यायालय द्वारा लगाये गये जुर्मानों से भिन्न) से प्राप्त धन;

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रतिकर के रूप में अथवा अपराधों को अभिसंधित (compounding) करने से प्राप्त समस्त धनराशियां ;

(ङ) [1][निगम] के धन के किसी विनिहितकरण (investment) से, अथवा इस धन के सिलसिले में किये गये किसी संव्यवहार (transaction) से, प्राप्त समस्त ब्याज और लाभ ;

(च) [1][निगम] द्वारा अथवा उसकी ओर से सरकार अथवा सार्वजनिक संस्थाओं, निजी संस्थाओं (private bodies) अथवा अन्य व्यक्तियों से अनुदान, दान (gift) अथवा जमा की हुई धनराशि के रूप में समस्त प्राप्त धन [2][जिसमें राज्य की संचित निधि से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है] उन शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसे अनुदान, दान अथवा जमा की हुई राशि पर लगाई जायें ।

(2) [1][निगम] निधि में जमा की जाने वाली समस्त धनराशियां [3][नगर आयुक्त] द्वारा प्राप्त की जायेंगी । [3][नगर आयुक्त] इन धनराशियों को तत्काल स्टेट बैंक आफ इंडिया [4][अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से यू० पी० कोआपरेटिव बैंक या बैंकों में जिन्हें [1][निगम] निश्चित करे], एक खाते में जिसे" कि "[1][निगम] निधि का खाता" कहा जायेगा, जमा कर देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [3][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए इतना नगद रूपया रोक सकता है जितना चालू भुगतानों के लिए आवश्यक हो ।

(3) [1][निगम] [5][एक विकास निधि की स्थापना करेगी और] ऐसी विशेष निधियों की, जो विहित की जायं, अथवा ऐसी अन्य निधियों की भी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आश्यक हों, स्थापना कर सकती है । ऐसी निधियों का संगठन तथा निस्तारण विहित रीति से किया जायेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 58(च) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 15(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 22, 1961 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

[1] [(4) उपधारा (3) के अधीन गठित विकास निधि का पचीस प्रतिशत अव्ययगमनीय होगा और नगर के निर्धन व्यक्ति और मलिन क्षेत्रों के निवासियों को सेवायें प्रदान करने और सेवाओं के उन्नयन के लिए चिन्हित किया जायेगा और उपयोग में लाया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :—उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए "सेवायें" में आधारभूत पर्यावरण सेवायें, सड़क, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य, आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा और इसी प्रकार की अन्य सेवायें सम्मिलित हैं। तथापि इसमें सेवा प्रदान करने के लिए सीधे और विशिष्टतः उपगत नही किये गये अधिष्ठान संबंधी व्यय (वेतन और मजदूरी सहित) सम्मिलित नहीं होंगे ।]

प्रयोजन जिनके लिए [1][निगम] निधि का उपयोग किया जायगा

140–[2][निगम] निधि में समय–समय पर जमा की जाने वाली धनराशियों का निम्नलिखित अधिमानक्रम (order of preference) के अनुसार उपयोग किया जायेगा :–

प्रथम, अध्याय 8 के उपबन्धों के अधीन [2][निगम] द्वारा देय समस्त ऋणों की वापसी की यथोचित व्यवस्था (provision) करने में ;

द्वितीय, धारा 126 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा [2][निगम] पर आरोपित समस्त दायित्वों का निर्वहन करने में ;

तृतीय, ऐसी समस्त धनराशियों, परिव्ययों (charges) तथा व्ययों (costs) के भुगतानों में जो धारा 114 मे निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए तथा इस अधिनियम के अन्य किसी प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो अथवा जिन भुगतानों की अदायगी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन विधिवत् स्वीकृत की जायगी जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे :–

(क) [2][निगम] लेखों की लेखा परीक्षा के व्यय ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन हुए प्रत्येक निर्वाचन के व्यय ;

(ग) [3][नगर आयुक्त] तथा अन्य किसी ऐसे पदाधिकारी के, जिसकी सेवायें राज्य सरकार [2][निगम] की प्रार्थना पर [2][निगम] को दे दे, वेतन, भत्ते तथा सेवा–निवृत्तियों के अंशदान (contributions to pensions) तथा छुट्टियों के वेतन ;

[4][(घ) सफाई मजदूरों से भिन्न [2][निगम] के पदाधिकारियों और सेवकों के वेतन और भत्ते, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन [2][निगम] के समस्त पदाधिकारियों और सेवकों को देय समस्त निवृत्ति–वेतन, उपदान, अंशदान और कारूण्य अधिदेय ;]

(ङ) [2][निगम] के प्रशासन अथवा उपक्रम (undertaking) से उत्पन्न होने वाले किसी विषय के संबंध में की जाने वाली कोई सेवा अथवा दिये जाने वाले किसी परामर्श के लिएए विशेषज्ञों के वेतन तथा शुल्क ;

(च) इस अधिनियम द्वारा [2][निगम] अथवा उन [2][निगम] पदाधिकारियों पर आरोपित किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में अथवा प्रदत्त किसी अधिकारी के प्रयोग में [2][निगम] अथवा [2][निगम] की ओर से उन [2][निगम] पदाधिकारियों द्वारा किये

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 07, 2011 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 1983 की धारा 4(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

गये समस्त व्यय और लगी लागत, जिसके अन्तर्गत वह धन भी है जिसे प्रतिकर के रूप में देना [1][निगम] के लिए अपेक्षित हो अथवा उसके अधिकार में हो ;

(छ) प्रत्येक धनराशि जो––

(1) यथास्थिति राज्य सरकार की आज्ञा से अथवा आर्बीट्रेशन ऐक्ट, 1940 के अधीन दिये गये किसी निर्णय (award) के अनुसार अथवा दीवानी न्यायालयय की डिगरी अथवा आज्ञा के अनुसार,

(2) [2] [नगर आयुक्त] के विरूद्ध दी गई किसी दीवानी अथवा फौजदारी न्यायालय की किसी आज्ञा अथवा डिगरी के अधीन,

(3) किसी वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही अथवा दावे में हुई सुलह के अनुसार, देय हो ;

(ज) सार्वजनिक संस्थाओं को दिये जाने वाले ऐसे चन्दे, जिनके बारे में [1][निगम] का परामर्श लेने के बाद, राज्य सरकार यह घोषित करे कि वे नगर निवासियों के हित में है ।

[3]**[स्पष्टीकरण––**इस धारा के प्रयोजनार्थ, ऐसे किसी व्यक्ति को सफाई मजदूर समझा जायग यदि वह [1][निगम] की सड़कों, गलियों, रास्तों, नालियों, सीवरों, शौचालयों और मूत्रालयों मे झाड़ू लगाने और उनकी सफाई करने, मृत पशुओं और कूड़ा करकट को ढोने के प्रयोजनों के लिए और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए [1][निगम] द्वारा नियोजित हो ।]

कतिपय मुकदमों पर [1][निगम] निधि से होने वाले व्यय पर निर्बन्धन

[4]**[140–क**–राज्य सरकार द्वारा धारा 83, धारा 84, धारा 534, धारा 535, [5][धारा 537 या धारा 538] के अधीन, जो आदेश दिया गया है या दिया हुआ तात्पर्यित है, उसके सम्बन्ध में किसी [1][नगर निगम] या [2][महापौर] या उसके किसी प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारम्भ की गयी किसी कार्यवाही पर खर्च करने के प्रयोजनार्थ [1][निगम] निधि से कोई व्यय, निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा ।]

सार्वनिक सेवाओं के लिए अत्यावश्यक कार्यों के निमित्त माहापालिका–निधि में से अस्थायी भुगतान

141–(1) राज्य सरकार अथवा विहित प्राधिकारी की लिखित अधियाचना (requisition) पर [2][नगर आयुक्त] किसी भी समय ऐसे किसी कार्य का सम्पादन कर सकता है जिसके बारे में यथास्थिति राज्य सरकार अथवा उक्त प्राधिकारी यह प्रमाणित करे कि सार्वजनिक उपयोगिता के लिए उस कार्य का करना अत्यधिक आवश्यक है । [2][नगर आयुक्त] इस प्रयोजन के लिए [1][निगम] निधि मे से कोई भुगतान, जहां तक कि वह [1][निगम] प्रशासन के नियमित कार्यों में असम्यक् रूप से बाधा डाले बिना किया जा सकता हो, कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधियाचना प्राप्त होने पर [2][नगर आयुक्त] उसकी एक प्रति तत्काल [1][निगम] को भेज देगा । इस प्रति के साथ वह [1][निगम] की सूचना के लिए उस कार्यवाही का एक प्रतिवेदन (report) भी भेजेगा जो उस उक्तकार अधियाचना के संबंध में की है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 1983 की धारा 4(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 41, 1976 की धारा 18 द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 59 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन सम्पादित किये गये समस्त कार्यों तथा उन कार्यों में लगे हुए स्थापन (establishment) के व्यय हवन करेगी और उस व्यय को [1][निगम]–निधि के खाते मे डाल दिया जायेगा (credited) ।

142–(1) [1][निगम] की प्राप्तियों तथा व्यय के लेखे ऐसी रीति से रखे जायेंगे जो विहित की जाय । **लेखे रखना तथा उनकी परीक्षा**

(2) मुख्य नगर लेखा–परीक्षक प्रतिमास [1][निगम] के लेखो की जांच एवं परीक्षण करेगा और कार्यकारिणी समिति को एक मास भीतर उसके संबंध में प्रतिवेदन (report) देगा जो अंतिम पूर्वगामी मास के प्राप्तियों और व्यय का सार (abstract), जिस पर समिति के दो से अन्यून सदस्यों तथा मुख्य नगर लेखा–परीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, प्रत्येक मास प्रकाशित करेगी ।

(3) कार्यकारिणी समिति भी समय–समय पर और ऐसी आय के लिए, जिसे वह उचित समझे, स्वतंत्र रूप से (independently) [1][निगम] के लेखों की जांच तथा उनकी परीक्षा भी करा सकेगी ।

143–राज्य सरकार किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ नियुक्त लेखा परीक्षकों से [1][निगम] के ऐसी अवधि के, जिसे वह उचित समझे, लेखों की विशेष जांच और परीक्षा करने के आदेश दे सकती है । उपर्युक्त लेखा–परीक्षक ऐसी जांच तथा परीक्षा का एक प्रतिवेदन (report) राज्य सरकार को देंगे । **विशेष लेखा–परीक्षा**

144–(1) धारा 142 अथवा 143 के अधीन लेखों की जांच एवं परीक्षा के प्रयोजनों के लिए मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा धारा 143 के अधीन नियुक्त लेखा–परीक्षक को [1][निगम] के समस्त लेखे तथा उनसे संबद्ध समस्त अभिलेख और पत्र–व्यवहार प्राप्त होंगे तथा [2][नगर आयुक्त] उक्त लेखा–परीक्षकों अथवा कार्यकारिणी समिति को प्राप्तियों तथा व्यय (disposal) से सम्बद्ध ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण, जिसे वे मांगे, तत्काल प्रस्तुत करेगा । **लेखा–परीक्षकों को समस्त [1][निगम] लेखा तथा अभिलेखों आदि का प्राप्त होना**

(2) इन धाराओं के अधीन लेखों की जांच एवं परीक्षा के लिए आवश्यक समस्त परिव्यय, शुल्क एवं व्यय (charges, fees and expenses) [1][निगम] द्वारा वहन किये जायेंगे ।

145–(1) [2][नगर आयुक्त] प्रति वर्ष पहली अप्रैल के बाद यथा–शक्य शीघ्र, पूर्वगामी राजकीय वर्ष (official year) में नगर के स्थानीय प्रशासन का एक विस्तृत प्रतिवेदन (report) और साथ ही एक ऐसा विवरण–पत्र तैयार करेगा जिसमें उक्त वर्ष में [1][निगम] निधि में जमा की गयी धनराशियां तथा उसमें से निकाले गये भुगतान (disbursements) और उक्त वर्ष की समाप्ति पर निधि के खाते में बची पूंजी (balance) दिखायी जायेगी । [2][नगर आयुक्त] इस प्रतिवेदन तथा विवरण–पत्र को कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा । **वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन तथा लेखों के विवरणों की तैयारी**

(2) प्रतिवेदन ऐसे आकार में होगा तथा उसमें ऐसी सूचनाएं दी जायंगी जिनका कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निर्देश करे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उक्त प्रतिवेदन तथा विवरण–पत्र की जांच करेगी । उक्त विवरण–पत्र तथा समिति की समीक्षा (review) की एक–एक प्रति राज्य सरकार तथा प्रत्येक सदस्य के पास भेज दी जायेगी।

बजट

146–(1) [1][नगर आयुक्त], ऋणी (indebted) [2][निगमों] की दशा में प्रति वर्ष 10 दिसम्बर को या उसके पूर्व तथा अन्य [2][निगमों] की दशा में प्रति वर्ष 10 जनवरी को या उसके पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए [2][निगम] की निधि के आय और व्यय के तखमीने तैयार करायेगा और उन्हें कार्यकारिणी समिति के समक्ष ऐसे आकार में, जो विहित किया जाय, और ऐसी रीति में रखा जायेगा जिसे कार्यकारिणी समिति अनुमोदित करे।

(2) ऐसे तखमीनों में ––

(क) सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अनुदानों का ध्यान रखा जायेगा ;

(ख) समस्त ऋणों के जिनके अन्तर्गत सरकार से लिए गये ऐसे ऋण तथा उन पर देय ब्याज भी है, जिन्हें चुकाने का दायित्व [2][निगम] पर है, चुकाने की व्यवस्था होगी।

(ग) धारा 126 की उपधारा (1) के खंड (ख) के द्वारा [2][निगम] पर आरोपित दायित्वों के विमोचन की व्यवस्था होगी ;

(घ) [2][निगम] निधि में से ऐसी धनराशि को, जो शिक्षा के लिए निर्दिष्ट अनुदान की धनराशि के बराबर होगी, सुविधाजनक किस्तों में अथवा एक मुश्त अदा करने की व्यवस्था होगी ;

(ङ) उक्त वर्ष के अन्त में ऐसी धनराशि से अन्यून नगद धनराशि रखने की व्यवस्था होगी, जिसे राज्य सरकार विहित करे ;

(च) [1][महापौर] द्वारा स्वविवेक से, धारा 114 अथवा 115 में अभिदिष्ट किसी एक अथवा एकाधिक विषयों पर व्यय करने के लिए 5 हजार रूपये से अनधिक धनराशि की व्यवस्था होगी ।

[3][(छ) नगर के निर्धन व्यक्तियों के लिए बजट की व्यवस्था करना ।]

(3) कार्यकारिणी समिति [1][नगर आयुक्त] द्वारा तैयार किये गये बजट तखमीनों पर यथास्थिति 10 दिसम्बर अथवा 10 जनवरी को या उसके पश्चात् यथाशीघ्र विचार करेगी और उसमें ऐसे परिष्कार करेगी जिन्हें वह उचित समझे तथा उन्हें ऋणी [2][निगमों] की दशा में 15 जनवरी तथा अन्य [2][निगमों] की दशा में 15 फरवरी से पहले [2][निगम] को प्रस्तुत करेगी ।

(4) [2][निगम] बजट में तखमीनों को, यदि वह ऋणी है तो एक मार्च ऐसे पूर्व और यदि ऋणी नहीं है तो तखमीनों से सम्बद्ध वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व अन्तिम रूप से

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 07, 2011 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

अंगीकार करेगा और उनकी प्रतियां राज्य सरकार को तुरन्त भेजेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारणवश [1][निगम] ने तखमीनों से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व बजट के तखमीनों को अन्तिम रूप से अंगीकार नहीं किया है तो [2][नगर आयुक्त] द्वारा तैयार किये गये बजट में तखमीनों अथवा यदि उपधारा (3) के अधीन कार्यकारिणी समिति ने इन तखमीनों को प्रस्तुत कर दिया है तो ऐसे तखमीनों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वे जब तक [1][निगम] द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती उस वर्ष के बजट के तखमीनें है :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि ऋणी [1][निगम] के सम्बन्ध में इस उपधारा के अधीन बजट के तखमीनों का अंगीकार किया जाना राज्य सरकार के पुष्टीकरण के अधीन होगा ।

बजट के पुनरीक्षित तखमीने

147–ऋणी [1][निगम] के सम्बन्ध में 1 सितम्बर तथा ऐसी [1][निगम] के सम्बन्ध में जो ऋणी नहीं है, 1 अक्टूबर के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र उस वर्ष के बजट के पुनरीक्षित तखमीने [1][निगम] द्वारा अंगीकार किये जायेंगे जहां तक संभव होगा, किन्तु यहां उल्लिखित परिष्कारों के अधीन रहते हुए, ये पुनरीक्षित तखमीने धारा 146 के समस्त उपबन्धों के अधीन रहेंगे ।

परिष्कार—

(1) धारा 146 की उपधारा (1) और (3) में "10 दिसम्बर" और "10 जनवरी" के स्थान पर क्रमशः "10 अगस्त" और "10 सितम्बर" रखे गये समझे जायेंगे;

(2) धारा 146 की उपधारा (3) में "15 जनवरी" और "15 फरवरी" के स्थान पर क्रमशः "15 अगस्त" और "15 सितम्बर" रखे गये समझे जायेंगे ;

(3) धारा के अन्त में प्रथम प्रतिबन्धक (proviso) का स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धक रक्खा गया समझा जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक [1][निगम] बजट के पुनरीक्षित तखमीनों को अंगीकार नहीं करता तब तक इस अधिनियम के अधीन सम्बद्ध वर्ष की 1 अक्टूबर को प्रवृत्त बजट तखमीने धारा 149 और 151 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस वर्ष के बजट तखमीने रहेंगे ।

करों की दरों का निर्धारण

148–[1][निगम] यदि वह ऋणी है तो 15 फरवरी को या उसके पूर्व और अन्य दशाओं में 15 मार्च को या उसके पूर्व, कार्यकारिणी समिति के प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् अध्याय 9 में विहित परिसीमाओं (limitations) तथा शर्तो के अधीन रहते हुए उन दरों का निर्धारण करेगी जिनके हिसाब से धारा 172 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट [1][निगम] कर आगामी वित्तीय वर्ष में लगाये जायेंगे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][निगम] बजट अनुदानों की राशि बढ़ा सकती है और अतिरिक्त अनुदान भी दे सकती है

149–(1) कार्यकारिणी समिति की सिफारिश पर [1][निगम] किसी वित्तीय वर्ष में समय–समय पर बजट के किसी अनुदान की राशि में वृद्धि कर सकती है अथवा उक्त वर्ष में किसी विशेष अथवा अप्रत्याशित आवश्यकता की पूर्ति के लिये बजट में कोई अतिरिक्त अनुदान भी कर सकती है, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायगा कि वर्ष के अन्त में अनुमानित नगद रोकड़ (cash balance), जिसमें किसी विशेष निधि की रोकड़ (balance), यदि कोई हो, अपवर्जित (exclude) कर दी जायगी, धारा 146 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन विहित धनराशि से, अथवा [1][निगम] निधि या अन्य विशेष निधियों के सम्बन्ध में [1][निगम] द्वारा तत्समय एतदर्थ निश्चित की गई किसी और बड़ी धनराशि से कम न हो ।

(2) ऐसे बढ़ाये गये अथवा अतिरिक्त बजट अनुदानों के बारे में यह समझा जायेगा कि वे [1][निगम] द्वारा, उस वर्ष के लिये, जिनमें कि वे किये गये हैं, अनुमोदित बजट तखमीनों में सम्मिलित कर लिये गये है ।

(3) बजट के एक मद (head) से दूसरे मद मे अथवा एक ही मद के भीतर धनराशियो का स्थानान्तरण अथवा उनमें कमी कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार की जायगी ।

[1][निगम] निधि से परिव्यय पर प्रतिबन्ध

150–उन दशाओं को छोड़ कर जिनकी व्यवस्था नियमों द्वारा एतदर्थ की जाये [1][निगम] निधि में से उस समय तक कोई व्यय अथवा भुगतान न किया जायेगा जब तक कि उसकी व्यवस्था किसी चालू बजट के अनुदान में नहीं हो जाती तथा जब तक ऐसे बजट अनुदान में ऐसी कमी अथवा स्थानान्तरण के होते हुए भी जो धारा 149 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार किया गया हो उसमें पर्याप्त बचत (balance) उपलब्ध न हो ।

बजट के तखमीनों में परिवर्तन

151–[1][निगम] धारा 146 अथवा धारा 147 के अधीन अंगीकृत बजट तखमीनों को, समय–समय पर जैसा कि परिस्थितियों को देखते हुए वांछनीय हो, बदल अथवा परिवर्तित कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऋणी [1][निगम] की दशा में इस धारा के अधीन प्रत्येक परिवर्तन या तबदीली राज्य सरकार के पुष्टीकरण के अधीन होगी ।

ऋणी [1][निगम]

152–यदि राज्य सरकार की राय में किसी [1][निगम] पर इतना ऋण है कि उसके बजट पर राज्य सरकार का नियंत्रण करना वांछनीय हेा जाता हो, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा विज्ञापित कर के इस स्थिति की घोषणा कर सकती है और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी [1][निगम] ऋणी [1][निगम] समझी जायेगी।

अधिभार

[2][**152–क**–(1) [1][निगम] का [3] [महापौर], [4] [***], तथा प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी और सेवक [1][निगम] के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 16(1) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।

या दुरूपयोग के लिए अधिभार का भागी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरूपयोग ऐसे [1][महापौर], [2][***], सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के इस रूप में कार्य करते समय उसकी उपेक्षा या दुराचरण के सीधे परिणामस्वरूप हुआ हो ।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरूपयोग में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय ।

(3) यदि अधिभार की कार्यवाही न की जाय तो [3][निगम] राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे [1][महापौर], उप–नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के विरूद्ध प्रतिकर के लिए वाद संस्थित कर सकती है ।]

नियम बनाने के अधिकार

153–राज्य सरकार इस अध्याय के समस्त अथवा किन्हीं उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा विशेषतया एतद्द्वारा प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है ––

(क) [3][निगम] निधि के खाते में [1][नगर आयुक्त] द्वारा भुगतानों को प्राप्त करना तथा प्राप्त धन को किसी बैंक अथवा बैंकों मे रखना ;

(ख) [3][निगम] की निधियों का संचालन (operation) ;

(ग) [3][निगम] निधि के किसी अंश को नगर के बाहर स्थित किसी बैंक अथवा अभिकरण (agency) के पास जमा करना ;

(घ) बचत (surplus) के धन को लाभ पर लगाना ;

(ङ) [3][निगम] द्वारा रखे जाने वाले लेखे, वह रीति, जिससे लेखों का लेखा–परीक्षण किया तथा उन्हें प्रकाशित किया जायगा, किसी व्यय को न मानने (disallowance) तथा अधिभार (surcharge) के संबंध में लेखा परीक्षकों के अधिकार [4][और वह रीति जिसके अनुसार अधिभार की कार्यवाहियां की जायेंगी] ;

(च) बजट की एक मद से दूसरी मद में अथवा एक ही मद के अन्दर धनराशियों का स्थानान्तरण अथवा उनमें कमी करना ;

(छ) प्रशासन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (report) और लेखों के विवरण की तैयारी ;

(ज) [3][निगम] के लेखों को रखने की रीति ।

अध्याय 8

ऋण लेने के अधिकार

[3][निगम] के ऋण लेने के अधिकार

154–(1) [3][निगम], राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समय–समय पर, एक या अधिक बार ऋण ले सकता है तथा ऋण–पत्रों (debentures) को जारी करके या अन्य प्रकार से किसी ऐसी अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति (security) पर, जो [3][निगम]

1. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 17 द्वारा बढ़ाया गया।

में निहित हो या जिसे [1][निगम] द्वारा इस अधिनियम के अधीन अर्जित किये जाने का प्रस्ताव हो, या समस्त अथवा किन्हीं करों (taxes), महसूलों (duties), पथ करों (tolls), उपकरों (cesses), शुल्कों (fees) तथा आदेयों (dues) जिन्हें [1][निगम] को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लगाने का प्राधिकार दिया गया हो, की प्रतिभूति पर अथवा उन समस्त प्रतिभूतियों या उनमें से किन्हीं प्रतिभूतियों पर ब्याज पर ऐसी कोई भी धनराशि ले सकता है जो निम्नलिखित किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ––

(क) इस अधिनियम के अनुसार किये गये कार्यो पर [1][निगम] द्वारा खर्च की गई लागतों, परिव्ययों या व्ययों के भुगतान के लिये,

(ख) इस अधिनियम के अधीन लिये गये किसी उधार (loan) के भुगतान के लिए या किसी ऐसे अन्य धार या ऋण के भुगतान के लिए, जिसकी अदायगी या दायित्व [1][निगम] पर हो ;

(ग) सामान्तया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जिसमें इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत ऋण देना भी सम्मिलित है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ––

(1) कोई ऋण किसी स्थायी कार्य (permanent work) से भिन्न किसी अन्य कार्य के सम्पादनार्थ नहीं लिया जायेगा । स्थायी कार्य के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य सम्मिलित होगा, जिस पर होने वाला व्यय, राज्य सरकार की राय में, कई वर्षो तक होता रहें ;

(2) कोई ऋण तब तक नहीं लिया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार ऋण का प्रयोजन, उसकी धनराशि, उस पर देय ब्याज की दर तथा तत्संबंधी अन्य शर्ते, जिसमें ऋण उगाहने का दिनांक तथा उसके भुगतान की अवधि तथा रीति सम्मिलित है, अनुमोदित न कर दे ;

(3) वह अवधि जिसके भीतर ऋण का भुगतान किया जायेगा किसी भी दशा में 30 वर्ष से अधिक न होगी ।

(2) जब कोई धनराशि उपधारा (1) के अधीन ऋण के रूप में ली गयी हो या फिर से ली गई हो (re-borrowed) तो––

(क) ऋण का कोई भाग, राज्य सराकर की पूर्व स्वीकृति के बिना उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये उपयोग में नही लाया जायेगा, जिसके लिए ऋण लिया गया था ; और

(ख) किसी धनराशि कोई भाग, जो किसी निर्माण–कार्य (work) के सम्पादन के लिए प्रथम बार या पुनः ऋण के रूप में लिया गया हो, [1][निगम] के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के वेतन या भत्ते के भुगतान की, सिवाय उनके जो एक मात्र (exclusively) उस निर्माण–कार्य के सम्पादन में लगे हुए हों जिसके लिए उक्त धनराशि सौंपी गयी थी, अथवा आवर्तक प्रकार के व्ययों की, पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [1][निगम] के ऐसे पदाधिकारियों या कर्मचारियों, के, जो अंशतः नक्शों तथा प्राक्कलन के तैयार करने या उक्त निर्माण–कार्य के सम्पादन या देखरेख या निर्माण–कार्य के लेखे रखने के लिए नियुक्त किये गये हों, वेतनों तथा भत्तों पर होने वाले व्यय का उतना भाग, जो कार्यकारिणी समिति निश्चित करे, ऋण के रूप में ली गई या फिर से ली गयी धनराशि में से अदा किया जा सकता है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][निगम] का सार्वजनिक प्रतिभूतियों पर बैंको से ऋण लेने पर अधिकार

155–धारा 154 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये [1][निगम] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे बैंक या बैंकों से, जिसमें या जिनमें [1][निगम]–निधि की बचत–धनाशियां (surplus moneys) जमा की गयी हों, किन्हीं सार्वजनिक प्रतिभूतियों पर, जिनमें तत्समय [1][निगम] का नकदी शेष (cash balance) लगाया गया हो, ऋण ले सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऋणी [1][निगम] की दशा में इस धारा के अधीन ऋण राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही लिया जायेगा ।

कब और कैसे ऋण का भुगतान किया जाय

156–(1) प्रत्येक ऋण का, जो धारा 154 के अधीन लिया गया हो, उस अवधि के भीतर भुगतान किया जायेगा जो उक्त धारा के अधीन उसके लिए अनुमोदित हो । यह भुगतान निम्नलिखित विधियों में से उस विधि से किया जायेगा, जो उक्त उपबन्ध के अधीन अनुमोदित की जाये अर्थात्––

(क) किसी ऐसी निक्षेप निधि (sinking fund) मे से भुगतान (payment) करके जो ऋण के सम्बन्ध में धारा 157 के अधीन स्थापित की गयी हो ;

(ख) मूलधन तथा ब्याज के समीकृत भुगतानों (equal payments) द्वारा ;

(ग) किसी ऐसी धनराशि से जो इस प्रयोजन के लिये धारा 154 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उधार ली गई हों ;

(घ) अंशतः उस निक्षेप निधि से जो ऋण के सम्बन्ध मे धारा 157 के अधीन स्थापित की गई हो और अंशतः उस धनराशि से जो इस प्रयोजन के लिए धारा 154 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उधार ली गयी हो ;

(ङ) ऐसी अन्य विधि से, जिसमें रूपया निकालना भी सम्मिलित हैं, जिसे सरकार निर्दिष्ट करे ।

(2) ऐसे किसी ऋण का, जो नियत दिन से पहले लिया गया हो, भुगतान सामान्यतः उसी विधि से किया जायगा जो ऐसे ऋण के भुगतान के लिए प्रवृत्त रही हो या यदि ऐसी कोई विधि न रही हो तो भुगतान उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी विधि से किया जायगा ।

निक्षेप निधि का संधारण तथा उपयोग

157–(1) जब कभी धारा 154 की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध (2) के अधीन निक्षेप निधि से किसी ऋण के भुगतान की स्वीकृति दी गई हो तो [1][निगम] ऐसी निधि को स्थापित करेगी और उसमें ऐसे दिनांकों पर जो उक्त प्रतिबन्ध के अधीन अनुमोदित हुये हों, उतनी धनराशि देगी, जो चक्रवृद्धि ब्याज सहित, समस्त व्ययों के देने के बाद, अनुमोदित अवधि के भीतर ऋण की अदायगी के लिए पर्याप्त हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी समय ऋण के भुगतान के लिए स्थापित निक्षेप–निधि में जमा धनराशि इतनी हो कि यदि उसे चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़ने दिया जाय तो उससे अनुमोदित अवधि के भीतर ऋण चुकता हो जायगा, तो राज्य सरकार की अनुज्ञा से ऐसी निधि में और धनराशियों का देना बन्द किया जा सकता है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) [1][निगम] किसी निक्षेप निधि या उसके किसी भाग को उस ऋण के परिशोध (discharge) में या उसके निर्मित उपयोग में ला सकती है जिसके लिए ऐसी निधि स्थापित की गयी हो और जब तक कि ऐसा ऋण या उसका भाग पूर्णतः चुकता न हो जाय तब तक वह उसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगी ।

निक्षेप निधि का लगाया जाना, (investment)

158–(1) निक्षेप निधि में जमा की गई समस्त धनराशियां [1][निगम] द्वारा यथांसभव शीघ्र [2][नगर आयुक्त] के नाम में ––

(क) सरकारी प्रतिभूतियों में, या

(ख) सरकार द्वारा संरक्षित (guaranteed) प्रतिभूतियों में, या

(ग) [1][निगम] के ऋण–पत्रों में ;

लगायी जायंगी और [1][निगम] द्वारा जारी किये गये ऋण–पत्रों के समय–समय पर भुगतान के प्रयोजन के लिए [1][निगम] के कब्जे में रहेंगी ।

(2) समस्त लाभांश (dividends, ब्याज तथा अन्य धनराशियां जो इस प्रकार लगाई गई किसी धनराशि (investment) के सम्बन्ध में प्राप्त हां, प्राप्ति के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उपयुक्त निक्षेप निधि में जमा की जायंगी और उपधारा (1) में विहित रीति से लगायी जायंगी (invested) ।

(3) दो या दो से अधिक निक्षेप निधियों के नाम में जमा धनराशियां [1][निगम] के स्वविवेकानुसार किसी एक ही (common) निधि मे लगाई जा सकती है और [1][निगम] के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस प्रकार लगाई गई प्रतिभुतियों को विभिन्न निक्षेप निधियों में बांट दे ।

(4) यदि निक्षेप निधि का कोई भाग [1][निगम] के ऋण–पत्रों पर लगाई जाय या भुगतान के लिये निश्चित अवधि से पहले ऋण के किसी भाग को चुकाने करने के लिये उपयोग में लाया जाय तो वह ब्याज, जो अन्यथा ऐसे ऋण पत्रों या ऋण के ऐसे भाग पर देय होता, निक्षेप निधि मे दिया जाय और उसे उपधारा (1) मे ंनिर्दिष्ट रीति से लगाया जायगा (invested) ।

(5) इस धारा के अधीन लगाये गये धन में उपधारा (1) प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये, परिवर्तन किया जा सकता है या उसे किसी दूसरे मद में स्थानान्तरित किया जा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कभी कोई लगाई हुई धनराशि किसी दूसरे मद में स्थानान्तरित की जाये तो उस निक्षेप निधि में, जिसमें से वो धनराशि दूसरी मद में स्थानान्तरित की गयी हो (transposed) उतनी ही धनराशि बढ़ा दी जायगी ।

(6) उस वर्ष में जिसमें ऋण, जिसके चुकाने के लिये निक्षेप निधि स्थापित की गयी है, देय हो, वह धनराशि जो ऐसी निक्षेप निधि के मूलधन के भाग के रूप में अलग की जायगी और वह धनराशि जो ऐसी निक्षेप निधि को अंशभूत भाग पर ब्याज के रूपमें प्राप्त हों, [1][निगम] द्वारा ऐसे रूप में रखी जायेगी (retained), जिसे वह ठीक समझे।

निक्षेप निधि तथा अतिरिक्त

159–(1) किन्हीं ऐसी निक्षेप निधियों के सम्बन्ध में जिन्हें इस अधिनियम के द्वारा [1][निगम] को सार्वजनिक प्रतिभूतियों में लगाने का आदेश या अधिकार दिया गया

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

धनराशि का [1][निगम] द्वारा जारी किये गये ऋण–पत्रों में लगाया जाना

हो और किसी अतिरिक्त (surplus) धनराशि के सम्बन्ध मे जिसे इस अधिनियम के द्वारा [1][निगम] की ओर से [2][नगर आयुक्त] को प्रतिभूतियों मे लगाने का अधिकार दिया गया हो, [1][निगम] के लिये यह वैध होगा कि वह इस प्रकार धनराशि लगाने (investment) के प्रयोजन के हेतु किन्हीं ऋण–पत्रों को, जो किसी ऐसे ऋण के निमित्त जिसके लिये राज्य सरकार की यथावत् स्वीकृति ले ली गयी हो, जारी किये गये हों या किये जाने वाले हां, रक्षित तथा पृथक कर दें (reserve and set apart) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार ऋण–पत्रों को रक्षित तथा पृथक करने का आशय राज्य सरकार को ऋण जारी करने की एक शर्त के रूप में विज्ञापित (notified) कर दिया गया हो ।

(2) [1][निगम] की ओर से सीधे नगर आयुक्त को और उसके नाम में उक्त किन्हीं ऋण–पत्रों के जारी किये जाने के प्रभाव यह न होगा कि ऋण–पत्र समाप्त या रद्द हो जायेंगे, किन्तु इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक ऋण–पत्र सभी प्रकार से उसी रूप में वैध होगा मानो वह किसी अन्य व्यक्ति को और उसके नाम में जारी किया गया हो ।

(3) [1][निगम] द्वारा जारी किये गये किसी ऋण–पत्र का [1][निगम] द्वारा क्रय या [1][निगम] अथवा [1][नगर आयुक्त] को उसका हस्तांतरण (transfer), अभ्यर्पण (assignment) या पृष्ठांकन (endorsement) का प्रभाव यह नहीं होगा कि वह ऋण–पत्र समाप्त या रद्द हो जायगा, किन्तु वह उसी प्रकार और उसी आयति तक वैध (valid) और परकाम्य (negotiable) होगा मानो वह किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हो या उसे हस्तांतरित, अभ्यर्पित या पृष्ठांकित किया गया हो ।

निक्षेप निधियों की वार्षिक परीक्षा

160–(1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या संधारित सम्पूर्ण निक्षेप निधियों की एक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स द्वारा वार्षिक परीक्षा की जायगी, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि रोकड़ (cash) और उससे संबंधित प्रतिभूतियों का मूल्य वास्तव मे उस धनराशि के बराबर है या नहीं जो इस प्रकार की निधियों के नाम में जमा होती, यदि रूपया नियमित रूप से लगाया गया होता और उस पर उस दर से ब्याज मिला होता जो पहले से प्राक्कलित (estimated) की गयी थी ।

(2) निक्षेप निधि में जमा धनराशि का हिसाब भविष्य में किये जाने वाले ऐसे सम्पूर्ण भुगतानों के, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसी निधि में करना आवश्यक हो, वर्तमान मूल्य के आधार पर यह कल्पना करके लगाया जायगा कि सम्पूर्ण धनराशियां नियमित रूप से लगाई जाती है और उन पर पहले की प्राक्कलित (estimated) दर से ब्याज मिलता है ।

(3) किसी निक्षेप निधि की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इस धारा के प्रयोजनों के लिये उनके चालू बाजार मूल्य पर किया जायगा, किन्तु उन ऋण–पत्रों का मूल्य, जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये जों, सहमूल्य (at par) पर लगाया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [1][निगम] उस हानि को तुरन्त पूरा करेगी, जो ऋण के भुगतान के समय ऐसे ऋण–पत्रों के वास्तविक विक्रय पर हुई हो ।

(4) [1][निगम] किसी निक्षेप निधि मे जब तक कि राज्य सरकार विशिष्ट रूप से क्रमिक पुरस्संधान (gradual re-adjustment) की स्वीकृति न दे दे किसी ऐसी धनराशि का तुरन्त भुगतान करेगी, जिसके कम होने को एक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स ने प्रमाणित किया हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) यदि किसी निक्षेप निधि में जमा रोकड़ (cash) तथा प्रतिभूतियों का मूल्य उस धनराशि से अधिक हो, जो उसमें जमा होनी चाहिये, तो एक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स ऐसी अतिरिक्त (excess) धनराशि को प्रमाणित करेगा ओर तत्पश्चात् [1][निगम] उक्त अतिरिक्त धनराशि को [1][निगम] निधि में स्थानान्तरित कर सकती है।

(6) यदि उपधारा (4) या (5) के अधीन एक्जामिनर लोकल फंड एकाउन्ट्स द्वारा दिये गये किसी प्रमाण–पत्र की शुद्धता (accuracy) के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो [1][निगम] भुगतान या स्थानान्तरण करने के पश्चात् संबद्ध विषय को राज्य सरकार को भेज सकती है जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

ऋण के भुगतान न करने पर [1][निगम] निधि का कुर्क किया जाना

161–(1) यदि [1][निगम] द्वारा उधार ली गयी किसी धनराशि या उस पर देय ब्याज या किसी व्यय (costs) का ऋण की शर्तो के अनुसार भुगतान न किया जाय, तो राज्य सरकार, यदि उक्त ऋण स्वयं उसी ने दिया हो, [1][निगम] निधि या उसके किसी भाग को कुर्क कर सकती है और यदि ऋण उसने नहीं दिया है तो वह ऋणदाता द्वारा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर तथा उसके सम्बन्ध में [1][निगम] के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् [1][निगम]–निधि या उसके किसी भाग को कुर्क करेगी ।

(2) ऐसी कुर्की के पश्चात् कोई व्यक्ति, सिवाय उस पदाधिकारी के जिसे राज्य सरकार ने एतदर्थ नियुक्त किया हो, कुर्क की गयी निधि या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करेगा, किन्तु वह पदाधिकारी उसके सम्बन्ध में ऐसे समस्त कार्य कर सकता है, जो [1][निगम] के किसी प्राधिकारी, पदाधिकारी या कर्मचारी ने उस दशा में किये होते, यदि ऐसी कुर्की न हुई होती और आगम (proceeds) का उपयोग बकायों (arrears) उनके सम्पूर्ण ब्याज तथा उनके सम्बन्ध में देय व्यय और कुर्की के तथा परवर्ती कार्यवाहियों के कारण हुये समस्त व्ययों के शोधन के निमित्त कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कुर्की से कोई ऐसा ऋण न तो मारा जायगा (defeated) और न उसका उस ऋण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा, जिसके लिये कुर्क निधि या उसका कोई भाग विधि के अनुसार पहले बंधक (pledged) रहा हो और ऐसे समस्त परिव्ययों (prior charges) का भुगतान निधि के आगम या उसके किसी भाग से किया जायगा, इसके पूर्व कि आगम के किसी भाग का उपयोग उस दायित्व के शोधन में किया जाय जिसके सम्बन्ध में कुर्की हुई थी ।

ऋणों–पत्रों का आकार–पत्र

162–(1) इस अधिनियम के अधीन जारी किये जाने वाले ऋण–पत्र ऐसे आकार–पत्र (form) में होंगे, जिसे [1][निगम] राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय–समय पर निर्धारित करे ।

(2) किसी ऐसे ऋण–पत्र का, जो उपधारा (1) के अधीन यथावत् प्राधिकृत आकार–पत्र में हो, गृहीता ऐसी शर्तो पर जो [1][निगम] समय–समय पर निर्धारित करेगी, अपने ऋण–पत्र के विनिमय (exchange) में कोई ऐसा ऋण–पत्र प्राप्त कर सकती है जो अन्य प्रकार के अधिकृत आकार–पत्र में हो ।

(3) [1][निगम] द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक ऋण–पत्र पृष्ठांकन (endorsement) द्वारा हस्तांतरणीय (transferable) होगा ।

(4) उक्त किन्हीं ऋण–पत्रों द्वारा सुरक्षित धनराशियो की प्राप्ति का तथा उसके सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार तत्समयक ऋण–पत्र गृहीता में निहित होगा और इस सम्बन्ध में इस बात के लिये कोई अधिमान (preference) प्राप्त न होगा कि ऐसे ऋण–पत्रों मे से कुछ दूसरों से पहले के दिनांकों के है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

163–इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये ऋण–पत्रों से संलग्न समस्त कूपनों पर [1][निगम] की ओर से कार्यकारिणी समिति के सभापति और [2][नगर आयुक्त] के हस्ताक्षर होंगे और ऐसे हस्ताक्षर किसी यांत्रिक रीति द्वारा चित्रित (engrave) किये जा सकते है, लिथो से लिखे जा सकते है या मुद्रांकित (impressed) किये जा सकते है।

ऋण–पत्रों से संलग्न कूपनों पर कार्यकारिणी समिति के सभापति और मुख्य नगराधिकारी के हस्तक्षर होंगे

164–इंडियन कंट्रैक्ट ऐक्ट, 1872 की धारा 45 में किसी बात के होते हुये भी–

दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जारी किये गये ऋण–पत्र

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया कोई ऋण–पत्र या प्रतिभूति दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से देय हो और उनमें से दोनो की या किसी एक की मृत्यु हो जाये तो उक्त ऋण–पत्र या प्रतिभूति ऐसे व्यक्तियों के उत्तरजीवी (survivor) को अथवा उत्तरजीवियों को देय होगी ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी हुई किसी बात का मृत व्यक्ति के किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा उक्त उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये दावें (claim) पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ;

(2) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऋण–पत्र या प्रतिभूति के संयुक्त गृहीता (joint holders) हों तो, जब तक ऐसे व्यक्तियों मे से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा [1][निगम] को कोई प्रतिकूल नोटिस न दिया गया हो, ऐसे ऋण–पत्र या प्रतिभूति के सम्बन्ध में देय किसी ब्याज या लाभांश (dividend) के लिये उनमें से कोई भी व्यक्ति प्रभावकारी (effectual) रसीद दे सकता है ।

165–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऋण–पत्र के बारे में यह कहा जाय कि वह खो गया है, चुरा लिया गया है, पूर्णतया या अंशतः नष्ट हो गया है, उसका विरूपण हो गया है अथवा वह विकृत कर दिया गया है ओर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि मै वहीं व्यक्ति हूं जिसे खो न जाने, चुरा न लिये जाने, नष्ट न हो जाने, विरूपण न होने अथवा विकृत न होने की दशा मे ऋण–पत्र के खो जाने, चुराये जाने, विरूपण होने अथवा विकृत किये जाने, नष्ट हो जाने निम्नांकित के लिये आज्ञा प्राप्त कर सकता है––

प्रतिभुतियों की द्वितीय प्रतियों (duplicates) का जारी किया जाना

(क) यदि वह ऋण–पत्र, जिसे खोया हुआ, चुराया गया, नष्ट हुआ, विरूपण हुआ अथवा विकृत किया हुआ बताया गया हो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पश्चात् 6 वर्ष से अधिक की अवधि में देय हो तो––

(1) उक्त ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति (duplicate) जारी होने तक उस ऋण–पत्र से सम्बद्ध ब्याज के भुगतान के लिये, और

(2) प्रार्थी को देय ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी की जाने के लिये, या

(ख) यदि वह ऋण–पत्र जिसे खोया हुआ चुराया गया, नष्ट हुआ, विरूपण हुआ अथवा विकृत किया हुआ बताया गया हो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक के पश्चात् 6 वर्ष से अनधिक अवधि में देय हो तो––

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(1) उक्त ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति को जारी हुये बिना ही उस ऋण–पत्र से सम्बद्ध ब्याज के भुगतान के लिये, और

(2) प्रार्थी को, उस दिनांक को या उसके पश्चात् जिस पर भुगतान देय होता हो, उक्त ऋण–पत्र पर देय (due) मूल धनराशि का भुगतान किये जाने के लिये ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा तब तक न दी जायगी जब तक कि ऋण–पत्र के खोने, चुराये जाने, नष्ट हो जाने, निरूपण हो जाने अथवा विकृत किये जाने के बारे में ऐसी विज्ञप्ति जारी न हो जाय जो [1][निगम] द्वारा विहित की जाय और जब तक कि ऐसी अवधि समाप्त न हो जाय जो [1][निगम] द्वारा विहित की जाय और यह आज्ञा उस समय तक न की जायगी जब तक प्रार्थी ऐसी अतिनिवारण न दे दे जो खोये हुये, चुराये गये या नष्ट हुये ऋण–पत्र के अन्तर्गत आगम प्राप्त समस्त व्यक्तियों (all persons deriving title) के दावों सम्बन्ध में [1][निगम] द्वारा अपेक्षित हो ।

(3) उन ऋण–पत्रों की एक सूची, जिनके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा दी जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी ।

(4) यदि किसी ऐसे ऋण–पत्र के सम्बन्ध में, जो पूरा–पूरा खोया हुए, चुराया गया, नष्ट हुआ, विरूपण हुआ या विकृत किया हुआ, बताया गया है धारा 168 के उपबन्धों के अधीन [1][निगम] अपने दायित्वों से मुक्त होने के किसी भी समय ऐसा ऋण–पत्र मिल जाय तो इस धारा के अधीन उसके सम्बन्ध में दी गयी आज्ञा रद्द कर दी जायगी, किन्तु इससे मूलधन या ब्याज का कोई ऐसा भुगतान, जो पहले किया जा चुका हो, बाधित न होगा ।

ऋण–पत्रों का नवीकरण

166–(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऋण–पत्र का अधिकारी (entitled) होने का दावा करे [2][नगर आयुक्त] को प्रार्थना–पत्र देकर और अपने दावे के औचित्य के बारे में उसके समाधान करके तथा प्राप्त ऋण–पत्र को ऐसी रीति से देकर और ऐसा शुल्क देकर जिसे [2][नगर आयुक्त] विहित करे, ऐसा एक नवीकृत (renewed) ऋण–पत्र प्राप्त कर सकता है जो प्रार्थना–पत्र देने वाले व्यक्ति को देय हो।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी ऐसे ऋण–पत्र के बारे में जिसके नवीकरण के लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो, आगम (title) विषयक कोई विवाद प्रस्तुत हो तो [2][नगर आयुक्त] ––

(क) यदि विवाद से सम्बद्ध किसी पक्ष को सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय से कोई ऐसा अंतिम निर्णय प्राप्त हो गया है जिसके द्वारा उसे ऐसे ऋण–पत्र का अधिकारी घोषित किया गया हो, ऐसे पक्ष के नाम एक नवीकृत ऋण–पत्र जारी कर सकता है,

(ख) उक्त निर्णय होने तक ऋण–पत्र का नवीकरण अस्वीकार कर सकता है, या

(ग) ऐसी जांच, जिसकी व्यवस्था आगे की गयी है, करने तथा उसके परिणाम पर विचार करने के पश्चात् लिखित आज्ञा द्वारा घोषित कर सकता है कि उसके मतानुसार संबद्ध पक्ष मे से अमुक पक्ष उक्त ऋण–पत्र का अधिकारी है और ऐसी घोषणा के तीन मास की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार ऐसे पक्ष के

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नाम––जब तक कि उस अवधि के भीतर [1][नगर आयुक्त] को इस आशय का नोटिस न प्राप्त हुआ हो कि ऐसे ऋण–पत्र के सम्बन्ध में अपने आगम (title) को स्थापित करने के लिये किसी व्यक्ति ने सक्षम क्षेत्राधिकारी युक्त किसी न्यायालय में कार्यवाही कर दी है–– एक नवीकृत ऋण–पत्र जारी कर सकता है ।

स्पष्टीकरण––इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पद "अंतिम निर्णय" से तात्पर्य है, ऐसा निर्णय जिसके विरूद्ध अपील न की जा सकती हो, या ऐसा निर्णय जिसके विरूद्ध अपील की तो जा सकती हो, किन्तु विधि द्वारा अनुज्ञात (allowed) कालावधि के भीतर की न गयी हो ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट जांच के प्रयोजनार्थ [1][नगर आयुक्त] ऐसे सम्पूर्ण साक्ष्य या उसके किसी भाग को जैसा कि सम्बद्ध पक्ष प्रस्तुत करे, स्वयं अभिलिखित कर सकता है या जिला मैजिस्ट्रेट से या उसके अधीनस्थ किसी मैजिस्ट्रेट से अभिलिखित कराने का अनुरोध कर सकता है। साक्ष्य अभिलिखित करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसे साक्ष्य का अभिलेख [1][नगर आयुक्त] को प्रेषित करेगा ।

(4) [1][नगर आयुक्त] या इस धारा के अधीन कार्य करने वाला कोई मैजिस्ट्रेट यदि वह उचित समझे तो शपथ लिवा कर साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है ।

नवीकृत ऋण–पत्र के सम्बन्ध में दायित्व

167–(1) यदि धारा 166 के अधीन किसी व्यक्ति क पक्ष में कोई नवीकृत ऋण–पत्र जारी किया जा चुका हो तो इस प्रकार जारी किये गये ऋण–पत्र के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह [2][निगम] तथा ऐसे व्यक्ति और उसके द्वारा तत्पश्चात् आगम प्राप्त करने वाले समस्त व्यक्तियों के मध्य किया गया संविदा है ।

(2) ऐसे किसी नवीकरण का उन अधिकारों पर कोई प्रभाव न होगा, जो इस प्रकार नवीकृत ऋण–पत्र के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति को [2][निगम] के विरूद्ध प्राप्त हों ।

कतिपय स्थितियों में मुक्तभार होना

168–यदि धारा 165 के अधीन ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी की जा चुकी हो या यदि धारा 166 के अधीन कोई नवीकृत ऋण–पत्र जारी किया जा चुका हो या यदि किसी ऐसे ऋण–पत्र पर, जिसके सम्बन्ध में ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी किये बिना ही मूल धनराशि लौटाने की आज्ञा धारा 165 के अधीन दी जा चुकी हो, देय मूलधन भुगतान के लिये नियत दिनांक को, या तत्पश्चात् लौटा दिया गया हो तो [2][निगम] ऐसे ऋण–पत्र के सम्बन्ध में, जिसके स्थान पर ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति या नवीकृत ऋण–पत्र इस प्रकार जारी किया जा चुका हो, या जिसके सम्बन्ध में देय धन लौटाया जा चुका हो, जैसी भी स्थिति हो,

(क) ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति (duplicate) की दशा में, धारा 165 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति क प्रकाशन के दिनांक से, या मूल ऋण–पत्र के ब्याज के पिछले भुगतान के दिनांक से 6 वर्ष पश्चात्, इनमें से जो भी दिनांक परवर्ती हो ;

(ख) नवीकृत ऋण–पत्र की दशा मे उसके जारी किये जाने के दिनांक से 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात ; और

(ग) ऋण–पत्र की द्वितीय प्रति (duplicate) जारी किये बिना ही मूलधन का भुगतान करने की दशा में धारा 165 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् ; समस्त दायित्वों से मुक्त हो जायेगा ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

क्षति–पूर्ति (indemnity)

169–धारा 166 में किसी बात के होते हुए भी [1][नगर आयुक्त] उस धारा के अन्तर्गत किसी स्थिति के उत्पन्न होने पर––

(1) मूल ऋण–पत्र के अधीन दावा प्रस्तुत करने वाले समस्त व्यक्तियों के दावों से [2][निगम] तथा [1][नगर आयुक्त] के पक्ष में क्षति–निवारण (indemnity) प्राप्त करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, एक नवीकृत ऋण–पत्र जारी कर सकता है, या

(2) जब तक उक्त क्षति–निवारण न हो जाय तब तक ऐसा नवीकृत ऋण–पत्र जारी करना अस्वीकृत कर सकता है ।

वार्षिक विवरण–पत्र [1][नगर आयुक्त] द्वारा तैयार किया जायगा

170–(1) [1][नगर आयुक्त] प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक विवरण–पत्र तैयार करेगा, जिसमें निम्नांकित दिखाये जायेंगे––

(क) पिछले वर्षों में लिये गये ऋण जिनके लिये [2][निगम] उत्तरदायी हो और जिनका वर्ष आरम्भ होने के पूर्व पूर्णतः भुगतान न किया गया हो, वर्ष के आरम्भ में अदत्त धनराशि (amount outstanding) का ब्योरा, ऋण लेने का दिनांक तथा वार्षिक ऋण–परिव्यय (loan charges) ;

(ख) वर्ष में [2][निगम] द्वारा लिये गये ऋण तथा ऋण लेने के दिनांक तथा उसकी धनराशि विषयक ब्योरे और वार्षिक ऋण–परिव्यय (loan charges) ;

(ग) ऐसे प्रत्येक ऋण की दशा में, जिसके निमित्त निक्षेप निधि खोली गयी हो, वर्ष के अन्त में निक्षेप निधि में जमा धनराशि (accumulation) जिसमें वर्ष में उक्त निधि के हिसाब में जमा धनराशि अलग से दिखायी गई हो ;

(घ) वर्ष में चुकाये गये ऋण और किस्तों में या वार्षिक रूप से निकाली गयी धनराशियों द्वारा चुकाये गये ऋणों की दशा में उस वर्ष में चुकायी गयी धनराशियां और वर्ष के अन्त में दये शेष धनराशि ;

(ङ) उन प्रतिभूतियों के ब्योरे, जिनमें निक्षेप निधियां लगायी गयी हों या जिनके लिये वे रक्षित हों ।

(2) ऐसा प्रत्येक विवरण–पत्र [2][निगम] को बैठक के समक्ष रखा जायगा और सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा और इस विवरण–पत्र की एक–एक प्रति राज्य सरकार तथा एक्ज़ामिनर, लोकल फन्ड एकाउन्ट्स की भेजी जायगी ।

नियम बनाने के अधिकार

171–राज्य सरकार इस अध्याय के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये और विशेषतः एतद्द्वारा प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता पर कोई प्रभाव डाले बिना निम्नांकित प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है––

(क) इस अध्याय के अधीन सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया ;

(ख) निक्षेप निधि की स्थापना ;

(ग) निक्षेप निधि में धन लगाना ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) निक्षेप निधि की वार्षिक जांच और लेखा परीक्षा ;

(ङ) [1][निगम] निधि के कुर्क करने की रीति ; और

(च) ऋण–पत्रों का मुद्रण ।

अध्याय 9

[1][निगम]–कर

इस अधिनियम के अधीन कर लगाये जायंगे

172–(1) इन अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए और उसके तथा भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [1][निगम] निम्नलिखित कर लगायेगी––

(क) सम्पत्ति–कर ;

(ख) यंत्र–चालित वाहनों से भिन्न वाहनों (vehicles) तथा किराये पर चलने वाली या नगर के भीतर रखी गयी गाड़ियों (conveyances) या वहां बांधी जाने वाली नावों पर कर ;

[2][(ग) हेलीकाप्टरो अथवा अन्य प्रकार के यानों पर जब वे निगम के भीतर स्थित हेलीपैडों, हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों या इस निमित्त निर्मित स्थलों पर उतरते अथवा उड़ान भरते हों । इस प्रकार अधिरोपित कर का भुगतान, यथास्थिति, विमान पत्तन प्राधिकरण अथवा हवाई अड्डों, हवाई पट्टी हेलीपैड या स्थल का रखरखाव, प्रबंधन तथा पग्रवेक्षण में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों या प्रबन्धक या निदेशक या संस्था या विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा किया जाएगा ।

(घ) व्यापारों और व्यवसायों पर कर,

(ङ) नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेखों पर कर,

(च) नगर के भीतर स्थित खाली भूमि पर कर,]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त [1][निगम], इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तथा उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित करों में से कोई भी कर लगा सकती है ––

[3][(क) आजीविकाओं और सार्वजनिक या निजी नियुक्ति होने पर कर ;]

(ख) [4][* * * *]

(ग) [5][* * * *]

(घ) [6][* * * *]

(ङ) नगर के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 38, 2006 की धारा 6(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 38, 2006 की धारा 6(ख)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 1991 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 1991 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 1991 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।

(च) परिवृद्धि कर (betterment tax) ;

(छ) [1][* * * *]

(ज) [2][* * *] ;

(झ) प्रेक्षागृहों (theatres) पर कर ;

(ञ) [3][* * * *] :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ख) के अधीन समान पर चुंगी तथा खंड (ग) के अधीन कर एक साथ ही न लगाये जायंगे ।

(3) [4][निगम] कर इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाई गई नियमावली और उपविधियों के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे और लगाये जायेंगे ।

(4) इस धारा की कोई बात कोई ऐसा कर लगाने का प्राधिकार न देगी, जिसे भारत के संविधान के अधीन राज्य विधान मंडल को राज्य में लगाने का अधिकार नहीं है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई कर भारत के संविधान के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नगर में सम्मिलित किसी क्षेत्र में विधितः लगाया जा रहा था तो ऐसे कर का लगाया जाना और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाना जारी रखा जा सकता है जब तक कि संसद इसके विपरीत कोई उपबन्ध न बनाये ।

संपत्ति–कर

संपत्ति–कर लगाये जा सकेंगे

173–(1) धारा 172 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये संपत्ति–कर में निम्नलिखित कर सम्मिलित होंगे, जो आगे व्यवस्थित अपवादों, परिसीमाओं और शर्तो के अधीन रहते हुये, नगर में भवनों या भुमियों पर लगाये जायेंगे––

(क) सामान्य–कर, जो यदि [3][निगम] ऐसा निर्धारित करे, आनुक्रमिक दर (drainage tax) से आरोपित किया जा सकता है ;

[5][(ख) जल–कर जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहां निगम द्वारा जल की आपूर्ति की जाती हो ;]

(ग) जल–निस्सारण–कर (drainage tax) जो उन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा जहां [3][निगम] ने नालों (sewer) की प्रणाली की व्यवस्था की हो ;

(घ) ऐसे क्षेत्रो मे स्वच्छता–कर (conservancy tax) जहां [3][निगम] संडासों, मूत्रालयों और नलकूपों और नलकूपों से मलमूत्र और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटाने तथा उनका निस्तारण करने का कार्यभार वहन करती है ।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गयी नियमावली में स्पष्ट रूप से की गयी अन्य व्यवस्था को छोड़ कर ये कर यथास्थिति, भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य (annual value) पर लगाये जायेंगे :

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 38, 2006 की धारा 6(ख)(दो) द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 1, 2017 की धारा 173 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 1991 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][किंन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति–करों का योग, किसी भी दशा में भवन या भूमि या दोनो ही, जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, के वार्षिक मूल्य के बाइस प्रतिशत से कम ओर बत्तीस प्रतिशत से अधिक न होगा, किन्तु इस प्रकार कि सामान्य कर, वार्षिक मूल्य के दस प्रतिशत से कम और पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल–कर वार्षिक मूल्य के साढ़े सात प्रतिशत से कम ओर साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगा, जल निस्सारण–कर, वार्षिक मूल्य के ढाई प्रतिशत से कम और पांच प्रतिशत से अधिक न होगा और स्वच्छता–कर, वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक न होगा ।]

वार्षिक मूल्य की परिभाषा

174–वार्षिक मूल्य से तात्पर्य है––

[2][(क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनो और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में नियम द्वारा निश्चित की गयी यथास्थिति, भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनो के साथ खण्ड (ख) के अधीन नियत आवासिक भवनों के प्रति वर्ग फुट किराये की मासिक दर में गुणांक से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुना मूल्य ।]

[3][(ख) ऐसे भवन या भूमि की दशा में, जो खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आती हो, भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र पर, यथास्थिति, भवन के मामले में कारपेट एरिया का प्रति वर्ग फूट पर किराये को प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से या भूमि के मामले में क्षेत्र का प्रतिवर्ग फुट पर किराये की प्रयोज्य न्यूनतम मासिक दर से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य का बारह गुना, और इस प्रयोजन के लिए प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर ऐसी होगी जैसी [4][नगर आयुक्त] द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिये उस क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर और ऐसे अन्य कारणों के आधार पर, और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, निर्धारित की जा सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त रीति से हिसाब लगाने पर निगम की राय में, किसी असाधारण परिस्थिति के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य अत्यधिक होता हो तो निगम वार्षिक मूल्य के रूप में कोई ऐसी कम धनराशि भी निश्चित कर सकती है जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो ।

स्पष्टीकरण–एकः–––वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार से की जायगी :––

(एक) कमरे––आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप ;

(दो) आच्छादित बरामदा–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप ;

(तीन) बालकनी, कारीडोर–आन्तरिक आयाम की पचास प्रतिशत माप ; रसोई और भण्डार गृह

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 2(ख) प्रतिबन्धक द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 2009 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(चार) गैराज–आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप ;

(पांच) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण–दो:––किसी भवन के मानक किराया, सम्मत किराया या रीजनेबुल एनुअल रेन्ट की, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराय पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए है, गणना उस भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय, नहीं की जायगी।]

[1][(2) यदि [2][निगम] ऐसा संकल्प करे तो वार्षिक मूल्य, सम्पत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, निम्न प्रकार होगा :––

(क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासति आवासिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) क अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना नहीं है तो 25 प्रतिशत कम और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 32.5 प्रतिशत कम और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो चालीस प्रतिशत कम, समझा जायेगा ; और

(ख) किराये पर उठाये गये आवासिक भवन के मामले में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से, यदि भवन दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत और यदि वह दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12,5 प्रतिशत, अधिक समझा जायगा और यदि वह बीस वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायगा ।]

[4][जल–कर लगाने पर प्रतिबन्ध]

[3]**[175**–धारा 173 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई कर इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय,–

(1) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, जब तक कि [2][निगम] द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जल सम्भरित न किया जाय; या

(2) किसी ऐसे भू–खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो और जिसे [2][निगम] द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो; या

(3) किसी ऐसे भू–खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या अन्य जल–कल से जहां पर जनता को [2][निगम] द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, उस नगर के लिए विहित अर्ध व्यास के भीतर न हो।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिये,–

(क) "भवन" में उसका अहाता (यदि कोई हो), और जहां एक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन थे, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित है ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 1978 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 60 द्वारा बढ़ाया गया

(ख) 'भू–खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से धृत हो जिसका कोई भी भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि का सार्वजनिक सम्मति के द्वारा पूर्णतया पृथक–कृत न हो।]

जल–कलों और जल–निस्सारण के निर्माण–कार्यो से होने वाली आय को एकत्र करना

176–जल–कर, जल–निस्सारण–कर और स्वच्छता–कर से होने वाली आय तथा ऐसी अन्य समस्त आय को जो जल–कलों, जल–निस्सारण कार्यो, नालियों तथा संडासों, मूत्रालयों और नल–कूपों से इकट्ठा किये गये मल इत्यादि और दूषित पदार्थो और ऐसे पदार्थो के निस्तारण से, तथा "सलेज फार्मो" से होती हो, एकत्र किया जायगा और उसे उक्त जल–कलों और जल–निस्सारण निर्माण–कार्यो के निर्माण, संधारण, विस्तार और सुधार के सम्बन्ध में और संडासों, मूत्रालयों तथा मल कूपों से मल इत्यादि और दूषित पदार्थ इकट्ठा करने, हटाने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत सलेज फार्मो का संधारण भी है, होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिये खर्च किया जायगा ।

किन भू–गृहादि पर सामान्य कर आरोपित किया जायगा

177–सामान्य कर नगर में स्थित सभी भवनों और भूमियों पर लगाया जायगा, सिवाय––

(क) उन भवनों और भूमियों के, जो एकमात्र मृतकों के निस्तारण से संबद्ध प्रयोजनो के लिये प्रयुक्त होती हों ;

(ख) उा भवनों और भूमियों या उनके ऐसे भाग के, जो केवल सार्वजनिक उपासना या दानोत्तर के प्रयोजन के लिये अध्यासन में हो ;

[1][(ग) ऐसे भवनों, जो एक मात्र स्कूलों या इण्टरमीडिएट कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हों, राजकीय सहायता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास से संबंधित संस्थानों के मैदान, खेत तथा उद्यान, राजकीय सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के खेल के मैदान और खेल स्टेडियम ।]

(घ) ऐन्शेन्ट मोनुमेंट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट, 1904 में परिभाषित प्राचीन स्मारकों के, किन्तु ऐसे किसी स्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दिये हुए किसी आदेश के अधीन रहते हुए ;

[2][(ङ) किसी ऐसे भवन या भूमि के जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रूपये या इससे कम हों, प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामी का उसी नगर में कोई अन्य भवन या भूमि न हो ;] [3][* * *]

(च) भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध जहां लागू होते हों उन्हें छोड़ कर भवन तथा भूमि जो भारत के संघ में निहित हों ।

[4][(छ) स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा कोई आवासिक भवन जो तीस वर्ग मीटर के भूखण्ड पर निर्मित किया गया हो या जिसका कारपेट एरिया 15 वर्ग मीटर तक हों ; प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामित्व में नगर मे कोई अन्य भवन न हों ;]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 38, 2006 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 1978 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 4(ख) द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 4(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।

[1][(ज) स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन जो किसी ऐसे क्षेत्र में हो जिसे पिछले दस वर्ष के भीतर नगर में सम्मिलित किया गया हों ;]

अनध्यासन (non-occupation) के कारण छूट

178–(1) जब किसी वर्ष कोई भवन या भूमि निरन्तर नब्बे या इससे अधिक दिनों तक खाली रही हो और उससे किराया न मिलता रहा हो तो [2][नगर आयुक्त] उस वर्ष के प्रत्येक संपत्ति–कर में उतनी छूट दे देगा या उसे वापस कर देगा जो उतने दिनों के अनुपात में हों जितने दिनों तक उक्त भवन या भूमि खाली रही हो और उससे किराया न मिला हो ।

(2) यदि किसी भवन में अलग–अलग लघु–गृह (tenements) हों और उनमें से एक या एकाधिक ऊपर उल्लिखित किसी अवधि तक खाली रहा हो, और उससे किराया न मिला हो, तो [2][नगर आयुक्त] प्रत्येक कर या किस्त के ऐसे भाग (यदि कोई हो) की छूट दे सकता है या उसे वापस कर सकता है जो विहित किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस समय तक कोई छूट न दी जायगी जब तक [3][निगम] को इस बात का लिखित नोटिस न दे दिया गया हो कि भवन या भूमि खाली है और उसमें कोई किराया नहीं मिल रहा है ; और ऐसा नोटिस देने के दिन से पूर्व की किसी अवधि के लिये कोई छूट या वापसी प्रभावी न होगी ।

(3) उन तथ्यों को, जिनके कारण कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन उपशम (relief) प्राप्त करने का अधिकारी हो, प्रमाणित करने का भार स्वयम उसी पर होगा ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भवन या भूमि खाली न समझी जायगी यदि वह आमोद–प्रमोद के स्थान (pleasure resort) या नगर गृह या ग्राम्यगृह (town or country house) के रूप में संधारित की जाती हो अथवा यह न समझा जायगा कि उससे किराया नहीं मिल रहा है या उसे किसी ऐसे किरायेदार या काश्तकार (tenant) के पास छोड़ दिया गया हो । जिसे उसक निरन्तर अध्यासन का अधिकार हो, चाहे वह उसके वास्तविक अध्यासन में हो या न हो ।

वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले कतिपय संपत्तिकरों के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व

179–(1) अन्यथा विहित की गई व्यवस्था को छोड़ कर, भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य पर प्रत्येक कर (जो जल–निस्सारण–कर या स्वच्छता–कर से भिन्न हो) प्राथमिक रूप से उस सम्पत्ति के जिस पर उक्त कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक अध्यासी पर लगाया जायगा, यदि वह उक्त भवनों या भूमियों का स्वामी हो या उसने उन्हें केन्द्रीय या राज्य सरकार या [3][निगम] से भवन सम्बन्धी पट्टे या अन्य पट्टे पर या किसी व्यदित से भवन सम्बन्धी पट्टे पर लिया हो ।

(2) किसी अन्य दशा में कर प्रथमतः (primarily) निम्नलिखित रूप से लगाया जायगा, अर्थात्––

(क) यदि सम्पत्ति किराये पर उठाई गई हो तो पट्टादाता से ;

(ख) यदि सम्पत्ति शिकमी पट्टे पर दी गयी हो तो वरिष्ठ (superior) पट्टादाता से ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 9(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) यदि सम्पत्ति किराये पर नहीं उठाई गई हो तो उस व्यक्ति से, जिसमें उसे किराये पर उठाने का अधिकार निहित हो ।

[1][(घ) यदि सम्पत्ति, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किराये पर उठाई गई हो, तो किरायेदार से ।]

(3) प्रथमतः देनदार व्यक्ति से कोई ऐसी धनराशि, जो उससे उक्त कर के रूप में प्राप्य (due) हो, वसूल न होने पर [2][नगर आयुक्त] उन भवनों या भूमियो के, जिनके सम्बन्ध में वह देय हो, किसी भाग के अध्यासी (occupier) से उस कर का ऐसा भाग वसूल कर सकता है, जो देय कर की सम्पूर्ण धनराशि के उस अनुपात में हो जो उक्त अध्यासी द्वारा देय वार्षिक किराये की धनराशि में तथा उक्त पूरे भवन या भूमि के सम्बन्ध में देय कुल किराये की धनराशि, या प्रमाणीकृत कर निर्धारण–सूची (authenticated assessment list) में उसके किराये के मूल्य की कुल धनराशि में हो ।

(4) यदि कोई अध्यासी कोई ऐसा भुगतान करे जिसके लिए पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन वह प्रथमतः देनदार नहीं है तो किसी विपरीत संविदा के न होने पर, वह प्रथमतः देनदार व्यक्ति से उक्त धनराशि की भरपाई (reimbursement) पाने का अधिकारी होगा ।

ऐसे अन्य करों के भुगतान का दायित्व

180–(1) भवनों या भूमियों के वार्षिक मूल्य पर जल–निस्सारण कर या स्वच्छता कर उस सम्पत्ति के, जिस पर वे कर निर्धारित किये गये हों, वास्तविक अध्यासी से वसूल किये जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी संपत्ति एक से अधिक अध्यासियों को किराये पर उठाई गई हो तो [2][नगर आयुक्त] को यह विकल्प (option) प्राप्त होगा कि वह वास्तविक अध्यासियों के बजाय पट्टेदाता (lessor) से कर वसूल करे ।

(2) कोई पट्टादाता, जिससे उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन कर वसूल किया गया हो, किसी विपरीत संविदा के न होने पर उक्त कर की धनराशि किन्हीं या सभी वास्तविक अध्यासियों से वसूल कर सकता है ।

संपत्ति–कर उन भू–गृहादि पर, जिन पर वे निर्धारित किये गये हों, प्रथम भार (charge) होगा

181–(1) राज्य सरकार को किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में देय मालगुजारी, यदि कोई हो, का पहले भुगतान कर दिये जाने के प्रतिबंघों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन उस भवन या भूमि के सम्बन्ध में देय संपत्ति–कर, राज्य सरकार से सीधे लिये गये (held immediately) किसी भवन या भूमि की दशा में, उक्त भवन मे भूमि में स्थित चल–सम्पत्ति पर, यदि कोई हो, जिसका वह स्वामी हो और किसी अन्य भवन या भूमि की दशा में उक्त भवन या भूमि पर, जो उस व्यक्ति की हो जो ऐसे करों का देनदार है, सर्वप्रथम भार होगा ।

<u>**स्पष्टीकरण**</u>––इस धारा में शब्द "संपत्ति–कर" के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे व्यय, जो किसी भू–गृहादि को संभरण किये गये के कारण देय हों और नियमावली में निर्दिष्ट सम्पत्ति–कर की वसूलीपर होने वाले व्यय आ जाते है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उत्पन्न किसी भार को कार्यान्वित करने के लिये प्रस्तुत वाद की किसी डिग्री में न्यायालय यह आज्ञा दे सकता है कि देय धनराशि पर,

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

वाद प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से उसकी वसूली के दिनांक तक, उस ब्याज की दर से, जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, [1][निगम] को ब्याज की दर से, जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, [1][निगम] को ब्याज दिया जाय ओर ऐसे ब्याज तथा ऐसे भार को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में होने वाला व्यय, जिसमें वाद–व्यय और उक्त डिग्री के अधीन सम्बद्ध भू–गृहादि या चल–सम्पत्ति की बिक्री पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है, उपर्युक्त बातों के अधीन रहते हुए, देय धनराशि सहित ऐसे भू–गृहादि और चल–सम्पत्ति पर प्रथम भार होगा और न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि बिक्री की आय में से उक्त धनराशियों का भुगतान [1][निगम] को कर दिया जाय ।

वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर

वाहनों और नावों तथा पशुओं पर कर

182–(1) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई कर उन दरों से ऊंची दरों पर न लगाया जायगा, जो राज्य सरकार समय–समय पर एतदर्थ, यथास्थिति, वाहनों और नावों अथवा पशुओं के सम्बन्ध में नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे ।

(2) [1][निगम] वर्ष प्रति वर्ष धारा 148 के अनुसार वह दरें निर्धारित करेंगी, जिनके अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर लगाया जायगा ।

(3) किसी ऐसे वाहन , नाव या पशु के सम्बन्ध में जो नगर की सीमाओं के बाहर रखा गया हो किन्तु जो निगमित रूप से उन सीमाओं के भीतर प्रयुक्त होता हो, यह समझा जायगा कि वह नगर में प्रयोग के लिये रखा गया है ।

धारा 172 में उल्लिखित कतिपय करों से मुक्ति

183–(1) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कर निम्नलिखित के सम्बन्ध में न लगाया जा सकेगा––

(क) वाहन और नावें, जो [1][निगम] की हों ;

(ख) भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड (2) को उपबन्ध जहां लागू होते हों उसे छोड़कर वाहन और नावें, जो भारत के संघ में निहित हों ;

(ग) भारत के संघ में सम्मिलित किसी राज्य में निहित वाहन और नावें, जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होती हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होती हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो ;

(घ) वाहन और नावें, जो केवल घायलों, बीमारों या मृतकों को निःशुल्क लाने ले जाने के लिये अभिप्रेत हों ;

(ङ) बच्चों के पेराम्बूलेटर और तीन पहिये की साइकिल ;

(च) वाहन या नावें, जिन्हें वाहनों या नावों के वास्तविक व्यापारी केवल विक्रय के प्रयोजनार्थ अपने पास रखते हों और जो प्रयुक्त न होती हों ;

(2) धारा 172 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कर निम्नलिखित के सम्बन्ध में न लगाया जा सकेगा––

(क) पशु, जो [1][निगम] के हों ;

(ख) भारत के संघ में निहित पशु, जब भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड (2) के उपबन्ध लागू न होते हों ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) भारत के संघ में सम्मिलित किसी राज्य में निहित पशु जो केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होते हों तथा लाभ के प्रयोजनार्थ न तो वे प्रयुक्त होते हों और न एतदर्थ उनका प्रयोग अभिप्रेत हो ।

(3) यदि उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) या उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन इस आशय का कोई प्रशन उठ खड़ा हो कि भारत के संघ या उसमें सम्मिलित किसी राज्य में निहित कोई वाहन, नाव या पशु लाभ के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होता है या नहीं, अथवा एतदर्थ उसका प्रयोग अभिप्रेत है या नहीं तो उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

अन्य कर

परिवृद्धि–कर (Betterment tax)

184–परिवृद्धि–कर से तात्पर्य है वह कर जो किसी ऐसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर लिया जाय जो अध्याय 14 के अधीन प्रवृत्त किसी योजना में सम्मिलित हो, किन्तु उसके निष्पादन के लिये वास्तव में अपेक्षित न हो अथवा ऐसी किसी भूमि के मूल्य की वृद्धि पर जो उक्त योजना की सीमा के पार्श्व (adjacent) में हो और उससे एक चौथाई मील के भीतर हो, किन्तु–प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पार्श्ववर्ती भूमि नगर के भीतर स्थित हो ।

परिवृद्धि–कर की धनराशि

185–परिवृद्धि–कर की धनराशि धारा 187 की उपधारा (2) के अधीन सार्वजनिक नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक को उक्त भूमि के बाजार–मूल्य और अध्याय 14 के अधीन योजना के अन्तिम रूप से विज्ञापित किये जाने के दिनांक को या उसके ठीक पूर्व के दिनांक पर उक्त भूमि के बाजार मूल्य के अन्तर की धनराशि के आधे के बराबर होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हिसाब लगाने के प्रयोजनों के लिये भूमि सब भवनों से रहित समझी जायगी ।

परिवृद्धि–कर का भुगतान

186–जहां [1][निगम] ने धारा 172 की उपधारा (2) के खंड में उल्लिखित कर आरोपित किया है धारा 184 में उल्लिखित भूमि का प्रत्येक स्वामी या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका उक्त भूमि के मूल्य की वृद्धि के सम्बन्ध मे कोई स्वत्व हो, आगे व्यवस्थित रीति से [1][निगम] को उतना परिवृद्धि–कर अदा करेगा जितना [2][नगर आयुक्त] निर्धारित करे।

परिवृद्धि–कर लगाये जाने की नोटिस

187–(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा जो दिनांक घोषित करेगी जिस पर योजना पूर्ण हुई समझी जायगी ।

(2) उपधारा (1) में घोषित योजना पूर्ण होने के एक वर्ष के भीतर [2][नगर आयुक्त], [1][निगम] के इस अभिप्राय का एक सार्वजनिक नोटिस देने की वह एक निर्दिष्ट दिनांक से परिवृद्धि–कर लगाना चाहता है ।

परिवृद्धि–कर की धनराशि निर्धारित करना

188–(1) [2][नगर आयुक्त] उक्त नोटिस के प्रकाशन एक मास के पश्चात् किसी भी समय, सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा देय परिवृद्धि–कर के धनराशि निर्धारित करेगा और उस व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा, जिससे कर की धनराशि और किस्तों, यदि कोई

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

हो, तथा दिनांक जब कर का भुगतान किया जायगा और ऐसे अन्य विवरणों का, जो आवश्यक हों, उल्लेख किया जायगा ।

(2) कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन निर्धारण से नोटिस तामील किया गया हो, ऐसा नोटिस तामील किये जाने के दिनांक ने एक मास के भीतर उक्त निर्धारण के विरूद्ध [1][नगर आयुक्त] के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी कोई आपत्ति स्वीकार की जा सकती है यदि उपधारा (3) में अभिदिष्ट कार्यकारिणी समिति या उसकी उप–समिति का यह समाधान हो जाय कि आपत्ति ऐसे कारणों से प्रस्तुत न की जा सकी थी जो आपत्तिकर्ता के वश के बाहर थे ।

(3) आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कार्यकारिणी समिति या एतदर्थ नियुक्त उसकी उप–समिति आपत्ति का निर्णय करेगी और तत्पश्चात् वह कर–निर्धारण की पुष्टि कर सकती है, उसका परिष्कार कर सकती है या उसे रद्द (cancel) कर सकती है ।

(4) यदि वह व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन निर्धारण का नोटिस तामील किया गया हो, उपधारा (2) के अधीन आपत्ति प्रस्तुत नहीं करता तो कर–निर्धारण की आज्ञा निश्चायक होगी और उस पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में कोई आक्षेप नहीं किया जायगा ।

परिवृद्धि–कर का भुगतान करने के सम्बन्ध में विकल्प (alternative)

189–(1) परिवृद्धि–कर का देनदार कोई व्यक्ति यदि वह चाहे, तो [2][निगम] को उसका भुगतान करने के बजाय [2][निगम] के साथ इस आशय का एक अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है कि वह इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज की निरन्तर अदायगी करता रहेगा, भूमि में अपने स्वत्व पर एक भार (charge) के रूप में उक्त भुगतान को बकाया रखेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया हो, किसी भी समय धारा 188 के अधीन निर्धारित कर की धनराशि के अदायगी कर सकता है, किन्तु उसे अपने इस अभिप्राय का 6 मास का नोटिस देना होगा ।

परिवृद्धि–कर की बकाया धनराशि की वसूली

190–परिवृद्धि–कर की बकाया की वसूली अध्याय 21 में व्यवस्थित रीति से की जायेगी ।

अचल सम्पत्ति हस्तांतरण के लेखों (deeds of transfer) पर कर

191–(1) यदि [2][निगम] ने धारा 172 के खंड (छ) में निर्दिष्ट कर लगाया हो तो अचल सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण लेख पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1889 द्वारा लगाया गया शुल्क (duty) नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में [3][प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाय,] 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायगा।

(2) उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गई समस्त धनराशि, प्रासंगिक (incidental) व्ययों, यदि कोई हों, के घटाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा [2][निगम] को उस रीति से अदा की जायेगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 1966 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1889 की धारा 27 इस प्रकार पढ़ी जायगी तथा उसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायेगा मानों उसमें निर्दिष्ट ब्यौरे निम्नलिखित के संबंध में पृथक–पृथक देना उसके द्वारा विशिष्ट रूप से अपेक्षित हों––

(क) नगर के भीतर स्थित संपत्ति ; और

(ख) नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1889 की धारा 64 का इस प्रकार पढ़ा जायगा और उसका अर्थ इस प्रकार लगाया जायगा मानों उसमें [1][निगम] और राज्य सरकार दोनों ही को निर्दिष्ट किया गया हो (referred)।

***[विज्ञापनों पर कर]**

[192**–जहां [1][निगम] ने धारा 172 की उपधारा (2) के खंड (ज) में उल्लिखित कर आरोपित किया है प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भूमि, भवन, दीवाल, तख्ती (hoarding) या ढांचे (structure) पर या उसके ऊपर कोई विज्ञापन लगाता, प्रदर्शित करता, चिपकाता या कायम रखता है (erects, exhibits, fixes or retains) अथवा जो किसी भी स्थान में चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, किसी भी रीति से सर्वसाधारण के सम्मुख कोई विज्ञापन प्रदर्शित करता है, इस प्रकार लगाये गये, प्रदर्शित किये, चिपकाये गये, कायम रखे गये अथवा सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित किये गये, प्रत्येक विज्ञापन के लिए ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से तथा ऐसी मुक्तियों (exemptions) के अधीन रहते हुए, जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा की गई हो लगाये गये कर का शोधन करेगा :*

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन निम्नलिखित प्रकार के विज्ञापन या नोटिस पर कोई कर नहीं लगाया जायगा––

(क) सार्वजनिक सभाओं (meetings) का ; या

(ख) किसी विधायिका संस्था या [1][निगम] के निर्वाचन का ; या

(ग) उक्त निर्वाचन के संबंध में उम्मीदवारी का ;

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यह कर किसी ऐसे विज्ञापन पर न लगाया जायगा जो आकाश चिन्ह (sky sign) न हो और जो––

(क) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाय; या

(ख) उस भूमि या भवन के भीतर किये जाने वाले या व्यवसाय के बारे में हों, जिस पर या ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो या भूमि या भवन या उनके भीतर सामान की किसी बिक्री या उसको किराये पर देने के हो या उसमें या उसके भीतर होने वाली किसी मनोरंजन या बैठक के बारे में हों ; या

(ग) ऐसी भूमि अथवा भवन के नाम के बारे में हो, जिस पर जिसके ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो या भूमि या भवन के स्वामी अथवा अध्यासी के नाम के बाद हो; या

(घ) किसी रेलवे प्रशासन के कारोबार में हो; या

(ङ) किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेलवे प्रशासन की किसी दीवाल या किसी अन्य सम्पत्ति पर––सिवाय ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह के किसी भाग के जो किसी सड़क के सामने पड़ती हो––प्रदर्शित किया जाता है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

* उ0 प्र0 अधिनियम 1, 2017 की धारा 173 द्वारा प्रश्नगत अधिनियम की धारा 192 का लोप किया गया।

स्पष्टीकरण–1—*इस धारा में शब्द "ढांचा" के अलग पहियेदार ऐसा सचल बोर्ड भी होगा जिसका प्रयोग विज्ञापन अथवा विज्ञापन के साधन के रूप मे किया जाता हो।*

स्पष्टीकरण–2—*इस धारा के प्रयोजनों के लिये शब्द "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य है कोई ऐसा स्थान जो जनता के प्रयोग तथा आमोद–प्रमोद के लिये उपलब्ध हो चाहे वह जनता द्वारा वास्तव में प्रयोग या उपयोग में लाया जाता है या न लाया जाता हो।*

[1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुमति के बिना विज्ञापनों का प्रतिषेध

193–*(1) [1][निगम] द्वारा धारा 192 के अधीन कर का लगाया जाना निर्धारित किये जाने के पश्चात् [2][नगर आयुक्त] की लिखित अनुमति बिना, नगर के भीतर किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन–फलक या ढांचे पर कोई भी विज्ञापन न लगाया जायगा, न प्रदर्शित किया जायगा, न चिपकाया या कायम रखा जायगा और न किसी स्थान में किसी भी ढंग से प्रदर्शित किया जायगा ।*

(2) [2][नगर आयुक्त] ऐसी अनुमति न देगा यदि –

(क) उक्त विज्ञापन धारा 541 के खंड (47) के अधीन [1][निगम] द्वारा बनायी गयी किसी उपविधि का उल्लंघन करता हो; या

(ख) विज्ञापन के संबंध में देय कर का, यदि कोई हो, भुगतान न किया गया हो।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विज्ञापन के सम्बन्ध में जिस पर विज्ञापन कर लग सकता हो, [2][नगर आयुक्त] ऐसी अवधि के लिये अनुमति प्रदान करेगा, जिससे कर का भुगतान संबंध रखता हो और ऐसी अनुमति देने के निमित्त कोई शुल्क न लिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध किसी रेलवे प्रशासन के कारोबार संबंधी विज्ञापन पर या ऐसे विज्ञापन पर लागू न होंगे जो किसी रेलवे कम्पनी के भू–गृहादि पर लगाया गया हो, प्रदर्शित किया गया हो, चिपकाया या कायम रखा गया हो। **]***

कतिपय दशाओं में [1][नगर आयुक्त] की अनुमति का शून्य होना

194–धारा 193 के अधीन दी गई अनुमति निम्नलिखित दशाओं में शून्य (void) होगी, अर्थात् :–

(क) यदि विज्ञापन धारा 541–क खंड (47) के अधीन [1][निगम] द्वारा निर्मित किसी उपविधि का उल्लंघन करता हो ;

(ख) यदि विज्ञापन में कोई परिवर्द्धन किया गया हो, सिवाय उस दशा के जब [2][नगर आयुक्त] के आदेशानुसार उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन से ऐसा किया जाय ;

(ग) यदि विज्ञापन अथवा उसके किसी भाग में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाय ;

(घ) यदि विज्ञापन अथवा उसका कोई भाग दुर्घटना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से गिर जाय ;

(ङ) यदि उस भवन, दीवाल या ढांचे में, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाय और ऐसा परिवर्द्धन या परिवर्तन विज्ञापन अथवा उसके किसी भाग के लिये बाधक सिद्ध होता हो ; और

(च) यदि भवन, दीवार या ढाँचा, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया गया, प्रदर्शित किया गया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, गिराया या नष्ट कर दिया जाये।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

* उ0 प्र0 अधिनियम 1, 2017 की धारा 173 द्वारा प्रश्नगत अधिनियम की धारा 192 एवं 193 का लोप किया गया।

विज्ञापन से लाभानुयोगी उत्तरदायी समझा जायगा

195–यदि कोई विज्ञापन धारा 192 अथवा 193 का उल्लंघन करके किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन फलक (hoarding) अथवा ढांचे (structure) पर अथवा उसके ऊपर लगाया (erected), प्रदर्शित किया, चिपकाया, या कायम रखा जायगा अथवा उसे इस प्रकार किसी अवधि के लिये लगाने प्रदर्शित करने, चिपकाने या कायम रखने के लिये दी गई लिखित अनुमति समाप्त या शून्य हो गई हो तो वह व्यक्ति जिसके लिये अथवा जिसके प्रयोजनार्थ विज्ञापन प्रत्यक्षतः लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, के विषय में यह समझा जायगा कि वही वह व्यक्ति है जिसने उपबन्धों का उल्लंघन करके इस प्रकार के विज्ञापन को लगाया (erected), प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा है, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि ऐसा उल्लंघन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसकी नौकरी अथवा नियंत्रण में नहीं था अथवा वह बिना उसके अज्ञानाभिनय (connivance) के किया गया था ।

अप्राधिकृत विज्ञापनों का हटाया जाना

196–यदि धारा 192 अथवा 193 के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो अथवा उसे इस प्रकार किसी अवधि के लिये लगाने, प्रदर्शित करने, चिपकाने या कायम रखने के लिए दी गई अनुमति समाप्त या शून्य हो गई हो तो [1][नगर आयुक्त] ऐसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन–फलक (hoarding) या ढांचे के, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन लगाया, प्रदर्शित किया, चिपकाया या कायम रखा गया हो, स्वामी, या अध्यासी को लिखित नोटिस दे कर यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे विज्ञापन को उतार ले या हटा दे अथवा वह किसी भवन, भूमि या सम्पत्ति में प्रवेश कर सकता है और विज्ञापन को हटवा सकता है ।

प्रेक्षागृह–कर से मुक्ति

197–निम्नलिखित के विषय में प्रेक्षागृह–कर नहीं लगाया जा सकेगा––

(क) कोई मनोंरंजन अथवा आमोद–प्रमोद जिसमें प्रवेश के लिए कोई शुल्क न लिया जाता हो अथवा केवल नाममात्र शुल्क लिया जाता हो ;

(ख) कोई मनोरंजन अथवा आमोद–प्रमोद जो सर्वसाधारण के लिये शुल्क पर उपलब्ध न हो ;

(ग) कोई मनोंरंजन अथवा आमोद–प्रमोद जिसकी सम्पूर्ण आय बिना व्यय काटे हुए किसी सार्वजनिक दानोत्तर प्रयोजन के लिए व्यय की जाने वाली हो ।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए नाममात्र शुल्क वह शुल्क होगा जो नियमों द्वारा निश्चित किया जाय ।

198– [2][X X X X]

करों का आरोपण

प्रारंभिक प्रस्थापनाओं (proposals) का तैयार किया जाना

199–(1) यदि [3][निगम] धारा 172 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई कर आरोपित करना चाहे तो वह संकल्प द्वारा कार्यकारिणी समिति को प्रस्थापनाएं तैयार करने का आदेश देगी जिनमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी––

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 9, 1991 की धारा 9 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) कर, जो धारा 172 की उपधारा (2) में उल्लिखित करों में से हों, जिसे वह आरोपित करना चाहती है ;

(ख) व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग, जिनकी उक्त कर देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना है तथा सम्पत्ति का अथवा अन्य वस्तु अथवा विभव (circumstances) जिस पर कर लगाया जा सकता हो, का विवरण, जिनके सम्बन्ध में उन्हें उत्तरदायी बनाया जायगा, सिवाय वहां और उस सीमा तक जहां तक इस अधिनियम द्वारा अथवा खंड (क) के अधीन पहले ही किसी वर्ग या विवरण (description) की परिभाषा पर्याप्त रूप से कर दी गई हो ;

(ग) धनराशि अथवा दर, जो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से वसूल की जाने वाली हों ;

(घ) धारा 219 में निर्दिष्ट अन्य कोई विषय, जिसे राज्य सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करने का आदेश दे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संकल्प के पारित हो जाने पर कार्यकारिणी समिति प्रस्थापनाएं तैयार करेगी और उन नियमों का पांडुलेख (draft) भी तैयार करेगी जिन्हें वह धारा 219 में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनवाना चाहती हो ।

(3) तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी प्रस्थापनाओं और उपधारा (2) के अधीन तैयार किये गये नियमों के पांडुलेख तथा साथ में नियम द्वारा विहित किये जाने वाले प्रपत्र (form) में एक नोटिस, नियम द्वारा विहित रीत्यानुसार प्रकाशित करायेगी ।

प्रस्थापनाएं तैयार करने के पश्चात् की प्रक्रिया

200–(1) उक्त नोटिस के प्रकाशन के दो सप्ताह के भीतर नगर का कोई भी निवासी [1][निगम] को पूर्ववर्ती धारा के अधीन बनाये गये किसी एक या सभी प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में अपनी लिखित आपत्ति भेज सकता है और इस प्रकार भेजी गई किसी भी आपत्ति पर [1][निगम] विचार करेगी और विशेष संकल्प द्वारा उस पर आज्ञा देगी ।

(2) यदि [1][निगम] कार्यकारिणी समिति की समस्त या किन्हीं प्रस्थापनाओं को परिष्कृत करने का निश्चय करे, तो [2][नगर आयुक्त] परिष्कृत प्रस्थापनाओं के और यदि आवश्यक हो, नियमों के संशोधित पांडुलेख को प्रकाशित करेगा, और उसके साथ ही इस आशय का एक नोटिस भी प्रकाशित करेगा कि उक्त प्रस्थापना और नियम (यदि कोई हो) आपत्ति के निमित्त पूर्व प्रकाशित प्रस्थापनाओं और नियमों के परिष्कृत रूप है।

(3) परिष्कृत प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में जो आपत्तियां प्राप्त होंगी उन पर उपधारा (1) में विहित रीति के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

(4) जब [1][निगम] अपनी प्रस्थापनाओं को अन्तिम रूप से निश्चित कर ले तो [2][नगर आयुक्त] उन्हें इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई आपत्तियों (यदि कोई हो) सहित राज्य सरकार के पास भेज देगी ।

प्रस्थापनाओं की स्वीकृत, अस्वीकृत

201–पूर्ववर्ती धारा के अधीन प्रस्थापनाएं और आपत्तियां प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उन पर स्वीकृति देने से इन्कार कर सकती है, अथवा उन्हें [1][निगम] के पास अतिरिक्त विचार के हेतु भेज सकती है अथवा उन्हें बिना किसी परिष्कार के अथवा ऐसे

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परिष्कार के साथ जिससे आरोपित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि न हो, जैसा कि उसे उचित प्रतीत हो, स्वीकार कर सकती है ।

अथवा परिष्कृत करने का राज्य सरकार का अधिकार

कर–आरोपण का आदेश देने के हेतु [1][निगम] का संकल्प

202–(1) राज्य सरकार द्वारा प्रस्थापनाएं स्वीकृत कर ली जाने पर, राज्य सरकार, [1][निगम] द्वारा प्रस्तुत नियमों के पांडुलेख पर विचार करने के पश्चात्, कर के सम्बन्ध में ऐसे नियम बनाने के लिए कार्यवाही करेगी जिसे वह तत्समय आवश्यक समझे।

(2) नियम बन जाने पर स्वीकृति की आज्ञा तथा नियमों की एक प्रतिलिपि [1][निगम] के पास भेज दी जायगी, और तदुपरान्त [1][निगम] विशेष संकल्प द्वारा उस दिनांक से, जो संकल्प में निर्दिष्ट किया जायगा, करके आरोपण का आदेश देगी ।

कर का आरोपण

203–(1) धारा 202 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायगी ।

(2) संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर राज्य सरकार किसी निश्चित दिनांक से कर का आरोपण सरकारी गजट में विज्ञापित करेगी, और सभी दशाओं में इस प्रकार विज्ञापित किये जाने की शर्त के अधीन ही कोई कर आरोपित किया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कर के आरोपण की विज्ञप्ति इस बात की निश्चायक प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आरोपित किया गया है ।

करों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया (procedure)

204–किसी कर को हटाने अथवा धारा 199 की उपधारा (1) के खंड (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में किसी कर को परिवर्तित करने की प्रक्रिया, जहां तक सम्भव हो, वही होगी, जो धारा 199 से लेकर 202 में कर के आरोपण के लिए विहित है ।

राज्य सरकार का किसी कर को कम करने अथवा समाप्त कर देने का अधिकार

205–(1) जब कभी राज्य सरकार की शिकायत किये जाने पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि किसी कर का उगाहना सार्वजनिक हितों के विरूद्ध है, या यह कि कोई कर अपने भार में (incidence) उचित नहीं है तो, राज्य सरकार सम्बद्ध [1][निगम] के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आज्ञा द्वारा उस [1][निगम] को यह आदेश दे सकती है कि वह उस अवधि के भीतर जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट होगी ऐसी किसी भी त्रुटि (defect) को दूर करने का उपाय करे जो राज्य सरकार के विचार में उस कर में अथवा उसके निर्धारण या वसूली की पद्धती में विद्यमान है ।

(2) यदि [1][निगम], राज्य सरकार के सन्तोषानुसार उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश का पालन न कर सके या पालन करने में असमर्थ रहे तो राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा कर की अथवा उसके किसी अंश की उगाही, उस समय तक निलम्बित कर सकती है, जब तक कि त्रुटि दूर न कर दी जाय अथवा कर को समाप्त या कम कर सकती है ।

[1][निगम] को कर–आरोपण का आदेश देने

206–(1) राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा [1][निगम] को आदेश दे सकती है कि वह धारा 172 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई ऐसा कर, जो आरोपित न किया गया हो, ऐसी दर से और ऐसी अवधि

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

के भीतर जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायगी आरोपित करे और तत्पश्चात् [1][निगम] तदनुसार कार्य करेगी ।

का राज्य सरकार का अधिकार

(2) राज्य सरकार [1][निगम] को किसी आरोपित किये गये कर की दर को बढ़ाने, परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त [1][निगम] कर को आदेशानुसार बढ़ायेगी, परिष्कृत करेगी अथवा परिवर्तित कर देगी ।

(3) यदि [1][निगम] उपधारा (1) अथवा (2) के अधीन दिये गये आदेश का पालन न कर सके तो राज्य सरकार कर को आरोपित करने, बढ़ाने, परिष्कृत करने अथवा परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त आज्ञा दे सकती है और तदुपरान्त राज्य सरकार की आज्ञा उसी प्रकार प्रवर्तन में आयेगी मानों वह [1][निगम] द्वारा यथावत पारित संकल्प हो।

सम्पत्ति करों का निर्धारण और लगाया जाना

निर्धारण सूची का तैयार किया जाना

[2][**207**–नगर आयुक्त समय–समय पर नियमावली में विहित रीति के अनुसार नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दर और निर्धारण सूची तैयार करायेगा।]

स्व–निर्धारित सम्पत्ति कर जमा करने का विकल्प

[3] [**207–क**–इस अधिनियम में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, किसी [4][भवन] का स्वामी, या अध्यासी जो ऐसे भवन के संबंध मे कर का भुगतान करने के लिये मुख्यतः दायी हो अपने द्वारा देय सम्पत्ति कर की धनराशि से संबंधित अपने दायित्व का निर्धारण प्रत्येक वर्ष स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह [4][धारा 174] के उपबन्धों के अनुसार भवन का वार्षिक मूल्य स्वयं अवधारित कर सकता है और अपने द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर की ऐसी रीति से ऐसे प्रबन्ध स्व–निर्धारण विवरण के साथ, जैसा विहित किया जाय, जमा कर सकता है ।]

कर निर्धारण के लिये भवनों या भूमियों का विवरण प्रस्तुत किया जाना

[5][**207–ख**–(1) वार्षिक किराये के मूल्य के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी ऐसे दिनांक तक जैसा विहित किया जाय एक सम्पत्ति विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो बिना उचित कारणों के उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, वह ऐसी शास्ति जो विहित की जाय, भुगतान करने का दायी होगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन नगर आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा ।]

सूची का प्रकाशन

[6][**208**–नगर आयुक्त धारा 207 के अधीन तैयार की गई सूची का प्रकाशन नियमावली में विहित रीति के अनुसार करेगा ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 2009 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**209**–नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, नियमावली में विहित रीति के अनुसार आपत्तियों का निपटारा करेगा ।] **प्रस्तावित दरों तथा सूची पर आपत्तियां**

210–[2][(1) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी यथास्थिति, नगर या उसके किसी भाग की क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करेगा ।] **सूची का प्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा**

(2) इस प्रकार प्रमाणीकृत सूची [3][निगम] के कार्यालय में जमा कर दी जायगी, और तदुपरान्त वह सार्वजनिक नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को निरीक्षण के लिये उपलब्ध घोषित कर दी जायगी ।

211–(1) प्रत्येक [4][दो वर्ष] में एक बार धारा 207 से 210 तक में विहित रीति के अनुसार साधारणतया एक नयी निर्धारण सूची तैयार की जायगी । **सूची का पुनरीक्षण तथा उसकी अवधि**

(2) धारा 213 के अधीन किये गये किसी परिवर्तन अथवा संशोधन तथा धारा 472 के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए मूल्यांकन (valuation) सूची में दर्ज प्रत्येक मूल्यांकन तथा निर्धारण [5][नगर या उसके भाग में उस सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण हाने के ठीक पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिन तक] वैध रहेगा ।

[6][किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विधि न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के परिणामस्वरूप नयी निर्धारण सूची या उसका कोई भाग प्रभावी न हो सकता हो तो ऐसे आदेश या निर्णय के अधीन रहते हुए पुरानी निर्धारण सूची या उसका तदनुरूप भाग प्रभावी बना रहा समझा जायगा ।]

212–निर्धारण सूची में की गई कोई प्रविष्टि–– **सूची की प्रविष्टियों (entries) का निष्चय होना**

(क) उक्त सूची से सम्बन्ध रखने वाले कर से सम्बद्ध किसी प्रयोग जन के निमित्त उस धनराशि के लिये जो सूची से सम्बद्ध कालावधि में किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में लगायी जा सकती हो ; और

(ख) किसी अन्य [3][निगम] कर के निर्धारण के प्रयोजन निमित्त उक्त कालावधि में किसी भवन अथवा भूमि वार्षिक मूल्य के लिये, निश्चायक प्रमाण होगी ।

213–(1) [7][नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी] किसी भी समय निम्न प्रकार से निर्धारण सूची में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकती है–– **सूची में संशोधन तथा परिवर्तन**

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के नाम की, जिसकी प्रविष्टि होनी चाहिये थी अथवा किसी ऐसी सम्पत्ति की, जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकरण के पश्चात् कर–आरोपण के योग्य हो गयी हो, प्रविष्टि करके ; या

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 03, 1987 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 18 परन्तुक द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) उसमें किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि करके जिसे हस्तान्तरण (transfer) अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया हो ; या

(ग) किसी ऐसी सम्पत्ति के मूल्यांकन अथवा निर्धारण में वृद्धि करके जिसका [1] मूल्यांकन अथवा निर्धारण छल, भ्रांत कथन अथवा त्रुटियों के कारण गलत हो गया हो ; या

(घ) किसी ऐसी सम्पत्ति का फिर से मूल्यांकन अथवा निर्धारण करके जिसका मूल्य भवन में किये गये परिवर्द्धनों अथवा परिवर्तनों के कारण बढ़ गया हो ; या

(ङ) जब धारा 204 के उपबन्धों के अधीन उस वार्षिक मूल्य का, जिस पर कोई कर लगाया जाने वाला हो, प्रतिशत [2][निगम] द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो तो प्रत्येक मामले में देय कर की धनराशि में तदनुरूप (corresponding) परिवर्तन [3][या संशोधन] करके ; या

(च) स्वामी का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर, या इस बात पर सन्तोष जनक साक्ष्य मिलने पर कि स्वामी का पता नहीं है (is untraceable) और साथ ही साथ कमी करने की आवश्यकता सिद्ध हो गई है, स्वतः किसी ऐसे भवन के मूल्यांकन में कमी करके जो पूर्णतः या अंशतः गिरा दिया गया हो अथवा नष्ट कर दिया गया हो ; या

(छ) किसी लिपि–सम्बन्धी, गणना की (clerical, arithmetical) या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक करके :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति कार्यकारिणी समिति या उप–समिति स्वत्व रखने वाले (interested) किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) अथवा (घ) के अधीन कार्यकारिणी समिति या उप–समिति द्वारा प्रस्तावित किसी परिवर्तन [4][या संशोधन] का और उस दिनांक का, जिस पर परिवर्तन [4][या संशोधन] किया जायगा, कम से कम एक महीने का नोटिस देगी ।

[5][(1–क) सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह आवश्यक न होगा कि धारा 148 के अधीन कर की दर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन किये गये किसी परवर्तिन के सम्बन्ध में धारा 199 से 203 या धारा 207 से 210 तक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय ।]

(2) धारा 209 की उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्ध जो उनमें उल्लिखित आपत्तियों पर लागू होते हों, यथासंभव उपधारा (2) के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस के फलस्वरूप की गई किसी आपत्ति पर तथा उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन दिये गये किसी प्रार्थना–पत्र पर भी लागू होंगे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1987 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 19(1) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 19(1) प्रतिबन्ध द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 19(2) द्वारा बढ़ाया गया ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन [1][या संशोधन] धारा 210 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्ताक्षरों द्वारा प्रमाणीकृत किया जायगा और धारा 472 के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा, जिस पर अगली किस्त देय हो ।

संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता

[2][**214**–(1) जब किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा उसमें कोई विस्तार उसके स्वामी या अध्यासी द्वारा किया जाय और आच्छादित क्षेत्रफल 25 प्रतिशत से अधिक हो जाय, तो वह समापन के दिनांक के अथवा अध्यासन के दिनांक के, जो भी पहले हो, साठ दिन के भीतर नगर आयुक्त को उसकी सूचना विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से देगा ।

(2) ऐसे स्वामी या अध्यासी जो बिना उचित कारण के उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत नही करते हैं, ऐसे जुर्माने से, जो निर्धारित सामान्य कर के दोगुना के बराबर की धनराशि या 500 रू0 प्रतिदिन जो भी कम हो, तय हो सकता है, दण्डित किये जाने के भागी होंगे ।

(3) नगर आयुक्त उपधारा (2) के अधीन प्रस्तावित शास्ति का प्रशमन कर सकेगा ।]

पुनःअध्यासन का नोटिस देने का आभार

215–किसी ऐसी भूमि अथवा भवन का, जिसके लिये धारा 178 के अधीन कर में छूट दी जा चुकी हो अथवा कर लौटाया जा चूका हो, स्वामी ऐसे भवन या भूमि में पुनः अध्यासित होने के 15 दिन के भीतर ऐसे पुनः अध्यासन का नोटिस देगा।

करों का संहत किया जाना (consolidation)

216–धारा 173 में वर्णित सम्पत्ति करों के निर्धारण (assessing), लगाये जाने (levying) अथवा उगाही (collection) के प्रयोजनों के लिये, किन्तु आरोपण (imposing) अथवा मुक्ति (exemption) के प्रयोजन के लिये नहीं, [3][निगम] ऐसे किन्हीं दो अथवा अधिक करों को संहत (consolidate) कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संहत कर से सम्बद्ध किसी पंजी अथवा निर्धारण सूची में जो किसी व्यक्ति को निर्धारण सूची के अधीन उसके दायित्व की सूचना देने, अथवा धारा 175 अथवा 176 के उपबन्धों का पालन करवाने के लिये प्रयोग में लायी जाती हों, [4][नगर आयुक्त] संहत कर को उसमें समाविष्ट विभिन्न करों में संविभाजित करेगा (apportion), जिससे प्रत्येक कर के अधीन निर्धारित की गयी अथवा उगाही गयी (assessed or collected) आसन्न धनराशि अलग–अलग दिखाई जा सके ।

छूट (exemption) के कारण कमी (deduction)

217–(1) किसी संहत कर (consolidated) का निर्धारण करते समय उसमें समाविष्ट किसी एक में कर (any single tax) में अंशतः अथवा पूर्णतः दी गई छूट (exemption) को कार्यान्वित किया जायगा ।

(2) उक्त कार्यान्वय करना निम्न प्रकार से होगा––

(क) आंशिक छूट (partial exemption) की दशा में, संहत कर जो अन्यथा किन्हीं ऐसे भवनों, भूतियों अथवा दोनों, जिस पर छूट लागू होती हो, के सम्बन्ध में लगाये जाने अथवा निर्धारित किये जाने योग्य (leviable or assessable) होता, की कुल धनराशि में से ऐसी धनराशि की, जो एकल कर (single tax) के कारण अन्यथा

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 19(1) प्रतिबन्ध द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

निर्धारित की गयी होती, छूट के समनुरूप (corresponding) आनुपातिक भाग (proportionate part) को कम करके ; और

(ख) पूर्ण छूट (total exemption) की दशा में, उक्त कुल धनराशि में से, एकल कर के कारण निर्धारित धनराशि को कम करके ।

ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरसरी कार्यवाहियां जो नगर छोड़ कर जाने ही वाले हों

218–(1) यदि इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन वसूल करने योग्य कोई धनराशि किसी व्यक्ति से देय (due) हो गई हो अथवा देय होने ही वाली हो, और यदि [1][नगर आयुक्त] के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि उक्त व्यक्ति नगर की सीमाओं को छोड़ने ही वाला है, तो [1][नगर आयुक्त] ऐसे व्यक्ति को उक्त धनराशि तुरन्त ही अदा करने का आदेश दे सकता है और इसके लिये उसके पास प्राप्यक (bill) भिजवा सकता है।

(2) यदि ऐसा प्राप्यक (bill) प्रस्तुत किये जाने पर, उक्त व्यक्ति तुरन्त ही उक्त धनराशि नहीं अदा कर देता अथवा [1][नगर आयुक्त] के सन्तोषानुसार प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करता तो उक्त धनराशि अध्याय 21 में निर्दिष्ट रीति के अनुसार उसकी चल सम्पत्ति के अभिहरण (distress) और बिक्री द्वारा अथवा उसकी अचल सम्पत्ति को कुर्की और बिक्री द्वारा वसूल की जायगी, परन्तु अपवाद यह है कि उसके ऊपर मांग की नोटिस (notice of demands) तामील करना आवश्यक न होगा, और [1][नगर आयुक्त] द्वारा अभिहरण तथा बिक्री का अधिपत्र (warrants of distress and sale) अविलम्ब जारी और निष्पादित किया जा सकता है ।

अन्य विषय

निर्धारण, उगाही तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियम

219–निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा विनियमित तथा नियमित (governed) होंगे, सिवाय उस सीमा तक जहां तक कि उनके सम्बन्ध में इस अधिनियम में व्यवस्था की गयी हो––

(क) करों का निर्धारण, उगाही अथवा सन्धान [2][* * *]

(ख) करों से बचने की रोकथाम ;

(ग) प्रणाली, जिसके अनुसार धनराशि की वापसी (refund) स्वीकृत की जायगी और उसका भुगतान किया जायगा ;

(घ) किसी कर के कारण भुगतान मांगने के नोटिस (notice demanding payment) तथा अभिहरण के अधिपत्रों (warrants of distress) के निष्पादन के लिए शुल्क ;

(ङ) अभिहरित पशुधन के संधारण के लिए ली जाने वाली धनराशि की दरें ;

(च) करों से सम्बद्ध अन्य कोई विषय, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में व्यवस्था न की गयी हो, अथवा अपर्याप्त व्यवस्था की गयी हो और राज्य सरकार की राय में ऐसी व्यवस्था आवश्यक हो ।

अभिसन्धान (Composition)

220–(1) किसी नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए [3][निगम] राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत (confirmed) किसी विशेष संकल्प द्वारा हय व्यवस्था कर सकती है कि किन्हीं या सभी व्यक्तियों को किसी कर के निमित्त अभिसन्धान करने (composition) की अनुज्ञा दी जा सकती है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 1991 की धारा 19 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कर के अभिसंधान (composition) के कारण देय कोई धनराशि अध्याय 21 मे व्यवस्थित रीति के अनुसार वसूल की जा सकेगी ।

छूट (exemption)

221–(1) [1][निगम] किसी ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है, जो उसकी राय में निर्धनता के कारण उसकी अदायगी करने में असमर्थ हो, और ऐसी छूट (exemption) की जितनी भी बार वह आवश्यक समझे, नवीकरण कर सकती है।

(2) [1][निगम] राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत किसी विशेष संकल्प द्वारा, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके किसी अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है ।

(3) राज्य सरकार, आज्ञा [2][ऐसी अवधि के लिए जैसा आज्ञा में विनिर्दिष्ट किया जाय] द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को अथवा किसी सम्पत्ति या उसके प्रकार को इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर या उसके अंश की अदायगी से मुक्त कर सकती है ।

स्वामी या अध्यासी द्वारा देय ब्याज

[3]**[221–क**–(1) जहां किसी भू–गृहादि के संबंध में कर के भुगतान मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी द्वारा इस निमित्त निर्धारित दिनांक अधिनियम के अधीन अपने द्वारा देय उसके किसी अंश का भुगतान न किया हो, वहां उसके द्वारा उस धनराशि असंदत्त रह गयी हो, 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के लिए निर्धारित दिनांक से भुगतान के दिनांक तक देय होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी ने अपने स्वयं के कर निर्धारण के आधार 207–क के अधीन कर का भुगतान कर दिया है और इस प्रकार भुगतान कि कर उसके द्वारा देय कर की धनराशि से निगम द्वारा कम पाया जाता है तो वह कर को ऐसी धनराशि पर जितनी देय कर से कम भुगतान की गई हो बारह वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कर के भुगतान के लिए निगम द्वारा निर्धारित से ऐसे अन्तर की धनराशि के भुगतान के दिनांक तक देय होगा।]

कारपेट एरिया और क्षेत्रफल का विवरण

[4]**[221–ख**–(1) किसी भू–गृहादि के संबंध में कर के भुगतान के लिए दायी प्रत्येक स्वामी या अध्यासी, यथास्थिति के कारपेट एरिया के संबंध में या भूमि के क्षेत्र के संबंध में एक विवरण ऐसे प्रारूप में और ऐसे जो इस निमित्त विहित किया जाय, निगम करेगा ।

(2) यदि इस निमित्त, ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, जांच से निगम का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया विवरण, तथ्यात्मक रूप से असत्य है क्योंकि यथास्थिति भवन के कारपोरेट के किसी भाग या भूमि के

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।

क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया गया हैं, व्यतिक्रमी पर, ऐसी रीति से, जो इस निमित्त विहित की जाय, एक हजार अनाधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है ।]

दायित्व प्रकट करने का आभार

222–(1) [1][निगम] लिखित–पत्र द्वारा नगर के किसी निवासी को ऐसी सूचना देने का आदेश दे सकती है जो निम्नलिखित किसी बात को निश्चित रूप से मालूम करने के लिए आवश्यक हो ––

(क) क्या उक्त निवासी पर इस अधिनियम के अधीन लगाये गये किसी कर को अदा करने का दायित्व है ;

(ख) उस पर कितना कर निर्धारित किया जाना चाहिए ;

(ग) उस भवन अथवा भूमि का वार्षिक मूल्य, जो उसके अध्यासन में हो और उसके स्वामी का नाम तथा पता ।

(2) यदि कोई निवासी, जिसे इस प्रकार सूचना देने का आदेश दिया गया हो, उक्त सूचना नहीं देता अथवा ऐसी सूचना देता है जो असत्य हो तो दोष सिद्ध होने पर उस पर जुर्माना किया जा सकता है, जो 500 रू0 तक हो सकता है ।

खोज (discovery) करने के अधिकार

223–[2][नगर आयुक्त] अथवा [1][निगम] के एतदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी या सेवक के मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए किसी भवन में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण तथा उसकी नाप (measure) कर सकता है अथवा किसी अस्तबल या वाहन–गृह (coach house) अथवा ऐसे अन्य स्थान में, जहां उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां कोई ऐसा वाहन अथवा पशु है जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर लगाया जा सकता है, प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसे निरीक्षणों पर धारा 560, 562 तथा 563 के उपबन्ध लागू होंगे ।

अपवाद (savings)

224–कोई निर्धारण सूची य अन्य सूची, नोटिस, प्राप्यक (bill) या इसी प्रकार का अन्य कोई लेख्य (document) जिसमें किसी कर, व्यय (charge), किराया या शुल्क के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति वस्तु या विभव (persons, property, thing or circumstances) के निर्देश किया गया हो, अथवा जिसमें ऐसा करना अभिप्रेत हो, केवल इसी कारण से अवैध न माना जायगा कि उसमें उक्त व्यक्ति के नाम, निवास–स्थान, व्यापार के स्थान अथवा धन्धे (occupation) में अथवा सम्पत्ति, वस्तु या विभव के विवरण के सम्बन्ध में कोई गलती है, अथवा केवल लिपि सम्बन्धी भूल (clerical error) अथवा उसके प्रपत्र (form) में कोई त्रुटि रह गयी है और अभिज्ञान (identification) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, वस्तु या विभव का पर्याप्त वर्णन कर दिया जाना ही यथेष्ट होगा तथा किसी कर की देनदारी के सम्बन्ध में किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी का नाम दिया जाना आवश्यक न होगा ।

अनुपूरक कर

अनुपूरक कर (Supplementry taxation) लगाने के रूप में इस अधिनियम के अधीन आरोपित किये जा सकने वाले योग्य किसी

225–जब कभी किसी वित्तीय वर्ष में [1][निगम] अनुपूरक कर लगाने का निश्चय करे तो वह, इस अधिनियम में अथवा राज्य सरकार की आज्ञाओं अथवा स्वीकृति (sanction) में ऐसे कर के लिए विहित सीमा अथवा शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त वर्ष की अव्यतीत अवधि के लिये ऐसे कर की दरों में जो इस अधिनियम के अधीन आरोपित किया जा सकता हो, वृद्धि करके, अथवा इस अधिनियम इस अधिनियम के अधीन आरोपित

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किये जा सकने वाले ऐसे कर को जो, तत्समय न लगाया जा रहा हो यथावत् स्वीकृति से लगाकर, ऐसा कर सकता है । **कर में वृद्धि की जा सकती है अथवा उसे नये रूप से लगाया जा सकता है**

226–इस अधिनियम में व्यवस्थित रीति तथा प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से तथा अन्य प्राधिकारी के सम्मुख किसी मूल्यांकन अथवा निर्धारण पर कोई आक्षेप न किया जायगा और न उस व्यक्ति को जिस पर निर्धारण किया जाने वाला हो या कर लगाया जाने वाला हो, देनदारी पर कोई प्रश्न किया जायगा । **कर सम्बन्धी विषयों में दीवानी तथा फौज़दारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निषेध**

227–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकती है । **नियम बनाने का अधिकार**

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) धारा 219 में निर्दिष्ट विषय ;

(ख) वाहन, नाव तथा पशुओं पर करों से सम्बद्ध पंजी (Register) का संधारण तथा निरीक्षण ;

(ग) [1][* * *]

(घ) [2][* * *]

(ङ) करों का अग्रिम–भुगतान ;

(च) अभिहरण (distress) और कुर्की (attachment) के विरूद्ध की गयी आपत्तियों का सरसरी निस्तारण (summary disposal) ;

(छ) शर्तें, जिनके अधीन करों की छूट तथा वापसी स्वीकृत की जायगी ।

अध्याय 10
नालियां तथा जलोत्सारण
[3][निगम] की नालियां

228–(1) उन सामान्य आदेशों के अधीन रहते हुए, जो कार्यकारिणी समिति एतदर्थ समय–समय पर दे, [4][नगर आयुक्त] [3][निगम] की समस्त नालियों का संरक्षण (1) तथा उनकी मरम्मत करायेगा ओर कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से नगर के भीतर तथा बाहर ऐसी नयी नालियों का निर्माण करायेगा जो नगर तथा उसके सन्निकट के चतुर्दिक क्षेत्र में यथोद्देश जल–निस्सारण के लिये समय–समय पर आवश्यक प्रतीत हों ; **[1][नगर आयुक्त] द्वारा नालियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत की व्यवस्था**

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी छावनी की सीमाओं के भीतर किसी भी नाली का निमार्ण राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना तथा उस डिवीजन के, जिसमें उक्त छावनी स्थित हो, जनरल आफिसर कमांडिग की सहमति के प्रतिकूल, या ऐसी सहमति न दिये जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, न किया जायेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 1991 की धारा 11 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 1991 की धारा 11 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) किसी ऐसी सड़क की दशा में, जिसमें [1][निगम] की नाली हो, [2][नगर आयुक्त] [1][निगम] की निधि पर भारित व्यय से किसी भू–गृहादि (premises) की नाली के, जिसे उक्त [1][निगम] की नाली से जोड़ना हो ऐसे भाग को भी निर्मित करायेगा जिसका उक्त सड़क के किसी भाग के नीचे बनवाना आवश्यक हो तथा सड़क के नीचे इस प्रकार बनवाया हुआ जोड़ने वाली नालियों (connecting drains) का भाग [1][निगम] में निहित हो जायगा और [2][नगर आयुक्त] द्वारा [1][निगम] की नाली की भांति हो उसकी संधारित किया जायगा और उसकी मरम्मत की जाती रहेगी ।

[1][निगम] द्वारा नालियों तथा नालियों के जल के या मलादि (drainage of sewage) के निस्तारण के निर्माण कार्यों का अपनाया जाना (adoption)

229–(1) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये, [2][नगर आयुक्त] किसी भी समय [1][निगम] के अनुमोदन से घोषणा कर सकता है कि कोई नाली अथवा उसका कोई भाग या नालियों या मलादि के निस्तारण के कोई निर्माण–कार्य जो नगर के भीतर स्थित हों अथवा नगर अथवा उसके किसी भाग के उपयोग में आ रहें हों, उस दिनांक से, जो घोषणा में निर्दिष्ट की जाय, [1][निगम] में निहित हो जायेंगे ।

(2) [2][नगर आयुक्त], यह निर्णय करने में कि उपधारा (1) के अधीन घोषणा की जाय या नहीं, मामले की समस्त परिस्थितियों तथा विशेष कर निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा ––

(क) संबद्ध नाली अथवा निर्माण–कार्य (works) किसी जलोत्सारण (drainage) या नालियों के निस्तारण (drainage disposal) अथवा मल–निस्तारण (sewage disposal) की किसी ऐसी सामान्य प्रणाली के लिये, जिसकी व्यवस्था [2][नगर आयुक्त] ने नगर अथवा उसके किसी भाग के निमित्त की हो, अनुकूल हैं या नहीं अथवा उसके या उनके लिये अपेक्षित हैं या नहीं ।

(ख) नाली सड़क के अथवा उस भूमि के नीचे निर्मित है या नहीं जो इस अधिनियम द्वारा, अथवा उसके उपबन्धों के अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के द्वारा, अथवा अधीन सड़क के लिए सुरक्षित है ;

(ग) भवनों की संख्या जिनके लिये नाली का उपयोग अभिप्रेत है, और अन्य भवनों की निकटता (proximity) या भावी विकास की सम्भावना का ध्यान रखते हुए क्या यह सम्भव है कि वह अतिरिक्त भवनों के उपयोग के लिए अपेक्षित हो सकती है ;

(घ) नाली अथवा निर्माण–कार्यों के बनाये जाने की रीति और उनकी मरम्मत की दशा ; तथा

(ङ) क्या प्रस्तावित घोषणा का करना सम्बद्ध नाली या निर्माण–कार्य के स्वामी के लिये अत्यधिक हानिकर (seriously detrimental) होगा ।

(3) जब कभी उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने का प्रस्ताव हो तो, [2][नगर आयुक्त] सम्बद्ध नाली अथवा निर्माण–कार्य के स्वामी अथवा स्वामियों को प्रस्ताव की लिखित सूचना देगा कि वे तामील के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर उसके विरूद्ध कारण बतायें तथा पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने तक, या जब कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो तो उस आपत्ति के निस्तारण तक, घोषणा न की जायेगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा का सम्बन्ध किसी ऐसी नाली, नालियों के जल के या मलादि (drainage or sewage) के निस्तारण के निर्माण–कार्यों से हो, जो [1][निगम] से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में स्थित हों, अथवा नगर के भीतर स्थित हों किन्तु ऐसे क्षेत्र अथवा क्षेत्र के भाग के उपयोग में आ रहें हों जो उक्त स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में हो, तो [2][नगर आयुक्त] उस प्राधिकारी को भी सूचना देगा तथा कोई घोषणा न की जायगी जब तक या तो उसके लिये उस प्राधिकारी की सहमति न प्राप्त हो गई हो अथवा राज्य सरकार ने चाहे बिना किसी शर्त के अथवा किन्हीं ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें लगाना वह उचित समझे, ऐसी सहमति की कोई आवश्यकता न समझी हो ।

(5) उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसी नाली अथवा नाली के भाग या किसी निर्माण–कार्य के सम्बन्ध में, जो [1][निगम] से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा रेलवे प्रशासन में निहित हो या हों सम्बद्ध प्राधिकारी, सरकार या रेलवे प्रशासन की प्रार्थना के बिना, कोई घोषणा न की जायगी ।

(6) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन घोषणा होने के तत्काल पूर्व सम्बद्ध नाली को उपयोग में लाने का अधिकारी वा घोषणा के होते हुये भी उसे, अथवा उसके स्थान पर बनायी दूसरी नाली को, पहले की आयति (extent) तक ही उपयोग लाने का अधिकारी होगा ।

नालियां बनाने का अधिकार

230–(1) [2][नगर आयुक्त] [1][निगम] की किसी को किसी सड़क अथवा किसी अन्य स्थान के, जो सड़क के रूप में की गयी (laid out) हो या उसके लिये अभिप्रेत (intendance) हो, बीच में से या उसके आर पार या उसके नीचे अथवा सड़क के नीचे स्थित गोदाम (cellar) या तार (vault) के नीचे से ले जा सकता है, तथा सम्बद्ध भूमि के स्वामी अध्यासी (occupier) को समुचित लिखित नोटिस देकर, नगर भीतर स्थित किसी भी भूमि के भीतर से, बीच से या नीचे से ले जा सकता है मल (sewage) इत्यादि की बाह्य गिरावट (outfall) वितरण के प्रयोजन के लिए नगर के बाहर स्थित भूमि के सम्बन्ध में ऐसा ही कर सकता है ।

(2) [2][नगर आयुक्त] किसी ऐसी भूमि में, जहां पहले से [1][निगम] की कोई नाली विधितः निर्मित हो, प्रवेश कर से है और वर्तमान नाली के स्थान पर कोई नयी नाली बना सकता है इस प्रकार बनायी गयी [1][निगम] की किसी नाली की मरम्मत कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है ।

नालियों में परिवर्तन और उन्हें बन्द करना

231–[2][नगर आयुक्त] [1][निगम] की किसी नाली को बढ़ा सकता है, उसका मार्ग परिवर्तित कर सकता है, या उसे गहरा सकता है या उसे छोटी कर सकता है उस पर मेहराब बना सकती है या अन्य प्रकार से उसका सुधार कर सकता है, तथा किसी नाली को हटा (disocntinue) सकता है, बन्द कर सकता है या नष्ट कर सकता है जो उसके मतानुसार बेकार या अनावश्यक की गयी हो, या किसी ऐसी नाली का उपयोग या तो पूर्णतया या गन्दे पर के उत्सारण के प्रयोजन के लिये या सतह के जल के उत्साहित के (surface drainage) प्रयोग के लिये प्रतिषिद्ध कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस धारा में की गयी किसी बात के कारण कोई व्यक्ति किसी नाली के विधिपूर्वक प्रयोग से बंधित होता तो [2][नगर आयुक्त] उसके उपयोग के लिये यथाशक्य शीर्ष [1][निगम] के व्यय से उतनी ही उपयुक्त किसी अन्य नाली की व्यवस्था कर देगा, जितनी वह नाली थी, जो हटायी, बन्द की या नहर की गई थी अथवा जिसका प्रयोग प्रतिषिद्ध कर दिया गया था।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नालियों की सफाई

232–[1][निगम] की नालियां इस प्रकार निर्मित की जायगी, संधारित एवं बनाये रखी जायेगी कि उनसे कम से कम व्यवहार्य अप्रदूषण (practicable nuisance) उत्पन्न हो । इन नालियों के समय–समय पर ठीक ढंग से धोया (flushed), साफ किया और खाली किया जायगा ।

(2) उक्त नालियों को जल से धोने, उनकी सफाई करने तथा उन्हें खाली करने के लिये [2][नगर आयुक्त] ऐसे हौज (reservoirs), बांध (sluice), इंजन तथा अन्य निर्माण–कार्य (works) बना अथवा स्थापित कर सकता है, जिन्हें वह समय–समय पर आवश्यक समझे ।

निजी सड़कों की नालियों तथा भू–गृहादि का जल–निस्सारण

निजी सड़क की नालियों को [1][निगम] की नाली से जोड़ने का अधिकार

233–किसी निजी सड़क का स्वामी, विहित की जाने वाली शर्तों को पूरा करने पर, ऐसी सड़क की नाली को [1][निगम] की नाली से जोड़ सकता है।

भवनों तथा भूमि के स्वामियों और अध्यासियों को [1][निगम] की नालियों में जल–निस्सारण का अधिकार

234–(1) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को यह अधिकार होगा कि वह अपनी नाली को [1][निगम] की नाली में अथवा अन्य ऐसे स्थान पर खाली करे (empty) जो नालियों के जल के निकास (discharge of drianage) के लिए वैध रूप से अलग कर दिया गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को निम्नलिखित का अधिकार नहीं देगी––

(क) किसी [1][निगम] की नाली में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिवाय धारा 240 के उपबन्धों के अनुकूल किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) अथवा किसी ऐसे द्रव या अन्य पदार्थ को गिराना जिसका गिराना इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन प्रतिषिद्ध हो ।

(ख) जहां गन्दे पानी (foul water) तथा सतह के पानी (surface water) के लिये [1][निगम] की अलग–अलग नालियों की व्यवस्था हो, वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से–

(1) गन्दे पानी को ऐसी नाली में गिराना जिसकी व्यवस्था सतह के पानी के लिये की गयी हो ; या

(2) [2][नगर आयुक्त] की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सतह के पानी को ऐसी नाली में गिराना जिसकी व्यवस्था गन्दे पानी के लिये की गयी हों ; या

(ग) अपनी नाली इस प्रकार बनाना कि वह झंझा के पानी (storm water) को बहा ले जाने वाली नाली से जाकर सीधी मिले ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों से लाभ उठाने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति [2][नगर आयुक्त] की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा और उन शर्तों को पूरा करेगा जिन्हें [2][नगर आयुक्त] उस रीति (mode) तथा अधीक्षण (superintendence) के सम्बन्ध में विहित करे जिसके अनुसार या अधीन नालियां पूर्वोक्त [1][निगम] की नालियों अथवा पूर्वोक्त अन्य स्थानों से जोड़ी जायेगी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) [1][नगर आयुक्त], यदि वह उचित समझे तो, उपधारा (2) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञा देने के बदले, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर, नोटिस देने के उपरान्त, स्वयं नाली (drain or sewer) या को उक्त प्रकार से जुड़वा सकता है (connect)। यह [1][नगर आयुक्त] इस उपधारा के अधीन किसी मामले में कोई कार्यवाही की हो तो इस प्रकार किसी निर्माण–कार्य के लिये किया गया उचित व पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा दिया जायगा।

[1][नगर आयुक्त] के नालियों अथवा प्रस्तावित नालियों के इस प्रकार निर्मित किये जाने की मांग करने (to require) का अधिकार कि वे सामान्य प्रणाली (general system) के भाग बन जायं

235–(1) यदि कोई व्यक्ति किसी नाली के निर्माण का विचार करे तो [1][नगर आयुक्त] यदि वह समझता है कि प्रस्तावित नाली में आवश्यकता ऐसी सामान्य जल निस्सारण प्रणाली का भाग बनने के लिये अथवा पड़ सकती है, जिसकी [2][निगम] द्वारा व्यवस्था की गयी है अथवा जिसकी व्यवस्था करने का उसका विचार है, उस व्यक्ति से यह मांग कर सकता है कि वह उस नाली का निमार्ण, पाइपों के धातु (material), आकार (size), गहराई, गिरावट (fall), दिशा (direcitons), वाह्म गिरावट (outfall) के सम्बन्ध में या अन्यथा उस रीति से, जिसकी निर्माण करने का उसका विचार हो, भिन्न रीति से कराये, और तत्पश्चात उक्त व्यक्ति का यह कर्त्तव्य हो जायगा कि वह [1][नगर आयुक्त] की मांग (requisition) का पालन करे ।

(2) [1][नगर आयुक्त] उपधारा (1) के अनुसार नाली का निर्माण कराने वाले व्यक्ति को [2][निगम] निधि मे से उस अतिरिक्त व्यय की जो उसने मांग का पालन करने में समुचित रूप से किया हो, भरपाई कर देय (reimburse) तथा जब तक वह नाली [2][निगम] की नाली नहीं हो जाती, वह [2][निगम] निधि में से समय–समय पर उसे उसके द्वारा समुचित रूप से किये गये उतने व्यय की भरपाई कर देगा जितना उसकी मरम्मत तथा उसके संधारीण पर उक्त मांग के पालन करने में किया गया समझा जा सके ।

धारा 233 तथा 234 के अनुकूल [2][निगम] की नालियों से अन्य नालियों के जोड़ने का कार्य (connect-ions) नहीं किया जायगा

236–धारा 233 और 234 में उपबन्धित व्यवस्था अथवा किसी विहित की गई व्यवस्था को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति अपनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की नाली को किसी [2][निगम] की नाली अथवा किसी अन्य स्थान से, जो नालियों के जल के निकास के लिये विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, न तो जोड़ेगा और न जुड़वायेगा, और [1][नगर आयुक्त] संबद्ध व्यक्ति की सूचना देने के उपरान्त, इस धारा का उल्लंघन करके बनाये गये किसी ऐसे जोड़ (connection) को बन्द करा सकता है, तुड़वा सकता है अथवा उसे परिवर्तित या पुनर्निमित कर सकता है, तथा ऐसा करने में [1][नगर आयुक्त] द्वारा किये गये व्यय उस सड़क के स्वामी को, या उस भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को, जिसके लाभ के लिये जोड़ (connection) बनाया गया था, अथवा दोषी (offending) व्यक्ति को, वहन करना पड़ेगा ।

नालियों को अन्य व्यक्तियों की भूमि के बीच से ले जाने के भू–गृहादि के स्वामियों तथा अध्यासियों के अधिकार

237–(1) यदि [1][नगर आयुक्त] को ऐसा प्रतीत हो कि सर्वाधिक सुविधाजनक साधनों (most convenient means) में एक मात्र साधन, जिसके द्वारा किसी भू–गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी अपनी नाली को [2][निगम] की नाली में अथवा किसी अन्य ऐसे स्थान में, जो नालियों के जल के निकास (discharge) के लिये विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, खाली कर सकता है, यही है कि वह उसे उक्त स्वामी या अध्यासी से भिन्न किसी व्यक्ति की भूमि के भीतर से (into), बीच से (through) अथवा नीचे से ले जाय तो [1][नगर आयुक्त], लिखित आज्ञा द्वारा उक्त स्वामी को प्राधिकृत (authorize) कर सकता है कि वह अपनी नाली उक्त भूमि के भीतर से, बीच से अथवा नीचे से ऐसी रीति से ले जाय जिसकी अनुज्ञा देना (allow) वह उचित समझे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई प्राधिकार प्रदान (authorization) नहीं किया जायगा जब तक कि भूमि के स्वामी को नोटिस न दे दिया गया हो तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो ।

(3) उपधारा (1) के अधीन ऐसी प्रत्येक आज्ञा, जिस पर [1][नगर आयुक्त] के हस्ताक्षर हों, उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दी गयी हों, अथवा उसके अभिकर्ता (agent) या सेवक (servant) को इस बात का पूर्ण प्राधिकार (complete authority) देगी कि वह समुचित रूप से लिखित नोटिस देने के बाद उक्त भूमि पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अपने सहायकों और श्रमिकों (workmen) के सहित प्रवेश करे (enter-upon) और आवश्यक निर्माण–कार्य (work) सम्पादित (execute) करे।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी भू–गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी, अथवा इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियोजित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति, किसी ऐसी भूमि के स्वामी को, जिसमें उसके उक्त भू–गृहादि के जल–निस्सारण के लिये पहले ही से कोई नाली विधितः निर्मित है, अपने ऐसा करने के आशय का समुचित रूप से लिखित नोटिस देने या प्रस्तुत करने के उपरान्त, अपने सहायकों तथा श्रमिकों (workmen) के सहित उक्त भूमि पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश कर सकता है तथा वर्तमान नाली के स्थान पर नई नाली बना सकता है या इस प्रकार निर्मित किसी नाली की मरम्मत कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है।

(5) इस धारा के अधीन किसी कार्य को सम्पादित करने में यथासंम्भव कम से कम क्षति (damage) पहुंचायी जायगी, तथा उस भू–गृहादि का, जिसके लाभ के लिये निर्माण–कार्य किया जा रहा है, स्वामी या अध्यासी ––

(क) निर्माण–कार्य का सम्पादन इस प्रकार करायेगा कि उसमें कम से कम व्यवहार्य विलम्ब हो ;

(ख) उक्त निर्माण–कार्य के सम्पादन के प्रयोजन के लिये खुदवाई गयी, तोड़ी गयी अथवा हटायी गयी किसी भूमि अथवा किसी भवन के भाग या अन्य किसी निर्माण की अपने व्यय से तथा इस प्रकार भरवायेगा, पुनः स्थापित करायेगा (reinstate) तथा पूरा करायेगा (makegood) कि उसमें कम से कम व्यवहार्य विलम्ब हो ;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर (compensation) देगा जिसे उक्त निर्माण–कार्य के सम्पादन के कारण क्षति उठानी पड़ी हो ।

(6) यदि किसी ऐसी भूमि, जिसके भीतर से, बीच से या नीचे धारा के अधीन उस समय कोई नाली ले जायी गयी थी जब उस पर कुछ था, का स्वामी वाद में किसी समय उक्त भूमि पर भवन करने (erect) की इच्छा करे तो [1][नगर आयुक्त] लिखित नोटिस उस भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी, जिसके लाभ के लिये उक्त नाली का किया गया था, से यह मांग करेगा कि वह उस रीति से, जिसे मुख्य नगराधिकारी अनुमोदित करेगा, उसे बन्द करा दे, हटा दे या मोड़ दे (divert), तथा उसको इस प्रकार भरवाये (fill in), पुनः स्थापित कराये (reins) तथा पूरा कराये (make good) मानो उक्त नाली उसके भीतर बीच से या नीचे से नहीं ले जायी गयी थी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई मांग तक न की जायेगी जब तक कि [1][नगर आयुक्त] की राय में यह आवश्यक इष्टकर न हो कि प्रस्तावित भवन के निर्माण की दिये जाने के लिये अथवा उसके सुरक्षित उपयोग के लिये नाली को बन्द कर दिया जाय, हटा दिया जाय, या मोड़ दिया जाय ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

238–जब [1][नगर आयुक्त] की राय में कोई भू–गृहादि या जल–निस्सारण के पर्याप्त साधनों से रहित हों, और कोई [2][निगम] या नालियों के जल के निकास (discharge) के लिये विधिक रूप से किया गया कोई स्थान उक्त भू–गृहादि के किसी भाग से सौ फीट से अनधिक पर स्थित हो तो [1][नगर आयुक्त] लिखित नोटिस द्वारा, उक्त भू–गृहादि स्वामी या अध्यासी से मांग कर सकता है कि वह ––

[1][नगर आयुक्त] [1][निगम] नाली से सौ फीट के भीतर स्थित ऐसे भू–गृहादि में जल–निस्सारण व्यवस्था को लागू कर सकता है, जिनमें जल–निस्सारण की व्यवस्था न हो

(क) ऐसी सामग्री (material), ऐसे आकार (size) और प्रकार (description) की नाली बनाये तथा उसे उस (level) पर रखे और इस प्रकार पंक्तिबद्ध (alignment) तथा ऐसी [2][निगम] की नाली में या पूर्वोक्त स्थान में खाता जिसे [1][नगर आयुक्त] आवश्यक या उचित समझे ,

(ख) ऐसे समस्त उपकरणों (appliances) तथा संधायनों (fitting) की व्यवस्था करे और उन्हें स्थापित करे जो [1][नगर आयुक्त] को, उक्त भू–गृहादि से जल–निस्सारण (drainage) को करने और प्राप्त करने (gathering) तथा उसे उसके बाहर चाने तथा उक्त नाली तथा उससे सम्बद्ध प्रत्येक संलग्न (fixt) को यथोद्देश रूप से (effectually) जल से धोने (flush) के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों ;

(ग) किसी ऐसी वर्तमान नाली या अन्य उपकरणों (appliance) वस्तुओं को, जो जल–निस्सारण के लिये प्रयुक्त हों या कि उसके लिये प्रयुक्त किया जाना अभिप्रेत हो, हटा दे [1][नगर आयुक्त] की राय में स्वास्थ्य के लिये कारक हों अथवा किसी खुली नाली के स्थान पर बन्द नाले व्यवस्था करे अथवा किसी खुली नाली के स्थान पर बन्द नाली व्यवस्था करे अथवा उसी प्रकार के अन्य ऐसे उपकरणों (applicances) या वस्तुओं की व्यवस्था करे, वह आवश्यक समझे ।

(घ) ऐसे समस्त उपकरणों तथा संधायनों (fittings) की व्यवस्था करे तथा उन्हें लगाये (set-up) जो भवनों के धोयें जाने के समय उनके फर्श तथा दीर्घाओं (galleries) से आने वाले बेकार पानी (waste water) को इकट्ठा करने तथा उसे ग्रहण करने (receiving) और टोटियों (spouts) से या जल नीचे जाने वाले पाइपों (down—take pipes) द्वारा स्थानान्तरित (conveying) करने के प्रयोजन के लिये [1][नगर आयुक्त] को आवश्यक प्रतीत हों ताकि उक्त बेकार पानी को सीधे सड़कों या भू–गृहादि के किसी निचले भाग के भीतर जाने से रोका जा सके ।

239–जब कोई भू–गृहादि [1][नगर आयुक्त] की राय में सफल जल–निस्सारण के पर्याप्त साधनों से रहित हों, किन्तु उक्त भू–गृहादि के किसी भाग से सौ फीट के भीतर कोई [2][निगम] नाली स्थित न हो, तो [1][नगर आयुक्त] लिखित नोटिस द्वारा, उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी से मांग कर सकता है कि वह––

[2][नगर आयुक्त] ऐसे भू–गृहादि पर जो [1][निगम] की नाली से सौ फीट के भीतर स्थित न हो और जो जल–निस्सारण की व्यवस्था से रहित (undrained) हों, जल–निस्सारण की व्यवस्था को लागू कर सकता है

(क) एक नाली, उस स्थान (point) तक, जो ऐसे नोटिस में विहित किया जायगा, निर्मित कराये किन्तु वह स्थान उक्त भू–गृहादि के किसी भाग से सौ फीट की दूरी से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए ; अथवा

(ख) ऐसे बन्द मलकूल (cesspool) का निर्माण करायें जो ऐसी सामग्री (material), ऐसे आकार (size) और ऐसे प्रकार (description) और ऐसे प्रकार का हो और ऐसी स्थिति (position) में हो, ऐसे धरातल (level) पर हो और उसमें ऐसे गिरावट (fall) की गूंजायश (allowance) हो, जो [1][नगर आयुक्त] आवश्यक समझे और ऐसी नाली या नालियों का भी निर्माण कराये जो इस मलकूल (cesspool) में खाली होती हों ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

240–इस अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों (bye-laws) और एतदर्थ किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी व्यापारिक भू–गृहादि (trade premises) का अध्यासी उन भू–गृहादि से निकलने वाले किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रवपदार्थ (trade effluent) को [1][निगम] नालियों में गिरा सकता है। **व्यापारिक व्यर्थ द्रव्य पदार्थ (trade effluent) से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध**

241–(1) जब [2][नगर आयुक्त] की यह राय हो कि भू–गृहादि के किसी ऐसे गण या खंड (group or block) में जिसका कोई भाग किसी [1][निगम] नाली से अथवा [1][निगम] द्वारा नालियों के जल के निकाल के लिए पृथक किये गये किसी ऐसे स्थान से, चाहे वह पहले से ही वर्तमान हो या जिसका निर्माण होने वाला हो, सौ फीट के भीतर स्थित हो, जल–निस्सारण की व्यवस्था पृथक रूप से जल–निस्सारित की व्यवस्था पृथक रूप से जल–निस्सारित किये जाने की अपेक्षा संयुक्तरूप से अधिक मित्वयियता अथवा लाभप्रद ढंग से की जा सकती है तो [2][नगर आयुक्त] भू–गृहादि के ऐसे गण या खंड में ऐसी रीति (method) से जल–निस्सारण की व्यवस्था करवा सकता है, जो [2][नगर आयुक्त] को उसके निमित्त सार्वोत्तम प्रतीत हो तथा ऐसा करने में [2][नगर आयुक्त] द्वारा किये गये व्यय का भुगतान उन भू–गृहादि के स्वामियों को ऐसे अनुपात में करना पड़ेगा जिसे [2][नगर आयुक्त] उचित समझे । **[2][नगर आयुक्त] का भू–गृहादि से संयुक्त रूप से जल–निस्सारण का अधिकार**

(2) इस धारा के अधीन किसी निर्माण–कार्य (work) के प्रारम्भ होने के कम से कम 15 दिन पहले [2][नगर आयुक्त] ऐसे समस्त भू–गृहादि के, जो जल–निस्सारित किये जाने वाले हैं, स्वामियों को निम्नलिखित के संबंध में लिखित रूप में नोटिस देगा ;

(क) अभिप्रेत निर्माण–कार्य का स्वरूप (nature) ;

(ख) उसके ऊपर होने वाला अनुमानित व्यय ; तथा

(ग) ऐसे व्ययों का वह अनुपात जो प्रत्येक स्वामी द्वारा देय हो ।

(3) उन अनेक भू–गृहादि के तत्कालीन स्वामी जो मिल कर कोई ऐसा गण या खंड बनाते हों जिनका उपधारा (1) के अधीन जल–निस्सारण किया जाता हो निर्मित की गई (constructed), खड़ी की गई (erected) या लगाई गई (fixed) या केवल ऐसे भू–गृहादि के विशेष प्रयोग और लाभ के लिये जारी रक्खी गयी (continued) प्रत्येक नाली के संयुक्त स्वामी (joint owners) होंगे और यह निर्धारित किये जाने पर कि [2][नगर आयुक्त] द्वारा उपधारा (1) के अधीन किये गये व्ययों को उक्त भू–गृहादि के स्वामियों को किस अनुपात में वहन करना है, वे स्वामी उसी अनुपात में उन व्ययों के लिए भी उत्तरदायी (responsible) होंगे जो प्रत्येक ऐसी नाली की अच्छी मरम्मत करा कर उसे कुशल दशा (efficient condition) में संधारित रखने के संबंध में हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक ऐसी नाली की समय–समय पर [1][निगम] निधि से व्यय कर के [2][नगर आयुक्त] द्वारा धुलाया जायेगा (cleansed), साफ लिया जायगा तथा खाली किया जायगा ।

242–(1) यदि किसी भू–गृहादि को किसी [1][निगम] की नाली या अन्य स्थान से, जो नालियों के जल के निकास के लिये विधिक रूप से अलग कर दिया गया हो, जोड़ने वाली नाली–चाहे वह उक्त भू–गृहादि के यथोद्देश जल–निस्सारण के लिये पर्याप्त हो तथा अन्य किसी प्रकार से भी आपत्तिजनक न हो–[2][नगर आयुक्त] की राय में नगर की या नगर के उस भाग की, जिसमें वह नाली स्थित हो, सामान्य जलोत्सारण प्रणाली (general drainage system) से अनुकूलित (adapted) नहीं है, तो [2][नगर आयुक्त]– **[2][नगर आयुक्त] वर्तमान निजी नालियों का प्रयोग बन्द अथवा सीमित कर सकता है**

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त नाली को बन्द कर सकता है, रोक सकता है या नष्ट कर सकता है और भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को नोटिस देने के पश्चात् उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई कार्य करा सकता है ;

(ख) आदेश दे सकता है कि ऐसी नाली, उस दिनांक से जो वह एतदर्थ निर्दिष्ट करे, केवल गन्दे पानी (sullage) और मल इत्यादि (sewage) के लिए या केवल बरसाती पानी के लिए, या केवल अदूषित उपभूमिगत पानी (unpolluted sub-soil water) के लिए या केवल बरसाती पानी और अदूषित उपभूमिगत पानी दोनो के लिए प्रयुक्त की जायगी और लिखित नोटिस द्वारा सम्बद्ध भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी से मांग कर सकता है कि वह बरसाती पानी या अदूषित उपभूमिगत पानी या बरसाती पानी और अदूषित उपभूमिगत पानी दोनों के लिए, या गन्दे पानी (sullage) और मल इत्यादि (sewage) के लिए पूर्णतः भिन्न नाली बनाये ।

(2) [1][नगर आयुक्त] उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी नाली को तब तक बन्द, रोक या नष्ट न कर सकेगा जब तक कि वह भू–गृहादि के जल–निस्सारण के लिए वैसी ही प्रभावी और ऐसी [2] [निगम] नाली अथवा उपयुक्त अन्य स्थान, जिसे [1][नगर आयुक्त] ठीक समझे, से संचारित दूसरी नाली की व्यवस्था न कर देगा और [1][नगर आयुक्त] द्वारा इस प्रकार बनवायी गयी नाली और उक्त खंड के अधीन किये गये किसी कार्य के निर्माण के व्यय का भुगतान [1][नगर आयुक्त] द्वारा किया जायगा ।

सम्पत्तियों के एक मात्र प्रयोग के लिये नालियों का निहित किया जाना और उनका संधारण

243–धारा 228 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक नाली, जो बनायी गयी, लगायी गई, खड़ी की गयी या स्थापित की गयी हो, चाहे इसका व्यय [2][निगम] ने वहन किया हो या नहीं, या जो किसी भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण के एकमात्र प्रयोग और लाभ के लिए जारी रखी गई हो––

(क) धारा 244 में किसी बात के होते हुए भी, निश्चित दिन पर और से, ऐसे भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण के स्वामी में निहित हो जायगी ;

(ख) नाली के लिए ऐसे अन्य सभी उपकरणों तथा संधायनों (fittings) की व्यवस्था की जायगी, जो उसके अधिक प्रभावकर ढंग से काम में लाने के लिए [1][नगर आयुक्त] को आवश्यक प्रतीत हो, और ऐसे भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण, स्वामी द्वारा उक्त नाली की समय–समय पर अच्छी प्रकार मरम्मत की जाया करेगी, उसे अच्छी दशा में रखा जायगा और उसे समय–समय पर [2][निगम] निधि पर भारित व्यय से धोया जायगा (flushed), साफ किया जायगा और खाली किया जायेगा ।

ऐसे भू–गृहादि की जो [2][निगम] के न हों, नालियों आदि पर [2][निगम] का अधिकार जिनका निर्माण आदि [2][निगम] निधि से किया गया है

244–ऐसे जल–निस्सारण निर्माण–कार्य से सम्बद्ध सभी नालियां, संवीजन दंडों (ventilation shafts) और पाइप तथा निर्माण–कार्य संबंधी सभी उपकरण एवं संधायन (fittings) जो किसी भी समय [2][निगम] निधि या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि से किये गये व्यय से, जिसका [2][निगम] की स्थापना के दिनांक से पूर्व नगर के किसी भाग में किसी ऐसे भू–गृहादि पर क्षेत्राधिकार हो जो [2][निगम] का न हो, बनाये गये हों, खड़े किये हों या स्थापित किये गये हों और उक्त भू–गृहादि या भू–गृहादि के गण के एकमात्र प्रयोग या लाभ के लिये ही न हों [2][निगम] में निहित हो जायेंगे, जब तक कि [2][निगम] ने अन्यथा निर्धारित न किया हो ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नये भवन बिना नालियों के नहीं बनाये जायेंगे

245–(1) नये भवन को निर्मित करना या किसी भवन को पुनर्निमित करना या किसी नव–निर्मित या पुनर्निर्मित भवन पर अध्यासीन होना तब तक वैध न होगा, जब तक कि––

(क) किसी ऐसे आकार, सामग्री और प्रकार की तथा ऐसे धरातल पर (level) और ऐसी गिरावट (fall) की कोई नाली न बनायी गयी हो, जो [1][नगर आयुक्त] को उस भवन के यथोद्देश जल–निस्सारण (drainage) के लिये आवश्यक प्रतीत हो ;

(ख) ऐसे भवन और उससे सम्बद्ध (appurtenant thereto) भू–गृहादि में ऐसे सभी उपकरणों और संधायनों (fittings) की व्यवस्था न की गई हो और उन्हें स्थापित (set-up) न किया गया हो जो उक्त भवन और उक्त भू–गृहादि से नालियों के जल को इकट्ठा करने और ग्रहण करने तथा बाहर ले जाने के प्रयोजनों के लिये और उक्त भवन और उससे सम्बद्ध प्रत्येक संलग्नक (fixture) की नाली की सफल रूप से (effectually) धोने (flushing) के लिए [1][नगर आयुक्त] को आवश्यक प्रतीत हो ।

(2) पूर्वोक्त प्रकार से निर्मित की जाने वाली नाली किसी [2][निगम] नाली में या किसी ऐसे स्थान पर जो नालियों के जल के निकास (discharge) के लिये विधितः (lawfully) अलग कर दिया गया हो और जो उस भू–गृहादि से, जिसमें उक्त भवन स्थित हो, 100 फीट से अधिक दूरी पर न हो, खाली होगी, किन्तु यदि उस दूरी के भीतर कोई ऐसी नाली या स्थान न हो तो वह नाली ऐसे मलकूप (cesspool) में खाली होगी जिसे [1][नगर आयुक्त] निर्दिष्ट करे ।

नालियों के स्वामियों का अपनी नालियों का अन्य व्यक्तियों को प्रयोग करने, या संयुक्त स्वामित्व की अनुज्ञा देने का आभार

246–किसी [2][निगम] नाली या ऐसे अन्य स्थान से, जो नालियों के जल के निकास के लिये विधितः अलग किया गया हो, जुड़ी हुयी नाली का प्रत्येक स्वामी अन्य व्यक्तियों को उसके प्रयोग करने की अनुज्ञा देने या उन्हें उनके संयुक्त स्वामी के रूप में ऐसे निबन्धनों पर स्वीकार करने के लिये बाध्य होगा जो धारा 247 के अधीन विहित किये जाये ।

स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी नाली के प्रयोग और संयुक्त स्वामित्व का अधिकार कैसे प्राप्त किया जा सकता है

247–(1) कोई भी व्यक्ति, जो अपने भू–गृहादि को किसी ऐसी नाली द्वारा जिसका वह स्वामी नहीं है, [2][निगम] नाली में जल–निस्सारित करना चाहे उस स्वामी से नाली का प्रयोग करने की अनुज्ञा के लिये निजी रूप से प्रबंध कर सकता है, या उस नाली के प्रयोग का प्राधिकार दिये जाने या उसका संयुक्त स्वामी घोषित किये जाने के लिये [1][नगर आयुक्त] को प्रार्थना–पत्र दे सकता है ।

(2) यदि प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने या अन्यथा [1][नगर आयुक्त] की यह राय हो कि किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी द्वारा उस भू–गृहादि की नाली को किसी [2][निगम] नाली में या अन्य ऐसे स्थान पर जो नालियों के जल के निकास के लिए विधितः अलग किया गया हो खाली कराने का एक मात्र अथवा सर्वाधिक सुविधाजनक साधन एक ऐसी नाली ही हो सकती है जो उक्त [2][निगम] नाली से या पूर्वोक्त स्थान से मिलती हो, लेकिन जो उक्त स्वामी या अध्यासी से भिन्न व्यक्ति की हो, तो [1][नगर आयुक्त] नाली के स्वामी को उस संबंध में कोई आपत्ति करने का समुचित अवसर देने के पश्चात्––यदि कोई आपत्ति न की जाय या यदि कोई आपत्ति की जाय और वह

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अस्वीकृत कर दी जाय तो–लिखित आज्ञा द्वारा या तो उक्त स्वामी या अध्यासी को नाली के प्रयोग के लिये प्राधिकृत कर सकता है या उसका संयुक्त स्वामी घोषित कर सकता है किन्तु एतदर्थ किराया या प्रतिकर देने या उक्त भू–गृहादि की नाली को मिलाने वाली उपर्युक्त नाली (communicating drain) से जोड़ने और संयुक्त नाली के संधारण, मरम्मत, धुलाई, सफाई और खाली करने के लिये क्रमशः दोनो पक्षों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में अथवा अन्यथा ऐसी शर्तें लागू की जा सकती है जो [1][नगर आयुक्त] को न्यायसंगत प्रतीत हों ।

(3) प्रत्येक ऐसी आज्ञा द्वारा जिस पर [1][नगर आयुक्त] के हस्ताक्षर हों, उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में वह दी गयी हो, या किसी ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को जो उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियोजित किया गया हो नाली के स्वामी को उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट प्रतिकर या किराया देने या प्रस्तुत करने (tendering) के पश्चात् और जहां तक सम्भव हो अन्य प्रकार से भी उक्त आज्ञा की शर्तें पूरी करने के पश्चात् और नाली के स्वामी को अपने ऐसा करने के आशय की लिखित रूप में समुचित नोटिस देने के बाद उस भूमि पर, जिस पर उक्त नाली स्थित है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, सहायकों और श्रमिकों (workmen) के साथ प्रवेश करने और इस अधिनियम के सभी उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी सभी बाते करने का, जो निम्नांकित प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों, पूर्ण प्राधिकार होगा ;

(क) दो नालियों का जोड़ना ; या

(ख) योगों (connections) का नवीकरण, उनकी मरम्मत या उन्हें परिवर्तित करना ; या

(ग) उस व्यक्ति से सम्बद्ध किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करना जिसके पक्ष में संयुक्त नाली या उसके किसी भाग के संधारण, मरम्मत, धुलाई, सफाई या खाली करने के लिए [1][नगर आयुक्त] ने आज्ञा दी हो ।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी निर्माण–कार्य के सम्पादन के संबंध में वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में [1][नगर आयुक्त] की आज्ञा दी गयी हो उन्हीं प्रतिबन्धों (restrictions) और उत्तरदायित्वों के अधीन रहेगा जो धारा 237 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किये गये है ।

मल इत्यादि और बरसाती पानी की नालियां अलग–अलग होंगी

248–जब कभी इस अध्याय में इस बात की व्यवस्था को गई हो कि किसी भू–गृहादि के यथोद्देश जल–निस्सारण (effectual drainage) के लिये कार्यवाही की जायेगी या की जा सकती है तो [1][नगर आयुक्त] आदेश दे सकता है कि एक नाली गंदे पानी मल इत्यादि और दूषित पानी के लिये होगी और दूसरी तथा पूर्णतः भिन्न (distinet) नाली बरसाती पानी और अदूषित उप–भूमिगत पानी के लिये, या बरसाती पानी, और अदूषित उप–भूमिगत पानी दोनो के लिये होगी और प्रत्येक नाली अलग–अलग [2][निगम] नालियों में या अन्य ऐसे स्थानों पर, जो विधितः ना के जल के निकास के लिये अलग किये गये हों, या अन्य उपयुक्त स्थानो खाली होंगी ।

नालियों को संवीजित करने (ventilation) इत्यादि के

249–(1) किसी नाली या मलकूल को संवीजित (ventilation) के प्रयोजन के लिय चाहे वह [2][निगम] का हो या किसी व्यक्ति का, [1][नगर आयुक्त] किसी भू–गृहादि पर कोई ऐसे दंड (shaft) पाइप खड़ा कर सकता है या उन्हें किसी भवन के बाहर या

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

लिये पाइपों का लगाना

किसी पेड़ पर सकता है जो [1][नगर आयुक्त] को आवश्यक प्रतीत होंगे किसी भवन के बाहर निकले हुये भाग को (projections) जिसमें उन छत की कार्निस (caves) भी सम्मिलित है, काट सकता है ताकि दंड या पाइप ऐसे बाहर निकले हुये भाग से होकर ऊपर ले जाया जाय और उसे किसी भूमि के भीतर, बीच में या उसके नीचे ऐसे उपकरण सकता है (lay) जो [1][नगर आयुक्त] की राय में वायु निकलवाले ऐसे दण्ड या पाइप को उस नाली या मलकूप से, जिसे संवीजित (ventilay) का विचार हो, जोड़ने के लिये आवश्यक हो ।

(2) ऐसा दण्ड या पाइप उस रीति से खड़ा किया जायगा या लगाया जायगा या हटाया जायगा जो विहित की जाये ।

(3) यदि उक्त भू–गृहादि, भवन या पेड़ों के स्वामी के अपेक्षा करने [1][नगर आयुक्त] किसी ऐसे दण्ड या पाइप को हटाने से इन्कार करे एतदर्थ बने नियमों के अनुसार उन पर या उसके साथ खड़े किये गये हों या लग गयें हों तो स्वामी का उत्तर प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर न्यायालय को प्रार्थना–पत्र दे सकता है कि उन्हें हटा देने की आज्ञा दे दी जाये ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये गये प्रार्थना–पत्र की सुनवाई निस्तारण (disposal) करने में न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसार करेगा जो विहित की जाय । इस संबंध में न्यायाधीश द्वारा दी गई आज्ञा अति होगी और उससे दोनों पक्ष बाध्य होंगे ।

(5) यदि किसी ऐसे भवन या भूमि का जो उपधारा (1) के अधीन काटी गई हो, खोली गई हो या अन्यथा व्यवहृत हो, स्वामी उस नाली या मलकूप का स्वामी न हो, जिसे संवीधित (ventilation) करने का विचार हो तो [1][नगर आयुक्त] जहां व्यावहारिक होगा [2][निगम] निधि से किये गये व्यय से उस भवन को पुननिर्मित करेगा और ठीक करवायेगा (reinstate and make good) और उस भूमि भरा देगा और उसे ठीक करा देगा ।

मल इत्यादि का निस्तारण (disposal of sewage)

नालियां खाली करने और मल इत्यादि के निस्तारण के लिये स्थानों का निश्चित किया जाना

250–[1][नगर आयुक्त] ऐसी रीति से, जिसे वह इस प्रयोजनों के लिये उपयुक्त समझे, सभी या किसी [2][निगम] नाली को किसी स्थान चाहे वह नगर के भीतर हो या बाहर खाली करा सकता है और नगर के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर मल निस्तारण करा सकता है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि,–

(क) [1][नगर आयुक्त] बिना [2][निगम] की स्वीकृति के किसी [2][निगम] नाली को ऐसे स्थान पर खाली नहीं करायेगा किसी स्थान का मल–निस्सारण ऐसे स्थान पर या ऐसी रीति से नहीं करायेगा जहां और जिस रीति से वह अब तक खाली न की गई हो या मल निस्सारण न किया गया हो ;

(ख) कोई [2][निगम] नाली किसी ऐसे स्थान पर खाली नहीं करायी जायेगी और किसी ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से मल इत्यादि का निस्तारण नहीं कराया जायेगा जिसे अस्वीकार कर देना राज्य सरकार उचित समझे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

251– [1][नगर आयुक्त] मलादि (sewage) को ग्रहण करने, व्यवहृत करने (treating), उसे इकट्ठा करने (storing), उसे कीटाणु रहित करने (disinfecting), उसका वितरण करने या अन्यथा उसका निस्तारण करने के लिये नगर के भीतर या बाहर कोई निर्माण–कार्य करा सकता है या नगर के भीतर या बाहर किसी भूमि, भवन इंजिन की सामग्री या स्थिरयंत्र (apparatus) की खरीद कर सकता है या पट्टे पर ले सकता है या किसी व्यक्ति के साथ किसी अवधि के लिये, जो 20 वर्ष से अनधिक हो, नगर के भीतर या बाहर मलादि (sewage) को हटाने या उसके निस्सारण के लिये कोई प्रबन्ध (arrangement) कर सकता है ।

नल–निस्सारण के लिए साधनों की व्यवस्था

नाबदान, संडास, मूत्रालय आदि

252–(1) [1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुमति और ऐसे निबन्धनों के, जो तत्समय प्रचलित किसी नियम या उपविधि से असंगत न हों और जिनकी वह व्यवस्था करे, के अनुकूल किसी भू–गृहादि के लिये नाबदान या संडास का निर्माण करना वैध न होगा ।

नाबदानों (water closets) और संडासो (privies) का निर्माण

(2) ऐसे निबन्धनों की व्यवस्था करते समय [1][नगर आयुक्त] प्रत्येक दशा में यह निर्धारित कर सकता है कि––

(क) भू–गृहादि में नाबदान प्रणाली की व्यवस्था रहेगी अथवा संडास प्रणाली की अथवा अंशतः एक की और अंशतः दूसरे की ; तथा

(ख) प्रत्येक नाबदान या संडास का स्थल (site) या स्थिति (position) क्या होगी ।

(3) यदि किसी भू–गृहादि पर कोई नाबदान या संडास उपधारा (1) का उल्लंघन करके बनाया गया हो तो [1][नगर आयुक्त] उस भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को कम से कम 10 दिन का नोटिस देने के बाद, उस नाबदान या संडास को बन्द कर सकता है, और उसे परिवर्तित कर सकता है (demolish) अथवा गिरा सकता है और ऐसा करने में [1][नगर आयुक्त] द्वारा किये गये व्यय का भुगतान उक्त स्वामी या अध्यासी या दोषी व्यक्ति (person offending) द्वारा किया जायगा ।

253–(1) किसी ऐसे भवन का, जो मनुष्यों के निवास के लिये हो या उसके लिये अभिप्रेत हो और जिस पर या जिसमे मजदूर (labourer) और श्रमिक (workman) नियोजित किये जाने वाले हों, बिना उक्त नाबदान या संडास के स्थान के, और ऐसे मूत्रालय के स्थान तथा स्नान करने या ऐसे भवन के कपड़े और घरेलू बर्तन धोने के स्थान के जिसकी [1][नगर आयुक्त] विहित करे धारा 315 के अर्थ में निर्माण, पुनर्निर्माण या रूपान्तरण (to convert) वैध न होगा ।

नव–निर्मित या पुनर्निर्मित भवनों में नाबदान और अन्य स्थान (accommodation)

(2) किसी ऐसे स्थान को विहित करने में [1][नगर आयुक्त] प्रत्येक दशा में यह निर्धारित कर सकता है कि,–

(क) ऐसे भवन या निर्माण–कार्य में नाबदान प्रणाली व्यवस्था रहेगी या संडास प्रणाली की या अंशतः एक और अंशतः दूसरी की ;

(ख) प्रत्येक नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने और धुल के स्थान का स्थल या स्थिति (site or position) होगी और उनकी संख्या क्या होगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित स्थान (accommodation) निर्धारित करने

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

में [1][नगर आयुक्त] भवन के अध्यासित (occupants) द्वारा नियोजित (employed) घरेलू नौकरों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त नाबदान तथा संडास और स्नान करने के स्थानों की व्यवस्था करने की आवश्यकता का ध्यान रखेंगे।

254–[1][नगर आयुक्त] सर्वसाधारण (Public accommodation) के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक स्थानों में नाबदान, संडास और मूत्रालय, तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं की व्यवस्था और उनका संधारण करेगा । **सार्वजनिक आवश्यकतायें**

निरीक्षण

255–(1) [1][नगर आयुक्त] सभी नालियों, संवीजन दंडों और पाइपों, मलकूपों, घर के जल–मार्गों (house gullies), नाबदानों संडासों, शौचालयों तथा मूत्रालयों और स्नान करने तथा धुलाई के स्थलों, जो [2][निगम] के न हों, अथवा जो ऐसे भू–गृहादि पर, जो [2][निगम] के न हों, [2][निगम] निधि से किए गये व्यय से उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी के प्रयोग या लाभ के लिये बनाये, खड़े या स्थापित किये गये हों (constructed or set up) का, निरीक्षण और परीक्षण कर सकेगा । **ऐसी नालियों, आदि का जो (निगम) की न हों, निरीक्षण और परीक्षण हो सकेगा**

(2) [1][नगर आयुक्त] उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या परीक्षण करते समय, किसी ऐसे व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) का नमूना प्राप्त कर सकता है या ले जा सकता है जो ऐसे भू–गृहादि से बह कर, जिसका निरीक्षण या परीक्षण किया गया हो, किसी [2][निगम] नाली में जाता हो उस नमूने का विश्लेषण (analysis) विहित रीति से किया जायेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन लिये गये नमूने के विश्लेषण का परिणाम इस अधिनियम के अधीन किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य रूप से ग्राह्य होगा ।

256–उक्त निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजन के लिए [1][नगर आयुक्त] किसी ऐसी भूमि या नाली के किसी भाग या अन्य निर्माण–कार्य को जो भवन के बाहर हो, जिसे वह ठीक समझे, खुलवा, तुड़वा या हटवा सकता है : **निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजनों के लिये भूमि आदि को खोलने का अधिकार**

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निरीक्षण और परीक्षण करने में यथासम्भव कम से कम क्षति पहुंचायी जायगी ।

257–जब धारा 255 के अधीन किये गये निरीक्षण या परीक्षण के फलस्वरूप [1][नगर आयुक्त] को यह पता चले कि कोई नाली, संवीजन दंड या पाइप, मलकूप घर का जलमार्ग (house gully), नाबदान संडास, शौचालय, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई का स्थल चालू या अच्छी दशा में नहीं है, अथवा सिवाय उस दशा में जब वह [1][नगर आयुक्त] की आज्ञा से या उसके अधीन बनाया गया हो, यदि वह इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों या तत्समय प्रचलित किसी विधायन (enactment) का उल्लंघन करके बनाया गया हो, तो [1][नगर आयुक्त] स्वामी को लिखित नोटिस देकर मांग कर सकता है कि वह दोष (defect) को ऐसी रीति से दूर कर दे जिसे वह, किसी प्रचलित नियमावली या उपविधि के अधीन रहते हुए, आदिष्ट (direct) करे । **[1][नगर आयुक्त] मरम्मत आदि कराने की मांग कर सकता है**

सामान्य उपबन्ध

258–(1) कोई व्यक्ति –– **ऐसे कार्यों का प्रतिषेध जो**

(क) इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों के उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस या दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करके या

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों का उल्लंघन करते हों या जो बिना स्वीकृति किये गये हों

[1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से किसी नाली, संवीजन दंड या पाइप, मलकूप, नाबदान, संडास, शौचालय या मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उससे संबद्ध जाली (trap), आवरण (covering) या अन्यय संधायन या उपकरणाों के स्थापन, विन्यास या स्थिति (fixing, disposition or position) को नहीं बदलेगा, न उनका निर्माण करेगा, न उन्हें खड़ा करेगा (erect), न स्थापित करेगा (set up), न उनका नवीकरण करेगा, न उन्हें पुननिर्मित करेगा, न हटायेगा, न अवरुद्ध करेगा, न रुकवायेगा, न नष्ट करेगा और न उनमें परिवर्तन करेगा ;

(ख) [1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुमति के बिना किसी नाली, संवीजन दंड या पाइप, मलकूप, नाबदान, संडास, शौचालय, मूत्रालय, या स्नान करने या धुलाई के स्थल या किसी संधायन या उपकरण को, जो इस अधिनियम या नियमावली या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रोक दिया गया है, गिरा दिया गया है या बन्द कर दिया गया है या जिनके सम्बन्ध में ऐसा करने की आज्ञा दे दी गयी है, नवीकृत, पुननिर्मित या चालू (unstop) नहीं करेगा ;

(ग) [1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुमति के बिना किसी नाली, मलकूप, घर के जलमार्ग, नाबदान, संडास, शौचालय, या मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल के ऊपर या उस पर अनियमित रूप से किसी आगे निकले हुए भाग अथवा अतिक्रमण (projection over or encroachment upon) को निर्मित नहीं करेगा, न किसी भी प्रकार से उन्हें क्षति पहुंचायेगा, न पहुंचने देगा और न क्षति पहुंचाने की अनुमति देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड की कोई बात तीन फीट से अनधिक चौड़ाई की किसी ऐसी बरसाती (weather shade) पर लागू न होगी जो किसी ऐसी खिड़की पर लगी हुई हो जो पार्श्ववर्ती (adjoining) घर की दीवाल या खिड़की के सामने न हो;

(घ) किसी नाली में कोई ईट, पत्थर, मिट्टी, राख, गोबर या ऐसी वस्तु या पदार्थ (substance or matter) न गिरायेगा, न डालेगा, न रखेगा, न गिरवायेगा, डलवायेगा या रखवायेगा, न गिराने, डालने या रखने की अनुमति देगा, जिससे नाली को क्षति पहुंचने या उसमें बहने वाली वस्तुओं (contents) को निर्बाध रूप से बहने में बाधा पड़ने की संभावना हो, या जिससे उसमें बहने वाली वस्तुओं के व्यवहार या निस्तारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ;

(ङ) किसी विशेष प्रयोजन के लिये उपबन्धित (provided for) नाली में कोई ऐसा पदार्थ या तरल पदार्थ न डालेगा, न डलवायेगा न डालेगा की अनुमति देगा, जिसके ले जाने (conveyance) के लिये उस नाली की व्यवस्था न की गई हो ;

(च) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी व्यवस्था के अननुकूल किसी नाली में कोई रासायनिक असारवस्तु (chemical refuse) या बेकार जाने वाला वाष्प या ऐसा तरल पदार्थ, जिसका तापमान 120 डिग्री फैरेनहाइट से अधिक हो और जो ऐसी असारवस्तु या बाध्य हो, जो इस प्रकार से व्यवहृत होने पर चाहे स्वतः या नाली में बहने वाली वस्तु से मिलकर खतरनाक हो उठे या अप्रदूषण (nuisance) का कारण हो या स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, न डलवायेगा और न डालेगा देगा (cause or suffer to discharge) ;

(छ) किसी नाली में कार्बाइड आफ कैल्शियम या कोई ऐसा कच्चा पेट्रोल, कोई ऐसा तेल, जो पेट्रोल से बनाया गया हो, कोयला, "शेल" (shale), पत्थर या राल मिश्रित (bituminous) वस्तु या कच्चे पेट्रोल से बनी हुई वस्तु या ऐसा पदार्थ या मिश्रण जिसमें पेट्रोल हो और जिसकी जांच करने पर उससे 73 डिग्री फैरेनहाइट से कम तापमान पर शीघ्र जलन वाली (carrying out all such requisition) वाष्प निकलती हो, न डलवायेगा और न डालने देगा।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यदि उपधारा (1) के खंडों के प्रतिकूल कोई निर्माण–कार्य सम्पादित करने या अन्य कार्य करने वाला व्यक्ति नोटिस के समय उस भवन या निर्माण–कार्य का स्वामी न हो तो उस भवन या निर्माण–कार्य का स्वामी ऐसे सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिये उसी प्रकार उत्तरदायी समझा जायगा जिस प्रकार ऐसा करने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होगा।

नाबदान को न क्षति पहुंचायी जायगी और न उसे अनुचित रूप से गन्दा किया जायगा

259–(1) कोई व्यक्ति, किसी नाबदान, संडास, मूत्रालय या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उनसे संबद्ध किसी संधायन या उपकरण को, जिसकी व्यवस्था एक या एकाधिक भवनों के निवासियों के संयुक्त प्रयोग के लिये की गई हो, न तो क्षति पहुंचायेगा और न उसे कलुषित (foul) करेगा ।

(2) यदि ऐसा नाबदान, संडास, मूत्रालय, या स्नान करने या धुलाई के स्थल या उनसे सम्बद्ध कोई संधायन या उपकरण या उन तक पहुंचाने के मार्ग या उसकी दीवालें, फर्श या स्थान (seats) या उस संबंध में प्रयोग में आने वाली कोई वस्तु उचित रूप से उसकी सफाई न होने के कारण ऐसी दशा में हों कि उस स्थान के निवासियों या बटोहियों के लिये अपदूषण (nuisance) या उद्वेजन (annoyance) का कारण हों तो उनका प्रयोग करने वाले ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो दोषी हों (in default), अथवा इस बात के साक्ष्य न होने पर कि उनका संयुक्त प्रयोग करने वालों मे से कौन व्यक्ति दोषी है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन किया है ।

(3) इस धारा के उपबन्धों के कारण भवन या भवनों का स्वामी किसी ऐसे दंड से मुक्त न होगा जिसका कि वह अन्यथा भागी होता ।

राज्य सरकार नगर की सीमा के बाहर अनुच्छेद के उपबन्ध प्रसारित कर सकती है

260–राज्य सरकार आज्ञा द्वारा, जो सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी, किसी क्षेत्र पर, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किया जायगा किन्तु जो नगर सीमाओं से 2 मील से दूरी पर न हो, इस अध्याय की किसी धारा और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्ध, ऐसे अनुकूलनों (adaptations) चाहे वे संशोधन, परिवर्धन (addition) या लोप (omission) के रूप में हों–के अधीन रहते हुए, जो उसे आवश्यक या इष्टकर (expedient) प्रतीत हों, लागू कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार लागू किये गये उपबन्धों और नियमों का उस क्षेत्र पर वही प्रभाव होगा मानों वह नगर के भीतर हो ।

अपीलें

261–कोई व्यक्ति जो,–

(क) धारा 229 की उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा से क्षुब्ध हो ; या

(ख) धारा 230 की उपधारा (1) के अधीन नाली या नाले (sewer) जोड़ने (connect) के नोटिस से क्षुब्ध हों ; या

(ग) धारा 235 की उपधारा (1) के अधीन [1][नगर आयुक्त] द्वारा किसी नाली को भिन्न प्रकार से बनाने के आदेश (requisition) से क्षुब्ध हों ; या

(घ) [1][नगर आयुक्त] के धारा 236 के अधीन इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि वह किसी जोड़ (connection) को बन्द करना, गिराना, बदलना या फिर से बनवाना चाहता हो ; या

(ङ) [1][नगर आयुक्त] की धारा 237 की उपधारा (1) अधीन ऐसी आज्ञा से क्षुब्ध हो, जिसमें किसी स्वामी या अध्यासी को इस बात का प्राधिकार दिया गया हो कि वह

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अपनी नाली को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि में, या भूमी के बीच से, या उसके नीचे से ले जायें ; या

(च) [1][नगर आयुक्त] के धारा 237 की उपधारा (6) के अधीन इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि उसने किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को यह आदेश दिया है कि वह नाली को एक विशेष रीति से बन्द करे, हटाये या उसका माल परिवर्तित करें ; या

(छ) [1][नगर आयुक्त] के धारा 237 के अधीन नोटिस क्षुब्ध हो ; या

(ज) [1][नगर आयुक्त] के धारा 242 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नोटिस से या खंड (ख) अधीन किसी आदेश या नोटिस से क्षुब्ध हों ; या

(झ) धारा 252 की उपधारा (3) के अधीन [1][नगर आयुक्त] के इस आशय के नोटिस से क्षुब्ध हो कि उसकी विचार किसी नाबदान या संडास को बन्द करने अथवा बदलने या गिरा देने का है ; या

(ञ) धारा 257 के अधीन ऐसे नोटिस से क्षुब्ध हो, जिससे स्वामी को किसी धुलाई स्थल के दोषों को दूर करने के आदेश दिया गया हो ;

तो वह विहित अवधि के भीतर और विहित रीति से न्यायाधीश (judge) के समक्ष अपील कर सकता है ।

नियम बनाने के अधिकार

262–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वगामी अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) धारा 229 की उपधारा (3) के अधीन दिये गये किये नोटिस के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करना और उनका निस्तारण (disposal) ;

(ख) वे शर्तें और निबन्धन (condition and restriction) जिनका नालियों के संबन्ध में पालन किया जायगा ;

(ग) नालियों का निर्माण, संधारण, सुधार, परिवर्तन या बन्द कर दिया जाना (discontinuance) ;

(घ) [2][निगम] नालियों से अन्य नालियां जोड़ने (connection) की शर्तें ;

(ङ) शर्तें जिन पर व्यापारिक भू–गृहादि के अध्यासी किसी व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ (trade effluent) के [2][निगम] नालियों में उत्सर्जित कर सकते हैं ;

(च) वह रीति जिससे व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थों के नमूने का विश्लेषण किया जाय ;

(छ) शर्तें जिनका धारा 249 के अधीन संवीजन दंडों या पाइप को खड़ा करने या लगाने में पालन किया जायेगा ;

(ज) नाबदानों, संडासों, मूत्रालयों, स्नान करने या धुलाई के स्थान का निर्माण, स्थिति और संधारण (maintenance) ;

(झ) वह रीति जिससे [1][नगर आयुक्त] धारा 255 और 256 के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा ;

(ञ) धारा 255 और 256 के अधीन निरीक्षण या परीक्षा करने के व्ययों का भुगतान;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ट) धारा 261 के अधीन अपील प्रस्तुत करने और उसके निस्तारण की रीति और अवधि, जिसके भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकती है ।

अध्याय 11

जल–सम्भरण (Water Supply)

[1][निगम] की जलकलों (Water Works) का निर्माण तथा संधारण

जलकलों के निर्माण, संचालन अथवा बन्द करने के संबंध में [1][निगम] के अधिकार

263–नगर में सार्वजनिक तथा निजी प्रयोजनों के लिये अच्छे तथा पर्याप्त जल के सम्भरण की व्यवस्था करने के हेतु [2][नगर आयुक्त] इस अधिनियम के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, नगर के भीतर या बाहर जलकलों का निर्माण, संधारण मरम्मत, परिवर्तन, विकास और विस्तार कर सकता है अथवा ऐसे किसी जलकल को बंद कर सकता है और उसके स्थान पर इसी प्रकार के अन्य कल स्थापित कर सकता है तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे सम्पूर्ण कार्य कर सकता है, जो प्रासंगिक (incidental) अथवा आवश्यक हों, जिनमें विशेष रूप से–

(1) किसी सड़क अथवा स्थान के बीच, आर–पार, ऊपर या नीचे तथा किसी भवन अथवा भूमि (lands) के स्वामी या अध्यासी को लिखित रूप से समुचित नोटिस देने के बाद उस भवन अथवा भूमि में, उससे होकर तथा उसके ऊपर या नीचे उक्त कलों (works) का ले जाना ;

(2) [1][निगम] की सीमाओं के भीतर या बाहर किसी प्रकार की जल कल को अथवा जल संचय करने, उसे ले जाने या स्थानान्तरित (to store or to take or convey) करने के अधिकारों को क्रय करना या पट्टे पर लेना सम्मिलित है ।

जलकलों का निरीक्षण

264–(1) राज्य सरकार धारा 263 में निर्दिष्ट किसी जलकल या जल–संबंध (water-connection) के निरीक्षण के लिये किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है और ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के किसी जल–संबंध अथवा जलकल से संबंद्ध भूमि में प्रवेश या उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(2) [2][नगर आयुक्त] अथवा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, किसी जल–कल या जल–संबंध में, उस पर या उसके संबंध में निरीक्षण, मरम्मत या किसी निर्माण–कार्य के संपादन के प्रयोजन से समस्त उचित समयों में,–

(क) नगर के भीतर या बाहर किसी ऐसी भूमि में––चाहे वह किसी में भी निहित क्यों न हो––प्रवेश कर सकता है अथवा उससे होकर गुजर सकता है, जो इस प्रकार के जल–कल या जल–संबंध (water-connection) से मिली हुई हो या उसके निकट हों;

(ख) उक्त किसी भूमि पर और उससे होकर समस्त आवश्यक व्यक्तियों, सामग्रियों (materials), औजारों तथा उपकरणों (tools and implements) को ले जाने की व्यवस्था कर सकता है ।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करने में कम से कम क्षति पहुंचायी जायेगी । उक्त अधिकारों मे ंसे किसी के प्रयोग करने में यदि कोई क्षति पहुंचे तो उसकी पूर्ति [1][निगम] की निधियों में से की जायगी ।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई व्यक्ति नियुक्ति किया गया हो तो वह यथाशक्य शीघ्र [2][नगर आयुक्त] को

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और [1][नगर आयुक्त] अविलम्ब उसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखेगा । तत्पश्चात् कार्यकारिणी समिति उसे अपनी टिप्पणियों सहित राज्य सरकार के पास भेज देगी ।

(5) राज्य सरकार कार्यकारिणी समिति की रिपोर्ट टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, प्राप्त होने पर उस पर विचार करेगी और [2][निगम] को अपने निर्णयों की सूचना देगी तथा [2][निगम] उक्त प्रयोजन के लिये निधि प्राप्त होने पर राज्य सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये बाध्य होगी ।

[2][निगम] द्वारा आग–बम्बों की व्यवस्था

265–आग लग जाने पर उससे बचाव के लिये जल–सम्भरण के निमित्त तथा सम्पूर्ण प्रासंगिक (incidental) कार्यो के लिए [1][नगर आयुक्त] ऐसे समस्त स्थानों पर, जिन्हें आवश्यक समझा जायगा, आग–बम्बों (fire hydrants) की व्यवस्था, संधारण तथा मरम्मत करेगा ।

जल–प्रणाली (water mains) आदि को ले जाने का अधिकार

266–(1) नगर के भीतर या उसके बाहर जल–प्रणाल (water mains), पाइप और प्रणाली (ducts) ले जाने, उन्हें नया करने और उनकी मरम्मत करने के प्रयोजनों के लिये [1][नगर आयुक्त] को वही अधिकार प्राप्त होंगे, और वह उन्हीं प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा, जो उसे नगर के भीतर नालियां ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के संबंध में पहले दिये हुए उपबन्धों के अधीन प्राप्त हैं और जिनके वह अधीन हैं ।

(2) वह धारा निजी (private) जल–प्रणाल, पाइप तथा प्रणाली (ducts) के ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के संबंध में उसी प्रकार लागू होगी जैसे वह [2][निगम] जल–प्रणाल, पाइप और प्रणाली (ducts) को ले जाने, उन्हें नयी करने और उनकी मरम्मत करने के संबंध में लागू होती है ।

[2][निगम] के जल–कलों पर प्रभाव डालने वाले कुछ कार्यो का प्रतिषेध

267–(1) [1][नगर आयुक्त] की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कोई व्यक्ति किसी भवन, दिवाल या किसी प्रकार के ढांचे (structure) का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण (erect or re-erect) न करेगा अथवा किसी [2][निगम] जल–प्रणाल के ऊपर कोई सड़क अथवा छोटी रेलवे का निर्माण न करेगा ।

(2) [1][निगम] की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति ––

(क) उक्त क्षेत्र के किसी ऐसे भाग में किसी भी प्रयोजन के लिये, किसी भवन का निर्माण न करेगा, जो किसी झील, तालाब, कुआं, जलाशय या नदी के निकट, जहां से [2][निगम] के जल–कलों के लिये पानी लिया जाता हो, [1][नगर आयुक्त] द्वारा सीमांकित कर दिया जायगा ;

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र के सीमांकन निर्माण–कार्यो (demarcation works) को न हटायेगा, न परिवर्तित करेगा, न उन्हें हानि या क्षति पहुंचाएगा और न उनमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करेगा ;

(ग) किसी ऐसे भवन का, जो उपर्युक्त क्षेत्र में पहले से स्थित हो, न तो विस्तार करेगा, न उसमें परिवर्तन करेगा और न उसे किसी ऐसे प्रयोजन के लिये प्रयुक्त करेगा जो उस प्रयोजन से भिन्न हो जिसके लिये वह अभी तक प्रयुक्त होता रहा हो ; या

(घ) उपर्युक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार से वस्तु–निर्माण (manufacture), व्यापार या कृषि का कोई कार्य नहीं करेगा और न कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे ऐसी किसी झील, तालाब, कुएं, जलाशय या नदी या उनके किसी भाग को हानि पहुंचे या

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

जिससे ऐसी झील, तालाब, कुआं, जलाशय या नदी का पानी कलुषित (fouled) या कम स्वास्थ्यप्रद हो जाय (rendered less wholesome)।

(3) उस दशा को छोड़ कर जिसकी आगे व्यवस्था की गई है, कोई भी व्यक्ति–

(क) किसी [1][निगम] जल–कल में अथवा उस पर न तो कोई पदार्थ गिरवायेगा (percolare) अथवा बहवायेगा (drain) और न ऐसा होने देगा अथवा उसमें या उस पर, न कोई ऐसी चीज ही डलवायेगा अथवा कोई ऐसा कार्य ही करवायेगा, जिससे उसका पानी किसी प्रकार कलुषित (fouled) अथवा दूषित (polluted) हो जाय, अथवा उसके गुण में कोई परिवर्तन आ जाय ;

(ख) [1][निगम] की किसी ऐसी भूमि को, जो उक्त जल–कल से मिली हुई हो या उसके किसी भाग के रूप में हो, खोदकर या उस पर कोई वस्तु जमा (deposit) करके उसके धारातल में कोई परिवर्तन न करेगा ;

(ग) उक्त जल–कल के पानी में किसी पशु का प्रवेश न करायेगा और न करने देगा ;

(घ) उक्त जल–कल के पानी में या उसके ऊपर न तो कोई वस्तु फेंकेगा और न रखेगा ; या

(ङ) उक्त जल–कल में या उसके निकट स्नान नहीं करेगा ; या

(च) उक्त जल–कल में या उसके निकट किसी पशु या वस्तु को न तो धोयेगा और न धुलवायेगा ।

धारा 267 का उल्लंघन कर के किये जाने वाले कार्यो के विरूद्ध कार्यवाही तथा जल–सम्भरण के किसी स्त्रोत (source) के निकट शौचालयों आदि का हटाया जाना

268–(1) यदि धारा 267 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन कर के कोई भवन, दीवाल या ढांचा (structure) निर्मित या पुनर्निर्मित किया जाय अथवा यदि धारा 267 की उपधारा (2) के खंड (क) का उल्लंघन करके कोई भवन निर्मित किया जाय तो [2][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, उसे हटवा सकता है अथवा उसके सम्बन्ध में अन्य ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह उचित समझे और ऐसा करने में जो व्यय होगा वह दोषी व्यक्ति (person offending) द्वारा वहन किया जायगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 267 की उपधारा (2) के खंड (ख), (ग) और (ध) के उपबन्धों का बार–बार उल्लंघन करे तो [2][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से पूर्वोक्त खंडों के उपबन्धों का और आगे उल्लंघन रोकने के लिये कार्यवाही कर सकता है जिसमें ऐसा न्यूनतम बल प्रयोग भी, जो आवश्यक हो, सम्मिलित है ।

(3) [2][नगर आयुक्त] नोटिस द्वारा किसी स्वामी या अध्यासन को, जिसकी भूमि पर कोई नाली, संडास , शौचालय, मूत्रालय, मलकूप अथवा कूड़ा–करकट या मैला रखने का कोई पात्र, किसी सोते, कुएं, तालाब, जलाशय, नदी या किसी अन्य स्रोत से, जहां से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये पानी लिया जाता हो या लिया जा सकता हो, 50 फीट के अन्दर हो, उस नोटिस के तामील होने से एक सप्ताह के भीतर उसे हटाने अथवा बन्द करने के आदेश दे सकता है और यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त व्यक्ति आदेशानुसार कार्य नहीं करता तो [2][नगर आयुक्त] उसे हटवा अथवा बन्द करवा देगा और ऐसा करने में जो व्यय होगा वह दोषी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

जल–कर लगाने वाली [1][निगम] का आभार

269–यदि किन्हीं भवनों या भूमि पर जल–कर लगाया जाता है तो [2][नगर आयुक्त] का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे भवनों या भूमि के स्वामियों या अध्यासियों के लिये जल–सम्भरण की व्यवस्था ऐसे उस रीति से ऐसे समय में और इतनी मात्रा में करे, जो नियमों द्वारा विहित की जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दुर्घटना या असाधरण सूखा पड़ने के कारण अथवा अन्य किन्हीं अनिवार्य कारणों से [1][निगम] जल का सम्भरण नहीं कर पाती तो वह एतदर्थ किसी प्रकार की जब्ती , दंड या क्षति का उत्तरदायी नहीं होगी ।

जल के सकपट तथा अनधिकृत प्रयोग का प्रतिषेध

270–(1) कोई भी व्यक्ति उसे [1][निगम] द्वारा सम्भरित किसी प्रकार के जल का सकपट निस्तारण नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, जिसे [1][निगम] द्वारा निजी काम के लिये जल सम्भरित किया गया हो, सिवाय ऐसी स्थिति के जब जल के सम्भरण के लिये माप के अनुसार शुल्क लिया जाय, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसे भू–गृहादि में नहीं रहता, जिसके संबंध में जल–कर दिया जाता हो, उस भू–गृहादि से जहां जल सम्भरित किया जाता हो, जल ले जाने की अनुमति नहीं देगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसे भू–गृहादि में नहीं रहता, जिसके संबंध में जल–कर दिया जाता हो, किसी ऐसे भू–गृहादि से, जिसे [1][निगम] द्वारा निजी काम के लिये जल सम्भरित किया गया हो, तब तक जल नहीं ले जायेगा जब तक वह यदि जल–सम्भरण का शुल्क माप के अनुसार दिया जाता हो, एतदर्थ उस व्यक्ति की अनुमति न ले ले, जिसे उक्त प्रकार से जल–सम्भरित किया गया हो ।

नियम बनाने का अधिकार

271–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार के नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(1) [1][निगम] की सीमाओं के भीतर किसी निजी जल–मार्ग आदि का संधारण, सफाई, कुशल संचालन तथा उसका बन्द किया जाना ;

(2) किसी ऐसे कुएं, तालाब या अन्य स्थानों के जहां से पीने के लिये जल लिया जा सकता हो, निरीक्षण तथा कीटाणु रहित करने (disinfecting) के निमित्त उपयुक्त कार्यवाहियों की व्यवस्था तथा ऐसी कार्यवाहियां जो उन से पानी निकालने को रोकने के लिये आवश्यक समझी जायं ;

(3) [1][निगम] की सीमाओं के भीतर भूमि या भवन के किसी स्वामी या अध्यासी को अनुबन्ध (agreement) द्वारा पानी का सम्भरण तथा एतदर्थ शर्तें और दरें ;

(4) जल–सम्भरण के प्रयोजन ;

(5) अन्य समस्त प्रयोजनों की अपेक्षा घरेलू प्रयोजनों के लिये जल सम्भरण को प्राथमिकता (precedence) देना ;

(6) पानी के मीटर तथा योजक पाइपों (connection pipes) का लगाना (installation) ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(7) मीटरों, पाइपों (pipes), बम्बों (stand pipe), पंपों, पानी निकालने के बम्बों (hydrants) का आकार तथा प्रकार (size and nature) और वह रीति, जिससे वे सुचारू रूप से जल सम्भरण करने के निमित्त लगाये जायेंगे, बनाये जायेंगे, नियंत्रित किये जायेंगे अथवा संधारित किये जायेंगे ;

(8) प्रणाल (mains) या पाइप, जिनमें आग–डट्ठे (fire plug) लगाये जाने वाले हों और वे स्थान जहां इन आग–डट्ठों की कुंजियां जमा की जायं,

(9) [1][निगम] द्वारा सम्भारित किये जाने वाले जल का किसी अर्ह (qualified) विश्लेषण द्वारा आवधिक विश्लेषण (analysis) ;

(10) [1][निगम] की सीमाओं के भीतर या बाहर स्थित जल सम्भरण के स्रोतों (sources) तथा साधनों और जल–वितरण के उपकरणों (appliances) का संरक्षण (conservation) और उन्हें हानि पहुंचने अथवा दूषित होने (contamination) से बचाना ;

(11) वह रीति जिससे जल–कलों से जल के संबंध (connections) लगाये जायेंगे या संधारित किये जायेंगे और वह अभिकरण (agency) जो उक्त निर्माण अथवा संधारण के लिये प्रयुक्त किया जायेगा या किया जा सकता है ;

(12) जल–सम्भरण व्यवस्था के संबंध में सभी मामलों का विनिमय जिसमें टोटी खोलना (turning on) या बन्द कर (turning off) और पानी को नष्ट होने से बचाना भी सम्मिलित है ; और

(13) [1][निगम] की सीमाओं के बाहर जल–सम्भरण की व्यवस्था करना और ऐसे सम्भरण से संबद्ध जल–करों तथा परिव्ययों (charges) की वसूली और करों को न देने (evasion of taxes) से संबद्ध मामलों की रोक–थाम ।

अध्याय 12

सड़कें

सड़कों का निर्माण, संधारण और सुधार

सार्वजनिक सड़कों का [1][निगम] में निहित होना

272–(1) समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष रक्षण के अधीन रहते हुये, नगर की सभी सड़के, जो सार्वजनिक सड़के या हो जायें–सिवाय उन सड़कों के जो निश्चित दिन पर राज्य सरकार केंद्रीय सरकार में निहित हो गई हों या जो उक्त दिन के पश्चात [1][निगम] से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्मित ओर संधारित की जायं––उनकी मिट्टी, नीचे मिट्टी (sub-soil) तथा किनारे की नालियों, पगडंडियों, खड़ंजों (side drain footways, pavement), पत्थरों और उनके अन्य सामान के सहित [1][निगम] में निहित हो जायेंगी और [2][नगर आयुक्त] के नियंत्रण में रहेंगी ।

(2) राज्य सरकार [1][निगम] से परामर्श करने के पश्चात् किया द्वारा उक्त किसी सड़क को, उसकी मिट्टी, नीचे की मिट्टी तथा किनारे की नालियों, पगडंडियों, खड़ंजों, पत्थरों तथा उनके अन्य सामान सहित [1][निगम] के नियंत्रण से वापस ले सकती है ।

सार्वजनिक सड़कों के सम्बन्ध में

273–(1) [2][नगर आयुक्त] समय–समय पर सभी सार्वजनिक को, जो [1][निगम] में निहित हों, समतल करायेगा, पक्की या खड़ंजे की कर उनमें नालियां बनवायेगा, उन्हे परिवर्तित करायेगा, और उनकी मरम्मत करायेगा (leveled, metalled

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2 [नगर आयुक्त] का अधिकार

or paved, channeled, altered and repair) जैसा कि उस समय अपेक्षित हो, और समय–समय पर किसी सड़क चौड़ी अथवा विस्तृत करा सकता है या अन्य प्रकार से भी उसमें सुधार कर सकता है या उसकी मिट्टी को ऊचीं–नीची या परिवर्तित करा सकता है वह पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिये बाड़ें या खंभे भी लगवा सके और उसकी मरम्मत करा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि 2[नगर आयुक्त] किसी सार्वजनिक सड़क को चौड़ी करने विस्तृत करने या उसमें अन्य सुधार करने का ऐसा जिसकी कुल लागत पांच हजार रूपये से, या इससे भी बड़ी ऐसी धनराशि अधिक हो, जिसे 1[निगम] समय–समय पर निश्चित करे, तब तक नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा किया जाना 1[निगम] द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो ।

(2) 1[निगम] की स्वीकृति से, जो तदर्थ प्रचलित नियमों और विधियों के अनुसार दी गई हो, 2[नगर आयुक्त] 1[निगम] में निहित सम्पूर्ण सार्वजनिक सड़क को या उसके किसी भाग को मोड़ सकता है, मार्ग बदल सकता है अथवा उसका सार्वजनिक उपयोग रोक सकता है स्थायी रूप से बन्द कर सकता है और उसके इस प्रकार बन्द किये जाने राज्य सरकार और 1[निगम] की पूर्व स्वीकृति से उस सड़क के या उसके भाग के, जो बन्द कर दिया गया हो, स्थल (site) का इस प्रकार कर सकता है (dispose of) मानों वह 1[निगम] में निहित कोई भूमि।

नई सार्वजनिक सड़कें बनाने का अधिकार

274–2[नगर आयुक्त] जब वह 1[निगम] द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी समय––

(क) नई सार्वजनिक सड़क का विन्यास कर सकता है और उसे बना सकता है ;

(ख) किसी व्यक्ति से उसकी भूमि से होकर सार्वजनिक प्रयोग के लिये या तो पूर्णतः उस व्यक्ति के व्यय से या अंशतः उस व्यक्ति के व्यय से और अंशतः 1[निगम] के व्यय से सड़क बनाने का करार कर सकता है और यह भी करार कर सकता है कि ऐसी सड़क पूरी हो जाने पर, सार्वजनिक सड़क हो जायगी और 1[निगम] में निहित हो जायगी;

(ग) नई सार्वजनिक सड़क बनाने और उसके विन्यास के लिये सहायक सुरंगे, पुल, रपटें (causeways) और अन्य निर्माण–कार्य (works) करा सकता है ;

(घ) 1[निगम] में निहित किसी वर्तमान सड़क या उसके किसी भाग को बदल सकता है या उसे मोड़ सकता है (divert or turn) ।

नई सार्वजनिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई

275–(1) 1[निगम], समय–समय पर सार्वजनिक सड़कों को विभिन्न श्रेणियों के लिये, यातायात, जिसके उन सड़कों पर होने की संभावना है, के प्रकार (nature), स्थान (locality) जहां वे स्थित हैं, ऊचाई जहां तक सड़कों से लगे भवन बनाये जा सकते है तथा इसी प्रकार की अन्य बातों (considerations) के अनुसार, न्यूनतम चौड़ाई निर्दिष्ट करेगा ।

(2) धारा 274 के अधीन बनाई गई किसी नई सड़क की चौड़ाई उस चौड़ाई से कम न होगी, जो उपधारा (1) के अधीन उस श्रेणी के लिये विहित की गई हो जिसके अन्तर्गत वह आती हो और कोई सीढ़ियां, तथा धारा 293 के अधीन 2[नगर आयुक्त] की लिखित अनुमति के बिना अन्य बाहर निकले हुए भाग (projection) ऐसी सड़क के ऊपर बाहर न निकले रहेंगे, या सड़क तक आगे न बढ़े रहेंगे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) [1][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से लिखित नोटिस द्वारा किसी भू–गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उपधारा (1) के अधीन नियत किसी सड़क की कम से कम चौड़ाई के भीतर स्थित बाहर निकले हुये भाग को हटावे या उसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करे जिसका वह निदेश दे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां बाहर निकला हुआ भाग विधितः खड़ा किया गया था या बनाया गया था तो उस दशा में [1][नगर आयुक्त] द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे उसके हटाने य परिवर्तित करने से हानि या क्षति पहुंचे, प्रतिकर दिया जायगा ।

किसी उपमार्ग, पुल आदि को अपना लेने (to adopt), निर्मित करने या परिवर्तित करने का अधिकार

276–[1][नगर आयुक्त] [2][निगम] द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर किसी व्यक्ति के साथ––

(क) किसी वर्तमान या प्रस्तावित (projected) उपमार्ग (sub-way), पुल, उत्तार (viaduct) या मेहराब और उन तक पहुंचने वाले मार्ग को अपनाने और संधारित करने का करार कर सकता है, और तदनुसार ऐसे उपमार्ग पुल, उत्तार या मेहराब और उन तक पहुंचने वाले मार्ग को सार्वजनिक सड़कों के मार्गो के रूप में या [2][निगम] में निहित सम्पत्ति के रूप में अपना सकता है और संधारित कर सकता है ; या

(ख) किसी ऐसे में पुल, उत्तार या मेहराब के निर्माण या परिवर्तन के लिये या उनके शिलान्यास (foundations) और मजबूती (support) के लिये या उन तक पहुंचाने वाले मार्गो के लिये अपेक्षित किसी पार्श्ववर्ती (adjoining) भूमि को या तो पूर्णतः उस व्यक्ति के व्यय से या अंशतः उस के व्यय से और अंशतः [2][निगम] के व्यय से कम करने या अर्जित करने के लिए करार कर सकता है ।

कुछ प्रकार के यातायात (traffic) के लिए सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग प्रतिषिद्ध करने का अधिकार

277–(1) [1][नगर आयुक्त] के लिये [2][निगम] की स्वीकृति होने पर यह वैध (lawful) होगा कि वह––

(क) किसी सार्वजनिक सड़क विशेष पर, जो [2][निगम] में निहित हो, उसके या उसके किसी भाग के दोनो सिरो पर खंभे गाड़ कर वाहनों के यातायात (vehicles-traffic) का प्रतिषेध करे जिससे जनता की विपत्ति अवरोध अथवा असुविधा (danger, obstruction or inconvenience) का निवारण हो सके ;

(ख) सभी सार्वजनिक सड़कों या विशेष सार्वजनिक सड़कों के संबंध में, सिवाय, समय संकर्षण या प्रचलन के ढंग (mode of traction or locomotion) पथ–परिवहन की सुरक्षा के लिये उपकरणों (appliance) के प्रयोग, बत्तियों (lights) और सहायकों की संख्या, और अन्य सामान्य पूर्वोपाय (precautions) और विशेष परिव्ययों के भुगतान के संबंध में ऐसी शर्तो के अधीन, जो प्रत्येक मामले में सामान रूप से या विशेष रूप से [1][नगर आयुक्त] द्वारा निर्दिष्ट की जाये, किसी ऐसे वाहन के आने–जाने का प्रतिषेध कर जिसका रूप, बनावट, भार या आकार ऐसा हो या जिन पर ऐसी भारी या बंसभाल (unwieldy) वस्तुयें लदी हो कि उनसे सड़क पथों (roadways) या उन पर बने किसी भवन आदि (construction) को क्षति पहुंचना संभव समझा जाय या ऐसी सड़क या सड़कों पर, उनके ऊपर चलने वाले अन्य वाहनों या पैदल चलने वालों को खतरे या अवरोध (risk or obstruction) पहुचना संभव समझा जाये ;

(2) ऐसे प्रतिषेधों के जो उपधारा (1) के अधीन आरोपित किये जाये, नोटिस

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सम्बद्ध सार्वजनिक सड़कों या उनके भागों के दोनों सिरों पर या उनके समीप प्रमुख स्थानों पर चिपका दिये जायेंगे जब तक कि वे प्रतिषेध सामान्यतया सभी सार्वजनिक सड़कों पर लागू न हों ।

सार्वजनिक सड़कों के सुधार के लिए भू–गृहादि को अर्जित करने का अधिकार

278–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा नियमों के अधीन रहते हुये [1][नगर आयुक्त]––

(क) किसी सार्वजनिक सड़क, पुल, या उप–मार्ग को खोलने, चौड़ा करने, बढ़ाने, बदलने या उसमें अन्यथा सुधार करने के प्रयोजन के लिये या किसी नई सार्वजनिक सड़क, पुल या उप–मार्ग के बनाने के लिये अपेक्षित किसी भूमि और उस पर स्थित भवनों, यदि कोई हों, को अर्जित कर सकता है ;

(ख) उक्त भूमि और उस पर स्थित भवन, यदि कोई हों, के अतिरिक्त, ऐसी सभी भूमि को, भी उस पर स्थित भवनों, यदि कोई हों, के सहित, जिसे ऐसी सड़क की नियमित पंक्ति (regular line) अथवा अभिप्रेत (intended) नियमित–पंक्ति के बाहर अर्जित करना उसे सार्वजनिक हित में इष्टकर प्रतीत हों, अर्जित कर सकता है ;

(ग) खंड (ख) के अधीन अर्जित किसी भूमि या भवन को बट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है या अन्यथा निस्तारित (dispose of) कर सकता है ।

(2) वाहनों के अड्डों के लिये स्थान की व्यवस्था करने, उसके विस्तार करने या उसमें सुधार करने के लिये भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह किसी सार्वजनिक सड़क की व्यवस्था करने, उसका विस्तार करने या उस में सुधार करने के प्रयोजनार्थ किया गया भूमि का अर्जन है ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी भूमि या भवन के हस्तान्तरण पत्र (conveyance) में वर्तमान भवन को हटाने, निर्मित किये जाने वाले नये भवन के विवरण (description), अवधि जिसमें ऐसा नया भवन पूरा किया जायगा यथा उसी प्रकार के अन्य विषयों के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें समाविष्ट की जा सकती हैं जिन्हें [1][नगर आयुक्त] उपयुक्त समझे ।

सड़क की पंक्तियों (Street lines) को विहित करने का अधिकार

279–(1) [1][नगर आयुक्त] किसी सार्वजनिक सड़क के एक या दोनों और पंक्ति (line) विहित कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी सार्वजनिक सड़क को प्रत्येक नियमित पंक्ति (line), जो नगर के किसी भाग में तत्समय प्रचलित (in force) किसी विधि के अधीन नियत दिन के ठीक पहले के दिन पर प्रवर्तित (operative) हो, के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन विहित की गई पंक्ति है जब तक कि इस धारा के अधीन [1][नगर आयुक्त] नई पंक्ति विहित न करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कभी किसी वर्तमान पंक्ति या उसके किसी भाग के स्थान पर नई पंक्ति विहित करने का प्रस्ताव किया जाय तो कार्यकारिणी समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(2) तत्समय विहित पंक्ति सड़क की नियमित पंक्ति कहलायेगी ।

(3) [1][नगर आयुक्त] एक पंजी (register) रखेगा जिसमें नक्शे (plans) संलग्न रहेंगे, और उसमें ऐसी सभी सार्वजनिक सड़के दिखाई जायेगी जिनके सम्बन्ध में सड़क की एक नियमित पंक्ति विहित की गई हो और उस पूँजी में ऐसे विवरण रहेंगे जो

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][नगर आयुक्त] को आवश्यक प्रतीत हों और कोई भी व्यक्ति ऐसा शुल्क देने पर, जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर विहित करें, उस पंजी का निरीक्षण कर सकेगा ।

(4) (क) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोई भी व्यक्ति सिवाय [1][नगर आयुक्त] को लिखित अनुज्ञा तथा उन शर्तो के अनुकूल, जो उसके सम्बन्ध में लगाई गई हों, सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर की भूमि पर किसी भवन के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा और [1][नगर आयुक्त] प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें वह उक्त अनुज्ञा दे कार्यकारिणी समिति को अपने कारणों का प्रतिवेदन (report) भी लिखित रूप में भेजेगा ;

(ख) [1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर कोई सीमा भित्ति या सीमा भित्ति (boundary wall) के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी व्यक्ति से सीमा भित्ति या उसके किसी भाग के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् 60 दिन के भीतर [1][नगर आयुक्त] धारा 282 के अधीन सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर भूमि अर्जित न कर सके तो उक्त व्यक्ति, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों तथा नियमों और उपविधियों के अधीन रहते हुये उस सीमा भित्ति या उसके किसी भाग का यथास्थिति निर्माण या पुनर्निर्माण करा सकता है ।

(5) (क) यदि [1][नगर आयुक्त] उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर स्थित भूमि पर किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिये अनुज्ञा दे देता है तो वह भवन के स्वामी को इस आशय का एक करार (agreement) निष्पादित करने का आदेश दे सकता है कि वह और उसके आगम उत्तराधिकारी (successors-in-title) इस बात के लिये बाध्य (binding) होंगे कि यदि [1][नगर आयुक्त] तत्पश्चात् किसी भी समय उससे या उसके किसी आगम–उत्तराधिकारी से उक्त अनुज्ञा के अनुसार किये गये किसी निर्माण कार्य को या उसके किसी भाग कों लिखित नोटिस द्वारा हटाने की मांग करे तो वे उसके लिये किसी प्रतिकर का दावा न करेंगे और यदि वे उक्त निर्माण या उसका कोई भाग न हटायें जिसके कारण उसे [1][नगर आयुक्त] को हटाना पड़े तो वे उसे हटाये जाने के व्यय का भुगतान करेंगे ।

(ख) [1][नगर आयुक्त] ऐसी अनुज्ञा देने के पूर्व स्वामी को [2][निगम] कार्यालय में ऐसी धनराशि जमा करने का आदेश दे सकता है जो इसकी राय में हटाये जाने के व्यय को और ऐसे प्रतिकर को, यदि कोई हो, जो इस भवन को आगम उत्तराधिकारी या हस्तान्तरण ग्रहीता (transferee) को देय हो, पूरा करने के लिये पर्याप्त हो ।

भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना

280–(1) यदि कोई भवन या उसका कोई भाग जो सार्वजनिक सड़क से मिलता हो (abutting), सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो तो [1][नगर आयुक्त] जब कभी यह प्रस्तावित किया जाय कि ––

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) उस भवन को फिर से बनाया जाये या उसे उस सीमा तक नीचा किया जाय कि उसका आधे से अधिक भाग भूमि की सतह (ground level) के ऊपर रह जाये, जो आधा भाग घनफुटों में नापा जायेगा, या

(ख) ऐसे भवन के, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, किसी भाग को हटा दिया जाये, फिर से निर्मित किया जाय या उसमें कोई परिवर्द्धन किया जाय, या उसके ढांचे में परिवर्तन किया जाये, उस भवन को नियमित पंक्ति तक पीछे हटाये जाने का आदेश दे सकता है ।

(2) जब कोई भवन या उसका कोई भाग जो सड़क को नियमित पंक्ति के भीतर हो, गिर पड़े या जल जाये, या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा गिरा दिया जाये, तो [1][नगर आयुक्त] [2][निगम] की ओर से सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर की उस भूमि पर तुरन्त कब्जा कर सकता है जिस पर पहले से उक्त भवन रहा हो, और यदि आवश्यक हो तो उसे साफ भी करवा सकता है ।

(3) इस धारा के अधीन अर्जित भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का भाग समझी जायेगी और इस रूप में [2][निगम] में निहित हो जायेगी ।

भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में [1][नगर आयुक्त] का अतिरिक्त अधिकार

281–(1) यदि कोई भवन या उसका कोई भाग किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और यदि [1][नगर आयुक्त] की राय में, भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाना आवश्यक हो, तो वह, यदि धारा 280 के उपबन्ध लागू न होते हों, लिखित नोटिस द्वारा उस भवन के स्वामी को ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय, यह कारण बताने का आदेश दे सकता है कि वह भवन या उसका कोई भाग जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, क्यों न गिरा दिया जाये और उक्त पंक्ति के भीतर की भूमि [1][नगर आयुक्त] द्वारा अर्जित क्यों न कर ली जाये ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसार स्वामी ऐसे पर्याप्त कारण न बता सके, जिनसे [1][नगर आयुक्त] का समाधान हो सके, तो [1][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, स्वामी को लिखित नोटिस द्वारा ऐसे भवन या उसके भाग को, जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, ऐसी अवधि के भीतर गिराने का आदेश दे सकता है जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाये ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन दिये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, भवन का स्वामी ऐसे भवन या उसके किसी भाग को, जो उक्त पंक्ति के भीतर आता हो, न गिरा सके, तो [1][नगर आयुक्त] उसे गिरवा सकता है और ऐसा करने में हुए सभी व्ययों को स्वामी से वसूल कर सकता है ।

(4) [1][नगर आयुक्त] [2][निगम] की ओर से सड़क की उक्त पंक्ति के भीतर स्थित भूमि के उस भाग पर भी अधिकार कर लेगा जिस पर पहले से उक्त भवन रहा हो, और वह भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायेगी और इस रूप में [1][निगम] में निहित हो जायेगी ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) इस धारा की कोई बात राज्य में निहित भवनों पर लागू नहीं समझी जायगी।

सड़क की पंक्ति के भीतर की खुली भूमि या ऐसी भूमि को अर्जित करना जिस पर प्लेटफार्म आदि हों

282–यदि कोई भूमि जो [1][निगम] मे निहित न हो, चाहे वह खुली हुई हो या घिरी हुई (open or closed), किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और उस पर कोई भवन न हो या यदि कोई मंच, बरामदा सीढ़ी, घेरे की दीवाल, आड़ (hedge) या मड़ (fence) या किसी भवन के बाहर की कोई अन्य संरचना (structure) जो सार्वजनिक सड़क से लगी हुई हो, या किसी मंच, बरामदा, सीढ़ी, घेरे की दीवाल, आड़, मड़ या उक्त अन्य संरचनाओं का कोई भाग उस सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, तो [2][नगर आयुक्त] उक्त भूमि या भवन के स्वामी को कम से कम पूरे चौदह दिन का अपने ऐसा करने के आशय को लिखित नोटिस देने के पश्चात् तथा इस बीच में प्रस्तुत किन्हीं आपत्ति पत्रों की सुनवाई करने के पश्चात् [1][निगम] की ओर से उक्त भूमि और उसके बाड़े की दीवाल (enclosing wall) आढ़ या मेढ़, यदि कोई हो, या उक्त प्लेटफार्म, बरामदा, सीढ़ी या अन्य ढांचे पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, या उक्त प्लेटफार्म, बरामदे, सीढ़ी या अन्य ऐसे ढांचे के भाग पर, जैसा कि ऊपर कहा गया है जो सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो, अधिकार कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे साफ भी करवा सकता है और इस प्रकार से अर्जित की गई भूमि तत्पश्चात् सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि या भवन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में निहित हो, तो संबद्ध सरकार की पूर्व–स्वीकृति के बिना पूर्वोक्त प्रकार से उसे अधिकार में नहीं लिया जायेगा, और यदि भूमि या भवन किसी ऐसे [1][निगम] मे निहित हों, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अनुसार सगठित किया गया हो (constituted) तो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्वोक्त प्रकार से उसे अधिकार में नही लिया जायगा ।

भवन और भूमि के उन भागों को जो सड़क की किसी नियमित पंक्ति के भीतर हों, अर्जित करने के पश्चात् उनके शेष भागों को अर्जित करना

283–(1) यदि कोई भवन या भूमि अंशतः सार्वजनिक सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर हो और यदि [2][नगर आयुक्त] का समाधान हो जाये कि उक्त पंक्ति के भीतर पड़ने वाले भाग को अलग कर देने के बाद शेष भूमि किसी लाभप्रद प्रयोग के लिये उपयुक्त और ठीक न होगी, तो वह स्वामी की प्रार्थना पर उक्त पंक्ति के भीतर पड़ने वाली भूमि के अतिरिक्त उक्त भूमि को भी अर्जित कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त (surplus) भूमि [1][निगम] में निहित सार्वजनिक सड़क का एक भाग समझी जायेगी ।

(2) तत्पश्चात् ऐसी अतिरिक्त (surplus) भूमि धारा 28 के अधीन भवनों को आगे बढ़ाने (setting forward) के प्रयोजनार्थ काम लायी जा सकती है ।

भवनों को सड़क की पंक्ति तक आगे बढ़ाना

284–(1) यदि कोई भवन, जो सार्वजनिक सड़क से लगा हुआ है (abuts), उस सड़क की नियमित पंक्ति के पृष्ठ भाग में हो तो जब कभी––

(क) उस भवन को फिर से बनाने का ; या

(ख) उस भवन में ऐसी रीति से परिवर्तन या मरम्मत करने का जिसमें उस भवन का या उसके उस भाग का जो उक्त सड़क से लगा हुआ हो (abuts), भूमि की सतह से ऊपर उस भवन या भाग के आधे भाग तक (जो आधा भाग धन फिटों में नापा

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

जायेगा) हटाया जाना या पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त हो, प्रस्ताव किया जाये, [1][नगर आयुक्त] किसी आज्ञा में, जिसे वह उस भवन के पुनर्निर्माण, परिवर्तन करने या मरम्मत करने के संबंध में जारी करें यह अनुज्ञा दे सकता है, या कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से आदेश दे सकता है कि उस भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक आगे बढ़ा दिया जाय ।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिये कोई दीवाल, जो किसी भू–गृहादि को सार्वजनिक सड़क से अलग करती हो, भवन समझी जायेगी, और यदि उक्त पंक्ति के साथ–साथ कोई दीवाल ऐसे सामानों से और ऐसे नाप (dimensions) की बना दी जाये, जिसे [1][नगर आयुक्त] अनुमोदित करे, तो ऐसा कराना उस अनुज्ञा या अपेक्षा का पर्याप्त अनुपालन समझा जायेगा जो किसी भवन को सड़क की नियमित पंक्ति तक बढ़ाने के लिये दी गई हो ।

प्रतिकर दिया जायेगा और उन्नति के परिव्यय (betterment charges) लगाये जायेंगे

285–(1) धारा 280, 281, 282 या 283 के अधीन किसी सार्वजनिक सड़क के लिये अपेक्षित किसी भूमि या भवन के स्वामी को, [1][नगर आयुक्त] द्वारा उसके भवन या भूमि को इस प्रकार अर्जित कर लेने के परिणामस्वरूप उसे जो हानि हो और [1][नगर आयुक्त] द्वारा दी गई आज्ञा के परिणामस्वरूप ऐसे स्वामी द्वारा जो व्यय किया गया हो, उसका प्रतिकर दिया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि

(1) ऐसे अवशिष्ट (remainder) संपत्ति के, जिसका इस प्रकार अर्जित किया गया भवन या भूमि एक भाग थी, मूल्य में इस संपत्ति को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने में, जो वृद्धि या कमी होने की संभावना हो उस पर उक्त प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करने में विचार किया जायेगा और उसका संधान किया जायेगा (allowed for);

(2) यदि मूल्य में ऐसी वृद्धि उस क्षति की धनराशि से अधिक हो जो उक्त स्वामी को हुई हो या जो उसने व्यय की हो तो [1][नगर आयुक्त] ऐसे स्वामी से ऐसी वृद्धि की आधी धनराशि उन्नति के परिव्यय (betterment charges) के रूप में वसूल कर सकता है ।

(2) यदि धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने के लिये [1][नगर आयुक्त] द्वारा दी गयी आज्ञा के परिणामस्वरूप उस भवन के स्वामी को कोई क्षति या हानि हो, तो उसे [1][नगर आयुक्त] द्वारा ऐसी क्षति या हानि के लिये, भवन को आगे बढ़ाने से उसके मूल्य में किसी संभावित वृद्धि का विचार करने के पश्चात् प्रतिकर दिया जायेगा ।

(3) यदि अतिरिक्त भूमि, जो किसी ऐसे व्यक्ति के भू–गृहादि में सम्मिलित की जायेगी जिसे धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने का आदेश या अनुमति दी गई हो, [2][निगम] की हो, तो भवन को आगे बढ़ाने के लिये [1][नगर आयुक्त] की आज्ञा या अनुज्ञा उक्त भूमि के उक्त स्वामी के लिये पर्याप्त हस्तान्तरण (conveyance) होगी और ऐसी अतिरिक्त भूमि के लिये उक्त स्वामी द्वारा [1][निगम] को दिया जाने वाला मूल्य और हस्तान्तरण (conveyance) के अन्य निबन्धन और शर्तें (terms and conditions) उक्त आज्ञा या अनुज्ञा में निर्धारित कर दी जायेगी ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) यदि [1][नगर आयुक्त] द्वारा किसी भवन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा करने पर, भवन का स्वामी [2][निगम] को दिये जाने के लिये निश्चित किये गये मूल्य या हस्तान्तरण के अन्य निबंधनों या शर्तों के संबंध में असंतुष्ट हो, तो [1][नगर आयुक्त] उक्त स्वामी को उक्त निबंधन और शर्ते भेजने के पश्चात् 15 दिन के भीतर किसी भी समय स्वामी के प्रार्थना–पत्र भेजने पर, मामले के निर्धारण के लिये न्यायाधीश के पास भेज सकता है ।

निजी (private) सड़कों के संबंध में उपबंध

भवन के रूप में भूमि का निस्तारण करते समय सड़क बनाने के लिये स्वामी का आभार

286–यदि किसी भूमि का स्वामी उस भूमि या उसके किसी भाग या भागों का भवनों के निर्माण के लिये स्थलों (sites) के रूप में उपयोग करे, या उन्हें बेचे, या पट्टे पर दे या अन्यथा उनका निस्तारण करे, तो वह ऐसी दशाओं को छोड़ कर जब ऐसा स्थल या ऐसे स्थल किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिले हुये हों, ऐसी सड़क या सड़कों या मार्ग या मार्गों का विन्यास करेगा और उन्हें बनायेगा जो उक्त स्थल या स्थलों तक पहुंचते हों और किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिलते हों ।

भवनों और निजी सड़कों के लिये भूमि का विन्यास करने के लिये नोटिस

287–(1) यदि किसी व्यक्ति का विचार ––

(क) किसी भूमि को किसी क्रेता (purchaser) या पट्टा गृहीता (lessee) को इस प्रतिश्रव (convenant) या करार के अधीन बेचने या पट्टे पर देने का हो कि वह उस पर भवन बनायेगा ;

(ख) भूमि को (चाहे उस पर कोई भी निर्माण न हो, या अंशतः निर्माण हो) भवन के लिये गाटों (plots) में बांटने का हो ; या

(ग) किसी भूमि या उसके किसी भाग को भवन के प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाने या प्रयोग में लाने की अनुज्ञा देने का हो ;

(घ) किसी निजी सड़क को बनाने या उसका विन्यास करने का हो, चाहे जनता को उस सड़क पर से आने जाने या वहां तक पहुंचने की अनुज्ञा देने का विचार हो या न हों, तो वह नियमों और उपविधियों में उल्लिखित रीति से अपने विचार का लिखित नोटिस [1][नगर आयुक्त] को देगा ।

(2) [1][नगर आयुक्त] उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस पर उस रीति से कार्यवाही करेगा जो नियमों और उपविधियों में विहित हो और ऐसे सामान्य आदेशों के अधीन जो कार्यकारिणी समिति एतदर्थ समय–समय पर दे, भवनों के लिये भूमि का विन्यास, प्रत्येक भवन के गाटे की लम्बाई–चौड़ाई (dimensions) और क्षेत्रफल, प्रत्येक निजी सड़क का तल (level), दिशा (direction), चौड़ाई और जल–निस्सारण के साधन, ऐसी सड़कों के किनारे लगाये और पोषित किये जाने वाले पेड़ों की किस्म और संख्या, ऐसी भूमि पर या ऐसी सड़क के दोनों किनारों पर बनाये जाने वाले सभी भवनों की ऊंचाई, जल–निस्सारण के साधन और उनका संवीजन (ventilation) और उनमें पहुंचने के मार्ग निर्धारित करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि [1][नगर आयुक्त] उपधारा (1) के अधीन प्राप्त नोटिस अथवा नियमों के अधीन मांगे गये नक्शे, खंड, ब्यौरे, योजनाएं या अतिरिक्त सूचनाएं यदि कोई हों, प्राप्त होने के पश्चात् साठ दिन तक उस व्यक्ति को जिसने

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नोटिस दिया, विषयों में से किसी के सम्बन्ध में अपनी असहमति सूचित करने में उपेक्षा या चूक करना है तो ऐसा व्यक्ति लिखित संसूचना द्वारा उपेक्षा या चूक की ओर [1][नगर आयुक्त] का ध्यान आकर्षित कर सकता है और यदि यह उपेक्षा या चूक [1][नगर आयुक्त] द्वारा लिखित सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन की अतिरिक्त अवधि तक जारी रहती है तो यह समझा जायेगा कि उक्त व्यक्ति को प्रस्थापनाएं [1][नगर आयुक्त] द्वारा अनुमोदित कर ली गई हैं :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यहां अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायेगा कि उससे किसी व्यक्ति को अधिनियम अथवा किन्हीं उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करने का अधिकार मिल जाता है ।

(3) यदि [1][नगर आयुक्त] उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में कुछ शर्तों के अधीन या बिना किसी शर्त के अपना अनुमोदन (approval) लिखित रूप में किसी व्यक्ति को सूचित कर दे, या यदि उक्त निर्माण–कार्य पूर्वोक्त रूप में [1][नगर आयुक्त] द्वारा अनुमोदित समझा जाये तो उक्त व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन [1][नगर आयुक्त] को नोटिस मिलने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर किसी भी समय नोटिस में या पूर्वोक्त किसी लेख्य (document) में दिये गये आशय (intention) के अनुसार और [1][नगर आयुक्त] द्वारा विहित शर्तों के अनुसार यदि कोई हों, उक्त निर्माण कार्य के संबंध में कार्यवाही कर सकता है किन्तु इस प्रकार से नहीं कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम या उपविधि का उल्लंघन हो जाय ।

नोटिस की समाप्ति तक भवन निर्माण के लिए भूमि का उपयोग और निजी सड़क का विन्यास नहीं किया जायेगा

288–(1) कोई व्यक्ति तब तक किसी भूमि को, चाहे उसका विकास न हुआ हो, या अंशतः हुआ हो, भवन–निर्माण के लिये न बेचेगा, न पट्टे पर देगा, न प्रयोग करेगा या उसके प्रयोग की अनुमति देगा न ऐसी किसी भूमि को भवन के गाटों में बांटेगा, न किसी निजी सड़क को बनायेगा न उसका विन्यास करेगा ––

(क) जब तक कि धारा 286 के उपबन्धों का पालन न किया गया हो ;

(ख) जब तक कि उस व्यक्ति ने धारा 287 में की गयी व्यवस्था के अनुसार अपने आशय का पहले ही लिखित नोटिस न दे दिया हो और जब तक कि ऐसा नोटिस दिये जाने के पश्चात् 60 दिन समाप्त न हो गये हों और जब तक उक्त कार्य उन आदेशों के (यदि कोई हो) जो धारा 287 की उपधारा (2) के अधीन निश्चित और अवधारित किये गये हों, अनुकूल न हों ;

(ग) जब तक कि धारा 287 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 287 की उपधारा (3) के अधीन किसी निर्माण–कार्य के संबंध में कार्य करने का अधिकार हो उसमें निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा न कर सके, तो वह किसी भी समय उस निर्माण–कार्य को संपादित करने के अपने आशय का नये सिरे से नोटिस दे सकता है और ऐसा नोटिस धारा 287 की उपधारा (1) के अधीन नये सिरे से दिया गया नोटिस समझा जायेगा ;

(घ) जब तक कि वह व्यक्ति [1][नगर आयुक्त] को उस दिनांक का लिखित नोटिस न दे जिस पर वह कोई ऐसे निर्माण–कार्य के संबंध में कार्यवाही करना चाहता है जिसे करने का उसे अधिकार है और नोटिस में उल्लिखित दिनांक से सात दिन के भीतर उस निर्माण–कार्य को प्रारम्भ न कर दें।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यदि इस धारा का उल्लंघन करके कोई कार्य किया जाये या उसे करने की अनुज्ञा दी जाय, तो [1][नगर आयुक्त] लिखित नोटिस द्वारा ऐसे कार्य करने वाले या करने की अनुज्ञा देने वाले किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह :——

(क) उस दिन को या उससे पहले जो उस नोटिस में निर्दिष्ट किया जायेगा ऐसे लिखित कथन द्वारा जिस पर उसने एतदर्थ हस्ताक्षर किये हों और जो [1][नगर आयुक्त] को संबोधित हो, इस बात का कारण बताये कि इस धारा का उल्लंघन करके जो विन्यास, गाटा, सड़क या भवन बनाया गया है उसे [1][नगर आयुक्त] के संतोषानुसार क्यों न बदल दिया जाय, या यदि ऐसा करना उसकी राय में अव्यावहारिक हो तो वह सड़क या भवन क्यों न गिरा या हटा दिया जाये, या भूमि उसी स्थिति में क्यों न कर दी जाये जैसी कि वह अनाधिकृत निर्माण–कार्य के संपादित किये जाने के पहले थी, या

(ख) स्वयं या किसी ऐसे अभिकर्ता द्वारा जिसे उसने एतदर्थ यथावत् प्राधिकृत किया हो, ऐसे दिन, समय और स्थान पर जो उस नोटिस में निर्दिष्ट किया जायेगा, उपस्थित हों और पूर्वोक्त रूप से कारण बताये ।

(3) यदि वह व्यक्ति [1][नगर आयुक्त] के संतोषानुसार यह कारण न बता सके कि वह सड़क या भवन उक्त रूप में क्यों न बदल दिया जाये, गिरा दिया जाये या हटा दिया जाये या वह भूमि उक्त पूर्व–स्थिति में क्यों न कर दी जाये तो [1][नगर आयुक्त] बदलवाने, गिराने, हटाने या भूमि को उक्त स्थिति में करने का कार्य करा सकता है और उसका व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा अदा किया जायेगा ।

(4) धारा 286 के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में [1][नगर आयुक्त] उपधारा (3) में वर्णित कार्यवाही करने के बदले कोई सड़क या सड़कों, मार्ग या मार्गों को बना सकता है जो धारा 286 में निर्दिष्ट स्थल या स्थलों तक पहुंच और किसी वर्तमान सरकारी या निजी सड़क से मिल जाये तथा ऐसा करने में किये गये व्यय की धनराशि स्थल अथवा स्थलों के स्वामी या स्वामियों से ऐसे अनुपात तथा ऐसी रीति से वसूल करेगा जो निर्धारित की जाये।

निजी सड़कों तथा पहुंचने के साधनों का समतल किया जाना और उनकी जल–निस्सारण व्यवस्था

289–(1) यदि कोई निजी सड़क या किसी भवन तक पहुंचने का कोई अन्य साधन [1][नगर आयुक्त] के संतोषानुसार समतल, पक्का, चौरस, पत्थर का (flagged) या खड़ंजो (paved) का या नालों या नालियों तथा मोरियों (sewaged, drained, channelled) सहित न बनाये गया हो, या जिसमें रोशनी या छाया के लिये वृक्षों की व्यवस्था न की गयी हो, तो वह कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से, लिखित नोटिस द्वारा उन भू–गृहादि के, जो उक्त सड़क या पहुंच के अन्य साधनों के सामने पड़ते हों या उनसे सटे हुयें हो या उनसे लगे हुये हों (abutting) या जिन तक पहुँचने का मार्ग ऐसी सड़क या पहुंच के अन्य साधनों से होकर बनाया गया हो या जिन्हें इस धारा के अधीन संपादित निर्माण–कार्यों से लाभ पहुंचेगा, स्वामी या अनेक स्वामियों को पूर्वोक्त अपेक्षाओं में से किसी एक या एकाधिक को ऐसी रीति से पूरा करने का आदेश दे सकता है जो वह आदिष्ट करे ।

(2) यदि नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर और निर्दिष्ट रीति से उपर्युक्त अपेक्षा या अपेक्षाओं को पूरा न किया जाये तो [1][नगर आयुक्त] यदि उचित समझे, उसे पूरा कर सकता है और उसका व्यय चूक करने वाले स्वामी या स्वामियों से अध्याय 21 के अधीन वसूल किया जायेगा ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) यदि वसूली चूक करने वाले दो या दो से अधिक स्वामियों से की जानी हो, तो वह इस आधार पर कि उनके भू–गृहादि का कितना भाग सामने पड़ता है और ऐसे अनुपात में की जायेगी जो कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित किया जाय ।

निजी सड़कों को सरकारी सड़कें घोषित करने का अधिकार

290–(1) जब कोई निजी सड़क [1][नगर आयुक्त] के संतोषानुसार समतल, पक्की चौरस, पत्थर की या खड़ंजों की या नालों, नालियों तथा मोरियों सहित बनायी गयी हो और ठीक कर दी गयी हो, तो वह यदि रोशनी के खंभे (lamp posts) और उक्त सड़क पर रोशनी के लिये अन्य आवश्यक स्थिर यंत्रों (apparatus) की व्यवस्था उसके संतोषानुसार की गयी हो––उस सड़क को सरकारी सड़क घोषित कर सकता है और उस सड़क के स्वामियों या किसी स्वामी की प्रार्थना पर यह घोषित करेगा कि उक्त निजी सड़क सरकारी सड़क है। यह घोषणा ऐसी सड़क के किसी भाग पर लिखित नोटिस लगा कर की जायेगी और तत्पश्चात् वह निजी सड़क सार्वजनिक सड़क हो जायेगी और उसी रूप में [2][निगम] में निहित हो जायेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा नोटिस लगाने के पश्चात् एक मास के भीतर उस सड़क का या उसके वृहत्तर भाग का स्वामी, [1][नगर आयुक्त] को लिखित नोटिस देकर इस संबंध में आपत्ति करे तो वह सड़क सार्वजनिक सड़क नहीं होगी ।

(2) [1][नगर आयुक्त], किसी ऐसी सड़क के जो सार्वजनिक सड़क न हो, और उपधारा (1) के अधीन न आती हो किसी भाग पर लिखित में सार्वजनिक नोटिस लगा कर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकता है। ऐसे नोटिस के इस प्रकार लगाये जाने के पश्चात दो मास के भीतर उस सड़क के स्वामी उक्त नोटिस के विरुद्ध [2][निगम] कार्यालय में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते है। कार्यकारिणी समिति प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचार करेगी और यदि वह उन्हें अस्वीकृत कर दे तो [1][नगर आयुक्त] उस सड़क या उस भाग पर अतिरिक्त नोटिस लगा कर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करेगा ।

किसी सड़क के अंशतः सार्वजनिक और अंषतः निजी होने की दशा में धारा 289 और धारा 290 का लागू होना

291–यदि किसी सड़क का केवल कुछ भाग ही सार्वजनिक सड़क हो तो उस सड़क का शेष भाग धारा 289 और धारा 290 के समस्त प्रयोजन के लिये निजी सड़क समझा जा सकता है ।

बाहर निकले हुए भाग और अवरोध

(Projections and Obstrucitons)

सड़कों आदि पर बाहर निकले हुये भागों का प्रतिषेध

292–(1) धारा 293 में की गयी व्यवस्था के अनुकूल, कोई व्यक्ति किसी भू– गृहादि से सटाकर (against) या उसके सामने कोई ऐसी संरचना या स्थायक (structure or fixture) न निर्मित करेगा न लगायेगा, न बढ़ायेगा और न रखेगा, जो––

(क) किसी सड़क के ऊपर लटकता हो, जिसका कोना उसके आगे बढ़ा हुआ हो या उसके ऊपर निकला हो (Jut or project into) या जो किसी भी प्रकार से उसका अतिक्रमण करता हो, जो किसी भी प्रकार से सड़क पर जनता के सुरक्षित सुविधाजनक गमनागमन को अवरुद्ध करता हो, या

(ख) किसी सड़क को किसी नाली या खुली नालीं के आगे के हुआ हो या

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उसके ऊपर निकला हो, या उसका अतिक्रमण करता हो जिससे ऐसी नाली या खुली नाली के प्रयोग के उसके ठीक से काम करने में किसी प्रकार की बाधा पड़ता हो या उसके निरीक्षण या सफाई के कार्य को अवबाधित (impede) करता हो ।

(2) [1][नगर आयुक्त] किसी भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी (occupier) से लिखित नोटिस द्वारा ऐसे किसी ढांचे या संलग्नक को जो उक्त भू–गृहादि से सटकर या उसके सामने इस धारा का या नियत दिन के ठीक पहले दिन नगर में प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन करके निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो या रखा गया हो, हटाने या उसके संबंध में अन्य ऐसी कार्यवाही करने की, जिसका वह आदेश दे, अपेक्षा कर सकता है ।

(3) यदि उक्त भू–गृहादि का अध्यासी उक्त नोटिस के अनुसार किसी ढांचे या संलग्नक को हटाये या बदले तो उसे जब तक कि उक्त ढांचा या संलाग्नक स्वयं उसके द्वारा निर्मित किया गया, लगाया गया या रखा गया न हो, उक्त नोटिस के पालन करने में सभी उचित व्ययों को भू–गृहादि के स्वामी के खाते में डालने का अधिकार होगा ।

(4) यदि कोई ऐसा ढांचा या संलग्नक, जिसका उल्लेख उपधारा (1) में किया गया है, किसी भू–गृहादि से सटाकर या सामने 1 अप्रैल, 1901 के पहले किसी समय निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो, या रखा गया हो तो [1][नगर आयुक्त] उक्त भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को पूर्वोक्त रूप में नोटिस दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसे मामले में ढांचा या संलग्नक वैध रूप से (lawfully) निर्मित किया गया हो, लगाया गया हो, बढ़ाया गया हो या रखा गया हो, तो [1][नगर आयुक्त] द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिकर दिया जायेगा जिसे उसके हटाने या बदलने से हानि या क्षति पहुंचे ।

कुछ दशाओं में सड़कों के ऊपर बाहर निकले हुए भागों की अनुमति दी जा सकती है

293–(1) [1][नगर आयुक्त] ऐसे निबन्धनों पर, जिन्हें वह प्रत्येक मामले में उचित समझेगा, सड़क से लगे हुये किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को ––

(क) उस सड़क या उसके किसी भाग पर बरसाती कमाचा (arcade) ; या

(ख) किसी सड़क या उसके भाग के ऊपर या उसके आर–पार (over or across), बरामदा, छज्जा, मेहराब, योगमार्ग (connecting passage), बरसाती (sun-shade), ऋतुसूचक ढांचा (weather-frame), छत्र (canopy), तिरपाल (awning) या अन्य ऐसा ही ढांचा या वस्तु जो किसी मंजिल (storey) से बाहर निकली हो बनाने की लिखित अनुमति दे सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [1][नगर आयुक्त] द्वारा किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क पर बरसाती कमाचा बनाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिस पर उसे बनाने की स्वीकृति सामान्यतया [2][निगम] द्वारा न दी गई हो अथवा जब किनारों के बीच की चौड़ाई 60 फीट से कम हो ।

(2) इस धारा के अधीन दी गयी अनुमति के निबन्धनों के अधीन और उनके अनुसार निर्मित किये गये या रखे गये किसी बरसाती कमाचे, बरामदे, छज्जे, मेहराब, योगमार्ग, बरसाती, ऋतुसूचक ढांचा, छत्र, तिरपाल, या अन्य ढांचा या वस्तु पर धारा 292 के उपबन्ध लागू नहीं समझे जायेंगे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) [1][नगर आयुक्त] किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार बनाये गये बरामदे, छज्जे बरसाती ऋतु–सूचक ढांचे, या ऐसी ही किसी वस्तु के हटाने का आदेश दे सकता है, और वह स्वामी या अध्यासी तदनुसार कार्यवाही करने के लिये बाध्य होगा किन्तु उसे इस प्रकार हटाने के कारण हुई हानि तथा उस पर किये गये व्यय के लिये प्रतिकर पाने का अधिकार होगा ।

सबसे नीचे की मंजिल के दरवाजे आदि सड़कों पर बाहर की ओर नहीं खुलने चाहिये

294–(1) कोई दरवाजा फाटक, परदा (bar) या सबसे नीचे के मंजिले की खिड़की [1][नगर आयुक्त] से बिना अनुज्ञप्ति (license) लिये हुये इस प्रकार लटकाई या रखी न जायगी कि वह किसी सड़क पर बाहर की ओर खुले ।

(2) [1][नगर आयुक्त] किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे भू–गृहादि के, जिसके सबसे नीचे की मंजिल का कोई दरवाजा, फाटक परदा या खिड़की, किसी सड़क पर बाहर की ओर, या ऐसी भूमि पर जो सड़क के सुधार के लिये आवश्यक हो, उस रीति से खुलती हो कि उससे [1][नगर आयुक्त] की राय में उस सड़क के ऊपर जनता के सुरक्षित और सुविधाजनक गमनागमन अवरुद्ध होते हों, स्वामी को आदेश दे सकता है कि वह उस दरवाजे, फाटक, परदे या खिड़की को इस प्रकार बदलवाये कि वह बाहर की ओर न खुले ।

सड़कों के संबंध में अन्य प्रतिषेध

295–(1) कोई व्यक्ति धारा 293 या 300 के अधीन [1][नगर आयुक्त] की अनुज्ञा के अननुकूलन किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी सड़क की किसी खुली नाली (channel), नाली, कुएं या तालाब पर या उसके ऊपर कोई दीवाल, मेड़ (fence), कठघरा (rail), खंभा, सीढ़ी छप्पर या अन्य ढांचा, चाहे वह स्थिर हो या चल (fixed or movable), और चाहे स्थायी या अस्थायी प्रकार का हो या कोई संलग्नक (fixture) न इस प्रकार निर्मित करेगा और न लगायेगा कि उस सड़क, खुली नाली, कुयें या तालाब के लिये कोई अवरोध हो या उसका अतिक्रमण हो या वह उस पर आगे निकला हो, उसके ऊपर बाहर निकला हो या उसके किसी भाग को घेरे हुये हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसे किसी निर्माण (erection) या वस्तु पर लागू नहीं समझी जायेगी जिस पर धारा 302 की उपधारा (1) का खंड (ग) लागू होता हो ।

(2) कोई व्यक्ति, बिना [1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुमति के––

(क) किसी सड़क पर या किसी सड़क की खुली नाली (channel), पनाली (drain), या कुएं पर यह किसी सार्वजनिक स्थान पर, कोई दुकान (stall), कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी सामान का गठ्ठर (bale) या कोई भी अन्य वस्तु इस प्रकार न रखेगा या जमा करेगा कि उससे उस पर अवरोध हो या उसका अतिक्रमण (encroachment) हो;

(ख) किसी सड़क के ऊपर, या किसी सड़क की किसी खुली नाली, पनाली, कुएं या तालाब के ऊपर किसी भवन कोई कुर्सी की रेखा के आगे कोई तख्ता या कुर्सी सड़क के धरातल क्षेत्र 12 फीट से कम की ऊँचाई पर बाहर नहीं निकालेगा ;

(ग) किसी सड़क से लगी हुई दीवाल या भवन के भाग से पूर्वोक्त ऊँचाई से कम ऊँचाई पर कोई भी वस्तु न लगा सकता है और न लटका सकता है (attached to, or suspend from) :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) की कोई बात भवन–सामग्री (building material) पर लागू नहीं होती ।

(3) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सड़क पर किसी पशु को न बांधेगा और न अपने परिवार या घर के किसी सदस्य को बांधने देगा और न बांधने की अनुमति देगा । पूर्वोक्त रूप में बांधा गया कोई पशु [1][नगर आयुक्त] या [2][निगम] के किसी पदाधिकारी या नौकर द्वारा हटाया जा सकता है और वह उसके संबंध में वही कार्यवाही करेगा जो छूटे हुये पशुओं के संबंध में की जाती है ।

[1][नगर आयुक्त] किसी ऐसी वस्तु को जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित की जाय, जमा की जाय या फेरी से बेची जाय या बिक्री के लिये प्रदर्शित की जाय, बिना नोटिस के हटा सकता है

296–[1][नगर आयुक्त], बिना नोटिस दिये निम्नलिखित को हटा सकता है :–

(क) कोई ऐसी दीवाल, मेड़ (fence), कठधरा (rail), खंभा, सीढ़ी, छप्पर (booth) या अन्य ढांचा––चाहे वह स्थिर हो या चल और चाहे वह स्थायी प्रकार का हो या अस्थायी––या कोई ऐसा स्थायक (fixture) जो किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी खुली नाली, पनाली, कुएँ या तालाब पर या उसके ऊपर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल नियत दिन के पश्चात् निर्मित या संस्थापित किया जाय ;

(ख) कोई दुकान (stall), कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी, सामान का गठ्ठर, तख्ता या अलमारी, या अन्य कोई भी वस्तु जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके किसी स्थान पर रखी गई हो, किसी स्थान में जमा की गई हो, किसी स्थान से बाहर निकली हो, किसी स्थान से संलग्न हो या किसी स्थान पर लटका दी गई हो ;

(ग) कोई भी वस्तु, जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक सड़क में, इस अधिनियम का उल्लंघन करके फेरी से बेची जाय या बिक्री के लिये प्रदर्शित की जाय और कोई वाहन, बंडल (package) बक्स या ऐसी कोई अन्य वस्तु जिसमें या जिस पर ऐसी वस्तु रखी हो ।

झाड़ियों और पेड़ों को छांटने के लिये आदेश देने का अधिकार

297–[1][नगर आयुक्त], नोटिस द्वारा, किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को, उस पर उगी हुई और सड़क के पास की झाड़ियों को, या उस पर उगे हुए पेड़ों की ऐसी शाखाओं को जो सड़क के उपर लटकती हों और उसे अवरुद्ध करती हों या जिनसे संकट उत्पन्न होता हो, काटने या छांटने का आदेश दे सकता है ।

दुर्घटनात्मक अवरोधों को हटाने का अधिकार

298–जब कोई निजी मकान, दीवाल या अन्य निर्माण या उनसे संबद्ध कोई अन्य वस्तु या कोई पेड़ गिर पड़ें और सार्वजनिक नाली को अवरुद्ध करे या सड़क को घेर ले, तो [1][नगर आयुक्त] ऐसे अवरोध या घेरे (encumbrance) को उसके स्वामी के व्यय से हटा सकता है और उस व्यय को अध्याय 21 में दी गई रीति से वसूल कर सकता है, या नोटिस द्वारा स्वामी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा दे ।

नियत दिन के पहले निर्मित या संस्थापित किसी ढांचे या संलग्नक को हटाने के आदेश देने का अधिकार

299–(1) [1][नगर आयुक्त] लिखित नोटिस द्वारा, किसी ऐसे भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी को, जिससे सटे हुए, या जिसके सामने या जिससे संबद्ध कोई ऐसी दीवाल, मेड़, कठघरा, खंभा, सीढ़ी, छप्पर, या अन्य ढांचा या संलग्नक, नियत दिन के पूर्व निर्मित या संस्थापित किया गया हो, जिसका निर्मित या या संस्थापित किया जाना इस अधिनियम के अधीन अवैध हो, आदेश दे सकता है कि वह उक्त दीवाल, मेड़, कठघरे, खंभे, सीढ़ी, दुकान या अन्य ढांचे या वस्तु को हटा दे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यदि भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी यह सिद्ध करे कि ऐसा बाहर निकला हुआ भाग, अतिक्रमण (encroachment) या अवरोध ऐसी अवधि से अस्तित्व में है जो सीमावधि विधि के अधीन उसे रूढ़ि प्राप्त आगम (prescriptive title) देने के लिये पर्याप्त है (या यदि ऐसी अवधि 30 वर्ष से कम हो तो तीस वर्ष तक) या वह यह सिद्ध करे कि वह एतदर्थ यथावत् अधिकृत किसी [1][निगम] प्राधिकारी की सहमति से बनाया गया है और यह सिद्ध करे कि वह अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिये सहमति मान्य (valid) हो समाप्त नहीं हुई है, तो [1][निगम] ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उसके हटाये या बदले जाने से क्षति पहुचे, उचित प्रतिकर देगा ।

[2][नगर आयुक्त] त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर छप्पर आदि खड़े करने की अनुमति दे सकता है

300–जिला मैजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य पदाधिकारी की, जिसे जिला मैजिस्ट्रेट समय–समय पर एतदर्थ नामनिर्देशित करे, सहमति से [2][नगर आयुक्त] उत्सवों और त्योहारों के अवसरों पर सड़कों पर छप्पर और ऐसा ही कोई अन्य ढ़ाँचा अस्थायी रूप से निर्मित करने की लिखित अनुमति दे सकता है ।

सड़कों पर या उनके निकट निर्माण–कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में उपबन्ध

सड़कों पर या उनके निकट निर्माण–कार्यों का संपादन

301–जब कभी किसी सड़क पर या उसके निकट [1][निगम] की ओर से किसी निर्माण–कार्य का संपादन हो रहा हो तो [2][नगर आयुक्त] सुरक्षा और सुविधा के संबंध में ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे उसके लिये नियमों के अधीन करना अपेक्षित हो । जब पूर्वोक्त कोई निर्माण–कार्य या कोई ऐसा निर्माण–कार्य, जो विधितः सड़क पर संपादित किया जा सके, किया जा रहा हो तो [2][नगर आयुक्त] नियमों में दी गई रीति से सड़क को गमनागमन के लिये पूर्णतयः या अंशतः या किसी ऐसे गमनागमन के लिये, जिसे वह आवश्यक समझे, बन्द कर सकता है ।

बिना अनुमति के सड़कें न खोदी जायें, न तोड़ी जायें और न उन पर भवन सामग्री एकत्र की जाय

302–(1) [2][नगर आयुक्त] या किसी [1][निगम] के पदाधिकारी या नौकर से भिन्न कोई व्यक्ति [2][नगर आयुक्त] की लिखित अनुज्ञा या अन्य वैध प्राधिकार के बिना–

(क) किसी भूमि या खड़ंजे या किसी दीवाल, मेड़, खंभे, जंजीर या किसी अन्य सामग्री या वस्तु को जो [1][निगम] में निहित किसी सड़क का भाग हो या किसी खुली जगह में हो न खोदे, न तोड़े, न अपने स्थान से हटाये (displace), न उसमें कोई परिवर्तन करना आरम्भ करे, न कोई परिवर्तन करे और न उसे कोई क्षति पहुंचाये ;

(ख) [1][निगम] में निहित किसी सड़क या खुली जगह पर, कोई भवन सामग्री एकत्र न करे ;

(ग) [1][निगम] में निहित किसी सड़क या किसी खुली जगह पर, किसी भी निर्माण–कार्य के प्रयोजन के लिये कोई पाढ़ (scaffold) या अन्य स्थायी निर्माण (erection) या गारा बनाने (making mortar) या ईटें, चूना, कूड़ा–करकट, या अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिये बाड़े के रूप में कोई खंभे, छड़ (bar), कठघरे, पट्टल (board) या अन्य वस्तुयें न लगाये ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख), या (ग) के अधीन दी गई कोई अनुज्ञा [1][नगर आयुक्त] के विवेकानुसार उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे अनुज्ञा दी गई हो, अनुज्ञा

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

को समाप्त करने के संबंध में कम से कम 24 घंटे का लिखित नोटिस देने पर, समाप्त की जा सकेगी ।

(3) [1][नगर आयुक्त], बिना नोटिस दिये––

(क) ऐसी भूमि या खड़ंजे या किसी दीवाल, मेड़, खंभे, छड़ या अन्य सामग्री या वस्तु को, जो सड़क का भाग हो, उसी दशा में करवा सकता है जैसी कि वह उपधारा (1) के अधीन [1][नगर आयुक्त] की अनुज्ञा लिये बिना किसी प्रकार से खोदे जाने, तोड़े जाने, अपने स्थल से हटाये जाने, या परिवर्तित किये जाने या क्षति पहुंचाये जाने के पूर्व थी,

(ख) उन दशाओं को छोड़ कर जिनमें उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी सड़क पर भवन सामग्री एकत्र करने की अनुज्ञा के लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो और प्रार्थना–पत्र देने के दिनांक से सात दिन के भीतर प्रार्थी को कोई उत्तर न भेजा गया हो, किसी भवन सामग्री, या किसी पाढ़ (scaffold) या किसी अस्थायी निर्माण, या बाड़े के रूप में किन्हीं खंभों, छड़ों, कठघरों, पट्टलों या अन्य वस्तुओं को जो किसी सड़क पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा या प्राधिकार के बिना एकत्र की गई हो, या लगायी गई हो, या जो ऐसी अनुज्ञा या प्राधिकार से एकत्रित की गई हों या लगायी गई हो, परन्तु उपधारा (2) के अधीन दिये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हटाई न गई हो, हटवा सकता है ।

उन व्यक्तियों द्वारा जन– सुरक्षा के पूर्वोपायों (precautions) का किया जाना जिन्हें धारा 302 के अधीन अनुज्ञा दी जाय

303–(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 302 के अधीन अनुमति दी जाय अपने व्यय से, उस स्थान को जहां भूमि या खड़ंजा खोदा गया हो या तोड़ा गया हो या जहां उसने भवन सामग्री एकत्र की हो, या कोई पाढ़, निर्माण या अन्य वस्तु लगायी हो, उचित रूप से मेड़ द्वारा घिरवायेगा और उसकी रक्षा करवायेगा और ऐसी सभी दशाओं में, जिनमें उसका दुर्घटनाएं बचाना आवश्यक हो, रात्रि में उस स्थान पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करायेगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे धारा 302 के अधीन किसी सड़क की भूमि या खड़ंजा खोदने या तोड़ने की अनुज्ञा दी गई हो, या जो अन्य वैध प्राधिकार के अधीन किसी सड़क की भूमि या खड़ंजा खोदे या तोड़े, यथाशक्य पूर्ण वेग से उस निर्माण–कार्य को पूरा करेगा जिसके लिये कि वह खोदा या तोड़ा जायेगा, और भूमि को भरेगा और उस खोदी या तोड़ी गई सड़क या खड़ंजे को अविलम्ब [1][नगर आयुक्त] के सन्तोषानुसार फिर पूर्वावस्था में करके ठीक करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति पूर्वोक्त प्रकार से सड़क या खड़ंजे को फिर पूर्वावस्था में करके ठीक न करे तो [1][नगर आयुक्त] उस सड़क या खड़ंजे को ठीक करवा सकता है, और ऐसा करने में [1][नगर आयुक्त] द्वारा किया गया व्यय उक्त व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा ।

(3) [1][नगर आयुक्त] लिखित नोटिस द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे धारा 302 के अधीन किसी सड़क की भूमि या खड़ंजा खोदने या तोड़ने की अनुमति दी गई हो, या जो किसी अन्य वैध प्राधिकार के अधीन किसी निर्माण–कार्य का सम्पादन करने के

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

लिये किसी सड़क को भूमि या खड़ंजा खोदे या तोड़े यह आज्ञा दे सकता है कि वह उसके सन्तोषानुसार उस सड़क से होकर भू–गृहादि को जाने वाले मार्ग को सुरक्षित रखने के निमित्त यातायात (traffic) के लिये मार्ग या उसके परावर्तन (passage or diversion) की और किसी नाली, जल संभरण या प्रकाशन के ऐसे साधनों की जो उक्त निर्माण–कार्य के सम्पादन के कारण बाधित होते हों, व्यवस्था करें ।

भवन, जो सड़कों के कोनो पर हों

304–(1) [1][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, लिखित आज्ञा द्वारा किसी ऐसे भवन के जिसका निर्माण हो चुका हो या जिसका निर्माण होने वाला हो या जिसका पुनर्निर्माण या मरम्मत होनी हो और जो दो या अधिक सड़कों के संगम पर स्थित हो, कोने को ऐसी ऊंचाई पर और ऐसी रीति से, जिसे वह निर्धारित करे, गोल किये जाने (rounded and splayed) या ढालू किये जाने का आदेश दे सकता है और उक्त आज्ञा में चहार दीवारी (compound wall) या मेंड़ (fence) या आढ़ (hedge) या किसी भी प्रकार की अन्य संरचना (structure) के सम्बन्ध में या उस भवन से संबद्ध भू–गृहादि पर कोई पेड़ लगाने या उसे रहने देने के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें भी लगा सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई आज्ञा के कारण होने वाली किसी हानि या क्षति के लिये [1][नगर आयुक्त] द्वारा प्रतिकर दिया जायगा ।

(3) ऐसा प्रतिकर निर्धारित करने में उस लाभ का ध्यान रखा जायगा जो उस भू–गृहादि को सड़कों के सुधार से प्राप्त हो ।

आकाश चिन्ह और विज्ञापन

आकाश चिन्हों के सम्बन्ध में विनियम

305–(1) कोई व्यक्ति, [1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुबन्ध के बिना, उस प्रकार का कोई आकाश चिन्ह, जो निमयों के अनुसार विहित किया गया हो, चाहे वह नियत दिन को विद्यमान हो या न हो, न खड़ा करेगा, न लगायेगा और न रहने देगा। ऐसी लिखित अनुज्ञा उक्त प्रत्येक अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से किसी भी अवधि के लिए जो दो वर्ष अधिक न हो दी या नवीकृत की जायगी, पर इस शर्त के अधीन कि ऐसी अनुज्ञा शून्य समझी जायगी, यदि

(क) [1][नगर आयुक्त] के आदेशों के अधीन उस आकाश चिन्ह को सुरक्षित बनाने के प्रयोजन के सिवाय उसमें अन्य कोई परिवर्धन किया जाय ;

(ख) आकाश चिन्ह या उसके किसी भाग में कोई परिवर्तन किया जाय ;

(ग) आकाश चिन्ह या उसका कोई भाग दुर्घटना से, नष्ट हो जाने से या किसी अन्य कारण से गिर जाय ;

(घ) उस भवन, या ढांचे में जिस पर या जिसके ऊपर आकाश चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हो, या रहने दिया गया हो, कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाय, जिसमें आकाश चिन्ह या उसके किसी भाग का विस्थान (disturbance) अन्तर्ग्रस्त हो ;

(ङ) वह भवन या ढांचा, जिस पर या जिसके ऊपर आकाश चिन्ह खड़ा किया गया हो, लगाया गया हो या रहने दिया गया हो, खाली हो जाय अथवा गिरा दिया जाय या नष्ट हो जाय ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यदि उस अनुज्ञा के अनुकूल, जिसकी व्यवस्था इसके पूर्व की जा चुकी है, कोई आकाश चिन्ह नियत दिन के पश्चात् किसी भूमि, भवन या ढांचे पर या उसके ऊपर खड़ा किया जाय, लगाया जाय या रहने दिया जाय, तो उस भूमि, भवन या ढांचे के स्वामी या अध्यासी व्यक्ति (person in occupation) के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने इस धारा का उल्लंघन करके ऐसे आकाश चिन्ह को खड़ा किया, लगाया या रहने दिया है, जब तक कि वह यह सिद्ध न करे कि उक्त उल्लंघन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो उसके नियोजन या नियंत्रण में नहीं था अथवा उसके अज्ञानाभिनय के बिना हुआ है ।

(3) यदि कोई आकाश चिन्ह इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी अवधि के लिये उसके खड़े किये जाने, लगाने या रहने दिये जाने के लिये दी गई आज्ञा समाप्त या शून्य हो जाने के पश्चात् खड़ा किया जाय, लगाया जाय या रहने दिया जाय, तो [1][नगर आयुक्त] लिखित नोटिस द्वारा उस भूमि, भवन या ढांचे के स्वामी या अध्यासी को जिस पर या जिसके ऊपर आकाश चिन्ह खड़ा किया, लगाया, या रहने दिया गया हो, ऐसे आकाश चिन्ह को उतारने और हटा देने का आदेश दे सकता है ।

विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण

306–(1) [1][नगर आयुक्त] लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि, भवन, दीवाल, बाड़ (hoarding) या संरचना के स्वामी या उसमें अध्यासीन व्यक्तियों को, उस अवधि के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट की गई हो उस भूमि, भवन, दीवाल, भोजनालय या ढांचे पर के किसी विज्ञापन को उतारने या हटा देने का आदेश दे सकता है ।

(2) यदि विज्ञापन उस अवधि के भीतर उतारा या हटाया न जाय तो [1][नगर आयुक्त] उसे उतरवा या हटवा सकता है, और उसके उतारने या हटाने में उचित रूप से किया गया व्यय ऐसे स्वामी या व्यक्ति द्वारा वह न किया जायगा ।

(3) इस धारा के उपबन्ध किसी ऐसे विज्ञापन पर लागू नहीं होंगे जो––

(क) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया जाता हो ;

(ख) ऐसे व्यापार या कारबार (trade or business) से सम्बन्ध रखता हो जो उस भूमि या भवन के भीतर किया जाता हो जो उस भूमि या भवन भीतर किया जाता हो या जो उस भूमि या भवन या उनके किसी सामान (effects) के किसी विक्रय या उस किराये पर उठाने से सम्बन्ध रखता हो, या जो उन आयोजित किये जाने वाले किसी विक्रय मनोरंजन या अधिवेशन (meeting) से सम्बन्ध रखता हो ;

(ग) किसी रेल प्रशासन के कारबार से सम्बन्ध रखता हो ;

(घ) किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेल प्रशासन की किसी दीवाल या अन्य संपत्ति के ऊपर प्रदर्शित किया जाता हो सिवाय ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह (surface) के उस भाग के जो किसी सड़क के सामने हो ।

खतरनाक स्थान व ऐसे स्थान जहां कोई ऐसा निर्माण–कार्य किया जा रहा हो जिससे जनता की सुरक्षा व सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो

सड़क से सटे हुए किसी भवन पर निर्माण– कार्यो के समय बाड़ों का लगाया जाना

307–(1) कोई व्यक्ति, जो किसी भवन या दीवाल को बनाने गिराने या फिर से बनाने या किसी भवन या दीवाल के किसी भाग में परिवर्तन करने या उसकी मरम्मत करने का विचार करता हो, ऐसी किसी भी दशा में जिसमें उससे सटी हुई किसी सड़क की पगडंडी अवरूद्ध या कम सुविधाजनक हो जाये ऐसा करना तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह पहले सुविधाजनक मचान और कटेहरा सहित, यदि उसके लिये

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

पर्याप्त स्थान हो, और [1][नगर आयुक्त] उसे वांछनीय समझे, उचित और पर्याप्त बाड़ (hoarding)) या मेड़ न लगवा ले, जो ऐसे बाड़ या मेड़ के बाहर यात्रियों के लिये पगडंडी का काम देगा ।

(2) कोई बाड़ या मेड़ [1][नगर आयुक्त] की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त प्रकार से न लगायी जायगी, और प्रत्येक ऐसा तख्ता या मेड़, जो ऐसी अनुज्ञा से, पूर्वोक्त मचान और कटेहरा सहित, लगायी गई हो निर्माण–कार्य सम्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा [1][नगर आयुक्त] के सन्तोषानुसार उस समय तक के लिये जो सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा के लिये आवश्यक हो, खड़ी रहने दी जायगी, और ऐसी सभी दशाओं में, जिनमें वह दुर्घटनाएं बजाने के लिये आवश्यक हो, उक्त व्यक्ति उस बाड़ या दीवार पर रात्रि में प्रकाश की अच्छे व्यवस्था करेगा ।

(3) [1][नगर आयुक्त] लिखित नोटिस द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को इस प्रकार लगाये गये किसी बाड़ या मेड़ को हटाने का आदेश दे सकता है ।

[1][नगर आयुक्त] खतरनाक या ऐसे स्थानों की, जहां कोई ऐसा निर्माण– कार्य किया जा रहा है जिससे सुरक्षा और सुविधा पर प्रभाव पड़ता हो, मरम्मत या उन्हें घेरने (enclosing) की कार्यवाही करेगा

308–(1) यदि कोई स्थान [1][नगर आयुक्त] की राय में किसी सड़क के यात्रियों या उसके पास–पड़ोस के लिये पर्याप्त मरम्मत, संरक्षण (protection) या घेरे के न होने के कारण या उस पर कोई निर्माण–कार्य सम्पादित किये जाने के कारण, संकट प्रद हो या यदि कोई ऐसा निर्माण–कार्य [1][नगर आयुक्त] की राय, में उन व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा पर प्रभाव डालता हो, तो वह, लिखित नोटिस द्वारा, उसके स्वामी या अध्यासी को उक्त स्थान की मरम्मत करने, उसका संरक्षण करने या उसे घेरने या अन्य ऐसी कार्यवाही करने का, जो मुख्य नगराधिकारी को आवश्यक प्रतीत हो, आदेश दे सकता है ताकि उस से उत्पन्न होने वाले संकट का निवारण हो सके या उक्त व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा सुनिश्चित हो जाय ।

(2) [1][नगर आयुक्त], ऐसा कोई नोटिस देने से पूर्व या ऐसे नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व, उक्त स्थान से होने वाले संकट के निवारणार्थ या उस निर्माण–कार्य पर सुरक्षा या सुविधा को सुनिश्चित करने के लिये ऐसी अस्थायी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे और ऐसी अस्थायी कार्यवाही करने में [1][नगर आयुक्त] द्वारा किया गया व्यय उस स्थान के, जिसके सम्बन्ध में नोटिस दिया गया हो, स्वामी या अध्यासी को वहन करना पड़ेगा ।

गिराने के कार्य के समय संरक्षण की कार्यवाहियां

309–(1) कोई व्यक्ति जो किसी भवन या उसके किसी भाग को गिराने का विचार करता हो, ऐसा करना तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह उक्त बाढ़ या मेड़ के अतिरिक्त, जिसकी धारा 307 के अधीन व्यवस्था करना उसके लिये अपेक्षित हो, उस भवन के चारों ओर उसकी पूरी ऊंचाई तक आवरण (screen) की व्यवस्था न कर ले ताकि आस–पास की वायु की धूल से दूषित होने से अथवा मलवे, ईटों, लकड़ी और अन्य सामान के गिरने से होने वाली क्षति (injury) या हानि को बचाया जा सके ।

(2) यदि कोई निर्माण–कार्य उपधारा (1) का उल्लंघन करके प्रारम्भ किया जाय, तो [1][नगर आयुक्त] उसे तुरन्त बन्द करवा सकता है और ऐसे व्यक्ति को, जो उसे करवा रहा हो, पुलिस पदाधिकारी द्वारा भू–गृहादि से हटवा सकता है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सड़कों पर रोषनी की व्यवस्था करना

सार्वजनिक सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की जायगी

310–(1) [1][नगर आयुक्त]––

(क) सार्वजनिक सड़कों, [2][निगम] उद्यानों और खुले स्थानों तथा [2][निगम] बाजारों और [2][निगम] में निहित सभी भवनों पर, उपयुक्त रीति से रोशनी के लिये उपाय करेगा,

(ख) बत्तियों, बत्तियों के खंभों और उनसे सम्बद्ध अन्य ऐसी वस्तुओं को उतनी संख्या में प्राप्त करेगा, लगायेगा और संधारित करेगा, जो उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, और

(ग) उक्त बत्तियों की तेल, गैस, बिजली या अन्य ऐसी रोशनी से जलवायेगा जिसे [2][निगम] समय–समय पर निर्धारित करे ।

(2) [1][नगर आयुक्त], प्रतिकर के किसी दावे का उत्तरदायी हुये बिना उक्त बत्तियों को जलाने के लिये किसी अचल सम्पत्ति के नीचे, ऊपर, साथ–साथ या आर–पार बिजली के तार रख सकता और संधारित कर सकता है और बत्तियों या बिजली के तार को ले जाने, निलंबित करना सहारा देने के लिये खंभ, बल्लियां, घ्वजदंड, रोक, अवलंब, ब्रैकेट्स युक्ति किसी अचल सम्पत्ति में या पर रख सकता है और धारित कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे तार, खंभे, बल्लियां, ध्वजदंड, अवलम्ब, ब्रैकेट्स और अन्य युक्ति इस प्रकार रखे जायेंगे कि उनके कारण व्यक्ति को न्यूनतम व्यावहारिक असुविधा हो या अपदूषण पैदा हो ।

सड़कों पर पानी का छिड़काव (Watering)

सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिये उपाय

311–[1][नगर आयुक्त] ––

(क) सार्वजनिक सड़कों पर ऐसे समय और मौसमों में और रीति से जिसे वह ठीक समझे पानी के छिटें के लिये उपाय कर सकता है ;

(ख) ऐसे वाहनों, पशुओं और स्थिर–यत्रों को, जिसे वह उक्त प्रयोजन के लिये ठीक समझे, प्राप्त संधारित कर सकता है ।

विविध

सड़कों की बत्तियों या अन्य [2][निगम] संपत्ति को हटाने आदि का प्रतिबन्ध

312–(1) कोई व्यक्ति बिना वैध (lawful) प्राधिकार ––

(क) किसी बत्ती, बत्ती के खंभे या बत्तियों की जाली (lampsing) को, जो किसी सार्वजनिक सड़क पर या [2][निगम] उद्यान, खुले स्थान या बाजार या [2][निगम] में निहित भवन में, लगाई गई हो;

(ख) किसी बिजली के तार को जो उक्त किसी बत्ती को जल लिये हो;

(ग) किसी खंभे बल्ली, ध्वजदंड, रोक, अवलम्ब, ब्रैकेट या युक्ति को, जो ऐसे किसी बिजली के तार या बत्ती को ले निलम्बित करने या सहारा देने के लिये हो;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) किसी सड़क पर [1][निगम] की किसी संपत्ति न ले जायेगा, न जानबूझ कर तोड़ेगा, न नीचे फेंकेगा और न क्षति पहुँचायेगा और कोई व्यक्ति किसी बत्ती को जानबूझ कर न बुझायेगा और न बत्ती से सम्बद्ध किसी वस्तु को क्षति पहुंचायेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उपेक्षा से या दुर्घटनावश या अन्य किसी सार्वजनिक सड़क या [1][निगम] बाजार, उद्यान या सार्वजनिक स्थान या [1][निगम] में निहित भवन पर लगाई गयी किसी बत्ती को तोड़ने या किसी सड़क पर [1][निगम] की किसी संपत्ति को तोड़ेगा या उसे पहुंचायेगा, तो उसे इस प्रकार की गई क्षति की मरम्मत कराने के व्यय को करना होगा ।

राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमा के बाहर प्रवृत्त कर सकती है

313–राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा किसी ऐसे क्षेत्र में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट किया जायगा किन्तु जो नगर की सीमाओं से दो मील से अधिक दूर न होगा, इस अध्याय की किसी धारा और तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रवृत्त कर सकती है और तदुपरान्त उपर्युक्त रूप में प्रवृत्त उपबन्ध और नियम उसमें उसी प्रकार प्रभावशील होंगे मानों कि वह नगर के भीतर हो ।

नियम बनाने का अधिकार

314–(1) इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

(2) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) रीति जिससे धारा 273 के अधीन [1][निगम] किसी सार्वजनिक सड़क को बन्द करने की स्वीकृति देगी और ऐसी सड़क के स्थल का निस्तारण ;

(ख) रीति जिससे धारा 279 के अधीन किसी वर्तमान पंक्ति के स्थान पर सड़क की नई पंक्ति विहित करने के लिए कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति दी जायेगी ;

(ग) रीति जिससे कोई व्यक्ति धारा 287 के अधीन भूमि को भवन के प्रयोजनों के लिए बेचने या पट्टे पर देने (let) आदि या किसी निजी सड़क के विन्यास करने के अपने अभिप्राय का, नोटिस देगा और वह प्रक्रिया जिसे [2][नगर आयुक्त] ऐसे नोटिस पर कार्यवाही करने में, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त सूचना और प्रसाणीकृत नक्शा (plan) मांगना भी है, अपनायेगा ;

(घ) धारा 301 के अधीन [2][नगर आयुक्त] द्वारा जनता की सुरक्षा और सुविधाा के लिए उस समय की जाने वाली कार्यवाही जब सड़कों पर या उनके पास किसी निर्माण–कार्य का संपादन हो रहा हो ।

अध्याय 13

निर्माण के विनियम

भवनों के निर्माण आदि से संबद्ध नोटिस

परिभाषा

315–इस अध्याय में पद "भवन निर्माण करना" के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे––

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) उस व्यवस्था के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा विहित की जाय, किसी वर्तमान भवन के किसी सारभूत (substant) भाग का पुनर्निर्माण ;

(ख) किसी ऐसे भवन या भवन के भाग को, जो प्रारम्भ में मनुष्य के रहने के अभिप्राय से न बनवाया गया हो, और जो मनुष्यों के रहने के लिए प्रयुक्त न हो रहा हो, निवास गृह (dwelling house) में परिवर्तन करना ;

(ग) किसी भवन के किसी एक निवास–स्थान (tenement) या दो अथवा उससे अधिक निवास–स्थानों को संरचनात्मक परिवर्तन (structural alteration) द्वारा और या कम निवास–गृहों में परिवर्तित करना, जिससे उस जल–निस्तारण या सफाई की व्यवस्था अथवा उसे मजबूती पर प्रभाव पड़े ;

(घ) किसी ऐसे भवन को, संरचनात्मक परिवर्तन किसी धार्मिक उपासना के स्थल अथवा पवित्र (sacret) स्थान के रूप में बदलना जो प्रारम्भ (originally) में ऐसे प्रयोजन के लिए अभिप्रेत न रहा हो अथवा निहित न किया गया हो ;

(ङ) दीवालों अथवा भवनों के बीच के किसी खुले स्थान को आच्छादित करना अथवा उसमें छत डालना (covering or roofing) जहां तक उस ढांचे का सम्बन्ध है, जो ऐसे खुले स्थान आच्छादित करने अथवा उसमें छत डालने से तैयार होता हो ;

(च) किसी ऐसे भवन को छोटी दुकान (stall), दुकान (shop) भण्डार (warehouse) अथवा माल–गोदाम (godown) के रूप में परिवर्तित करना जो प्रारम्भ में इस प्रकार के प्रयोग के लिए न बनवाया गया हो ;

(छ) किसी ऐसी सड़क अथवा भूमि से संलग्न किसी दीवाल में, जो दीवाल के स्वामी में निहित न हो ऐसा दरवाजा बनाना जो ऐसी सड़क अथवा भूमि में खुलता हो ;

(ज) कोई अन्य कार्य जिसके सम्बन्ध में एतदर्थ बनायी गयी किसी उपविधि द्वारा, यह घोषित किया जाय कि वह किसी भवन का निर्माण समझा जाय ।

भवन निर्माण का नोटिस

316–प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो भवन निर्माण करना चाहता हो, [1][नगर आयुक्त] को अपने ऐसा करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस ऐसे प्रपत्र (form) में तथा ऐसी रीति से देगा और उसमें ऐसे ब्योरे उल्लिखित होंगे जो उपविधियों द्वारा विहित किये जायें।

भवन में मरम्मत परिवर्तन इत्यादि के सम्बन्ध में नोटिस

317–प्रत्येक व्यक्ति जिसका अभिप्राय––

(क) किसी भवन में परिवर्द्धन करना ;

(ख) किसी ऐसे भवन में, जो ढांचे पर बना भवन (frame building) न हो, कोई परिवर्तन या मरम्मत करना, जिसमें उस भवन की किसी वाह्य दीवाल या पाख (party-wall) अथवा किसी ऐसी दीवाल का, जिसके ऊपर उसकी छत हो उस आयति तक हटाया जाना या पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त है, जो कुर्सी की सतह के ऊपर ऐसी दीवाल के आधे से अधिक हो, जो आधार बहिस्पर्शी (superificial) फुटों में नापा जायगा ;

(ग) किसी ढांचे पर बने भवन में कोई परिवर्तन या मरम्मत करना जिसमें उसकी पूर्वोक्त प्रकार के किसी दीवाल के आधे से अधिक खम्भों या धत्रियों (posts or beams) का हटाया जाना या उनका पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त है, या जिसमें उसकी पूर्वोक्त प्रकार की किसी दीवाल का उस आयति तक हटाया जाना या पुनर्निर्माण अन्तर्ग्रस्त है, जो कुर्सी की सतह के ऊपर ऐसी दीवाल के आधे से अधिक हो, जो आधा बहिस्पर्शी फुटों में नापा जायेगा ;

(घ) भवन में किसी प्रकार का परिवर्तन (alteration) करना जिसमें निम्नलिखित बातें अन्तर्ग्रस्त हों––

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(1) ऐसे भवन के किसी कमरे को उपभागों में विभाजित करना, जिससे वह अलग–अलग दो या अधिक कमरों में परिवर्तित हो जाय ;

(2) ऐसे भवन में किसी मार्ग या स्थल (passage or space) को कमरा या कमरों के रूप में परिवर्तित करना,

(3) सड़क से लगे हुए और उसकी नियमित पंक्ति के भीतर स्थित भवन के किसी भाग की मरम्मत करना, उसे हटाना, उसका निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना अथवा उसमें परिवर्द्धन करना ;

(ङ) भवन में किसी प्रकार का कार्य संपादित करना, जिसमें निम्नलिखित अन्तर्ग्रस्त हों ––

(1) छत का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण ;

(2) छत को चौरस छत (terrace) के रूप में परिवर्तित करना ;

(3) चौरस छत को छत में परिवर्तित करना ; अथवा

(4) "लिफ्ट शैप्ट" का निर्माण ;

(च) भवन में किसी भी प्रकार की मरम्मत करना, जिसमें कमरे के फर्श का निर्माण अन्तर्ग्रस्त हो (भूमि वाले फर्श को छोड़कर) ;

(छ) वाह्य दीवाल के किसी दरवाजे अथवा खिड़की को स्थायी रूप से बन्द करना ; अथवा

(ज) मुख्य जीने का हटाया जाना अथवा उसका पुनर्निर्माण या उसकी स्थिति में परिवर्तन करना हों,

वह [1][नगर आयुक्त] को एक लिखित नोटिस ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी सूचना के साथ देगा, जो तदर्थ बनायी गयी उपविधियों के अनुसार अपेक्षित हो और उसके साथ ऐसे लेख्य तथा नक्शे भेजेगा जो विहित किये जायें ।

योजनाओं आदि का अस्वीकार करना यदि वे विहित रीति से न बनायी गयी हों या जब प्रार्थी [1][नगर आयुक्त] द्वारा मांगे गये ब्योरे प्रस्तुत न करे

318–कोई नक्शा, खंड , विवरण संरचनात्मक चित्र अथवा संरचनात्मक परिगणना और अन्य कोई नोटिस जो उसके निमित्त विहित की गयी शर्तो की पूर्ति न करे या जिसके सम्बन्ध में अतिरिक्त विवरण तथा ब्यौरे [1][नगर आयुक्त] को ऐसी अवधि के भीतर, जो उसके द्वारा नियत की जाय, प्रस्तुत न किये जायं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त तथा वैध नहीं समझा जायगा ।

अवधि, जिसके भीतर [1][नगर आयुक्त] कार्य संपादन करने के निमित्त अनुज्ञा देगा अथवा न देगा

319–धारा 316 या 317 के अधीन दिये गये किसी आवेदन–पत्र अथवा नियमों अथवा उपविधियों के अधीन अपेक्षित किसी सूचना, या लेख्य या अतिरिक्त सूचना या लेख्यों के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर [1][नगर आयुक्त] लिखित आज्ञा द्वारा या तो ऐसी अनुज्ञा दे देगा, या धारा 321 अथवा धारा 322 में दिये हुए एक या एकाधिक कारणों से उसे अस्वीकार कर देगा ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कार्यकारिणी समिति को अभिदेश, यदि [1][नगर आयुक्त] अनुमोदन अथवा अनुज्ञा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में विलम्ब करे

320–(1) यदि यथास्थिति 318 अथवा 319 में दी हुई अवधि के भीतर, [1][नगर आयुक्त] ने भवन के निर्माण करने अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट निर्माण–कार्य को संपादित करने के निमित्त जिसके लिये प्रार्थना–पत्र दिया गया हो न तो अपनी अनुज्ञा दी हो और न अनुज्ञा देना अस्वीकार ही किया हो तो प्रार्थी के लिखित प्रार्थना–पत्र पर कार्यकारिणी समिति लिखित आज्ञा द्वारा या निर्धारित करने के लिए बाध्य होगी कि ऐसा अनुमोदन अथवा अनुज्ञा दी जानी चाहिये अथवा नहीं ।

(2) यदि कार्यकारिणी समिति उक्त लिखित प्रार्थना के प्राप्त होने के एक मास के भीतर यह निर्धारित नहीं करती कि इस प्रकार की अनुज्ञा दी जानी चाहिए अथवा नहीं तो ऐसी अनुज्ञा दी गई समझी जायगी और प्रार्थी कार्य को सम्पादित करना आरम्भ कर देगा, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे इस अधिनियम के अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाए गये किन्हीं नियमों या उपविधियों का उल्लंघन हो ।

आधार जिन पर भवन के स्थल के निमित्त अनुमोदन अथवा भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा अस्वीकृत की जा सकती है

321–(1) वे कारण केवल जिनके आधार पर कोई भवन निर्मित करने या धारा 317 में निर्दिष्ट निर्माण–कार्य संपादित करने की अनुज्ञा अस्वीकृत की जा सकती है, निम्नलिखित है, अर्थात् ;

(क) निर्माण–कार्य या निर्माण–कार्य के लिए स्थल (site) का उपयोग या स्थल के नक्शे (site-plan), भूमि के नक्शे (ground plans), उच्चस्थल (elevations), खंड (sections) या विशेष विवरण (specifications) किसी विविध के किसी विशिष्ट उपबन्ध का या किसी विधि के अधीन दी गयी किसी विशिष्ट (specified) आज्ञा, बनाये गये नियम, की गयी घोषणा या निर्मित उपविधि का उल्लंघन करते हों ;

(ख) उक्त अनुज्ञा के निमित्त दिये गये प्रार्थना–पत्र में वे विवरण नहीं है अथवा वह उस रीति से तैयार नहीं किया गया है, जो नियमों या उपविधियों द्वारा अपेक्षित है, या उस पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है, जैसा कि नियमों अथवा उपविधियों द्वारा अपेक्षित है ;

(ग) कोई सूचना अथवा लेख्य जो नियमों या उपनियमों के अधीन [1][नगर आयुक्त] द्वारा अपेक्षित हों, यथावत् प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ;

(घ) प्रस्तावित भवन से सरकार अथवा [2][निगम] की भूमि का अतिक्रमण होगा;

(ङ) ऐसे भवन का स्थल किसी सड़क अथवा प्रस्तावित सड़क (projected street) से लगा हुआ नहीं है, और ऐसे भवन में पहुंचने के लिये उस सड़क से कोई ऐसा मार्ग या पगडंडी (pathway) नहीं है, जो उस स्थल तक जाती हो और जो किसी भी स्थान पर 12 फुट से कम चौड़ी न हो ;

(च) प्रस्तावित भवन का स्थल धारा 323 में निर्दिष्ट प्रकार का है ;

(छ) निर्माण–कार्य के लिये स्थल उस क्षेत्र का एक भाग है जिसके विन्यास (lay out) का नक्शा धारा 287 के अधीन व्यवस्थानुसार स्वीकृत नहीं हुआ है ;

(ज) प्रस्तावित भवन या निर्माण–कार्य का प्रयोग धारा 383 के अधीन निर्मित की महायोजना के अनुरूप नहीं है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) जब कभी [1][नगर आयुक्त] अथवा कार्यकारिणी समिति भवन निर्माण करने अथवा 317 में निर्दिष्ट निर्माण–कार्य को सम्पादित करने की अनुज्ञा न दे, तो ऐसे अस्वीकरण के कारण आज्ञा में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे ।

भवन निर्माण की अनुज्ञा को निलंबित करने के लिये विशेष अधिकार

322–धारा 321 में किसी बात के होते हुए भी यदि स्थल के नक्शे में प्रदर्शित कोई सड़क कोई अभिप्रेत निजी सड़क हो तो [1][नगर आयुक्त] अपने विवेकानुसार भवन निर्माण की अनुज्ञा देने से इनकार कर सकता है, जब तक कि सड़क का बनाना प्रारम्भ अथवा समाप्त न हो जाय ।

कुछ दशाओं में मनोरंजन के किसी स्थान के निर्माण के निमित्त स्वीकृति प्रदान करने के विशेष अधिकार पर निबन्धन

323–इस अधिनियम में अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि में किसी बात के होते हुए भी, सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भवन के निर्माण या उसमें कोई परिवर्द्धन करने की स्वीकृति [1][नगर आयुक्त] या कार्यकारिणी समिति द्वारा बिना राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के न दी जायेगी यदि ऐसे भवन का निर्माण स्थल अथवा प्रस्तावित निर्माण स्थल ;

(क) निम्नलिखित से एक फर्लांग (furlong) के अर्द्धव्यास (radius) के भीतर हो––

(1) कोई आवासिक संस्था (residential institution) जो किसी अभिज्ञात शिक्षा संस्था जैसे कालेज, हाई स्कूल या लड़कियों के स्कूल से संलग्न (attached) हो, या

(2) कोई सार्वजनिक अस्पताल, जिसमें अस्पताल में भर्ती होकर चिकित्सा कराने वाले रोगियों के लिये एक बड़ा कक्ष (ward) हो, अथवा

(3) कोई अनाथालय जिसमें एक सौ या उससे अधिक व्यक्ति रहते हों,

(ख) किसी घनी आबादी के ऐसे आवासिक क्षेत्र (residential area) में हो जो या तो केवल आवास के प्रयोजन के लिए हो अथवा व्यापारिक प्रयोजनों से भिन्न (as distinguished from) आवासिक प्रयोजनों के लिए रक्षित हो या सामान्यतया प्रयुक्त होता हो, या

(ग) किसी ऐसे क्षेत्र में हो, जो किसी विधायन (enactment) के अन्तर्गत किसी गृह–निर्माण अथवा नियोजन की योजना द्वारा या अन्य प्रकार से आवासिक प्रयोजनों के लिये रक्षित हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चलचित्रों के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी भवन के निर्माण की अनुज्ञा उस समय तक नहीं दी जायगी जब तक कि कार्यकारिणी समिति को यह समाधान न हो जाय कि नक्शों और उसके विशेष ब्योरों के सम्बन्ध में सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट, 1918 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ।

कार्य का आरम्भ

भवन का निर्माण अथवा निर्माण–कार्य का संपादन कैसे कार्यान्वित किया जायगा

324–प्रत्येक व्यक्ति जो कोई नया भवन निर्माण करना चाहता हो, अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट कोई निर्माण–कार्य संपादित करना चाहता हो, भवन का निर्माण अथवा निर्माण–कार्य का संपादन ऐसी रीति से, ऐसी देखरेख में (supervision), ऐसे अर्हता प्राप्त अभिकरण (qualified agency) द्वारा और ऐसी शर्तो तथा निर्बन्धनों के अधीन करेगा जो एतदर्थ उपविधियों द्वारा उपबंधित किये जाये ।

भवनों के निर्माण, उनमें

325–[1][नगर आयुक्त] अथवा [2][निगम] का एतदर्थ प्राधिकृत कोई पदाधिकारी या कर्मचारी भवन के निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किसी निर्माण–कार्य

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परिवर्तन आदि के दौरान में [1][नगर आयुक्त] द्वारा उसका निरीक्षण

के संपादन के दौरान में या उसके समाप्त होने के तीन मास के भीतर किसी भी समय कोई निरीक्षण कर सकता है और यदि उसके पास ऐसी शंका करने का समुचित कारण है कि किसी ऐसे भवन के निर्माण या किसी ऐसे निर्माण–कार्य के सम्पादन में इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के किन्हीं उपबंधों के प्रतिकूल कुछ किया गया है तो वह ऐसे भवन के निर्माण करने वाले अथवा निर्माण कार्य का निष्पादन करने वाले व्यक्ति को 15 दिन का पूर्व लिखित नोटिस देने के उपरान्त भवन के ऐसे भाग को, यदि कोई हो, जो ऐसी शंका की पर्याप्त रूप से पुष्टि अथवा निराकरण करने वाले तथ्यों की खोज करने में बाधक हो, काट सकता है, खोल सकता है या गिरा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस व्यक्ति के भवन अथवा निर्माण–कार्य को खोला गया हो, या काटा गया हो उस व्यक्ति को [1][नगर आयुक्त] उस क्षति के लिए जो ऐसे भवन या संरचना को ऐसे कार्य से पहुंचा हो प्रतिकर देगा यदि यह पता चले कि भवन के निर्माण अथवा उक्त निर्माण–कार्य के संपादन में उस व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया गया है ।

भवनों तथा निर्माण कार्यो से सम्बद्ध उपबंधों का प्रवर्तित किया जाना

326–यदि [1][नगर आयुक्त] को उपर्युक्त भवन के निर्माण अथवा निर्माण अथवा निर्माण–कार्य के संपादन के दौरान में किसी भी समय या उसके समाप्त हो जाने के तीन मास के भीतर किसी भी समय, चाहे अपने निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्यथा, किसी ऐसे विषय का पता चले जिसके सम्बन्ध में ऐसे भवन के निर्माण या ऐसे निर्माण–कार्य के सम्पादन से इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है, तो वह स्वामी को जो उक्त निर्माण अथवा सम्पादन कर रहा है, या कर चुका है, ऐसे उपबन्ध, नियम या उपविधि के प्रतिकूल किये गये किसी कार्य को संशोधित करने अथवा ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दे सकता है, जिसका किया जाना ऐसे विधि, उपबन्ध नियम या उपविधि के अनुसार अपेक्षित हो, किन्तु जो किया न गया हो ।

अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों के प्रतिकूल प्रारम्भ किये गये भवन अथवा निर्माण–कार्य के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही

327–(1) यदि किसी भवन निर्माण का आरम्भ या धारा 317 में अभिदिष्ट निर्माण–कार्य का संपादन नियमों अथवा उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल किया गया हो तो [1][नगर आयुक्त], जब तक कि वह ऐसे भवन अथवा निर्माण–कार्य के सम्बन्ध में धारा 328 के अधीन कार्यवाही करना आवश्यक न समझे ––

(क) लिखित नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से, जो ऐसा भवन–निर्माण अथवा ऐसे निर्माण–कार्य का संपादन कर रहा हो, अथवा कर चुका हो, यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे दिनांक को या उससे पूर्व जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट किया जायेगा, अपने अथवा अपने द्वारा एतदर्थ यथावत् प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित (subscribed) एक लिखित प्रकथन (statement) में जो [1][नगर आयुक्त] को संबोधित किया गया हो, इस बात का पर्याप्त कारण बताये कि उक्त भवन अथवा निर्माण–कार्य क्यों न हटा दिया जाय (removed), परिवर्तित कर दिया जाये अथवा गिरा दिया जाये ; अथवा

(ख) उपर्युक्त व्यक्ति से, ऐसे दिन को, ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट होगा, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने द्वारा तदर्थ यथावत् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थिति होने और इस बात का पर्याप्त कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा भवन निर्माण–कार्य क्यों न हटा दिया जाय, परिवर्तित कर दिया जाय, अथवा गिरा दिया जाये ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यदि उक्त व्यक्ति [1][नगर आयुक्त] के सन्तोषानुसार इस बात का पर्याप्त कारण न दे सके कि ऐसा भवन या निर्माण–कार्य क्यों न हटा दिया जाय, परिवर्तित किया जाय अथवा गरा दिया जाय तो [1][नगर आयुक्त] भवन अथवा निर्माण–कार्य को हटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है, अथवा गिरा सकता है और ऐसा करने का व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा ।

प्रार्थी के सारवान भ्रांत कथन (material misrepresentation) के आधार पर [1][नगर आयुक्त] की अनुज्ञा निरस्त करने का अधिकार

328–इस अधिनियम के अधीन किसी भवन–निर्माण या निर्माण–कार्य के प्रारम्भ करने की अनुज्ञा प्रदान करने के पश्चात् यदि किसी भी समय [1][नगर आयुक्त] का समाधान हो जाय कि ऐसी अनुज्ञा धारा 316 या 317 के अधीन दिये गये नोटिस या दी गयी सूचना में वर्णित किसी सारवान भ्रान्त कथन या प्रतारक प्रकथन या दी गयी किसी अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, के फलस्वरूप दी गयी थी, तो वह उस अनुज्ञा को निरस्त कर सकता है और उसके अधीन किया गया कार्य बिना उसकी अनुज्ञा के किया गया समझा जायेगा ।

समाप्ति के प्रमाण–पत्र, कब्जा करने अथवा प्रयोग की अनुज्ञा

329–(1) प्रत्येक व्यक्ति भवन–निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किसी निर्माण–कार्य की समाप्ति के एक महीने के भीतर, [1][नगर आयुक्त] को उसके कार्यालय में ऐसी समाप्ति के सम्बन्ध में एक नोटिस देगा या भेजेगा, अथवा दिलवायेगा या भिजवायेगा और उसके साथ उपविधियों में विहित प्रपत्र पर एक प्रमाण–पत्र भी होगा जिस पर विहित रीति से उसके हस्ताक्षर होंगे, और साथ ही [1][नगर आयुक्त] को ऐसे भवन अथवा निर्माण–कार्य के निरीक्षण के निमित्त सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान करेगा, तथा भवन में कब्जा करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन–पत्र भी देगा ।

(2) कोई व्यक्ति उक्त किसी भवन पर न तो कब्जा करेगा और न कब्जा करने की अनुज्ञा देगा, या उस भवन का अथवा उसके किसी भाग का, जिस पर किसी निर्माण–कार्य का प्रभाव पड़ता हो, न प्रयोग करेगा और न प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा, जब तक ––

(क) एतदर्थ [1][नगर आयुक्त] की अनुज्ञा प्राप्त न हो गयी हो, अथवा

(ख) [1][नगर आयुक्त] ने समाप्ति की नोटिस प्राप्त होने के 21 दिन तक अपनी उपर्युक्त अनुज्ञा अस्वीकृत करने की सूचना न भेजी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन भवन के किसी भाग के लिए भी आवेदन–पत्र दिया जा सकता है और अध्यासित करने के लिए [1][नगर आयुक्त] की अनुज्ञा भी दी जा सकती है जब [1][नगर आयुक्त] का समाधान हो जाय कि वह भाग निवास योग्य हो गया है ।

संकटतम संरचनाएं

भवनों की नियतकालिक जांच

330–(1) प्रत्येक भवन के स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन के प्रत्येक भाग और उससे संलग्न प्रत्येक वस्तु की मरम्मत करके उसे इस प्रकार संधारित करे कि वह संकटतम होने से बचा रहे ।

(2) [1][नगर आयुक्त] लिखित नोटिस द्वारा किसी भी भवन के स्वामी को यह आदेश दे सकता है कि वह उपविधियों में विहित कालान्तरों (intervals) पर तथा रीति के अनुसार भवन का निरीक्षण करवाये ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) उपधारा (2) के अधीन भवन के निरीक्षण के दो महीने के भीतर स्वामी ऐसी मरम्मत करना आरम्भ कर देगा, जो निरीक्षण के परिणामस्वरूप इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के सभी उपबन्धों के ऐसी मरम्मत के सम्बन्ध में अनुपालन करने के पश्चात् धारा 331 के अर्थ में, संरचना की स्थिति को कायम रखने के अभिप्राय से आवश्यक बताये गये हों, और ऐसी मरम्मतों की समाप्ति के बाद, [1][नगर आयुक्त] को निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने (स्वामी ने) मरम्मत सम्बन्धी कार्य संतोषजनक रूप में कर दिये है।

(4) उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट उस व्यक्ति द्वारा, जिसने भवन का निरीक्षण किया हो, तुरन्त [1][नगर आयुक्त] को प्रस्तुत की जायेगी, और यदि स्वामी उपधारा (3) के आदेशों का अनुपालन न करे तो [1][नगर आयुक्त] इस धारा के अधीन या इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन उस भवन के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझे ।

(5) उपधारा (4) के अधीन [1][नगर आयुक्त] द्वारा किये गये व्यय स्वामी को वहन करने पड़ेंगे ।

ऐसी संरचनाओं इत्यादि का हटाया जाना जो खंडहर हैं (in ruins) अथवा गिरने वाले हों

331–(1) यदि [1][नगर आयुक्त] को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कोई संरचना जिसके अन्तर्गत कोई भवन, दीवाल, खड़ंजा (pavement), मुंडेर (parapet), फर्श, सीढ़ियां, जंगले (railing), दरवाजे अथवा खिड़की की चौखटें (window frame), संवारक (shutters) अथवा छत या अन्य संरचना और कोई चीज जो किसी भवन, दीवाल, मुंडेर (parapet) अथवा अन्य संरचना से लगी हुयी हो, उससे बाहर निकली हो या उस पर आश्रित हो खंडहर (in ruins) है, अथवा गिरने वाली है अथवा किसी भी प्रकार उस व्यक्ति के लिये खतरनाक है जो उसमें अथवा उसके पड़ोस की किसी अन्य संरचना (structure) या स्थल में रहता है, वहां आता–जाता है, या उसके पास से गुजरता है, तो [1][नगर आयुक्त], लिखित नोटिस द्वारा, उस संरचना के स्वामी अथवा अध्यासी से उस संरचना या चीज को गिराने या उसे दृढ़ करने, हटाने अथवा उसकी मरम्मत करने या ऐसे ही एक या एकाधिक कार्य करने और उससे पैदा होने वाले संकट के समस्त कारणों को दूर करने की अपेक्षा कर सकता है ।

(2) यदि [1][नगर आयुक्त] उचित समझे तो वह उपर्युक्त नोटिस द्वारा उक्त भवन के स्वामी अथवा अध्यासी से यह भी अपेक्षा कर सकता है कि वह या तो तुरन्त, या उपर्युक्त संरचना या चीज को गिराने, दृढ़ करने हटाने अथवा उसकी मरम्मत करने से पहले बटोहियों और अन्य व्यक्तियों की रक्षा के लिये उचित और पर्याप्त बाड़ अथवा घेरा लगाये, ऐसे सुविधाजनक मंच तथा जंगले (handrail), यदि उनके लिये पर्याप्त स्थान हो, और उन्हें [1][नगर आयुक्त] वांछनीय समझे, के सहित जो ऐसे बाड़ अथवा घेरा के बाहर आने–जाने वालों के लिये पगडंडी (footway) के रूप में प्रयुक्त हो सकें ।

(3) यदि [1][नगर आयुक्त] को यह प्रतीत हो कि किसी संरचना से, जो खंडहर (ruinous) है, अथवा गिरने वाला है, शीघ्र ही कोई संकट पैदा हो सकता है, तो वह उपर्युक्त नोटिस देने से पूर्व अथवा नोटिस की अवधि समाप्त होने के पूर्व उस संरचना पर घेरा डाल सकता है (fence off), उसे गिरा सकता है (take down) उसे दृढ़ कर सकता है अथवा उसकी मरम्मत करा सकता है या ऐसे उपाय कर सकता है या ऐसा निर्माण–कार्य संपादित करवा सकता है, जो उस संकट की रोकथाम कर दे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) उपधारा (3) के अधीन [1][नगर आयुक्त] द्वारा किये गये व्यय उक्त ढांचे के स्वामी अथवा अध्यासी को वहन करने होंगे ।

(5) (क) [1][नगर आयुक्त] कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा यदि [1][नगर आयुक्त] की यह राय हो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संरचना के स्वामी या अध्यासी के लिए उस संरचना को गिराने, दृढ़ करने या उसकी मरम्मत करने का एकमात्र अथवा सुविधायुक्त साधन यही है कि उक्त संरचना से लगे हुए किसी अन्य व्यक्ति के किसी भू–गृहादि में प्रवेश किया जाय तो [1][नगर आयुक्त] ऐसे व्यक्ति को आपत्ति प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति न प्रस्तुत की जाय अथवा यदि कोई ऐसी आपत्ति की जाय जो उसे अमान्य (invalid) अथवा अपर्याप्त प्रतीत हो, लिखित आज्ञा द्वारा उक्त स्वामी अथवा अध्यासी को उस संलग्न भू–गृहादि (adjoining premises) में प्रवेश करने का अधिकार दे सकता है ।

(ख) उक्त प्रत्येक आज्ञा द्वारा जिस पर [1][नगर आयुक्त] के हस्ताक्षर होंगे उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दी जाये, या किसी ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को जिसे उसने एतदर्थ नियोजित किया हो, भू–गृहादि (premises) के स्वामी को अपने अभिप्राय का उचित लिखित नोटिस देने के बाद इस बात का पर्याप्त प्राधिकार होगा कि वह उक्त भू–गृहादि में सहायकों तथा श्रमिकों के साथ सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किसी भी समय प्रवेश करे और आवश्यक निर्माण–कार्यों का सम्पादन करे ।

(ग) इस धारा के अधीन कोई निर्माण–कार्य सम्पादित करते समय संलग्न संपत्ति के स्वामी की संपत्ति को यथासम्भव कम से कम क्षति पहुंचायी जायेगी तथा उस भू–गृहादि का स्वामी या अध्यासी जिसके लाभ के लिये निर्माण–कार्य सम्पादित किया जा रहा हो ––

(1) निर्माण–कार्य को कम से कम व्यावहारिक विलम्ब से सम्पादित करवायेगा,

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देगा, जिसे उक्त निर्माण–कार्य के सम्पादन के फलस्वरूप क्षति पहुंची हो ।

भवनों में संकटमय छिद्र

332–यदि [1][नगर आयुक्त] को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी भवन के किसी भी भाग में कोई ऐसा छिद्र (opening) है, जो मानव जीवन के लिये संकटमय है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसा छिद्र उसके सन्तोषानुसार छड़ों (bars), झंझरीदार तवों (grills) अथवा ऐसी ही अन्य युक्तियों द्वारा घेर दिया जाय अथवा सुरक्षित कर दिया जाय ।

अवैध रूप से किये गये निर्माण–कार्य

अवैध रूप से निर्माण–कार्य करने का आदेश देने वाले व्यक्ति को हटाने के संबंध में [1][नगर आयुक्त] के अधिकार

333–(1) यदि [1][नगर आयुक्त] का समाधान हो जाय कि किसी भवन का निर्माण अथवा धारा 317 में निर्दिष्ट किसी निर्माण–कार्य का सम्पादन किसी भू–गृहादि में अवैध रूप से आरम्भ किया गया है, अथवा अवैध रूप से किया जा रहा है तो वह लिखित नोटिस द्वारा निर्माण अथवा सम्पादन को आदिष्ट अथवा कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तुरन्त बन्द कर दे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यदि उक्त निर्माण अथवा सम्पादन तुरन्त बन्द न किया जाय तो [1][नगर आयुक्त] आदेश दे सकता है कि उस निर्माण अथवा संपादन को आदिष्ट अथवा कार्यान्वित करने वाले किसी व्यक्ति को पुलिस पदाधिकारी द्वारा उस भू–गृहादि से हटा दिया जाये, और ऐसी कार्यवाही कर सकता है जिसे वह उक्त व्यक्ति को, बिना अपनी अनुज्ञा के, उस भू–गृहादि में पुनः प्रवेश करने से रोकने के लिये उचित समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही का व्यय उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा ।

भू–गृहादि को खाली कराने का अधिकार

कतिपय परिस्थितियों में किसी भवन को खाली कराने के लिये [1][नगर आयुक्त] का अधिकार

334–(1) किसी अन्य विधि के उपबन्धों में कोई विपरीत बात के होते हुए भी, [1][नगर आयुक्त], लिखित नोटिस द्वारा जिसमें ऐसा करने के कारण (grounds) निर्दिष्ट होंगे किसी भवन अथवा उसके किसी भाग को तुरन्त अथवा ऐसे समय के भीतर जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, खाली कराने की आज्ञा दे सकता है––

(क) यदि उस भवन या उसके भाग में धारा 329 का उल्लंघन करके अवैध रूप से कब्जा किया गया हो,

(ख) यदि उस भवन या उसके भाग के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया हो जिसमें किसी वर्तमान जीने, दीर्घा (lobby), मार्ग अथवा उतरने के स्थान (landing) को परिवर्तित करने या पुनर्निर्मित करने की अपेक्षा की गई हो और उस नोटिस में निर्दिष्ट निर्माण–कार्य आरम्भ अथवा समाप्त न किये गये हों,

(ग) यदि भवन अथवा उसका भाग धारा 331 के अर्थ में खंडहर अथवा संकटमय स्थिति में हो ।

(2) उक्त भू–गृहादि के किसी भाग में पूर्वोक्त लिखित नोटिस के लगाये जाने से यह समझा जायेगा कि ऐसे भवन अथवा उसके भाग के अध्यासियों को पर्याप्त सूचना दे दी गयी है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी होने के बाद, ऐसे भवन अथवा उसके भाग का अध्यासी प्रत्येक व्यक्ति, जिससे नोटिस का सम्बन्ध हो, ऐसे भवन या उसके भाग को नोटिस के आदेश के अनुसार खाली करेगा, और जब तक नोटिस वापिस नहीं लिया जाता तब तक कोई व्यक्ति उस भवन अथवा उसके भाग में प्रवेश नहीं करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे निर्माण–कार्य को कार्यान्वित करने के लिये उसमें प्रवेश कर सकता है जिसे उसको विधितः कार्यान्वित करना हो ।

(4) [1][नगर आयुक्त], आदेश दे सकता है कि किसी व्यक्ति को, जो उपधारा (3) का उल्लंघन करे, किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा उक्त भवन अथवा उस भवन के भाग से हटा दिया जाय ।

(5) [1][नगर आयुक्त], किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर, जिसने उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसार किसी भू–गृहादि को खाली किया हो, ऐसे नोटिस की वापसी पर उसे उक्त भू–गृहादि में फिर से रखेगा जब तक उसकी राय में संरचना में किसी परिवर्तन अथवा उसे गिरा दिये जाने के कारण, वस्तुतः अध्यासन के उन्हीं निबन्धनों पर फिर से रखना अव्यावहारिक न हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(6) [1][नगर आयुक्त], किसी ऐसे व्यक्ति को जो उपधारा (5) के अधीन की गई किसी कार्यवाही में उसे बाधा पहुंचाता हो, पुलिस पदाधिकारी द्वारा उक्त भू–गृहादि से हटा दिये जाने का आदेश दे सकता है और ऐसी शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है जो उपर्युक्त भू–गृहादि में प्रवेश करने के लिये यथोचित रूप से आवश्यक हो ।

विशेष सड़कों या स्थानों में कुछ श्रेणियों के भवनों का विनियमन

विशेष सड़कों या स्थानों में कतिपय श्रेणी के भवनों के भावी निर्माण को विनियमित करने का अधिकार

335–(1) [1][नगर आयुक्त] निम्नलिखित को घोषित करने के अपने अभिप्राय का किसी ऐसी वैध आपत्ति के अधीन रहते हुए, जो तीन मास के भीतर की जा सकती है, सार्वजनिक नोटिस दे सकता है ;

(क) कि ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किसी सड़क या सड़क के भाग में नोटिस के पश्चात् निर्मित या पुनर्निर्मित सभी भवनों या किन्हीं श्रेणियों के भवनों के सामने के भाग को ऊँचाई (elevation) या निर्माण जहां तक कि उनकी वास्तु विषयक विशिष्टताओं (architectural features) का सम्बन्ध है, वैसा ही होगा जैसा [2][निगम] उस स्थान (locality) के लिये उपयुक्त समझे ;

(ख) नोटिस में निर्दिष्ट किन्हीं स्थानों (localities) में केवल असंलग्न अथवा अर्द्ध संलग्न (detached or semi-detached) अथवा दोनों प्रकार के भवनों के निर्माण को अनुमति दी जायेगी, और ऐसे प्रत्येक भवन से संलग्न भूमि का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम नहीं होगा जो ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किया गया हो ;

(ग) विशेष स्थानों में भवन के गाटों (plots) का न्यूनतम आकार (size) एक निर्दिष्ट क्षेत्रफल का होगा ;

(घ) नोटिस में निर्दिष्ट किन्हीं स्थानों में प्रत्येक एकड़ भूमि पर निर्दिष्ट संख्या से अधिक भवनों के निर्माण की अनुज्ञा नहीं की जायेगी, अथवा

(ङ) ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किन्हीं सड़कों, सड़कों के भागों या स्थानों में––[1][नगर आयुक्त] की ऐसी विशेष अनुज्ञा के बिना, जो कार्यकारिणी समिति द्वारा एतदर्थ निर्मित सामान्य विनियमनों के अनुसार दी गयी हो, और केवल ऐसी ही अनुज्ञा के निबन्धनों के अधीन रहते हुए––दुकान, गोदामों (warehouses), कारखानों, कुटियों अथवा भवनों को जो विशेष प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो, न बनाने दिया जायेगा ।

(2) ऐसे नोटिस के प्रकाशन के तीन महीने की अवधि के भीतर प्राप्त हुई सभी आपत्तियों पर कार्यकारिणी समिति विचार करेगी और तब नोटिस को, मय उन आपत्तियों के विवरण के, जो उसे प्राप्त हुई हों, और उन पर अपनी राय को [2][निगम] को भेज देगी।

(3) उक्त तीन महीने की अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(4) [2][निगम] उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी लेख्यों को, उनके प्राप्त होने के दो महीने की अवधि के भीतर उन पर अपनी राय सहित राज्य सरकार को भेज देगी ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) उक्त घोषणा के सम्बन्ध में राज्य सरकार ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह ठीक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त घोषणा एतद्द्वारा (thereby) किसी ऐसी सड़क, सड़क के भाग अथवा स्थान पर लागू न की जायेगी जो उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट न हो।

(6) घोषणा, जैसी कि वह राज्य सरकार द्वारा पुष्टीकृत अथवा परिष्कृत हुई हो, सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी, और ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(7) कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी घोषणा का उल्लंघन करके कोई भवन निर्मित अथवा पुनर्निर्मित नहीं करेगा ।

धारा 335 के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के मामलों में [1][नगर आयुक्त] का अधिकार

336– [1][नगर आयुक्त] को धारा 335 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होगा जो उपविधियों या नियमों द्वारा विहित की जाय ।

परित्यक्त अथवा अनध्यासित भू–गृहादि

337–यदि [1][नगर आयुक्त] को यह प्रतीत हो कि कोई भवन या संरचना परित्यक्त कर दी गयी है (abandoned) या अनध्यासित (unoccupied) है और वह शांति भंग करने वाले (disorderly) व्यक्तियों का अड्डा बन गयी है, अथवा अपनी दशा के कारण पड़ोसियों की सुख–सुविधा के लिये अत्यन्त बाधक हो गयी है, तो [1][नगर आयुक्त] उक्त भवन या संरचना के स्वामी को, यदि उसका पता ज्ञात हो, और वह [2][निगम] की सीमओं के भीतर निवास करता हो, अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जो उसका स्वामी माना जाता हो, या जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता हो कि वह उसका स्वामी होने का दावा करता है और यदि वह [2][निगम] की सीमाओं के भीतर निवास करता है, लिखित नोटिस देगा और उक्त भवन या संरचना के किसी प्रमुख भाग पर उस नोटिस की एक प्रतिलिपि भी चिपकायेगा, जिसमें उक्त भवन या संरचना में कोई अधिकार या स्वत्व रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिये यह आदेश होगा कि वे उक्त भवन या संरचना के संबंध में ऐसी आज्ञा प्राप्त करे जो [1][नगर आयुक्त] की राय में उपर्युक्त रूप में अड्डा बनाये जाने अथवा पड़ोसियों की सुख–सुविधा के लिये अत्यन्त बाधक होने को रोकने के लिये आवश्यक हो ।

अगम्य स्थानों पर भवन के पुनर्निर्माण को प्रतिषिद्ध करने का अधिकार

338–(1) यदि कोई भवन, जो इस प्रकार स्थित हो कि वह आग बुझाने वाले इंजन के लिये अगम्य हो अथवा आग बुझाने वाले इंजन का अन्य भवनों तक जाना अवरुद्ध करता हो, आग लग जाने अथवा किसी अन्य प्रकार से गिर जाये या नष्ट हो जाये तो [1][नगर आयुक्त] एक लिखित नोटिस द्वारा, जो उपर्युक्त गिरे हुये अथवा नष्ट हुये भवन के स्वामी को संबंधित किया गया हो, आदेश दे सकता है कि कोई ऐसा भवन न बनाया जाय जो आग बुझाने वाले इंजन के लिये आगम्य हो या जो आग बुझाने वाले इंजन का अन्य भवनों तक जाना अवरुद्ध करे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस का उल्लंघन करके कोई व्यक्ति किसी भवन को निर्मित अथवा पुनर्निर्मित नहीं करेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कतिपय दशाओं में किसी भू–गृहादि से भवन निर्माण सामग्री का हटाया जाना

339–यदि [1][नगर आयुक्त] को यह प्रतीत हो कि पत्थरों, बल्ली (rafters), भवन निर्माण सामग्री अथवा भवन निर्माण सामग्री का मलवा किसी भू–गृहादि में अथवा पर, इतनी मात्रा अथवा परिमाण में इस प्रकार जमा अथवा एकत्र किया गया है कि वह चूहों या अन्य कीड़ों–मकोड़ों का आश्रय–स्थल अथवा प्रजनन केंद्र बन गया है, या अन्य प्रकार से उपर्युक्त भू–गृहादि के अध्यासियों या उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिये खतरे या अपदूषण का कारण हो गया है, तो [1][नगर आयुक्त] ऐसे भू–गृहादि के, या उसमें जमा अथवा एकत्रित किये हुये मलवे के स्वामी से लिखित नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकता है, कि वह उसे ऐसे उचित समय के भीतर जो नोटिस में नियत हो हटावा दे या बेंच डाले या उनके संबंध में ऐसी आज्ञा प्राप्त करे जो [1][नगर आयुक्त] की राय में उपर्युक्त अपदूषण कम करने या उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये आवश्यक या इष्टकर हो ।

आवास के सम्बन्ध में विवरण–पत्र मांगने का [1][नगर आयुक्त] का अधिकार

340–(1) किसी भवन का स्वामी [1][नगर आयुक्त] से लिखित नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर ऐसे भवन या उसके अध्यासियों के संबंध में ऐसी सूचना देगा जो [2][निगम] विहित करे ।

(2) किसी ऐसे भवन का जो एक अलग निवास स्थान (tenement) के रूप में कब्जे में हो, अध्यासी वैसी ही नोटिस मिलने पर और उसी अवधि के भीतर उपर्युक्त भवन के संबंध में, जो कि उसके कब्जे में हो, एसी सूचना देगा जो विहित की जाय ।

राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को नगर की सीमा के बाहर लागू कर सकती है

341–राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा ऐसी आज्ञा में निर्दिष्ट किये जाने वाले किसी क्षेत्र में, किन्तु जो नगर की सीमाओं के बाहर दो मील से अधिक दूरी पर न हो, इस अध्याय की किसी धारा अथवा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रवृत्त कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार प्रवृत्त उपबन्ध तथा नियम उस क्षेत्र में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानों वह क्षेत्र नगर के भीतर स्थित हो ।

नियम बनाने का अधिकार

342–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वाक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है ––

(क) भवनों के निर्माण के लिये अनुज्ञा देने की रीति ;

(ख) संकटमय भवनों की मरम्मत करने, उन्हें गिराने, दृढ़ करने और हटाने की रीति, तथा ऐसी मरम्मत करने, गिराये जाने, दृढ़ किये जाने या हटाये जाने के व्यय की वसूली ;

(ग) निर्बन्धन, जिनके अधीन भवनों के प्रयोग में परिवर्तन किये जा सकते हैं ;

(घ) नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण ;

(ङ) शर्ते जिन पर भवन निर्माण के लिये [2][निगम] निधि में से ऋण दिये जा सकते है तथा ऐसे ऋणों के लिये आवेदन–पत्र देने का प्रपत्र ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अध्याय 14

विकास योजनाएं

विकास योजनाओं के प्रकार

343–नगर में विकास करने के प्रयोजनार्थ कोई विकास योजना नीचे लिखे प्रकार में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, अथवा ऐसे दो या दो से अधिक प्रकारों अथवा उसकी विशेषताओं से युक्त हो सकती है, अर्थात्––

(क) सामान्य विकास योजना ;

(ख) बस्ती सुधार (slum clearance) योजना ;

(ग) गृह पुनर्निर्माण योजना (rehousing scheme) ;

(घ) सड़क–योजना (street scheme) ;

(ङ) भावी सड़क योजना (deferred street scheme) ;

(च) गृह स्थान (housing accommodation) योजना ; और

(छ) नगर प्रसार योजना (city expansion scheme)।

सामान्य विकास योजना

344–विकास समिति को जब कभी यह प्रतीत हो कि––

(क) किसी क्षेत्र में कोई भवन जो रहने के लिए प्रयोग में लाये जा रहें हों, अथवा अभिप्रेत हों अथवा प्रयोग में लाये जाने की सम्भावना हो, मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं है ; या

(ख) किसी क्षेत्र में स्थित भवनों अथवा पास–पड़ोस के भवनों के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए ऐसे क्षेत्र में––

(1) सड़कों या भवनों के समूहों के संकरे होने, बहुत पास–पास होने, अथवा उनकी दशा और प्रबन्ध खराब होने ;

(2) प्रकाश, वायु संवीलन (ventilation) तथा उपयुक्त सुविधाओं का अभाव होने ; अथवा

(3) अन्य कोई स्वच्छता सम्बन्धी त्रुटि, के कारण संकट पैदा हो गया है,

तो विकास समिति यह संकल्प पारित कर सकती है कि उक्त क्षेत्र अस्वास्थ्यकर क्षेत्र (insanitary area) है, तथा उस क्षेत्र के सम्बन्ध में एक सामान्य विकास योजना तैयार की जाय ।

बस्ती सुधार (slum clearance) योजना

345–(1) यदि विकास समिति को यह प्रतीत हो कि कोई क्षेत्र पूर्वगत धारा के अर्थों में अस्वास्थ्यकर क्षेत्र (insanitary area) है, और इस क्षेत्र में स्थित भवनों तथा जहां पर वे निमित्त है, उन स्थलों (sites) के तुलनात्मक मूल्य का ध्यान रखते हुए उस क्षेत्र अथवा उसके किसी अंश के संबंध में कार्यवाही करने का सर्वाधिक संतोषजनक ढंग यह है कि अस्वास्थ्यकर क्षेत्र में वर्तमान भवनों को हटा कर उनके स्थान पर नये भवनों का निर्माण किया जाय तो वह संकल्प द्वारा यह निर्देश (direct) कर सकती है कि इस धारा के अनुसार बस्ती सुधार की एक योजना तैयार की जाय :––

(2) बस्ती सुधार योजना में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है ;

(क) सड़कों, पीछे की गलियाँ (back lanes) तथा खुले स्थानों (open spaces) का रक्षण (reservation) तथा वर्तमान सड़कों, पीछे की गलियों और खुले स्थानों का उस आयति तक विस्तार करना (enlargement) जो योजना के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों ;

(ख) इस प्रकार रक्षित अथवा विस्तृत (enlarged) सड़कों, पीछे की गलियों, अथवा खुले स्थानों के क्षेत्र के स्थलों (sites) का पुनर्विन्यास (re-laying out) ;

(ग) ऐसे किसी भी रक्षण (reservation) या विस्तार के संबंध में प्रतिकर का भुगतान, तथा इस प्रकार रक्षित या विस्तृत सड़कों, पीछे की गलियों तथा खुले स्थानों का निर्माण ;

(घ) वर्तमान भवनों तथा उनके उपाभूत भागों (appurtenances) का उनके स्वामियों द्वारा गिराया जाना, अथवा स्वामी द्वारा ऐसा न करने पर [1][निगम] द्वारा गिराया जाना, तथा योजना के अनुसार उन स्थलों पर जिनकी परिभाषा योजना में की गई है, स्वामियों द्वारा भवनों का निर्माण, अथवा स्वामियों के ऐसा न करने पर [1][निगम] द्वारा भवनों का निर्माण ;

(ङ) स्वामियों को सूद तथा निक्षेप निधि (sinking fund) से सम्बद्ध ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर और अन्यथा जो इस योजना के अन्तर्गत विहित की जायं, ऐसी अग्रिम धनराशि का दिया जाना जो योजनानुसार नये भवनों के निर्माणार्थ उन्हें सहायता देने के लिये आवश्यक हो ;

(च) योजना में सम्मिलित किसी क्षेत्र में समाविष्ट किसी स्थल या भवन का [1][निगम] द्वारा अर्जन (acquisition) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [1][निगम] किसी भी भवन को गिराने से अपवर्जित (exclude) कर सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि वह भवन मनुष्यों के रहने के अयोग्य नहीं है या संकटमय नहीं है, या स्वास्थ्य के लिये हानिकर नहीं है, अथवा उसमें सुधार करके उसे स्वास्थ्यकर तथा मनुष्यों के रहने के योग्य बनाया जा सकता है और उससे उस क्षेत्र से गन्दी बस्ती हटाने के कार्य में अथवा उस क्षेत्र के पुनर्विकास में बाधा नहीं पहुंचती ।

गृह पुनर्निर्माण योजना (re-housing scheme)

346–विकास समिति जब वह ऐसी विकास योजना तैयार करने का निश्चय करती है जिसमें व्यक्तियों के विस्थापित होने की सम्भावना है, तो संकल्प द्वारा [2][नगर आयुक्त] से यह भी अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे और उतने निवास गृहों तथा दुकानों के निर्माण, संधारण और प्रबन्ध के लिए जिनकी उसके विचार में ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की जानी चाहियें ;

(क) जो इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी विकास योजना के कार्यान्वित किये जाने के कारण विस्थापित हो जाय ; या

(ख) जिनके इस अधिनियम के अधीन कोई विकास योजना जिसे तैयार करने का विचार हो, अथवा जिसे राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजा गया हो, के कार्यान्वित किये जाने के कारण विस्थापित हो जाने की संभावना हो, एक योजना (जिसे यहां गृह पुनर्निर्माण योजना (Re-housing scheme) कहा गया है) तैयार करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी विकास समिति को, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे इस धारा के अधीन दायित्व से मुक्त कर सकती है ।

सड़क–योजना

347–(1) यदि विकास समिति का मत हो कि––

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) भवन के लिये स्थलों की व्यवस्था करने, अथवा

(ख) दोषपूर्ण संवीजन (ventilation) को दोषरहित करने, या

(ग) यातायात (Traffic) की सुविधाओं एवं संचार के नये साधनों के सृजन अथवा वर्तमान साधनों में विकास करने, या

(घ) सफाई संरक्षण (Conservancy) के लिये अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने, के प्रयोजनार्थ यह इष्टकर है कि नई सड़कों का विन्यास किया जाय, अथवा वर्तमान सड़कों में परिवर्तन किया जाय, तथा यह उद्देश्य अध्याय 12 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूरा न हो सकता हो, तो विकास समिति संकल्प द्वारा [1][नगर आयुक्त] को एक योजना तैयार करने का आदेश दे सकती है, जो "सड़क योजना" कहलायेगी ।

(2) सड़क योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) किसी भूमि का अर्जन जो योजना के कार्यान्वित किये जाने के लिये विकास समिति की राय में आवश्यक हो,

(ख) इस प्राकर अर्जित सभी या किसी भूमि का पुनर्विन्यास (relaying out) जिसके अन्तर्गत [2][निगम] अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भवनों का निर्माण भी है, तथा सड़कों का विन्यास, निर्माण एवं परिवर्तन,

(ग) इस प्रकार निर्मित, अथवा परिवर्तित सड़कों का जलोत्सारण (drainage), जल सम्भरण अथवा उनके लिये रोशनी की व्यवस्था (lighting),

(घ) इस योजना के प्रयोजनों के लिये [2][निगम] में निहित अथवा उसके द्वारा अर्जित की जाने वाली किसी भूमि को ऊंचा करना, नीचा करना अथवा उसका पुनरूद्वार करना (reclamation),

(ङ) योजना में समाविष्ट क्षेत्रों के अधिक अच्छे संवीजन के लिये खुले स्थानों की व्यवस्था,

(च) योजना के अन्तर्गत किसी खुले स्थान (open space) अथवा सड़क से संलग्न किसी भूमि का अर्जन ।

भावी–सड़क योजना

348–(1) (क) यदि विकास समिति का यह मत हो कि धारा 347 में वर्णित प्रयोजनों में से किन्हीं के लिये यह इष्टकर है कि किसी वर्तमान सड़क के वर्तमान रेखाकरण (alignment) को परिवर्तित करके, उसे अन्ततः चौड़ा करने की व्यवस्था की जाय, ताकि [1][नगर आयुक्त] द्वारा विहित किये जाने वाले ढंग से रेखाकरण का विकास हो सके, किन्तु प्रस्तावित विकसित रेखाकरण (alignment) के भीतर स्थित सभी या किसी सम्पत्ति का तुरन्त अर्जित किया जाना इष्टकर नहीं है, तो विकास समिति, यदि उसका समाधान हो जाय कि [2][निगम] के पास पर्याप्त साधन है, संकल्प द्वारा [1][नगर आयुक्त] से अपेक्षा कर सकती है कि वह सड़क के प्रत्येक ओर रेखाकरण (alignment) को विहित करते हुए एक योजना तैयार करें, जो "भावी सड़क योजना" कहलायेगी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(कक) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिए समय–सीमा निर्दिष्ट की जायेगी, जिसे विकास समिति, समय–समय पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में, ऐसी समय–सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायेगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय–सीमा जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी।]

(ख) [2][धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, उसके निष्पादन की समय–सीमा के भीतर] [3][निगम] की लिखित अनुज्ञा के अनुकूल किसी भवन या दीवाल में कोई ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करायेगा जिससे कि वह सड़क के लिये विहित रेखाकरण (alignment) के बाहर तक निकल आये (project) ।

(2) भावी सड़क योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी––

(क) विहित सड़क रेखाकरण (alignment) के भीतर स्थित किसी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का अर्जन,

(ख) ऐसी सभी या किसी सम्पत्ति का पुनर्विन्यास (relaying out) जिसके अन्तर्गत [3][निगम] अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भवनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण भी है, तथा सड़क का तैयार किया जाना और उसमें परिवर्तन,

(ग) इस प्रकार तैयार की गयी तथा परिवर्तित सड़क का जलोत्सारण (drainage) तथा उसके लिये रोशनी की व्यवस्था ।

[4][(3) भावी सड़क योजना के अन्तर्गत आने वाली किसी सम्पत्ति का स्वामी धारा 363 के अधीन योजना के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय किन्तु उसके लिए निष्पादन की समय–सीमा के भीतर अथवा तत्पश्चात् तीन वर्ष के भीतर [3][निगम] को नोटिस दे सकता है कि वह नोटिस के दिनांक के 6 महीने के भीतर ऐसी सम्पत्ति अर्जित कर लें। तदुपरान्त [3][निगम] तद्नुसार सम्पत्ति अर्जित करेगी, और यदि वह ऐसा न कर सके तो ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो धारा 372 में अनिर्दिष्ट न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया जाय।]

(4) उस सम्पत्ति के अतिरिक्त, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन [1][निगम] को नोटिस मिल चुका हो, अन्य किसी सम्पत्ति को अर्जित करने के संबंध में कार्यवाही करने से पहले [3][निगम] उसके स्वामी को उस सम्पत्ति को अर्जित करने के अपने अभिप्राय के संबंध में 6 महीने का नोटिस देगा ।

गृह–स्थान योजना (Housing Accommodation Scheme)

349–यदि विकास समिति का मत हो कि नगर के किसी वर्ग के निवासियों के लिए स्थान (accommodation) की व्यवस्था करना सार्वजनिक लाभ के लिये है और इष्टकर है, [5][तो वह संकल्प द्वारा [1][नगर आयुक्त] से अपेक्षा कर सकती है] कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये एक योजना तैयार करे, जो गृह स्थान योजना कहलायेगी ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 4 (1) (क) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 4(1) (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नगर प्रसार योजना

350–(1) यदि विकास समिति का यह मत हो कि नगर के भावी प्रसार को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करना सार्वजनिक लाभ के लिये है और इष्टकर है [1][तो वह संकल्प द्वारा [2][नगर आयुक्त] से एक योजना तैयार करने की अपेक्षा कर सकती है] जो नगर प्रसार योजना कहलायेगी ।

[3][(1–क) उक्त संकल्प में योजना के निष्पादन के लिए समय–सीमा निर्दिष्ट की जायेगी जिसे विकास समिति, समय–सीमा पर, संकल्प द्वारा बढ़ा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व अधिसूचित किसी योजना की दशा में, ऐसी समय–सीमा, यदि पहले ही निर्दिष्ट न की गयी हो, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर ही विकास समिति के एक नये संकल्प द्वारा निर्दिष्ट की जायेगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय–सीमा, जिसके अन्तर्गत उसकी वृद्धि भी है, यदि कोई हो, धारा 363 के अधीन योजना अधिसूचित किये जाने के दिनांक से किसी भी दशा में बीस वर्ष से अधिक न होगी।]

(2) ऐसी योजना में वे तरीके जिनके अनुसार विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का विन्यास करने का प्रस्ताव है, तथा प्रयोजन, जिनके लिये किसी क्षेत्र विशेष का उपयोग किया जायेगा, दिखलाये जायेंगे ।

(3) नगर प्रसार योजना के प्रयोजनार्थ धारा 360 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, किन्तु [4][निगम] से ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, जो राज्य सरकार उचित समझे ।

(4) [5][धारा 363 के अधीन ऐसी योजना के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् किसी भी समय किन्तु उसके निष्पादन की समय सीमा के भीतर] यदि कोई व्यक्ति उक्त योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भवन अथवा दीवार का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन करना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये [4][निगम] को प्रार्थना–पत्र देना होगा ।

(5) यदि [4][निगम] किसी व्यक्ति को पूर्वोक्त क्षेत्र में स्थित उसके भूमि पर किसी भवन अथवा दीवाल के निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन अथवा परिवर्तन की अनुज्ञा देना अस्वीकार कर दे, और ऐसी अस्वीकृति से एक वर्ष के भीतर वह उक्त भूमि को अर्जित करने के लिये कार्यवाही न करे, तो वह उक्त अस्वीकृति के फलस्वरूप हुई उस व्यक्ति की किसी भी क्षति के लिये उसे उचित प्रतिकर देगा ।

योजना तैयार करना

351–(1) जब कभी पूर्ववर्ती किसी भी धारा के अधीन कोई विकास योजना तैयार करने की अपेक्षा की जाय तो [2][नगर आयुक्त] का यह कर्त्तव्य होगा कि वह योजना का पांडुलेख (draft) तैयार करे, और उसे विकास समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 6(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 6(2) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 6(3) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) विकास समिति के पूर्वानुमोदन से [1][नगर आयुक्त] बनायी जाने वाली विकास योजना तैयार करने के प्रयोजन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की सीमा के भीतर अथवा बाहर के क्षेत्रों का परिमापन (survey) करवा सकता है ।

विकास योजनाओं का संयोजन

352–ऐसे कितने ही क्षेत्र जिनके संबंध में विकास योजनायें तैयार की जा चुकी है अथवा प्रस्तावित हैं, किसी भी समय किसी एक संयोजित योजना (combined scheme) के अन्तर्गत लाये जा सकते है ।

वे विषय जिनकी व्यवस्था विकास योजना द्वारा की जायगी

353–(1) योजना के स्वरूप के अनुसार किसी भी विकास योजना में नीचे लिखे किन्हीं अथवा सभी विषयों की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) खरीद, विनिमय अथवा अन्य प्रकार से किसी सम्पत्ति का अर्जन, जो योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो अथवा जिस पर योजना कार्यान्वित करने से प्रभाव पड़ता हो ;

(ख) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का पुनर्विन्यास ;

(ग) योजना में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों (sites) का पुनर्वितरण ;

(घ) मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य निवासगृहों अथवा उनके भागों का बन्द किया जाना अथवा गिराया जाना;

(ङ) अवरोध उपस्थित करने वाले (obstructive) भवनों अथवा उनके भागों का गिराया जाना ;

(च) भवनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण ;

(छ) योजना में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय, किराये पर उठाया जाना अथवा उसका विनिमय ;

(ज) सड़कों तथा पीछे की गलियों (back lanes) का निर्माण तथा परिवर्तन और पैदल चलने वालों के लिए पार्श्व पंथों (side walks) की व्यवस्था ;

(झ) इस प्रकार निर्मित अथवा परिवर्तित सड़कों का जलोत्सारण, जल–सम्भरण तथा रोशनी की व्यवस्था ;

(ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र अथवा उससे संलग्न (adjoining) क्षेत्र के लाभ के लिये खुले स्थानों (open spaces) की व्यवस्था तथा वर्तमान खुले स्थानों तथा उन तक पहुंचने के मार्गों (approaches) का विस्तार ;

(ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित स्वस्थता सम्बन्धी प्रबन्ध जिसके अन्तर्गत सफाई संरक्षण (conservancy) तथा नदियों और जल–सम्भरण के अन्य स्रोतों तथा साधनों को हानि पहुंचाने अथवा दूषित किये जाने को रोकना तथा उससे बचाना भी है ;

(ठ) निवासियों के किसी भी वर्ग के लिए स्थान (accommodation) की व्यवस्था;

(ड) योजना के प्रयोजनों के लिए अग्रिम धनराशि का दिया जाना ;

(ढ) संचार (communication) की सुविधाओं की व्यवस्था ;

(ण) बाजार, उद्यानों, वनरोपण के लिए भूमि का पुनरुद्धार का रक्षण, ईंधन, घास के सम्भरण (supply) और जनता की अन्य आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था ;

(त) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में अधिक भीड़ को रोकने की व्यवस्था ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(थ) अन्य कोई विषय जिनके लिये राज्य सरकार की राय में किसी सम्बद्ध क्षेत्र के विकास अथवा योजना की सामान्य सक्षमता (general efficiency) के दृष्टिकोण से व्यवस्था करना इष्टकर हो।

(2) [1][निगम] समय–समय पर संकल्प द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ किसे अधिक भीड़ समझा जायेगा और ऐसे संकल्प में यह निर्दिष्ट कर सकती है कि उस भू–गृहादि में, जो केवल निवास–गृह के लिए ही प्रयोग किये जायें और उन भू–गृहादि में जो निवास–गृह तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये जायें, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय के अनुसार निम्नतम स्थान कितना होगा।

कतिपय विकास योजनाओं में नगर के बाहर के क्षेत्रों को सम्मिलित करना

354–धारा 343 के खंड (क) या (ख) या (छ) में उल्लिखित विकास योजना अपने अन्तर्गत नगर की सीमा के बाहर दो मील तक किसी ऐसे समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग को सम्मिलित कर सकती है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे और ऐसा क्षेत्र इस अध्याय के प्रयोजनों के निमित्त नगर के भीतर स्थित क्षेत्र समझा जायगा ।

विकास योजनाएं तैयार करते समय विचारणीय विषय

355–किसी क्षेत्र के संबंध में कोई विकास योजना तैयार करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखा जायगा––

(क) पड़ोसी क्षेत्रों तथा सम्पूर्ण नगर की प्रकृति (nature) और दशायें (conditions) ;

(ख) विभिन्न दिशायें, जिनमें नगर का प्रसार होना संभव है ; और

(ग) नगर के अन्य भागों के लिए विकास योजनाओं के अपेक्षित होने की संभावना।

विकास समिति द्वारा विचार किया जाना

356–(1) विकास समिति [2][नगर आयुक्त] द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी योजना पर विचार करेगी, और उसे परिष्कार सहित अथवा बिना परिष्कार के स्वीकृत कर लेगी, अथवा [2][नगर आयुक्त] से अपेक्षा करेगी कि वह उसमें परिवर्तन करके उसे समिति के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करे ।

(2) विकास समिति लिखित रूप से योजना पर स्वीकृति प्रदान करगी और आदेश देगी कि योजना विज्ञापित की जाय ।

विकास योजना की नोटिस

357–(1) विकास योजना का पांडुलेख (draft) विकास समिति द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् [2][नगर आयुक्त] एक नोटिस तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा ––

(क) यह तथ्य कि योजना तैयार की जा चुकी है ;

(ख) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की चौहद्दी ;

(ग) स्थान, जहां योजना का विवरण, योजना में समाविष्ट क्षेत्र का नक्शा और उस भूमि का उल्लेख जिसके अर्जित किये जाने का प्रस्ताव है, देखा जा सकता है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) [1][नगर आयुक्त] उक्त नोटिस लगातार तीन सप्ताह तक सरकारी गजट तथा [1][निगम] के बुलेटिन, यदि कोई हो, में प्रकाशित करायेगा, तथा उसे एक या एकाधिक स्थानीय समाचार–पत्र या समाचार–पत्रों में जिन्हें [1][नगर आयुक्त] ठीक समझे, प्रकाशित करायेगा और उसमें ऐसी अवधि का उल्लेख करेगा जिसके भीतर इस संबंध में आपत्तियां ली जायेंगी । यदि नगर से संलग्न कोई कैन्टूनमेंट बोर्ड हो तो उक्त नोटिस की एक प्रति उसके सभापति (President) के पास भी भेज दी जायगी ।

(3) [1][नगर आयुक्त] उपधारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित सभी लेख्यों (documents) की प्रतिलिपियां किसी भी प्रार्थी को, उनके लिए विहित शुल्क प्राप्त होने पर दिलायेगा ।

भूमि के प्रस्तावित अर्जन की नोटिस

358–(1) किसी विकास योजना के संबंध में धारा 357 के अधीन किसी नोटिस के प्रकाशन के प्रथम दिन के पश्चात् से 30 दिनों तक की अवधि में [1][नगर आयुक्त] निम्नलिखित पर नोटिस तामील करायेगा ––

(क) योजना की कार्यान्विति के निमित्त अर्जन के लिये प्रस्तावित किसी भूमि या भवन के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित किसी कर को अदा करने का प्रथम दायित्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर, जिसका नाम [2][निगम] की निर्धारण सूची में दिखलाया गया हो ; तथा

(ख) प्रत्येक भू–गृहादि, जिसे योजना को कार्यान्वित करने के लिये [2][निगम] ने अर्जित करने का प्रस्ताव किया हो, और जो [2][निगम] की निर्धारण सूची में दर्ज हो, के अध्यासी पर (जिसका नाम देना आवश्यक नहीं है) ।

(2) उक्त नोटिस द्वारा ––

(क) यह बतलाया जायगा कि [2][निगम] किसी विकास योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि अर्जित करना चाहती है ; और

(ख) किसी व्यक्ति से, यदि वह उक्त अर्जन से असहमत हो, नोटिस तामील होने के 60 दिन के भीतर लिखित रूप से अपनी असहमति का कारण बताने की अपेक्षा की जायगी ।

[2][निगम] द्वारा योजना पर विचार

359–किसी विकास योजना के संबंध में क्रमशः धारा 357 तथा 358 के अधीन विहित अवधियों के व्यतीत हो जाने के पश्चात् विकास समिति तदन्तर्गत प्राप्त किसी आपत्ति या निवेदन–पत्र (representation) पर विचार करेगी, तथा उक्त आपत्तियां करने वाले व्यक्तियों अथवा ऐसे निवेदकों की जो सुनवाई चाहते हों, सुनवाई कर लेने तथा योजना में ऐसे परिष्कार, यदि कोई हों, करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे उस योजना को उसके संबंध में प्राप्त हुई किसी आपत्ति या निवेदन–पत्र सहित, [1][निगम] को अपनी इस सिफारिश के साथ प्रस्तुत करेगी कि योजना स्वीकृत की जानी चाहिये अथवा उसका परित्याग कर देना चाहिये ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][निगम] द्वारा योजना की स्वीकृत अथवा परित्याग (abandon-ment)

360–(1) विकास समिति द्वारा योजना और उसके साथ धारा 357 तथा 358 के अधीन प्राप्त आपत्तियां या निवेदन–पत्र तथा धारा 359 के अधीन विकास समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर [1][निगम] उस पर विचार करना आरम्भ करेगी, और या तो उस योजना का परित्याग कर देगी अथवा उसे ऐसे परिष्कारों, यदि कोई हों, के साथ स्वीकृत कर लेगी जिसे वह आवश्यक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि योजना की अनुमानित लागत 10,00,000 रू0 से अधिक हो तो राज्य सरकार की स्वीकृति भी ली जायेगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी प्रत्येक योजना में निम्नलिखित बातें होंगी––

(क) योजना का वर्णन और उसके संबंध में पूरा विवरण तथा उसकी पूर्ण रूपरेखा और योजना की कार्यान्वित में लगने वाली लागत के तखमीने ;

(ख) मूलतः निर्मित योजना में किये गये किन्हीं परिष्कारों कारणों का विवरण ;

(ग) धारा 357 के अधीन प्राप्त आपत्तियों का (यदि कोई हों) विवरण ;

(घ) उन सभी व्यक्तियों के (यदि कोई हों) नामों की सूची, जिन्होंने धारा 357 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपनी भूमियों के प्रस्तावित अर्जन से असहमति प्रकट की होते और ऐसी असहमति के लिये दिये गये कारणों का विवरण ; तथा

(ङ) ऐसी योजना की जिसमें लोगों को फिर से घरों में बसने की व्यवस्था करना अपेक्षित हो, कार्यान्विति के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों के विस्थापित हो जाने की संभावना हो, उन्हे फिर से घरों में बसाने के लिये [1][निगम] द्वारा किये गये अथवा प्रस्तावित प्रबन्धों का विवरण ।

(3) उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार को योजना प्रस्तुत करने के पश्चात् [2][नगर आयुक्त] इस बात का नोटिस धारा 357 में उपबंधित रीति के अनुसार सरकारी गजट में तथा [1][निगम] के बुलेटिन, यदि कोई हो, में लगातार दो सप्ताह तक प्रकाशित करायेगा ।

(4) [1][निगम] द्वारा योजना अनुमोदित न किये जाने पर [1][नगर आयुक्त] तुरन्त ही धारा 357 में उपबंधित रीति के अनुसार एक नोटिस तैयार करके उसे प्रकाशित करायेगा, और उस नोटिस में यह उल्लेख करेगा कि [1][निगम] ने योजना को आगे न बढ़ाने का संकल्प कर लिया है, तथा उक्त प्रकाशन के उपरान्त धारा 357 के अधीन प्रकाशित योजना से संबद्ध विज्ञप्ति निरसित समझी जायेगी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

योजना के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार

361–(1) राज्य सरकार धारा 360 के अधीन प्रस्तुत किसी योजना की परिष्कारों सहित अथवा बिना किसी परिष्कार के स्वीकृत कर सकती है अथवा अस्वीकृत कर सकती है, अथवा उसे पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकती है ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन पुनर्विचार के लिये वापस की गई योजना [1][निगम] द्वारा परिष्कृत कर ली जाय तो उसे निम्नलिखित दशा में धारा 357 के अनुसार पुनः प्रकाशित किया जायेगा ––

(क) प्रत्येक ऐसी दशा में जिसमें परिष्कार के कारण योजना में समाविष्ट क्षेत्र की चौहद्दी पर प्रभाव पड़ता हो अथवा जिसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि को अर्जित करने का प्रस्ताव किया गया हो ; और

(ख) अन्य प्रत्येक दशा में जब तक कि परिष्कार राज्य सरकार की राय में इतने महत्व का न हो कि उसका पुनः प्रकाशन अपेक्षित हो ।

[1][निगम] द्वारा परिष्कृत की जाने वाली योजना के संबंध में प्रक्रिया

362–यदि धारा 360 के अधीन आपत्तियों तथा निवेदन–पत्रों (representations) पर विचार करने के पश्चात् मूल योजना में कोई ऐसा परिष्कार किया गया हो, जिससे धारा 361 की उपधारा (2) में वर्णित दशायें उत्पन्न हों, तो किसी योजना के संबंध में, जिसे [1][निगम] स्वयं अपने अधिकार से स्वीकृत कर सकती हो, धारा 357 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

विकास योजना की स्वीकृति की विज्ञप्ति

363–जब कभी [1][निगम] कोई योजना स्वयं अपने अधिकार से अथवा धारा 360 की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अधीन राज्य सरकार की सहमति से स्वीकृति करे तो यह तथ्य सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन द्वारा प्रख्यापित किया जायेगा, और [1][निगम] के लिये यह आवश्यक होगा कि स्वयं अपने अधिकार से योजना स्वीकृत करने की दशा में तुरन्त ही इसकी सूचना राज्य सरकार को भेज दे, और राज्य सरकार को सूचनार्थ धारा 360 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित विवरण भी प्रस्तुत करे ।

स्वीकृति के पश्चात् विकास योजना में परिवर्तन

364–राज्य सरकार द्वारा, अथवा स्वयं अपने अधिकार से [1][निगम] द्वारा किसी योजना के स्वीकृत कर लिये जाने के पश्चात् किसी समय, किन्तु उसके पूर्ण हो जाने के पूर्व, [1][निगम] उसमें परिवर्तन कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ––

(क) योजना के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने की दशा में यदि किसी परिवर्तन के कारण योजना की कार्यान्वित के संबंध में अनुमानित लागत एक लाख रूपये से अधिक बढ़ जाने का तखमीना हो तो बिना राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के उक्त परिवर्तन नहीं किया जायगा ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) [1][निगम] द्वारा स्वयं अपने अधिकार से स्वीकृत की गई किसी योजना की की दशा में उक्त परिवर्तन राज्य सरकार के सूचनार्थ भेजा जायगा ;

(ग) यदि किसी परिवर्तन के कारण किसी ऐसी भूमि के अनुबन्ध (agreement) द्वारा अर्जन से भिन्न अर्जन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, जिसके अर्जन के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति न मिली हो, तो उसके संबंध में इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में विहित प्रक्रिया का ही, जहां तक वह लागू हो सकती हो, इस प्रकार अनुसरण किया जायेगा मानो उक्त परिवर्तन एक अलग योजना ही हो ।

विकास योजना के लिए अपेक्षित भूमि का अर्जन

365–(1) [2][इस अध्याय के अधीन] किसी योजना के स्वीकृत किये जाने पर [3][नगर आयुक्त] किसी भी व्यक्ति से किसी ऐसी भूमि को जिसे विकास योजना के संबंध संबंध में अर्जित करने के लिये वह प्राधिकृत हों, अथवा उस भूमि से संबद्ध किसी स्वत्व (interest) को खरीदने, पट्टे पर लेने, अथवा विनिमय के लिये अनुबन्ध कर सकता है।

(2) [4][इस अध्याय के अधीन] स्वीकृत किसी विकास योजना के प्रयोजनार्थ [1][निगम] इस अध्याय द्वारा संशोधित लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के उपबन्धों के अधीन भूमि अथवा भूमिगत कोई स्वत्व अर्जित कर सकती है ।

(3) [3][नगर आयुक्त] किसी विकास योजना के प्रयोजनों के लिये धारा 273 की उपधारा (2) तथा धारा 190 के अधीन प्राप्त अधिकारों को काम में ला सकता है ।

(4) इस अध्याय के अधीन [5][किसी भावी सड़क योजना या किसी नगर प्रसार योजना से भिन्न] अधिकृत विकास योजना के निमित्त भूमि तथा भूमि में स्वत्व का समस्त अर्जन धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम निर्णय (award) देने के स्तर तक पूरा कर दिया जायेगा और कोई भी भूमि जिस के सम्बन्ध में अर्जन इस प्रकार पूरा नहीं किया गया है तथा उसका स्वामी और अध्यासी इस अध्याय के अधीन किसी दायित्व के अधीन नहीं रह जायेंगे ;

[1][प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 42 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेन्ट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 के अधीन अधिसूचित (भावी सड़क योजना या नगर प्रसार योजना से भिन्न) किसी ऐसी विकास योजना के सम्बन्ध में ; जिसे धारा 577 के खंड (ग) के प्रभाव से इस प्रकार जारी रखा जा सकता है मानो वह इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गयी हो, इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों शब्द तथा अंक ''धारा 363 के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर'' के स्थान पर शब्द अंक ''31 दिसम्बर, 1973 को या इसके पूर्व'' रखे गये हों ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 20 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 20 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 7(1) द्वारा अर्न्तविष्ट।
1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 1972 की धारा 7(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 363 के अधीन अधिसूचित किसी विकास योजना के सम्बन्ध में इस उपधारा का ऐसा अर्थ लगाया जायगा मानों शब्द ''पांच वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दस वर्ष'' रखे गये हों :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, पांच वर्ष या दस वर्ष की उक्त अवधि या, जैसी भी दशा हो, 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली उक्त अवधि व्यतीत होने के पूर्व सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।]

भवन इत्यादि के संबंध में निर्बन्धन (restriction)

366–जब कि बस्ती सुधार (slum clearance) योजना के विषय में धारा 357 के अधीन कोई नोटिस प्रकाशित हो जाये तो कोई व्यक्ति अस्वास्थ्यकर (insanitary) तथा पुनर्निर्माण क्षेत्रों में समाविष्ट किसी भवन को निर्मित, पुनर्निर्मित, परिवर्द्धित अथवा परिवर्तित नहीं करेगा, या किसी भूमि का अन्यथा विकास नहीं करेगा, सिवाय उक्त कार्य योजना के क्षेत्र के लिये निर्दिष्ट पुनर्निर्माण नियोजन (rebuilding plan) के अनुसार तथा ऐसे निर्बन्धनों (restrictions) एवं शर्तों के अधीन रहते हुए किये जाये जिन्हें लगाना [1][नगर आयुक्त] उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्वामी जो अपनी भूमि के प्रयोग पर इस प्रकार लगाई गई शर्तों तथा निर्बन्धनों के कारण, अथवा [1][नगर आयुक्त] द्वारा बाद में ऐसी किसी शर्त अथवा निर्बन्धन को रद्द अथवा परिष्कृत करना अस्वीकार कर दिये जाने के कारण क्षुब्ध हो, तो वह तीस दिन के भीतर न्यायाधीश को अपील कर सकता है । न्यायाधीश इस विषय में, जैसा वह उचित समझेगा आज्ञा दे देगा, तथा न्यायाधीश की आज्ञा अंतिम होगी ।

भवनों को गिराने के आदेश

367–[1][नगर आयुक्त] विकास समिति की स्वीकृति से, स्वीकृति की विज्ञप्ति की धारा 363 के अधीन प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय अस्वास्थ्यकर क्षेत्र में समाविष्ट किसी भवन अथवा भवनों के अध्यासियों से अपेक्षा कर सकता है कि वे उन्हें गिराये जाने के प्रयोजन के लिए, नोटिस से तीन मास के भीतर खाली कर दें, तथा ऐसे भवन अथवा भवनों के स्वामी या स्वामियों से अपेक्षा कर सकता है कि उन्हें एक मास की अतिरिक्त अवधि के भीतर गिरा दें ; तथा यदि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व भवन गिरा नहीं दिया जाता तो [1][नगर आयुक्त] स्वामी के जोखिम (risk) तथा व्यय पर उक्त भवन अथवा भवनों को गिराने की कार्यवाही करेगा, उसके मलवे (materials) को बेचेगा तथा उस स्थान को साफ करायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भवनों को खाली किये जाने तथा गिराये जाने का कार्य एक ही समय में किया जा सकता है ।

योजना का परित्याग

[1][**367–क**–[2][निगम], राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी भी समय और ऐसी शर्तों के अनुसार, जो वह आरोपित करे, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 42, कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 की धारा 60 या इस अधिनियम की धारा 363 के अधीन विज्ञापित किसी योजना का परित्याग कर सकती है, और इस प्रकार परित्याग करने पर कोई भूमि जिसके सम्बन्ध में अभिनिर्णय देने के प्रक्रम तक अर्जन पूरा न हुआ हो, और ऐसी भूमि का स्वामी तथा अध्यासी, इस अध्याय के अधीन किन्हीं दायित्वों के अधीन न रह जायेंगे ।]

---

1. उ० प्र० अधिनियम सं० 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
1. उ० प्र० अधिनियम सं० 21, 1964 की धारा 21 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

भूमि निस्तारित करने के अधिकार

368–इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए [1][निगम] इस अध्याय के अधीन अपने द्वारा अर्जित अथवा अपने में निहित किसी भूमि को बनाये रख सकती है, पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है, विनिमय कर सकती है अथवा उसे अन्यथा निस्तारित कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अध्याय के अधीन किसी योजना के निमित्त अर्जित भूमि को पट्टे पर देने, बेचने, विनिमय करने अथवा उसे अन्यथा निस्तारित करने में प्राथमिकता उस आयति तक तथा उस रीति से, जो विहित की जाये, उन व्यक्तियों को दी जायेगी जिनकी भूमि ऐसी योजना के निमित्त अर्जित की गयी हो ।

परिमापन करने के अधिकार

369–[2][नगर आयुक्त], जब कभी वह समझे कि इस अध्याय के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये किसी भूमि का परिमापन आवश्यक है, उस भूमि का सर्वेक्षण करवा सकता है ।

प्रविष्टि के अधिकार

370–(1) [2][नगर आयुक्त], धारा 562 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपने सहायकों तथा श्रमिकों (workmen) के साथ अथवा उनके बिना ही किसी भूमि में अथवा पर––

(क) कोई निरीक्षण, परिमापन, पैमाइश, मूल्यांकन अथवा जांच करने ;

(ख) सतह लेने (take levels) ;

(ग) भूमिगत मिट्टी (sub-soil) खोदने अथवा भेदने (bore) ;

(घ) चौहद्दियों (boundaries) तथा अभिप्रेत कार्य रेखाएं (lines of works)) निर्धारित (set out) करने ;

(ङ) ऐसी सतहों (levels), चौहद्दियों तथा रेखाओं को चिन्हों द्वारा तथा खाई खोद कर चिन्हित करने ; या

(च) अन्य कोई कार्यवाही करने ;

के लिये जब कभी इस अध्याय अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, उपविधि या स्वीकृत योजना के किसी प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक हो, प्रवेश कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अनुसरण में [2][नगर आयुक्त] के किसी भूमि में अथवा पर प्रवेश करने के कारण कोई क्षति पहुंचे तो [1][निगम] उसे पूरा करेगी ।

(3) [2][नगर आयुक्त] निरीक्षण अथवा छानबीन (search) के प्रयोजन से प्रवेश कर सकता है, तथा वह कोई दरवाजा, फाटक (gate) अथवा अन्य कोई अवरोध (barrier) खोल अथवा खुलवा सकता है, यदि––

(क) वह यह समझे कि उसका खोला जाना उक्त प्रवेश, निरीक्षण अथवा छानबीन आवश्यक है ; और

(ख) उसका स्वामी अथवा अध्यासी अनुपस्थित हो, अथवा उपस्थित होने पर भी उक्त दरवाजा, फाटक अथवा अवरोध खोलने से इन्कार करे ।

न्यायाधिकरण (tribunal) का संगठन

371–(1) राज्य सरकार एक न्यायाधिकरण संगठित करेगी जिसके अधिकार तथा कर्तव्य वे होंगे जो आगे निर्दिष्ट किये गये है ।

(2) यथास्थिति यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 57 अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित न्यायाधिकरण नियत दिन से विघटित हो जायेगा ।

(3) यथास्थिति यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सभी वाद अथवा कार्यवाहियों की सुनवाई अथवा संचालन उपधारा (1) के अधीन संगठित न्यायाधिकरण उसी भांति करेगा मानों कि वे उक्त न्यायाधिकरण के समक्ष ही प्रस्तुत की गई हों, तथा इस अधिनियम के उपबन्ध तथा तदन्तर्गत निर्मित कोई नियम उक्त सभी वादों तथा कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगे ।

न्यायाधिकरण के कर्तव्य

372–(1) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त [1] [निगम] के लिये भूमि अर्जन संबंधी समस्त विषयों के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण न्यायालय के कृत्यों का निर्वहन करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकरण तब तक ऐसे किसी दावे की सुनवाई नहीं करेगा जब तक कि दावा करने वाला व्यक्ति न्यायालय में प्रतिभूति के रूप में वाद व्यय के लिये 7,000 रू0 से अनधिक की ऐसी धनराशि, जिसे न्यायाधिकरण निश्चित करे, और जो दावा करने वाले व्यक्ति के असफल होने पर उसके विरोधी पक्ष की दी जा सके, न जमा कर दे ।

[2][(2) न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अध्याय 7 जैसा कि वह धारा 129–क के अन्तर्गत [1][निगम] के भू–गृहादि पर लागू है, में अभिदिष्ट कृत्यों का भी सम्पादन करेगा।]

न्यायाधिकरण के सदस्यगण

373–(1) न्यायाधिकरण एक [3][सदस्य का होगा जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जायेगा।]

(2) [3][उक्त सदस्य] जिला जज से अन्यून पद का एक व्यवहार न्यायिक पदाधिकारी (Civil Judicial Officer) होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधिकरण के असेसर के पद पर नियुक्त होने का पात्र न होगा, यदि वह [1][निगम] का सदस्य हो, अथवा उसे यदि वह [1][निगम] का सदस्य होता तो धारा 83 के अधीन हटाया जा सकता ।

(3) [3][उक्त सदस्य] राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

[3][(4) यदि किसी कारण से न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार उस रिक्ति की पूर्ति के लिए इस धारा के अनुसार दूसरा व्यक्ति नियुक्त करेगी, और न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उसी प्रक्रम से जिस पर रिक्ति की पूर्ति की जाय, जारी रखी जा सकती है।

(5) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व (सभापति और दो असेसरों से मिलकर बने) न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कोई कार्यवाही, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् न्यायाधिकरण के समक्ष, जिसमें उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में उक्त सभापति हो, उस प्रक्रम से जिस पर न्यायाधिकरण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय, जारी रखी जा सकती है।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1970 की धारा 29 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

पारिश्रमिक

374–न्यायाधिकरण के [1][पीठासीन अधिकारी] को [2][निगम] द्वारा ऐसा निश्चित (fixed) पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार विहित करे ।

न्यायाधिकरण के कर्मचारी

375–(1) [3][न्यायाधिकरण] समय–समय पर एक विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित दिखलायें जायेंगे––

(क) न्यायाधिकरण के लिये आवश्यक कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी कोटि (grade) ;

(ख) वेतन जो प्रत्येक कर्मचारी को दिया जायेगा ;

(2) न्यायाधिकरण के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें [4][राज्य सरकार] द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 का परिष्कार

376–लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अधीन [2][निगम] के निमित्त भूमि अर्जित करने के प्रयोजन के लिये, चाहे वह इस अधिनियम के इस अध्याय के अधीन हो, अथवा अन्य किसी अध्याय के––

(क) उक्त ऐक्ट इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट परिष्कारों के अधीन रहेगा ;

(ख) न्यायाधिकरण का निर्णय (award) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अधीन न्यायालय का निर्णय माना जायगा ।

न्यायाधिकरण पर प्रवृत्त विधि

377–कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 तथा इंडियन एवीडेन्स ऐक्ट, 1872 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, न्यायाधिकरण के समक्ष की जाने वाली सभी कार्यवाहियों पर प्रवृत्त होंगे ।

378– [5][x x x]

न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा

379–धारा 381 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा, तथा इस पर किसी विधिक न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

न्यायाधिकरण की आज्ञा का प्रवर्तित किया जाना

380–धन की अदायगी के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण की प्रत्येक आज्ञा, प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर, नगर के लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) द्वारा इसी प्रकार प्रवर्तित की जायगी, मानो कि वह उस न्यायालय की कोई डिग्री हो ।

अपीलें

381–(1) न्यायाधिकरण के किसी निर्णय की अपील हाई कोर्ट में की जा सकेगी, यदि––

(क) [1][न्यायाधिकरण] का सभापति इस आशय का प्रमाण–पत्र दे कि उक्त मामला अपील किये जाने योग्य है ; अथवा

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 10(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 10(ii) द्वारा निकाला गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 11 द्वारा निकाला गया।
1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) हाई कोर्ट अपील के लिए विशेष अनुमति दे ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हाई कोर्ट ऐसी विशेष अनुमति तब तक न देगा, जब तक कि न्यायाधिकरण ने खंड (क) के अधीन प्रमाण–पत्र देना अस्वीकृत न कर दिया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील केवल निम्नलिखित एक या एकाधिक आधारों पर की जा सकेगी, अर्थात्––

(क) निर्णय किसी विधि अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली किसी प्रथा (usage) के प्रतिकूल है ;

(ख) निर्णय में विधि अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली किसी प्रथा से संबद्ध किसी सारवान विषय (material issue) का निर्धारण नहीं किया गया है ;

(ग) कोई ऐसी सारवान भूल अथवा त्रुटि रह गयी है, जिसके कारण गुण–दोष के आधार पर (on merits), किसी मामले के निर्णय में तथ्य या विधि (point of fact or of law) संबंधी कोई भूल अथवा त्रुटि हो गई है ।

(3) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी भी बात के होते हुये भी, इस धारा के अधीन कोई अपील नहीं की जा सकेगी, जब तक कि अपीलकर्ता ने वह धनराशि न जमा कर दी हो, उस आज्ञा के अधीन जमा करना उसका दायित्व हो, जिसके विरूद्ध अपील दायर की गई है ।

(4) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, मूल डिक्रियों (decrees) की अपीलों के विषय में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के उपबन्ध, यथासंभव इस अधिनियम के अधीन अपीलों पर लागू होंगे ।

[1][(5) (1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रमाण–पत्र दिये जाने के लिए प्रार्थना–पत्र न्यायाधिकरण के निर्णय के दिनांक से तीस दिन के भीतर किया जा सकता है।

(2) न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील उक्त प्रमाण–पत्र दिये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपील के लिए विशेष अनुमति के निमित्त हाई कोर्ट की प्रार्थना–पत्र उक्त प्रमाण–पत्र अस्वीकार करने की आज्ञा के दिनांक के साठ दिन के भीतर दिया जा सकता है।

(5–क) उपधारा (5) के अधीन अपील या प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और 12 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।]

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील पर हाई कोर्ट की आज्ञा, प्रार्थना–पत्र देने पर, नगर के लघुवाद न्यायालय (Court of Small Causes) द्वारा उसी प्रकार प्रवर्तित की जायगी मानो वह उसी न्यायालय की कोई डिग्री हो ।

वृक्षों तथा वन–भूमियों का परिरक्षण

382–(1) यदि विकास समिति को प्रतीत हो कि सुख–सुविधा के हित में नगर की किसी वन–भूमि अथवा वृक्षों का परिरक्षण (preservation) इष्टकर है, तो वह [1][नगर आयुक्त] को निम्नलिखित की आज्ञा देने के लिये प्राधिकृत कर सकती है––

(क) [2][नगर आयुक्त] की अनुज्ञा के बिना आज्ञा में निर्दिष्ट किसी वृक्ष अथवा वृक्ष समूहों को काट कर गिराने, उनकी ऊचाई छांटने (lopping), डाल काटने (lopping) अथवा जानबूझ कर उन्हें नष्ट करने का प्रतिषेध ;

(ख) वन–भूमि के किसी ऐसे भाग में, जहां के वृक्ष, वन प्रबन्ध सम्बन्धी क्रियाओं के दौरान में, [2][नगर आयुक्त] की अनुज्ञा से अथवा बिना उसकी अनुज्ञा के, गिरा दिये गए हों, आज्ञा में उल्लिखित रीति के अनुसार फिर से पौधे लगवाना (replanting)।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1972 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1. उ0 प्र0 अधिनयम संख्या 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अधीन [1][नगर आयुक्त] द्वारा दी गई आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस पर उक्त आज्ञा की तामील के दिनांक से 30 दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार ऐसी किसी आज्ञा की पुष्टि बिना किसी परिष्कार के, अथवा ऐसे परिष्कारों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, कर सकती है अथवा उसे प्रतिसंहत (revoke) कर सकती है ।

नगर के लिये महायोजना

383–(1) [2][निगम] इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति से तथा शर्तो के अधीन रहते हुए नगर के लिए एक महायोजना तैयार कर सकती है तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित होने पर वह ऐसा अवश्य करेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "महायोजना" से तात्पर्य है वह विस्तृत योजना जिसमें निम्नलिखित की वर्तमान तथा प्रस्तावित स्थिति (location) एवं उनका सामान्य विन्यास (general layout) दिखलाया गया हो——

(क) मुख्य सड़कें (arterial streets) तथा यातायात के रास्ते ;

(ख) आवासिक खंड (residential sections) ;

(ग) व्यवसाय क्षेत्र (business areas) ;

(घ) औद्योगिक क्षेत्र ;

(ङ) शिक्षा संस्थाएं ;

(च) सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान तथा मनोरंजन की अन्य सुविधाएं ;

(छ) सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक भवन ;

(ज) भूमि के अन्य प्रयोग जो आवश्यक हों ।

(2) महायोजना प्रत्येक 10 वर्ष के अन्त में पुनरीक्षित की जायेगी तथा यदि [1][निगम] उचित समझे तो उससे पहले भी पुनरीक्षित की जा सकती है ।

(3) इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी विकास योजनाएं, नयी सड़कों नालियों, उद्यानों, फैक्ट्रियों तथा भवनों का विन्यास यथासंभव महायोजना के अनुरूप होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन पहले से ही स्वीकृत विकास योजनाओं पर लागू न होगी ।

नगर के लिए विकास योजना तैयार करना

[1] **[383–क**–(1) निगम नगर के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना को नियमों द्वारा विहित रीति से निगम की समिति द्वारा तैयार किया जायेगा ।

(3) योजना को निगम के समक्ष रखा जायेगा जो उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकता है जैसा वह उचित समझे और [1][नगर आयुक्त] इसे संविधान के अनुच्छेद 243–यघ में उल्लिखित जिला योजना समिति को उस दिनांक तक जो नियमों द्वारा विहित किया जाये, प्रस्तुत करेगा ।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 62 द्वारा बढ़ाया गया ।

नियम बनाने का अधिकार

384–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) न्यायाधिकरणों के कार्यो का संचालन जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर के प्रतिकूल न हो ;

(ख) विकास योजनाओं के सम्बन्ध में सरकारी तथा वैयक्तिक (public and personal) नोटिसें देने की रीति ;

(ग) विकास योजनाओं की प्रगति के संबंध में [1][निगम] द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना ;

(घ) नगर की महायोजना को तैयार करने तथा उसके पुनरीक्षण से सम्बद्ध सभी विषय ; तथा

(ङ) भूमि–प्रयोग सम्बन्धी परिवर्तनों का विनियमन ।

अध्याय 15

सफाई व्यवस्था

सड़क की सफाई तथा स्वच्छता

[2][नगर आयुक्त] द्वारा सड़क की सफाई और कूड़ा–करकट हटाने के संबंध में की जाने वाली व्यवस्था

385–समस्त सड़कों और भू–गृहादि की उत्तम सफाई एवं स्वच्छता (scavanging and cleansing) के प्रयोजनार्थ [2][नगर आयुक्त] निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा ;

(1) शहर की सभी सड़कों की सफाई (surface) और उन पर ढेर किये गये कूड़े–करकट को हटाना ;

(2) निम्नलिखित को अस्थायी रूप से रखने के लिये उचित और सुविधाजनक स्थानों (situations) में, सार्वजनिक पात्रों (public receptacles), संग्रहागारों (depots) और जगहों (places) की व्यवस्था या निर्धारण––

(क) धूल, राख, कूड़ा–करकट तथा गन्दगी,

(ख) व्यापारिक कूड़ा–करकट,

(ग) मृत पशुओं के शव,

(घ) मलमूत्र और दूषित वस्तुएं ।

(3) समस्त पात्रों (receptacles) तथा संग्रहागारों (depots) के भीतर की वस्तुओं (contents), और धूल, राख, कूड़ा–करकट, गन्दगी, व्यापारिक कूड़ा–करकट, मृत पशुओं के शव और मलमूत्रादि तथा दूषित वस्तुओं को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व्यवस्थित या निर्धारित समस्त स्थानों पर जमा वस्तुओं का हटाना :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के खंड (क) से (घ) तक में उल्लिखित कूड़े–करकट आदि का अन्तिम रूप से निस्तारण [1][निगम] या राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य विशेष निदेशों के अधीन होगा ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

गैर सरकारी अभिकरण द्वारा हटाये गये कूड़े–करकट आदि के निस्तारण का विनियमन

386–(1) [1][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति की पूर्व–स्वीकृति से सार्वजनिक नोटिस द्वारा जो नियमों मं विहित रीति से दिया जायगा, ऐसे समय, ऐसी रीति और शर्तो आदि के सम्बन्ध मे, जिनके अनुसार या जिनके अधीन धारा 385 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कूड़ा–करकट आदि सड़क पर से हटाया, वहां जमा किया या अन्यथा निस्तारित किया जा सकता है, आदेश जारी कर सकता है ।

(2) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश द्वारा इस बात की अपेक्षा की जा सकती है कि निजी तौर पर (private) सफाई करते समय मेहतरों (scavengers) द्वारा जमा किया गया ऐसा सारा कूड़ा–करकट, जो धारा 385 की उपधारा (2) में उल्लिखित है, उक्त खंड के अधीन व्यवस्थित या निश्चित सार्वजनिक पात्रों, संग्रहागारों और स्थानों में जमा किया जायेगा ।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जारी किया गया हो, तो कोई भी व्यक्ति धारा 385 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कूड़े–करकट आदि को ऐसे आदेश का उल्लंघन करते हुए सड़क पर से न हटाएगा, न जमा करेगा और न अन्य किसी प्रकार से उसका निस्तारण ही करेगा ।

कूड़ा–करकट आदि [2][निगम] की सम्पत्ति होगी

387–धारा 385 के अधीन व्यवस्थित अथवा निश्चित सार्वजनिक पात्रों, संग्रहागारों और स्थानों में जमा सभी चींजे (matter) और उक्त धारा तथा 386 के अनुसार [2][निगम] कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों द्वारा इकट्ठी की गयी सभी चीजें [2][निगम] की सम्पत्ति होंगी ।

[1][नगर आयुक्त] मल–मूत्र तथा दूषित वस्तुओं को जमा करने इत्यादि के संबंध में व्यवस्था कर सकता है

388–(1) [1][नगर आयुक्त] अपने इस आशय का एक सार्वजनिक नोटिस दे सकता है कि वह नगर के किसी ऐसे भाग में जिसे वह निर्दिष्ट करे, संडासों (privies), मूत्रालयों, तथा मलकूपों (cesspools) से सभी मलमूत्र और दूषित वस्तुओं को किसी [2][निगम] अभिकरण (municipal agency) द्वारा इकट्ठा कराने, हटाने और निस्तारण करने के निमित्त व्यवस्था करना चाहता है और ऐसा करने पर [1][नगर आयुक्त] का यह कर्त्तव्य होगा कि वह नगर के उक्त भाग में स्थित सभी भू–गृहादि से उक्त वस्तुओं के प्रतिदिन इकट्ठा करने, हटाने और निस्तारण की व्यवस्था करे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भाग में और किन्हीं भू–गृहादि में, वे चाहे जहां भी स्थित हों, जहां किसी [2][निगम] नाली से जुड़ा हुआ (connected) कोई नाबदान (water closet) अथवा संडास हो किसी भी व्यक्ति के लिये जो [1][नगर आयुक्त] द्वारा अथवा उसकी ओर से नियोजित न किया गया हो, बिना [1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुज्ञा के, यह वैध (lawful) न होगा कि वह मेहतरों के किन्ही कर्त्तव्यों का निर्वहन करे।

कतिपय स्थानों पर विशेष सफाई का प्रबन्ध

389–(1) [1][नगर आयुक्त] किसी मन्दिर, मठ, मस्जिद, कब्र अथवा धार्मिक उपासना या धर्मोपदेश अथवा मनोरंजन के किसी स्थान के, जहां विशेष अवसरों पर अधिक संख्या में जनता एकत्र होती हो, आसपास अथवा किसी ऐसे स्थान में, जो मेलों, त्योहारों अथवा सार्वजनिक समारोहो के आयोजन के निमित्त प्रयुक्त होता हो, सफाई बनाए रखने के निमित्त ऐसे विशेष प्रबन्ध कर सकता है जिन्हें वह पर्याप्त समझे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) [1][नगर आयुक्त] ऐसे व्यक्ति को, जिसके नियंत्रण में उपर्युक्त कोई स्थान हो, यह आदेश दे सकता है कि वह उपधारा (1) के अधीन किये गये विशेष कार्यों पर हुए व्यय का वह अंश (contribution) [2][निगम] को अदा करे, जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निश्चित करे, और ऐसा व्यक्ति उस स्थान से सम्बद्ध निधियों मे से उक्त अंश अदा करने के लिये बाध्य होगा ।

भू–गृहादि के निरीक्षण और सफाई सम्बन्धी विनियमन

सफाई के प्रयोजन से भू–गृहादि के निरीक्षण का अधिकार

390–(1) [1][नगर आयुक्त] किसी भी भवन अथवा दूसरे भू–गृहादि की सफाई की दशा जानने के प्रयोजन से उनका निरीक्षण कर सकता है ।

(2) यदि सफाई बनाये रखने के लिये [1][नगर आयुक्त] को ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो तो वह लिखित नोटिस द्वारा किसी भवन के स्वामी या अध्यासी को उस भवन या उसके किसी भाग की चूने द्वारा सफाई कराने, वहां कीटाणुनाशक द्रव का छिड़काव (disinfect) कराने अथवा अन्य प्रकार से उसे साफ कराने के आदेश दे सकता है ।

मनुष्यों के रहने के लिये अयोग्य भवन अथवा भवनों के कमरे

391–(1) यदि [1][नगर आयुक्त] का यह मत हो कि कोई भवन या भवन का कोई भाग, जो निवास के लिये अभिप्रेत हो अथवा प्रयुक्त होता हो, मनुष्यों के रहने के लिये अयोग्य है तो वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से और जब तक उसकी राय में अध्यासी के लिये तात्कालिक खतरा (imminent danger) न हो, ऐसे भवन के स्वामी या अध्यासी को कारण बताने का विहित रीति से अवसर देने के पश्चात्, लिखित आज्ञा द्वारा उक्त भवन या उसके भाग को रहने के प्रयोजनार्थ उस समय तक उपयोग में लाने का प्रतिषेध कर सकता है जब तक वह निवास के योग्य न बना दिया जाय ।

स्पष्टीकरण––इस धारा में पदावलि "मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य" से तात्पर्य है स्वच्छता की त्रुटि के कारण अर्थात् वायु के लिए स्थान अथवा संवीतन स्थान का अभाव, अंधेरा, सीलन, समुचित तथा शीघ्र प्राप्य जल या स्वच्छावास या अन्य सुविधाओं के अभाव तथा आंगन या मार्गों में जल निस्तारण की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य ।

(2) जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आज्ञा दे दी गयी हो तो भवन का स्वामी अथवा अध्यासी उस भवन को मनुष्यों के रहने के लिये तब तक प्रयुक्त नहीं करेगा, और न करने देगा, जब तक [1][नगर आयुक्त] यह प्रमाणित न कर दे कि वह भवन रहने के योग्य हो गया है ।

(3) जब [1][नगर आयुक्त] ने उपधारा (1) के अधीन कोई आज्ञा दी है तो वह भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित रूप में ऐसे अनुदेश (instructions) देगा कि उक्त भवन अथवा भवन के भाग को मनुष्यों के रहने योग्य बनाने के निमित्त कौन–कौन से सुधार अथवा परिवर्तन किये जाने अपेक्षित है ।

(4) [1][नगर आयुक्त] उपधारा (1) का उल्लंघन करके किसी भवन अथवा कमरे को प्रयुक्त करने वाले किसी व्यक्ति को पुलिस के किसी पदाधिकारी अथवा [2][निगम] के किसी कर्मचारी द्वारा उस भवन अथवा कमरे से निकलवा सकता है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(5) धारा 334 की उपधारा (5) और (6) के उपबन्ध, [1][नगर आयुक्त] द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण–पत्र पर कि यथास्थिति भवन अथवा भवन का भाग मनुष्यों के रहने के योग्य हो गया है उसी प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसा प्रमाण–पत्र उपर्युक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस का वापस लेना (withdrawal) हो ।

अस्वास्थ्यकर भवनों की मरम्मत कराने का आदेश देने का अधिकार

392–(1) यदि [1][नगर आयुक्त] को यह प्रतीत हो कि रहने के लिये अभिप्रेत अथवा प्रयुक्त कोई भवन किसी प्रकार से मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उस भवन के स्वामी को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे कारण बताएं कि उस भवन में ऐसे कार्य सम्पादित करने अथवा ऐसे परिवर्तन करने की आज्ञा क्यों न दी जाय कि वह मनुष्यों के रहने के योग्य हो जाय ।

(2) इस धारा के अधीन भवन के स्वामी पर नोटिस तामील करने के साथ ही [1][नगर आयुक्त] उस नोटिस की एक प्रतिलिपि किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील कर सकता है जो उक्त भवन में या उस भूमि में, जिस पर यह भवन निर्मित किया गया हो, चाहे बन्धकी (mortgage), पट्टेदार (lessee) अथवा अन्य किसी रूप में कोई स्वत्व (interest) रखता हो ।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्वामी अथवा अन्य व्यक्ति कोई आपत्ति प्रस्तुत न करे अथवा आपत्तियों पर सुनवाई करने के पश्चात् [1][नगर आयुक्त] का समाधान हो जाय कि उस भवन को मनुष्यों के रहने के योग्य बनाने के लिये उसमें निर्माण–कार्यो का सम्पादन अथवा परिवर्तन करना आवश्यक है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा भवन के स्वामी को यह आदेश देगा कि वह 21 दिन से अन्यून किसी ऐसी उचित अवधि के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय, उक्त कार्य का सम्पादन अथवा उक्त परिवर्तन करे ।

(4) यदि [1][नगर आयुक्त] को यह प्रतीत हो कि किसी आवास (dwelling) को मनुष्यों के रहने के अयोग्य दशा मे बनाये रखने से किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को हो सकने वाले आसन्न संकट को रोकने के प्रयोजनों के लिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने का परित्याग कर सकता है, तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट नोटिस तत्काल जारी कर सकता है और उसकी एक प्रति उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति पर तामील कर सकता है ।

अस्वास्थ्यकर भवनों के गिरवाने की आज्ञा देने का अधिकार

393–(1) यदि [1][नगर आयुक्त] को यह प्रतीत हो कि कोई भवन जो रहने के लिये अभिप्रेत हो अथवा एतदर्थ प्रयुक्त होता हो, मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है, और उचित व्यय करने के बाद भी उसे रहने के योग्य नहीं बनाया जा सकता है तो वह भवन के अध्यासी और भवन के स्वामी पर एक नोटिस तामील करेगा जिसमें उस दिनांक को, जो नोटिस तामील होने के बाद 21 दिन से अन्यून होगा और उस स्थान को उल्लिखित कर दिया जायगा जहां कार्यकारिणी समिति द्वारा भवन की दशा और निर्माण–कार्य के सम्पादन के विषय में किसी प्रस्ताव (offer) अथवा भवन के भावी उपयोग के संबंध में विचार किया जायगा और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उक्त नोटिस दिया गया होगा, मामले पर विचार होने के समय अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन कोई नोटिस तामील किया गया हो, नोटिस तामील होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कार्य के सम्पादन के संबंध

1. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

में कोई प्रस्ताव रखना चाहता हो, तो वह अपना प्रस्ताव (offer) प्रस्तुत करने के आशय का एक लिखित नोटिस [1][नगर आयुक्त] पर तामील करेगा और ऐसी उचित अवधि के भीतर जो [1][नगर आयुक्त] निर्धारित करे वह उन निर्माण–कार्यों की एक विवरण सूची उसके समक्ष रखेगा जिन्हें वह सम्पन्न करना चाहता है ।

(3) [1][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से किसी भवन के स्वामी या उसमें स्वत्व रखने वाले (interested) किसी अन्य व्यक्ति से इस प्रकार का वचन (undertaking) ले सकता है, कि या तो वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसमें ऐसे निर्माण कार्य करवायेगा, जिनसे वह भवन [1][नगर आयुक्त] की राय में, मनुष्यों के रहने के योग्य हो जाय या वह भवन मनुष्यों के रहने के लिये तब तक उपयोग में नहीं लाया जायगा जब तक कि [1][नगर आयुक्त] का यह समाधान न हो जाय कि वह भवन रहने के योग्य हो गया और जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से उक्त वचन को रद्द न कर दे ।

(4) यदि [1][नगर आयुक्त] उपधारा (3) में उल्लिखित वचन स्वीकार नहीं करता, अथवा यदि किसी मामले में [1][नगर आयुक्त] ने उक्त वचन स्वीकार कर लिया हो किन्तु उस वचन से संबद्ध निर्माण–कार्य निर्दिष्ट अवधि में किये न गये हों अथवा यदि किसी समय भवन वचन की शर्तों के प्रतिकूल उपयोग में लाया गया हो तो [1][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से भवन को गिरवाने के निमित्त आज्ञा दे सकता है जिसमें यह आदेश भी होगा कि भवन को आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो नोटिस के प्रभावी (operative) होने के दिनांक से 28 दिन से कम न होगी, खाली कर दिया जायगा और उतनी अतिरिक्त (further) अवधि के भीतर गिरवा दिया जायगा, जिसे [1][नगर आयुक्त] उचित समझे । [1][नगर आयुक्त] उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर तामील करेगा जिस पर उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किया गया था।

(5) यदि [1][नगर आयुक्त] को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति या सम्पत्ति अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी भवन को आसन्न संकट से बचाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है और उक्त उपधारा के अधीन नोटिस देने में विलम्ब होने से उस धारा के अधीन कार्यवाही करने का उद्देश्य विफल हो जायगा तो वह कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से यथाशक्य उस रीति से जिसकी व्यवस्था उपधारा (4) में की गयी है, किन्तु आज्ञा का पालन करने की कम से कम अवधि घटा कर 7 दिन करते हुये, उस भवन को गिरवाने की आज्ञा दे सकता है ।

भवन गिराने की आज्ञा को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया

394–(1) धारा 393 के अधीन भवन गिराने की आज्ञा प्रभावी (operative) होने पर उस भवन का स्वामी आज्ञा में एतदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन को गिरवा देगा, और यदि भवन निर्दिष्ट समय के भीतर न गिराया गया तो [1][नगर आयुक्त] उसे गिरवाने और उसके मलवे (materials) को बेच देने की व्यवस्था कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन [1][नगर आयुक्त] द्वारा किये गये व्यय, मलवा बेचने से वसूल हुये रूपये का संधान करने के पश्चात् भवन के स्वामी द्वारा देय होंगे और व्यय

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

चुकाने के पश्चात् [1][नगर आयुक्त] अपने पास बचे हुए शेष धन को भवन के स्वामी को वापस करेगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (2) के अधीन [1][नगर आयुक्त] द्वारा किये गये निर्णय से क्षुब्ध हो, 1 महीने की अवधि के भीतर जज को अपील कर सकता है ।

भवन गिराने की आज्ञा के विरूद्ध अपील

395–कोई व्यक्ति जो––

(1) धारा 391 की उपधारा (1) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा से ; अथवा

(2) धारा 392 की उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन दी गयी आज्ञा से ; अथवा

(3) भवन गिराने के संबंध में धारा 393 के अधीन दी गयी आज्ञा, किन्तु जो उस धारा की उपधारा (5) के अधीन दी गयी आज्ञा न हो से ;

शुब्ध हो तो वह आज्ञा की प्रतिलिपि तामील होने के दिनांक के पश्चात् 21 दिन के भीतर न्यायाधीश (judge) को अपील कर सकता है और जब तक उस अपील का अंतिम रूप से निर्णय न हो जाय तब तक [1][नगर आयुक्त] उस आज्ञा को जिसके संबंध में अपील की गई है, कार्यान्वित करने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा ।

पशुओं की लाशों का निस्तारण

पशुओं के शवों का निस्तारण

396–(1) [1][नगर आयुक्त] का यह कर्त्तव्य होगा कि वह नगर के भीतर मरे हुये सभी पशुओं के शवों को हटाने की व्यवस्था करे ।

(2) किसी भू–गृहादि जिसमें अथवा जिस पर कोई जानवर मरे अथवा जिसमें अथवा जिस पर किसी जानवर का शव पाया जायगा, का अध्यासी और वह व्यक्ति, जो किसी ऐसे पशु का अवधायक (having the charge) हो, जो किसी सड़क पर अथवा किसी खुले स्थान पर मरता है उस जानवर के मरने के पश्चात् तीन घंटे के भीतर, अथवा यदि वह पशु रात में मरता है तो सूर्योदय के पश्चात् 3 घंटे के भीतर, उसके मरने की रिपोर्ट निकटतम [1][निगम] स्वास्थ्य विभाग को करेगा ।

(3) [2][निगम] अभिकरण (agency) द्वारा हटाये गये प्रत्येक शव को––चाहे वह किसी निजी भू–गृहादि से हटाया जाय या किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान से–– हटाने के निमित्त पशु के स्वामी को अथवा यदि स्वामी अज्ञात हो तो उस भू–गृहादि के अध्यासी को, जिसमें अथवा जिस पर उक्त जानवर मरा हो, या उस व्यक्ति को जिसके अवधायन में उक्त पशु मरा हो, ऐसा शुल्क देना होगा जो [1][नगर आयुक्त] निर्दिष्ट करे।

स्वास्थ्य के लिये हानिकर खेती–बाड़ी, खाद के उपयोग अथवा सिंचाई का निषेध

397–यदि [2][चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के निदेशक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी] या नगर स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित करें कि किसी निर्दिष्ट रीति से फसलों की किसी प्रकार की खेतीबाड़ी अथवा किसी प्रकार के खाद का उपयोग या किसी भूमि की सिंचाई––

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) जो नगर की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती हो हानिकारक है या उससे ऐसी प्रक्रियायें उद्भूत होती हों जो पास–पड़ोस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है ; अथवा

(ख) जो उक्त नगर की सीमाओं के भीतर अथवा बाहर स्थित किसी स्थान में की जाती है, से ऐसे नगर के जल–सम्भरण (water-supply) के दूषित हो जाने अथवा अन्यथा पीने के प्रयोजनों के लिये जल के अनुपयुक्त (unfit) हो जाने की संभावना है ;

तो [1][नगर आयुक्त] सार्वजनिक नोटिस द्वारा उस फसल की खेती–बाड़ी, उक्त खादों का उपयोग अथवा सिंचाई के उक्त साधनों के प्रयोग जो हानिकारक कहे जाते हों, का प्रतिषेध कर सकता है, अथवा उनके संबंध में ऐसी शर्ते आरोपित कर सकता है जो उक्त हानि अथवा दूषण (contamination) को रोकें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसी भूमि पर जिसके सम्बन्ध में नोटिस जारी किया जा चुका हो, प्रतिषिद्ध कार्य प्रतिषेध के दिनांक से निरन्तर 5 वर्ष पूर्व तक साधारणतः खेती–बाड़ी के दौरान में किया जाता रहा हो तो उस भूमि मे स्वत्व रखने वाले सभी व्यक्तियों को जिन्हें उक्त प्रतिषेध द्वारा क्षति पहुंचेगी [2][निगम] निधि में से प्रतिकर दिया जायगा ।

हानिकर वनस्पतियों को साफ करने के लिये स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार

398–[1][नगर आयुक्त] नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को किसी ऐसी वनस्पति या झाड़ी को साफ करने या हटाने का आदेश दे सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर या पड़ोसियों के लिए कष्टदायक हो ।

सार्वजनिक स्नान, धुलाई आदि का विनियमन

सार्वजनिक स्नान आदि के स्थान [1][नगर आयुक्त] द्वारा निश्चित किये जायगें और ऐसे स्थानों के उपयोग का विनियमन

399–(1) [1][नगर आयुक्त] सार्वजनिक नोटिस द्वारा समय–समय पर,–

(क) जनता के लिए स्नान करने, पशुओं को धोने अथवा कपड़े धोने या सुखाने के प्रयोजनार्थ किसी नदी के भागों के या अन्य उपयुक्त स्थानों को, जो [2][निगम] में निहित हों अलग कर देगा ;

(ख) ऐसे समय निर्दिष्ट करेगा जब उन स्थानों का उपयोग किया जायेगा और यह भी निर्दिष्ट करेगा कि वे स्थान स्त्रियों द्वारा उपयोग में लाये जायेंगे अथवा पुरूषों द्वारा ;

(ग) जनता द्वारा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए किसी भी ऐसे स्थान का उपयोग प्रतिषिद्ध करेगा जो उन प्रयोजनों के लिए अलग न कर दिया गया हो ;

(घ) उपर्युक्त किसी भी प्रयोजन के लिए जनता द्वारा नदी के किसी भी भाग के अथवा ऐसे स्थान के जो [2][निगम] में निहित न हो उपयोग का प्रतिषेध करेगा ;

(ङ) नदी के किसी भाग अथवा किसी अन्य स्थान का, जो [2][निगम] में निहित हो तथा [1][नगर आयुक्त] द्वारा पूर्वोक्त किन्हीं प्रयोजनों के लिये अलग कर दिया गया हो जनता द्वारा उपयोग विनियमित करेगा ; और

(च) जनता द्वारा उपर्युक्त किसी भी प्रयोजन के लिये नदी के किसी भाग या अन्य किसी स्थान को, जो [2][निगम] में निहित न हो, तथा किसी निर्माण–कार्य और

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किसी निर्माण–कार्य के जल को जो इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट (assigned) तथा अलग कर दिया गया हो (set apart) प्रयोग विनियमित कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अलग किये गये किसी स्थान के किसी निर्दिष्ट (specified) वर्ग अथवा वर्गो के व्यक्तियों द्वारा या सामान्य जनता द्वारा प्रयोग के लिए [1][नगर आयुक्त] ऐसा शुल्क ले सकता है जिसे कार्यकारिणी समिति निश्चित करे।

आज्ञा के विपरीत स्नान करने का प्रतिषेध

400–सिवाय जैसा कि [1][नगर आयुक्त] द्वारा दी गयी किसी आज्ञा में अनुमति हो, कोई भी व्यक्ति––

(क) किसी झील, तालाब, जलाशय, फौव्वारे, जलकुण्ड, प्रणाली, बम्बे, सोते या कुएं या नदी के किसी भाग में अथवा [2][निगम] में निहित किसी अन्य स्थल में न नहायेगा;

(ख) किसी तालाब, जलाशय, सोते, कुएं अथवा खाई में कोई ऐसा पशु, वनस्पति (vegetables) या खनिज–पदार्थ (mineral matter) न डालेगा जिससे उसका जल दूषित अथवा स्वास्थ्य के लिए भयप्रद (dangerous) हो जाय ;

(ग) किसी संक्रामक, संसर्गजन्य अथवा घृणित रोग से ग्रस्त अवस्था में किसी स्नान के प्लेटफार्म, झील, तालाब, जलाशय, फौव्वारे, जलकुण्ड, प्रणाली, बम्बे, सोते या कुयें पर, उसमें या उसके पास नहीं नहायेगा ;

(घ) उक्त किसी स्थान या निर्माण कार्य में या उसके पास कोई पशु, वस्त्र या अन्य वस्तुएं न धोयेगा और न धुलवायेगा ;

(ङ) उक्त किसी स्थान या निर्माण–कार्य के जल में किसी पशु या वस्तु को न फेंकेगा, न वहां रखेगा और न प्रविष्ट होने देगा ;

(च) उक्त किसी स्थान या निर्माण–कार्य में या पर, न कोई वस्तु प्रवाहित करायेगा, न कराने देगा, और न उसमें, या उन पर कार्य करायेगा, न कराने देगा, जिससे किसी भी अंश में जल गन्दा या दूषित हो जाय ;

(छ) उक्त किसी स्थान में, या पर, कपड़ें नहीं सुखायेगा ;

(ज) [1][नगर आयुक्त] द्वारा धारा 399 के अधीन दी गयी किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हुये नदी के किसी भाग को, अथवा किसी स्थान को, जो [2][निगम] में निहित न हो, उक्त धारा में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लायेगा;

(झ) [1][नगर आयुक्त] द्वारा धारा 399 के अधीन पूर्वोक्त किसी प्रयोजन के लिए नदी के उक्त किसी भाग अथवा स्थान के प्रयोग के सम्बन्ध में दिये गये किसी नोटिस के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करेगा ।

फैक्ट्रियों, व्यापारों इत्यादि का विनियमन

बिना [1][नगर आयुक्त] की अनुज्ञा के नई फैक्ट्री इत्यादि स्थापित न की जायेगी

401–[1][नगर आयुक्त] की पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति कोई फैक्ट्री, कारखाना या कार्य–स्थान जिसमें भाप, पानी, बिजली या किसी अन्य यंत्रचालित शक्ति का प्रयोग अभिप्रेत हो या नानबाई की दूकान––

(1) किसी भू–गृहादि में नये सिरे से स्थापित न करेगा ;

(2) एक स्थान से दूसरे स्थान को न हटायेगा ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) तीन साल से अन्यून किसी अवधि तक बन्द रखने के पश्चात् न फिर से खोलेगा और न उसका नवीकरण करेगा ; या

(4) का क्षेत्र या उनकी सीमाओं को न बढ़ायेगा न विस्तृत करेगा ;

और न कोई व्यक्ति ऐसी किसी फैक्ट्री, कारखाने, कार्यस्थान या नानबाई की दूकान को बिना उक्त अनुज्ञा के चलायेगा या चलाने देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बन्द रहने की अवधि में उस स्थान से, जहां आरम्भ में कोई फैक्ट्री, कारखाना, कार्यस्थान अथवा नानबाई की दूकान स्थापित की गयी थी, मशीनें आदि न हटायी गई हों तो खंड (3) के प्रयोजनों के निमित्त ऐसी किसी अनुज्ञा की आवश्यकता न होगी ।

रासायनिक द्रव्यों आदि द्वारा जल के गन्दे या दूषित किये जाने का प्रतिषेध

402–धारा 438 या नियमावली में निर्दिष्ट किसी व्यापार या उत्पादन (manufacture) में संलग्न कोई व्यक्ति ––

(क) [2][निगम] की किसी झील, तालाब, जलाशय, जलकुण्ड, कुआं, प्रणाली या अन्य जल–स्थान के या उनसे संचरित (communicating) किसी नाली या पाइप में जानबूझ कर उपर्युक्त व्यापार या उत्पादन के दौरान में उद्भूत (produced) किसी धोवन (washing) या अन्य पदार्थ को न तो प्रवाहित करवायेगा और न ऐसा करने देगा ;

(ख) उपर्युक्त व्यापार या उत्पादन से संबद्ध कोई ऐसा कार्य जानबूझ कर न करेगा जिससे उक्त झील, तालाब, जलाशय, जलकुण्ड, कुंआ या प्रणाली या अन्य जलस्थान का जल खराब, दूषित या गन्दा हो जाय ।

निजी जल प्रणाली इत्यादि की सफाई करने या उसे बन्द कर देने की आज्ञा देने का अधिकार

403–(1) [1][नगर आयुक्त] किसी निजी जल–प्रणाली (water course), सोतों (spring), तालाब, कुयें या अन्य स्थान के जिसका पीन पीने के काम में लाया जाता हो, स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह उसे मरम्मत करवा कर अच्छी हालत में रखे और समय–समय पर उसमें से तलछट, कूड़ा–करकट या सड़ी गली (decaying) वनस्पति हटा कर उसकी सफाई करे तथा उसे दूषित होने से इस रीति से बचाये जिसे [2][निगम] उचित समझे ।

(2) जब किसी ऐसी जल–प्रणाली, सोतों, तालाब, कुएं या अन्य स्थान का जल [1][नगर आयुक्त] के सन्तोषानुसार पीने के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हो गया हो तो वह उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह उस पानी का प्रयोग न करे और न दूसरों को उसका प्रयोग करने दे और यदि ऐसे नोटिस के पश्चात् कोई व्यक्ति उस पानी को पीने के काम में लाये तो [1][नगर आयुक्त] उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नोटिस द्वारा उस कुंए को स्थायी या अस्थायी रूप में बन्द करने की या ऐसी जल–प्रणाली, सोते, तालाब, कुएं या अन्य स्थान को ऐसी रीति से घेर देने या उसके चारों ओर बाड़ बना देने (fence) की आज्ञा दे सकता है जिसे वह आदिष्ट करे ताकि उसका पानी इस प्रकार प्रयुक्त न हो सके ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

फैक्ट्रियों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक समागम के स्थानों के निमित्त शौचालय

404–[1][नगर आयुक्त] ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने बीस से अधिक श्रमिक या मजदूर नियोजित किये हों, या जो किसी बाजार, स्कूल या प्रेक्षागृह या अन्य सार्वजनिक समागम स्थान का स्वामी हो, उसका प्रबन्ध करता हो या उस पर नियंत्रण रखता हो, नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह इतने शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करे जिन्हे वह उचित समझे, उन्हें ठीक ढंग से बनाये रखे और प्रतिदिन उनकी सफाई करायें ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इंडियन फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1911 द्वारा विनियमित फैक्ट्री पर इस धारा की कोई भी बात लागू न होगी ।

तालाब इत्यादि से होने वाले अपदूषणों को हटाने का आदेश देने का अधिकार

405–[1][नगर आयुक्त] किसी भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी को नोटिस द्वारा यह आदेश दे सकता है कि वह किसी निजी कुंए, तालाब या जलाशय, पोखरे (pools), गड्ढे या उतवात (excavation) को जो [1][नगर आयुक्त] को स्वास्थ्य के निमित्त हानिप्रद या पास–पड़ोस वालों के लिए दोषकर प्रतीत हो, साफ कराये, उसकी मरम्मत कराये और उसे आच्छादित करायें (cover), भरवायें या उसकी जल निकाली की व्यवस्था करे (drain off) :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त स्वामी या अध्यासी इस धारा के अधीन आदेशित जल–निकासी को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ [2] [निगम] के व्यय से ऐसी जल–निकासी के लिए आवश्यक कोई भूमि अथवा भूम्याधिकार अर्जित कराने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की [1][नगर आयुक्त] से अपेक्षा कर सकता है ।

भयानक रोंगो का निवारण और उनकी रोकथाम

भयानक रोगों के सम्बन्ध में [1][नगर आयुक्त] और स्वास्थ्य चिकित्सा धिकारी इत्यादि के अधिकार

406–यदि किसी भयानक रोग से पीड़ित या ग्रस्त कोई व्यक्ति,––

(क) किसी वाहन या सार्वजनिक स्थान पर लेटा हुआ पाया जाय ; या

(ख) बिना किसी उपयुक्त निवास या स्थान (lodging or accommodation) के हों ; या

(ग) किसी ऐसे कमरे या मकान मे रहता हो जिसका न वह स्वामी हो और न जिसके अध्यासन का अन्य रूप से ही उसे अधिकार हो ; या

(घ) ऐसे कमरे में या कक्षों के समूह में रहता हो जो एक से अधिक परिवार के अध्यासन में हो और उनमें से कोई भी अध्यासी उसके रहने पर आपत्ति करे ;

तो [1][नगर आयुक्त] चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से, जो असिस्टेंट सर्जन से न्यून न हो उस रोगी को अस्पताल में या ऐसे अन्य स्थान में भिजवा सकता है, जहां ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति चिकित्सा के लिये प्रविष्ट किये जाते हों तथा उसको इस प्रकार हटाने के निमित्त कोई भी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है ।

भयानक रोग को फैलने से रोकने के निमित्त किसी

407–[1][नगर आयुक्त] किसी भी समय दिन में अथवा रात में बिना नोटिस दिये या अपने निरीक्षण की इच्छा का ऐसा नोटिस देने के पश्चात् जो उसे यथास्थिति उचित जान पड़े ऐसे किसी स्थान का निरीक्षण कर सकता है जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता हो कि वहां कोई भयंकर रोग व्याप्त है अथवा जहां ऐसे रोग के विद्यमान होने की

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

आशंका हो, और ऐसे उपाय कर सकता है जिन्हें वह उक्त रोग को उस स्थान से बाहर फैलने से रोकने के लिए उचित समझे ।

भी स्थान का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है

भयानक रोगों की सूचना दी जायगी

408–प्रत्येक व्यक्ति––

(क) जो चिकित्सक (medical practitioner) हो तथा जिसे चिकित्सा के दौरान में यह ज्ञात हो कि नगर के सार्वजनिक अस्पताल से भिन्न किसी निवास–स्थान में कोई भयानक रोग विद्यमान है ; या

(ख) जो उस निवास–स्थान का स्वामी या अध्यासी हो जिसे यह पता चले कि वहां कोई भंयकर रोग विद्यमान है, ऐसे चिकित्सक के चूक करने पर (in default of) ;

(ग) जो ऐसे निवास–स्थान में उक्त भयानक रोग से ग्रस्त व्यक्ति का अवधायक हो या उसकी परिचर्या करता हो और जिसे यह पता हो कि वहां भयानक रोग विद्यमान है, उक्त स्वामी या अध्यासी के चूक करने पर ;

ऐसे किसी पदाधिकारी को जिसे [1][नगर आयुक्त] इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उक्त रोग के सम्बन्ध में सूचना देगा ।

वास–गृहों अथवा भोजनालयों का बन्द किया जाना

409–यदि [1][नगर आयुक्त] का समाधान हो जाय कि कोई भी निवास–गृह या अन्य स्थान, जहां भोज्य और पेय पदार्थ बेचे या तैयार किये या बिक्री के लिए संग्रहीत या प्रदर्शित किये जाते है ऐसा निवास–गृह या स्थान है जहां भयानक रोग फैला है, या जहां हाल ही में फैल चुका है, और उस स्थान का बन्द किया जाना सार्वजनिक हित में होगा तो वह लिखित नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि उक्त स्थान आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बन्द कर दिया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नगर स्वास्थ्य अधिकारी यह प्रमाणित कर दे कि उक्त निवास–गृह अथवा स्थान विसंक्रमित (disinfected) कर दिया गया है या संक्रमण (infection) से मुक्त है तो उस स्थान के खोले जाने की घोषणा की जा सकती है ।

भयानक रोगादि से ग्रस्त व्यक्ति कुछ प्रकार के कार्य न कर सकेंगे

410–कोई भी व्यक्ति जब तक वह किसी भयानक रोग या घृणित दुर्व्यवस्था (loathsome disorder) से ग्रस्त है, तब तक––

(क) मानव उपयोग के लिए कोई भोज्य या पेय पदार्थ अथवा औषधि या भेषज बिक्री के लिए न तैयार करेगा और न प्रस्तुत करेगा ; या

(ख) यदि उक्त कोई पदार्थ, औषधि या भेषज दूसरे व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिए खुला रखा गया (exposed) हो तो उसे जानबूझ कर न छायेगा ; या

(ग) गन्दे कपड़े धोने या उन्हें लाद कर ले जाने के किसी कारोबार में भाग न लेगा ।

किसी भयानक रोग के फैलने पर [1][नगर आयुक्त]

411–(1) यदि किसी समय नगर में कोई भयानक रोग फैल या उसके फैलने की आशंका हो या यदि नगर में कोई संसर्गजन्य (infectious) रोग फैले अथवा उसके फैलने की आशंका हो तो [1][नगर आयुक्त] यदि वह यह समझता है कि इस अधिनियम के या तदन्तर्गत बने नियमों के या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के सामान्य उपबन्ध

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त नहीं है तो वह राज्य सरकार की स्वीकृति से—— **विशेष उपाय कर सकता है**

(क) ऐसे विशेष उपाय कर सकता है ; तथा

(ख) सार्वजनिक नोटिस देकर जनता द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विशेष वर्ग द्वारा अनुपालनार्थ ऐसी अस्थायी आज्ञाएं विहित कर सकता है जो तत्सम्बन्धी किसी नियमावली में निर्दिष्ट हों, तथा जिन्हें वह ऐसे रोग के आविर्भाव या प्रसार को रोकने के लिये आवश्यक समझे ।

(2) [1][नगर आयुक्त] तुरन्त ही उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा किये गये किन्हीं उपायों तथा दी गयी किन्हीं आज्ञाओं का प्रतिवेदन [2][निगम] को देगा ।

मृतकों का निस्तारण

मृतकों के निस्तारण के स्थानों का पंजीयन किया जायेगा

412–(1) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान का स्वामी है या ऐसा स्थान उसके नियंत्रण में है जो पहले से ही मृतकों के दफनाने, अग्निदाह या किसी अन्य विधि से निस्तारित करने के लिए प्रयुक्त होता रहा हो, तो वह निगत दिन से 6 महीने के भीतर [1][नगर आयुक्त] के पास उसकी रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना–पत्र देगा और [1][नगर आयुक्त] उसकी रजिस्ट्री करायेगा। ।

(2) ऐसे प्रार्थना–पत्रों के साथ एक नक्शा (plan) भी होगा जिस पर अनुज्ञप्त भूमापक के इस बात के उपलब्ध में हस्ताक्षर होंगे कि वह उसके द्वारा अथवा उसके निर्देशन में तैयार किया गया है तथा उसमें पंजीकृत होने वाला स्थान, उसकी स्थिति, उसकी आयति (extent) और चौहदी (boundaries) दिखायी जायेंगी । प्रार्थना–पत्र में स्वत्वधारी (interested), स्वामी या व्यक्ति या जाति का नाम तथा प्रबन्ध की पद्धती तथा अन्य ऐसे ब्यौरे भी होंगे, जिनकी [1][नगर आयुक्त] अपेक्षा करे ।

(3) ऐसे प्रार्थना–पत्र और नक्शे की प्राप्ति कर [1][नगर आयुक्त] उस स्थान को एक रजिस्टर में, जो इसी प्रयोजन के निमित्त रखा जायगा पंजीकृत करेगा ।

(4) [1][नगर आयुक्त] पंजीयन के समय [2][निगम] के कार्यालय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट नक्शा जमा करवा लेगा ।

(5) यदि उस नक्शे से या उसके ब्योरे से [1][नगर आयुक्त] का समाधान न हुआ हो तो वह पंजीयन करने से इन्कार कर सकता है या उसे ऐसे समय तक के लिये स्थगित कर सकता है जब तक कि उसकी आपत्तियां दूर न कर दी जायं ।

(6) मृतकों के दफनाने, अग्निदाह या अन्य किसी रीति से निस्तारित करने का प्रत्येक ऐसा स्थान, जो [2][निगम] में निहित हों, उपधारा (3) के अधीन रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत किया जायगा तथा उस स्थान की स्थिति, आयति एवं सीमाओं का नक्शा, जिस पर [1][नगर आयुक्त] के हस्ताक्षर होंगे, [2][निगम] कार्यालय में जमा कर दिया जायगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

413–ऐसा कोई स्थान जो विधितः मृतकों के निस्तारणार्थ पहले कभी भी प्रयुक्त न हुआ हो और न इस प्रकार पंजीकृत हुआ हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये, बिना [1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुज्ञा के, जो [2][निगम] के अनुमोदन से ऐसी अनुज्ञा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है, न खोला जायगा ।

[1][नगर आयुक्त] की अनुज्ञा के बिना मृतकों की निस्तारित करने के नये स्थान न खोले जायेंगे

414–(1) यदि किसी भी समय मृतकों के निस्तारणार्थ विद्यमान कोई स्थान अपर्याप्त प्रतीत हो या धारा 415 के उपबन्धों के अधीन कोई स्थान बन्द कर दिया गया हो तो [1][नगर आयुक्त] [2][निगम] की स्वीकृति से नगर के भीतर अथवा बाहर उन प्रयोजनों के लिये अन्य उपयुक्त और सुविधाजनक स्थानों की व्यवस्था कर सकता है तथा उन्हें धारा 412 के अधीन रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत करेगा और ऐसे प्रत्येक स्थान के, जिसकी उक्त प्रकार से व्यवस्था की गई हो, पंजीयन के समय उसका एक नक्शा जिसमें उसकी स्थिति, आयति तथा सीमायें दिखाई गयी होंगी, [2][निगम] के कार्यालय में जमा करेगा ।

मृतकों के निस्तारणार्थ नये स्थानों की व्यवस्था

(2) इस अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के समस्त उपबन्ध ऐसे स्थान के सम्बन्ध में, जिसकी उपधारा (1) के अधीन व्यवस्था की गयी हो तथा जो नगर के बाहर स्थित हो, किन्तु [2][निगम] में निहित हो उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह स्थान नगर के भीतर स्थित हो ।

415–(1) यदि व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात् कभी भी [1][नगर आयुक्त] का यह मत हो कि––

मतकों को दफनाने के स्थान का बन्द किया जाना

(क) सार्वजनिक उपासना का कोई स्थान अपने धरातल के नीचें या दीवालों के भीतर तहखानों (vaults) और कब्रों की दशा के कारण, या पास–पड़ोस में कोई कब्रिस्तान या दफनाने के स्थान के कारण जन–स्वास्थ्य के लिये हानिकर हो गया है अथवा उसके हानिकर हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) मृतकों के निस्तारण के लिये अन्य कोई स्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये हानिकर हो गया है या उसके हानिकर हो जाने की सम्भावना है ; तो वह अपना इस आशय का निश्चित मत तथा उसके कारण [2][निगम] के समक्ष रखेगा और [2][निगम] उसे और उसके सम्बन्ध में स्वयं अपना मत राज्य सरकार के पास विचारार्थ अग्रसारित करेगी ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित मत प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त जांच के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, सरकारी गजट में तथा ऐसे पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के जिसे वह आवश्यक समझे, यह आदेश दे सकती है कि सार्वजनिक उपासना का उक्त स्थान या अन्य स्थान भविष्य में मृतकों के निस्तारणार्थ प्रयुक्त नहीं किया जायगा ।

(3) उक्त किसी विज्ञप्ति के दिनांक से तीन महीने की समाप्ति पर वह स्थान जिससे वह विज्ञप्ति सम्बद्ध हो, मृतकों के निस्तारणार्थ प्रयुक्त न किया जायेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) मृतकों के दफनाने के लिए अलग किया गया (set apart) निजी स्थान ऐसे निर्बन्धनों के अधीन, जिन्हें [1][नगर आयुक्त] एतदर्थ आरोपित करे, उक्त किसी आदेश से मुक्त किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे स्थान की सीमायें पर्याप्त रूप से पारिभाषित हों तथा वह स्थान केवल अपने स्वामियों के परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए ही प्रयुक्त किया जाय ।

मृतकों के दफनाने के स्थान का फिर से चालू किया जाना

416–(1) यदि व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात् [1][नगर आयुक्त] का यह मत हो कि ऐसा कोई भी स्थान जो धारा 415 के उपबन्धों के अधीन बन्द कर दिया गया हो, समय बीतने (lapse of time) के कारण अब स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं रह गया है तथा अब वह बिना किसी जोखिम (risk) अथवा भय के उक्त प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो वह सकारण अपना मत [2][निगम] के पास प्रसतुत करेगा और [2][निगम] अपने मत सहित उसे राज्य सरकार के पास विचारार्थ अग्रसारित करेगी ।

(2) ऐसे मत की प्राप्ति पर राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के आदेश दे सकती है कि उक्त स्थान मृतकों के निस्तारणार्थ पुनः चालू कर दिया जाय ।

[1][नगर आयुक्त] की अनुज्ञा के बिना मुर्दे खोदे न जायेंगे तथा उपासना के स्थानों के भीतर दफनाएं न जायेंगे

417–(1) कोई भी व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन [1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुज्ञा के बिना––

[3][(क) किसी उपासना स्थान की किसी दीवाल के भीतर या किसी ऐसे स्थान के किसी उपमार्ग , ड्योढ़ी , ओसरा , कुर्सी या बरामदे के नीचे कोई तहखाना या कब्र या मजार न बनायेगा ;]

(ख) किसी ऐसे स्थान में, जो धारा 415 के अधीन मृतकों के लिए बन्द कर दिया गया हो, कोई मजार न बनायेगा अथवा किसी अन्य रीति से कोई शव निस्तारित न करेगा;

(ग) किसी ऐसे स्थान में, जो धारा 412 के अधीन एतदर्थ रखे गये रजिस्टर में पंजीकृत न हो, कोई कब्र या तहखाना न निर्मित करेगा, न खोदेगा, न निर्मित करवायेगा, न खुदवायेगा, अथवा किसी भी रीति से किसी शव को न तो निस्तारित करेगा और न निस्तारित होने देगा ;

(घ) सिवाय कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 176 के या तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि के उपबन्धों के अधीन शवों के निस्तारण के किसी भी स्थान से शवों को नहीं खोदेगा ।

(2) [1][नगर आयुक्त] ऐसी सामान्य या विशेष आज्ञाओं के अधीन रहते हुए, जिन्हें सरकार एतदर्थ समय–समय पर दे, विशेष दशाओं में उपर्युक्त प्रयोजनों में किसी के निमित्त अनुज्ञा दे सकता है ।

मृतकों के निस्तारण के संबंध में प्रतिषिद्ध कार्य

418–कोई भी व्यक्ति ––

(क) किसी शव को मृत्यु के इतनी देर बाद तक कि वह अपदूषण का कारण बन जाय बिना अग्निदाह किये हुये, गाड़ें हुये या अन्य किसी रीति से विधितः निस्तारित किये हुये किसी भू–गृहादि में रोक न रखेगा ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) किसी शव या शव के भाग को बिना अच्छी तरह से ढके हुए या संक्रमण (infection) का जोखिम अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य की हानि को रोकने के लिए बिना ऐसे पूर्वावधान (precautions) के, जिन की [1][नगर आयुक्त] सार्वजनिक नोटिस द्वारा समय–समय पर अपेक्षा करना उचित समझे, किसी भी मार्ग पर न ले जायेगा ;

(ग) सिवाय ऐसी दशा में जब दूसरा मार्ग (route) उपलब्ध न हो किसी भी शव या शव के भाग को उस मार्ग से न ले जायगा जिस पर शवों का ले जाना [1][नगर आयुक्त] ने एतदर्थ दिये गये किसी सार्वजनिक नोटिस द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया हो ;

(घ) किसी भी ऐसे शव अथवा ऐसे शव के भाग को, जिसे चीरफाड़ (dissection) के प्रयोजनार्थ रखा गया हो या प्रयुक्त किया गया हो, बिना किसी बन्द पात्र (receptacle) या वाहन (vehicle) में रखे हुए न हटायेगा ;

(ङ) किसी शव या शव के भाग को ले जाते समय उसे बिना किसी अत्यावश्यक प्रयोजन के किसी सड़क पर या उसके निकट न रखेगा और न छोड़ेगा ;

(च) किसी शव या शव के भाग को किसी कब्र या तहखाने में या अन्यत्र किसी ऐसी रीति से न तो दफनायेगा और न दफनाने देगा, जिससे कफन की ऊपरी सतह या, यदि कफन न प्रयुक्त किया गया हो तो, शव का भाग भूमि के धरातल से 6 फुट से कम की गहराई में रहें ;

(छ) किसी कब्रिस्तान में, किसी कब्र या तहखाने को किसी दूसरी कब्र या तहखाने के पार्श्व से 2 फुट से कम की दूरी पर न तो निर्मित करेगा, न खोदेगा और न निर्मित करवायेगा, न खुदवायेगा ;

(ज) किसी कब्रिस्तान में किसी पंक्ति में जो [1][नगर आयुक्त] की आज्ञा द्वारा अथवा उसके अधीन इस प्रयोजन के निमित्त अंकित (marked) न हो, कोई कब्र या तहखाना न निर्मित करेगा और न खोदेगा, और न निर्मित करवायेगा न खुदवायेगा ;

(झ) [1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी शव या शव के भाग का मजार (interment) बनाने के लिए किसी ऐसी कब्र या तहखाने को, जिसमें पहले से ही कोई शव रखा हो, दुबारा नहीं खोलेगा ;

(ञ) किसी शव या शव के भाग को किसी श्मशान (burning ground) में लाने या लिवा लाने के पश्चात् उसे उस स्थान पर लाने के छः घंटे के भीतर उसका अग्निदाह करने या कराने में न चूकेगा ;

(ट) किसी शव या शव के भाग को जलाते या जलवाते समय उस को या उसके किसी अंश को श्मशान अथवा उसके निकट बिना पूर्णतः भस्मीभूत हुए न रहने देगा अथवा ऐसे शव या शव के अंश के ले जाने अथवा अग्निदाह के लिये प्रयुक्त किसी वस्त्र या अन्य वस्तु को न तो वहां से हटाने देगा और न बिना पूर्णरूप से भस्मीभूत हुए वहां रहने देगा ।

राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को

419–राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके उस आज्ञा में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र पर, जो नगर की सीमाओं के बाहर दो मील से अधिक दूरी पर न हो, इस अध्याय की किसी धारा तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबन्ध, ऐसे अनुकूलनों

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(adaptations) के अधीन रहते हुए––चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में किये जायं––जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक और इष्टकर समझे, प्रवृत्त कर सकती है और तदुपरान्त इस प्रकार प्रवृत्त उपबन्ध और नियम उस क्षेत्र में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानों वह क्षेत्र नगर के भीतर हो ।

नगर की सीमाओं के बाहर लागू कर सकती है

नियम बनाने का अधिकार

420–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(i) धूल इत्यादि को जमा करने, और एकत्र करने के लिये स्वामियों और अध्यासियों का उत्तरदायित्व ;

(ii) उन क्षेत्रों के, जो धारा 388 के अन्तर्गत न आते हों, अघ्यासियों के ऐसे मल–मूत्र तथा दूषित वस्तुयें, जो उनके भू–गृहादि में जमा हो जाया करती हों, ऐसे पात्रों (receptacles) आदि में जिनकी व्यवस्था धारा 385 के अधीन की गई हों एकत्र करने तथा हटाने का उत्तरदायित्व ;

(iii) भू–गृहादि पर बहुत अधिक मात्रा में एकत्र हो जाने वाले कूड़े–करकट और गन्दगी को हटाना ;

(iv) (क) भू–गृहादि पर भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्री एकत्र करने ;

(ख) भू–गृहादि की दोषपूर्ण (defective) छतों या अन्य अस्वास्थ्यकर वस्तुओं ;

(ग) निवास स्थानों (dwellings) में पाकशाला के धुयें तथा अन्य धुयें और धूल इत्यादि ;

(घ) पोखरे, दलदल, खाई, तालाब, कुएं, तड़ाग (pond), पत्थर की खानों के गड्ढे (quarry holes), नाली, जल–प्रणाली तथा किसी जल–संग्रह ;

(ङ) खतरनाक तालाब, कुयें, गड्ढे इत्यादि ;

(च) पत्थरों की खतरनाक खाने खोदे जाने, तथा

(छ) भू–गृहादि में दुर्गन्धयुक्त वस्तुएं एकत्र करने से उत्पन्न अपदूषणों को हटाना।

(v) अस्वास्थ्यकर निजी जल–प्रणालियों, सोतो, तालाबों, कुओं, इत्यादि का, जिनका जल पीने के काम में आता हो, साफ किया जाना ;

(vi) नगर में पशुओं के रखने और उनके बांधे जाने का विनियमन ;

(vii) इण्डियन ब्वायलर्स ऐक्ट, 1923 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए फैक्ट्रियों, कारखानों या कार्य–स्थानों इत्यादि का सफाई सम्बन्धी विनियमन तथा तत्सम्बन्धी सूचनायें देना ;

(viii) धोबियों द्वारा कपड़ा धोने का विनियमन तथा कपड़ा धोने के स्थानों की व्यवस्था ;

(ix) संक्रामक तथा संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त पशुओं के बारे में सूचनायें देना ;

(x) भयानक रोगों के प्रसार को रोकने के लिये घरों तथा सार्वजनिक और निजी स्थानों का विसंक्रमण (disinfection) ;

(xi) सीटियों, तुरहियों और लाउड–स्पीकरों तथा अन्य यन्त्र–चालित शोर मचाने वाले उपकरणों का प्रतिषेध और विनियमन ;

(ट) वृक्षों और झाड़ियों का हटाना, छांटना तथा काटना ।

अध्याय 16

बाजारों, वध–शालाओं, कतिपय व्यापारों और कार्यों आदि का विनियमन

किसे निजी बाजार और वधशाला समझा जायगा

421–इस अध्याय के प्रयोजनार्थ [1][निगम] बाजारों और वधशालाओं से भिन्न समस्त बाजारों और वधशालाओं को निजी बाजार और वधशालाओं समझा जायेगा।

बाजारों और वधशालाओं आदि के संबंध में [1][नगर आयुक्त] के अधिकार

422–इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [2][नगर आयुक्त] को निम्नलिखित का अधिकार होगा :––

[3][(क) निगम द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किये जाने पर उसे निगम की सीमाओं के भीतर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसकी सीमाओं के बाहर किसी निगम बाजार या पशु–स्थान की स्थापना के प्रयोजनार्थ कोई भवन या भूमि निर्मित करना, क्रय करना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अर्जित करना और किसी विद्यमान निगम बाजार का विस्तार या उसमें सुधार करना ;]

[3][(ख) समय–समय पर, ऐसे निगम बाजारों तथा पशु–स्थानों और ऐसी छोटी दुकानों, आश्रय स्थानों, बाड़ों तथा अन्य भवनों या सुख–सुविधा के स्थानों जो ऐसे निगम बाजारों, या पशु–स्थानों में व्यापार या व्यवसाय करने वाले या वहां पर प्रायः आने वाले व्यक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक समझे जायें, का निर्माण और अनुरक्षण करना ;]

(ग) ऐसे किसी [1][निगम]–बाजार में ऐसे भवनों, स्थानों, मशीनों, बांटों (weights), तराजुओं (scales) और मापों (measures) के, जिन्हें वह वहां बिकने वाली वस्तुओं की तौलने और मापने के प्रयोजनार्थ उचित समझे, के संधारण की व्यवस्था करना ;

(घ) [1][निगम] द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किये जाने पर, किसी [1][निगम] बाजार या वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान या उसके किसी भाग को बन्द करना और इस प्राकर बन्द किये गये किसी बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान या उसके भाग के लिए अध्यासित (copied) भू–गृहादि को [1][निगम] की सम्पत्ति के रूप में निस्तारित करना;

(ङ) [1][निगम] की पूर्व–स्वीकृति से समय–समय पर, सार्वजनिक नोटिस द्वारा किसी [1][निगम]–बाजार के पचास गज की दूरी के भीतर उक्त [1][निगम]–बाजार में साधारणतया बेची जाने वाली ऐसी वस्तुओं को जो नोटिस में निर्दिष्ट हों या उनमें से किसी वस्तु को बेंचने या बेंचने के लिए प्रदर्शित करने का प्रतिषेध करना और इसी प्रकार [1][निगम] की पूर्व स्वीकृति से ऐसे किसी नोटिस को किसी भी समय निरस्त या परिष्कृत करना ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 25, 2018 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(च) किसी निगम बाजार, पशु–स्थान में किसी छोटी दुकान, दुकान, खड़ा होने का स्थान, आश्रय–स्थान या बाड़ा या अन्य भवन के अध्यासन या प्रयोग के लिये, और किसी निगम बाजार में विक्रय के लिए वस्तुएं, प्रदर्शित करने और ऐसे किसी बाजार में विक्रय की जाने वाली वस्तुओं को तौलने और मापने के अधिकार के लिए, ऐसा भाड़ा किराया और शुल्क प्रभारित करना, जो कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, उस निमित्त समय–समय पर उसके द्वारा नियत किया जाये।]

(छ) कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से उपर्युक्त प्रकार से लगाये जाने वाले भाड़े (stallages), किराये और शुल्क या उसके किसी भाग को एक समय में किसी ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष से अधिक न हो, निर्धारित करना ;

[2][(ज) ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अधीन जिन्हें वह उपयुक्त समझे, किसी निगम बाजार, पशु–स्थान में, किसी छोटी दुकान, दुकान खड़ा होने का स्थान, आश्रय–स्थान या बाड़ा अथवा अन्य भवन के अध्यासन या उपयोग के विशेषाधिकार हेतु सार्वजनिक नीलामी करना या कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से निजी विक्रय द्वारा उसे निस्तारित करना ।]

निजी बाजारों तथा निजी वधशालाओं का खोला जाना

423–(1) [3][निगम] समय–समय पर यह निर्धारित करेगी कि नगर में अथवा नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में नये निजी बाजारों की स्थापना की अथवा निजी वधशालाओं की स्थापना या उनके संधारण की अनुज्ञा दी जाय या नहीं ।

(2) बिना [4][नगर आयुक्त] की स्वीकृति के और उससे अनुज्ञप्ति (licence) प्राप्त किये हुए, जो ऐसी स्वीकृति तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में उपधारा (1) के अधीन [3][निगम] के तत्सामयिक निर्णयों द्वारा निर्देशित (guided) होगा, कोई भी व्यक्ति मानव भोजन के लिए अभिप्रेत पशुओं या मानव भोजन की कोई वस्तु या पशुधन, या पशुधन के निमित्त खाद्य सामग्रियों की बिक्री के लिए न तो किसी निजी बाजार की स्थापना करेगा और न किसी निजी वधशाला की स्थापना या उसका संधारण करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [4][नगर आयुक्त] नियत दिन पर पहले से ही विधितः स्थापित किसी निजी बाजार या वधशाला को चलाने की स्वीकृति देने या उसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने से, इनकार न करेगा, यदि ऐसी स्वीकृति तथा अनुज्ञप्ति के लिये नियत दिनांक से दो महीने के भीतर आवेदन–पत्र दिया गया हो, सिवाय इस आधार पर कि उस स्थान में जहां बाजार या वधशाला की स्थापना की गई है, इस अधिनियम की या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि की अपेक्षाओं (requirements) का पालन नहीं होता है ।

(3) जब इस प्रकार किसी निजी बाजार या वधशाला की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई हो, तो [4][नगर आयुक्त] ऐसी स्वीकृति का नोटिस हिन्दी या किसी ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में, जिन्हें [3][निगम] समय–समय पर निर्दिष्ट करे, उस भवन या स्थान पर या उसके निकट, जहां ऐसा व्यापार लगाया जाना है, किसी प्रमुख स्थल पर लगवा देगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 25, 2018 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 25, 2018 की धारा 3(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

स्पष्टीकरण——उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे स्थान के स्वामी या अध्यासी के बारे में जहां किसी निजी बाजार या वधशाला की स्थापनाप की गई हो, यह समझा जायगा कि उसने ही ऐसे बाजार की स्थापना की है ।

(4) [1][नगर आयुक्त] किसी कारण से किसी निजी बाजार को खुला रखने के सम्बन्ध में किसी अनुज्ञप्ति को निरस्त या निलम्बित या उसके नवीकरण को अस्वीकार न करेगा सिवाय उस दशा के जब उसके स्वामी ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी विनियम अथवा किसी उपविधि का अनुपालन न किया हो ।

(5) [1][नगर आयुक्त] उस दशा में किसी अनुज्ञप्ति को निरस्त या निलम्बित कर सकता है जब निजी बाजार का कोई स्वामी, अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तो के अनुसार, किसी ऐसे भाड़े किराये, शुल्क या अन्य भुगतान की, जो किसी छोटी दुकान, दुकान, खड़े होने के स्थान, आश्रय स्थान, बाड़े या उसमें किसी अन्य स्थान के अध्यासन या प्रयोग के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से उसे या उसके अभिकर्ता को प्राप्त हुआ हो, लिखित रसीद न दे ।

(6) जब [1][नगर आयुक्त] ने निजी बाजार को खुला रखने के निमित्त किसी अनुज्ञप्ति की अस्वीकार, निरस्त या निलम्बित किया हो तो वह अपने द्वारा ऐसे किये जाने का नोटिस, ऐसी भाषा या भाषाओं में, जिसे [2][निगम] समय–समय पर निर्दिष्ट करे, उस भवन या स्थान के जहां पर ऐसा बाजार लगता हो, ऊपर या निकट किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा देगा ।

किसी [2][निगम] वधशाला, वधार्थ पशु–स्थान, बाजार या भू–गृहादि से जीवित ढोर, भेड़ बकरी या सुअरों हटाना

424–[1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुमति के बिना अथवा ऐसे शुल्क का भुगतान किये बिना, जो वह विहित करे, कोई व्यक्ति किसी [2][निगम], वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान से या किसी ऐसे [2][निगम] बाजार या भू–गृहादि से जो वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान के निमित्त या सम्बन्ध में प्रयोग में लाया जाता हो या प्रयोग में लाये जाने के लिए अभिप्रेत हो, कोई जीवित ढोर, भेड़, बकरी या सुअर न हटायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे पशु को हटाने के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता न होगी जो ऐसी वधशाला, वधार्थ, पशु–स्थान, बाजार या भू–गृहादि के भीतर न बेचा गया हो और जो [1][नगर आयुक्त] द्वारा एतदर्थ दी गई आज्ञा में विहित अवधि से अधिक अवधि तक ऐसी वधशाला, वधार्थ पशु–स्थान, बाजार या भू–गृहादि में न रहा हो या जिसे किन्हीं उपविधियों के अनुसार ऐसी वधशाला, बाजार या भू–गृहादि में वध के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो ।

नियमों, उपविधियों या विनियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को निष्कासित करने का अधिकार

425–(1) [1][नगर आयुक्त] किसी [2][निगम] बाजार, वधशाला वधार्थ पशु–स्थान से किसी ऐसे व्यक्ति को निष्कासित कर सकता है, जो स्वयं अथवा जिसका नौकर, ऐसे बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान में प्रचलित किसी नियम, उपविधि या विनियम का उल्लंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया हो और ऐसे व्यक्ति या उसके नौकरों को उस बाजार, वधशाला या वधार्थ पशु–स्थान में भविष्य में कोई व्यापार या व्यवसाय करने अथवा उसमें किसी छोटी दूकान, दूकान, खड़ा होने के स्थान, आश्रय स्थान, बाड़ा या अन्य स्थान को अध्यासित (occupy) करने से रोक सकता है, तथा किसी ऐसे पट्टे या भोगावधि (tenure) को समाप्त कर सकता है जो उस व्यक्ति, ऐसी

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

छोटी दूकान, दूकान, खड़े होने के स्थान, आश्रय स्थान, बाड़े या अन्य स्थान के सम्बन्ध में रखता हो ;

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी निजी बाजार के वधशाला का स्वामी या ऐसे बाजार या वधशाला या उसमें किसी छोटी दूकान (stall) का पट्टेदार या ऐसे स्वामी या पट्टेदार का कोई अभिकर्ता या नौकर, किसी नियम, उपविधि या विनियम का उल्लंघन करने के कारण अपराधी ठहराया गया हो, तो [1][नगर आयुक्त] ऐसे स्वामी, पट्टेदार, अभिकर्ता या नौकर को किसी ऐसे बाजार या वधशाला से ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में दिया हुआ हो चले जाने का आदेश दे सकता है और यदि वह उस आदेश का अनुपालन न करे तो वह किसी ऐसे दण्ड (penalty) के अतिरिक्त जो उस पर इस अधिनियम के अधीन आरोपित किया जाये ऐसे भू–गृहादि से तुरन्त (summarily) हटाया जा सकता है ;

(3) यदि [1][नगर आयुक्त] को यह प्रतीत हो कि किसी भी ऐसे मामले में स्वामी या पट्टेदार उपर्युक्त ऐसे दोषी ठहरायें नौकर या अभिकर्ता के साथर अभिसंधि (collusion) से कार्य कर रहा है, जो उपधारा (2) के अधीन आदेश का अनुपालन नहीं करता, तो [1][नगर आयुक्त], यदि वह उपर्युक्त समझे, ऐसे भू–गृहादि के सम्बन्ध में उस स्वामी या पट्टेदार की अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकता है ।

बिना अनुज्ञप्ति के [2][निगम] बाजारों में बिक्री का प्रतिषेध

426–(1) कोई व्यक्ति [1][नगर आयुक्त] से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी [2][निगम] बाजार में किसी पशु या वस्तु को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा ।

(2) किसी भी व्यक्ति को जो इस धारा का उल्लंघन करे, किसी [2][निगम] पदाधिकारी या नौकर द्वारा तुरन्त (summarily) हटाया जा सकता है ।

अनधिकृत निजी बाजारों में बिक्री का प्रतिषेध

427–यदि किसी व्यक्ति को यह मालूम हो कि कोई बाजार [1][नगर आयुक्त] की स्वीकृति के बिना स्थापित किया गया है या उसे खुला रखने की अनुज्ञप्ति [1][नगर आयुक्त] द्वारा अस्वीकृत, निरस्त या निलंबित हो जाने के पश्चात् भी उसे खुला रखा गया है तो वह उसमें किसी पशु या मानव भोजन की किसी वस्तु, या पशुधन (livestock) या पशुधन की भोजन सामग्री को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा ।

बाजारों से अन्यत्र पशुओं आदि की बिक्री का प्रतिषेध

428–[1][नगर आयुक्त] से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निम्नलिखित को न बेचेगा और न बेचने के लिए प्रदर्शित करेगा––

(क) [2][निगम] या निजी बाजार से भिन्न किसी स्थान में मानव भोजन के लिए अभिप्रेत कोई चौपाया, या किसी प्रकार का मांस या मछली ;

(ख) [2][निगम] बाजार या निजी बाजार या अनुज्ञप्त भोजनालय या मिठाई की दुकान से भिन्न किसी स्थान में बर्फ और शर्बत या सोडा वाटर, कुल्फी, गन्ने का रस, कुटा या छिला हुआ फल और सब्जी, किसी भी प्रकार के बिस्कुट, पेस्ट्री इत्यादि या मिठाइयां अथवा ऐसा अन्य पका हुआ (cooked) भोजन या मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत अन्य वस्तुएं जिन्हें समय–समय पर [1][नगर आयुक्त] सार्वजनिक नोटिस द्वारा निर्दिष्ट करे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

429– [1][X X X X]

430– [1][X X X X]

ऐसे पशुओं के संबंध में जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जाता हो जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार

431–जब कभी शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट को यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह विहित प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए सार्वजनिक नोटिस द्वारा, किसी नगर की सीमा के भीतर, बिक्री से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए पशुओं या किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशुओं के वध का प्रतिषेध या विनियमन कर सकता है तथा वह रीति जिससे और वह मार्ग जिसके द्वारा ऐसा पशु वधस्थान में लाये जायेंगे तथा वहां से मांस बाहर ले जाया जायगा, विहित कर सकता है ।

बिना अनुज्ञा नगर में पशु आदि के आयात का प्रतिषेध

432–(1) [2][नगर आयुक्त] की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति, मानव भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु, भेड़, बकरी या सुअर को या ऐसे किसी पशु के मांस को नगर में न लायेगा जिसका किसी ऐसी वधशाला में वध किया गया हो, जिसका संधारण इस अधिनियम के अधीन न किया जाता हो या जो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त न हो ।

(2) कोई पुलिस पदाधिकारी बिना वारेंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो उपधारा (1) का उल्लंघन करके नगर के भीतर किसी पशु या उसके मांस को ला रहा हो ।

(3) इस धारा का उल्लंघन करके नगर में लाये गये किसी पशु का [2][नगर आयुक्त] या [3][निगम] का कोई पदाधिकारी या नौकर या पुलिस का कोई पदाधिकारी, या रेलवे के भू–गृहादि के भीतर या उस पर, रेलवे का कोई सेवक (servant) अभिग्रहण (seize) कर सकता है और इस प्रकार अभिग्रहण किये गये किसी पशु या मांस को [2][नगर आयुक्त] के आदेशानुसार बेचा या अन्य प्रकार से निस्तारित किया जा सकता है और इस प्रकार प्राप्त धन (proceeds), यदि कोई हो, [3][निगम] का होगा ।

(4) इस धारा की कोई बात उपचारित (cured) या संरक्षित (preserved) मांस के सम्बन्ध में लागू न समझी जायगी ।

[2][नगर आयुक्त] किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल पशु–वध या मांस की बिक्री किये जाने का संदेह हो

433–(1) यदि [2][नगर आयुक्त] को यह विश्वास करने का कारण हो कि मानव भोजन के लिए अभिप्रेत किसी पशु का वध किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की सम्भावना है अथवा किसी ऐसे पशु का मांस किसी ऐसे स्थान में या ऐसी रीति से बेचा जा रहा है या बेचने के प्रयोजनार्थ प्रदर्शित किया जा रहा है जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथावत् प्राधिकृत नहीं है तो, [2][नगर आयुक्त] किसी भी समय, दिन को या रात को, बिना नोटिस दिये, इस सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि वहां इस अधिनियम या किसी उपविधि के किसी उपबन्ध का उल्लंधन तो नहीं किया जा रहा है उस स्थान में प्रवेश कर सकता है और ऐसे पशु या ऐसे पशु के शव या मांस का, जो वहां पाया जाये, अभिग्रहण कर सकता है ।

(2) [2][नगर आयुक्त] उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण किये गये किसी पशु या पशु के शव या किसी मांस को हटा सकता है और उसे नीलाम द्वारा बेच सकता या अन्य प्रकार से निस्तारित कर सकता है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 25, 2018 की धारा 4 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) यदि इस प्रकार अभिग्रहण किये जाने के एक महीने के भीतर पशु, पशु के शव या मांस का स्वामी, [1][नगर आयुक्त] के सामने उपस्थित होकर उसके संतोषानुसार अपने दावे को प्रमाणित न कर सके अथवा यदि ऐसा स्वामी ऐसे पशु या शव या मांस के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तो उपधारा (1) के अधीन किसी बिक्री से प्राप्त होने वाला धन [2][निगम] में निहित हो जायगा।

(4) किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसी क्षति के लिए, जो उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी प्रवेश के कारण या ऐसा प्रवेश करने के लिए आवश्यक किसी बल–प्रयोग के कारण अनिवार्यतः पहुंची हो, कोई प्रतिकर का दावा न किया जा सकेगा।

[1][नगर आयुक्त] मानव भोजनार्थ बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई वस्तुओं के निरीक्षण की व्यवस्था करेगा

434–[1][नगर आयुक्त] का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे पशुओं उनके शवों, गोश्त, मुर्गा–मुर्गियां, आखेट–पशु, मांस, मछली, फल, सब्जी, अनाज, रोटी, आटा, दुग्धशाला के पदार्थो या अन्य वस्तुओं की निरन्तर एवं सतर्क निरीक्षण की व्यवस्था करे, जो बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई हों या जिन्हें फेरी लगा कर बेचा जाता हो, या जो बिक्री के लिए तैयार करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान में जमा की गई या लायी गयी हों तथा जो मानव भोजन या औषधि के लिए अभिप्रेत हों । यह प्रमाणित करने का भार दोषारोपित (charged) पक्ष पर होगा कि उक्त वस्तुएं न प्रदर्शित की गई थीं, न फेरी लगा कर बेची गई थीं, न उन्हें उक्त प्रयोजनार्थ जमा किया या लाया गया था और न वे मानव भोजन या औषधि के लिए अभिप्रेत थीं ।

अस्वास्थ्यकर (unwholesome) वस्तुओं आदि का अभिग्रहण

435–(1) [1][नगर आयुक्त] सभी उचित समयों पर पूर्वोक्त किसी पशु या वस्तु का और उन्हें तैयार करने, बनाने या रखने के लिए प्रयोग में लायें जाने वाले बर्तन या भाड़े का निरीक्षण तथा परीक्षण कर सकता है ।

(2) यदि [1][नगर आयुक्त] को कोई ऐसा पशु या ऐसी कोई वस्तु मानव भोजन के लिए, यथास्थिति रोग–ग्रस्त (diseased) या विकृत (unsound) या अस्वास्थ्यकर (unwholesome) अथवा अनुपयुक्त प्रतीत हो या वह वैसी न हो जैसी कि बताई गई हो या यदि कोई बर्तन या भाड़ा इस प्रकार का या ऐसी दशा में हो कि उसमें तैयार की गई, बनाई गई या रखी गई वस्तुयें मानव भोजन के लिए अस्वास्थ्यकर या अनुपयुक्त हो जाये तो वह ऐसे पशु, वस्तु, बर्तन या भाड़े का अभिग्रहण कर सकता है और उसे उठा ले जा सकता है, जिससे उसके सम्बन्ध में आगे उपबन्धित ढंग से कार्यवाही की जा सके और वह ऐसे किसी पशु या वस्तु के अवधायक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसे निकटतम थाने में ले जा सकता है ।

धारा 435 के अधीन अभिग्रहण की गई खराब होने वाली वस्तुओं का निस्तारण

436–यदि किसी गोश्त, मछली, सब्जी या अन्य खराब होने योग्य वस्तु का धारा 435 के अधीन अभिग्रहण किया जाये, और वह [1][नगर आयुक्त] की राय में, यथास्थिति रोग–ग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकर या मानव भोजन के लिए अनुपयुक्त हो, तो [1][नगर आयुक्त] तुरन्त ही उसे उस रीति से नष्ट करवा देगा कि वह फिर बिक्री के लिए प्रदर्शित किये जाने अथवा मानव भोजन के लिए प्रयोग किये जाने के योग्य न रह जाये और उसका व्यय उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा, जिसके अध्यासन में वह वस्तु अभिग्रहण करने के समय थी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

हानिकर व्यापार का विनियमन

437–(1) यदि [1][नगर आयुक्त] के संतोषानुसार यह बताया जाये कि नगर की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या भूमि को कोई व्यक्ति किसी वस्तु के निर्माण, संग्रह (storage), व्यवहार (treatment), या निस्तारण के प्रयोजनार्थ, फैक्ट्री के रूप में या अन्य व्यापारिक स्थान के रूप में प्रयोग करता है या प्रयोग करना चाहता है और ऐसे प्रयोग के कारण अथवा अभिप्रेत प्रयोग के कारण कोई सार्वजनिक अपदूषण (public nuisance) पैदा होता हो या पैदा होने की संभावना हो, तो [1][नगर आयुक्त] विकल्प (option) का प्रयोग करके ऐसे भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी को सार्वजनिक नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि वह––

(क) उक्त भवन या भूमि का यथास्थिति पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग करने या प्रयोग किये जाने की अनुमति देने से रोके या मना करे ; या

(ख) उक्त भवन या स्थान को केवल ऐसे प्रयोजन के लिए, ऐसी दशाओं में या ढांचे सम्बन्धी ऐसे परिवर्तनों के पश्चात्, जिन्हें [2][निगम] आरोपित करे (imposes) या जो उक्त प्रयोजनार्थ उक्त भवन या स्थान के प्रयोग को आपत्ति मुक्त करने के उद्देश्य से नोटिस में विहित करें, प्रयोग करे या प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करे ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये नोटिस को प्राप्त करने के पश्चात् कोई व्यक्ति, ऐसे नोटिस का उल्लंघन करके, किसी भवन या स्थान का प्रयोग करे या करने की अनुमति दे तो अपराधी ठहरायें जाने पर, जुर्माना किया जायेगा, जो दो सौ रूपये तक हो सकता है और उसे इसके अतिरिक्त भी जुर्माना किया जा सकता है जो प्रथम बार अपराधी ठहराये जाने के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब वह उस स्थान या भवन का प्रयोग करता है या प्रयोग करने की अनुज्ञा देता है, चालीस रूपये तक हो सकता है ।

बिना अनुज्ञप्ति के कतिपय वस्तुयें न रखी जायेंगी और कतिपय व्यापार और कार्य सम्पादित नहीं किये जायेंगे

438–(1) सिवाय [1][नगर आयुक्त] द्वारा दी गयी अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसके निर्बन्धनों और शर्तो के अनुकूल कोई भी व्यक्ति––

(क) किसी भू–गृहादि में या उसके ऊपर, उपविधियों में निर्दिष्ट कोई वस्तु किसी परिमाण (quantity) में अथवा उपविधियों में उस वस्तु के लिए निर्दिष्ट ऐसे अधिकतम परिमाण से अधिक परिमाण में न रखेगा जो किसी एक समय में बिना अनुज्ञप्ति के उस भू–गृहादि में, या उसके ऊपर, रखा जा सकता हो ;

(ख) किसी ऐसे भवन में या उसके ऊपर जो निवास के लिए अभिप्रेत हो या प्रयोग में लाया जा रहा हो, अथवा ऐसे भवन के 15 फीट के भीतर, 4 हंडरवेट से अधिक परिमाण में कपास की दबी हुई गांठों में या बोरो में या खुली हुई रूई या कपास न रखेगा;

(ग) किसी भू–गृहादि में या उसके ऊपर निम्नलिखित किसी प्रयोजन के लिए घोड़ें, पशु या अन्य चौपाये न रखेगा और न रखने की अनुज्ञा देगा ––

(1) बिक्री के लिए,

(2) किराये पर देने के लिए,

(3) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए कोई शुल्क लिया जाता हो या कोई पारिश्रमिक मिलता हो, अथवा

(4) उसके किसी उत्पादन (produce) की बिक्री के लिए ।

(घ) किसी भू–गृहादि में, या उसके ऊपर, निम्नलिखित कोई कार्य न सम्पादित करेगा और न संपादित करने की अनुज्ञा देगा ––

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(1) उप–विधियों में निर्दिष्ट किसी व्यापार से संसक्त कोई व्यापार या कार्य ;

(2) कोई ऐसा व्यापार या कार्य, जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो, या जिससे उसके प्रकार के कारण, या ऐसी रीति या उन शर्तो के कारण, जिससे या जिनके अधीन उसे सम्पादित किया जाता हो या सम्पादित करने का विचार हो, कोई अपदूषण पैदा होने की सम्भावना हो ;

(ङ) नगर के भीतर अश्व–चिकित्सक (farrier) का व्यापार या कार्य न करेगा और न किसी भू–गृहादि का उक्त प्रयोजन के लिये प्रयोग करेगा ।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुच्छेद (2) के अर्थ में कोई भी व्यक्ति इस बात से अभिज्ञ समझा जायेगा कि अमुक व्यापार खतरनाक है या उससे अपदूषण पैदा होने की सम्भावना है यदि [1][नगर आयुक्त] द्वारा हस्तक्षार किया हुआ इस आशय का लिखित नोटिस उक्त व्यक्ति पर तामील कर दिया गया हो या उस भू–गृहादि पर चिपका दिया गया हो, जिससे उस नोटिस का सम्बन्ध हो ।

(3) उपधारा (1) के खंड (घ) के अर्थ में किसी व्यक्ति के सम्बन्ध मे यह समझा जायेगा कि वह कोई व्यापार या कार्य सम्पादित कर रहा है या उसने व्यापार या कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान की है, यदि वह ऐसे व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई कार्य करता है या वह प्रधान (principal), अभिकर्ता (agent), लिपिक (clerk), स्वामी, नौकर, श्रमिक, दस्तकार (handicraftsman) के रूप में या अन्य प्रकार से उसमें किसी तरह संलग्न है या उससे सम्बन्ध रखता है ।

(4) यदि उपधारा (1) के खंड (ग) या (घ) में वर्णित रीति से किसी भू–गृहादि का प्रयोग किया जा रहा हो तो जब तक कि उसके प्रतिकूल प्रमाणित न कर दिया जाय, यह उपधारणा की जायेगी (presumed) कि ऐसे भू–गृहादि के स्वामी या अध्यासी ने या दोनो ही ने उक्त प्रयोग की अनुमति दी है ।

(5) [1][नगर आयुक्त] के लिए यह वैध होगा कि :––

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अनुज्ञप्ति को ऐसे अतिरिक्त निर्बन्धनों या शर्तो के (यदि कोई हों) अधीन रखते हुए दे, जो मामले की परिस्थिति को देखते हुए उसे उपयुक्त जान पड़ें ।

(ख) किसी ऐसी अनुज्ञप्ति को रोक ले ।

(6) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन [1][नगर आयुक्त] द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई हो,ऐसी अनुज्ञप्ति को उस भू–गृहादि, यदि कोई हों, में या उसके ऊपर रखेगा, जिससे उसका सम्बन्ध हो ।

(7) [1][नगर आयुक्त] दिन अथवा रात में किसी भी समय ऐसे भू–गृहादि में प्रवेश कर सकता है अथवा उसका निरीक्षण कर सकता है, जिसके प्रयोग के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो ।

(8) उपधारा (6) और (7) की कोई बात रूई, जूट, ऊन या रेंशम की कताई या बुनाई की मिलों या ऐसी किसी अन्य बड़ी मिल या फैक्ट्री पर लागू न होगी जिसे [1][नगर आयुक्त] समय–समय पर कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से उक्त धारा के प्रवर्तन (operation) से विशेष रूप से मुक्त कर दे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(9) किसी व्यक्ति के विरूद्ध उस क्षति के लिए कोई प्रतिकर का दावा न किया जा सकेगा जो ऐसे प्रवेश के कारण अथवा ऐसा प्रवेश करने के सम्बन्ध में आवश्यक बल प्रयोग करने के कारण अनिवार्यतः पहुंची होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रवेश करने के लिए तब तक बल प्रयोग न किया जायगा, जब तक कि यह विश्वास करने का कारण न हो कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अथवा उसके अधीन बनाई गई किसी उप–विधि के विरूद्ध कोई अपराध किया जा रहा है ।

कसाइयों और ऐसे व्यक्तियों को जो पशुओं का मांस बेचते हों, अनुज्ञप्ति लेनी होगी

439–कोई व्यक्ति [1][नगर आयुक्त] द्वारा एतदर्थ दी गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के अनुकूल––

(क) नगर के भीतर या किसी [2][निगम] वधशाला में कसाई का व्यापार न करेगा,

(ख) नगर के भीतर किसी स्थान का प्रयोग मानव भोजन के लिये अभिप्रेत किसी पशु के मांस की बिक्री के लिए न करेगा और न नगर में उपभोग के प्रयोजनार्थ ऐसे मांस की बिक्री के लिए नगर के बाहर किसी स्थान का प्रयोग करेगा ।

दुग्धशाला जन्य पदार्थो का व्यापार करने के लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित होगी

440–कोई व्यक्ति [1][नगर आयुक्त] द्वारा एतदर्थ दी गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के अनुकूल––

(क) नगर के भीतर दुग्धशाला का व्यापार या कारबार न करेगा,

(ख) नगर के भीतर किसी स्थान का प्रयोग दुग्धशाला के रूप में या दुग्धशालाजन्य पदार्थो की बिक्री के लिए न करेगा ।

शर्तें, जिनके अधीन वास्तुशास्त्री, अभियंता, ढांचा निर्माता, भू–मापक या नल–मिस्त्री नगर के भीतर अपना–अपना व्यापार कर सकते है

441–(1) प्रत्येक वास्तुशास्त्री (architect), अभियंता, ढांचा निर्माता (structural designer), भू–मापक (surveyor) या नल–मिस्त्री (plumber), जो नगर में, अपना व्यवसाय करता हो, तदर्थ [1][नगर आयुक्त] से अनुज्ञप्ति लेगा ।

(2) अनुज्ञप्ति, उपविधियों द्वारा नियत की जाने वाली अवधि के लिए होगी, किन्तु विहित शुल्क अदा करने पर अतिरिक्त अवधियों (further terms) के लिये उतनी बार उसका नवीकरण किया जा सकेगा, जितनी बार आवश्यक हो ।

(3) धारा (1) के अधीन तब तक कोई अनुज्ञप्ति न दी जायेगी, जब तक कि उसके लिये आवेदन–पत्र देने वाले व्यक्ति में वे अर्हताएं न हों जो तदर्थ विहित की गई हों, और अनुज्ञप्ति के लिये कोई आवेदन–पत्र अस्वीकृत न किया जायेगा यदि प्रार्थी में उपर्युक्त अर्हताएं वर्तमान हों सिवाय उस दशा के जब इस बात की समुचित आशंका हो कि वह व्यक्ति अक्षम (incompetent) है या वह, यथास्थिति वास्तुशास्त्री, अभियंता, ढांचा निर्माता, भू–मापक अथवा नल–मिस्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में गम्भीर दुर्व्यवहार (gross misconduct) का दोषी पाया गया है ।

अनुज्ञप्ति नल–मिस्त्री उचित रूप में कार्य सम्पादित करने के लिये बाध्य होंगे

442–कोई अनुज्ञप्त नल–मिस्त्री इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य को असावधानी या उपेक्षा से सम्पादित न करेगा या ऐसे कार्य के प्रयोजन के लिये खराब सामग्री, उपकरण या संधायन (fittings) का प्रयोग न करेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

443–कार्यकारिणी समिति वह शुल्क या व्यय निश्चित करेंगी जो इस अधिनियम के अधीन, किसी या सभी प्रयोजनों के लिये अनुज्ञप्त नल–मिस्त्रियों को उनके द्वारा किये गये कार्यो के लिये दी जायेगी और कोई अनुज्ञप्त नल–मिस्त्री ऐसे कार्य के लिये निश्चित शुल्क या व्यय से अधिक न मांगेगा और न प्राप्त करेगा । **कार्यकारिणी समिति नल–मिस्त्रियों के लिये शुल्क निश्चित करेगी**

444–यदि कोई व्यक्ति नगर की सीमा के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में वेश्यागमन प्रयोजनार्थ घूमता है या लैंगिक अनैतिकता करने के लिए किसी व्यक्ति को संकेत करता है (importunes) तो वह अपराधी ठहराये जाने पर, जुर्माने का भागी होगा, जो पचास रूपये तक हो सकता है : **अनैतिक प्रयोजनों के लिये इधर–उधर घूमना और याचना करना**

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई न्यायालय किसी अपराध का निग्रहण न करेगा सिवाय प्रेरित व्यक्ति की शिकायत पर अथवा एतदर्थ क्रमशः [1][निगम] और जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किये गये किसी [1][निगम] प्राधिकारी या पुलिस प्राधिकारी, जो सब–इंस्पेक्टर के पद से निम्न पद का न हो, की शिकायत पर।

445–(1) जब प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट को यह सूचना मिले कि–– **वेश्यागृह आदि**

(क) किसी उपासना स्थल, शिक्षा संस्था के या किसी बोर्डिंग हाउस, छात्रावास या भोजनालय (mess) के निकट जिसका छात्र प्रयोग करते हों या जिसमें वे अध्यासित हों, कोई मकान वेश्यागृह (brothel) के रूप में या आभ्यासिक वेश्यावृत्ति (habitual prostitution) के प्रयोजनार्थ अथवा किसी भी प्रकार के उच्छृंखल (disorderly) व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है ; या

(ख) कोई मकान उपर्युक्त रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो पास–पड़ोस के प्रतिष्ठित निवासियों के परिभव (annoyance) का कारण है ; या

(ग) छावनी के ठीक पड़ोस मे कोई मकान वेश्यागृह या आभ्यासिक वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाया जा रहा है, तो वह उस मकान के स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को स्वयं या अभिकर्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलवा सकता है, और यदि उसका यह समाधान हो जाये कि उक्त मकान खंड (क) खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वह ऐसे स्वामी किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को लिखित आदेश दे सकता है कि वह ऐसी आज्ञा में लिखित अवधि के भीतर, जो उस आज्ञा के दिनांक से पांच दिन से कम की न होगी, ऐसे प्रयोग को बंद कर दे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही केवल––

(1) जिला मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति या आज्ञा से ; या

(2) जिस मकान के संबंध में शिकायत हो, उसके ठीक पास–पड़ोस में रहने वाले तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों की शिकायत पर ; या

(3) [1][निगम] की शिकायत पर ; की जायगी ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा आज्ञा दी गई है, ऐसी आज्ञा में दी गई अवधि के भीतर, उक्त आज्ञा का अनुपालन न कर सके तो मैजिस्ट्रेट उस पर जुर्माना कर सकता है जो उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें उस मकान के उपर्युक्त प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाये, एक सौ रूपये तक हो सकता है ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

भिक्षावृत्ति आदि

446–यदि कोई व्यक्ति नगर के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में लोगों को तंग करके भिक्षा मांगता है अथवा दान की भावना जाग्रत करने के उद्देश्य से किसी कुरूपता या रोग या दुर्गन्धयुक्त धाव या व्रण को खुला रखता है या प्रदर्शित करता है तो अपराधी ठहराये जाने पर उसे करावास का दंड दिया जा सकता है, जो एक महीने तक हो सकता है, या जुर्माना किया जा सकता है जो पचास रूपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड दिये जा सकते है ।

दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लिये प्रयोग किये जाने वाले पशुओं को अनुचित भोजन देना

447–कोई भी व्यक्ति, उस पशु को जो दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखा गया हो या जो भोजन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता हो, गंदे या हानिकर (deleterious) पदार्थ न तो खिलायेगा और न खिलाने की अनुमति देगा ।

ज्वलनशील वस्तुओं का ढेर लगाना आदि

448–जब जीवन या सम्पत्ति पर आने वाले संकट के निवारणार्थ आवश्यक प्रतीत हो तो [1][नगर आयुक्त] सार्वजनिक नोटिस द्वारा सभी व्यक्तियों को किसी भी स्थान में या नोटिस में निर्दिष्ट सीमा के भीतर लकड़ी, सूखी घास, पुआल या अन्य ज्वलनशील (inflamable) वस्तुओं का ढेर लगाने या उन्हें संग्रह करने अथवा चटाइयां या फूस की झोपड़ी रखने या आग जलाने का प्रतिषेध कर सकता है ।

खड़ंजों (pavements) आदि को स्थानच्युत करना

449–(1) कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क के खड़ंजे, गंदी मोरी (gutter), झंडे या अन्य सामग्री, या उसकी मेड़, दीवाल या खम्भें या [2][निगम] की बत्ती (lamp), बत्ती का खंभा, ब्रैकेट, मार्ग निर्देशक स्तंभ (direction-post), पानी का बम्बा (stand-post), पानी निकालने का बम्बा (hydrants) या उसके भीतर की [2][निगम] की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति को [1][नगर आयुक्त] या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी का लिखित स्वीकृति के बिना न स्थानच्यूत (displace) करेगा, न लेगा और न उसमें परिवर्तन करेगा और न अन्य किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप ही करेगा तथा कोई भी व्यक्ति [2][निगम] की बत्ती को नहीं बुझायेगा ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित किसी काम के लिये जाने के कारण [2][निगम] द्वारा जो व्यय किया जायेगा वह अपराधी (offender) से अध्याय 21 में उपबन्धित रीति से वसूल किया जा सकता है ।

आग्नेयास्त्र चलाना आदि

450–कोई व्यक्ति उस रीति से आग्नेयास्त्र न चलायेगा अथवा आतिशबाजी या आग के गुब्बारे न छोड़ेगा, या खेल न करेगा जिससे राह चलने वाले या पास–पड़ोस में रहने या कार्य करने वाले व्यक्तियों के जीवन को संकट पहुंचे या पहुंचने की संभावना हो या जिससे सम्पत्ति को क्षति पहुंचने का डर हो ।

अनुज्ञप्तियां और लिखित अनुज्ञाएं देने, उन्हें निलम्बित करने या उनका प्रतिसंहरण करने तथा शुल्क आदि के

451–(1) जब इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी प्रयोजनार्थ कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा देने की व्यवस्था हो तो ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा में वह अवधि जिसके लिए और वह निर्बन्धन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुये वह दी गई हो, और वह दिनांक भी दिया होगा, जिस तक उसके नवीकरण के लिए आवेदन–पत्र देना होगा और वह अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा [1][नगर आयुक्त] के हस्ताक्षर से या धारा 119 के अधीन उसे देने के लिए अधिकृत किये गये किसी [2][निगम] पदाधिकारी के हस्ताक्षर से दी जायेगी।

(2) सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई अन्य

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

व्यवस्था की जाये, ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के लिए ऐसी दर से शुल्क लिया जा सकता है जिसे, [2][निगम] की स्वीकृति से, [1][नगर आयुक्त] समय–समय पर निश्चित करे । **लगाये जाने के संबंध में सामान्य उपबन्ध**

(3) धारा 423 की उपधारा (2) के प्रतिबन्ध के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन दी गई कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा [1][नगर आयुक्त] द्वारा किसी भी समय निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि उसे गृहीता (holder) ने भ्रान्तकथन या कपट से प्राप्त किया है या वह व्यक्ति, जिसे वह दी गई है, उसके किसी निर्बन्धन या शर्तो का अतिलंघन (infringe) या अपवंचन (evade) करता है या यदि उक्त व्यक्ति किसी ऐसे मामले में, जिससे उक्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा सम्बन्ध रखती हो इस अधिनियम या किसी नियम, उपविधि या विनियम के किसी उपबन्ध का अतिलंघन (infringement) करने के कारण अपराधी ठहराया गया है ।

(4) यदि उक्त कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा निलम्बित या प्रतिसंहृत की जाये या जब वह अवधि जिसके लिये वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई थी समाप्त हो गई हो तो वह व्यक्ति जिसे वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई हो, इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिये, उस समय तक बिना अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के समझा जायेगा जब तक कि [1][नगर आयुक्त] यथास्थिति अपने द्वारा अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहृत करने के निमित्त दी गई आज्ञा को निरस्त न कर दे या जब तक कि अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा का नवीकरण न कर दिया जाये :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक तक उसके नवीकरण के लिये कोई आवेदन–पत्र दे दिया गया हो आज्ञा प्राप्त होने तक प्रार्थी को इस प्रकार कार्य करने का अधिकार होगा मानों कि उसका नवीकरण हो गया है।

(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा दी गई हो सभी समुचित समयों पर, जब तक कि उक्त लिखित अनुमति या अनुज्ञप्ति प्रचलित हो, [1][नगर आयुक्त] द्वारा ऐसा आदेश दिये जाने पर, उस अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा को प्रस्तुत करेगा ।

(6) अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र [1][नगर आयुक्त] को संबोधित किया जायगा।

(7) [1][नगर आयुक्त] द्वारा या उसकी ओर से अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए शुल्क स्वीकार किया जाना ही शुल्क देने वाले व्यक्ति को अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा का अधिकारी नहीं बना देगा ।

452–[1][नगर आयुक्त] किसी ऐसी अनुज्ञप्ति, स्वीकृति हुई या अनुज्ञा के लिए जिसका उसके द्वारा दिया जाना इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अधिकृत अथवा अपेक्षित है उपविधि द्वारा निश्चित शुल्क ले सकता है । **अनुज्ञप्ति शुल्क इत्यादि**

453–(1) इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है । **नियम बनाने का अधिकार**

(2) उपर्युक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है ––

(क) [2][निगम] या निजी बाजारों के भीतर या बाहर बिक्री का विनियमन ;

(ख) निजी बाजारों की सीमा निश्चित या निर्धारित करना ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) निजी बाजरों के लिये पहुंच के उचित रास्ते (approaches) आस–पास के स्थान एवं संवीजन (ventilation) ;

(घ) निजी बाजरों तथा वधशालाओं के लिए उचित खड़ंजे तथा जल–निस्तारण का प्रबन्ध ;

(ङ) अनुज्ञप्त भू–मापकों (licensed surveyors), वास्तुशास्त्रियों (architects), अभियंताओं, ढांचा निर्माताओं (structural designers), निर्माण लिपिकों तथा नल–मिस्त्रियों के पथ–प्रदर्शनार्थ क्रमशः आज्ञाएं जारी करना ।

अध्याय 17

जन्म–मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े

जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन,

454–[1][नगर आयुक्त] जन्म तथा मृत्यु का एक रजिस्टर रखवायेगा, जिसमें नगर में होने वाले प्रत्येक जन्म तथा मृत्यु को विहित रीति से दर्ज किया जायगा ।

नियम बनाने का अधिकार

455–राज्य सरकार निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए नियम बना सकती है––

(क) नगर में होने वाले जन्म और मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया;

(ख) जन्म तथा मृत्य के रजिस्टर में दर्ज किये जाने वाले विवरण ;

(ग) जन्म तथा मृत्यु के बारे में सूचना संग्रह करने के लिए [1][निगम] के पदाधिकारियों और सेवकों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकार ;

(घ) नगर में होने वाले प्रत्येक जन्म तथा मृत्यु के सम्बन्ध में यथास्थिति नवजात अथवा मृत व्यक्ति के माता–पिता अथवा अन्य किसी सम्बन्धी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का, [1][निगम] के पदाधिकारियों और सेवकों को सूचना देना तथा जन्म और मृत्यु के रजिस्टरों में गल्तियां ठीक किया जाना ;

(ङ) बच्चे के नाम का अथवा नामों में परिवर्तन का पंजीयन (registration) ;

(च) अन्य ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक विषय जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से आवश्यक हों ।

अध्याय 18

प्रतिकर (Compensation)

प्रतिकर अदा करने का [1][नगर आयुक्त] का सामान्य अधिकार

456–किसी ऐसे मामले में, जिसकी इस अधिनियम में अथवा इसके अन्तर्गत बने किसी नियम अथवा उप–विधि में स्पष्टतः अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, [1][नगर आयुक्त] कार्यकारिणी समिति के पूर्वानुमोदन से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर (Compensation) अदा कर सकता है जिसे इस अधिनियम द्वारा अथवा उक्त किसी नियम या उप–विधि द्वारा [1][नगर आयुक्त] अथवा किसी [2][निगम] पदाधिकारी अथवा सेवक में निहित अधिकार का प्रयोग करने के कारण कोई क्षति हुई हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मूल्यापकर्षित (deteriorated) अचल संपत्ति के मूल्य के लिये स्वामी को दिया जाने वाला प्रतिकर

457–(1) किसी ऐसे मामले में, जिसमें धारा 231, 232, 249, 250, 251 और 284 द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार का उपयोग करने के कारण किसी अचल सम्पत्ति के मूल्य में अपकर्ष हो गया हो (deteriorated) [1][निगम] उस सम्पत्ति के स्वामी को उचित प्रतिकर दे सकती है ।

(2) यदि उस संपत्ति का, जिसके मूल्य में अपकर्ष हुआ हो, स्वामी, प्रतिकर स्वीकार कर लेता है तो यह समझा जायगा कि उसने [1][निगम] को उपर्युक्त किन्हीं भी धाराओं के अधीन ऐसी रीति से अपने अधिकारों का प्रयोग जारी रखने का सतत् अधिकार (perpetual right) दे दिया है कि उस अपदूषण अथवा उस क्षति की अपेक्षा जो उस समय, जब प्रतिकर प्राप्त हुआ था, की जा रही थी या पहुंचायी जा रही थी अधिक अपदूषण (nuisance) अथवा क्षति न की जायगी और न पहुंचाई जायेगी ।

सिद्धान्त जिन पर और रीति जिनसे प्रतिकर निर्धारित किया जायगा

458–(1) धारा 457 को उपधारा (1) के अधीन अदा किये जाने वाले प्रतिकर की राशि का निर्धारण करते समय यथास्थिति [2][नगर आयुक्त] अथवा [1][निगम] यथा सम्भव लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट, 1894, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा 23 तथा 21 के उपबन्धों से तथा उन विषयों के सम्बन्ध में जिन पर इन उपबन्धों के अधीन विचार नहीं किया जा सकता, ऐसे उपबन्धों से निर्देशित (guided) होगा, जो नियमों द्वारा विहित किये जायें ।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 456 अथवा धारा 457 के अधीन दिये गये प्रतिकर के सम्बन्ध में [2][नगर आयुक्त] अथवा [1][निगम] के निर्णय से क्षुब्ध हो तो वह एक महीने की अवधि के भीतर अध्याय 20 के उपबन्धों के अनुसार न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है ।

नियम बनाने का अधिकार

459–(1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) वे सिद्धांत जिनके आधार पर प्रतिकर का निर्धारण किया जायेगा ;

(ख) [2][नगर आयुक्त] द्वारा प्रतिकर का निर्धारण ;

(ग) अस्थायी निर्धारणों (tentative assessments) के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करना और उनका निस्तारण ।

अध्याय 19

शास्तियां (Penalties)

कुछ अपराध जिनमें जुर्माने का दंड दिया जा सकता है

460–(1) जो भी व्यक्ति––

(क) अनुसूची 3 की सारिणी के भाग 1 के पहले स्तम्भ में उल्लिखित किन्हीं धाराओं, उप–धाराओं या खंडों या उनके अन्तर्गत दी गयी किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे ; या

(ख) उक्त किन्हीं धाराओं, उप–धाराओं या खंडों के अधीन उसे विधितः दिये गये किसी आदेश का अनुपालन न करे,

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

तो उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए अर्थ–दंड दिया जायेगा जो उस सम्बन्ध में उक्त भाग के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित धनराशि तक हो सकता है ।

(2) जो भी व्यक्ति––

(क) अनुसूची 3 की सारिणी के भाग 2 के पहले स्तम्भ में उल्लिखित किन्हीं धाराओं, उप–धाराओं या खंडों या उनके अन्तर्गत दी गयी किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने ; या

(ख) उक्त किन्हीं धाराओं, उप–धाराओं या खंडों के अधीन उसे विधितः दिये गये किसी आज्ञा का अनुपालन न करने, के कारण सिद्ध दोष (convicted) हो जाने के पश्चात् भी बराबर उक्त उपबन्ध का उल्लंघन अथवा उक्त आदेश का अनुपालन करने में उपेक्षा करता रहे या उक्त उपबन्ध के उल्लंघन में किये गये किसी निर्माण–कार्य या वस्तु को न हटाये या ठीक न करे, जैसी भी स्थिति हो, या किसी भू–गृहादि को रिक्त न करे, तो उसे प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जब तक वह उउक्त अपराध करता रहे अर्थ–दंड दिया जायेगा, जो उस सम्बन्ध में उक्त भाग के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित धनराशि तक हो सकता है ।

पीनल कोड के अधीन दंडनीय अपराध

461–(1) जो भी व्यक्ति निम्नलिखित सारिणी के पहले स्तम्भ में उल्लिखित इस अधिनियम की किन्हीं धाराओं, उप–धाराओं या खंडों या उनके अन्तर्गत दी गयी किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे और जो भी व्यक्ति उक्त किन्हीं धाराओं, उप–धाराओं या खंडों के अधीन उसे विधितः दिये गये उसी आदेश का अनुपालन न करे, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है जो इंडियन पीनल कोड की उस धारा के अधीन दंडनीय है जो क्रमशः उक्त सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस कोड की ऐसी धारा के रूप में निर्दिष्ट की गयी है जिसके अधीन उस व्यक्ति को दंड दिया जायेगा, अर्थात :

इस अधिनियम की धारायें		इंडियन पीनल कोड की वे धारायें जिनके अधीन अपराधी दंडनीय है
267 (2),400, खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), और (च)	. .	277
411	. .	188
551	. .	177

(2) जो भी व्यक्ति [1][नगर आयुक्त] द्वारा विधितः दिये गये किसी ऐसे आदेश, नोटिस अथवा आज्ञा का अनुपालन नहीं करता, जो किसी भवन के वार्षिक मूल्य को निर्धारित करने के सम्बन्ध में सूचना देने अथवा लिखित विवरणी (return) के सम्बन्ध में हों, या किसी [2][निगम] करके लगाये जाने (levy) या निर्धारण के सम्बन्ध में हों, या जो भी व्यक्ति ऐसी सूचना दे या ऐसी विवरणी तैयार करे, जिसके विषय में वह यह जानता हो कि वह असत्य, अशुद्ध या भ्रामक (misleading) है, तो यह समझा जायेगा

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कि उसने इंडियन पीनल कोड की, यथास्थिति, धारा 176 या धारा 177 के अधीन दंडनीय अपराध किया है ।

462– [1][X X X X]

संविदा आदि में स्वत्व अर्जित करने वाले स्दस्य या [2][महापौर] को दंड

463– [3][निगम] का कोई सदस्य या [2][महापौर], जो विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अनुकूल जानबूझ कर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या अपने साझीदार द्वारा, [3][निगम] के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर किसी संविदे या नियोजन (contract or employment) में कोई अंश (share) या स्वत्व (interest) अर्जित करे या उसे बराबर बनाये रखे, तो यह समझा जायेगा कि उसने इंडियन पीनल कोड की धारा 168 के अधीन अपराध किया है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में या नहीं समझा जायगा कि उसने किसी संविदे या नियोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित किया है या उसे बराबर बनाये रखा है, यदि वह केवल––

(क) भूमि अथवा भवनों के किसी पट्टे, विक्रय अथवा क्रय में, अथवा उसके लिये किसी अनुबन्ध में, कोई अंश अथवा स्वत्व रखता हो, परन्तु ऐसा अंश अथवा स्वत्व उसके सदस्य अथवा [2][महापौर] बनने के पूर्व ही अर्जित किया गया हो ; अथवा

(ख) किसी ऐसे संयुक्त सम्भार समवाय (Joint Stock Company) में कोई अंश रखता हो जो [3][निगम] के साथ संविदा करेगा अथवा [3][निगम] द्वारा या उसकी ओर से नियोजित होगा ; अथवा

(ग) किसी ऐसे समाचार–पत्र में अंश अथवा स्वत्व रखता हो, जिसमें [3][निगम] के कार्यो से सम्बद्ध कोई विज्ञापन दिया जाता हो ; अथवा

(घ) कोई ऋण–पत्र (debenture) रखता हो अथवा [3][निगम] द्वारा अथवा उसकी ओर से उगाहे गये (raised) ऋण में अन्यथा कोई स्वत्व रखता हो ; अथवा

(ङ) [3][निगम] द्वारा विधिक व्यवसायी (legal practitioner) के रूप में बनाये रखा गया हो (retained) ; अथवा

(च) किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक (occasional) विक्रय में कोई अंश अथवा स्वत्व रखता हो, जिसका वह [3][निगम] के साथ नियमित रूप से किसी एक वर्ष में ऐसी धनराशि से अनधिक का व्यवसाय करता हो, जिसे [3][निगम] राज्य सरकार को स्वीकृति से एतदर्थ निश्चित करे ; अथवा

(छ) जल सम्भरण के लिये, जिसका शुल्क लिया जाता हो, [3][निगम] के साथ किये गये किसी अनुबन्ध (agreement) में कोई पक्ष (party) हो ।

संविदा आदि में कर्मचारियों के स्वत्व रखने के विरूद्ध उपबन्ध

464–(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो [3][निगम] कर्मचारी से भिन्न किसी रूप में स्वयं, या अपने साझीदार द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से [3][निगम] के साथ उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदे में अथवा [3][निगम] के साथ, उसके द्वारा, उसके अधीन अथवा उसकी ओर से किसी नियोजन में, कोई अंश या स्वत्व रखे, उक्त [3][निगम] का कर्मचारी बना रहने के लिये अनर्ह होगा ।

(2) ऐसा [3][निगम] कर्मचारी जो स्वयं, अथवा अपने साझीदार द्वारा, प्रत्यक्ष

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 64 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपर्युक्त किसी संविदे अथवा नियोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित करे अथवा बनाये रखे तो वह [1][निगम] कर्मचारी न रहेगा और उसका पद रिक्त हो जायेगा ।

(3) ऐसा [1][निगम] सेवक (servant) जो किसी [1][निगम] जिसका वह कर्मचारी है, के साथ, अधीन अथवा उसकी ओर से किसी संविदे में अथवा उस दशा को छोड़ कर जब संविदे का सम्बन्ध किसी [1][निगम] कर्मचारी के रूप में उसके नियोजन से हो–किसी नियोजन (employement) में जानबूझ कर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई अंश (share) या स्वत्व अर्जित करता है (acquires) अथवा बनाये रखता है––के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसने इंडियन पीनल कोड की धारा 168 के अधीन अपराध किया है ।

(4) इस धारा की कोई भी बात [1][निगम] के साथ, उसके अधीन, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किये गये किसी ऐसे संविदे अथवा नियोजन में, जो धारा 463 के प्रतिबन्ध के खंड (ख), (घ) तथा (छ) में निर्दिष्ट हो, किसी अंश तथा स्वत्व के सम्बन्ध में अथवा विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा से भूमि अथवा भवनों के किसी पट्टे, क्रय या विक्रय में अर्जित किये अथवा बनाये रखे गये किसी अंश अथवा स्वत्व के, अथवा तदर्थ किये गये किसी अनुबंध के सम्बन्ध में लागू न होगी ।

धारा 112–ग और 112–घ का उल्लंघन करने के लिए दण्ड

[1]**[464–क**–जो भी व्यक्ति धारा 112–ग या धारा 112–घ का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है अथवा करने के लिए अनुत्तोचित करता है, तो सिद्ध दोष हो जाने पर उसे या तो कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः मास तक का हो सकता है अथवा अर्थ–दण्ड दिया जायेगा जो पांच सौ रूपए तक का हो सकता है अथवा दोनो दण्ड दिए जायेंगे ।]

धारा 267 के प्रतिकूल किये गये अपराधों के लिये दंड

465–(1) जो भी व्यक्ति धारा 267 की उपधारा (1) के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करे, उसे दोष सिद्ध होने पर, एक मास तक का कारावास दंड, अथवा 100 रूपये तक का अर्थ–दंड अथवा दोनो ही दंड दिये दिये जा सकते है ।

(2) जब कोई व्यक्ति धारा (1) के अधीन सिद्ध दोष होता है तो दोष सिद्ध करने वाला मैजिस्ट्रेट ऐसे किसी भवन को तुरन्त हटाये जाने अथवा ऐसी किसी भूमि पर होने वाली क्रियाओं अथवा उस भूमि के प्रयोग को तुरन्त बन्द किये जाने की आज्ञा दे सकता है जिसके सम्बन्ध मे उक्त दोष सिद्धि (conviction) की गयी हो ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी आज्ञा का पालन न किया जाय अथवा उसके सम्पादन का विरोध किया जाय तो अपराधी व्यक्ति को दोष सिद्ध होने पर, एक महीने का कारावास–दंड अथवा 100 रूपये तक का अर्थ–दंड अथवा दोनो ही दंड दिये जा सकते है ।

466– [2][X X X X]

सामान्य शास्ति

467–जो भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अथवा तदन्तर्गत प्रचारित किसी नियम, उपविधि, विनियम, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या नोटिस का उल्लंघन करे अथवा ऐसे किसी उपबन्ध के अधीन विधितः दी गयी किसी आज्ञा का पालन करने में असफल रहे तो, यदि इस अधिनियम के अन्य किसी उपबन्ध में ऐसे उल्लंघन अथवा असफलता के लिये किसी शास्ति की व्यवस्था न की गयी हो, उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिये 100 रू0 तक का अर्थ–दंड दिया जा सकता है, तथा प्रथम दोष सिद्धि के उपरान्त ऐसे प्रत्येक

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 1991 की धारा 12 द्वारा निकाला गया ।

दिन के लिये, जब तक कि उक्त उल्लंघन अथवा असफलता जारी रहे, 25 रूपये तक का अर्थ–दंड दिया जा सकता है ।

स्वामियों के अभिकर्ताओं तथा न्यासियों के उत्तर–दायित्व के सम्बन्ध में शास्ति की आयाति

468–कोई भी व्यक्ति जो धारा 2 के खंड (52) के उपखंड (क) की कंडिका (1), (2) तथा (3) में वर्णित किसी भी रूप में भू–गृहादि का किराया प्राप्त करता है, उक्त भू–गृहादि के स्वामी के रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य के न करने के लिए किसी शास्ति का भागी न होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि चूक (default) इसी कारण हुयी है कि अपेक्षित–कार्य पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये, उसके पास स्वामी की अथवा स्वामी की देय पर्याप्त धनराशि न थी ।

समवाय (companies) आदि द्वारा किये गये अपराध

469–इस अधिनियम अथवा किसी नियम, उपविधि या विनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति यदि कोई समवाय, निगमित संस्था अथवा व्यक्तियों का संघ (चाहे वह निगमित हो अथवा न हो) या फर्म हो तो उसके प्रत्येक संचालक, प्रबन्धक, मंत्री, अभिकर्ता या अन्य किसी पदाधिकारी अथवा उसके प्रबन्ध से सम्बन्ध किसी व्यक्ति तथा फर्म के प्रत्येक हिस्सेदार जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उक्त अपराध बिना उसकी जानकारी अथवा सहमति के किया गया है, के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह उक्त अपराध का दोषी है ।

इस अधिनियम के प्रतिकूल दोषी व्यक्तियों द्वारा की गयी क्षति के लिए उनके द्वारा देय प्रतिकर

470–(1) यदि कोई कार्य करने या न करने (omission) के कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के प्रतिकूल किसी अपराध में सिद्ध दोष हुआ हो और उस व्यक्ति के उक्त कार्य करने अथवा न करने के कारण [2][निगम] की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंची हो, तो उक्त अपराध के लिये उस व्यक्ति को दंड दिये जा चुकने पर भी, उसे उस क्षति के लिये प्रतिकर देना होगा ।

(2) कोई विवाद उठ खड़ा होने पर उक्त व्यक्ति द्वारा देय प्रतिकर की धनराशि उस मैजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जायेगी, जिसके समक्षे उक्त अपराध के सम्बन्ध में वह सिद्ध–दोष हुआ हो, और इस प्रकार निर्धारित प्रतिकर की धनराशि अदा न किये जाने पर वह उक्त मेजिस्ट्रेट के वारन्ट द्वारा इस प्रकार वसूल की जायेगी मानों वह धनराशि मैजिस्ट्रेट द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति पर किया गया कोई जुर्माना हो जिस पर उसे अदा करने का दायित्व हो ।

अध्याय 20

न्यायाधीश (Judge), जिला जज और मैजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियां

न्यायाधीश (Judge) की अभिदेश (reference)

471–निम्नलिखित मामलों मे न्यायाधीश (Judge) को अभिदेश (reference) किया जायगा––

(1) इस संबंध में कि धारा 249 के अधीन भवन अथवा कुटी के स्वामी के आवेदन–पत्र देने पर [1][नगर आयुक्त] को दंड या पाइप हटाने के लिए आदेश दिया जा सकता है या नहीं ;

(2) धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने (setting forward) के लिये अपेक्षित भूमि के मूल्य की धनराशि के संबंध में ;

(3) धारा 522 के अधीन [1][नगर आयुक्त] या किसी [2][निगम] पदाधिकारी की आज्ञा के अधीन संपादित कोई निर्माण–कार्य अथवा किया गया कोई कार्य (measure) या की गई बातों (things) के लिए व्यय की धनराशि अथवा उसके भुगतान के संबंध में;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के अधीन होने वाले व्यय या प्रतिकर की धनराशि या उसके भुगतान और उसके संविभाजन के संबंध में (apportionment) जिनके लिये अन्यथा विशिष्ट रूप से व्यवस्था न की गयी हो ।

मूल्यांकनों और करों के विरूद्ध अपीलें

अपीलें कब और किसकों की जायेंगी

472–(1) आगे दिये हुए उपबंधों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन निश्चित (fixed) अथवा भारित (charged) किसी वार्षिक मूल्य या कर के विरूद्ध अपीलें न्यायाधीश (Judge) द्वारा सुनी और निर्धारित की जायेंगी ।

(2) ऐसी कोई अपील उस समय तक न सुनी जायगी जब तक कि––

(क) वह शिकायत का कारण प्रोद्भूत होने (accrual) के पश्चात् 15 दिन के भीतर न की गई हों ;

(ख) वार्षिक मूल्य के विरूद्ध की गई किसी अपील की दशा में, [1][***] पहिले आपत्ति न की गई हो और [1][धारा 209 के अधीन उसका] निपटारा न किया जा चुका हो ;

(ग) किसी ऐसे कर के विरूद्ध अपील की दशा में, जिसके संबंध में मांग के विरूद्ध [2][नगर आयुक्त] को आपत्ति किये जाने के लिये इस अधिनियम के अधीन व्यवस्था हो, ऐसी आपत्ति पहले न की गई हों और उसका निपटारा न किया जा चुका हो ;

[3][(घ) धारा 213 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति करों की निर्धारण सूची में किये गये किसी संशोधन पर परिर्तन के विरूद्ध की गयी किसी अपील की दशा में, उक्त उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति न की गयी हो और ऐसी आपत्ति का निपटारा न किया जा चुका हो ;]

(ङ) किसी कर के विरूद्ध अपील की दशा में अथवा वार्षिक मूल्यांकन के विरूद्ध अपील की दशा में, जब ऐसे मूल्यांकन पर निर्धारित कोई सम्पत्ति कर का बिल अपीलकर्ता को प्रस्तुत किया जा चुका हो, अपीलकर्ता से अभियाचित धनराशि उसके द्वारा [2][नगर आयुक्त] के पास जमा न कर दी गई हो ।

शिकायत का कारण कब प्रोद्भूत हुआ समझा जायगा

473–धारा 472 के प्रयोजनों के लिये शिकायत का कारण निम्नलिखित प्रकार से प्रोद्भूत हुआ समझा जायेगा ; अर्थात्––

(क) वार्षिक मूल्यांकन के विरूद्ध अपील की दशा में, उस दिन जब [4][धारा 209 के अधीन ऐसे मूल्ययांकन के विरूद्ध] की गई आपत्ति का निपटारा किया जाय ;

(ख) [5][धारा 472] की उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट कर के विरूद्ध अपील की दशा में, उस दिन जब ऐसे कर के विरूद्ध की गयी आपत्ति का सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया जाय ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 24(1) द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 24(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 25(1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 25(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(ग) धारा 213 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति करों की निर्धारण सूची में दिये गये किसी संशोधन या पविर्तन के विरूद्ध की गयी किसी अपील कील दशा में, उस दिन जब उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति का निपटारा कर दिया जाय ।]

(घ) किसी ऐसे कर के विरूद्ध अपील की दशा में जो उपर्युक्त खंड (ख) के अन्तर्गत न आता हो, उस दिन जब उसका भुगतान मांगा जाय अथवा तदर्थ बिल (bill) तामील किया जाय ।

मध्यस्थ–निर्णय (arbitration)

474–जब इस अधिनियम के अधीन निश्चित या भारित किसी वार्षिक मूल्यांकन या कर के विरूद्ध कोई अपील विचाराधीन हो तथा उसमें स्वत्व रखने वाले सभी पक्ष इस बात से सहमत हों कि उनके बीच मतभेद का कोई भी विषय मध्यस्थ निर्णय के लिये निर्दिष्ट किया जाय तो वे ऐसी अपील में निर्णय होने से पूर्व किसी भी समय न्यायाधीश (Judge) को ऐसे विषय में अभिदेश (reference) की आज्ञा के निमित्त लिखित प्रार्थना–पत्र दे सकते हैं और ऐसा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर वादों में मध्यस्थ निर्णयन संबंधी आविट्रेशन ऐक्ट, 1940 के उपबन्ध, जहां तक कि वे लागू किये जा सकते हों, उस प्रार्थना–पत्र और उस पर आगे होने वाली कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों उप–न्यायाधीश (Judge) उस अधिनियम के अर्थ में कोई कोर्ट (न्यायालय) हो और वह प्रार्थना–पत्र किसी वाद में प्रस्तुत किया गया कोई प्रार्थना–पत्र हो ।

कुशल मूल्यांकन करने वाले की नियुक्ति

475–(1) यदि वार्षिक मूल्यांकन के विरूद्ध की गई किसी अपील का कोई पक्ष (party) अपील की सुनवाई से पूर्व या अपील की सुनवाई के दौरान में किसी भी समय, किन्तु मुल्यांकन से सम्बद्ध साक्ष्य प्रस्तुत होने से पूर्व, न्यायाधीश (Judge) को प्रार्थना–पत्र देता है कि उस भू–गृहादि के निमित्त जिसके बारे में अपील की गई हो, मूल्यांकन के लिये आदेश (direction) दिया जाय तो न्यायाधीश (Judge) स्वविवेक से किसी भी सक्षम व्यक्ति को मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त कर सकता है, तथा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उस भू–गृहादि में प्रवेश करने, उसकी परिमाप करने (survey) तथा उसका मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसके संबंध में आदेश दिया गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा को छोड़ कर जब ऐसा प्रार्थना–पत्र [2][नगर आयुक्त] द्वारा प्रस्तुत किया जाय, न्यायाधीश (Judge) तब तक ऐसा आदेश नहीं देगा जब तक प्रार्थी [1][नगर आयुक्त] को ऐसी प्रतिभूति न दे दे जिसे न्यायाधीश (Judge) इस उपधारा के अधीन मूल्यांकन की लागत (costs) के भुगतान के लिये उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन के लिये किया गया व्यय (costs) अपील का व्यय होगा किन्तु वह पहले पहल (in the first instance) प्रार्थी द्वारा देय होगा।

(3) न्यायाधीश (Judge) को अधिकार होगा, और अपील के किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर उसके लिये आवश्यक होगा कि उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलायें तथा जब वह इस प्रकार बुलाया जाय तो अपील के किसी भी पक्ष को उससे जिरह करने का अधिकार होगा ।

जिला जज को अपीलें

476–जिला जज को निम्नलिखित मामलों में अपील हो सकेगी––

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 25(iii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) धारा 472 के अधीन किसी अपील में न्यायाधीश (Judge) के उस निर्णय के विरूद्ध, जिसके द्वारा वार्षिक मूल्यांकन बारह हजार रूपये से अधिक निश्चित किया जाय ; और

(ख) उक्त धारा के अधीन विधि संबंधी अथवा विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा (usage) संबंधी अथवा किसी लेख्य के अन्वय (construction of a document) संबंधी किसी अपील मे न्यायाधीश (Judge) के किसी अन्य निर्णय के विरुद्ध :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई भी अपील जिला जज द्वारा तब तक न सुनी जायगी जब तक कि वह उक्त न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के दिनांक से एक महीने के भीतर निविष्ट (file) न की जाय ।

अपील मे कार्यवाहियों का व्यय

477–न्यायाधीश (Judge) के समक्ष धारा 472 के अधीन अपील की कार्यवाहियों का, जिसके अन्तर्गत धारा 474 के अधीन मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाहियां तथा धारा 475 के अधीन मूल्यांकन की कार्यवाहियां भी हैं, व्यय उन पक्षों द्वारा और ऐसे अनुपात में देय होगा जिसे न्यायाधीश (Judge) आदिष्ट (direct) करें और वह धनराशि, यदि आवश्यक हो, इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों वह प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 के अधीन किसी स्माल काजेज कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के अधीन देय हो ।

ऐसे मूल्यांकन और कर, जिनके विरूद्ध अपील न की गई हों, तथा अपील में किये गये निर्णय अन्तिम होंगे

478–(1) इस अधिनियम के अधीन निश्चित प्रत्येक ऐसा वार्षिक मूल्यांकन जिसके विरूद्ध पहले की गई व्यवस्था के अनुसार कोई शिकायत न की गयी हो, तथा इस अधिनियम के अधीन किसी कर के निमित्त किसी व्यक्ति से अभियाचित (claimed) प्रत्येक धनराशि, यदि पहले दी हुई व्यवस्था के अनुसार उसके विरूद्ध कोई अपील न की गई हो, तथा ऐसे किसी मूल्यांकन अथवा कर के विरूद्ध की गई अपील में उपर्युक्त न्यायाधीश (Judge) का निर्णय यदि धारा 473 के अधीन ऐसे निर्णय के विरूद्ध अपील न की जाय, और यदि ऐसी अपील की जाय तो ऐसी अपील पर जिला जज का निर्णय, अंतिम होगा ।

(2) किसी ऐसे मूल्यांकन अथवा कर के विरूद्ध अपील होने पर, [1][नगर आयुक्त] द्वारा उक्त न्यायाधीश (Judge) अथवा जिला जज का निर्णय कार्यान्वित किया जायगा।

न्यायाधीश (Judge) तथा जिला जज के समक्ष अपीलें

न्यायाधीश (Judge) के समक्ष अपील

479–न्यायाधीश (Judge) के समक्ष की जाने वाली ऐसी किसी अन्य अपील के अतिरिक्त जिसकी इस अधिनियम के अधीन व्यवस्था की गई हो, निम्नलिखित मामलों में [1][नगर आयुक्त] की आज्ञा के विरूद्ध न्यायाधीश (Judge) के समक्ष अपील की जा सकेगी, अर्थात्––

(1) धारा 249 के अधीन किसी दंड या पाइप को न हटाने की आज्ञा ;

(2) धारा 284 के अधीन किसी भवन को आगे बढ़ाने की आज्ञा ;

(3) धारा 308 के अधीन किसी स्थान के खतरनाक पाये जाने पर उसके स्वामी या अध्यासी को उसकी मरम्मत करने, उसे सुरक्षित करने अथवा घेरने के लिये दी गई आज्ञा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी अपील तब तक न की जा सकेगी जब तक कि वह [1][नगर आयुक्त] की आज्ञा के दिनांक से एक महीने के भीतर निवारण न की जाय ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

भवन गिराने की आज्ञा के विरूद्ध अपील

480–(1) धारा 396 के अधीन भवन गिराने की आज्ञा के विरूद्ध धारा 395 के अधीन अपील की जाने पर न्यायाधीश (Judge) उस आज्ञा को पुष्ट करने अथवा निरस्त करने अथवा परिवर्तित करने की ऐसा आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे और यदि वह उचित समझे तो अपील करने वाले व्यक्ति से ऐसा कोई वचन (undertaking) स्वीकार कर सकता है जिसे [1][नगर आयुक्त] ने स्वीकार किया होता, तथा न्यायाधीश (Judge) द्वारा इस प्रकार स्वीकार किया गया कोई वचन उसी प्रकार प्रभावी होगा मानों वह धारा 396 के अधीन [1][नगर आयुक्त] को दिया गया हो और उसके द्वारा स्वीकृत किया गया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधीश (Judge) अपील करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से, जिस पर धारा 393 की उपधारा (1) में वर्णित नोटिस तामील किया गया हो, कोई निर्माण कार्य संपादित करने का वचन तब तक स्वीकार न करेगा जब तक कि अपील करने वाले व्यक्ति ने उपधारा (2) के आदेशों का अनुपालन न किया हो ।

(2) इस धारा के अधीन किसी अपील के संबंध में न्यायाधीश (Judge) द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्ध ऐसे निर्णय के एक महीने के भीतर जिला जज को अपील हो सकेगी यदि [1][नगर आयुक्त] की निर्धारण–पंजी में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, दर्ज उन भू–गृहादि का वार्षिक मूल्यांकन, जिनसे गिराये जाने की आज्ञा, जिसके विरूद्ध अपील की गई हों, पूर्णतः अथवा अंशतः सम्बन्ध हो, 2,000 रू0 से अधिक दर्ज की गई हो ;

(3) इस धारा के अधीन न्यायाधीश (Judge) द्वारा किया गया निर्णय, यदि उपधारा (2) के अधीन उसके विरूद्ध अपील न हो सकती हो, अथवा यदि अपील न की जाए तथा यदि अपील निविष्ट की जाए तो जिला जज द्वारा अपील में किया गया निर्णय अंतिम होगा ;

(4) ऐसी कोई आज्ञा जिसके विरूद्ध इस धारा के अधीन अपील की जा सकती हो––यदि ऐसी अपील न की जाय––तो धारा 395 में उल्लिखित 21 दिन की अवधि समाप्त होने पर, प्रभावी हो जायगी, तथा उन विषयों के संबंध में जो उक्त अपील में उठाये जा सकते थे, अंतिम और निश्चायक होगी, और ऐसी कोई आज्ञा जिसके विरूद्ध अपील की जाय––यदि और जहां तक न्यायाधीश (Judge) अथवा जिला जज उसे पुष्ट करे––अपील के अंतिम निर्णय के दिनांक से प्रभावी हो जायगी ;

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी अपील की वापसी (withdrawal) उसका अंतिम निर्णय समझा जायगा, तथा उसका वैसा ही प्रभाव होगा जैसा उस आज्ञा को पुष्ट करने वाले निर्णय का हो, जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, तथा उपर्युक्त बातों के अधीन रहते हुये, कोई भी अपील अंतिम रूप से उस दिन निर्णीत समझी जायगी जिस दिन जिला जज निर्णय दे अथवा जिला जज को अपील न की जाने की दशा में, उस अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् जिसके भीतर अपील की जा सकती थी अथवा उस दशा में जब कि जिला जज की अपील न हो सकें, तो उस दिनांक को जिस पर न्यायाधीश शनिर्णय दे, अंतिम रूप से निर्णीत समझी जायगी ।

संपादित कार्यों के व्यय के भुगतान के

481–(1) किसी निर्माण–कार्य के संपादन के व्यय की धनराशि अथवा उसकी अदायगी के संबंध में, जबकि उस दावे की धनराशि जिसमें निर्णय दिया गया हो,

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2,000 रू0 से अधिक हो, न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के विरूद्ध जिला जज को अपील हो सकेगी :

संबंध में न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के विरूद्ध अपील

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिला जज द्वारा ऐसी कोई अपील तब तक न सुनी जायगी जब तक कि वह न्यायाधीश (Judge) के निर्णय के दिनांक से एक महीने के भीतर निविष्ट न की जाय ।

(2) सम्पादित किये गये किसी निर्माण–कार्य के व्यय की धनराशि अथवा उसकी अदायगी के संबंध में न्यायाधीश (Judge) का निर्णय, यदि इस धारा के अधीन अपील निविष्ट न की जाय तथा यदि अपील निविष्ट की जाय, तो ऐसी अपील में जिला जज का निर्णय अन्तिम होगा ।

(3) जब सम्पादित किये गये किसी निर्माण–कार्य के व्यय को धनराशि अथवा उसकी अदायगी के संबंध में किसी निर्णय के विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई अपील निविष्ट की जाय, तो [1][नगर आयुक्त] उक्त धारा के अधीन देय निर्धारित की गई धनराशि की वसूली की कार्यवाही तब तक के लिये स्थगित कर देगा जब तक कि जिला जज का निर्णय न हो जाय तथा निर्णय के पश्चात् उसी धनराशि की, यदि कोई हो, वसूली करेगा जो एतद्द्वारा देय निर्धारित की जाय।

न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियां

भवन या भूमि के स्वामी का ऐसे अध्यासी के विरूद्ध उपशमाधिकार जो ऐसे स्वामी को इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन से रोके

482–(1) यदि किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी उसके अध्यासी द्वारा इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के किन्हीं उपबंधों के अथवा ऐसे भवन या भूमि के संबंध में इस अधिनियम या किसी ऐसे नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन दिये गये किसी आदेश के, अनुपालन से रोका जाय, तो स्वामी न्यायाधीश (Judge) को प्रार्थना–पत्र दे सकता है ।

(2) न्यायाधीश (Judge) ऐसे किसी प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति पर, लिखित आज्ञा द्वारा भवन अथवा भूमि के अध्यासी को आदेंश दे सकता है, कि वह उक्त उपबन्ध अथवा आदेश के अनुपालनार्थ स्वामी को सभी उचित सुविधाएं दे अथवा यदि उक्त उपबन्ध या आदेश धारा 331 के अन्तर्गत की जाने वाली किसी ऐसी कार्यवाही से संबंध रखता है, जिसमें उक्त अध्यासी की सुरक्षा और सुविधा अन्तर्गत हो तो भू–गृहादि को अस्थायी रूप से खाली कर दे, तथा यदि वह उचित समझे तो यह भी आदेश दे सकता है कि उक्त प्रार्थना–पत्र एंव आज्ञा का व्यय अध्यासी द्वारा वहन किया जाय ।

(3) उक्त आज्ञा के दिनांक से आठ दिन के पश्चात् उक्त अध्यासी इसके लिए बाध्य होगा कि वह उपर्युक्त प्रयोजन के निमित्त उक्त आज्ञा में विहित रीति के अनुसार स्वामी को समस्त यथोचित सुविधाएं प्रदान करे या उक्त भू–गृहादि को अस्थायी रूप से खाली कर दे, तथा यदि वह लगातार ऐसा करने से इन्कार करे तो उस समय तक जब तक वह इस प्रकार इन्कार करता रहे स्वामी किसी ऐसे दायित्व से मुक्त रहेगा जो उक्त व्यवस्था या आदेश के अनुपालन न करने के कारण उस पर अन्यथा होता ।

(4) इस धारा की कोई भी बात इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन [1][नगर आयुक्त] के किसी भू–गृहादि को खाली कराने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगी।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

साक्षियों को बुलाने और लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करने का अधिकार

483–इस अध्याय के प्रयोजनों के निमित्त निम्नलिखित विषयों से सम्बद्ध किसी वाद की सुनवाई करते समय न्यायाधीश (Judge) को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसिजर, 1908 के अधीन न्यायालय में निहित है, अर्थात् :–

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी भी पक्ष को लेख्य (documents) प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना ; तथा

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए आयोग (commissions) जारी करना ; और इस अध्याय के अधीन न्यायाधीश (Judge) के समक्ष कोई भी कार्यवाही इंडियन पीनल कोड की धारा 193 तथा 228 के अर्थों में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के निमित्त "ज्युडीशियल प्रोसिडिंग" समझी जायगी ।

न्यायाधीश (Judge) के समक्ष कार्यवाहियों का शुल्क

484–(1) राज्य सरकार समय–समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित के निमित्त देय शुल्क, यदि कोई हो, विहित कर सकती है––

(क) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश (Judge) के समक्ष प्रस्तुत किसी प्रार्थना–पत्र, अपील अथवा अभिदेश पर ; तथा

(ख) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश (Judge) की किसी जांच अथवा कार्यवाही में कोई आह्नान (summons) अथवा अन्य आदेशिका (process) जारी होने से पूर्व :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) के अधीन विहित शुल्क, यदि कोई हो, उन दशाओं में जब कि दावे अथवा वाद विषय (subject-matter) का मूल्य रूपयों में आंका जा सकता हो, [1][कोर्ट फीस ऐक्ट, 1870] के उपबन्धों के अधीन ऐसे मामलो में तत्समय लगाये गये (levied) शुल्क से अधिक न होगा जिसमें दावे अथवा वाद–विषय का मूल्य समान धनराशि का हो ।

(2) राज्य सरकार समय–समय पर उक्त प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विहित शुल्क किस व्यक्ति द्वारा देय होगा ।

(3) न्यायाधीश (Judge) द्वारा कोई भी प्रार्थना–पत्र, अपील अथवा अभिदेश तब तक नहीं लिया जायगा जब तक कि तदर्थ उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विहित शुल्क, यदि कोई हो, न दे दिया गया हो ।

निर्धन व्यक्तियों की शुल्क से मुक्ति

485–न्यायाधीश (Judge) जब भी वह उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से दिये गये किसी प्रार्थना–पत्र अपील अथवा अभिदेश को ले सकता है और धारा 484 के अधीन विहित शुल्क की अदायगी के बिना अथवा उसकी आंशिक अदायगी पर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आदेशिका जारी कर सकता है ।

सुनवाई के पूर्व समझौता हो जाने पर आधे शुल्क की वापसी

486–जब कभी इस अधिनियम के अधीन न्यायाधीश (Judge) को दिया गया कोई प्रार्थना–पत्र, अपील अथवा अभिदेश सुनवाई से पूर्व पक्षों में अनुबन्ध (agreement) द्वारा तय हो जाय तो उस समय तक अदा किये गये समस्त शुल्कों की आधी धनराशि न्यायाधीश (Judge) द्वारा क्रमशः उन्हीं पक्षों को वापस कर दी जायगी, जिन्होंने उसे अदा किया हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 22, 1961 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

487–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के विरूद्ध किये गये अपराधी पर विचारार्थ [1][निगम] की सहमति से एक या एकाधिक प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के पदों का सृजन कर सकती है अथवा किसी भी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर सकती है, या ऐसे मैजिस्ट्रेट के न्यायालय के निमित्त ऐसे प्रशासी पदाधिकारी (ministerial officers) नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे : **प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति**

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्रथम श्रेणी के एक या एकाधिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होते हुए भी, जिला मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में कार्य–वितरण का विनियम करने वाले कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 की धारा 17 के अधीन तत्समय प्रचलित नियमों के अधीन रहते हुए इस बात के लिये स्वाधीन होगा कि वह ऐसे अपराधों की सुनवाई के कार्य का तथा मैजिस्ट्रेटों के, जिनके अन्तर्गत इस धारा के अधीन नियुक्त मैजिस्ट्रेट भी है न्यायालयों के अन्य समस्त कार्यों का ऐसा वितरण करे जो कार्य कुशलता के हित में उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हों ।

(2) ऐसा मैजिस्ट्रेट अथवा ऐसे मैजिस्ट्रेट तथा उनके स्थापनों (establishments) को ऐसा वेतन, निवृत्ति वेतन (pension), अवकाश भी (leave allowance) तथा अन्य भत्ते दिये जायेंगे, जिन्हें समय–समय पर राज्य सरकार निश्चित करे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निश्चित किये गये वेतन तथा भत्तों की धनराशि की भरपाई, अन्य समस्त प्रासंगिक परिव्ययों (charges) सहित, [1][निगम] द्वारा राज्य सरकार को की जायगी और [1][निगम] राज्य सरकार को ऐसे मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेटों के तथा उनके स्थापन के निवृत्ति वेतनों, अवकाश भत्तों तथा अन्य भत्तों के लिये भी ऐसा अंशदान देगा, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर निश्चित करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार [1][निगम] की सहमति से यह आदेश दे सकती है कि इस धारा के अधीन देय धनराशियों के बदले [1][निगम] प्रतिवर्ष, ऐसे दिनांक पर, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ निश्चित करे राज्य सरकार को ऐसी नियत (fixed) धनराशि अदा करेगा, जो राज्य सरकार एतदर्थ निर्धारित करे ।

मैजिस्ट्रेटों को अभिदेश

488–नगर की सीमा के भीतर अधिकार क्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को किसी भयानक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को नियमों के अधीन सार्वजनिक अस्पताल में विरुद्ध किये जाने (detention) के संबंध में, अभिदेश किया जायगा । **मैजिस्ट्रेटों को अभिदेश**

489–(1) धारा 435 के अधीन अभिगृहीत कोई पशु तथा शीघ्र खराब न होने वाली कोई वस्तु अथवा कोई बर्तन या पात्र प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जायगा । **ऐसे पशुओं तथा शीघ्र खराब न होने वाली वस्तुओं का निस्तारण जिन का धारा 435 के अधीन अभिग्रहण किया जाय**

(2) यदि ऐसे मैजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि ऐसा कोई पशु अथवा वस्तु यथास्थिति रोग ग्रस्त, विकृत अथवा मानव उपभोग (consumption) के लिये अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयुक्त है, अथवा वह उस प्रकार की नहीं है जैसी कि वह बताई गई थी, अथवा ऐसा बर्तन या पात्र इस प्रकार का है, अथवा ऐसी दशा में है, जिससे उसमें तैयार किया गया, निर्मित अथवा रखा गया पदार्थ मानव उपभोग के लिए अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयुक्त हो जायेगा तो उसे अधिकार होगा कि––और यदि वह

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

रोग–ग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकर अथवा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, तो उसके लिए आवश्यक होगा कि––वह उसे उस व्यक्ति के व्यय पर, जिसके कब्जे में वह अभिग्रहण के समय रहा हो, ऐसी रीति से नष्ट कर दे, जिससे कि वह फिर प्रदर्शित या फेरी लगाकर बेची न जा सके या मानव उपभोग के लिए, अथवा उपर्युक्त किसी वस्तु के तैयार या निर्मित करने या उसमें रखने के लिए प्रयुक्त न हो सके ।

ऐसा भोजन रखने के सम्बन्ध में दंड जो रोग–ग्रस्त विकृत अथवा अस्वास्थ्यकर अथवा मानव भोजन के लिये अनुपयुक्त प्रतीत हो

490–ऐसी प्रत्येक दशा में जब धारा 489 के अधीन भोजन सामग्री के संबंध में कार्यवाही किये जाने पर, मैजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि वह रोग–ग्रस्त, विकृत, अस्वास्थ्यकर अथवा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, तो उसका स्वामी अथवा वह व्यक्ति, जिसके कब्जे में वह पाया गया हो, किन्तु जो उसका केवल उपनिहीत अथवा वाहक (bailee or career) न हो, सिद्धदोष होने पर, यदि ऐसी दशा में इंडियन पीनल कोड की धारा 273 के उपबन्ध न लागू होते हों, जुर्माने से दंडित किया जायगा जो 500 रू0 तक हो सकता है।

उचित समय के भीतर न दिये जाने पर आह्वान संबंधी प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जायगा

491–धारा 490 के अधीन सभी अभियोजनों में मैजिस्ट्रेट उक्त धारा के विरूद्ध अपराध करने वाले किसी अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति के लिए आह्नन जारी करने से इन्कार कर देगा जब तक कि उस अपराध जिसका कि उक्त व्यक्ति पर अभियोग लगाया जाता है, उस कथित दिनांक से उचित समय के भीतर आह्नन संबंधी प्रार्थना–पत्र न दिया जाय ।

मैजिस्ट्रेट तथा सत्र–न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां

हस्तक्षेप योग्य अपराध

492–(1) धारा [1][112–ग, धारा 112–घ या धारा] 417 का उल्लंघन करने का अपराध हस्तक्षेप योग्य (Cognizable) होगा ।

(2) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिजर, 1898 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के विरूद्ध किये गये समस्त अपराध, चाहे वे नगर के भीतर किये गये हों अथवा नगर के बाहर, अधिक्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्तक्षेप योग्य होंगे, तथा कोई भी ऐसा मैजिस्ट्रेट केवल इसी कारण से किसी ऐसे अपराध अथवा एतद्द्वारा निरस्त किसी विधायन के विरूद्ध किये गये अपराध में हस्तक्षेप करने के निमित्त अक्षम न होगा कि वह किसी [2][निगम] कर का देनदार है अथवा उसे [2][निगम] निधि से लाभ पहुंचता है ।

(3) उक्त कोड की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के विरूद्ध किये गये किसी अपराध के विषय में परिवादी (complainant) की परीक्षा करना आवश्यक न होगा यदि परिवादी लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाये।

कालावधि, जिसके भीतर इस अधिनियम के दंडनीय अपराधों के परिवाद लिए

493–कोई भी मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध में तब तक हस्तक्षेप न करेगा जब तक कि उसके समक्ष ऐसे अपराध के संबंध में परिवाद निम्नलिखित अवधि के भीतर प्रस्तुत न की जाय––

(क) ऐसा अपराध करने के दिनांक के पश्चात् 6 महीनों के भीतर; अथवा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) यदि ऐसा दिनांक ज्ञात न हो या अपराध लगातार किया जाता हो तो उस अपराध के लिये जाने अथवा उसकी जानकारी होने के 6 महीने के भीतर ।

जायेंगे, का परिसीमन

494–यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध के आरोप का प्रत्युत्तर देने के लिए किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष आहूत कोई व्यक्ति, आह्वन में वर्णित समय और स्थान पर उपस्थित न हो सके तथा यदि आह्वन की तामील मैजिस्ट्रेट के संतोषानुसार सिद्ध हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं प्रदर्शित किया जाता तो मैजिस्ट्रेट उसकी अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई कर सकता है और उसमें निर्णय दे सकता है ।

मैजिस्ट्रेट का अभियुक्त की अनुपस्थिति में वाद की सुनवाई करने का अधिकार

495–उत्तर प्रदेश सरकार के लोक विश्लेषक को विश्लेषण (Public Analyst) के लिए यथोचित रूप से (duly) प्रेषित किसी भी पदार्थ के संबंध में, उसके हस्ताक्षर सहित किसी लेख्य (document) को, जो प्रतिवेदन के रूप में अभिप्रेत हो, उसमें उल्लिखित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या अभियोजन (prosecution) में बिना किसी प्रमाण के प्रयुक्त किया जा सकता है ।

सरकार के लोक विश्लेषक का प्रतिवेदन

496–(1) नगर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उसमें अधिकार क्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से, नगर में किसी अप्रदूषण के विद्यमान होने के संबंध में अथवा इस संबंध में शिकायत कर सकता है कि धारा 231, 232, 249, 250, 251, 310 या 385 द्वारा प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग करने में न्यूनतम व्यवहारिक अप्रदूषण से अधिक अप्रदूषण उत्पन्न हुआ है ।

अप्रदूषणों संबंधी परिवाद

(2) किसी ऐसी शिकायत की प्राप्ति पर मैजिस्ट्रेट ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, [1][नगर आयुक्त] को निम्नलिखित आदेश दे सकता है यदि वह ऐसा करना उपयुक्त समझे ––

(क) इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के किन्हीं उपबन्धों को प्रवर्तित करे या ऐसे उपाय करे जो उस मैजिस्ट्रेट को उस अप्रदूषण को रोकने, हटाने, कम करने या दूर करने के निमित्त व्यवहारिक और उचित जान पड़े ;

(ख) परिवादी (complainant) को उक्त शिकायत तथा आज्ञा के या से सम्बन्ध ऐसे उचित व्यय (costs) अदा करे, जिसे उक्त मैजिस्ट्रेट निर्धारित करे, जिन व्ययों में उस शिकायत के संबंध में परिवादी के समय का जो अपव्यय हुआ है उसका प्रतिकर भी सम्मिलित है ।

(3) धारा 497 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, [1][नगर आयुक्त] उक्त प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

(4) इस अधिनियम मे वर्णित कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगी, जिसे अथवा जिसकी सम्पत्ति को, धारा 231, 232, 249, 250, 251, 310 अथवा 385 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके दिये गये किसी कार्य के कारण हानि पहुंची हो ।

497–(1) धारा 496 के अधीन मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित आज्ञा के विरूद्ध उस आज्ञा के दिनांक से एक महीने के भीतर सत्र–न्यायालय (Sessions Court) में अपील हो सकेगी ।

धारा 496 के अधीन पारित आज्ञा के विरूद्ध सत्र–न्यायालय में अपील

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) सत्र–न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन अपील निस्तारित करते समय, यह आदेश दे सकता है कि अपील का व्यय किसके द्वारा और किस अनुपात में, यदि कोई हो, अदा किया जायगा और इस प्रकार अदा किये जाने के लिए आदिष्ट व्यय, नगर में अधिकार क्षेत्र युक्त प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर सत्र–न्यायालय के आदेशानुसार उसके द्वारा उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो वह उसके द्वारा किया गया कोई जुर्माना हो ।

(3) यदि इस धारा के अधीन सत्र–न्यायालय में अपील निविष्ट की जाये तो [1][नगर आयुक्त] मैजिस्ट्रेट की आज्ञा पर तब तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर देगा जब तक वह अपील निस्तारित न हो जाय और तदुपरान्त सत्र–न्यायालय द्वारा उस अपील में पारित आज्ञा को अथवा यदि सत्र–न्यायालय मैजिस्ट्रेट की आज्ञा को बहाल रखे तो मैजिस्ट्रेट की आज्ञा को तुरन्त कार्यान्वित करेगा ।

(4) राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात् समय–समय पर उपधारा (1) के अधीन अपीलों के प्रवेश तथा उन पर न्यायिक विचार करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है ।

अपराधियों की गिरफ्तारी (Arrest)

इस अधिनियम के विरूद्ध आचरण करने वाले अपराधी कुछ दशाओं में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किये जा सकते हैं

498–(1) कोई पुलिस पदाधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उसके विचार से इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के विरूद्ध कोई अपराध किया हो, गिरफ्तार कर सकता है यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात न हो, तथा यदि वह व्यक्ति, पूछने पर अपना नाम और पता न बताये, अथवा ऐसा नाम और पता बताये जिसे ऐसा पदाधिकारी सकारण मिथ्या समझता है ।

(2) इस प्रकार गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति, उसका ठीक नाम व पता ज्ञात हो जाने के पश्चात् या मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना, गिरफ्तारी से 24 घंटे से अनधिक की ऐसी अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा (custody) में न रखा जायगा, जो उसे उक्त अपराध में हस्तक्षेप करने के लिए (to take cognizance) सक्षम (competent) मैजिस्ट्रेट के समक्ष लाने के लिये आवश्यक हो ।

प्रकीर्ण

कोड आफ सिविल प्रोसीजन का लागू होना

499–(1) इस अध्याय में स्पष्टरूप से की गई व्यवस्था को छोड़कर मूल डिक्रियों पर की गई अपीलों से सम्बद्ध कोड आफ सिविल प्रोसिजर, 1908 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, जिला जज को की जाने वाली अपीलों पर लागू होंगे ।

(2) अन्य समस्त विषय, जिनके लिए इस अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसे नियमों द्वारा नियमित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर हाई कोर्ट से परामर्श करने के पश्चात् बनाये ।

कालावधि

500–(1) इस अध्याय में निर्दिष्ट अपील अथवा प्रार्थना–पत्र के लिए विहित कालावधि की संगणना करते समय इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 5, 12 तथा 14 के उपबन्ध यथाशक्य लागू होंगे ।

(2) यदि किसी अपील, प्रार्थना–पत्र अथवा अभिदेश को प्रस्तुत करने के निमित्त इस अधिनियम में कोई समय विहित न हो तो ऐसी अपील, प्रार्थना–पत्र अथवा अभिदेश

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उस आज्ञा के, जिसके संबंध में अथवा जिसके विरूद्ध उक्त अपील, प्रार्थना–पत्र अथवा अभिदेश प्रस्तुत किया गया हो, दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायगा ।

न्यायाधीश और जिला जज की आज्ञा का सम्पादन

501–(1) न्यायाधीश (Judge) की सभी आज्ञायें उसी रीति से संपादित की जायगी मानो वे प्राविन्शियल स्माल काजेज कोर्ट ऐक्ट, 1887 के अधीन स्माल काजेज कोर्ट द्वारा पारित डिक्रियां हों ।

(2) जिला जज को सभी आज्ञायें उसी प्रकार सम्पादित होंगी मानो वे उसी के न्ययालय की डिक्रियां हों ।

मैजिस्ट्रेट के समक्ष समस्त जांचों और कार्यवाहियों में क्रिमिनल प्रोसिजर कोड लागू होगा

502–कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिजर, 1898 के उपबन्ध यथाशक्य इस अधिनियम के अधीन मैजिस्ट्रेट के समक्ष सभी जांचों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे ।

अध्याय 21

करों तथा अन्य [1][निगम] देयों (dues) की वसूली

[1][निगम] करों की वसूली की रीति

503–कोई भी [1][निगम] कर नियमों द्वारा विहित रीति से निम्नलिखित ढंगो से वसूल किया जा सकता है :–

(1) बिल प्रस्तुत करके ;

(2) मांग का लिखित नोटिस तामील करके ;

(3) बाकीदार की चल–सम्पत्ति के अभिहरण (distraint) तथा बिक्री से ;

(4) बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की (attachment) तथा बिक्री से ;

(5) [2][* * * *] ;

(6) सम्पत्ति–कर की दशा में सम्पत्ति पर देय किराये को कुर्क [3][यदि ऐसे किराये के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कर देय हो] करके ; और

(7) वाद द्वारा ।

बिल प्रस्तुत करना

504–(1) जैसे ही कोई व्यक्ति [4][तात्कालिक मांग पर देय किसी कर] से भिन्न किसी कर के रूप में किसी धनराशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाय, [5][नगर आयुक्त] यथाशीघ्र ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों को बिल प्रस्तुत करवायेगा ।

(2) जब तक नियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न हो, कोई भी व्यक्ति प्रत्येक कर तथा अनुज्ञप्ति शुल्क (license fee) के भुगतान के लिए उस अवधि के आरम्भ होते ही उत्तरदायी हो जायगा, जिसके संबंध में ऐसा कर या शुल्क देय हो ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 1991 की धारा 13 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1999 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 1991 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

505–उक्त प्रत्येक बिल में निम्नलिखित का उल्लेख होगा—– **बिल में समाविष्ट होने वाले विषय**

(क) अवधि जिसके निमित्त तथा सम्पत्ति, पेशा (occupation), हैसियत (circumstances) या कोई बात, जिसके संबंध में किसी धनराशि की मांग की गयी हो; तथा

(ख) भुगतान न करने की दशा में लागू किये जाने वाले (enforceable) दायित्व या शास्ति (penalty) ; तथा

(ग) समय, यदि कोई हो, जिसके भीतर धारा 472 में उपबंधित अपील की जा सकती हो ।

506–यदि कोई धनराशि, जिसके निमित्त उपर्युक्त बिल प्रस्तुत किया जाये, [1][निगम] के कार्यालय में या उस व्यक्ति को, जो किसी विनियम द्वारा ऐसा भुगतान लेने के लिए अधिकृत किया गया हो, बिल प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर न दे दी जाये, तो [2][नगर आयुक्त] उत्तरदायी व्यक्ति पर नियम द्वारा विहित प्रपत्र (form) में उक्त धनराशि के भुगतान के मांग का नोटिस तामील करा सकता है । **मांग की नोटिस**

507–(1) यदि उक्त धनराशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति मांग के ऐसे नोटिस के तामील होने के 15 दिन के भीतर—– **वारण्ट जारी होना**

(क) नोटिस में मांगी गई धनराशि का भुगतान न करे; या

(ख) [2][नगर आयुक्त] अथवा ऐसे पदाधिकारी को, जिसे [1][निगम] विनियम द्वारा एतदर्थ नियुक्त करे, उसके संतोषानुसार उस धनराशि के भुगतान न किये जाने के कारण न बतायें,

तो ऐसी धनराशि वसूली संबंधी समस्त व्ययों (costs) सहित नियमों में विहित प्रपत्र में [1][निगम] द्वारा जारी कराये गये वारन्ट द्वारा, अथवा बाकीदार की चल–सम्पत्ति की तत्समान प्रभावी अभिहरण (distress) या बिक्री द्वारा वसूल की जा सकती है ।

(2) इस धारा के अधीन जारी किये गये उक्त प्रत्येक वारन्ट पर [2][नगर आयुक्त] के या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।

508–उस [1][निगम] पदाधिकारी के लिए, जिसे धारा 507 के अधीन जारी किया गया वारन्ट सम्बोधित किया जाय, यह वैध होगा कि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय, निम्नलिखित परिस्थितियों में, और अन्यथा नहीं, वारन्ट में आदिष्ट अभिहरण को कार्यान्वित करने के लिये भवन के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर उसमें प्रवेश करे—– **वारन्ट की कार्यान्विति के लिए बलपूर्वक प्रवेश**

(क) यदि वारन्ट में ऐसी कोई विशेष आज्ञा हो जिसमें उसे एतदर्थ प्राधिकृत किया गया हो ;

(ख) यदि उसे यह विश्वास करने के उचित कारण हों कि भवन में ऐसी सम्पत्ति है जिसे वारन्ट के अधीन अभिग्रहीत किया जा सकता है ; तथा

(ग) यदि, अपना प्राधिकार (authority) और प्रयोजन बताने और यथावत् प्रवेश मांगने के पश्चात् उसे अन्यथा प्रवेश न मिल सकता हो :

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त पदाधिकारी महिलाओं के किसी कक्ष में तब तक न प्रवेश करेगा अथवा उसके दरवाजे को तब तक न तोड़ेगा जब तक कि उसने किसी भी महिला को, जो वहां हो, वहां से हट जाने का अवसर न दे दिया हो ।

वारण्ट कार्यान्वित करने की रीति

509–(1) उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त पदाधिकारी के लिए उस व्यक्ति की, जिसका नाम बाकीदार के रूप मे दर्ज किया गया हो, चल–सम्पत्ति को, जहां कहीं भी वह हो, अभिहरण (distress) करना वैध होगा ।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति अभिहृत न की जायेगी –

(क) बाकीदार, उसकी पत्नी तथा बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा बिस्तरें;

(ख) कारीगरों (artisans) के औजार;

(ग) लेखा–पुस्तकें (books of account);

(घ) यदि बाकीदार खेतिहर (agriculturist) हो ;

तो खेती के औजार, बीज और ऐसे पशु जो उसके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक हों ।

(3) अभिहरण (distress) अतिशय (excessive) न होगा, अर्थात् अभिहृत सम्पत्ति मूल्य में यथासंभव उस धनराशि के बराबर होगी, जिसे वारन्ट के अधीन वसूल किया जाना है और यदि किसी ऐसे व्यक्ति की राय में, जिसे धारा 507 की उपधारा (2) के अधीन वारन्ट पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिया गया हो, कोई ऐसी वस्तुयें अभिहृत हो गयी हों जो अभिहृत न होनी चाहिये थीं तो वे तुरन्त वापस कर दी जायेंगी ।

(4) उक्त पदाधिकारी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने के पश्चात् तुरन्त उसकी सूची (inventory) बनायेगा तथा उसे हटाने से पहले उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वह सम्पत्ति अभिग्रहण के समय रही हो, नियम द्वारा विहित प्रपत्र में इस आशय का एक लिखित नोटिस देगा कि वह सम्पत्ति नोटिस में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बेच दी जायेगी।

वारन्ट के अधीन सामानों की बिक्री और उसमें प्राप्त धन का उपयोग

510–(1) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति जल्द और स्वाभाविक रूप से खराब हो जाने वाली हो अथवा यदि उसे अभिरक्षा (custody) में रखने का व्यय मय उस धनराशि के, जिसे वसूल किया जाना है, उस सम्पत्ति के मूल्य से बढ़ जाने की आशंका हो, तो [1][नगर आयुक्त], या अन्य ऐसा पदाधिकारी, जिसने वारन्ट पर हस्ताक्षर किये हों, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति अभिग्रहीत की गयी थी, इस आशय का तुरन्त एक नोटिस देगा कि उसे फौरन बेच दिया जायगा और यदि वारन्ट में उल्लिखित धनराशि का तुरन्त भुगतान नहीं कर दिया जाता तो वह उसे तदनुसार बेच देगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति तुरन्त बेच नहीं दी जाती तो अभिग्रहीत सम्पत्ति अथवा उसका पर्याप्त भाग, वारन्ट को कार्यान्वित करने वाले पदाधिकारी द्वारा तामील किये गये नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, [2][निगम] की आज्ञा के अधीन सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच दिया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा जिसने वारन्ट पर हस्ताक्षर किये हों, वारन्ट निलम्बित न कर दिया जाये या बाकीदार देय धन और नोटिस, वारन्ट, अभिहरण और सम्पत्ति के निरोध (detention) के संबंध में हुए समस्त व्ययों का भुगतान न कर दे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) अधि–धन (surplus), यदि कोई हो, तुरन्त ही [1][निगम] निधि में जमा कर दिया जायेगा तथा उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गयी थी, जमा किये गये उक्त धन के संबंध में फौरन नोटिस दिया जायेगा, और यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर [2][नगर आयुक्त] को दिये गये लिखित प्रार्थना–पत्र द्वारा उसके संबंध में कोई दावा किया जाय तो वह उस व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा । यदि नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उक्त धन के संबंध में कोई दावा न किया जाय तो वह [1][निगम] की सम्पत्ति हो जायेगी ।

नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति के संबंध में कार्यवाही की प्रक्रिया

511–(1) यदि किसी बाकीदार की पर्याप्त चल–सम्पत्ति, या ऐसी सम्पत्ति जो उस भू–गृहादि पर हो जिसके संबंध में उस पर कर निर्धारित किया गया हो, नगर के भीतर प्राप्त न हो तो [1][निगम] के प्रार्थना–पत्र देने पर जिला मैजिस्ट्रेट अपने न्यायालय के किसी पदाधिकारी को––

(क) बाकीदार की किसी ऐसी चल–सम्पत्ति अथवा सामानों (effects) के अभिहरण और बिक्री के लिए जो जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्रस्थ किसी अन्य भाग में हो ; या

(ख) बाकीदार की किसी ऐस चल–सम्पत्ति अथवा सामानों के अधिहरण और बिक्री के लिये जो किसी अन्य ऐसे जिला मैजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में हो जो उत्तर प्रदेश मे अपने अधिकार क्षेत्र में हो, जो उत्तर प्रदेश में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता हो, अपरा वारन्ट जारी कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कार्यवाही होने की दशा में, अन्य जिला मैजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किये गये वारन्ट को अनुलिखित (endorse) करेगा तथा उसे कार्यान्वित करवायेगा और वसूल हुई किसी धनराशि को वारन्ट जारी करने वाले जिला मैजिस्ट्रेट को प्रेषित करा देगा और वह उसे [1][निगम] को भेज देगा ।

बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली

512–धारा 507 की उपधारा (1) में वर्णित परिस्थितयों में [2][नगर आयुक्त] या धारा 507 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारी, चल–सम्पत्ति के अभिहरण और बिक्री का वारन्ट जारी करने के स्थान पर या जब ऐसा वारन्ट जारी हो चुका हो किन्तु वसूल की जाने वाली धनराशि पूर्णतः अथवा अंशतः वसूल न हुई हो, बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री के लिये वारन्ट जारी कर सकता है ।

चल सम्पत्ति की दशा में वारन्ट किस प्रकार कार्यान्वित होगा

513–(1) जब किसी अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री का वारन्ट धारा 512 के अधीन जारी किये जाये तो कुर्की ऐसी आज्ञा द्वारा की जायेगी जो बाकीदार को उक्त सम्पत्ति को किसी प्रकार से हस्तान्तरित अथवा भारित करने से तथा समस्त व्यक्तियों को ऐसे किसी हस्तांतरण अथवा भार (charge) से लाभ उठाने से प्रतिषिद्ध करे तथा इस बात की घोषणा करे कि यदि 5 दिन के भीतर उक्त देय धन तथा वसूली का व्यय [1][निगम] के कार्यालय में जमा न किया गया तो सम्पत्ति बेच डाली जायगी ।

(2) ऐसी आज्ञा सम्पत्ति पर या उसके सन्निकट किसी स्थान पर डुग्गी पीट कर या अन्य रूढ़िगत ढंग से घोषित की जायेगी, तथा आज्ञा की एक प्रति सम्पत्ति के किसी प्रमुख स्थान पर तथा [1][निगम] के कार्यालय के प्रमुख स्थान पर, और यदि सम्पत्ति

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

ऐसी हो जिससे राज्य सरकार को मालगुजारी मिलती हो तो उस जिले के कलेक्टर के कार्यालय में भी, जहां वह भूमि स्थित हो, चिपका दी जायगी ।

(3) [1][नगर आयुक्त] की लिखित अनुज्ञा के बिना किया हुआ अभिहृत सम्पत्ति के किसी भार (charge) का या तदन्तर्गत स्वत्व (interest) का हस्तान्तरण, कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय (enforceable) [2][निगम] के सभी दावों के विरूद्ध शून्य होगा।

अचल सम्पत्ति की बिक्री

514–(1) यदि देय धनराशि धारा 513 की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर अदा न कर दी जाय, तो [1][नगर आयुक्त] की आज्ञा से अचल सम्पत्ति अथवा उसका पर्याप्तांश आम नीलाम द्वारा बेचा जा सकता है, जब तक कि वह वारन्ट को निलम्बित न कर दे या बाकीदार वसूली व्यय सहित देय धनराशि अदा न कर दें । [1][नगर आयुक्त] बिक्री से प्राप्त धनराशि या उसके ऐसे अंश को, जो आवश्यक हो उक्त देय धनराशि तथा वसूली के व्ययों की अदायगी में लगायेगा ।

(2) अधि–धन (surplus), यदि कोई हो, तुरन्त ही [2][निगम] निधि में जमा कर दिया जायेगा, किन्तु यदि विक्रय के दिनांक से 6 महीने के भीतर [1][नगर आयुक्त] को लिखित प्रार्थना–पत्र देकर अधि–धन के लिये दावा प्रस्तुत किया जाये तो वह बाकीदार को वापस कर दिया जायगा, और यदि किसी अधि–धन का पूर्वोक्तानुसार 6 महीने के भीतर दावा न किया जाय तो वह [2][निगम] की सम्पत्ति हो जायेगी।

(3) यदि बाकीदार विक्रय होने से पूर्व देय धनराशि तथा वसूली को लागत का भुगतान कर दे तो अचल सम्पत्ति की कुर्की के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उठा ली गयी है।

(4) इस धारा के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय नियमों न विहित रीति से संचालित होंगे।

(5) पूर्वोक्तानुसार अचल सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् [1][नगर आयुक्त] उसका कब्जा ऐसे व्यक्ति को दे देगा, जिसे खरीदार घोषित किया गया हो, तथा उसे इस आशय का एक प्रमाण–पत्र देगा कि उसने वह सम्पत्ति खरीद ली है जिसका प्रमाण–पत्र में निर्देश है ।

(6) [1][नगर आयुक्त] के लिये वह वैध होगा कि वह विक्रयार्थ प्रदर्शित अचल सम्पत्ति के लिये [2][निगम] की ओर से नाममात्रिक बोली (nominal bid) बोले, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बोली के संबंध में कार्यकारिणी समिति से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी हो ।

(7) [1][नगर आयुक्त] किसी पुलिस पदाधिकारी को किसी अचल सम्पत्ति पर से किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने का आदेश दे सकता है, जो उपधारा (5) के अनुसार की गयी उसकी किसी कार्यवाही मे बाधा डालता हो, तथा वह ऐसा चल–प्रयोग भी कर सकता है, जो ऐसी सम्पत्ति में प्रवेश के लिये समुचित रूप से आवश्यक हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

515– [1][X X X X]

516–(1) यदि सम्पत्ति–कर के रूप में देय किसी धनराशि के निमित्त किसी भू–गृहादि के अध्यासी को धारा 504 की उपधारा (1) के अनुसार कोई बिल दिया जाय तो [2][नगर आयुक्त] उसके दिये जाने के समय या तत्पश्चात् किसी समय अध्यासी पर नोटिस तामील करा के यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को, जो उक्त कर के भुगतान के लिये (primarily) प्रथमतः उत्तरदायी हो, देय अथवा देय होने वाले किराये में से [3][निगम] को इतनी धनराशि दे जिससे उक्त देय धनराशि का भुगतान किया जा सके। **देय किराये की कुर्की**

(2) ऐसा नोटिस, उक्त किराये की कुर्की के समान प्रभावी होगा जब तक कि सम्पत्ति–कर के रूप मे देय धनराशि की अदायगी और भरपाई न हो जाय, तथा अध्यासी को यह अधिकार होगा कि वह उक्त नोटिस के अनुसार अपने द्वारा [3][निगम] को दी गयी धनराशि उस व्यक्ति के किराये के हिसाब में से काट ले, जिसे वह देय हो ।

(3) पूर्वोक्त रूप से तामील किये गये नोटिस के अनुसार यदि किसी अध्यासी को यह आदेश दिये गये हों कि वह देय अथवा देय होने वाला किराया [3][निगम] को अदा करे, और वह अध्यासी उक्त किराये की धनराशि [3][निगम] को न दे तो [2][नगर आयुक्त] उस धनराशि को उसी प्रकार वसूल कर सकता है मानो वह धारा 504 के अधीन सम्पत्ति–कर की कोई बकाया हो ।

517–किसी बाकीदार के विरूद्ध अभिहरण (distress), कुर्की (attachment) और विक्रय जिनकी इसके पूर्व व्यवस्था की गयी है, द्वारा कार्यवाही करने के बजाय अथवा यदि बाकीदार के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही में कोई सफलता न मिली हो अथवा आंशिक सफलता मिली हो, तो कर के रूप में किसी बाकीदार द्वारा देय (due) कोई धनराशि अथवा उसका कोई शेष भाग (balance) जैसी भी स्थिति हो, सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उससे वसूल किया जा सकता है । **यदि आवश्यक हो तो बाकीदारों पर बकाया के लिये वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा**

518–(क) धारा 506 के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस का शुल्क, **शुल्क व व्यय (costs)**

(ख) धारा 509 के अधीन किया गया प्रत्येक अभिहरण (distress) का शुल्क, तथा

(ग) उक्त धारा के अधीन अभिगृहीत (seized) पशुधन के रखरखाव के व्यय (costs),

राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये गये नियमों में क्रमशः निर्दिष्ट दरों से वसूल किये जा सकेंगे (shall be chargeable) तथा उन्हें धारा 507 के अधीन आदेय (to be levied) वसूली के व्ययों में सम्मिलित किया जायेगा ।

519–इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभिहरण (distress), कुर्की (attachment) या विक्रय अवैध नहीं समझा जायेगा और न उसके अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति बिल, नोटिस, अभिहरण (distress) के वारन्ट, सूची (inventory) या तत्संबंधी कार्यवाही में कार्यवाही में कोई त्रुटि या कमी (defect or want) होने के कारण अनधिकार प्रवेश करने वाला (trespasser) ही समझा जायेगा । **अपवाद**

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 09, 1991 की धारा 15 द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

ऐसे देयों (dues) की वसूली जिनके संबंध में घोषणा की जा चुकी हो कि वे कर के रूप में वसूल किये जा सकते है

520–कोई [1][निगम] देय धनराशियां (dues) जिनके संबंध में इस अधिनियम, या नियमावली या उपविधियों द्वारा यह घोषणा की जा चुकी हो कि वे इस अध्याय में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते हैं, [2][नगर आयुक्त] द्वारा यथासंभव धारा 504 से 514 तथा 516 से519 तक के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार वसूल की जायेंगी मानो वे कोई कर हों ।

कुछ धाराओं के अधीन [2][नगर आयुक्त] द्वारा सामानों के हटाये जाने के सम्बन्ध में व्ययों की वसूली

521–(1) [2][नगर आयुक्त] द्वारा जो धारा 296 या धारा 302 की उपधारा (3) के अधीन कोई सामान हटवाने में या धारा 292 की उपधारा (2) या धारा 293 की उपधारा (3), या धारा 303, या धारा 305 की उपधारा (3) या धारा 306 की उपधारा (1) या धारा 331 के अधीन जारी किये गये लिखित नोटिस का अनुपालन न होने की दशा में, धारा 558 के अधीन किये गये व्यय तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट अन्य सभी व्यय और परिव्यय (charges), यदि कोई हों, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, हटाये गये सामान की बिक्री से वसूल किये जा सकेंगे, तथा यदि ऐसे सामान की बिक्री से प्राप्त धन यथेष्ठ न हो तो उक्त सामान का स्वामी शेष धन का भुगतान करेगा ।

(2) यदि सामान हटाने का व्यय किसी भी दशा में सामान की बिक्री से पहले अदा कर दिया जाये तो [2][नगर आयुक्त] सामान को उसके मालिक को वापस कर देगा यदि उस सामान का स्वामी उसके बिकने अथवा अन्य रूप से निस्तारित होने के पूर्व, तथा [2][नगर आयुक्त] द्वारा तदर्थ, अथवा उसके अभिप्रेत (intended) विक्रय अथवा निस्तारण के संबंध में किये गये अन्य समस्त व्यय, यदि कोई हों, तथा अन्य ऐसे समस्त परिव्यय (charges), यदि कोई हों, जिन्हें [2][नगर आयुक्त] सामान की जमा रखने (storage) के कारण निश्चित करे, अदा करने के पश्चात्, उस सामान को वापस लेने के संबंध में दावा करे।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन सामान स्वामी को वापस न किया जाये तो [2][नगर आयुक्त] उसे नीलाम द्वारा बेच देगा या अन्य ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो वह उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सामान शीघ्र नष्ट होने वाला है तो उसे तुरन्त बेचा या निस्तारित किया जा सकता है और यदि शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं है तो उसके हटाये जाने के दिनांक से एक महीने के भीतर यथासुविधा बेचा निस्तारित किया जायेगा, चाहे सामान को हटाने का व्यय तथा उसे जमा रखने के परिव्यय, यदि कोई हों, इसी बीच में अदा कर दिये गये हों या नहीं तथा विक्रय अथवा अन्य प्रकार के निस्तारण से प्राप्त धन यदि कोई हो उसमें से विक्रय या अन्य प्रकार के निस्तारण के व्यय और यदि आवश्यक हो, सामान हटाने का व्यय तथा उसे जमा रखने (storage) से सम्बद्ध परिव्यय (charge) काट लेने के बाद [1][निगम] निधि में जमा किया जायेगा तथा [1][निगम] की संपत्ति होगा ।

इस अधिनियम के अधीन वसूलने योग्य व्यय मांग करने पर देय होंगे और यदि मांग

522–(1) यदि इस अधिनियम, किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन [2][नगर आयुक्त] अथवा धारा 119 में एतदर्थ अधिकृत किसी [1][निगम] पदाधिकारी द्वारा अथवा उसकी आज्ञा के अधीन कोई निर्माण कार्य (work), कार्य (measure) या बात (thing) सम्पादित की गयी हो और उसके व्ययों को भुगतान किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना हो तो मांग करने पर ऐसे व्यय देय (payable) होंगे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) यदि उक्त व्यय मांग करने पर अदा न किये जायं तो वे इस धारा की उपधारा (4) तथा धारा 481 की उपधारा (3) के उबपन्धों के अधीन रहते हुये, [1][नगर आयुक्त] द्वारा बाकीदार की चल–सम्पत्ति अभिहरण (distress) तथा बिक्री द्वारा, या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा उसी प्रकार वसूल किये जा सकेंगे, मानो वे बाकीदार द्वारा देय सम्पत्ति–कर हों ।

करने पर अदा न किये जायं तो वे सम्पत्ति–कर की बकाया की भांति वसूल किये जायंगे

(3) [1][नगर आयुक्त] द्वारा उपधारा (1) के अधीन व्ययों के भुगतान की मांग करने पर यदि उसके इस प्रकार मांग प्रस्तुत करने के अधिकार या मांगी हुई धनराशि के संबंध में अथवा [1][नगर आयुक्त] द्वारा धारा 308 की उपधारा (2) के अधीन कोई अस्थायी कार्य सम्पादित करने की दशा में इस अस्थायी कार्य की आवश्यकता के संबंध में कोई विवाद खड़ा कर दिया जाय, तो [1][नगर आयुक्त] निर्धारण के लिये उसे न्यायाधीश (Judge) के पास भेज देगा ।

(4) [1][नगर आयुक्त] न्यायाधीश (Judge) का निर्णय होने तक अपने द्वारा अभियाचित (claimed) धनराशि की वसूली से संबंद्ध आगे की कार्यवाहियों को रोक देगा, तथा निर्णय के पश्चात् धारा 481 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, केवल ऐसी धनराशि, यदि कोई हो, वसूल करने के संबंध में कार्यवाही करेगा, जो निर्णय द्वारा देय (due) धनराशि निर्धारित की जाये ।

यदि बाकीदार उस भू–गृहादि का स्वामी हो, जिसके सम्बन्ध में व्यय देय हो, तो अध्यासी भी उस व्यय का देनदार होगा

523–यदि धारा 522 में निर्दिष्ट व्यय किसी भवन या भूमि में अथवा पर, या उसके संबंध में सम्पादित किये गये किसी निर्माण–कार्य, या की गयी किसी बात के संबंध में या किसी निजी सड़क से सम्बद्ध किसी भवन या भूमि के संबंध में किये गये किसी कार्य के फलस्वरूप देय हो, और बाकीदार ऐसे भवन–भूमि या उस भू–गृहादि का जो सड़क के सामने, उसके पार्श्व में, या उससे संलग्न हो, जैसी भी स्थित हो, स्वामी है, तो सम्बद्ध धनराशि की किसी ऐसे व्यक्ति से मांग की जा सकती है जो उक्त व्ययों के भुगतान से पूर्व किसी भी समय उक्त स्वामी के अधिकाराधीन उस भवन, भूमि या भू–गृहादि पर अध्यासित रहा हो, तथा यदि ऐसा व्यक्ति उस धनराशि का भुगतान न करे तो वह उसकी चल–सम्पत्ति के अभिहरण (distress) तथा विक्रय से अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय से उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह धनराशि उसके द्वारा देय सम्पत्ति–कर हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि––

(क) जब तक उक्त व्यक्ति, [1][नगर आयुक्त] द्वारा मांग करने पर, यह बात कि वह व्यक्ति उक्त भवन या भू–गृहादि के लिये कितना किराया देता है, तथा उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे किराया देय होता है, सच–सच बताने की उपेक्षा अथवा उससे इन्कार न करे तब वह व्यक्ति उक्त व्ययों के रूप में उस धनराशि से अधिक का देनदार न होगा जो मांग करने के समय तक उसके द्वारा उस भवन, भूमि, या भू–गृहादि के किराये के रूप में उसके स्वामी को देय हो ; किन्तु इस बात को सिद्ध करने का भार उक्त व्यक्ति पर ही होगा कि उससे मांगी गई धनराशि उसके द्वारा स्वामी को देय धनराशि से अधिक है ;

(ख) उक्त व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि यदि उसने उस व्ययों के कारण

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कोई धनराशि दी है अथवा कोई धनराशि उससे वसूल की गयी है तो वह उसे स्वामी के हिसाब में से काट ले ;

(ग) इस धारा की कोई बात उक्त किसी निर्माण–कार्य, बात या कार्य के व्ययों के बारे में उक्त व्यक्ति तथा भवन, भूमि या भू–गृहादि के, जो उसके अध्यासन में है, स्वामी के बीच हुये किसी अनुबन्ध पर प्रभाव न डालेगी ।

[1][नगर आयुक्त] व्यय को किस्तों में लेने के लिये अनुबन्ध कर सकता है

524–उपर्युक्त व्ययों की पूर्वोक्तानुसार किसी रीति से वसूल करने के बजाय [1][नगर आयुक्त], यदि वह उचित समझे, और कार्य कारिणी समिति की स्वीकृति से, उन व्ययो ंके देनदार व्यक्ति से अनुबन्ध कर सकता है कि वह व्यक्ति उस धनराशि को ऐसी किस्तों में तथा ऐसे कालान्तरों (intervals) में अदा करे, जिससे पूरी देय धनराशि उस ब्याज सहित जो उस पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर से लगाया जायगा जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निश्चित करे, 5 वर्ष से अनधिक की अवधि के भीतर वसूल हो जाय ।

कुछ व्यय विकास व्यय घोषित किये जा सकते हैं

525–(1) इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन किसी भवन या भूमि के संबंध में दिये गये (supplied) किसी सामान या संधायन (fittings) या उनमें, उन पर अथवा उनके संबंध में सम्पादित किये गये किसी निर्माण–कार्य अथवा की गई किसी बात के संबंध मे हुये व्यय जो उस भवन या भूमि के स्वामी या अध्यासी से वसूल किये जा सकते (recoverable) हों, विनियमों के अधीन रहते हुये विकास व्यय घोषित किये जा सकते है, यदि [1][नगर आयुक्त] [2][निगम] की स्वीकृति से उन्हें इस प्रकार घोषित करना उचित समझे, और ऐसी घोषणा होने पर उक्त व्यय तथा उपधारा (2) के अधीन उन पर देय ब्याज उन भू–गृहादि पर भार (charge) होंगे जिनके संबंध में अथवा जिनके लाभ के लिये वे व्यय किये गये हो ।

(2) विकास व्यय किस्तों में वसूल किये जा सकेंगे, जो किसी भी भू–गृहादि के लिये 12 रूपया प्रतिवर्ष से कम की न होगी । ये व्यय ऐसे कालान्तरों (intervals) में वसूल किये जायेंगे जिनसे वे, उस ब्याज सहित जो उन पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक की ऐसी दर से लगाया जायगा जिसे कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निश्चित करे, 30 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि में अदा किये जा सकेंगे जिसे प्रत्येक मामले में [1][नगर आयुक्त] [2][निगम] के अनुमोदन से निर्धारित करे ।

(3) ऐसी किस्ते उस भू–गृहादि के, जिस पर व्यय और उसका ब्याज भारित हो, अध्यासी द्वारा देय होंगी, अथवा ऐसे व्ययों के भुगतान की निश्चित अवधि व्यतीत होने पूर्व या ब्याज सहित उक्त धनराशि पूर्णरूप से अदा किये जाने के पूर्व उक्त भू–गृहादि के किसी भी समय अनध्यासित हो जाने की दशा में, उक्त किस्तें, भू–गृहादि के अनध्यासित रहने की अवधि तक उक्त भू–गृहादि के स्वामी द्वारा देय होगी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

526–(1) यदि कोई ऐसा अध्यासी, जिसके द्वारा कोई विकास व्यय अदा किये जाते हैं, ब्याज सहित भारित व्यय वाले किसी भू–गृहादि में किराये पर रहता हो तो उसे वह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा भू–गृहादि के स्वामी को देय किराये में से पूर्वोक्त व्यय तथा ब्याज के रूप में किये गये भुगतानों के निमित्त किराये का तीन–चौथाई भाग काट ले । **विकास व्ययों का निश्चित अनुपात किराये में से काटा जा सकता है**

(2) यदि वह भू–गृहादि का स्वामी (landlord), जिसके किराये मे से ऐसी कटौती की जाय स्वयं ही उस भू–गृहादि के लिये जिसके संबंध में कटौती की जाती हो, किराये का देनदार हो, तथा वह भू–गृहादि उसके अधिकार मे ऐसी अवधि के लिये हो, जिसके 20 से कम वर्ष अव्यतीत हों (किन्तु अन्यथा नहीं) तो वह अपने द्वारा देय किराये मे से ऐसे अनुपात में कटौती कर सकता है जो अपने द्वारा देय और अपने को प्राप्य किराये में होता हो और यदि क्रम एक ही (same) भू–गृहादि के ऐसे प्रत्येक स्वामी (जिसके अधिकार में वह भू–गृहादि 20 वर्ष से अनधिक अव्यतीत अवधि के लिये हो) के संबंध में लागू होगा जो किराया प्राप्त कर रहा हो और किराये का देनदार भी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में किसी भी बात को एसा अर्थ न लगाया जायगा कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा देय किराये मे से उसे प्राप्य किराये से काटी गयी कुल धनराशि से अधिक काट लेने का अधिकार मिल गया है ।

527–ब्याज सहित विकास व्यय के भुगतान की अवधि व्यतीत होने से पूर्व किसी भी समय, उस भू–गृहादि का, जिस पर ऐसा व्यय भारित हो, स्वामी या अध्यासी, [1][नगर आयुक्त] को उक्त व्यय का ऐसा भाग तथा ऐसा देय (due) ब्याज, यदि कोई हो, अदा कर के जो पहले से अदा न किया गया हो अथवा वसूल न हुआ हो, उक्त भार (charge) का विमोचन (redemption) कर सकता है । **विकास व्यय के निमित्त भार विमोचन**

528–धारा 524 अथवा 525 के अधीन देय कोई भी किस्त या वह किस्त, जो देय हो जाने पर भी अदा न की जाय [1][नगर आयुक्त] द्वारा उस व्यक्ति की जिसके द्वारा यह देय हो, चल–सम्पत्ति के अभिहरण (distress) और बिक्री अथवा अचल सम्पत्ति की कुर्की (attachment) और बिक्री करके उसी प्रकार वसूल की जा सकती है, मानो वह उक्त व्यक्ति द्वारा देय कोई सम्पत्ति–कर हो । **धारा 524 व 525 के अधीन देय किस्तों की वसूली**

529–जब किसी भवन या भूमि का स्वामी कोई ऐसा कार्य सम्पादित नही करता जिसकी उससे इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन अपेक्षा की जाती हो तो ऐसी भूमि या भवन का अध्यासी, यदि कोई हो, [1][नगर आयुक्त] की स्वीकृति से उक्त कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा उस प्रकार सम्पन्न किये गये कार्य का उचित व्यय स्वामी से वसूल करने का अधिकार होगा, और वसूली के अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह उसे स्वामी को समय–समय पर अपने द्वारा देय किराये मे से काट सकता है । **किसी भू–गृहादि के स्वामी द्वारा चूक करने पर अध्यासी कार्य सम्पन्न कर सकता है तथा स्वामी से व्यय वसूल कर सकता है**

530–किसी व्यय या प्रतिकार की, जिसकी देय धनराशि यहां पर पहले (hereinbefore) वर्णित रीति से निश्चित की जा चुकी हो, वसूली के सम्बन्ध में पूर्वोक्त **व्यय अथवा प्रतिकर के लिये**

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

रूप से कार्यवाही करने के बजाय या जब ऐसी कार्यवाही असफल या अंशतः सफल रही हो, तो देय धनराशि अथवा शेष (balance) धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम अधिकार क्षेत्र युक्त न्यायालय में उत्तरदायी व्यक्ति (person liable) के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करके वसूल की जा सकेगी ।

उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध उनकी वसूली कर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है

अध्याय 22

नियंत्रण

राज्य सरकार का कार्यवाहियों इत्यादि से अवतरण मांगने का अधिकार

531–(1) राज्य सरकार किसी भी समय [1][निगम] को यह आदेश दे सकती है कि वह उसे [1][निगम], कार्यकारिणी समिति अथवा इस अधिनियम के अधीन निमित किसी अन्य समिति की किसी कार्यवाही से या [1][निगम] के नियंत्रणाधीन किसी अभिलेख से कोई अवतरण और इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध या संशक्त कोई आंकड़ें प्रस्तुत करे और [1][निगम] उसे बिना अनुचित विलम्ब के प्रस्तुत करेगी ।

(2) राज्य सरकार किसी भी समय [2][नगर आयुक्त] को यह आदेश दे सकती है कि वह इस अधिनियम के कार्यपालिका प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त कोई सूचना, प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण या आकड़े प्रस्तुत करे और [2][नगर आयुक्त] यथास्थिति बिना अनुचित विलम्ब के उन्हें प्रस्तुत करेगा ।

राज्य सरकार का निरीक्षण करने का अधिकार

532–राज्य सरकार [1][निगम] के किसी विभाग, कार्यालय, सेवा, कार्य अथवा वस्तु का निरीक्षण अथवा परीक्षण करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिये किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति (depute) कर सकती है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ऐसे निरीक्षण अथवा परीक्षण के प्रयोजनों के लिये उन समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जो धारा 531 के अधीन सरकार को प्राप्त है ।

राज्य सरकार के कार्यवाही करने के संबंध में निदेश देने के अधिकार

533–यदि धारा 531 अथवा 532 के अधीन कोई सूचना अथवा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा राज्य सरकार की यह राय हो कि––

(क) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत किसी [1][निगम] प्राधिकारी पर आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन नहीं किया गया है या अपूर्ण, अकुशल अथवा अनुपयुक्त रीति से उसका पालन किया गया है, या

(ख) उक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिये पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था नहीं की गयी है,

तो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा [1][निगम] अथवा [2][नगर आयुक्त] को आदेश दे सकती है कि वह उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर यथास्थिति कर्त्तव्य का उचित प्रकार से पालन करने के लिये उसके संतोषानुसार प्रबन्ध करे अथवा कर्त्तव्य पालन करने के लिये उसके संतोषानुसार वित्तीय व्यवस्था करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक ऐसे कारणों के आधार पर जो अभिलिखित कियें जाएंगे राज्य सरकार की राय मे ऐसी आज्ञा का तात्कालिक निष्पादन आवश्यक न हो, राज्य सरकार इस धारा के अधीन कोई आज्ञा देने के पूर्व [1][निगम] को यह कारण बताने का अवसर देगी कि ऐसी आज्ञा क्यों न दी जाय ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

राज्य सरकार का [1][निगम] के चूक (default) करने पर कार्यवाही करने के लिये किसी व्यक्ति को [1][निगम] के खर्चे से नियुक्त करने का अधिकार

534–(1) यदि धारा 533 के अधीन प्रसारित किसी आज्ञा द्वारा निश्चित अवधि के भीतर उस धारा के अधीन आदिष्ट कोई कार्यवाही यथावत नहीं की गई है तो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा––

(क) इस प्रकार आदिष्ट कार्यवाही करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है ;

(ख) उसे दिये जाने के लिये पारिश्रमिक निश्चित कर सकती है ; और

(ग) वह आदेश दे सकती है कि ऐसा पारिश्रमिक और ऐसी कार्यवाही करने में होने वाला व्यय [1][निगम] निधि से पूरा किया जायगा और यदि आवश्यक हो तो, अध्याय 9 के अधीन प्राधिकृत कोई एक या एकाधिक कर लगाये जायेंगे अथवा बढ़ाये जायेंगे, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वे उस भाग द्वारा विहित अधिकतम सीमा से बढ़ जायें।

(2) उपर्युक्त रूप से आदिष्ट कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिये उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति को ऐसे संविदाओं (contracts) को जो, आवश्यक हों, करने का अधिकार होगा और वह इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन किसी [1][निगम] प्राधिकारी को प्रदत्त और उपधारा (1) के अधीन प्रचारित आज्ञा में एतदर्थ निर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग कर सकता है, तथा उसे इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार संरक्षण (protection) का अधिकार प्राप्त होगा मानो वह [1][निगम] का प्राधिकारी हो।

(3) राज्य सरकार, उक्त करों में से किसी कर को लगाने अथवा बढ़ाने का आदेश देने के अतिरिक्त या उसके बदले में विज्ञप्ति द्वारा यह आदेश दे सकती है कि कोई धनराशि जो उसकी राय मे उसकी आज्ञाओं को प्रभावी बनाने के लिये अपेक्षित हो, ब्याज की ऐसी दर से और उक्त करों में से सभी अथवा किसी कर की प्रतिभूति (security) पर ऋण–पत्र (debenture) द्वारा भुगतान की अवधि और अन्य प्रकार की ऐसी शर्तों पर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाये, उधार ली जाये।

(4) धारा 156 से लेकर 170 तक के उपबन्ध जहां तक संभव होगा, इस धारा के अनुसार लिये गये ऋण पर लागू होंगे ।

आपात के समय राज्य सरकार के अधिकार

535–(1) आपात की दशा में राज्य सरकार किसी ऐसे निर्माणकार्य के ऐसे अभिकरण द्वारा तथा ऐसी रीति से जो वह अपनी आज्ञा मे नियत करे, निष्पादन की अथवा ऐसे कार्य के करने की व्यवस्था कर सकती है, जो [1][निगम] अथवा [2][नगर आयुक्त], [1][निगम] या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से अथवा उसके बिना निष्पादित करने या उस कार्य के करने का अधिकार रखती हो और उसकी राय में जिसका तात्कालिक निष्पादन अथवा किया जाना जनता की सुरक्षा अथवा संरक्षण (safety or protection) के लिये आवश्यक हो और यह आदेश दे सकती है कि निर्माण–कार्य को निष्पादित करने अथवा उस कार्य को करने का व्यय तुरन्त [1][निगम] द्वारा अदा किया जायेगा ।

(2) यदि उक्त व्यय उपर्युक्त प्रकार से अदा न किया जाय तो राज्य सरकार एक आज्ञा दे सकती है जिसमें [1][निगम] निधि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को ऐसी निधि मे से उक्त व्यय अदा करने का आदेश दिया जायेगा ।

राज्य सरकार को संकल्पों

536–[2][नगर आयुक्त] राज्य सरकार को और राज्य सरकार यदि ऐसा आदेश दे तो विहित प्राधिकारी को [1][निगम], कार्यकारिणी समिति, विकास समिति के और

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][निगम] की समितियों और संयुक्त समितियों तथा उपसमितियों के सभी संकल्पों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा ।

की प्रतियों का प्रस्तुत किया जाना

राज्य सरकार का इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही को निलम्बित करने का अधिकार

537–(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि [1][निगम] के अथवा [1][निगम] के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा किसी अन्य समिति अथवा संयुक्त समिति अथवा उप–समिति अथवा [1][निगम] के किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी (servants) के किसी संकल्प या आज्ञा के निष्पादन अथवा किसी ऐसे कार्य के करने से जो [1][निगम] द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि का उल्लंघन होगा या उनका अतिक्रमण होगा या वह ऐसे किसी अधिकार का दुरूपयोग करके पारित किया या दिया गया है या उससे शांति भंग होने या जनता अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा संस्था को बाधा, क्षति अथवा परिभव (annoyance) पहुंचने या मानव जीवन, स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो या वह जनहित के प्रतिकूल हो तो राज्य सरकार लिखित आज्ञा द्वारा ऐसे संकल्प अथवा आज्ञा के निष्पादन को निलम्बित कर सकती है या ऐसे किसी कार्य के लिये जाने का प्रतिषेध कर सकती है।

(2) उक्त आज्ञा की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा तुरन्त [1][निगम] को भेज दी जायगी ।

(3) राज्य सरकार किसी भी समयय [1][निगम] द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा, अन्यथा उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आज्ञा को पुनरीक्षित, परिष्कृत अथवा प्रतिसंहृत (revoke) कर सकती है ।

अक्षमता, सतत चूक या अधिकारों के अतिक्रमण या दुरूपयोग की दशा में राज्य सरकार का [1][निगम] को विघटित करने का अधिकार

538–(1) यदि किसी समय अभ्यावेदन किये जाने पर राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि [1][निगम] इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा अथवा उसके अधीन उस पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने मे सक्षम नहीं है अथवा उनके पालन करने में सतत चूक करती है अथवा अपने अधिकारों का एक बार से अधिक अतिक्रमण या दुरूपयोग करती है तो राज्य सरकार [1][निगम] को यह कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् कि क्यों ऐसी आज्ञा न दी जाय, सरकारी गजट में उसके कारणों के सहित एक आज्ञा प्रकाशित करके [1][निगम] को विघटित कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा की एक प्रति यथासम्भव शीघ्र उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रख दी जायगी ।

[2][(3) यदि निगम उपधारा (1) के अधीन भंग कर दिया जाय तो निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे––

(क) [3][महापौर], [4][***] और समस्त [1][पार्षद] आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को पुनर्निर्वाचन की पात्रता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले अपने–अपने पदों को रिक्त कर देंगे ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 65 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन निगम के संगठन तक [1][नगर आयुक्त] निगम और धारा 5 में उल्लिखित समितियों का भी कार्य चलाता रहेगा।]

539– [2][X X X X]

अध्याय 23

नियम, उपविधियां तथा विनियमन

राज्य सरकार द्वारा नियमों का बनाया जाना

540–(1) इस अधिनियम के पूर्व अध्यायों के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त नियम बनाने के अधिकार के अतिरिक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के निमित्त नियम बना सकती है तथा [3][निगम] के पथ–प्रदर्शनार्थ (guidance) इस अथवा अन्य किसी विधायन के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से संबंधित विषयों के निमित्त आदर्श नियम (Model Rules) भी बना सकती है ।

स्पष्टीकरण––इस उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों में [3][निगम] तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन को तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को विनियमित करने के संबंध में, जब तक कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उस प्रयोजन के निमित्त उपविधियों न बन जायें, नियम बनाने का अधिकार भी सम्मिलित है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहते हुये होगा कि पूर्व प्रकाशन के पश्चात् ही नियम बनाये जायंगे और जब तक वे सरकारी गजट में प्रकाशित न हो जाये तब तक प्रभावी न होंगे ।

(3) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई नियम सामान्यतः सभी [3][निगमों] के लिये या विशेषतः ऐसे किसी एक या एकाधिक [1][निगमों] के लिये हो सकता है जो निर्दिष्ट किये जाये ।

(4) [4][* * * *]

किन प्रयोजनों के लिये उपविधियां बनायी जायंगी

541–[3][निगम] समय–समय पर निम्नलिखित विषयों के संबंध में ऐसी उपविधियां बना सकती है जो इस अधिनियम और नियमों से असंगत न हों, अर्थात्––

(1) ऐसे किसी विवरण के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम या नियमों में विशेषरूप से व्यवस्था न की गई हो, नालियों, संवीजन छड़ों या पाइपों, मलकूपों, नाबदानों, संडासों, शौचालयों, मूत्रालयों, धुलाई गृहों, प्रत्येक प्रकार के जलोत्सारण निर्माण, कार्यों चाहे वे निगम के हों अथवा अन्य व्यक्तियों के, [3][निगम] जलकलों, निजी संचार पाइपों (communication pipes) निजी सड़कों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, संधारण, रक्षा, धुलाई (flushing) सफाई और नियंत्रण को विनियमित करना ;

(2) जल–संभारण और उसके उपयोग से सम्बद्ध सभी विषयों को विनियमित करना ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 66 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 67 द्वारा निकाला गया ।

(3) सार्वजनिक तथा निजी गाड़ी के अड्डों के संधारण, निरीक्षण (supervision) और प्रयोग की तथा उनमें से ऐसे अड्डों के प्रयोग के लिये, जा [1] [निगम] की हों शुल्क लगाने का कार्य (levy) विनियमित करना ;

(4) धारा 316 और 317 के अधीन नोटिस का प्रपत्र और विभिन्न श्रेणी के निर्माण–कार्यों के ढांचों के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले सूचना आलेख्यों (information documents) तथा नक्शों (plans) एवं ऐसी रीति जिससे वे व्यक्ति, जिनके द्वारा नोटिसों पर हस्ताक्षर किये जायंगे तथा वह रीति जिससे नक्शा, खंड–विवरण, सरचना संबंधी रेखाचित्र (structural drawing) या संरचना संबंधी गणनायें (structural calculations) क्रमशः बनाये, दिये, तैयार किये और हस्ताक्षरित किये जायेंगे, विहित करना ;

(5) वह रीति, निरीक्षण (supervision), अभिकरण, शर्तें एवं निर्बन्धन विनियमित करना क्रमशः जिससे, जिसके अंतर्गत, जिसके द्वारा और जिनके अधीन विशेष श्रेणियों के भवनों के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण का कार्य अथवा धारा 317 में वर्णित कोई कार्य किया जायेगा ;

(6) सुदृढ़ बनाने और अग्निकांड से बचाव तथा आग लगने की दशा में गृहवासियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रयोजनार्थ या तो सामान्यतः या निर्माण–कार्य के प्रकार और उसके अभिप्रेत प्रयोग की दृष्टि से दीवालों, नीवों, छतों और चिमनियों का ढांचा (structure), जोनो (staircases) की संख्या, चौड़ाई और स्थिति, बरामदों (corridors) और रास्तों की चौड़ाई, फर्श, सीढ़ियों और छोटे–छोटे सभी टुकड़ों (scantilings), गर्डरों, खम्भों (posts) तथा भवन स्तम्भों की सामग्री, आकार और मजबूती;

(7) कार्य करने वालों और सामान्य जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निमित्त भवन निर्माण के प्रयोजनार्थ पाढ़ों (scaffolding) का निर्माण ;

(8) भवनों के पर्याप्त संवीजन के लिये वायु के निर्वाध संचार तथा अन्य साधनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भवनों के निकट पर्याप्त खुली जगह––चाहे वह बाहर हो या भीतर––की व्यवस्था करना तथा उसका संधारण ;

(9) भवनों में पहुंचने के लिये उपयुक्त साधनों की व्यवस्था और उनका संधारण तथा उनमें अतिक्रमण (encroachment) का निवारण ;

(10) गृह–पथों (House gallies) और सेवा मार्गों (service passages) की व्यवस्था और उनका संधारण ;

(11) उन शर्तों को विनियमित करना, जिनके अधीन ढांचे के भवन (frame buildings) बनाये जा सकते हैं ;

(12) भवन–निर्माण–स्थल के रूप में भूमि के प्रयोग को विनियमित करना, ऐसे स्थलों का न्यूनतम आकार––सामान्यतः अथवा निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये विहित करना––और निर्दिष्ट स्थानों (localities) में, निर्दिष्ट सड़कों या सड़कों की श्रणियों पर सभी या विशेष श्रेणियों के भवनों के लिये यह विहित करना कि सड़क के पार्श्व (margin) से वे कितने पीछे (set-back) रहेंगे ;

(13) सामान्यतः अथवा उन सामानों की दृष्टि से, जिससे वे बनाये जायं या उन सड़कों की चौड़ाई की दृष्टि से, जिनकी और उनका सामने का भाग पड़ता हो, अथवा उन क्षेत्रों की दृष्टि से, जिनमें वे स्थित हों या उस प्रयोजन की दृष्टि से, जिसके लिये उनका प्रयोग अभिप्रेत हो, ढांचों की ऊंचाई को विनियमित करना ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(14) भूमि के ऊपर, या अगली निचली मंजिल (next lower storey) के ऊपर भवन में बनाये जाने वाले मंजिलों की संख्या और ऊँचाई को विनियमित करना।

(15) धारा 329 के अधीन अपेक्षित समाप्ति के प्रमाण–पत्रों का प्रपत्र, वह रीति जिसेस तथा वह व्यक्ति जिसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायगा, विहित करन।

(16) कालान्तरो (intervals), जिन पर, रीति जिससे तथा व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 330 के अधीन भवन का समय–समय पर निरीक्षण किया जायगा, विनियमित करना।

(17) [1] [निगम] में निहित तथा समाज के निर्धन वर्गों के लिये अभिप्रेत निवास–गृहों (dwellings) के प्रबन्ध, संधारण, नियंत्रण तथा प्रयोग को विनियमित करना।

(18) अनुज्ञप्त भू–मापकों, वास्तु शास्त्रियों, अभियंताओं, ढांचा–निर्माताओं, निर्माण–लिपिकों और नल–मिस्त्रियों के लिये अर्हतायं और अनुभव विहित करना।

(19) किसी ऐसे विवरण की दृष्टि से जिसकी इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, सफाई–संरक्षण और स्वच्छता का और कृन्तकों (odents) तथा अन्न को नुक्सान पहुंचाने वाले अन्य कीड़े–मकोड़ों के विनाश, मच्छड़ों, मक्खियों तथा अन्य कृमियों (pests) के विरुद्ध, रोकथाम (preventive) तथा औपचारिक (remedial) उपायों का विनियमन।

(20) धारा 434 में उल्लिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त सभी भू–गृहादि ओर उस पर किये जाने वाले सभी व्यापारों और उत्पादनों (manufactures) का नियंत्रण तथा निरीक्षण (supervision) तथा ऐसे किसी भू–गृहादि के निर्माण, आकार, संवीजन, प्रकाश, सफाई, जलोत्सारण तथा जल–सम्भरण को विहित तथा विनियमित करना।

(21) दूध देने वाले पशुओं का निरीक्षण तथा पशु–शालाओं (cattle-sheds) और दुग्धशालाओं के निर्माण, आकार, संवीजन, प्रकाश, सफाई, जलोत्सारण तथा जल–सम्भरण को विहित ओर विनियमित करना।

(22) दूध के भंडारों, दूध की दूकानों तथा ग्वालों (dairymen) या दूध बेचने वालों द्वारा दूध रखने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने वाले दुग्ध भांडो की स्वच्छता को सुनिश्चित करना।

(23) नगर में दूध की बिक्री को विनियमित करना, दूध को दूषित होने से बचाना और दूषित दूध की बिक्री की रोक–थाम करना।

(24) जब दूध देने वाला कोई पशु की सांसर्गिक रोग से ग्रस्त हो जाय तो उस दशा में नोटिस दिये जाने का आदेश देना तथा दूध देने वाले पशुओं और दूध को संक्रमित (infection) या दूषित होने से (condemnation) बचाने के लिये पूर्वोपाय विहित करना।

(25) पशुओं मे ऐसी बीमारी के फैलने की दशा में, जो मनुष्यों को भी लग सकती हों, किये जाने वाले उपायों (measures) तथा ऐसी सूचनाएं देने के कार्यों को विनियमित कर नाप जो उन उपायों के सम्पन्न करने में सुविधा प्रदान करें।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(26) बाजारों, वधशालाओं और ऐसी दुकानों के कुशल–निरीक्षण को सुनिश्चित करना, जिसमें मानव भोजन के लिये अभिप्रेत वस्तुएं रखी या बेची जाती हों।

(27) नगर के भीतर या नगर के बाहर की [1][निगम]–वधशाला में कारबार करने वाले कसाइयों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण।

(28) [1][निगम] बाजार के किसी भवन, बाजार–स्थल (market place) या वधशाला या उसके किसी भाग के प्रयोग को विनियमित करना।

(29) बाजारों और वधशालाओं की सफाई की स्थिति को नियंत्रित और विनियमित करना और उसमें निर्दयता (cruelty) के प्रयोग का निवारण करना।

(30) धारा 186 के अधीन कर–निर्धारण से मुक्त ठेलों (handcarfts) से भिन्न हाथ से चलाये जाने वाले ठेलों को अनुज्ञप्त करना और ऐसे किसी ठेले का अभिग्रहण करना (seizure) और उसे निरुद्ध करना, जो यथावत अनुज्ञप्त न हो।

(31) किसी ऐसे संक्रामक (infectious) रोग, महामारी या स्थानिक प्रकार के (epidemic) ऐसे रोगों की घटनाओं के संबंध में जो भयानक न हों, ऐसा नोटिस दिये जाने का आदेश देना, जो निर्दिष्ट किया जाय तथा किसी ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति या उस व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसे रोग के संक्रमण की आशंका हो सकती हो (exposed to infection), किये जाने वाले पूर्वोपायों (precautions) को विहित करना।

(32) समाज के विभिन्न वर्गों की धार्मिक प्रथाओं का उचित ध्यान रखते हुये मृतकों के निस्तारण को तथा मृतकों के निस्तारण के समस्त स्थानों का अच्छी, स्वच्छ तथा सुरक्षित दशा में संधारित किया जाना, विनियमित करना।

(33) मृत पशुओं के शरीरों से चमड़ा निकालने (skinning) और उन्हें काटने के निमित्त किसी स्थान के प्रयोग को विनियमित करना।

(34) जन्म और मरण के पूर्ण और यथार्थ पंजीयन को सुविधाजनक बनाना और सुनिश्चित करना।

(35) विवाहों का पंजीयन (registration) ।

(36) [1][निगम] में निहित या उसके नियंत्रण के अधीनस्थ सार्वजनिक बाजारों, उद्यानों, मोटर गाड़ी इत्यादि खड़ा करने के सार्वजनिक स्थानों (public parking places) तथा खुले मैदानों की क्षति या दुरूपयोग से रक्षा करना, उनके प्रबन्ध और उस रीति को विनियमित करना, जिससे वे जनता द्वारा प्रयुक्त किये जा सकते हों तथा वहां के लोगों के उचित व्यवहार (proper behaviuor) की व्यवस्था करना।

(37) किसी ऐसे सड़क, पगडंडी (pathway) या स्थान, जिसे प्रयोग करने या जिसमें आने–जाने का सर्वसाधारण को अधिकार हो, से लगी हुई भूमि या भू–गृहादि पर मेंड़ लगाने के लिये कांटेदार तार या अन्य सामग्री के प्रयोग को विनियमित करना।

(38) चिथड़ों, हड्डियों या पुराने (second hand) कपड़ों, बिस्तरों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करना, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसी वस्तु के आयात के समय या उसके हटाये जाने, बिक्री या बिक्री के लिये प्रदर्शित किये जाने या किसी उत्पादन–क्रिया में प्रयोग किये जाने के पूर्व उसे कीटशोधित (disinfect) करने के उपाय भी सम्मिलित हैं।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(39) नगर में मेलों के आयोजन और औद्योगिक प्रदर्शनियों को विनियमित करना।

(40) नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में ज्वलनशील वस्तुएं एकत्रित करने और आग जलाने को विनियमित और प्रतिषिद्ध करना।

(41) इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अनुज्ञप्ति, स्वीकृति अथवा अनुज्ञा प्रदान करने के लिये शुल्क निश्चित करना।

(42) किसी [1] [निगम] प्राधिकारी द्वारा की गयी सेवाओं के लिये शुल्क (charges) विनियमित करना।

(43) [1][निगम] के अस्पतालों, औषधालयों (dispensaries), आरोग्यशालाओं (infirmaries), गृहों (homes) और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में जनता के प्रवेश और जनता द्वारा उनके प्रयोग को ओर उसके सम्बन्ध में लिये जाने वाले शुल्क को विनियमित करना।

(44) [1][निगम] की सम्पत्ति की रक्षा।

(45) [1][निगम]–अभिलेखों का जनता द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण और ऐसे निरीक्षण की अनुमति देने के पूर्व लिये जाने वाले शुल्कों का विनियमन।

(46) [1][निगम]–अभिलेखों से उद्धरणों की प्रमाणित प्रतिलिपियों या उद्धरण (extracts) दिये जाने और उनके लिये लियें जाने वाले शुल्कों को विनियमित करना।

(47) नगर में भवनों और भूमियों के ऐसे स्वामियों द्वारा जो उस नगर में निवास न करते हों इस अधिनियम या नियमों, विनियमों या उपविधियों के साथ या किसी प्रयोजन के लिये स्वामी की ओर से कार्य करने के निमित्त उक्त नगर में या उसके निकट रहने वाले अभिकताओं की नियुक्ति को विनियमित करना।

(48) विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा विनियमन ; और

[2][(48–क) मिट्‌टी के बर्तन बनाने के व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़े व्यक्तियों को भूमि के आवंटन के लिये व्यवस्था और रीति।

<u>स्पष्टीकरण</u>––किसी व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़ा हुआ समझा जायगा यदि वह व्यक्तियों के ऐसे वर्ग का हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाय ।]

(49) सामान्यतया इस अधिनियम के उपबन्धों और अभिप्रायों को कार्यान्वित करना ।

[3][नगर आयुक्त] उपविधियों के पांडुलेख को [1][निगम] के समक्ष विचारार्थ रखेगा

542–[3][नगर आयुक्त] का यह कर्तव्य होगा कि वह समय–समय पर [1][निगम] के समक्ष विचारार्थ किसी ऐसी उपविधि का पांडुलेख रखे जिसे वह इस अधिनियम के किसी प्रयोजनों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक ओर वांछनीय समझे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 20 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रस्तावित उपविधियों के संबंध में की गई आपत्तियों की [1][निगम] द्वारा सुनवाई

543–[1][निगम] द्वारा कोई भी उपविधि न बनायी जायेगी, जब तक कि,––

(क) नोटिस में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसी उपविधि पर विचार किये जाने के [1][निगम] के अभिप्राय का नोटिस, उक्त दिनांक के पूर्व, सरकारी गजट और [1][निगम] की बुलेटिन, यदि कोई हो, में न दे दिया गया हो;

(ख) ऐसी उपविधि की एक मुद्रित प्रति [1][निगम] के मुख्य कार्यालय में न रख दी गई हो और किसी व्यक्ति द्वारा जो खंड (क) के अधीन दिये गये नोटिस के दिनांक के बाद किसी उचित समय में उसे पढ़ना चाहता हो, सार्वजनिक रूप से निःशुल्क निरीक्षण किये जाने के लिये उपलब्ध न करा दी गई हो ;

(ग) ऐसी उपविधि की मुद्रित प्रतियां किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसे उसकी आवश्यकता हो, प्रत्येक प्रति के लिये ऐसा शुल्क भुगतान करने पर, जो [2][नगर आयुक्त] द्वारा निश्चित किया जायगा, न दे दी गई हो ;

(घ) खंड (क) के अधीन दिये गये नोटिस के दिनांक के पूर्व उस उपविधि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा की गयी सभी लिखित आपत्तियों और सुझावों के सम्बन्ध में [1][निगम] ने विचार न कर लिया हो ।

उपविधियों को प्रकाशित किया जाना

[3]**[544**–धारा 541 के अधीन बनाई गई उपविधियां सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेंगी।]

उपविधि की मुद्रित प्रतियां बिक्री के लिये रखी जायेंगी

545–(1) [2][नगर आयुक्त] समय–समय पर प्रचलित सभी उप–विधियों को मुद्रित करायेगा और उनकी मुद्रित प्रतियां किसी भी व्यक्ति को, जिसे उनकी आवश्यकता हो, प्रत्येक प्रति के लिए ऐसा शुल्क देने पर, जिसे [2][नगर आयुक्त] निश्चित करे, दिलायेगा ।

(2) तत्समय प्रचलित उपविधियों की मुद्रित प्रतियां सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ [1][निगम] के कार्यालय के ऐसे भाग में, जहां सर्वसाधारण को आने–जाने का अधिकार हो तथा सार्वजनिक आश्रय–स्थान, बाजार, वधशालायें या उससे प्रभावित होने वाले अन्य निर्माण–कार्य या स्थान जैसे अन्य स्थानों में यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, रखी जायेंगी और [2][नगर आयुक्त] उक्त प्रतियों के स्थान पर समय–समय पर नई प्रतियां रखेगा ।

[1][निगम] द्वारा उपविधियों का परिष्कार और खंडन

546–(1) [1][निगम] अपनी बनाई हुई किसी उपविधि को परिष्कृत या खंडित कर सकती है ।

(2) धारा 542, 543 और 544 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (1) के अधीन उपविधि के परिष्कार या खंडन पर लागू होंगे ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

547–(1) यदि राज्य सरकार को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत या निरस्त किया जाना चाहिये, तो वह अपने ऐसे मत के कारण [1][निगम] को सूचित करेगी और एक उपयुक्त अवधि विहित करेगी जिसके भीतर उसके सम्बन्ध में [1][निगम] कोई ऐसा अभ्यावेदन (representation) कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे । **राज्य सरकार उपविधियों को परिष्कृत या निरस्त कर सकती है**

(2) ऐसे किसी अभ्यावेदन के प्राप्त होने और उस पर विचार करने के पश्चात् या यदि उस समय के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त न हुआ हो तो विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार किसी भी समय सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उक्त उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत या निरस्त कर सकती है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी उपविधि का परिष्कार या निरसन उस दिनांक से, जिसे राज्य सरकार उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे, या यदि कोई ऐसा दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, प्रभावी होगा, सिवाय किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक के पूर्व की गयी हो, करने दी गयी हो या न की गयी हो (done or suffered or omitted to be done)।

(4) उक्त विज्ञप्ति [1][निगम] को बुलेटिन में भी, यदि कोई हो प्रकाशित की जायगी ।

548–(1) कार्यकारिणी समिति समय–समय पर निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे विनियम बनायेगी जो इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों से असंगत न हो, किन्तु जो [1][निगम] द्वारा पारित किसी संकल्प के अनुकूल हो,–– **विनियम**

(क) किसी ऐसे [1][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा, जिससे प्रतिभूति मांगना इष्टकर समझा जाय, दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि और उसका प्रकार (nature) निश्चित करना ;

(ख) [1][निगम] पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी का दिया जाना विनियमित करना ;

(ग) उक्त किन्हीं पदाधिकारियों और कर्मचारियों के छुट्टी पर अनुपस्थित रहने की अवधि में उनके स्थान पर कार्य के लिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक निर्धारित करना ;

(घ) उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा या सवारी भत्ते (travelling or conveyance allowance) के भुगतान को प्राधिकृत करना ;

(ङ) उक्त सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अवधि विनियमित करना ;

(च) उन शर्तों को, जिनके अधीन उक्त पदाधिकारी और कर्मचारी या उनमें से कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी सेवा निवृत्ति (retirement) या सेवा मुक्त (discharge) होने पर, निवृत्त वेतन उपदान या कारूण्य अधिदेय (compassionate allowance) प्राप्त करेगा और जिनके अधीन उत्तरजीवी पति/पत्नी और बच्चे तथा उत्तरजीवी पति/पत्नी (spouse) और बच्चों की अनुपस्थिति में, उक्त पदाधिकारियों

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

और कर्मचारियों मे से किसी पदाधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित उनके माता, पिता, भाई और बहन, यदि कोई हो, उनकी मृत्यु के पश्चात् कारूण्य अधिदेय प्राप्त करेंगे और ऐसे निवृत्ति वेतन, उपदान या कारूण्य अधिदेय की धनराशि निर्धारित करना ;

(छ) कतिपय विहित दरों से तथा कतिपय विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे निवृत्ति–वेतन या भविष्य–निधि (provident fund) में, जो कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्थापित की जाय या ऐसी भविष्य–निधि में, यदि कोई हो, जो [1][निगम] द्वारा उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लाभार्थ स्थापित की जाय, अंशदानों (contributions) के भुगतान को प्राधिकृत करना ;

(ज) वे शर्तें जिनके अधीन और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा किसी पदाधिकारी या कर्मचारी को जब वह कर्तव्यरत (on duty) हो या छुट्टी पर हो, किसी व्यक्ति या निजी संस्था या किसी सार्वजनिक संस्था, जिसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी भी सम्मिलित है, के लिये या सरकार के लिये कोई निर्दिष्ट सेवा या श्रेणीबद्ध सेवायें (series of services) सम्पादित करने और उसके लिये पारिश्रमिक प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है, विहित करना ;

(झ) सामान्यतया उक्त पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा को किन्हीं अन्य शर्तों को विहित करना ;

(2) कार्यकारणी समिति, समय–समय पर निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे विनियम भी बना सकती है जो इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो,–

(क) मनुष्यों के रहने के प्रयोजनार्थ भवनों की उपयुक्तता के स्तरों को निर्धारित करना ;

(ख) उन व्ययों की घोषणा को विनियमित करना, जो किसी भवन या भूमि के लिये संभरित किये गये (supplied) सामानों या संधायनों (fittings), अथवा उसमें, उस पर या उसके संबंध में संपादित किये गये निर्माण–कार्य या किये गये काम के संबंध में मुख्य नगराधिकारी द्वारा इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन किये गये हों और जो विकास व्यय के रूप में उसके स्वामी या अध्यासी से वसूल किये जा सकते हों ;

(ग) धारा 335 के अधीन प्रचलित (in force) घोषणा–पत्र में निर्दिष्ट किन्हीं सड़कों, सड़कों के भाग, या स्थानों (localities) में विशेष प्रयोजनों के हेतु अभिप्रेत दूकानों, गोदामों (warehouses), फैक्ट्रियों, अथवा भवनों के निर्माण के लिये [2][नगर आयुक्त] द्वारा दी जाने वाली अनुमति को विनियमित करना ;

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन कोई भी विनियम तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उसकी पुष्टि [1][निगम] द्वारा न कर दी गई हो और यदि वह उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन बनाया गया हो तो जब तक कि उसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा भी न कर दी गई हो और दोनो दशाओं में जब तक कि वह सरकारी गजट में प्रकाशित न कर दिया गया हो ।

(4) [1][निगम] या राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन उसके समक्ष रक्खे गये किसी विनियम को पुष्ट करने से इन्कार कर सकती है या उसे परिष्कार रहित अथवा ऐसे परिष्कार के साथ जिसे वह उचित समझे, पुष्ट कर सकती है ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

राज्य सरकार का उपविधियां तथा विनियम बनाने का अधिकार

549–(1) यदि धारा 541 मे निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में [1][निगम] ने कोई उपविधियों न बनाई हों या यदि [1][निगम] द्वारा बनाई गई उपविधियां, राज्य सरकार की राय में, पर्याप्त न हों तो राज्य सरकार ऐसे विषय की व्यवस्था करने के लिये उस सीमा तक उपविधियां बना सकती है जिसे वह उपयुक्त समझे ।

(2) शब्द "[1][निगम]" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रख कर धारा 543 के उपबन्ध इस धारा के अधीन उपविधियां बनाने के सम्बन्ध में लागू होंगे और उपविधियों के सरकारी गजट में प्रकाशित होने पर उनका विधि जैसा प्रभाव होगा ;

(3) यदि इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि का कोई उपबन्ध, [1][निगम] द्वारा बनायी गयी उपविधि के किसी उपबन्ध के प्रतिकूल हो तो इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधि प्रभावी होगी और धारा 541 के अधीन बनाई गई उपविधि, उसकी प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य (void) होगी ।

(4) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा धारा 548 की उपधारा (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में इस अधिनियम और नियमों तथा उपविधियों के अनुकूल विनियम बना सकती है ।

नियमों, उपविधियों अथवा विनियमों की अवहेलना करने का दंड

550–नियम, उपविधियां अथवा विनियम बनाते समय तथा स्थिति [1][निगम] अथवा कार्यकारिणी समिति या राज्य सरकार इस बात की व्यवस्था कर सकती है कि उसकी अवहेलना (breach) करने के लिये सिद्ध दोष होने पर अपराधी पर,––

(क) जुर्माना किया जायगा जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है और निरन्तर अवहेलना की दशा में ऐसा जुर्माना किया जायगा जो प्रथम अवहेलना की दोष सिद्धि (conviction) के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, बीस रूपये तक हो सकती है ;

(ख) [2][नगर आयुक्त] अथवा अवहेलना को रोकने के लिये तदर्थ यथावत् प्राधिकृत किसी [1][निगम] के पदाधिकारी से लिखित नोटिस प्राप्त होने पर जुर्माना किया जायगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो, बीस रूपये तक हो सकता है ;

(ग) उक्त जुर्माना किये जाने के साथ–साथ उसे यह भी आदेश दिया जायगा कि वह दूषण का यथाशक्ति परिहार करे ।

अध्याय 24
विविध
सार्वजनिक नोटिस तथा विज्ञापन

सार्वजनिक नोटिसों का प्रचार कैसे किया जायगा

551–जब कभी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यह व्यवस्था हो कि किसी बात के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस दिया जाय अथवा दिया जा सकता है, तो ऐसी सार्वजनिक नोटिस, जब तक इसके प्रतिकूल कोई विशेष उपबन्ध न हो, लिखित रूप में होगा और उस पर [2][नगर आयुक्त] अथवा उसे देने के लिये इस अधिनियम के अधीन अधिकृत किसी [2][नगर आयुक्त] के हस्ताक्षर होंगे, तथा उससे प्रभावित होने वाले

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

स्थानों (locality) में उसका व्यापक प्रचार किया जायेगा । यह प्रचार उक्त स्थान की प्रमुख सार्वजनिक जगहों पर नोटिस की प्रतियां चिपका कर अथवा डुग्गी पिटवाकर, अथवा स्थानीय समाचार–पत्रों में उसका विज्ञापन देकर अथवा [1][निगम] के बुलेटिन में उसे प्रकाशित करा कर, अथवा इनमें से किन्हीं दो या दो से अधिक साधनों द्वारा अथवा अन्य किन्हीं साधनों द्वारा, जिन्हें [2][नगर आयुक्त] उचित समझे, किया जायगा ।

विज्ञापन किस प्रकार किया जायगा

552–जब कभी इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यह व्यवस्था हो कि नोटिस स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन द्वारा दिया जायगा अथवा यह कि कोई विज्ञप्ति अथवा सूचना स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित की जायगी, तो यदि व्यावहारिक हो, ऐसी नोटिस, विज्ञप्ति अथवा सूचना नगर में प्रकाशित होने वाले अथवा नगर में आने वाले कम से कम दो समाचार–पत्रों में ऐसी भाषा अथवा भाषाओं में विज्ञप्ति की जायेगी, जिन्हें [1][निगम] समय–समय पर एतदर्थ निर्दिष्ट करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि [1][निगम] अपना कोई बुलेटिन निकालती है, तो [1][निगम] के बुलेटिन के दो लगातार प्रकाशित अंकों मे उक्त नोटिस का प्रकाशन इस धारा के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त समझा जायेगा ।

[1][निगम] आदि द्वारा लिखित लेख्यों (written documents) में सहमति आदि का दिया जाना

553–(1) जब कभी इस अधिनियम, किसी नियम, उपनियम, विनियम अथवा आज्ञा के अधीन किसी कार्य का करना, न करना अथवा किसी कार्य की वैधता,––

(क) [1][निगम], कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य किसी समिति ; या

(ख) [2][नगर आयुक्त] अथवा किसी [1][निगम] पदाधिकारी की सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय अथवा समाधान पर निर्भर करती हो तो उपधारा (2) में उपबंधित रीति से हस्ताक्षर किया हुआ कोई लिखित लेख्य (written documents) जिसका उद्देश्य ऐसी सम्मति, स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय या समाधान को ज्ञापित करना अथवा उसकी सूचना देना हो, ऐसी सम्मति स्वीकृति अनुमोदन, सहमति, पुष्टीकरण, घोषणा, राय या समाधान का पर्याप्त साक्ष्य होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लिखित लेख्य पर जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था न की गई हो,

(क) यदि संबद्ध प्राधिकारी [1][निगम], कार्यकारिणी समिति अथवा अन्य कोई समिति हो, तो ऐसे प्राधिकारी की ओर से [2][नगर आयुक्त] ;

(ख) यदि सम्बद्ध प्राधिकारी, [2][नगर आयुक्त] अथवा कोई [1][निगम] पदाधिकारी हो तो यथास्थिति, [2][नगर आयुक्त] अथवा ऐसा [1][निगम] पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नोटिसों आदि की तामील

नोटिस और उनकी तामील

554–(1) नोटिस, बिल, अनुसूचियां, आह्वान तथा अन्य ऐसे ही लेख्य, जिन्हें इस अधिनियम अथवा अन्य किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील करना, उसके लिए जारी करना, उसे प्रस्तुत करना अथवा देना अपेक्षित हो, [1][निगम] पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें [2][नगर आयुक्त] एतदर्थ प्राधिकृत करे, तामील किये जायेंगे, जारी किये जायेंगे, प्रस्तुत किये जायेंगे अथवा दिये जायेंगे ।

(2) यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्रन अथवा ऐसे ही अन्य लेख्य का किसी व्यक्ति पर तामील किया जाना, जारी किया जाना, उसे प्रस्तुत किया जाना अथवा दिया जाना अपेक्षित हो, तो ऐसी तामील, जारी किया जाना, उसे प्रस्तुत किया जाना अथवा दिया जाना उन दशाओं को छोड़ कर जिनके लिए उपधारा (3) में अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा,——

(क) उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्रन (summons) अथवा, अन्य लेख्य उक्त व्यक्ति को देकर अथवा प्रस्तुत करके ;

(ख) उक्त व्यक्ति के न मिलने पर, उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची आह्रन अथवा अन्य लेख्य को नगर में उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास–स्थान पर छोड़ कर, अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर अथवा प्रस्तुत करके, अथवा उसके कारोबार (business)) के सामान्य स्थान पर, यदि कोई हो, छोड़ कर अथवा ऐसे स्थान में उसके किसी वयस्क कर्मचारी, यदि कोई हो, को देकर अथवा प्रस्तुत करके; अथवा

(ग) यदि उक्त व्यक्ति नगर मे निवास न करता हो और यदि उसके अन्य स्थान का पता [2][नगर आयुक्त] को ज्ञात हो, तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्रन अथवा अन्य लेख्य ऐसे लिफाफे में रख कर जिस पर उसका उक्त पता लिखा हो, डाक द्वारा भेज कर ; अथवा

(घ) यदि उपर्युक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हों तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्रन अथवा अन्य लेख्य को उससे संबद्ध भवन अथवा भूमि, यदि कोई हों, के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकवा कर ।

(3) यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्रन अथवा अन्य ऐसे ही लेख्य को किसी भवन अथवा भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी पर तामील करना, जारी करना अथवा उसे प्रस्तुत करना अपेक्षित हो तो उसमें स्वामी अथवा अध्यासी का नाम लिखना आवश्यक न होगा, तथा उसकी तामील, उसका जारी किया जाना अथवा उसका प्रस्तुत किया जाना अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अनुसार कार्यान्वित न किया जाये निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जायगा, अर्थात् ,–

(क) उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्रन अथवा अन्य लेख्य को स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा उसे प्रस्तुत करके अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी एक से अधिक हों तो ऐसे भवन अथवा भूमि के किसी भी एक स्वामी अथवा अध्यासी को देकर अथवा प्रस्तुत करके ; अथवा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) यदि स्वामी अथवा अध्यासी अथवा स्वामियों या अध्यासियों मे से कोई भी स्वामी अथवा अध्यासी न मिले तो उक्त नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को स्वामी या अध्यासी के परिवार के अथवा स्वामियों या अध्यासियों में से किसी स्वामी या अध्यासी के परिवार के किसी वयस्क सदस्य अथवा नौकर को देकर या उसे प्रस्तुत करके ; अथवा

(ग) यदि पूर्वोक्त कोई भी साधन उपलब्ध न हो तो उक्त नोटिस बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य लेख्य को सम्बद्ध भवन अथवा भूमि के किसी प्रमुख स्थान (conspicuous part) पर चिपकवा कर ।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिस पर कोई नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य कोई ऐसा ही लेख्य तामील किया जाना हो, अवयस्क (minor) हो तो उसके अभिभावक (guardian) अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क पुरूष सदस्य अथवा नौकर पर उसका तामील किया जाना ही उस अवयस्क पर उसकी तामील समझी जायेगी ।

(5) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आह्वान (summons) पर लागू न होगी ।

नोटिस आदि पर हस्ताक्षर मुद्रांकित किये जा सकते है

555–(1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति, लिखित अनुमति, नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान, या अन्य लेख्य, जिन पर इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम, उपविधि द्वारा [1][नगर आयुक्त] अथवा अन्य किसी [2][निगम] पदाधिकारी के हस्ताक्षर होने आवश्यक हों, यथोचित रूप से हस्ताक्षरित समझा जायगा यदि उस पर यथास्थिति [1][नगर आयुक्त] अथवा ऐसे [2][निगम] पदाधिकारी के हस्ताक्षर की अनुलिपि (facsimile) मुद्रांकित हो।

(2) इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन [2][निगम] निधि के नाम काटे गये चेक (cheques) अथवा किसी संविदा–पत्र (deed of contract) पर लागू नहीं समझी जायेगी ।

नगर आयुक्त का भू–गृहादि के स्वामित्व के सम्बन्ध में सूचना मांगने का अधिकार

556–(1) किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, आह्वान अथवा अन्य ऐसे लेख्य को किसी व्यक्ति पर तामील करने, जारी किये जाने, प्रस्तुत करने या दिये जाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए [1][नगर आयुक्त] किसी भी भू–गृहादि अथवा उसके किसी भाग के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित नोटिस द्वारा लिखित रूप में यह प्राक्कथन करने का आदेश दे सकता है कि वह ऐसी अवधि के भीतर, जिसे [1][नगर आयुक्त] नोटिस में निर्दिष्ट करे यह बताये कि उसमें उसके स्वत्व का क्या स्वरूप (nature) है, तथा उसमें स्वत्व रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का, चाहे वह माफीदार (free—holder), बंधकी, पट्टेदार अथवा किसी अन्य रूप में हो, नाम और पता, जहां तक कि ऐसा नाम और पता उसे ज्ञात हो, क्या है ।

(2) कोई व्यक्ति, जिस [1][नगर आयुक्त] ने उपधारा (1) के अनुसार कोई सूचना देने के लिए आदेश दिया हो, उक्त आदेश का पालन करने और ऐसी सूचना जिसे वह अपनी जानकारी ताकी विश्वास के आधार पर ठीक समझता हो, देने के लिए बाध्य होगा।

अनधिकृत कार्य

[1][नगर आयुक्त]

557–(1) यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा निर्माण या कार्य जिसके लिए इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन [1][नगर आयुक्त] की

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

लिखित अनुज्ञा अपेक्षित हो, बिना ऐसी अनुज्ञा प्राप्त किया हो, अथवा यदि ऐसी अनुज्ञा वाद में [1][नगर आयुक्त] द्वारा किसी कारण से निलम्बित अथवा प्रतिसंहृत (revoked) कर दी गई हो तो किया गया ऐसा निर्माण अथवा कार्य, अनधिकृत समझा जायगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए [1][नगर आयुक्त] किसी समय लिखित नोटिस द्वारा आदेश दे सकता है कि उक्त निर्माण अथवा कार्य करने वाला व्यक्ति, ऐसे निर्माण को यथास्थिति हटा दे, गिरा दे, अथवा अकारथ कर दे (undo)। यदि ऐसे निर्माण को सम्पादित अथवा कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा नोटिस दिये जाने के समय स्वामी न हो, तो उक्त नोटिस दिये जाने के समय जो भी व्यक्ति स्वामी हो वह [1][नगर आयुक्त] के आदेशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

की लिखित अनुज्ञा के बिना किये गये निर्माण अथवा कार्य अनधिकृत समझे जायेंगे

(2) यदि उक्त लिखित नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर यथास्थिति उक्त व्यक्ति या स्वामी द्वारा नोटिस में वर्णित आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता, तो [1][नगर आयुक्त] उस निर्माण को हटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है अथवा अकारथ कर सकता है तथा ऐसा करने में जो व्यय होगा वह यथास्थिति उक्त व्यक्ति अथवा स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा ।

निर्माण आदि के सम्बन्ध में आज्ञाओं का प्रवर्तन

निर्माण आदि, जिन्हें किसी व्यक्ति से सम्पादित करने की अपेक्षा की गयी हो, कुछ दशाओं में उक्त व्यक्ति की लागत पर [1][नगर आयुक्त] द्वारा सम्पादित किये जा सकते हैं

558–(1) इस अधिनियम तथा नियमों, उपविधियों एवं विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यदि इस अधिनियम अथवा किसी नियम, उपविधि या विनियम के किसी उपबन्ध के अधीन [1][नगर आयुक्त] अथवा एतदर्थ यथावत् अधिकृत किसी [2][निगम] पदाधिकारी द्वारा लिखित नोटिस देकर कोई आदेश दिया जाय तो ऐसे नोटिस में उक्त आदेश अथवा आज्ञा को कार्यान्वित किये जाने के लिए एक उचित अवधि विहित की जायगी, और यदि इस प्रकार विहित की गई अवधि के भीतर, उक्त आदेश अथवा आज्ञा अथवा उक्त आदेश अथवा आज्ञा के किसी अंश का अनुपालन न किया गया हो तो [1][नगर आयुक्त] ऐसी कार्यवाही कर सकता है, अथवा ऐसा निर्माण सम्पादित करा सकता है, अथवा ऐसा कार्य करा सकता है जो उसकी राय में इस प्रकार दिये गये आदेश अथवा दी गई आज्ञा को यथोचित रूप से प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक हो, और जब तक कि इस अधिनियम में स्पष्टरूप से अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो उस पर होने वाला व्यय उस व्यक्ति द्वारा अथवा उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायगा जिसे या जिन्हें उक्त आदेश अथवा आज्ञा संबोधित की गई थी ।

(2) [1][नगर आयुक्त], इस धारा के अधीन, कोई कार्यवाही कर सकता है, कोई निर्माण सम्पादित करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्य करा सकता है चाहे उक्त आदेश अथवा आज्ञा का अनुपालन न करने वाला व्यक्ति आज्ञा का अनुपालन न करने के लिए दंड का भागी रहा हो, या अभियोजित किया गया हो या एतदर्थ उसे किसी दंड का आदेश दिया जा चुका हो अथवा नहीं ।

सामग्री का सम्भरण (supply)

559–किसी ऐसे व्यक्ति की लिखित प्रार्थना पर जिसे इस अधिनियम के अथवा किसी नियम, विनियम या उपविधि के किसी उपबन्ध के अधीन कोई सामग्री अथवा संधायनों के सम्भरण का आदेश दिया गया हो, [1][नगर आयुक्त], ऐसे व्यक्ति की ओर से, आवश्यक सामग्री अथवा संधायनों का सम्भरण करके निर्माण करवा सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा 524 या 525 के उपबन्ध लागू न होते हों,

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

तो उक्त व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम ऐसी धनराशि जमा की जायगी जो [1][नगर आयुक्त] की राय में उक्त सामग्री, संधायनों तथा निर्माण के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो ।

प्रवेश तथा निरीक्षण के अधिकार

प्रवेश तथा निरीक्षण के अधिकार

560–(1) [1][नगर आयुक्त] अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत कोई [2][निगम] पदाधिकारी अथवा सेवक किसी ऐसे भू–गृहादि में, या, पर जहां इस अधिनियम अथवा नियमों के उपबन्धों के द्वारा या अधीन उसे प्रवेश अथवा निरीक्षण करने का अधिकार हो, अथवा कोई ऐसा निरीक्षण, तलाशी, भूमापन, माप, मूल्यांकन अथवा जांच करने का कोई ऐसा निर्माण संपादित करने के निमित्त जिसके लिए वह इस अधिनियम द्वारा, अथवा उसके अधीन प्राधिकृत किया गया हो अथवा जिसे करना इस अधिनियम के अथवा तदंतर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों, उपविधियों अथवा विनियमों के प्रयोजनार्थ अथवा अनुसार, आवश्यक हो, अपने सहायकों सहित या रहित, प्रवेश कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, [1][नगर आयुक्त] अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी अथवा सेवक को निम्नलिखित दशाओं में किसी स्थान में प्रवेश करने और किसी वस्तु का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, अर्थात्

(क) कोई अस्तबल, मोटरखाना, वाहन–गृह (coach-house) अथवा अन्य कोई स्थान जहां कर लगाये जाने योग्य (liable to tax) कोई वाहन, नाव या पशु रखा जाता हो ;

(ख) कोई भूमि, जहां [2][निगम] की कोई नाली रही हो, अथवा जहां नाली बनाने का प्रस्ताव हो––धारा 230 के अधीन ;

(ग) कोई भूमि, जो किसी व्यक्ति के कब्जे में स्वयं अपनी नाली [2][निगम] की नालियों में गिराने के उद्देश्य से हो––धारा 234, 236, 241, तथा 242 के अधीन ;

(घ) कोई भूमि जिसमें नालियों के संवीजन के निमित्त दण्ड और पाइप लगाने की आवश्यकता हो–7धारा 249 के अधीन ;

(ङ) नालियां, संवीजन, दंड, पाइप, मलकूप, शौचालय, मूत्रालय, स्नान और धुलाई के स्थल––धारा 255 के अधीन ;

(च) कोई भूमि जिससे होकर [2][निगम] की जल–कल में जाने का मार्ग हो––धारा 264 के अधीन ;

(छ) कोई भू–गृहादि, जिनके बारे में यह संशय हो कि उनमें धारा 438 का उल्लंघन करके कोई व्यापार किया जाता है या कोई वस्तु रखी जाती है ;

(ज) कोई भू–गृहादि, जिसके प्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता हो तथा जिसके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई हो ;

(झ) निर्माण काल (during erection) में कोई भवन अथवा संपादन के समय कोई निर्माण कार्य (work) ;

(ञ) कोई भू–गृहादि जिनकी व्यवस्था [2][निगम] ने [2][निगम] पदाधिकारियों और सेवकों के रहने के लिए की हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) [1][नगर आयुक्त] अथवा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने के लिए तब तक बल प्रयोग न करेगा जब तक कि,––

(क) ऐसा प्रवेश अन्यथा न किया जा सकता हो ;

(ख) ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि इस अधिनियम अथवा तदंतर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के किसी उपबन्ध के अधीन कोई अपराध किया जा रहा है अथवा किया जा चुका है ।

निर्माण–कार्यो से संलग्न भूमियों पर [1][नगर आयुक्त] का प्रवेशाधिकार

561–(1) [1][नगर आयुक्त] इस अधिनियम अथवा तदंतर्गत बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण–कार्य से संलग्न अथवा उसके 100 गज के भीतर स्थित भूमि में, उसमें मिट्टी, बजरी (gravel), बालू, ईटें, पत्थर अथवा अन्य पदार्थ डालने या ऐसे निर्माण–कार्य में प्रवेश पाने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे निर्माण कार्यों को संपादित करने से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन के निमित्त प्रवेश कर सकता है।

(2) [1][नगर आयुक्त] उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश करने से पूर्व जब तक कि इस अधिनियम में, अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या उपविधि में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को (यदि कोई हो) अपने ऐसे प्रवेश के अभिप्राय का तथा तत्संबंधी प्रयोजन का तीन दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा और यदि स्वामी अथ्वा प्रयोजन का तीन दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा और यदि स्वामी अथवा अध्यासी ऐसी अपेक्षा करे तो पर्याप्त मेड़ों (fences) के द्वारा उतनी भूमि को पृथक कर देगा जो उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो ।

(3) [1][नगर आयुक्त] उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि में प्रवेश से पूर्व, कोई भी भुगतान करने अथवा कोई धन प्रस्तुत या जमा करने (tender or deposit) के लिए बाध्य नहीं होगा, किन्तु यथाशक्य कम से कम क्षति पहुंचायेगा तथा भूमि के स्वामी तथा अध्यासी को (यदि कोई हो) ऐसे प्रवेश के लिए तथा उसके फलस्वरूप हुई किसी अस्थायी क्षति के लिए प्रतिकर देगा तथा उक्त स्वामी को तज्जन्य किसी स्वामी क्षति के लिए भी प्रतिकर देगा ।

प्रवेश करने का समय

562–(1) सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व ऐसा प्रवेश नही किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी दशा में, जिसमें इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन इसकी स्पष्टरूप से व्यवस्था की गई हो, ऐसा प्रवेश दिन में या रात में किया जा सकता है ।

(2) उस दशा को छोड़ कर जब इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था की गई हो, किसी भवन में, जो मनुष्यों के निवास के लिए प्रयुक्त होता हो, उसके अध्यासी की सहमति के बिना अथवा उसे अभिप्रेत प्रवेश तथा सिवाय उस दशा के जब तत्संबंधी प्रयोजन बताना अनुपयुक्त समझा जाये, ऐसे प्रयोजन की 6 घंटे पूर्व लिखित सूचना दिये बिना प्रवेश न किया जायगा ।

(3) जब ऐसे भू–गृहादि में अन्यथा बिना नोटिस दिये प्रवेश किया जा सकता हो तो प्रत्येक मामले में पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा जिससे उस कक्ष के, जो महिलाओं के प्रयोग के लिए अलग कर दिया गया हो रहने वाले वहां से हट सके ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) जहां तक प्रवेश के प्रयोजन की आवश्यकतानुसार सुसंगत हो, उस भू–गृहादि के अध्यासियों की सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं की ओर सर्वदा समुचित ध्यान दिया जायगा, जहां प्रवेश किया जाये ।

(5) धारा 438 की उपधारा (7) के अधीन प्रवेश से अथवा ऐसा प्रवेश करने के लिए प्रयुक्त आवश्यक बल प्रयोग से अनिवार्यतः हुई किसी क्षति के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकर का दावा नहीं किया जायेगा ।

धारा 560 या 561 के अधीन प्रवेश अवरूद्ध करने का प्रतिषेध

563–कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार से, [1][नगर आयुक्त] के धारा 560 या 561 के अधीन प्रवेश करने में या किसी [2][निगम] पदाधिकारी या अन्य ऐसे व्यक्ति के प्रवेश करने में बाधक न होगा जो ऐसे प्रवेश के प्रयोजन के लिये [1][नगर आयुक्त] की प्रार्थना से उसके साथ हो या जो उसकी आज्ञा से कार्य कर रहा हो ।

वैधिक कार्यवाहियां

दीवानी तथा फौजदारी कार्यवाहियों के निवेशन आदि तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने के संबंध में उपबन्ध

564–[1][नगर आयुक्त]––

(क) किसी व्यक्ति के विरूद्ध जिस पर निम्नलिखित किसी अपराध के संबंध में दोषारोपण किया गया हो (charged) कार्यवाही कर सकता है अथवा कार्यवाही वापस ले सकता है––

1–इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के अधीन कोई अपराध ;

2–कोई ऐसा अपराध जिससे [2][निगम] की सम्पत्ति अथवा स्वत्व पर अथवा इस अधिनियम के उचित प्रशासन पर, प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की आशंका हो ;

3–कोई भी अपदूषण करना ;

[3]**[**(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, उप–विधियों या विनियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन निवेशित किये जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार की इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए अपराध के लिये नियत अर्थदण्ड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर कर सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार शमन :–

(i) अभियोजन निवेशित किये जाने के पूर्व किया जाय वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा ;

(ii) अभियोजन निवेशित किये जाने के पश्चात् किया जाये वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोष मुक्ति का होगा।**]**

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किसी निर्वाचन याचिका में अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन से सम्बद्ध किसी अन्य कार्यवाही में, यदि स्वयं उस पर अथवा [2][निगम] अथवा अन्य किसी [2][निगम] पदाधिकारी पर वाद चलाया गया हो, प्रतिवाद कर सकता है ;

(घ) वार्षिक मूल्यांकन या कर के विरूद्ध धारा 472 के अधीन की गई किसी अपील का प्रतिवाद कर सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है;

(ङ) धारा 470 की उपधारा (2), धारा 522 की उपधारा (3) व (4) तथा धारा 481 के अधीन तथा ऐसे प्रतिकर या व्यय की वसूली के निमित्त, जिनके संबंध में यह दावा किया गया हो कि वे [2][निगम] को प्राप्य हैं, कार्यवाही कर सकता है, कार्यवाही वापस ले सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है ;

(च) [1][नगर आयुक्त] द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किये गये किसी संविदे के अधीन देय अर्थ–दंड के संबंध में उस व्यक्ति के विरूद्ध 500 रू0 से अनधिक के तथा कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से 500 रू0 से अधिक की धनराशि के किसी दावे को वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 35, 1979 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(छ) [1][निगम] के विरूद्ध लाये गये या [2][नगर आयुक्त] या किसी [1][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध, उनके द्वारा अपने अधिकारी रूप में (official capacity) क्रमशः किये गये अथवा न किये गये (omitted) किसी कार्य के संबंध में लाये गये किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद कर सकता है ;

(ज) [1][निगम] के विरूद्ध या [2][नगर आयुक्त] या किसी [1][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध उपर्युक्त प्रकार से कृताकृत (done or omitted to be done) किसी कार्य के संबंध में लाये गये किसी दावे, वाद अथवा विधिक कार्यवाही को कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से स्वीकृत कर सकता है अथवा उसमें समझौता कर सकता है ;

(झ) उपर्युक्त प्रकार के अनुमोदन से किसी वाद को निविष्ट तथा अभियोजित (institute and prosecute) कर सकता है अथवा किसी वाद या खंड (च) में वर्णित दावे से भिन्न किसी दावे को, जो [1][निगम] अथवा [2][नगर आयुक्त] के नाम से निविष्ट किया गया हो, या किया गया हो (instituted or made) वापस ले सकता है या उसमें समझौता कर सकता है ;

(ञ) ऐसा विधिक परामर्श या सहायता का, जिसे वह समय–समय पर, इस उपधारा के पूर्वगामी खंडों में वर्णित किसी प्रयोजन के लिये, अथवा किसी [1][निगम] प्राधिकारी या पदाधिकारी या कर्मचारी में निहित या उस पर आरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के प्रयोग अथवा पालन को सुनिश्चित (secure) करने के निमित्त, प्राप्त करना आवश्यक या इष्टकर समझे, या जिस [1][निगम] या कार्यकारिणी समिति उसके द्वारा प्राप्त करवाना चाहे, प्राप्त कर सकता है तथा उसके लिये भुगतान कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि [2][नगर आयुक्त] खंड (छ) के अधीन किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद सर्वप्रथम तत्संबंधी विधिक परामर्श प्राप्त किये बिना न करेगा, तथा वह किसी भी ऐसे वाद को निवेशित एवं अभियोजित करेगा जिसके सम्बन्ध में [1][निगम] यह निर्धारित करे कि वह निवेशित एवं अभियोजित किया जाय ।

सामान्य

[1][पार्षद] इत्यादि जन–सेवक (public servant) समझे जायेंगे

565–(1) [2][नगर आयुक्त] तथा प्रत्येक [1][पार्षद] [3][x x x] और प्रत्येक [1][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त हुआ हो, तथा [1][निगम] को प्राप्य किसी कर, शुल्क या अन्य धनराशि की उगाही के निमित्त प्रत्येक ठेकेदार या अभिकर्ता तथा ऐसे किसी ठेकेदार या अभिकर्ता द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में जन–सेवक (public servant) समझे जायंगे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के निमित्त, इंडियन पीनल कोड की धारा 161 में "लीगल रेम्युनरेशन" (legal remuneration) की परिभाषा के अन्तर्गत शब्द "गवर्नमेंट" (government) में [1][निगम] का अन्तर्भाव भी समझा जायेगा ।

पुलिस अधिकारी के कर्त्तव्य

566–प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे ;

(क) इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, उपविधि या विनियम के अधीन कोई अपराध किये जाने के षडयंत्र (design) की या इस बात की कि अपराध किया जा चुका है कोई सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब उसे उपयुक्त

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1977 की धारा 30 द्वारा निकाला गया।

[1][निगम] पदाधिकारी को ज्ञापित करना (communicate) ;

(ख) [2][नगर आयुक्त] को या किसी [1][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे [2][नगर आयुक्त] ने विधितः अधिकारों का प्रतिनिधायन किया हो जो इस अधिनियम अथवा किसी ऐसे नियम, उपविधि या विनियम के अधीन उक्त [2][नगर आयुक्त] में या ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी या व्यक्ति में निहित किसी अधिकार के वैध प्रयोग के लिये उचित रूप में उसकी सहायता मांगता हो, सहायता देना;

तथा ऐसे समस्त प्रयोजनों के लिये उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे अपने सामान्य पुलिस कर्तव्यों के पालन करने में प्राप्त हैं ।

पुलिस पदाधिकारियों का लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार

567–(1) यदि कोई पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, उपविधि अथवा विनियम के किसी उपबन्ध के विरूद्ध कोई अपराध करता हुआ पाये तो वह यदि उस ऐसे व्यक्ति का नाम या पता ज्ञात न हो तथा यदि पूछने पर वह अपना नाम और पता बताने से इन्कार करे या ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में उक्त पदाधिकारों को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह असत्य है, उसे गिरफ्तार कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को––

(क) उसका ठीक–ठीक नाम और पता ज्ञात होने के पश्चात् ; या

(ख) बिना मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटों से अनधिक की ऐसी अवधि से अधिक के लिये, जो उसे किसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक हो, अभिरक्षा में निरुद्ध न किया जायगा ।

[1][निगम] कर्मचारियों द्वारा पुलिस के अधिकारों का प्रयोग

568–राज्य सरकार किसी [1][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी के या [1][निगम] पदाधिकारियों या कर्मचारियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त पुलिस पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है ।

निर्धारण इत्यादि में अनौपचारि–कताएं तथा त्रुटियां ऐसे निर्धारण आदि को अवैध करने वाली न समझी जायेगी

569–(1) इस अधिनियम या किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन किये गये किसी निर्धारण (assessment) या किया गया अभिहरण (distress levied) या की गयी कुर्की (attachment) या जारी किये गये किसी नोटिस, बिल, अनुसूची, या अन्य लेख्य में कोई अनौपचारिकता (informality), लिपिक त्रुटि, अकर्म (omission) या अन्य दोष किसी भी समय यथाशक्य ठीक किये जा सकते है ।

(2) उक्त कोई भी ऐसी अनौपचारिकता (informality) लिपिक त्रुटि, अकार्य या अन्य दोष उपर्युक्त निर्धारण, अभिहरण (distress), कुर्की (attachment), नोटिस, बिल, अनुसूची या अन्य लेख्य को अमान्य अथवा अवैध करने वाली न समझी जायगी, यदि इस अधिनियम के तथा नियमों, विनियमों और उपविधियों के उपबंध सारतः तथा प्रभावतः (in substance and effect) अनुपालित किये गये हों, किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे अनौपचारिकता, लिपिक–त्रुटि, अकार्य या अन्य दोष के कारण कोई विशेष क्षति पहुंची हो, किसी अधिकार–क्षेत्रयुक्त सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके उसके लिये प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

सद्भावना से किये गये

570–इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये गये समझे गये

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कार्यों के लिये क्षतिपूर्ति

या अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार, किसी [1][पार्षद], [2][***] [1][महापौर] या [1][नगर आयुक्त] या किसी [3][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी, या इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के, [3][निगम] के या इस अधिनियम के अधीन संगठित किसी समिति के, [1][नगर आयुक्त] के या किसी [3][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी के, या मैजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन और अनुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी ।

इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का वादों से संरक्षण

571–(1) इस अधिनियम के अनुसार अथवा इस अधिनियम की कार्यान्वित अथवा अभिप्रेत कार्यान्वित के संबंध में किये गये या किये गये समझे गये किसी कार्य के सम्बन्ध में, या इस अधिनियम की कार्यान्वित के संबंध में तथा कथित किसी असावधानी या चूक (neglect or default) के कारण, [3][निगम] के या [1][नगर आयुक्त] के या किसी [3][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद तब तक निविष्ट नहीं किया जायेगा––

(क) जब तक ऐसी लिखित नोटिस के छोड़े या दिये जाने के पश्चात् दो मास की अवधि व्यतीत न हो जाये जो [3][निगम] की दशा में [3][निगम] के कार्यालय में छोड़ी जाये तथा [1][नगर आयुक्त] या [3][निगम] के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की दशा में उसे दी जाये या उसके पास छोड़ी जाय और जिसमें वाद का कारण, प्रार्थित उपशम (relief) का प्रकार, अभियाचित (claimed) प्रतिकर, यदि कोई हो, की धनराशि और ऐसे वाद के प्रयोजन के लिये वादेच्छुवादी (injtending plaintiff) और ऐसे वाद के प्रयोजन के लिये वादेच्छुवादी उसके मुखत्यार एडवोकेट, वकील या अभिकर्ता (agent) का नाम तथा निवास स्थान समुचित ब्योरों के साथ लिखा जायेगा ; तथा

(ख) जब तक कि वह वाद का कारण प्रोद्भूत होने के पश्चात् छः मास के भीतर प्रारम्भ न किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ न लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे वाद पर लागू होती है जिसमें प्रार्थित उपशम केवल व्यादेश (injunction) हो जिसका उद्देश्य नोटिस देने अथवा वाद या कार्यवाही का आरम्भ स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप विफल हो जायगा ।

(2) ऐसे किसी वाद पर विचार के समय––

(क) प्रतिवादी को उपर्युक्त प्रकार से दिये गये या छोड़े गये नोटिस में वर्णित वाद–कारण के अतिरिक्त अन्य किसी वाद–कारण (cause of action) का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जायेगी ;

(ख) वाद, यदि क्षति के लिये हो, अपास्त (dismiss) कर दिया जायेगा, यदि वाद निवेशित किये जाने के पूर्व क्षति की पर्याप्त रूप से पूर्ति कर दी गयी हो, या यदि वाद के निदेशित किये जाने के पश्चात् न्यायालय में व्यय सहित पर्याप्त धनराशि जमा कर दी गयी हो ।

(3) यदि किसी ऐसे वाद में प्रतिवादी कोई [3][निगम] पदाधिकारी या कर्मचारी हो तो वाद में, या उसके फलस्वरूप––लागत, परिव्यय, व्यय, क्षति के लिये प्रतिकर के रूप में या अन्यथा, उसके द्वारा देय धनराशि या उसके किसी भाग की अदायगी,

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 31 द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति से, [1][निगम] निधि में से की जा सकती है ।

[2][**571–क**–महापालिका के कब्जे की किसी रसीद, प्रार्थना–पत्र नक्शे, नोटिस, आदेश, किसी रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिवत् रखने वाले या [3][नगर आयुक्त] द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाविधि प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथम प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथम दृष्ट्या (Primafacie) साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों के लिये ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस आयति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी, जिस आयति तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिए ग्राह्य होता ।]

[1][निगम] के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

[4][**571–ख**–[1][निगम] के किसी पदाधिकारी या सेवक से किसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें [1][निगम] एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसके तथ्य पिछली धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध किये जा सकते हों, अथवा उसकमें अभिलिखित विषयों या व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से ऐसा आदेश न दे ।]

लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए [1][निगम] के पदाधिकारियों या सेवकों को आहूत करने पर निर्बन्धन

572–किसी वाद के दौरान में कोई दीवानी न्यायालय––

कुछ दशाओं में दीवानी न्यायालय अल्पकालिक निषेधाज्ञा न दे सकेगा

(क) किसी व्यक्ति को, [1][निगम] या [1][निगम] की किसी समिति या उप– समिति के किसी [3][पार्षद], [5][***], पदाधिकारी या कर्मचारी के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों अथवा कर्तव्यों का पालन करने से इस आधार पर कि वह व्यक्ति यथास्थिति यथोचित रूप में निर्वाचित, या नियुक्त नहीं हुआ है, निरूद्ध करने के लिये (restraining) ; या

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, या किसी [1][निगम], [1][निगम] की किसी समिति अथवा उपसमिति को कोई निर्वाचन करने या किसी विशिष्ट रीति से निर्वाचन आयोजित करने से निरूद्ध करने के लिये, कोई अल्पकालिक निषेधाज्ञा या अन्तरिम आज्ञा न देगा ।

573–(1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 2 के खंड (52) के उपखंड (क) के पैरा (1), (2), या (3) में वर्णित किसी रूप में किसी भू–गृहादि का किराया ग्रहण करता है, कोई ऐसा कार्य करने के लिये उत्तरदायी न होगा जिसका इस अधिनियम के अधीन स्वामी द्वारा किया जाना अपेक्षित हो, जब तक कि उसके पास उस कार्य के व्यय को पूरा करने के लिये स्वामी की, या स्वामी को देय पर्याप्त धनराशि न हों, या अपने द्वारा अनुचित कार्य या चूक (improper act of default) न किये जाने की दशा में, जो उसके पास नही होती, न हो ।

स्वामी के अभिकर्ता या न्यासी के दायित्व की सीमा

(2) उन तथ्यों को सिद्ध करने का भार जिनके कारण किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन उपशम प्राप्त करने का अधिकार हो स्वयं उसी व्यक्ति पर होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उपशम (relief) प्राप्त कर ले तो

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 27 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 27 द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1977 की धारा 32 द्वारा निकाला गया ।

[1][नगर आयुक्त], लिखित नोटिस द्वारा, ऐसे व्यक्ति की स्वामी की ओर से या स्वामी के प्रयोगार्थ सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली धनराशियों से वह आभार (obligation) उत्सर्जित करने (discharge) का आदेश दे सकता है जिसे वह उस उपशम के न मिलने की दशा में उत्सर्जित करता तथा यदि कोई व्यक्ति इस नोटिस का अनुपालन न करे, तो वह ऐसे आभार के उत्सर्जन के निमित्त व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी समझा जायेगा ।

(4) इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह [1][नगर आयुक्त] को आवश्यक निर्माण–कार्य संपादित करने और उसका व्यय वास्तविक स्वामी से वसूल करने से रोकती है ।

प्रयोक्ता प्रभारों को उद्ग्रहण करने की शक्ति

[2]**[573–क**–नगर निगम या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अभिकरण या संगठन निम्नलिखित के लिए ऐसी दरों पर जैसी कि नियमावली द्वारा समय–समय पर विहित की जायं, प्रभोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण करेगा ––

(एक) जल आपूर्ति, जल निष्कासन और मल वहन की व्यवस्था ;

(दो) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन ;

(तीन) विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न अवधियों के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों की पार्किंग ;

(चार) सार्वजनिक पगडंडियों, फुटपाथों और सार्वजनिक भूमि का उपयोग ;

(पांच) किसी प्रकार के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत या ध्वस्तीकरण कार्य के लिए सार्वजनिक मार्ग पर सामग्रियों या कूड़ा करकट का एकत्रीकरण ;

(छः) नगरीय अवसंरचना और नागरिक सुख–सुविधाओं के प्रबन्धन ;

(सात) मल शोधन संयंत्रों का निर्माण, संचालन, अनुरक्षण और प्रबन्धन ;

(आठ) सड़कों, पुलों, उपरिगामी सेतुओं और भुमिगत पारपथ का निर्माण और अनुरक्षण ;

(नौ) बूचड़खानों, पशु शव उपयोग संयंत्रों, मांस और मछली बाजारों आदि का निर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्धन ;

(दस) प्रदान की गयी किसी अन्य विनिर्दिष्ट सेवा या सृजित अवसंरचना या उपलब्ध करायी गयी सुविधा या सुख–सुविधा ;]

सूचना का लोक प्रकटीकरण

[3] **[573–ख**–(1) नगर निगम नीचे यथा उल्लिखित त्रैमासिक अन्तरालों पर अपेक्षित सूचना को प्रकट करने हेतु अपने अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगा और प्रकाशित करेगा ;

(क) नगर निगम या उसकी समितियों की कार्यवाहियों या कार्यवाहियों का सारांश ;

(ख) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निदर्शिनी ;

(ग) ऐसे अधिकारियों का विशिष्टियॉ जो नगर निगम के विभिन्न विभागों में रियायत, परमिट और लाइसेंस प्रदान करते है, या नागरिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते है ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 2009 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 2009 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया ।

(घ) तुलनपत्र, प्राप्तियों एवं व्ययों और वार्षिक बजट आदि का सम्परीक्षित वित्तीय विवरण ;

(ङ) निगम द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सेवा के लिये उपबंधित किये गये सेवा स्तर ;

(च) समस्त योजनाओं, प्रस्तावित व्यय, प्रदान की गयी प्रमुख सेवाओं या निष्पादित क्रियाकलापों पर वास्तविक व्यय और किये गये वितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ ;

(छ) निगम द्वारा प्रदान की गयी प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर समनुषंगी कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रमों हेतु हिताधिकारियों की पहचान की रीति एवं मानदण्डों का विवरण ;

(ज) निगम द्वारा दायित्व ग्रहण किये गये कार्यक्रमों का विवरण ;

(झ) निगम के विकास के संबंधित नगर विकास योजनाओं एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का विवरण ;

(ञ) प्रमुख निर्माण कार्यों, निर्माण कार्यों, के मूल्यों, कार्य पूरा होने के समय और संविदा विवरण की विशिष्टितियॉ ;

(ट) निगम की निधियों के विवरण ;

(एक) कर एवं करेतर शीर्षकों के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष में जनित एवं वसूल की गयी आय ;

(दो) कर शुल्क सेस और अधिभार, किराया, सम्पत्ति से शुल्क, परमिट और लाइसेंस तथा प्रयोक्ता प्रभार ;

(तीन) उपर्युक्त (दो) के सापेक्ष धनराशि, जो असंग्रहीत हो ;

(चार) विभिन्न प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार से अनुदान, ऋण या निधियों का न्यागमन और उपयोग की स्थिति ;

(ठ) ऐसी अन्य सूचना जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये ;

(2) प्रकटीकरण की रीति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :––

(क) समाचार पत्र ;

(ख) इंटरनेट ;

(ग) निगम की सूचना पट्ट ;

(घ) जोन कार्यालय ;

(ङ) किसी बुलेटिन का जारी किया जाना ;

(च) गजट में अधिसूचना ;

(छ) ऐसी कोई अन्य रीति, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय ।]

अध्याय 25

संक्रान्तिकालीन (Transitory) उपबंध, निरसन (Repeals) तथा संशोधन

अन्य विधायनों में निर्देशों का अर्थ

574[1]–यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 तथा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 से भिन्न किसी विधायन (enactment) में, जो किसी नगर में नियत दिन से ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रवृत्त हों,

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 68 द्वारा पुनःसंख्याकित।

या तदन्तर्गत निर्मित या प्रचारित किसी नियम, आज्ञा या विज्ञप्ति में, जो उक्त दिनांक पर उक्त नगर में प्रवृत्त हो (inforce), जब तक कि यह न प्रतीत हो कि उससे कुछ और आशय है––

(क) यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित [1][यथास्थिति, नगरपालिका या नगरपालिका क्षेत्र और म्युनिसिपल बोर्ड या नगर पालिका परिषद्] के प्रति किये गये निर्देशों (references) का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वे यथास्थिति [1][नगर और उक्त नगर कि निगम] के प्रति किये गये निर्देश हैं और ऐसा विधायन, नियम, आज्ञा अथवा विज्ञप्ति उक्त नगर अथवा [2][निगम] के सम्बन्ध में लागू होंगी ;

(ख) यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित म्युनिसिपल बोर्ड [3][या, यथास्थिति नगरपालिका परिषद्] के अध्यक्ष (President) अथवा उपाध्यक्ष (Vice-President) के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ, नगर के सम्बन्ध में, यह लगाया जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त [4][नगर आयुक्त] के प्रति किये गये निर्देश हैं ;

(ग) यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 अथवा कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन संगठित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या डेवलपमेंट बोर्ड तथा ऐसे ट्रस्ट या बोर्ड के चेयरमैन या अध्यक्ष (President) के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ नगर के सम्बन्ध में यह लगाया जायगा कि वे क्रमशः इस अधिनियम के अधीन संगठित विकास समितियों तथा [4][नगर आयुक्त] के प्रति किये गये निर्देश हैं ;

(घ) यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन संगठित म्युनिसिपल बोर्ड [3][या, यथास्थिति नगरपालिका परिषद्] के सदस्यों के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ नगर के सम्बन्ध में यह लगाया जायेगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नगर के लिये संगठित [2][निगम] के सदस्यों के प्रति किये गये निर्देश हैं, तथा

(ङ) यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, 1916, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 तथा यू0 पी0 कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के किसी अध्याय अथवा किसी धारा के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ किसी नगर के सम्बन्ध में यथाशक्य यह लगाया जायगा कि वे इस अधिनियम, या इसके तत्स्थानी (corresponding) अध्याय या धारा के प्रति किये गये निर्देश हैं ।

[5][(2) उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, किन्हीं नियमों, विनियमों, उपविधियों, परिनियत लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी लेखा या कार्यवाही में [2][नगर निगम] या [2][निगम] के प्रति किये गये निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायेगा कि वह क्रमशः नगर निगम या निगम के प्रति किये गये निर्देश है।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 22 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 22 (क) (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 68 द्वारा बढ़ाया गया ।

देय धनराशियां

575–चाहे वे किसी (tax) कर के चाहे अन्य किसी लेखे (account) के सम्बन्ध में देय हों किसी ऐसे क्षेत्र के, जो अब नगर बना दिया गया हो, [1][यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा नगरपालिका परिषद्] अथवा स्थानीय प्राधिकारी को देय सभी धनराशियां नगर के [2][नगर आयुक्त] द्वारा वसूल की जायेगी और ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ वह कोई ऐसा कार्य (measure)) करने अथवा कोई ऐसी कार्यवाही निवेशित (institute)) करने के लिये सक्षम होगा, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने, तथा उक्त क्षेत्र के नगर के रूप में संगठित न किये जाने की दशा में उक्त नगराधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकारी सम्पन्न कर सकता।

ऋण, आभार संविदे तथा विचाराधीन कार्यवाहियां

576–(1) [3][यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा नगरपालिका परिषद्] अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से नियत दिन से ठीक पूर्व उपगत (incurred) सभी ऋण तथा आभार (obligations) और किये गये सभी संविदों के सम्बन्ध में, जो उक्त दिन पर विद्यमान (subsisitng) हों, यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उक्त नगर के [2][नगर आयुक्त] द्वारा उपगत हुए हैं अथवा किये गये हैं और तदनुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

(2) उक्त दिन पर उक्त नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी के समक्ष समस्त विचाराधीन कार्यवाहियां, जिन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन [2][नगर आयुक्त] के समक्ष निवेशित किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, उसे हस्तान्तरित कर दी जायेगी, और उसके द्वारा जारी रखी जायेगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां यथाशक्य ऐसे प्राधिकारी को हस्तान्तरित कर दी जायेगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निवेशित की जाती अथवा सम्पन्न की जाती ।

(3) उक्त दिनांक पर उक्त नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन समस्त अपीलें, यथा व्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायेगी मानों उन्हें प्रस्तुत करने के समय वह क्षेत्र नगर के रूप में संगठित किया जा चुका हो ।

(4) उक्त नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से निवेशित सभी अभियोजन (prosecutions) तथा उक्त नगरपालिका, स्थानीय प्राधिकारी, अथवा उस नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के किसी पदाधिकारी द्वारा, अथवा उसके विरूद्व निवेशित सभी वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक पर विचाराधीन हों, यथास्थिति [2][नगर आयुक्त] अथवा उक्त नगर की [4][निगम] द्वारा अथवा उसके विरूद्व इस प्रकार जारी रहेंगी मानों ऐसे अभियोजन, वाद अथवा कार्यवाही के विरूद्व इस प्रकार जारी रहेंगी मानो ऐसे अभियोजन, वाद अथवा कार्यवाही के निवेशित किये जाने के समय वह क्षेत्र नगर के रूप में संगठित किया जा चुका हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नियुक्तियों, करों, बजट के तखमीनों तथा निर्धारणों का जारी रहना

577–इस अध्याय के उपबन्धों अथवा धारा 579 के अधीन प्रचारित किसी विज्ञप्ति द्वारा की गई स्पष्ट व्यवस्था को छोड़ कर––

(क) यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 या यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 या नियत दिन से तुरन्त पूर्व नगर के रूप में संगठित किये गये किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की गई, प्रचारित, आरोपित या स्वीकृत कोई नियुक्ति, प्रतिनिधायन (delegation), विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आज्ञा, निदेश (direction), योजना, अनुज्ञप्ति (license), अनुज्ञा (permission), पंजीयन (registration), नियम, उपविधि, विनियम तथा प्रपत्र (form) जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह यथास्थिति, इस अधिनियम अथवा पूर्वोक्त अन्य किसी विधि के अधीन की गई प्रसारित, आरोपित अथवा स्वीकृत किसी नियुक्ति, प्रतिनिधायन, विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आज्ञा, निदेश, योजना, अनुज्ञप्ति–अनुज्ञा, पंजीयन, नियम, उपविधि, विनियम या प्रपत्र द्वारा अवकांत न कर दिया जाय ;

(ख) नगर के अन्तर्गत किसी क्षेत्र की किसी विकास योजना के संबंध में यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 के अधीन प्रसारित किसी नोटिस, विज्ञप्ति या स्वीकृति (sanction) के विषय में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन प्रसारित की गयी है, तथा ऐसी योजना की बढ़ाने के हेतु आगे की कार्यवाहियां तदनुसार की जायेगी ।

(ग) यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919, कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945, यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 या नगर के अन्तर्गत क्षेत्र पर लागू होने वाले अन्य किसी विधायन के अधीन किसी भूमि के अर्जन से सम्बद्ध सभी कार्यवाहियां, चाहे वे किसी विकास योजना के अनुसरण में अथवा अन्यथा आरम्भ (initiated) की गयी हों, उसी प्रकार जारी रखी जायेंगी मानो वे इस अधिनियम के अधीन आरम्भ हों ;

(घ) यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 या यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, 1945 या नियत दिनांक से तुरन्त पूर्व नगर के रूप में संगठित किये गये किसी क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किये गये बजट के सभी तखमीने, निर्धारण, मूल्यांकन (valuations), माप (measurements) तथा विभाजन (divisions), जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों, इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे ;

(ङ) नियत दिन से ठीक पूर्व [1][यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा नगरपालिका परिषद्], इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के नियोजन में होने वाले सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी, धारा 106 और 107 में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन अस्थायी रूप से नियोजित [1][निगम] के पदाधिकारी तथा कर्मचारी हो जायेंगे और [2][जब तक वे इस अधिनियम के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त न किये जायें या धारा 112–क के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा सृजित किसी केन्द्रीय

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 1966 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सेवा में अन्तिम रूप से ले न लिये जायें अथवा उनकी सेवायें ऐसी नियमावली के अनुसार समाप्त न हो जायें, वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे और, ऐसी नियमावली में अन्यथा की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके कि वे नियत दिन के ठीक पूर्व अधिकारी अथवा अधीन थे,]

[1][(ङङ) जब तक कि धारा 106 में उल्लिखित पदों का [2][निगम] द्वारा सृजन नहीं किया जाता इस और उन पर अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार औपचारिक नियुक्तियां नहीं की जातीं ––

(1) [3][नगर आयुक्त] खण्ड (ङ) में उल्लिखित वर्तमान पदाधिकारियों और सेवकों के पदनामों में ऐसे परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, और इस प्रकार नामोदिष्ट पदाधिकारी और सेवक ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन करने के लिए सक्षम होंगे जो उन्हें अधिनियम और उक्त नियमों के अधीन सौंपे गये हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उप–खण्ड के अधीन [3][नगर आयुक्त] द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायेगी जो उसमें ऐसे परिवर्तन कर सकती है जो आवश्यक या वांछनीय हों ।

(2) राज्य स्वास्थ्य सेवा का ऐसा पदाधिकारी अथवा ऐसे पदाधिकारी जिसे/जिन्हें राज्य सरकार तदर्थ नाम–निर्दिष्ट अथवा नामोदिष्ट करे, अधिनियम के अधीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे ।

(3) राज्य सरकार के ऐसे सेवक जो नियत दिन के ठीक पूर्व उक्त म्युनिसिपैलिटी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के यहां प्रति–नियुक्ति हों, धारा 106 और 107 में किसी बात के होते हुए भी [3][नगर निगम] के यहां प्रतिनियुक्ति समझे जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, किसी भी समय, स्वतः अथवा [2][निगम] द्वारा अनुरोध किये जाने पर किसी ऐसे पदाधिकारी को वापस बुला सकती है अथवा किसी ऐसे पदाधिकारी के स्थान पर नया पदाधिकारी भेज सकती है ।]

(च) खंड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को [2][निगम] द्वारा धारा 106 के अधीन निर्मित पदों पर [4][नियुक्ति करने में धारा 112–क के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबंधो के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा ;]

(1) उन पदों पर नियुक्ति का कार्य जिनके संबंध में धारा 107 के अनुसार राज्य के लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है उक्त धारा के अनुसार किया जायेगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1964 की धारा 28 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 29, 1966 की धारा 8(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) अन्य पदों पर नियुक्तियां [1][नगर आयुक्त] [1][महापौर] के परामर्श से और इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष निदेशों के अनुसार करेगा ।

(3) यदि किसी पद के लिये उपर्युक्त अस्थायी पदाधिकारियों या कर्मचारियों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिये न मिले तो ऐसे पद के लिये अन्यथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति कर ली जायेगी ।

(4) यदि कोई उपर्युक्त अस्थायी पदाधिकारी का कर्मचारी [2][निगम] द्वारा निमित्त किसी पद के लिये उपयुक्त न समझा जाये अथवा जिस पद पर उसकी नियुक्ति की जाय उस पद को ग्रहण करना वह इस कारण स्वीकार न करे कि उसका वेतन या वेतन का समय–मान (time-scale) उसके वर्तमान वेतन अथवा वेतन के समय–मान से कम है तो उसकी सेवा को नियोजन की शर्तों की अपेक्षानुसार आवश्यक नोटिस देकर समाप्त कर दिया जायेगा परन्तु ऐसा प्रत्येक पदाधिकारी तथा कर्मचारी जिसकी सेवायें इस प्रकार समाप्त कर दी गई हों ऐसे अवकाश, निवृत–वेतन (pension) या उपदान (gratuity) का अधिकारी होगा जिसे वह इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में सेवा से पृथक किये जाने पर ग्रहण करने या प्राप्त करने का अधिकारी होता ।

(छ) खंड (ङ) में उल्लिखित पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों ने नियत दिन से पूर्व जितनी भी सेवा की होगी वह [2][निगम] के अधीन की गई सेवा (service) समझी जायेगी।

सेवा की निरन्तरता

[3][**577–क**–उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी [2][नगर निगम] के नियोजन में समस्त अधिकारी और कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर, इस अधिनियम के अधीन निगम के अधिकारी और कर्मचारी हो जायेंगे और वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे और सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके कि वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व हकदार या अधीन थे ।]

[4][***] विघटित नगरपालिका अथवा स्थानीय प्राधिकारी के लिये व्यवस्था

578–पूर्ववर्ती धाराओं में किसी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के प्रति किया गया कोई निर्देश तदर्थ निर्मित किसी विधायन के अधीन किसी ऐसी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के [4][***] या विघटित होने अथवा किसी प्रशासक के अवधायन में रख दिये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति किया गया निर्देश समझा जायेगा, जो ऐसी नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी से सम्बद्ध किसी विधि के अधीन उक्त नगरपालिका या स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने अथवा कृत्यों का सम्पादन करने के लिये नियुक्त किया गया अथवा किये गये हों ।

विशेष उपबन्ध

579–(1) [5][जब कोई क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 243–घ के खण्ड (2) के अधीन वहत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाये तो], इस अधिनियम अथवा ऐसे क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधायन में किसी बात के रहते हुये राज्य सरकार––

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 26 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 27 द्वारा निकाला गया ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 28(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) ऐसे नगर में 2[***] इस अधिनियम के अधीन 1[नगर आयुक्त] के अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का संपादन करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी अन्तःकालीन 1[नगर आयुक्त] की नियुक्ति कर सकती है ;

(ख) ऐसे नगर में 4[निगम] की स्थापना से सम्बद्ध समस्त कार्यों के प्रयोजनार्थ ऐसे नगर के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र के संबंध में कार्य करने वाले 3[नगरपालिका परिषद्] इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या विकास बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की सेवायें अभियाचित कर सकती है ;

(ग) आज्ञा देकर अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था कर सकती है जो ऐसे नगर में 3[निगम] की स्थापना को सुगम बनाने के लिये आवश्यक हो ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान उस स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में से किया जायेगा जिसके कि वे सेवाओं की अभियाचना के समय पदाधिकारी या कर्मचारी रहें हो, तथा अन्तःकालीन 2[नगर आयुक्त] के वेतन और भत्तों का भुगतान ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि में से किया जायेगा जिसे राज्य सरकार आदिष्ट करे ।

नगर निगम के संगठन तक के लिये व्यवस्था

5[**579–क**–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, 6[उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन नगर निगम के पहले संगठन तक] की अवधि के दौरान नगर महापालिका और उसके 2[महापौर], 7[***] और सदस्य क्रमशः नगर निगम और उसके 2[महापौर], 7[***] और सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और नगर निगम के 2[महापौर], 7[***] और सदस्य समझे जायेंगे ।

(2) 8[जहां 4[निगम] जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल 5[ऐसे प्रारम्भ के पूर्व समाप्त हो गया है और राज्य सरकार द्वारा कोई अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) तो निगम के प्रथम संगठन तक], ––

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 28(ख) द्वारा निकाला गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 28(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 69 द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 29(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
8. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 29(ख)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) [1][* * * *]

(ख) निगम, उसके [2][महापौर], [3][***], कार्यकारिणी समिति, विकास समिति सर्विस तथा धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन नियुक्त अन्य समितियों की तथा [2][नगर आयुक्त] की समस्त शक्तियां, कृत्य, तथा कर्तव्य [4][उसमें निरन्तर निहित रहेंगे और उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन प्रशासक द्वारा किया जायगा जो]

विधि के दृष्टि से निगम [2][महापौर], [3][***], कार्यकारिणी समिति, विकास समिति, या अन्य समितियां अथवा [2][नगर आयुक्त] जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हों ; समझा जायेगा ;

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार, के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से या किन्हीं के बारे में––

(1) उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा, अथवा

(2) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जाने वाले किसी व्यक्ति अथवा उप–खण्ड (1) के अधीन संगठित किसी समिति या अन्य निकाय के प्रत्यायोजत कर सकेगा,

(घ) प्रशासक का वेतन और भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किए जाएं, निगम की निधि से दिए जायेंगे ।

[5][(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम के संगठन के लिये निर्वाचन, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से डेढ़ वर्ष की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कराये जायेंगे, और निगम का संगठन हो जाने पर उपधारा (2) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) के उपबन्ध प्रभावी नहीं रह जायेंगे ।]

(4) [6][* * * *]

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

[7][**580**–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो अधिसूचित

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 29(ख)(2) द्वारा निकाला गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 49, 2007 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 29(ख)(तीन) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 29(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 29(घ) द्वारा निकाला गया ।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 70 द्वारा बढ़ाया गया ।

आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाए गए उपबंध प्रभावी होंगे मानों वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गए हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भुतलक्षी दिनांक से, किन्तु वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994, के प्रारम्भ के पूर्व का दिनांक न होगा, दिया जा सकता है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल की दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के संबंध में लागू होते है ।]

कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तरधिकारी

[1][**580–क**–(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ को और से, और धारा 140 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ––

(क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियां जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहां कहीं भी वे स्थित हों, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले [2][नगर निगम] में निहित थी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निगम में निहित हो जायेंगी और इसके अधिकार में रहेंगी, तथा

(ख) पूर्वोक्त [2][नगर निगम] के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुए हों या अन्यथा जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हों, उस निगम के अधिकार, दायित्व और आभार हो जायेंगे ।

(2) यदि कोई संदेह या विवाद, उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) के अधीन निगम में निहित हो गयी है, या नहीं, अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आभार निगम का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं, तो ऐसा संदेह या विवाद, यथास्थिति, [3][नगर आयुक्त] द्वारा राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय, जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवक्रान्त न हो जाय, अन्तिम होगा ।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 70 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][2][निगम] को देय धनराशियां]

[3][**580–ख**–किसी [1][नगर निगम] को देय समस्त धनराशियां, चाहे वे किसी कर के मद में देय हों या किसी अन्य खाते में निगम द्वारा वसूल की जायेंगी और निगम ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिये सक्षम होगा या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा, जिसे उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त [2][नगर निगम] करने या प्रारम्भ करने का अधिकारी होती।]

[4][2][निगम] के ऋण, आभार, संविदायें तथा विचाराधीन कार्यवाहियां]

[5][**580–ग**–(1) किसी [1][नगर निगम] द्वारा या उसकी ओर से धारा 580–क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋणों और आभारों और की गयी सभी संविदाओं के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हों, यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके निगम द्वारा हुए अथवा किये गये और तद्नुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

(2) उक्त [2][नगर निगम] के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निगम के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, निगम को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी, यथासम्भव, उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायेंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती ।

(3) उक्त [2][नगर निगम] के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथा व्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानों उसके प्रारम्भ किये जाने के समय निगम विद्यमान था ।

(4) उक्त [2][नगर निगम] द्वारा या उसकी ओर से चलाये गये सभी अभियोजन और उक्त [2][नगर निगम] द्वारा या उसके विरूद्ध या उक्त [2][नगर निगम] के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध चलाये गये सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हों, निगम या अधिकारी द्वारा या उसके विरूद्ध उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो ऐसे अभियोजन, वाद या कार्यवाही चलाये जाने के समय निगम संगठित किया जा चुका हो ।]

निरसन

581–यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, यू0 पी00 टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट (अपील्स) ऐक्ट, 1920, यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेट ऐक्ट, 1945, नियत दिन से जहां तक वे नगर में किसी क्षेत्र में प्रवृत्त होते हों निरस्त हो जायंगे।[4]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 30 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1995 की धारा 31 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 70 द्वारा बढ़ाया गया।

अनुसूची–1

(धारा 119)

[1][निगम] प्राधिकारियों के अप्रत्यनिधान्य कृत्य

भाग (क)

[1][निगम] के कृत्य जो प्रतिनिधानित न किये जायेंगे

अध्याय	धारा	कृत्य
3	95 (1)	(1) विशेष समितियां अथवा संयुक्त समितियों का संगठन करना ।
	96 (1)	(1) किसी छावनी प्राधिकारी अथवा अन्य किसी विधिक प्राधिकारी अथवा ऐसे प्राधिकारी के समवाय (combination) में मिलना ।
6	127	किसी अचल संपत्ति को मंजूर करने अथवा अर्जन करने की स्वीकृति देना यदि उस संपत्ति का मूल्य, जिसे मंजूर करने, अर्जित करने अथवा विनियम में देने का प्रस्ताव है, पांच हजार रूपये से अधिक हो ।
		तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये किसी संपत्ति को पट्टे पर लेने की मंजूरी देना ।
		किसी आभारग्रस्त (burdened by an obligation) संपत्ति का दान अथवा दित्सा (bequest) मंजूर करने की स्वीकृति देना, यदि उसका मूल्य पांच हजार रूपये से अधिक हो ।
7	139	विशेष निधि का निर्माण करना ।
	146 (4)	बजट अंगीकार करना ।
	148	करों की दरें निर्धारित करना ।
	151	अंगीकृत बजट प्राक्कलनों में परिवर्तन करना ।
8	154 155	रूपया उधार लेना ।
	157	निक्षेप निधि का संगठन करना ।
9	172	कर लगाना ।
	204	करों को हटाना या उनमें परिवर्तन करना ।
	216	करों की संहत करना ।
	225	अनुपूरक करों का आश्रय लेना ।
14	360	विकास समिति द्वारा प्रस्तुत योजना का, संशोधनों सहित अथवा रहित, परित्याग करना अथवा उसे स्वीकृत करना ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अध्याय	धारा	कृत्य
	364	[1][निगम] अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी योजना को पारित करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन करना ।
16	423	यह निर्धारित करना कि नगर में अथवा नगर के किसी निर्दिष्ट भाग में निजी बाजारों की स्थापना अथवा निजी वधशालाओं के संधारण की अनुज्ञा दी जाय या नहीं ।

भाग (ख)

कार्यकारिणी समिति के कृत्य, जो प्रतिनिधानित न किये जायेंगे

अध्याय	धारा	कृत्य
6	127	(1) संपत्ति अर्जित करने के लिए निबन्धन (terms), दरें अथवा अधिकतम मूल्य निश्चित करना,
		(2) किसी सम्पत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जित करने की और किसी अचल संपत्ति के विनियम की स्वीकृति देना, और
		(3) किसी संपत्ति का 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर लेने की मंजूरी देना ।
	135	दस हजार रूपये से अधिक की लागत की योजनाओं के तखमीनों की मंजूरी देना ।
9	213	निर्धारण सूची को परिवर्तित अथवा संशोधित करना ।
16	443	नल–मिस्त्रियों के लिए शुल्क निर्धारित करना ।

भाग (ग)

विकास समिति के कृत्य, जो प्रतिनिधानित न किये जायंगे

अध्याय	धारा	कृत्य
14	344	किसी क्षेत्र को अस्वास्थ्यकर क्षेत्र घोषित करना ।
	345	गन्दी बस्तियों को साफ करने तथा पुनर्निर्माण की योजना बनाने के आदेश देना ।
	351	परिमापन करने की आज्ञा देना ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अध्याय	धारा	कृत्य
	356	[1][नगर आयुक्त] द्वारा तैयार की गयी कोई योजना, संशोधनों सहित अथवा रहित, स्वीकार करना ।
	359	किसी विकास योजना के सम्बन्ध में आपत्तियों अथवा अभ्यावेदनों (representations) पर विचार करना ।

भाग (घ)

[1][नगर आयुक्त] के वे कृत्य जो अन्य पदाधिकारियों अथवा सेवकों को प्रतिनिधानित न किये जायेंगे

अध्याय	धारा	कृत्य
4	107 (2)	[2][ऐसे पदों पर जो धारा 107 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों में सम्मिलित नहीं है।] नियुक्तियां करना।
6	127	नगर के बाहर या भीतर किसी चल अथवा अचल संपत्ति अथवा ऐसी सम्पत्ति में कोई स्वत्व अर्जित करना ।
	129	[3][निगम] की ओर से किसी सम्पत्ति का निस्तारण करना ।
10	229	यह घोषित करना कि कोई नाली अथवा उसका कोई भाग अथवा जल–निस्सारण अथवा मल–निस्तारण के निर्माण–कार्य [2][निगम] में निहित होंगे।
	250	नालियां खाली करने अथवा मल आदि (sewage) के निस्तारण के लिए स्थान निश्चित करना ।
12	277	कुछ प्रकार के यातायात (traffic) के लिए सार्वजनिक सड़कों के प्रयोग का प्रतिषेध करना ।
	278	सार्वजनिक सड़कों के सुधार के लिये भू–गृहादि अर्जित करना ।
	279	सड़क की पंक्ति विहित करना ।
	280 281	भवनों को सड़क की नियमित पंक्ति तक पीछे हटाने और किसी भवन के गिराने के आदेश न माने जाने पर उसको या उसके किसी भाग को गिराने की आज्ञा देना ।
	282 283	सड़क की नियमित पंक्ति के भीतर की खुली भूमि, अथवा चबूतरों (platforms) द्वारा घिरी हुई भूमि अर्जित करना ।
	284	भवनों को आगे बढ़ाने की आज्ञा देना ।
	290	किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 71 खण्ड (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अध्याय	धारा	कृत्य
	293	सड़कों पर निकले हुए भागों (project) को बनाने की अनुज्ञा देना ।
	299	नियत दिन के पहले निर्मित या संस्थापित किसी ढांचे अथवा संलग्नक को हटाने के आदेश देना ।
	305	आकाश–चिन्हों आदि के निर्माण की अनुज्ञा देना ।
13	322	उस समय तक के लिए किसी भवन को बनाने की अनुज्ञा न देना जब तक कि सड़क प्रारम्भ न कर दी जाय अथवा पूरी न कर ली जाय ।
	328	प्रार्थी द्वारा सारवान भ्रान्त कथन के आधार पर किसी भवन अथवा निर्माण–कार्य आरम्भ करने की अनुज्ञा रद्द करना ।
13	333	अवैध कार्यों का निर्देशन करने वाले व्यक्तियों को हटाने के आदेश देना ।
	334	कुछ परिस्थितियों में किसी भवन को खाली कराने की नोटिस जारी करना ।
	335	विशेष सड़कों अथवा स्थानीय क्षेत्रों (localities) में भवनों का भावी निर्माण विनियमित करना ।
	338	ऐसे स्थानों पर भवनों के पुनर्निर्माण का प्रतिषेध करना जहां तक पहुंचा न जा सके ।
	340	आवास (accomodation) सम्बन्धी विवरण मांगना ।
16	430	पशुओं के वध के लिए [1][निगम] की अनुज्ञा से नगर के भीतर भू–गृहादि निश्चित करना ।
21	525	[निगम] के अनुमोदन से कुछ व्ययों को विकास व्यय घोषित करना ।

अनुसूची–2

(धारा 376)

लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (जिसे आगे उक्त ऐक्ट कहा गया है) में संशोधन ।

धारा 3 का संशोधन

1—उक्त ऐक्ट की धारा 3 के खंड (ई) के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाये, अर्थात्

"(ee) the expression 'local authority' includes a [1][Corporation] constituted under the Uttar Pradesh [2][Municipal Corporation] Adhiniyam, 1959."

विकास योजनाओं की दशा में धारा 4 तथा धारा 6 के

2—(1) इस अधिनियम की धारा 357 के अधीन किसी विकास योजना का प्रथम प्रकाशित नोटिस, उक्त ऐक्ट की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सम्बद्ध स्थान (locality) तथा सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति का स्थान ले लेगा, और

1. उ0 प्र0 अधिनियम 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधीन विज्ञप्ति का स्थान इस अधिनियम की धारा 357 तथा 363 के अधीन प्रचारित विज्ञप्तियां ले लेंगी

उसी के समान प्रभावी होगा, सिवाय उस दशा के जब उक्त ऐक्ट की धारा 4 या 6 के अधीन पहले घोषणा की जा चुकी हो और वह अब भी प्रचलित हो ।

(2) इस अनुसूची की कंडिकाओं 10 तथा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम की धारा 348 की उपधारा (4) के अधीन अर्जित भुमि की दशा में, उक्त उपधारा के अधीन तथा इस अधिनियम की किसी अन्य विकास योजना के अधीन अर्जित भूमि की दशा में, इस अधिनियम की धारा 363 के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा का स्थान ले लेगी, तथा उसी के समान प्रभावी होगी, जब तक कि उक्त धारा 6 के अधीन घोषणा पहले ही न की जा चुकी हो और वह अब भी प्रचलित न हो ।

धारा 11 का संशोधन

3—उक्त ऐक्ट की धारा 11 के अन्त का फुलस्टाप सेमीकोलन में परिवर्तित समझा जाय तथा निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाये, अर्थात्——

"and"

"(iv) the cost which, in his opinion, should be allowed to any person who is found to be entitled to compensation, and who is not entitled to receive the additional sum of fifteen per centum mentioned in sub-section (2) of section 23, as having been actually and reasonably incurred by such person in preparing his claim and putting his case before the Collector.

The Collector may disallow, wholly or in part, costs incurred by any person, if he considers that the claim made by such person for compensation is extravagant."

धारा 15 का संशोधन

4—उक्त ऐक्ट की धारा 15 में शब्द तथा संख्या "and 24" के स्थान पर, संख्या, शब्द तथा वर्ण "or section 24-A" जिनके पहले एक कामा भी होगा, रखे गये समझे जाये।

धारा 17 का संशोधन

5—(1) उक्त ऐक्ट की धारा 17 की उपधारा (3) में संख्या "24" के पश्चात् शब्द, संख्या तथा वर्ण "or section 24-A" रखे गये समझे जाये।

(2) उक्त धारा 17 में निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाये, अर्थात्——

"(4) Sub-sections (1) and (3) shall apply also in the case of any area which is stated in a certificate granted by the District Magistrate or a Magistrate of the first class to be unhealthy.

(5) Before granting any such certificate, the Magistrate shall cause notice to be served as promptly as may be on the persons referred to in sub-section (3) of section 9, and shall hear without any avoidable delay any objections which may be urged by them.

(6) When proceedings have been taken under this section, for the acquisition of any land, and any person sustains damage in consequence of being suddenly dispossessed of such land, compensation shall be paid to such person for such dispossession."

[1][निगम] को भूमि हस्तांतरण

6—उक्त ऐक्ट की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्––

"17-A. In every case referred to in section 16 or section 17, the Collector shall, upon payment of the cost of acquisition, make over charge of the land to the [2][Municipal Commissioner] ; and the land shall thereupon vest in the [3][Corporation], subject to the liability of the [3][Corporation] to pay any further costs which may be incurred on account of its acquisition."

धारा 18 का संशोधन

7—उक्त ऐक्ट की धारा 18 की उपधारा (1) के अन्त का फुलस्टाप कामा में परिवर्तित समझा जाय तथा शब्द "or the amount of the costs allowed" बढ़ाये गये समझे जायं ।

धारा 19 का संशोधन

8—उक्त ऐक्ट की धारा 19 के खण्ड (सी) में शब्द "amount of compensation" के पश्चात् शब्द "and of costs (if any)" रखे गये समझे जायं।

धारा 20 का संशोधन

9—उक्त ऐक्ट की धारा 20 के खण्ड (सी) में शब्द "amount of compensation" के पश्चात् शब्द "or costs" रखे गये समझे जायं।

धारा 23 का संशोधन

10—(1) उक्त ऐक्ट की धारा 23 की उपधारा (1) के पहले तथा छठे खंड में शब्द "publication of the notification under section 4, sub-section (1)" तथा शब्द "publication of the declaration, under section 6" के पश्चात् ;

(क) इस अधिनियम की धारा 348 की उपधारा (3) के अधीन भूमि अर्जित किये जाने की दशा में शब्द "or in the case of acquisition under sub-section (3) of section 348 of the U. P. [2][Municipal Corporation] Adhiniyam, 1959 of the issue of the notice under sub-section (3) of section 348 of that Act", and

(ख) अन्य किसी दशा में शब्द "or in the case of acquisition of land under any improvement scheme other than a Bhavi Sarak Yojna under Chapter XIV of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1958, of the first publication of the notification under section 357 of that Act" बढ़ाये गये समझे जायं ।

(2) [3][x x x]

(3) उक्त ऐक्ट की धारा 23 के अन्त में निम्नलिखित बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्––

(2) For the purposes of caluse first of sub-section (1) of this section—

(a) the market-value of the land shall be the market-value according to the use to which the land was put at the date with reference to which the market-value is to be determined under that clause ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1994 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, 1961 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।

(b) if it be shown that before such date the owner of the land had in good faith taken active steps and incurred expenditure to secure a more profitable use of the same, further compensation based on his actual loss may be paid to him ;

(c) if any person, without the permission of the [1][Municipal Commissioner] required by clause (b) of sub-section (1) of section 348 or by sub-section (4) of section 350 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1958, has erected, re-erected, added or altered any building or wall so as to make the same project beyond the street alignment prescribed under the said section 348 or within the area specified in sub-section (4) of the said section 350, as the case may be, then any increase in the market-value resulting from such erection, re-erection, addition or alteration shall be disregarded;

(d) if the market-value has been increased by means of any improvement made by the owner or his predecessor-in-interest within two years before the aforesaid date, such increase shall be disregarded unless it be proved that the improvement so made was made in good faith and not in contemplation of proceedings for the acquisition of the land being taken under this Act ;

(e) if the market value is specially high in consequence of the land being put to a use which is unlawful or contrary to public policy, that use shall be disregarded and the market-value shall be deemed to be the market-value of the land if put ot ordinary uses ;

(f) if the market-value of any building is specially high in consequence of the building being so overcrowded as to be dangerous to the health of the inmates, such overcrowding shall be disregarded, and the market—value shall be deemed to be the market-value of the building if occupied by such number of persons only as could be accommodated in it without risk of danger from overcrowding ;

(g) when the owner of the land or building has after the passing of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, and within two years preceding the date with reference to which the market-value is to be determined, made a return under section 158 of the United Provinces Municipalities Act, 1916, of the rent of the land or building shall not in any case be deemed to be greater than the rent shown in the latest return so made, save as the Court may otherwise direct, and the market—value may be determined on the basis of such rent ;

Provided that where any addition to, or improvement of, the land or building has been made after the date of such latest return and previous to the date with reference to which the market-value is

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

to be determined, the Court may take into consideration any increase in the letting value of the land due to such addition or improvement."

11—उक्त ऐक्ट की धारा 24 के खंड सातवें के स्थान पर निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्—— **धारा 24 का संशोधन**

"Seventhly, any outlay on additions or improvements to land acquired, which was incurred after the date with reference to which the market-value is to be determined, unless such additions or improvements were necessary for the maintenance of any building in a proper state of repair."

12—उक्त ऐक्ट की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्—— **नयी धारा 24–ए**

Further provision for determining compensation

"24-A. In determining the amount of compensation to be awarded for any land acquired under this Act, for a Mahapalika established under the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, the Court shall also have regard to the following provisions, namely ;

(1) when any interest in any land acquired under this Act has been acquired after the date with reference to which the market-value is to be determined, no separate estimate of the value of such interest shall be made so as to increase the amount of compensation to be paid for such land ;

(2) if, in the opinion of the Court, any building is in a defective state, from a sanitary point of view, or is not in a reasonably good state of repair, the amount of compensation for such building shall not exceed the sum which the Court considers the building would be worth if it were put into a sanitary condition or into a reasonably good state of repair, as the case may be, minus the estimated cost of putting it into such condition or state ;

(3) if, in the opinion of the Court, any building which is used or is intended or likely to be used for human habitation, is not reasonably capable of being made fit for human habitation, the amount of compensation for such building shall not exceed the value of the materials of the building, minus the cost of demolishing the building."

13—(1) उक्त ऐक्ट की धारा 31 की उपधारा (1) में शब्द "the compensation" के पश्चात् तथा उसी धारा की उपधारा (2) में शब्द "the amount of compensation" के पश्चात् शब्द "and costs (if any)" रखे गये समझे जायं । **धारा 31 का संशोधन**

(2) उक्त ऐक्ट की धारा 31 की उपधारा (2) के अन्तिम प्रतिबन्ध proviso में शब्द "any compensation" के पश्चात् शब्द "or costs" रखे गये समझे जायं ;

नयी धारा 48–ए

14—उक्त ऐक्ट की धारा 48 के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्——

Compensation to be awarded when land not acquired within two years

"48-A. (1) If within a period of two years from the date of the publication of the declaration under section 6 in respect of any land, the Collector has not made an award under section 11, with respect to such land, the owner of the land shall, unless he has been to a material extent responsible for the delay, be entitled to receive compensation for the damage suffered by him in consequence of the delay.

(2) The provisions of Part III of this Act shall apply, so far as may be, to the determination of the compensation payable under this section."

धारा 49 का संशोधन

15—उक्त ऐक्ट की धारा 49 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित रखा गया समझा जाय, अर्थात्——

"(1-a) For the purposes of sub-section (1), land which is held with and attached to a house and is reasonably required for the enjoyment and use of the house shall be deemed to be part of the house."

अनुसूची 3
(देखिये धारा 460)
दंड सारिणी
भाग 1

धारायें, उपधारायें तथा खंड	जुर्माना जो किया जा सकता है
396 (2), 397, 398, 400 (छ), 400 (ज), 400 (झ), 403, 404, 405	दस रूपये
388 (2), 408, 425 (2), 438 (6), 442, 443, 447, 448, 449	बीस रूपये
246, 277, [1][x x x], 294, 303 (1), 307, 422 (ङ), 424, 426 (1), 428, 451 (5)	पचास रूपये
238, 239, 242 (1) (ख), 243 (ख), 248, 257, 258, 259 (1), 259 (2), 270, 281 (2), 289, 293 (3), 295 (1), 295 (2), 299 (1), 302 (1), 303 (2), 304 (1), 305 (1), 305 (3), 309 (1), 312, 330 (4), 332, 409, 410, 411, 418, 427, 430, 432 (1), 439	सौ रूपये
236, 252 (1), 253, 267 (1), 292 (1), (2), (4), 303 (3), 308 (1), 330 (2), 330 (3), 333 (1), 334 (3), 392 (3), 423 (2), 440, [1][482(3)] . . .	दो सौ रूपये

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1961 द्वारा अंक ''293(3)'' निकाल दिया गया।

धारायें, उपधारायें तथा खंड	जुर्माना जो किया जा सकता है
245 (1), 288 (1), 324, [1][x x x], 329, 331 (1), 331 (2), 391 (2), 394 (1), 413, 417 (1), 438 (1)	पांच सौ रूपये
279 (4), 326, 335 (7), 401, 402	एक हजार रूपये

भाग 2

धारायें, उपधारायें तथा खंड	जुर्माना जो प्रति दिन किया जा सकता है
293 (3), 294, 427, 428, 438 (6)	पांच रूपये
236, 238, 239, 242 (1) (ख), 443 (ख), 246, 248, 257, 258, 259 (1), 259 (2), 267 (1), 270, 289, 292 (2), (4), 295 (1), 295 (2), 299, 303 (2), 305 (1), 305 (3), 308 (1), 309 (1), 330 (4), 422 (ङ), 439, 451 (5)	दस रूपये
304 (1), 307, 330 (2), 330 (3), 333 (1), 334 (3), 440	बीस रूपये
245 (1), 281 (2), 302 (1), 303 (1), 332, 391 (2), 392 (3), 394 (1), 423 (2), 438 (1), [2][482 (3)]	पचास रूपये
279 (4), 324, 329, 331 (1), 331 (2), 335 (7), ...	सौ रूपये
401, 402	पांच सौ रूपये

पी0एस0यू0पी0 ए0पी0 39 सा0 विधायी-18-08-2022-(623)-700 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1961 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1961 द्वारा अंक 482 (3) प्रतिस्थापित।